96th Year of Service

ఆంధ్రా బ్యాంక్
आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
భారతీయుల బ్యాంక్ देशवासियों का बैंक Where India Banks

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018 -19

AGRI CREDIT

MSME

RETAIL CREDIT

FINANCIAL INCLUSION

HEALTH INSURANCE

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018 -19

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

जे पक्किरिसामी
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

J Packirisamy
Managing Director & Chief Executive Officer

अजित कुमार रथ
कार्यपालक निदेशक

Ajit Kumar Rath
Executive Director

कुल भूषण जैन
कार्यपालक निदेशक

Kul Bhushan Jain
Executive Director

अंजना दूबे
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

Anjana Dube
Govt. of India
Nominee Director

यूजिन ई कर्थक
भा रि बैं नामित निदेशक

Eugene E Karthak
RBI Nominee Director

बालगोपाल महापात्र
निदेशक

Balgopal Mahapatra
Director

ए कृष्ण कुमार
निदेशक

A Krishna Kumar
Director

जी शिव कुमार
निदेशक

G Siva Kumar
Director

ఆంధ్రా బ్యాంక్
आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

विषयसूची / CONTENTS

- एमडी एवं सीईओ पत्र शेयरधारकों को / MD & CEO's Letter to Shareholders 2
- वार्षिक साधारण बैठक की सूचना / Notice of Annual General Meeting 6
- निदेशकों की रिपोर्ट/प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण / Directors' Report / Management Discussion and Analysis 15
- साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट / Secretarial Audit Report 54
- व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report 60
- बेसल III के पिलर III के अंतर्गत प्रकटीकरण (नया पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क) / Disclosures Under Pillar-III of Basel-III (New Capital Adequacy Framework) 86
- कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट / Corporate Governance Report 180
- तुलन पत्र / Balance Sheet 250
- लाभ व हानि लेखा / Profit and Loss Account 251
- महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ /Significant Accounting Policies 260
- लेखों पर टिपण्णियाँ / Notes on Accounts 272
- नकरी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement 326
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report 328
- हमारी प्रगति का विहंगावलोकन / Our Progress at a glance 336
- मुख्य निष्पादन अनुपात / Key Performance Ratios 338
- विदेशी मुद्र में संक्षिप्त वित्तीय विवरण / Abridged Financial Statements in Foreign Currency 340
- शाखाओं का वर्गीकरण – जनसंख्या – समूहवार / Classification of Branches - Population Groupwise 342
- अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण – आंध्रा बैंक फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड Financial Statements of Subsidiary - Andhra Bank Financial Services Limited 343
- आंध्रा बैंक एवं इसकी अनुषंगी का समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements of Andhra Bank and its Subsidiary 402
- प्रॉक्सी फार्म/ Proxy Form 460
- उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पास / Attendance Slip / Entry Pass 462

महत्वपूर्ण घटनाओं का कैलेण्डर / CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS	
वार्षिक साधारण बैठक हेतु बही-समापन / Book Closure Dates for Annual General Meeting	जुलाई 23, 2019 से जुलाई 29, 2019 (मंगलवार से सोमवार) / 23rd July, 2019 to 29th July, 2019 (Tuesday to Monday)
आयोजन स्थल पर दूरस्थ ई-वोटिंग / पोल के माध्यम से वोट देने के हकदार शेयरधारकों का पता लगाने हेतु विनिर्दिष्ट, तिथि / Specified Date for ascertaining the shareholders entitled to vote through remote e-voting / Voting at at the venue of the meeting.	शुक्रवार, जुलाई 19, 2019 / Friday, 19th July, 2019
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने वाले प्रॉक्सी प्रपत्र / संकल्प की प्राप्ति की अंतिम तिथि / Last date for receipt of Proxy Forms / Resolutions appointing Authorised Representatives	बुधवार, जुलाई 24, 2019 / Wednesday, 24th July, 2019
रिमोट ई-वोटिंग अवधि / Remote e-voting Period	जुलाई 26, 2019 से जुलाई 28, 2019 (शुक्रवार से रविवार) / 26th July, 2019 to 28th July, 2019 (Friday to Sunday)
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि तथा समय / Date and time of Annual General Meeting	सोमवार, जुलाई 29, 2019 प्रात: 11.00 बजे / Monday, 29th July, 2019 at 11.00 am

लेखा परीक्षका AUDITORS

अगरवाल एण्ड सक्सेना
AGARWAL & SAXENA

राय एण्ड कंपनी
RAY & CO

संतोष गुप्ता व कंपनी
SANTOSH GUPTA & CO

जी.एस.माधव राव व कंपनी
G S MADHAVA RAO & CO

SECRETARIAL AUDITORS

डी हनुमंत राजु एंड कंपनी
D. HANUMANTA RAJU & CO.

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट
Registar & Share Transfer Agents

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि

मैसर्ज एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड (ईकाई: आन्ध्रा बैंक)
सी विंग, 209–ए, 2रा तल, गोकुल औद्योगिक इस्टेट
सगबौग, मरोल सहकारी औद्योगिक क्षेत्र बी/एच टाइम्स स्केवयर
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई – 400 059

M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED
Unit: ANDHRA BANK A-209, 'C' WING, 2ND FLOOR
GOKUL INDUSTRIAL ESTATE, SAGBAUG MAROL
CO-OP INDUSTRIAL AREA, B/H TIMES SQUARE,
ANDHERI (E), MUMBAI - 400059
PH.NO. 022-28516020/23 FAX NO. 022-40206021

एमडी एवं सीईओ पत्र शेयरधारकों को

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक के कार्य निष्पादन की मुख्य बातें आपसे साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

- कुल व्यवसाय 31.03.2018 को रु.3,72,605 करोड़ से 31.03.2019 को रु.3,98,511 करोड़ तक बढ़ा और 6.95% की वृद्धि दर्ज हुई ।
- कुल जमा राशियां पिछले वर्ष रु.2,08,070 करोड़ से रु.2,19,821 करोड़ तक बढ़ी और 5.65% की वृद्धि दर्ज हुई।
- कासा जमा राशियां पिछले वर्ष रु.64,596 करोड़ से रु.68,998 करोड़ तक बढ़ी और 6.81% की वृद्धि दर्ज हुई।
- जमा राशियों की लागत 5.53% रही।
- सकल बैंक ऋण रु;1,64,535 करोड़ से 1,78,690 करोड़ तक बढ़े और 8.60% की वृद्धि दर्ज हुई।
- जमा के प्रति ऋण अनुपात पिछले वर्ष 79.10% की तुलना में 81.29% रहा।
- अग्रिम पर प्रतिफल 8.54% रहा ।
- निवल ब्याज मार्जिन 3.31% रहा ।
- गैर-ब्याज आय रु.2045 करोड़ रहा।
- 2018-19 हेतु निवल हानि रु.2786 करोड़ रहा। इसका मुख्य कारण पुराने अनर्जक आस्तियों के प्रति संवर्धित प्रावधानीकरण है।
- सकल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए अनुपात 16.21% रहा
- निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए अनुपात 5.73% रहा
- प्रावधान व्याप्ति अनुपता 73.84% रहा
- बेसल – III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्ताता अनुपात 13.68 % रहा
- नेटवर्क विस्तार : बैंक के 6687 सुपुर्दगी माध्यम हैं जिनमें से 2885 शाखाएं, 4 विस्तार पटल और 3798 एटीएम/बीएनए/सीआर हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार हेतु निम्नलिखित आईटी पहल किए हैं :

इंटरनेट बैंकिंग में दी गई सुविधाएं :

- ओटीपी आधारित वैधीकरण के माध्यंम से खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक द्वारा अपना यूजर- आईडी पुन:प्राप्ति एनेबल किया गया।
- ऑन-लाईन खोले गए मीयादी जमाओं के प्रति तत्कानल ओवरड्राफ्ट सुविधा एनेबल की गई ।
- इंटरनेट- बैंकिंग में खोली गई मीयादी जमाओं को खोलना/ बंद करना एनेबल की गई ।
- कार्पोरेट आईबी ग्राहकों के लिए भी एएसबीए सुविधा एनेबल की गई ।
- कार्पोरेट आईबी ग्राहकों के लिए भी चैक बुक अनुरोध सविधा एनेबल की गई ।
- व्यक्तकृत रूपे प्लै टिनम डेबिट कार्ड हेतु अनुरोध सुविधा एनेबल की गई ।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्येम से डेबिट कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा एनेबल की गई ।
- इंटरनेट बैंकिंग में खाते को एलपीजी आईडी से लिंक करने की सुविधा एनेबल की गई ।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के लिए कर भुगतान की सुविधा एनेबल की गई ।
- सेफ-टी के माध्यम से कार्पोरेट हेतु लेनदेन पासवर्ड जेनरेट करने की सुविधा एनेबल की गई ।
- कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए दान की सुविधा एनेबल की गई ।
- दोनों खुदरा और कार्पोरेट आईबी ग्राहकों के लिए जीएसटीआईएन सीडिंग करने की सुविधा एनेबल की गई ।
- कार्पोरेट ग्राहकों के लिए भारत बिल भुगतान सेवाएं एनेबल की गई ।
- जमा/बचत खातों के लिए ब्याज प्रमाण-पत्र जेनरेट करने की सुविधा एनेबल की गई ।
- कार्पोरेट आईडी ग्राहकों के लिए आयकर एकल साईन-ऑन की सुविधा एनेबल की गई ।
- ई-मेल द्वारा खाता विवरण और लेनदेन अलर्ट हेतु पंजीकरण करने की सुविधा एनेबल की गई ।

मोबाईल ऐप-एबी तेज के माध्यम से मोबाईल बैंकिंग में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं ।

- बैंक के मोबाई ऐप के माध्यम से ग्राहक द्वारा चुनी गई विभिन्न बीमा योजनाओं के विवरण देखने की सुविधा एनेबल की गई ।
- एबी तेज ऐप का उपयोग करने के लिए एकाधिक स्थानीय भाषाएं यथा हिंदी, तेलुगु, तमिल और मराठी भाषाओं एनेबल की गई ।
- मोबाईल ऐप द्वारा ग्राहक को ई-मेल अद्यतन करने की सुविधा एनेबल की गई ।
- मोबाईल ऐप द्वारा डेबिट कार्ड पुन:जारी और एक्टिवेट करने की सुविधा एनेबल की गई ।
- इंटरनेट, मोबाईल बैंकिंग ऐप और आईएमपीएस के माध्यम से भी सुकन्या समृद्धि योजना की किश्तोंर के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- ओटीएस प्रस्ताव हेतु एंड-टू-एंड प्रसंस्करण सहित ओटीएस पोर्टल तैयार किया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अनधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंकिंग लेनदेन हेतु ग्राहक सीमित देयता का कार्यान्वयन किया गया।

MD & CEO's Letter to Shareholders

Dear Shareholders

It gives me immense pleasure to share with you the performance highlights of your bank during financial year 2018-19.

- **Total Business** increased to Rs. 3,98,511 Crore as on 31.03.2019, from Rs. 3,72,605 Crore as on 31.03.2018 registering a growth rate of 6.95%.
- **Total Deposits** increased to Rs. 2,19,821 Crore from Rs. 2,08,070 Crore in the previous year, registering a growth rate of 5.65%.
- **CASA Deposits** increased to Rs. 68,998 Crore from Rs. 64,596 Crore, registering a growth rate of 6.81%.
- **Cost of Deposits** stood at 5.53%.
- **Gross Bank Credit** increased to Rs. 1,78,690 Crore from Rs. 1,64,535 Crore, registering a growth rate of 8.60%.
- **Credit Deposit Ratio** stood at 81.29% compared to 79.10% in the last year.
- **Yield on advances** stood at 8.54%
- **Net Interest Margin** stood at 3.31%.
- **Non-Interest Income** stood at Rs.2045 Crore.
- **Net Loss** for 2018-19 stood at Rs.2786 Crore. This is mainly on on account of increased provisioning towards ageing of NPAs.
- **Gross NPAs to Gross Advances Ratio** stood at 16.21%.
- **Net NPAs to Net Advances Ratio** stood at 5.73%.
- **Provision Coverage Ratio** stood at 73.84%.
- **Capital Adequacy Ratio** stood at 13.68 % under BASEL-III.
- **Network Expansion:** The Bank has 6687 delivery channels comprising of 2885 branches, 4 Extension Counters and 3798 number of ATMs/BNAs/CRs.

During FY 2018-19, your Bank has taken the following I.T. initiatives to improve Customer Service:

Facilities created in Internet Banking:

- Enabled Retail Internet Banking Customer to recover their USER-ID through OTP based validation
- Enabled Instant Overdraft Facility against term deposits opened online
- Enabled opening/ closure of Term Deposits opened in Internet banking
- Enabled ASBA facility for Corporate IB customers also
- Enabled Cheque Book request facility for Corporate IB customers also
- Enabled request facility for Personalized RUPAY platinum Debit Card
- Enabled Facility of blocking Debit Card through Internet Banking
- Enabled Linking of LPG ID to account in internet banking
- Enabled payment of taxes for West Bengal through internet banking
- Enabled Transaction password generation for corporates through SAFE-T
- Enabled donation facility for corporate internet banking customers
- Enabled GSTIN seeding for both Retail and Corporate IB customers
- Enabled Bharat Bill Pay Services for Corporate Customers
- Enabled generation of Interest certificate for deposits/savings accounts
- Enabled Income Tax single sign-on facility for corporate IB customers
- Enabled facility to register for a/c statement & transaction alerts over email

Facilities created in Mobile Banking through Mobile App - ABTEJ:

- Enabled viewing the details of various insurance schemes opted by the customer through Banks mobile app
- Enabled multiple vernacular language for accessing AB Tej App viz. Hindi, Telugu, Tamil and Marathi Languages have been enabled.
- Enabled facility to update e-mail of the customer through mobile app
- Enabled facility to re-issue & activate the debit cards through mobile app
- Created facility to pay the instalments to Sukanya Samriddi Scheme through Internet. Mobile Banking app and also through IMPS
- Created OTS portal with end-to-end processing for OTS proposals
- Implemented Customer Limited liability for Unauthorized Electronic Banking transactions in line with the RBI guidelines.

वित्तीय समावेशन : बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान वित्ती य समावेशन योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वमयन किया है।

- बैंक ने ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में आबंटित गाँव में पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई खाते खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए हैं।
- एपीवाई – बैंक ने 1.73 लाख खातों के लक्ष्य के प्रति एपीवाई के अंतर्गत 2.23 लाख खातों का पंजीकरण किया है।

पुरस्कार : आपके बैंक ने वित्तीरय वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नंलिखित पुरस्कार प्राप्ता किए हैं :

- आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार – 2019 – हमारे बैंक ने आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार – 2019 में 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं यथा – 'वर्ष का उत्तम प्रौद्योगिकी बैंक – विजेता' उत्तम वित्तीय समावेश पहल – द्वितीय पुरस्कारि ' उत्तम भुगतान पहल – द्वितीय पुरस्कार' और प्रौद्योगिकी के उपयोग में सबसे अधिक ग्राहक केंद्रित बैंक – द्वितीय पुरस्कार'।
- इनफोसिस फिनेकल ग्राहक नवीकरण पुरस्कार – 2019 – हमारे बैंक ने इनफोसिस फिनैकल ग्राहक नवीकरण पुरस्कारर 2019 में 3 पुरस्कार प्राप्त किया हैं यथा – प्रक्रिया नवीकरण – विजेता 'त्वरित परिवर्तन – द्वितीय पुरस्काार' और उभरते प्रौद्योगिकी जनित नवीकरण – द्वितीय पुरस्कुर' ।

  – एपीवाई के अंतर्गत पुरस्कार : बैंक ने पीएफआरडीए द्वारा घोषित अभियानों में निम्न लिखित पुरस्कावर प्राप्त किए हैं ।

  – बैंक को पीएफआरडीए द्वारा लगातार तीसरे वर्ष के लिए 'उत्तम कार्यनिष्पादक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक' पुरस्कार प्रदान किया गया है।

  – बैंके के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पीएफआरडीए अभियान में एपीवाई 'लीडरशिप कैपिटर' का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

  – मेकर्स ऑफ एक्सेरलेंस – हमारे बैंक के कार्यपालक निदेश को एपीवाई के अंतर्गत उत्तकम कार्यपालक निदेशक के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है।

  – एपीवाई – स्लेंसम डिड 7 – हमारे बैंक के महाप्रबंधक वित्तीनय समावेशन को प्रमुख बैंक श्रेणी में उत्तम कार्यनिष्पादन महाप्रबंधक के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है।

  – एपीवाई–पैशन फर परफार्मे –नोडल अधिकारी–हमारे बैंक के एफ आई को एपीवाई के अंतर्गत उत्तम कार्यनिष्पादन नोडल अधिकारी के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- 'एनपीसीआई द्वारा एईपीएस' में उत्तिम कार्यनिष्पादन के लिए 'बी' श्रेणी बैंकों में विशेष मान्यता पुरस्कार ।

आपका बैंक प्रौद्योगिकी और समर्पित मानव संसाधन की सेवाओं का लाभ उठाते हुए ग्राहकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के प्रति समर्पित है और शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने की दिशा में अथक प्रयास करेगा।

शुभकामनाओं के साथ,
आपका,

स्थान : हैदराबाद
दिनांक :13.05.2019

(जे पक्किरिसामी)
एमडी एवं सीईओ

Financial Inclusion : Bank has successfully implemented the financial inclusion schemes during the year 2018-19.

- The bank has reached the targets set under Gram Swaraj Abhiyan for opening PMJDY, PMSBY and PMJJBY accounts in villages allotted in the aspirational districts
- APY - Bank has enrolled about 2.23 Lakh accounts under APY against the target of 1.73 Lakh accounts

Awards: Your Bank has received the following awards in the FY 2018-19:

- **IBA Banking Technology Awards-2019-Our Bank has won 4 awards at IBA Banking Technology Awards-2019**- viz.,'The Best Technology Bank of Year-Winner', 'The Best Financial Inclusion Initiatives-Runner up', 'The Best Payments Initiatives-Runner up' and 'The Most Customer Centric Bank using Technology-Runner up'.
- **Infosys Finacle Client Innovation Awards 2019- Our Bank has won 3 awards at Infosys Finacle Client Innovation Awards 2019** – viz., 'Process Innovation – Winner', 'Accelerated Transformation – Runner up' and 'Emerging Technologies Led Innovation – Runner up'.
- **Awards under APY:** Bank got the following awards in **campaigns announced by PFRDA**
  - Bank has been awarded as the "Second Best Performing Public Sector Bank" from PFRDA for the year 2018-19.
  - **MD & CEO** of our Bank was awarded in APY "Leadership Capital" campaign by PFRDA.
  - **Makers of Excellence** – Executive Director of our Bank has been awarded as best Executive Director under APY.
  - **APY – Splendid 7** – General Manager FI of our Bank has been awarded as Best Performing General Manager under Major Banks category.
  - **APY – Passion for Performance – Nodal Officer** – FI of our Bank has been awarded as best performing Nodal Officer under APY.
- **Special Recognition Award** for Excellent performance in " AePS by NPCI" in "B" Category banks.

Your Bank is committed towards delivering best services to customers by leveraging on technology and dedicated human resources, and would tirelessly work towards maximizing shareholders' value.

With warm wishes,
Yours sincerely,

Place : Hyderabad
Date : 13.05.2019

(J. Packirisamy)
MD & CEO

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
देशवासियों का बैंक Where India Banks

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय डा. पट्टाभि भवन

5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की उन्नसवीं वार्षिक साधारण बैठक सोमवार, 29 जुलाई, 2019 को प्रात: 11:00 बजे श्री वसावी कल्याण मंडप, #6-1-91, पोट्टी श्रीमालु मार्ग, सेंसेसन थियेटर के सामने, खैरताबाद, हैदराबाद - 500 004 में निम्न संव्यवहार हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च 2019 तक लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस दिन समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता, लेखा-अवधि के दौरान बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र तथा खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने, उस पर विचार करने तथा उसे अपनाने हेतु;

निदेशक मंडल हेतु और की ओर से

स्थान : हैदराबाद

रघुराम मल्लेला

दिनांक : 24.06.2019

कम्पनी सचिव

टिप्पणियां:

1. मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों की अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार नए प्रतिनिधि बैंक का कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के अतिरिक्त मतदान अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

उपर्युक्त की शर्त पर, आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के विनियम 68 के अनुसार, विनिर्दिष्ट, तिथि, यानी शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/चुनाव द्वारा वोटिंग हेतु उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट प्राप्त होगा ।

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

उपर्युक्त विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले दर्ज व्यक्ति को, मतदान हेतु, इसका एकल धारक माना जाएगा । अत:, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने और संकल्पों पर मतदान देने हेतु पात्र हैं।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

शेयरधारक जिसे बैठक में भाग लेकर वोट करने का हकदार है, को अपने स्थान पर साधारण बैठक में भाग लेने और मतदान में भाग लेने हेतु प्रॉक्सी को नियुक्त करने का अधिकार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रभावी होने हेतु, प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले याने कि बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए। बैंक के किसी भी कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है ।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने हेतु कंपनी के विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति वाले संकल्प की एक प्रति, बैठक की तिथि से न्यूनतम 4 दिन पूर्व याने कि बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 बजे तक अथवा उससे पहले हैदराबाद में बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा करवा दी जाए।

4. उपस्थिति सह प्रवेश हेतु पास :

सदस्यों की सुविधा हेतु, उपस्थिति पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे फार्म भरकर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास हेतु बैठक\ के स्थान के गेट पर दें । शेयरधारक के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि के रूप में, जैसा भी मामला हो, उपस्थिति पर्ची पर दर्शाना चाहिए।

5. बही संवरण :

वार्षिक साधारण बैठक को सुनिश्चित करने और बैंक द्वारा घोषित लाभांश के लिये हकदार शेयरधारकों का पता लगाने के उद्देश्य से शेयरधारक रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही मंगलवार, 23 जुलाई, 2019 से सोमवार 29 जुलाई, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी ।

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
देशवासियों का बैंक Where India Banks

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan
5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004

NOTICE

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting of Shareholders of Andhra Bank will be held on Monday, 29th July, 2019 at 11.00 A.M. at Vasavi Kalyana Mantapam, #6-1-91, Potti Sreeramulu Marg, Opp. Sensation Theatre, Khairatabad, Hyderabad – 500 004 to transact the following business:

1. To Discuss, Approve and Adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2019, Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts;

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad
Date: 24/06/2019

(Raghuram Mallela)
Company Secretary

NOTES :

1. Voting Rights

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68 of Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date, i.e. Friday, 19th July, 2019** shall have one vote for each share held by him/her in remote e-voting / voting at the venue of the general meeting.

Exercise of rights of joint holders:

As per Regulation 10 of the above Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote on the Resolutions**.

2. Appointment of proxy

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and to participate in the voting at the venue of the General Meeting instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In order to be effective, the proxy form must be deposited at the Head Office of the Bank atleast four days before the date of the meeting i.e., upto 05.00 p.m. on or before **Wednesday, 24th July, 2019**. No employee of the Bank shall be appointed as a duly authorized representative or as a proxy.

3. Appointment of an Authorized Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than four days before the date of the meeting i.e., upto 05.00 p.m. on or before **Wednesday, 24th July, 2019**.

4. Attendance slip-cum-entry pass:

For the convenience of the members, attendance slip is enclosed to this report. Members are requested to fill in and affix their signatures in the space provided therein and handover the attendance slip-cum-Entry pass at the entrance of the venue of the meeting. Proxy / Representative of the shareholder should mark on the attendance slip as proxy or representative as the case may be.

5. Book Closure:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books would remain closed from **Tuesday, 23rd July, 2019 to Monday, 29th July, 2019 (both days inclusive)** in connection with the Annual General Meeting.

6. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) के माध्यम से लाभांश का भुगतान:**

प्रणाली का उद्देश्य लाभांश के भुगतान के केंद्रीकृत प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाना है। एनईसीएस (क्रेडिट) लाभार्थी खातों के लिए जारीकर्ता मल्टीपल क्रेडिट की सुविधा देता है जो कोर बैंकिंग समाधान के तहत कवर किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, शेयरधारकों को सीबीएस खाता संख्या, एमआईसीआर नंबर आदि को उनके संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों को अभौतिक शेयरधारिता के मामले में और भौतिक शेयरधारिता के मामले में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को उनके सीबीएस खाता संख्या, एमआईसीआर नंबर इत्यादि प्रस्तुत करके अद्यतन करना होगा। एनईसीएस शेयरधारक को पे-आउट तिथि पर ही अपने खाते में लाभांश प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

7. **शेयर धारकों का पता, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन अद्यतन करना**

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या अपने रजिस्ट्रार को अपने पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, यदि हो, की सूचना दें ताकि त्वरित पत्राचार में सुविधा हो सके । इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के पास अपने पते, बैंक खाता विवरण में परिवर्तन, यदि हो, अद्यतन करवाएं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरधारक विवरण अद्यतन करने हेतु बैंक अथवा अपने रजिस्ट्रार को पैन विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सूचित करें । इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के पास उक्त विवरण अद्यतन करें ।

8. **फोलियो का समेकन :**

जिन शेयरधारकों के शेयर, एक से अधिक खाते में मिलते-जुलते नामों के क्रम में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ऐसे खाते के खाता-बही-पन्ना की सूचना रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को दें तथा शेयर प्रमाण-पत्र भिजवाएं ताकि बैंक सभी शेयरों का एक खाते में समेकन कर सकें । आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात् शेयर प्रमाण-पत्र सदस्यों को लौटा दिए जाएंगे ।

9. **अंतरण हेतु प्रस्तुतीकरण :**

विधिवत् भरे हुए अंतरण-विलेख सहित शेयर प्रमाण-पत्र निम्न पते पर बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को प्रेषित किए जाने चाहिए :

मैसर्ज़ एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड (ईकाई: आन्ध्रा बैंक)

सी विंग, 209-ए2, 2रा तल, गोकुल औद्योगिक इस्टेट

सगबौग, मरोल सहकारी औद्योगिक क्षेत्र बी/एच टाइम्स स्कावयर

अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 059

10. **शेयरधारकों से अनुरोध :**

क. कृपया नोट करें कि किफायती उपायों के कारण वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक साधारण बैठक में नहीं बाँटी जाएंगी । अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति बैठक के स्थान पर साथ लाएं ।

ख. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे ।

ग. शेयरधारकों से अनुरोध है कि थैली/ब्रीफकेस/टेप रिकार्डर/कैमेरा आदि लाने से बचें चूंकि इन सभी मदों की सुरक्षा जाँच की जा सकती है और बैठक स्थान में इन्हें लाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

11. **हरित पहल:**

हरित पहल के समर्थन में, बैंक शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने निक्षेपागार सहभागी/बैंक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत किया है, ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रति भेजी है । बैंक ने निर्णय लिया है कि जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यथा निर्धारित सभी प्रलेखों की मुख्य बातें युक्त संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति परिचालित की जाएगी ।

वार्षिक रिपोर्ट का पूर्ण पाठ बैंक की वैबसाईट www.andhrabank.in पर उपलब्ध होगा । यदि शेयरधारक मुद्रित प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वे कृपया ई-मंल द्वारा mbd@andhrabank.co.in को अनुरोध भेजें, जिसके प्राप्त होने पर शेयरधारक को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति भेजी जाएगी ।

12. **इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग**

सेबी के विनियम 44(1) (निबन्धन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 तथा कम्पनियों (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुपालन अथवा इसके अंतर्गत किए गए संशोधनों के संदर्भ में, बैंक हर्ष के साथ वार्षिक आम सभा बैठक में अपने सदस्यों के लिए, आम सभा बैठक के आयोजन स्थल पर ई-वोटिंग के साथ साथ रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव देता है, जो उन्हें अपने मतों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से डालने और संकल्पों को पारित करने में सक्षम बनाता है ।

इसके दृष्टिगत, बैंक ने अपने सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के लिए अपने सदस्यों की सुविधा हेतु रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में मैसर्स सैंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है । बैंक ने M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., व्यावसायिक कंपनी सचिवों को उचित और पारदर्शी तरीके से आम सभा बैठक के आयोजन स्थल पर रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के आयोजन हेतु परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

6. Dividend payment by way of National Electronic Clearing Service (NECS):

The objective of the system is to facilitate centralized processing of payment of dividend. The NECS (credit) facilitate the Issuer multiple credits to beneficiary accounts which have been covered under Core-Banking Solution. For the purpose, the shareholders have to update their bank account details by furnishing their CBS account number, MICR No., etc. to their respective Depository Participants in case of dematerialized holdings and to the Registrars & Transfer Agents in case of physical holdings. The NECS facilitates the shareholder to receive dividend in his/her account on the pay-out date itself.

7. Updating of any change in address, bank details, etc. of the shareholders :

The shareholders holding the shares in physical form are requested to inform the Bank or its Registrars for noting any change in their address, bank account details, if any, for prompt receipt of any correspondence. The shareholders holding the shares in electronic form are requested to update the change in their address, bank account details, if any, with their respective Depository Participants.

The shareholders holding shares in physical form are requested to inform their PAN details, e-mail id, mobile no., etc. to the Bank or its Registrars for updation of shareholder details. Shareholders holding shares in electronic form are requested to update the said details with their Depository Participant.

8. Consolidation of Folios :

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Registrars and Transfer Agent, the ledger folio of such accounts and send the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course

9. Lodgment for Transfers :

Share Certificates along with the duly filled in transfer deed should be forwarded to the Registrars and Transfer Agents of the Bank at the following address:

M/s. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: Andhra Bank)
C Wing, 209-A 2nd Floor Gokul Industrial Estate
Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area B/H Times Square
Andheri (E) Mumbai – 400 059.

10. Requests to Shareholders :

a. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting as an economy measure. Hence, shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the venue of the meeting.

b. Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

c. Shareholders are advised to avoid bringing bags / brief cases/ tape records / cameras etc. as these items are subject to a security check and may not be allowed at the venue.

11. Green Initiative:

In support of the green initiative, the Bank has sent the soft copy of the full annual report through email to those shareholders who have registered their email id with their Depository Participant/ Bank's Registrar & Share Transfer Agent. The Bank has decided to circulate the hard copy of abridged annual report containing the salient features of all the documents, as prescribed to all those shareholder(s) who have not registered their email address(es).

Full version of the annual report will be available on the Bank's website www.andhrabank.in. In case a shareholder wishes to receive a printed copy, he/she may please send a request to the Bank by e-mail to the id: mbd@andhrabank.co.in; upon which hard copy of full annual report will be sent to the shareholder.

12. Voting through electronic means

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility besides e-voting at the venue of the general meeting, for its Members at the Annual General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTIONS.

For this purpose, the Bank has appointed M/s. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as a Remote e-voting platform for facilitating its Members to vote electronically. The Bank has also appointed M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutiniser for conducting the Remote e-voting and e-voting at the venue of the general meeting in a fair and transparent manner.

इलैक्ट्रानिक रूप से मतदान हेतु सदस्यों को अनुदेश निम्नानुसार है :-

(i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 को 10.00 बज़े से प्रारंभ होती है और रविवार, 28 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 बज़े को समाप्त होती है । इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि याने शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 को भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर रखते हैं, अपना वोट इलैक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं । इसके बाद सीएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल किया जाएगा ।

(ii) शेयरधारक ई-वोटिंग वैबसाईट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें ।

(iii) शेयरधारकों पर क्लिक करें ।

(iv) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें ।

क. सीडीएसएल हेतु : 16 अंक हिताधिकारी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए – 8 अंक डीपी आई डी के बाद 8 अंक ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करें ।

(v) आगे प्रदर्शित इमेज सत्यापन हेतु प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें ।

(vi) यदि आप डीमैट रूप में शेयर रखते हैं और www.evotingindia.com में लॉग करके इससे पहले किसी कंपनी के लिए मतदान कर चुके हैं तो अपने वर्तमान पासवर्ड का उपयोग करें ।

(vii) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नी े दिए अनुदेशों का पालन करें:

	निर्धारित तिथि शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 को डीमैट रूप में और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक आल्फा-न्यूमरिक पैन नंबर दर्ज करें। (डीमैट शेयरधारक तथा भौतिक शेयर धारक दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपागार प्रतिभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि अपने नाम के पहले दो अक्षर और क्रम संख्या के 8 अंक पैन फील्ड में दर्ज करें । • यदि क्रम संख्या 8 अंक से कम हो तो नाम के पहले दो अक्षर बडे अक्षरों में दर्ज करने के बाद उचित संख्या में 0 लिखें । उदाहरण के लिए यदि आपका नाम रमेश कुमार है और क्रम संख्या 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 दर्ज करें ।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (डीओबी)	लॉगइन करने के लिए अपने बैंक रिकार्ड या डीमैट खाते में रिकार्ड किए अनुसार जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई फार्मेट में) या लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें । • यदि निक्षेपागार या बैंक के पास दोनों विवरण दर्ज नहीं हैं तो कृपया अनुदेश (v) में दिए अनुसार सदस्य आईडी/फोलियो नंबर लाभांश बैंक विवरण फील्ड में दर्ज करें ।

(viii) ये विवरण ठीक से दर्ज करने के बाद 'सब्मिट' टैब पर क्लिक करें ।

(ix) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य तब सीधे कंपनी चयन स्क्रीन देख पाएंगे । तथापि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड सृजन' मेनु पर आएंगे जहां उन्हें अनिवार्यत: अपना लॉगइन पासवर्ड नए पासवर्ड फील्ड में दर्ज करना होगा । कृपया नोट करें कि यदि डीमैट धारक किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर मतदान देने के पात्र हैं तो वे इसी पासवर्ड का उपयोग करेंगे बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म द्वारा मतदान देने का चयन करता है । यह सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखें ।

(x) भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा इस नोटिस में समाविष्ट संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग हेतु इन विवरणों का उपयोग किया जा सकता है ।

(xi) ईवीएसएन पर मतदान के लिए संबंधित <आन्ध्रा बैंक> के चयन हेतु क्लिक करें ।

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप "संकल्प विवरण" देखेंगे और इसपर मतदान हेतु "हाँ/नहीं" विकल्प देखेंगे । अपनी इच्छा अनुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें । विकल्प हां का अर्थ है कि आप संकल्प हेतु अपनी सहमति दे रहे हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं ।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाईल लिंक" पर क्लिक करें ।

(xiv) मतदान हेतु संकल्प का चयन करने के बाद "सब्मिट" पर क्लिक करें । पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शत होगा । यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "कैनसल" पर क्लिक करें और अपने वोट को तदनुसार बदलें ।

(xv) संकल्प पर आपके वोट के "पुष्टिकरण" के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे ।

(xvi) आप अपने द्वारा किए गए वोटिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको मतदान पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करना होगा ।

(xvii) यदि डीमैट खाता धारक अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वे यूज़र आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज कर फर्गाट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें ।

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

(i) The Remote e-voting period begins at 10.00 am on Friday, 26th July, 2019 and ends at 5.00 pm on Sunday, 28th July, 2019. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified Date i.e., Friday, 19th July, 2019 may cast their vote electronically. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the Remote e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID
  a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  c) Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form as on the Specified Date Friday, 19th July, 2019
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for Remote e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for Remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for the relevant <ANDHRA BANK> on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a Demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on *Forgot Password* & enter the details as prompted by the system.

(xviii) शेयरधारक एनड्रोयड आधारित मोबाइलों के लिए उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प का प्रयोग करते हुए अपना वोट दे सकते हैं । एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । आईफोन और विंडोस फोन प्रयोक्ता क्रमश: एप्प स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से एप्प डाउन लोड कर सकते हैं । कृपया मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करें ।

(xix) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (संस्थागत निवेशक) और अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (याने व्यक्तियों एचयुएफ, एनआरआई आदि को छोडकर और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर स्वयं को कार्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा ।
- संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल की जानी चाहिए ।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग-इन तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक अनुपालन उपयोगकर्ता (यूज़र) बनाया जाना चाहिए । अनुपालन उपयोगकर्ता (यूज़र) खातो को लिंक करने हेतु, जिन्हें वे वोट देना चाहते हैं, सक्षम होगा ।
- लॉग-इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल की जानी चाहिए तथा खातों के अनुमोदन के पश्चात वे अपना वोट देने में सक्षम होंगे ।
- बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई हो तो, उसकी एक स्कैन की गई प्रति संवीक्षाकर्ता हेतु इसकी जाँच करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ।

रिमोट ई-वोटिंग के सम्बन्ध में यदि आपका कोई प्रश्न अथवा समस्या हो, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग (हेल्प सेक्सन) के अन्तर्गत उपलब्ध बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") तथा रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिख सकते हैं; (सीडीएसएल हेल्पलाइन नं. 1800225533 तथा सम्पर्क व्यक्ति का नाम श्री राकेश दलवी, उप प्रबन्धक है ।)

सामान्य सूचना :

आपको रिमोट ई-वोटिंग अथवा साधारण बैठक के स्थान पर ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने की सलाह दी जाती है । शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात भी साधारण बैठक में प्रतिभागिता कर सकते हैं किन्तु स्थान पर वोटिंग में प्रतिभागिता करने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी ।

13. जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, उनके लिए सोमवार, 29 जुलाई, 2019 (एजीएम तिथि) को वोटिंग प्रक्रिया

बैंक बैठक में वोटिंग हेतु व्यवस्था करेगा । वोटिंग की प्रक्रिया बैठक में सूचित की जाएगी ।

M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co.,, व्यावसायिक कंपनी सचिव, बैंक के एक शेयरधारक के साथ वोटिंग प्रक्रिया हेतु एक संवीक्षाकर्ता के रूप में कार्य करेगा ।

14. वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक के स्थान पर ई-वोटिंग के समेकित परिणाम बैंक के वेबसाईट तथा रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी तथा शेयर बाजार को सूचित की जाएगी ।

15. अदत्त/अदावी/अनकदीकृत लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारक जिन्होंने वर्ष 2011-12 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं किया अथवा दावा नहीं किया, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंसी, एमसीएस शेयर अंतरण एजेंसी लिमिटेड, मुम्बई से सम्पर्क करें ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू है) के संदर्भ में, सात वर्ष की अवधि हेतु अदत्त अथवा अदावी अथवा नहीं भुनाए गए लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है तथा इसके पश्चात इस सम्बन्ध में भुगतान हेतु कोई दावा बैंक अथवा आईईपीएफ द्वारा नहीं होगा, वर्तमान सांविधिक प्रावधानों के संदर्भ में शेयरधारकों हेतु उपलब्ध होगा ।

(बैंक में मौजूद वर्ष 2011-12 हेतु अदत्त/अदावी लाभांश भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 18.10.2019 को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाएगा ।)

नोट :

यदि शेयरधारक, वार्षिक साधारण बैठक में केवल कार्यसूची मदों से सम्बन्धित कोई सुझाव देना, स्पष्टीकरण मांगना आदि चाहे, तो बैंक उनकी सराहना करेगा, शेयरधारक अपने सुझाव, प्रश्न\ आदि भेज सकते हैं, ताकि बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में शेयरधारक/निवेशक सम्बन्ध अनुभाग में पहुँच सके ।

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 24/06/2019

रधुराम मल्लेला
कंपनी सचिव

(xviii) **Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding Remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Remote e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com; (CDSL helpline No. 1800 225 533 and Contact Person Name is Mr. Rakesh Dalvi)

General Information:
You are advised to cast your vote through Remote e-voting or through e-voting at the venue of the General Meeting. A shareholder may attend the General Meeting even after exercising his/her right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to participate in the voting at the venue.

13. Voting Process on Monday, 29th July, 2019 (AGM Date) for those who have not cast their vote through Remote e-voting

The Bank will arrange for voting at the meeting. The procedure of voting will be informed at the meeting. M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries along with a Shareholder of the Bank will act as a Scrutiniser for the voting process.

14. Results of Voting

The consolidated results of Remote e-voting and e-voting at the venue of the meeting will be posted on the website of the Bank and on the website of the Remote e-voting Agency and will be informed to the Stock Exchanges.

15. Unpaid / Unclaimed/ Un-encashed Dividend, if any

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2011-12 are requested to contact the Bank or Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, MCS Share Transfer Agent Ltd, Mumbai.

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed or unencashed for a period of seven years is requested to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof against Bank in terms of existing statutory provisions.

(The Unpaid/ Unclaimed Dividend for the year 2011-12 lying with the Bank shall be transferred to IEPF on 18.10.2019 as per the Government of India guidelines.)

Note:
Bank shall highly appreciate if shareholders, desirous of making any suggestion, seeking clarification, etc. relating to the item of agenda only, at the Annual General Meeting, may send their suggestions, queries, etc. so as to reach the Shareholders / Investor Relation Section at Head Office of the Bank atleast 15 days before the date of meeting.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad
Date: 24/06/2019

(Raghuram Mallela)
Company Secretary

निदेशकों की रिपोर्ट :

हम 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ।

प्रबन्धन की चर्चा और विश्लेषण

समष्टि आर्थिक विकास: वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, भारतीय आर्थिक विकास विश्व अर्थव्यवस्था के समान आगे बढ़ा, वर्ष की पहली छमाही में तेजी आई और दूसरी छमाही में गति खो गयी। वित्त वर्ष 2018–19 की पहली दो तिमाहियों में वैश्विक आर्थिक विकास लचीला बना रहा और बाद की तिमाहियों में नियंत्रित हुआ। औद्योगिक गतिविधि और व्यापार में गिरावट आई, जिससे निवेशक की धारणा और इक्विटी की कीमतें प्रभावित हुईं। कुछ प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में बाहरी माँग मिं नरमी, सख्त बाहरी वित्तपोषण शर्तें, और नीतिगत अनिश्चितताओं के बढ़ने के कारण आर्थिक गतिविधि भी धीमी हो गई। वित्तीय तनाव की संभावना से नकारात्मक जोखिम सर्वाधिक रहे जिससे ई एम डी ई की गतिविधि में और गिरावट आई। प्रमुख अर्थ व्यवस्थाओं से जुड़ी संवर्धित व्यापार तनाव वैश्विक आधार पर व्याप्त हो गया जिससे विशेषकर उच्च विदेशी मुद्रा आधारित ऋण युक्त देशों में राजकोषीय कार्य सीमित हो गया।

देशी लचीलापन के आधार पर भारतीय अर्थ व्यवस्था का वित्तीय वर्ष 2018–19 की प्रथम तिमाही 8.2% के स्वस्थ विकास से प्रारम्भ हुआ। अनुवर्ती तिमाही में वृद्धि 7.3% हुई और इसके बाद की तिमाहियों में वैश्विक अस्थिरता, अधिकतर वित्तीय अस्थिरता, प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण, व्यापार विवाद के बाहरी कारण और निवेश रीरूटिंग के कारण वृद्धि संयमित रही। उपर्युक्त बाहरी झटकों को भारत के दृढ़ समष्टि आर्थिक बुनियाद और नीतिगत परिवर्तन के कारण नियंत्रित किया जा सका। (इसमें शोध क्षमता और दीवालियापन से संबन्धित नीति/ कूट में संशोधन, बैंक पुनःपूंजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल हैं।) मुद्रास्फीति नियंत्रित रही। केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को 7% और वास्तविक सकाल मूल्यवर्धन को 6.8% पर आँकते हुए वर्ष 2018–19 के प्रथम अग्रिम प्राक्कलन (एई) जारी किया गया। 2018–19 के एसएई में सकाल स्थायी पूंजी सकाल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफ़सीएफ़) और अनुभोग व्यय (निजी और सरकारी दोनों) शामिल किए गए। सकल स्थापयी पूंजी निर्माण में वर्तमान कीमतों के आधार पर 12.4%की वृद्धि दर दर्ज होने की संभावना है जो सड़क क्षेत्र और किफायती आवास पर सरकार द्वारा दिए गए महत्व1 के कारण समर्थित है। आगे चलते हुए सीएफसीएफ में सकारात्माकता और कच्चेत तेल की कीमतों में हाल में आई कमी, वहनीय वृद्धि के लिए अच्छा साबित होगा ।

मौद्रिक और तरलता स्थिति : वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रथम तीन द्विमासिक नीतियों में मौद्रिक नीति को तटस्थी रखा, अक्तूतबर माह में आंशिक कसाव में परिवर्तित किया और इसके बाद फरवरी 2019 माह में तटस्थ0 किया जो सीपीआई मुद्रास्फीरति हेतु 4% मध्य म अवधि लक्ष्ये प्राप्तर करने के उद्देश्य के अनुरूप रहा। औसत सीपीआई मुद्रास्फीसति दर वित्तै वर्ष 2017–18 में 3.3% से वित्तन वर्ष 2018–19 के दौरान 3.4% को बढ़ा । भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2018 में रीपो दर 25 बेसिस पाइंट बढा कर 6.25% किया और इसके बाद अक्तूरबर 2018 में पुन: 25 बेसिस पाइंट बढ़ा कर 6.50% किया । इसके बाद फरवरी 2019 में दर को घटाकर 6.25% किया गया। वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान सख्तक तरला स्थिति बनी रही। इससे जमाराशियों की ब्याटज दरें दृढ हुई और बैंकिंग उद्योग के लिए निधियों की लागत पर प्रभाव पड़ा ।

भुगतान संतुलन और बाहरी क्षेत्र : भारत का चालू खाता घाटा पिछले वर्ष यूएसडी 13.7 बिलियन या जीडीपी के 2.1% से बढकर यूएसडी 16.9 बिलियन या जीडीपी का 2.5% तक बढ़ गया। माल घाटा पिछले वर्ष यूएसडी 44 बिलियन से बढकर यूएसडी 49.5 बिलियन तक बढ़ गया चूंकि आयात में 9% वृद्धि हुई जबकि घटते बाह्य माँग स्थिति के कारर्ण निर्यात में इसकी तुलना में 7.2% निम्नकतर वृद्धि हुई । अप्रैल से मार्च 2018–19 व्यातपार अंतर पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यूएसडी 162.05 बिलियन से बढ़कर यूएसडी 176.42 बिलियन हो गया। मार्च 31, 2019 को भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां यूएसडी 412.9 बिलियन रहीं। उन्नअत अर्थ व्यसवस्था ओं में मुद्रास्फीुति की निम्नयतर स्तहर और प्रमुख उन्नित अर्थ व्यिवस्थाअओं द्वारा दरों में बढ़ोत्तरी में विलंब या स्थफगन से अर्थ–वयवस्था8 में निवेश प्रवाह बढ़ने में सहायता मिलेगी।

वित्तीय बाजार (ईक्विटी) : देशी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में चलनिधि संकट, वैश्विक व्यापार तनाव और उच्चा अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल कीमत, डॉलर के प्रति रुपए के डगमगाते नए निम्न तर रिकार्ड जैसे कई चुनौतियों के बावजूद, 2018–19 में भारतीय ईक्विटी बाजार वैश्विक आधार पर उत्त्म निष्पादिकों में से एक के रूप में उभरा है। वित्तीवय वर्ष 2018–19 के दौरान बीएसई सेंसेक्सक लग**भग 17**% बढ़ा जबकि राष्ट्री य स्टॉ क एक्सतचेंज के निफ्टी 50 में 15% वृद्धि आई। क्षेत्र–वार आधार पर बैंकिंग, ऊर्जा और आईटी क्षेत्र ने 25% वृद्धि के साथ मात दिया और इनके अनुसरण में एफएमसीजी 16% तथा फार्मा ने 12% की वृद्धि दर्शायी । मंदी दर्शाने वालों में मीडिया, ऑटो और टेलीकॉम क्षेत्र आगे रहे जो क्रमश: 24%, 23% और 22% की दर से घटे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन:पूंजीकरण, परिणामस्व रूप चलनिधि चिंता कम होना, और विदेशी मुद्रा अंतर्वाह की धारणीय बढ़ोत्तेरी, बाजार में उछाल के प्रमुख कारणों में से हैं।

बाँड बाजार : यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में बढ़ोत्तकरी, रुपए में मूल्यंहास, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, बिगड़ता चालू खाता घाटा, साथ ही अमरीका तथा चीन के बीच व्यायपार विवाद के कारण उभरते बाजारों की मन:स्थिति उत्सोह हीन बना रहा चूंकि पूरे वर्ष में निवेशक मत पर समष्टि अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थितियां हावी रही। वैश्विक प्लन प्रभाव तथा देशी घटक यथा निकट अवधि मुद्रास्फी ति दृष्टिकोण और मौद्रिक नीति उपाय (चार्ट IV.9) की प्रतिक्रिया में एच 1 : 2018–19 में प्रतिफल वक्र के स्तिर में स्तर अंतरण हुआ है। जून में दर वृद्धि के कारण प्रतिफल वक्र में उर्ध्वलगामी अंतरण हुआ है, विशेषकर 2 से 16 वर्ष के वर्ग में, जबकि अगस्ता दर वृद्धि के कारण कच्चेव तेल कीमतों में नरमी के अनुसरण में अधोगामी अंतरण हुआ है। आगे एच 2 : 2018–19 में भी वैश्विक प्ल वन और निम्तमेंर कच्चेध तेल की कीमतें, देशी मुद्रास्फीोति दृष्टिकोण,

DIRECTORS' REPORT

DIRECTORS' REPORT: We place before you the Annual Report of the Bank together with the audited Statement of Accounts and Auditors' Report for the financial year ended March 31, 2019.

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

MACRO ECONOMIC DEVELOPMENTS: During the FY 2018-19, Indian economic growth moved in tandem with world economy, accelerated in the first half of the year and lost momentum in the second half. Global economic growth remained resilient in the first two quarters of FY 2018-19 and is moderated in the subsequent quarters. Industrial activity and trade decelerated, affecting the investor sentiment and equity prices. Economic activity also slowed down in some major emerging market economies (EMEs) owing to softening external demand, tighter external financing conditions, and heightened policy uncertainties. Downside risks predominate, with the possibility of financial stress leading to further deterioration in activity in EMDEs. Escalating trade tensions involving major economies spread globally, limiting the Fiscal space is particularly in countries with high foreign-currency denominated debt. Inflation continued to remain low in major AES.

The Indian economy started the fiscal year 2018–19 with a healthy 8.2 percent growth in the first quarter on the back of domestic resilience. Growth eased to 7.3 percent in the subsequent quarter and further moderated in the subsequent quarters due to rising global volatility, largely from financial volatility, normalized monetary policy in advanced economies, externalities from trade disputes, and investment rerouting. The effects of the aforementioned external shocks were contained in part by India's strong macroeconomic fundamentals and policy changes (including amendments to the policy/code related to insolvency and bankruptcy, bank recapitalization, and foreign direct investment).Inflation remained contained. The Central Statistics Office (CSO) released the second advance estimates (FAE) for 2018-19, placing India's real gross domestic product (GDP) growth at 7.0 per cent and growth of real gross value added (GVA) at 6.8 per cent. The SAE for 2018-19 featured an acceleration in gross fixed capital formation (GFCF) and consumption expenditure (both private and government). Gross fixed capital formation (GFCF) is expected to register growth rate of 12.4 percent at Current Prices supported primarily by the government's thrust on the road sector and affordable housing. The uptick in Gross Fixed Capital Formation coupled with the recent decline in crude oil prices bodes well for a sustained growth, going forward.

Monetary and Liquidity Conditions : During the financial year 2018-19, Reserve Bank of India (RBI) maintained the stance of monetary policy as neutral in the first three bimonthly policies, changed it to calibrated tightening in the month of October and subsequently to neutral in in the month of February 2018 in consonance with the objective of achieving medium term target for CPI inflation of 4%. The Average CPI inflation rate increased to 3.4% during FY 2018-19 from 3.3% in FY 2017-18. RBI has increased repo rates by 25 bps to 6.25% in June 2018 and again by 25 bps to 6.50% in October 2018. Subsequently the rate was reduced to 6.25 % in February 2019. Tight liquidity conditions prevailed for the major part of the year. This has led to firming of interest rates on the deposits and impacting the cost of funds for the Banking industry.

Balance of Payments and External Sector: India's current account deficit widened to USD 16.9 billion, or 2.5 percent of the GDP from USD 13.7 billion or 2.1 percent of the GDP a year earlier. The goods deficit increased to USD 49.5 billion from USD 44 billion a year ago as imports rose 9 percent while exports went up at a softer 7.2 percent on account of weakening external demand conditions. April to March 2018-19, the trade gap widened to USD 176.42 billion from USD 162.05 billion in the same period of the previous fiscal year. India's foreign exchange reserves were at US$ 412.9 billion on March 31, 2019. The low level of inflation in advanced economies and the delay or postponement of rate hikes by major advanced economies will aid to augur well to the investment flows into the economy.

Financial Markets (Equity) : Despite several challenges including the liquidity crisis in the domestic non-banking financial companies (NBFCs), global trade tensions and high international crude oil prices, the rupee faltering to new record lows against the dollar, the Indian equities market emerged as one of the best performers globally in 2018-19. The BSE Sensex rose nearly 17 per cent during in the financial year 2018-19, while the National Stock Exchange's Nifty50 increased 15 per cent. On a sectoral basis, the banking, energy and IT sectors outperformed with a growth of 25 per cent followed by FMCG at 16 per cent and pharma at 12 per cent. The laggards were led by media, auto and telecom sectors, which declined 24 per cent, 23 per cent and 22 per cent respectively. Recapitalisation of state-run banks, eventual easing of liquidity concerns, and a sustained rise in foreign fund inflows were the amongst the major boost for the market

Bond Markets : Hike in rates by the US Federal Reserve, depreciating rupee, rise in crude oil prices, worsening current account deficit, concerns over fiscal deficit and current account deficit target, coupled with trade tiff between the US and China dampened the mood in emerging markets as macroeconomic headwinds weighed on investor sentiment through the year. The yield curve has undergone level shifts in H1:2018-19 in response to global spillovers as well as domestic factors such as near-term inflation outlook and monetary policy measures (Chart IV.9). The rate hike of June resulted in a parallel upward shift in the yield curve, especially in the 2-year to 16-year segment, while the August rate hike induced a downward shift, in line with softening crude oil prices. Further, in H2: 2018-19 also the

मौद्रिक नीति उपाय और रुख में अंतरण जैसे देशी घटक दोनों की प्रतिक्रिया में प्रतिफल वक्र के स्त्र में अंतरण हुआ है। 10 वर्ष आधार प्रतिफल 7.40% से 8.00% के शिखर तक मंडराता रहा और वित्तम वर्ष 2018.19 की समाप्ति तक 7.35% के स्तर पर वापस पहुंच गया।

बैंकिंग उद्योग में रुख : तनाव की लंबी अवधि के बाद, घटते हुए ह्रासित आस्तियों के भार से ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकिंग उद्योग वसूली की राह पर चल पड़ा है; सितंबर 2015 से सकल एनपीए में प्रथम अर्ध-वार्षिक गिरावट और प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार, इस बात के सकारात्मोक संकेत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आस्ति ह्रास की वर्धित पहचान के कारण उत्पइन्ना गणनीय लागतों के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे ऋण मूल्यांसकन में उच्च तर अनुशासन, बाजार जोखिम के प्रति उच्चनतर संवेदनशीलत और परिचालन जोखिम की बेहतर समझ जागृत हुई है। वित्तीअय वर्ष 2018-19 के लिए समग्र ऋण वृद्धि 2017-18 में 10.3% की तुलना में 13.24% पर उच्चपतर रहा। कार्पोरेट और खुदरा ऋण दोनों की माँग बढ़ी है, विशेकर सेवाएं, टिकाऊ उपभोक्तो वस्तुचएं तथा कृषि संबंधित क्षेत्र, औद्योगिक ऋण के कारण ऋण में वृद्धि हुई है। अवसंरचना, रसायन और रसायनिक उत्पा1द, तथा सभी इंजीनियरींग क्षेत्रों को दिए गए ऋण की गति बढ़ी है। तथापि, आधारभूत खनिज और खनिज उत्पा द, वस्त्री, और खाद्य प्रसंसकरण के ऋण वृद्धि की गति में कमी आई है। बैंकिंग प्रणाली की जमाओं में पिछले वर्ष के दौरान 6.7% की तुलना में 2018-19 के दौरान 10.03% की वृद्धि देखी गई।

दृष्टिकोण : केंद्रीय सांख्य कीय कार्यालय के अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार 2017-18 में भारत के जीडीपी में 7.2% की वृद्धि और 2018-19 में 7% की वृद्धि का अनुमान है। अंतर्राष्ट्र य मुद्रा कोष (आईएमएफ) विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जनवरी अपडेट के अनुसार 2019 के दौरान अर्थ-व्यवस्थार 7.5% की दर से बढ़ने और 2020 के दौरान 7.7% तक बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर उन्हीं वर्षों के लिए वैश्विक वृद्धि दर से कहीं अधिक निर्धारित किए गए हैं, यथा 2019 व 2020 के लिए क्रमश: 3.5% और 3.6%, इस प्रकार बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्ये भी अर्थव्यकवस्था् को स्थिर आधार पर रखा गया है। समष्टि अर्थ-व्यावस्थाश के मूल तत्वों में उन्न यन को सुधार उपायों के कार्यान्वंयन से और समर्थन मिला है, जिससे निवेश में वृद्धि और बैंकिंग क्षेत्र की चिंताओं के शमन हेतु सकारात्मकक माहौल मिलेगा। दोनों अर्थ-व्यऔवस्थात के स्वधस्थउ विकास पथ के लिए सकारात्मओक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार से पुन:पूंजीकरण बॉड के रूप में सरकार से पूंजी समर्थन प्राप्तश करने के बाद ऋण वृद्धि के संवर्धित अवसर का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में हैं।

बैंक के कार्यनिष्पाहदन की प्रमुख बातें

व्यापार : 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, बैंक का कुल व्यिवसाय रु. 3,98,511 करोड़ रहा जिसमें 31.03.2018 को रु.3,72,605 करोड़ से रु.25,906 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है और वृद्धि दर 6.95% रही (वर्षानुवर्ष वृद्धि) ।

जमाराशि : बैंक की कुल जमाराशि दि.31.03.2019 को रु.2,19,821 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की रु.2,08,070 करोड़ के स्त.र से रु.11,751 करोड़ की वृद्धि (5.65%) दर्ज हुई है। कुल जमाराशियों में कासा जमाओं (चालू और बचत) का अंश 31.39% रहा।

- दि.31.03.2018 को रु.10,360 करोड की तुलना में दि.31.03.2019 को चालू जमाएं रु.10,230 करोड़ रहे।
- बचत बैंक जमा दि.31.03.2018 को रु.54,236 करोड़ से 8.36% की दर से बढ़कर दि.31.03.2019 को रु.58,768 करोड़ तक बढ़ी ।
- मीयादी जमा दि.31.03.2018 को रु.1,43,474 करोड़ से 5.12% वृद्धि दर से बढ़कर दि.31.03.2019 को रु.1,50,823 करोड़ हुई।

अग्रिम : सकल बैंक ऋण दि.31.03.2018 को रु.1,64,535 करोड़ से 8.60% की दर से बढ़कर दि.31.03.2019 को रु.1,78,690 करोड़ हुआ।

- कृषि क्षेत्र को ऋण (आरआईडीएफ व गैर-प्राथमिकता शामिल) दि.31.03.2018 को रु.30,844 करोड़ से 19.83% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए दि.31.03.2019 को रु.36,961 करोड़ रहा।
- एमएसएमई संवर्ग में रु.31,183 करोड़ से रु.32,876 करोड़ तक 5.43% वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई।
- खुदरा ऋण संवर्ग में रु.38,979 करोड़ से रु.40,985 करोड़ तक 5.15% वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई।

अग्रिम संवर्ग वर्गीकरण **(रुपए करोड़ों में)**

श्रेणी	31.03.18	31.03.19	अंतर
1. खाद्य ऋण	825	834	1.09%
2. गैर खाद्य ऋण (2.1 से 2.4)	163710	177856	8.64%
2.1 कृषि अग्रिम	30844	36961	19.83%
2.2 एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम	31183	32876	5.43%
2.3 खुदरा ऋण (डीएल सहित)	38979	40985	5.15%
2.4 बड़े उद्योग तथा अन्य अग्रिम	62,704	67034	6.91%
सकल बैंक जमा (1+2)	164535	178690	8.60%
इसमें से प्राथमिक क्षेत्र को ऋण	70121	78318	11.69%

yield curve underwent a level shift in response to both global spillovers and domestic factors such as lower crude oil prices, moderation in the domestic inflation outlook, monetary policy measures and shift in the stance. The 10-year benchmark yield hovered from 7.40% to a peak of 8.00% and returned to the level of 7.35% by the end of FY 2018-19.

Trends in Banking Industry: After a prolonged period of stress, the banking sector appears to be on course to recovery as the load of impaired assets recedes; the first half-yearly decline in gross NPA ratio since September 2015 and improving Provision Coverage Ratio, being positive signals. Notwithstanding the significant costs wrought by the enhanced recognition of asset impairment in Public Sector Banks (PSBs), it appears to have led to a greater discipline in credit assessment, higher sensitivity to market risk and better appreciation of operational risks. The overall credit growth for the financial year 2018-19 was higher at 13.24% as compared to 10.3 % in 2017-18. Demand has grown for both corporate & retail loans; particularly the services, consumer durables & agriculture allied sectors, industrial credit have led the growth in credit. Credit to the infrastructure, chemical and chemical products, and all engineering sectors accelerated. However, credit growth to basic metal & metal products, textiles, and food processing decelerated. The deposits of the banking system witnessed growth of 10.03% during 2018-19 as compared to 6.7% during the last financial year.

OUTLOOK: India's GDP is estimated to have increased 7.2 per cent in 2017-18 and 7 per cent in 2018-19 as per advance estimates of the Central Statistical Office. The economy is projected to grow at the rate of 7.5% during 2019, expanding further to 7.7% during 2020 as per the International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook January update. The growth rates for the economy are pegged much higher than the global growth rates for the same years, at 3.5% and 3.6% for 2019 and 2020 respectively, thus placing the economy on a solid footing even amidst growing global uncertainties. The improving macroeconomic fundamentals have further been supported by the implementation of reform measures, which has helped foster an environment to boost investments and ease banking sector concerns. Together, these augur well for a healthy growth path for the economy. Public sector banks having received capital support from the Government in the form of re-capitalization bonds are well positioned to tap the improved opportunities in terms of credit growth.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK

Business: For the financial year ended 31st March 2019, Bank's Business stood at Rs. 3,98,511 Crore recording an increase of Rs 25,906 Crore from Rs 3,72,605 Crore as on 31.03.2018, with a growth rate of 6.95% (y-o-y).

Deposits: Bank's Total Deposits stood Rs. 2,19,821 Crore at as on 31.03.2019, recording an incremental growth of Rs 11,751 Crore (5.65%) over the previous year level of Rs.2,08,070 Crore. The share of CASA deposits (Current and Savings) in Total Deposits stood at 31.39%.

- Current Deposits stood at Rs. 10,230 Crore as on 31.03.2019 as compared to Rs. 10,360 Crore as on 31.03.2018.
- Savings Bank Deposits increased to Rs. 58,768 Crore as on 31.03.2019, from Rs.54,236 Crore as on 31.03.2018, growing at a rate of 8.36%.
- Term Deposits increased from Rs.1,43,474 Crore as on 31.03.2018 to Rs.1,50,823 Crore as on 31.03.2019, registering a growth rate of 5.12%.

Advances: Gross Bank Credit increased by 8.60% from Rs.1,64,535 Crore as on 31.03.2018 to Rs. 1,78,690 Crore as on 31.03.2019.

- Credit to Agriculture Sector (including RIDF & non priority) stood at Rs. 36,961 Crore as on 31.03.2019 as against Rs. 30,844 Crore as on 31.03.2018 registering a growth rate of 19.83%.
- MSME portfolio registered a growth of 5.43% YOY basis from Rs. 31,183 Cr to Rs. 32,876 Cr
- Retail Credit portfolio registered a growth of 5.15% YoY from Rs. 38,979 Cr. to Rs. 40,985 Cr

Classification of Advances portfolio **(Rs. in Crore)**

Category	31.03.18	31.03.19	Variance
1. Food Credit	825	834	1.09%
2. Non - Food Credit (2.1 to 2.4)	163710	177856	8.64%
2.1 Agricultural Advances	30844	36961	19.83%
2.2 Advances to MSME Sector	31183	32876	5.43%
2.3 Retail Credit (incl. DLs)	38979	40985	5.15%
2.4 Large Industries & Other Advances	62,704	67034	6.91%
GROSS BANK CREDIT (1+2)	**164535**	**178690**	8.60%
Of which, Lending to Priority sector	70121	78318	11.69%

निम्न% सारणी में दि.31.03.2019 को कुल जमाराशि तथा अग्रिमों का क्षेत्र-वार संवितरण दर्शाया गया है **(रुपए करोड़ों में)**

क्र सं	शाखाओं की श्रेणी	जमाराशि 31.03.19	कुल का %	अग्रिम 31.03.19	कुल का %
1	ग्रामीण	15645	7.12%	21420	11.99%
2	अर्ध-शहरी	28718	13.07%	28072	15.71%
3	शहरी	47204	21.48%	29604	16.57%
4	मेट्रो	128225	58.34%	99593	55.73%
5	कुल (1+2+3+4)	219792	100.00%	178690	100.00%

लाभप्रदता :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु.20,347 करोड़ की तुलना में रु.20,977 करोड़ रही । बैंक का गैर-ब्याज आय रु.2045 करोड़ रहा और परिचालनिक लाभ पिछले वर्ष के रु.5361 करोड़ की तुलना में रु.5023 करोड़ रहा। तथापि एनपीए की आयु के प्रति उच्चतर प्रावधान के कारण बेंक वित्ती वर्ष 2017-18 के लिए रु;3412 करोड़ की निवल हानि की तुलना में वित्तक वर्ष 2018-19 हेतु निवल हानि रु.2786 करोड़ रही। बैंक का कुल ब्या ज आय पिछले वर्ष के दौरान रु.17974 कराड़ की तुलना में रु.18932 करोड़ रहा। इसमें से अग्रिमों से ब्या ज आय वर्ष 2017-18 में रु.13069 करोड़ से 8.44% की दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में रु.14,173 करोड़ रहा। वर्ष 2018-19 में निवेश से ब्या ज आय रु.4,672 करोड़ रहा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्याय रु.15,954 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष रु.14,985 करोड़ था। ब्याज व्यय 2017-18 में रु.11,640 करोड़ से 5.02% से बढ़कर 2018-19 में रु.12,224 करोड़ हुआ। परिचालनिक व्याय रु;3730 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष से 11.48% अधिक है।

राजस्व, व्यय और लाभदायिकता की प्रमुख बातें - **(रुपए करोड़ में)**

	2017-18	2018-19	समग्र वृद्धि	% वृद्धि
कुल ब्याज आय	17974.54	18932.22	957.68	5.33%
कुल ब्याज व्यय	11639.79	12223.99	584.20	5.02%
निवल ब्याज आय	6334.75	6708.23	373.48	5.90%
अन्य आय	2372.07	2045.04	-327.03	-13.79%
निवेश की बिक्री पर लाभ	489.36	83.72	-405.64	-82.89%
मूल अन्य आय	1882.71	1961.32	78.61	4.18%
परिचालनिक व्यय	3345.79	3730.15	384.36	11.49%
परिचालनिक लाभ	5361.03	5023.12	-337.91	-6.30%
प्रावधान और आकस्मिकताएं	8773.56	7809.24	-964.32	-10.99%
निवल लाभ	**-3412.53**	**-2786.12**	**626.41**	**-18.36%**

विनियोजन : विभिन्न प्रावधान के बाद, वर्ष 2018-19 के लिए निवल हानि का आकलन रु.2786.12 करोड़ पर किया गया । लाभ हानि खाते में आगे लाया गया शेष रु.-3463 करोड़ है। विनियोजन निम्नानुसार है ।

विनियोजन (रुपए करोड़ में)	**2017-18**	**2018-19**
निवल लाभ से विनियोजन	**-3412.53**	**-2786.12**
आगे लाया गया शेष	1.53	-3463.08
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण	13.02	0.98
पूंजीगत आरक्षित निधियों में अंतरण	39.07	2.94
राजस्व आरक्षित निधियों में अंतरण	0	0
विशेष आरक्षित निधियों में अंतरण	0	0
प्रस्तावित लाभांश में अंतरण (लाभांश कर सहित)	0	0
तुलन पत्र को आगे ले जाया गया लाभ	-3463.09	-6253.12

Area-wise distribution of Aggregate Deposits & Advances as on 31.03.2019 is set forth in the following Table. (Rs. in Crore)

Sl. No.	Category of Branches	Deposits 31.03.19	% to total	Advances 31.03.19	% to total
1	Rural	15645	7.12%	21420	11.99%
2	Semi - Urban	28718	13.07%	28072	15.71%
3	Urban	47204	21.48%	29604	16.57%
4	Metro	128225	58.34%	99593	55.73%
5	**TOTAL (1+2+3+4)**	219792	100.00%	178690	100.00%

Profitability:

Total Income for the financial year 2018-19 of the bank stood at Rs. 20,977 Cr as compared to Rs. 20,347 Cr for FY 2017-18. The Non interest income of the bank stood at Rs. 2045 Cr. Operating Profit of the Bank stood at Rs.5023 Cr compared to Rs.5361 Crore in th previous year. However, on account of higher provisioning towards ageing of NPAs, the Bank incurred a Net Loss of Rs. 2786 Cr for FY 2018-19 as compared to Net Loss of Rs. 3412 Cr for FY 2017-18. The Total interest income of the Bank stood at Rs. 18,932 cr as compared to Rs. 17974 Cr of the previous year. Of this, Interest Income from Advances registered an increase by 8.44% from Rs.13069 Cr during 2017 18 to Rs. 14,173 Cr in 2018-19. Interest Income from investments stood at Rs. 4,672 Cr in 2018-19. Total Expenses during the financial year 2018-19 is Rs. 15,954 Cr against Rs.14985 Crore registered during the previous year. The interest expenditure increased by 5.02 % from Rs.11,640 Cr in 2017-18 to Rs. 12,224 Cr in 2018-19. The, Operating Expenses stood at Rs.3,730 Crore, registering an increase of 11.48% over the previous year.

Highlights of Revenue, Expenditure and Profitability (Rs. in Crore)

	2017-18	2018-19	Abs Gr	% Gr
Total Interest Income	17974.54	18932.22	957.68	5.33%
Total Interest Expenditure	11639.79	12223.99	584.20	5.02%
Net Interest Income	6334.75	6708.23	373.48	5.90%
Other Income	2372.07	2045.04	- 327.03	- 13.79%
Profit on sale of Investments	489.36	83.72	- 405.64	- 82.89%
Core Other Income	1882.71	1961.32	78.61	4.18%
Operating Expenses	3345.79	3730.15	384.36	11.49%
Operating Profit	5361.03	5023.12	- 337.91	- 6.30%
Provisions and Contingencies	8773.56	7809.24	- 964.32	- 10.99%
Net Profit	- 3412.53	- 2786.12	626.41	- 18.36%

APPROPRIATIONS: After making various provisions, the net loss for the year 2018-19 has been arrived at Rs.2786.12 Cr. Brought forward balance in P/L Account is -Rs.3463.08 Cr. The appropriations are given below

Appropriations (Rs. in Crore)	**2017-18**	**2018-19**
Appropriation out of Net Profit	**- 3412.53**	**- 2786.12**
Balance brought forward	**1.53**	**- 3463.08**
Transfer to Statutory Reserves	13.02	0.98
Transfer to Capital Reserve	39.07	2.94
Transfer to Revenue Reserves	0	0
Transfer to Special Reserve	0	0
Transfer to proposed Dividend (incl. Dividend Tax)	0	0
Profit carried over to Balance Sheet	- 3463.09	- 6253.12

प्रमुख वित्तीय अनुपात :

निवल ब्याज अंतर (एन आई एम) पिछले वर्ष 3.33% रहा। आय के प्रति लागत अनुपात पिछले वर्ष 38.43% की तुलना में 42.61% रहा। प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) रु.19.01 और प्रति शेयर बही मूल्य% (बीपीएस) रु.34.29 रहा। 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सकल अनर्जक अस्ति सकल अग्रिम 16.21% रहा और निवल अनर्जक आस्ति निवल अग्रिम 5.73% रहा।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

मापदंड	31.03.2018	31.03.2019
अग्रिम पर प्रतिफल (%)	8.84%	8.54%
जमा की लागत (%)	5.57%	5.53%
निवल ब्याज मार्जिन (%)	3.33%	3.31%
निधि पर प्रतिफल (%)	7.71%	7.44%
निधियों की लागत (%)	4.99%	4.80%
लागत–से–आय अनुपात (%)	38.43%	42.61%
सीआरएआर – बेसल III (%)	11.00%	13.68%
संपत्ति पर प्रतिलाभ (%)	–1.46%	–1.09%
प्रति शेयर आय (रु)	–38.94	–19.01
प्रति शेयर बही मूल्य((रु)	60.25	34.29
निवल एनपीए (%)	8.48%	5.73%
सकल एनपीए (%)	17.09%	16.21%

पूंजी और निवल मालियत (करोड़ रुपए में)

मानक	31.03.2018	31.03.2019
शेयर पूंजी	1199	2884.49
अधिशेष प्रारक्षिती	9619	10280.64
बैंक का निवल मालियत (मूर्त)	7223	9889.48

"निवल मालियत पर प्रतिफल" : निवल मालियत पर प्रतिफल 31.03.2018 को -0.47 से सुधार होकर 31.03.2019 को -0.28 हो गया है। परिवर्तन के कारण निम्न है:

क) वर्ष-दर-वर्ष में हानी में गिरावट, वित्त वर्ष 2017-18 हेतु 3,412.53 करोड़ रु के तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 2,786.13 करोड़।

ख) भारत सरकार द्वारा 11.10.2018 को 2,019.00 करोड़ तथा 28.03.2019 को 3,256.00 करोड़ रुपये पूंजी लगाया गया है।

ग) 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 280.53 करोड़ रुपये की राशि के द्वारा अतिरिक्त टियर- I स्थाई बेसल III अनुपालित बाँड से ब्याज के लिए सांविधिक रिजर्व से आहरण।

परिचालन लाभ मार्जिन (%) और निवल लाभ मार्जिन (%) : निकटतम पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में परिचालन लाभ मार्जिन (%) और निवल लाभ मार्जिन (%) में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए हैं।

पूंजी पर्याप्तता : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत में बेसल III दिशानिर्देशों को 1 अप्रैल, 2013 से लागू करना है। तदनुसार, बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता का आकलन बेसल III के विनिर्दिष्टियों के अनुरूप कर रहा है। बैंक की कुल पूंजीगत निधि 31 मार्च, 2019 (लेखापरीक्षा पूर्व) को रु.18,384.66 करोड़ और पूँजी पर्याप्तता अनुपात 13.01% पर है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंड 10.875% से अधिक है। बैंक ने व्यापार स्तर में अपेक्षित वृद्धि और बेसल III व्यवस्था में बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजी स्तरों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए एक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) स्थापित की है। मूल्यांकन प्रक्रिया में बेसल– III दिशानिर्देशों के तहत पिलर– II जोखिमों को शामिल करने के लिए एक रूपरेखा भी शामिल है, जैसे क्रेडिट संकेंद्रीकरण जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, आदि।

सीआरएआर स्थिति	31 मार्च 2019 (बेसल III)
सीईटी 1	8.42%
एटी I	1.96%
कुल टियर– I	10.38%
टियर II	3.30%
कुल सीआरएआर	13.68%

दि.31.03.2019 को बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु.78318 करोड रहे 11.69% (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2018 में पूर्ण वृद्धि 8197 करोड़ रु। पीएसएलसी (प्राथमिक क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र) घटाने के बाद प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम रु.62742 करोड़ है। बैंक ने वि.वर्ष 2018–19 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के ई–कुबेर पोर्टल के माध्यरम से पीएसएलसी सामान्यब / एसएफ एमएफ का रु.17475 करोड़ निवल बिक्री की है और पीएसएलसी / आईबीपीसी से रु.133.50 करोड़ प्रीमियम / कमीशन अर्जित किया है।

KEY FINANCIAL RATIOS : Net Interest Margin (NIM) stood at 3.31 % compared to 3.33% in the previous year. Cost to Income Ratio stood at 42.61% as compared to 38.43% for the previous year. Earnings per Share (EPS) stood at Rs. -19.01 and Book Value per Share (BVPS) stood at Rs.34.29. Gross Non-Performing Assets to Gross Advances stood at 16.21% and Net Non-Performing Assets to Net Advances stood at 5.73% for the financial year ended 31.03.2019

Key Financial Ratios

Parameter	31.03.2018	31.03.2019
Yield on Advances (%)	8.84%	8.54%
Cost of Deposits (%)	5.57%	5.53%
Net Interest Margin (%)	3.33%	3.31%
Yield on Funds (%)	7.71%	7.44%
Cost of Funds (%)	4.99%	4.80%
Cost - to - income Ratio (%)	38.43%	42.61%
CRAR – Basel III (%)	11.00%	13.68%
Return on Assets (%)	- 1.46%	-1.09%
Earnings Per Share (Rs.)	-38.94	-19.01
Book Value Per Share (Rs.)	60.25	34.29
Net NPA (%)	8.48%	5.73%
Gross NPAs (%)	17.09%	16.21%

CAPITAL & NET WORTH

(Rs. in Crore)

Parameter	31.03.2018	31.03.2019
Equity Capital	1199	2884.49
Reserves Surplus	9619	10280.64
Net worth of the Bank (Tangible)	7223	9889.48

Return on Networth : Return on Networth has improved to -0.28 as on 31.03.2019 from -0.47 as on 31.03.2018. Reasons for change are as under:

a) Reduction in year - on - year loss from Rs. 3,412.53 Crores for FY 2017-18 to Rs. 2,786.13 Crores for FY 2018-19

b) Infusion of Capital of Rs. 2,019.00 Crores on 11.10.2018 and Rs. 3,256.00 Crores on 28.03.2019 by Government of India.

c) Draw down from Statutory Reserve towards interest of Additional Tier-I Perpetual Basel III Compliant bonds by an amount of Rs. 280.53 Crores during the year ended 31.03.2019.

Operating Profit Margin (%) and Net Profit Mrgin (%) : There are no significant changes in Operating Profit Margin (%) and Net Profit Margin (%) as compared to the immediately previous financial year.

CAPITAL ADEQUACY: As per the guidelines issued by Reserve Bank of India, the start date for implementation of Basel III guidelines in India is with effect from April 1, 2013. Accordingly, the Bank has been assessing its Capital Adequacy as per Basel III prescriptions. The total Capital Funds of the Bank are at Rs.18, 384.66 Cr as on March 31, 2019 (Pre-audit) and the Capital Adequacy Ratio at 13.01% is above the required RBI prescribed norm of 10.875%. The Bank has put in place an "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) for assessing the adequacy of Capital levels keeping in view the expected increase in business levels and enhanced Capital requirements in the Basel III regime. The assessment process also includes a framework for inclusion of Pillar-II risks under Basel-III guidelines, such as Credit concentration risk, interest rate risk in the banking book, liquidity risk, etc.

CRAR Position	31st March 2019 (Basel III)
CET1	8.42%
AT1	1.96%
Total Tier-I	10.38%
Tier-II	3.30%
Total CRAR	13.68%

Priority Sector advances of the bank stood at **Rs.78318 Crore** and registered a growth of 11.69% (Y-O-Y) as on 31.03.2019. The absolute increase over March. 2018 is Rs. 8197 Crore. Total Priority sector advances net of PSLC (Priority Sector Lending Certificates) is Rs.62742 Cr Bank has made net sale of Rs. 17475 Cr PSLC General / SF-MF through e-kuber portal of RBI and earned a premium / commission from PSLCs /IBPCs for Rs.133.50 Cr during the FY 2018-19.

प्राथमिकता क्षेत्र उधार **(करोड़ रु.)**

श्रेणी		2018-19
1. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (2 से 7)		78,318
2. कृषि-प्राथमिकता (2.1 + 2.2)		33725
2.1 कृषि ऋण-प्राथमिकता		32937
2.2 पात्र निवेश (आरआईडीएफ)		788
3.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम		32,876
4. शैक्षणिक ऋण		1190
5. आवास ऋण (एनएचबी में अप्रत्यक्ष वित्त और निवेश शामिल है)		10487
5.1 एनएचबी में पात्र निवेश		199
6. सामाजिक अवसंरचना		12
7. नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य		28
8. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (पीएसएलसी घटाने के बाद)		62,743
8.1 पीएसएलसी बिक्री (सामान्य + एसएफ / एमएफ)		17,475
8.2 सूक्ष्म उद्यमों की खरीद		1900
9. कृषि-प्राथमिकता (पीएसएलसी घटाने के बाद)		25,850
9.1 आईबीपीसी और पीएसएलसी बिक्री (एसएफ / एमएफ) / एग्री		8875
10. कृषि क्रेडिट के तहत एनपीए		1719
10.1 कृषि के तहत एनपीए। 31.03.18 को (सकल कृषि अग्रिम पर %)		4.11
सांविधिक प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य / उप लक्ष्य और उपलब्धियां : (वार्षिक)।	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**
I. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (एएनबीसी का %)	40.00	42.97%
II. कृषि ऋण (एएनबीसी का %)	18.00	18.62%
III. लघु और सीमांत किसान (एएनबीसी का %)	8.00	10.62%
IV. अप्रत्यक्ष गैर-कॉरपोरेट किसानों को उधार (एएनबीसी का %)	11.99	14.19%
V. कमजोर वर्ग अग्रिम (एएनबीसी का %)	10.00	13.33%

- **कृषि-प्राथमिक को ऋण :** मार्च, 2019 के अंत में बैंक का कृषि अग्रिम (कृषि-प्राथमिकता) रु.33725 करोड़ रहा और 13.80 % (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि दर दर्ज हुई है। मार्च 2018 पर समग्र वृद्धि रु. 4088 करोड़ रहा। कृषि प्राथमिकता अग्रिम (रु.7875 करोड़ की पीएसएलसी- एसएफ/ एमएफ और पीएसएलसी-कृषि की निवल बिक्री के बाद) रु.25850 करोड़ है।
- **लघु और सीमांत किसानों को ऋण :** लघु और सीमांत किसानों को ऋण 31.03.2019 को रु. 1,4691 करोड़ रहा (पीएसएलसी एसएफ / एमएफ के तहत रु..8375 करोड़ की निवल बिक्री के बाद)
- **स्वयं सहायता समूहों को ऋण:** बैंक ने 31.03.2019 को रु.7559 करोड़ के कुल एक्स पोजर के साथ 237415 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तीय सहायता दी है ।
- **महिला हिताधिकारियों को ऋण:** निवल बैंक क्रेडिट के 5% के मानदंड के प्रति 31.03.2019 को महिला हिताधिकारियों को दिया गया कुल ऋण रु. 25096 करोड़ है यानी 15.22%
- **कमजोर वर्गों के लिए क्रेडिट:** कमजोर वर्गों को अग्रिम (पीएसएलसी एसएफ / एमएफ के तहत रु.8375 करोड़ की निवल बिक्री के बाद) रु.19048 करोड़ था ।
- **अल्पसंख्यकों को ऋण:** 31.03.2019 को, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बैंक की 335 शाखाएँ हैं। देश भर में बैंक के कुल नेटवर्क में से, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शाखाओं का प्रतिशत 31.03.2019 तक 8.10% (यानी 6357 करोड़ रुपये) था।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण

मापदंड (करोड़ रुपये में)	31.03.18	31.03.19	वर्षानुवर्ष वृद्धि %
माइक्रो	11138.13	11958.68	7.37%
सूक्ष्म और लघु उद्यम	23059.08	24628.83	6.81%
कुल एमएसएमई	31183.00	32876.40	5.43%

Priority Sector Lending (Rs.in Crore)

Category	2018-19
1.Priority Sector Advances (2 to 7)	78318
2. Agriculture - Priority (2.1 + 2.2)	33725
2.1 Agriculture Loans - Priority	32937
2.2 Eligible Investments (RIDF)	788
3.Micro, Small and Medium Enterprises	32876
4.Educational Loans	1190
5. Housing Loans (includes Indirect Finance& Inv, in NHB)	10487
5.1 Eligible Investment in NHB	199
6. Social Infrastructure	12
7.Renewal energy and others	28
8.Priority Sector Advances (net of PSLC)	62743
8.1 PSLC Sales (General + SF/MF)	17475
8.2 Purchase of Micro Enterprises	1900
9.Agriculture - Priority (net of PSLC)	25850
9.1 IBPC & PSLC Sales (SF/MF) / Agri	8875
10. NPA under Agri Credit	1719
10.1 NPA under Agri. as on 31.03.18 (% to Gross Agri.adv.)	4.11

Statutory Priority Sector Targets / Sub Targets and their Achievements : (Yearly).	**Targets**	**Achievements**
I.Priority Sector Advances (% to ANBC)	40.00	42.97%
II.Agricultural Credit (% to ANBC)	18.00	18.62%
III.Small & Marginal Farmers (% to ANBC)	8.00	10.62%
IV. Direct Lending to Non-Corporate farmers (% to ANBC)	11.99	14.19%
V. Weaker Section Advances (% to ANBC)	10.00	13.33%

- **Credit to Agriculture-Priority: Agricultural advances (Agri-Priority)** of the bank stood at Rs. 33725 Crore at the end of March. 2019, registering a growth rate of 13.80 % (Y-O-Y). The absolute increase over March 2018 is Rs. 4088 Crore. Agri. Priority advances (after net sale of PSLC SF/MF & PSLC-Agri of Rs.7875 Cr) are at Rs.25850 Cr.
- **Lending to Small & Marginal Farmers:** Loans to Small & Marginal Farmers as on 31.03.2019 was Rs.14691 Cr (after net sale of Rs.8375 Crs under PSLC SF/MF)
- **Lending to Self Help Groups:** Bank has extended financial assistance to 237415 Self Help Groups (SHGs) with total exposure of Rs.7559 Crore as on 31.03.2019.
- **Credit to Women Beneficiaries:** Total credit extended to women beneficiaries as on 31.03.2019 was at Rs. 25096 Cr i.e., 15.22 % of Net Bank Credit as against norm of 5%.
- **Credit to Weaker Sections:** Advances to Weaker sections (after net sale of Rs.8375 Cr under PSLC SF/MF) stood at Rs.19048 Crore.
- **Credit to Minorities :** As on 31.03.2019, bank is having 335 branches in Minority dominated Districts. Of the Bank's total network across the country, the percentage of Branches in minority dominated Districts stood at 8.10 % (i.e., Rs 6357 Crs) as on 31.03.2019.

Credit to MSME Sector

Parameter (Rs in crore)	31.03.18	31.03.19	YOY Gr%
Micro	11138.13	11958.68	7.37%
Micro & Small Enterprises	23059.08	24628.83	6.81%
Total MSME	31183.00	32876.40	5.43%

- वर्ष के दौरान, 179595 मुद्रा ऋण कुल मिलाकर रु.3007.62 करोड़ की कुल सीमा के साथ स्वीकृत किए गए हैं और रु.2740.38 करोड़ की राशि का वितरण किया गया है। बैंक ने प्रसंस्करण समय को कम करने के लिए एलएपीएस (लेंडिंग ऑटोमेशन प्रोसेसिंग सिस्टम) मॉड्यूल में मुद्रा ऋण प्रसंस्करण को अनुकूलित किया है।
- 2018-19 के दौरान, स्टैंड अप इंडिया के तहत 757 आवेदनों को रु.1,83.66 करोड़ की सीमा के साथ मंजूरी दी गई थी । संचयी निष्पाअदन रु.1275.83 करोड़ की सीमा के साथ 6758 स्वीथकृति है।
- एमएसएमई इकाइयों की ऑनलाइन बिल भुनाई के लिए वित्तषपोषक के रूप में बैंक ने आरएक्सएआईएल टीआरई-डीएस प्लेटफ़ॉर्म अपनाया है।
- बैंक 59 मिनट में पीएसबी ऋण पोर्टल में शामिल हुआ है और 31.03.2019 को रु.110.28करोड़ की राशि के 333 खातों को मंजूरी दी है।
- वर्तमान में 9 एसएमई एक्सप्रेस विभिन्न केंद्रों पर नए व्यवसाय के लिए और प्रसंस्क9रण समय को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। 559 शाखाएँ एसएमई एक्सप्रेस से जुड़ी हैं और एमएसएमई उधारकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।
- आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में सोलर रूफ टॉप यूनिट्स के वित्तपोषण के लिए मैसर्स एपईपीडीसीएल के साथ एमओयू में प्रवेश किया।
- एमएसएमई क्षेत्र के तहत केंद्रित दृष्टिकोण और विकास हेतु 240 शाखाओं को 389 समूहों की पहचान और आबंटन किया गया।

रिटेल लेंडिंग: बैंक का रिटेल क्रेडिट संवर्ग 31.03.2018 को रु.38,979 करोड़ की तुलना में रु. 2,007 करोड़ की सालाना वृद्धि के साथ 31.03.2019 को रु.40986 करोड़ था । इस खंड ने वर्षानुवर्ष आधार पर 5.15% की वृद्धि दर्ज की है जिसमें जमा ऋण और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।

- आवास ऋण संवर्ग 31.03.2018 को रु.17,941 करोड़ से बढ़कर की रु. 2,164 करोड़ की कुल वृद्धि के साथ 31.03.2019 को रु 20,105 करोड़ पर पहुंचा और 12.06% की वृद्धि दर दर्ज हुई।
- गैर-कृषि स्वर्ण ऋण (एनएजीएल) संवर्ग 31.03.2018 को रु. 2984 करोड़ से रु.78 करोड़ की पूर्ण वृद्धि के साथ 31.03.2019 को रु 3,062 करोड़ रहा और वर्षानुवर्ष आधार पर 2.61% वृद्धि दर्ज हुई।
- संपत्ति ऋण (संपत्ति के विरूद्ध ऋण) संवर्ग 31.03.2018 को रु. 4,912 करोड़ से रु.700 करोड़ की पूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2019 को रु.5,612 करोड़ रहा। वर्षानुवर्ष आधार पर 14.25% की वृद्धि दर्ज की गई।

अग्रिम - उद्योग वार एक्सपोजर: बैंक का विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आवास ऋण, एनबीएफसी, ऊर्जा, लोह एवं इस्पातत, वस्त्र, आदि ऋण एक्सपोजर है। शीर्ष 10 उद्योगों का एक्सपोजर 31.03.2019 को पिछली तिमाही के सकल बैंक ऋण का 52.73% है, जो एक विविध ऋण संवर्ग दर्शाता है। ।

उद्योग वार एक्सपोजर **(करोड़ रुपये में)**

क्र.	उद्योग	पछले क्वार्टर के कुल अग्रिम के% के रूप में सीमा	वास्तविक निधि आधारित अनावरण 31.03.19	के रूप में एक्सपोजर पिछली तिमाही के कुल अग्रिमों का% अर्थात 31.12.18
1	आवास ऋण	18.00%	25821.19	15.01%
2	एनबीएफसी	12.00%	17026.87	9.90%
3	ऊर्जा	12.00%	15093.14	8.77%
4	निर्माण और ठेकेदार	5.00%	8211.29	4.77%
5	लोह एवं इस्पात	7.00%	6117.82	3.56%
6	वस्त्र	6.00%	5540.26	3.22%
7	धान मिल	3.00%	4755.33	2.76%
8	वाणिज्यिक अचल संपत्ति	4.00%	3147.12	1.83%
9	इंजीनियरींग	3.00%	2709.41	1.57%
10	औषधी, फार्मास्यूटिकल्स	5.00%	2308.59	1.34%
	कुल		**90731.02**	**52.73%**

निवेश: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को एसएलआर प्रतिभूतियों में एनडीआरएल के 19.25% की सीमा तक निवेश करना आवश्यक है। बैंक के निवेश निर्णय जोखिम-प्रतिफल तालमेल पर आधारित होते हैं और बैंक विनियामक तथा आंतरिक दिशानिर्देशों का सख्तीव से पालन करता है । आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) से संबंधित सांविधिक विनिर्दिष्टियों का अनुपालन और निरंतर आधार पर निगरानी की जा रही है। त्रैमासिक अंतराल पर तनाव परीक्षण और निवेश संवर्ग के प्रतिफल परीक्षण के अलावा राजकोषीय संचालन में जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया गया है, इसके अलावा दैनिक अवधि और मूल्य-पर-जोखिम (वीएआर) की दैनिक निगरानी भी की जाती है। बाँड और डिबेंचर संवर्ग के बाहरी रेटिंग परिवर्तन पर भी तिमाही आधार पर नजर रखी जा रही है।

31.03.2019 को, निवेश (मूल्यह्रास का निवल) 2.81% घटा और 31.03.2018 को रु .64770.30 करोड़ से घटकर रु. 62953.09 करोड़ हुआ। 31.03.2019 को एसएलआर रु.52,502.18 करोड़ बनाए रखा गया, जो कि निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 23.65% है। निवेश से ब्याज आय 2017-18 में रु.4488.43 करोड़ की तुलना में 2018-19 में रु.4558.05 करोड़. रहा। निवेश की बिक्री पर लाभ 2018-19 के दौरान रु.83.72 करोड़ रहा जबकि 2017-18 के दौरान यह रु.489.32 करोड़ रहा।

- During the year, 179595 MUDRA loans are sanctioned with aggregate total limit of Rs.3007.62 crores and an amount of Rs.2740.38 crores is disbursed. Bank has since customized the MUDRA Loan processing in LAPS (Lending Automation Processing System) Module for reducing TAT.
- During 2018-19, 757 applications were sanctioned with a limit of Rs.183.66 crores under Stand Up India. The cumulative performance is 6758 sanctions with a limit of Rs.1217.83 crores.
- Bank has since on boarded RXIL TReDS platform as financier for online bill discounting of MSME Units.
- Bank has since on boarded PSB Loans in 59 minutes portal and has sanctioned 333 accounts amounting to Rs.110.28 Crs. as on 31.03.2019
- Presently 9 SME Expresses are functioning at various Centres for scouting the new business and for reducing the TAT. 559 Branches are attached to SME Expresses and catering the various needs of MSME borrowers.
- Entered into MOU with M/s APEPDCL for financing Solar Roof Top Units in Visakhapatnam District of Andhra Pradesh.
- Identified 389 clusters were allotted to 240 Branches for focused approach and towards growth under MSME sector.

Retail Lending : The Bank's Retail Credit portfolio stood at Rs. 38,979 crores as on 31.03.2018 as against Rs. 40986 crores as on 31.03.2019 with year on year growth of Rs. 2,007 Crs. The segment has registered a growth of 5.15% on YOY basis including deposit loans and credit card.

- Housing loans portfolio has increased from Rs 17,941 Crs as on 31.03.2018 to Rs. 20,105 Crs as on 31.03.2019 with an absolute growth of Rs. 2,164 crs registering a growth rate of 12.06% on yoy basis.
- Non – Agricultural Gold Loans (NAGL) portfolio has increased from Rs. 2984 Crores as on 31.03.2018 to Rs. 3,062 Crores as on 31.03.2019 with an absolute growth of Rs. 78 Crores registering a growth rate of 2.61% on yoy basis.
- Property Loans (Loan against property) Portfolio has increased from Rs. 4,912 Crores as on 31.03.2018 to Rs. 5,612 Crores as on 31.03.2019 with an absolute growth of Rs. 700 Crores registering a growth of 14.25% on yoy basis.

Advances – Industry wise Exposure : Bank has loan exposure to various sectors like Housing Loans, NBFCs, Power, Iron & Steel, textiles, etc. Exposure to top 10 industries constitutes 52.73% of previous quarter gross bank credit as on 31.03.2019, signifying a diversified loan portfolio.

Industry wise Exposure of Advances **(Rs. in Crore)**

Sl. No.	Industry	Ceilings as % of Total Advances of previous Quarter	Actual Fund based exposure as on 31.03.19	Exposure as % of Total Advances of Previous Quarter i.e. 31.12.18
1	Housing Loans	18.00%	25821.19	15.01%
2	NBFC	12.00%	17026.87	9.90%
3	Power	12.00%	15093.14	8.77%
4	Construction& Contractors	5.00%	8211.29	4.77%
5	Iron & Steel	7.00%	6117.82	3.56%
6	Textiles	6.00%	5540.26	3.22%
7	Rice Mills	3.00%	4755.33	2.76%
8	Commercial Real Estates	4.00%	3147.12	1.83%
9	Engineering	3.00%	2709.41	1.57%
10	Drugs, Pharmaceuticals	5.00%	2308.59	1.34%
	Total		**90731.02**	**52.73%**

INVESTMENTS : In terms of RBI guidelines, the Bank is required to invest in SLR securities to the extent of 19.25% of NDTL. Bank's investment decisions are based on risk-return trade-off and bank is scrupulously following the regulatory and internal guidelines. Statutory prescriptions relating to Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) are complied with and being monitored on a continuous basis. Risk Management in treasury operations has been strengthened further by undertaking stress testing and back testing of the investment portfolio at quarterly intervals, besides daily monitoring of Duration and Value-at-Risk (VaR). External rating migration of the bonds and debentures portfolio is also being monitored on quarterly basis.

As on 31.03.2019, the Investments (net of depreciation) decreased by 2.81% and stood at Rs. 62953.09 Crore, down from Rs.64770.30 Crore as on 31.03.2018. SLR maintained as on 31.03.2019 was Rs. 52,502.18 Crore, which constituted 23.65% of Net Demand and Time

निवेश का वर्गीकरण (रु. करोड़)

ब्यौरा	2017-18	2018-19	अंतर (%)
1. सरकारी प्रतिभूति	59072.74	57479.76	-2.70
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	0.00	0.00	0.00
3. शेयर	796.58	515.17	-35.33
4. डिबेंचर और बाँड	2499.91	2512.22	0.49
5. सहायक और / या संयुक्त उद्यम	357.63	359.16	0.43
6. अन्य	2043.44	2086.78	2.12
कुल (1 से 6)	**64770.30**	**62953.09**	**-2.81**

कार्यनीतिक निवेश

संयुक्त उद्यम बीमा: हमारा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा और कार्मेल प्वाइंट इंवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंश्योरेंस में संयुक्तब उद्यम है, जिसका नाम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। कार्मल पॉइंट इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूके के लीगल एंड जनरल मिडिल ईस्ट लिमिटेड (एलएंडजी) से 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। उद्यम में हमारी हिस्सेदारी 30% है जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 44% और कार्मल पॉइंट इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 26% हिस्सेदारी है। जीवन बीमा उद्यम में हमारा निवेश रु.187.50 करोड़ है।

मलेशिया में बैंकिंग सहायक संस्थाक : बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ बैंक ने मलेशिया में बैंकिंग सहायक संस्था स्थापित करने के लिए करार किया है। उद्यम में बैंक की हिस्सेदारी 25% है, जो आरएम 82.50 मिलियन (बुक वैल्यू 143.28 करोड़ रुपये) है, जो आरएम 330 मिलियन की कुल अभिदत्तव पूंजी में (31.03.2019 को लगभग रु. 559.02 करोड़ 1 आरएम = रु. 16.44)। संयुक्त उद्यम अर्थात। इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी ने 11.07.2012 को कारोबार शुरू किया।

राजकोष तथा विदेशी मुद्रा व्यवसाय: बैंक एक 'अधिकृत डीलर' है, जो बैंक की 56 नामित 'बी' श्रेणी शाखाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार करता है। बैंक ने खाड़ी में स्थित एक्सचेंज हाउस (यूएई एक्सओचेंज एलएलसी) के साथ त्वरित प्रेषण व्यवस्था की है। देश जोखिम, विनिमय जोखिम और अन्य विदेशी विनिमय जोखिमों के प्रबंधन के लिए आवश्यवक व्यवस्थाथ की गई है। एकल देश जोखिम सीमा और प्रत्येक जोखिम श्रेणी में आने वाले देशों के समूह के लिए कुल देश जोखिम सीमा तय है और दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

- बैंक ने विदेशी मुद्रा में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 38,711 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रु.37,733 करोड़ व्यापारी कारोबार दर्ज किया।
- विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ वर्ष 2017-18 के दौरान रु.397.68 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान रु 308.19 करोड़ है ।
- बैंक ने 2017-18 के दौरान रु. 10,14,326करोड़ की तुलना में 2018-19 के दौरान रु.11,44,818 करोड़ अंतर-बैंक कारोबार दर्ज किया।
- बैंक का निर्यात वित्त 31.03.2018 को रु.4,224 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2019 को रु. 3,742 करोड़ रहा।

क्रेडिट कार्ड व्यवसाय: हमारा बैंक 1981 से जारीकर्ता और अधिग्रहणकर्ता (व्यापारी व्यवसाय) के रूप में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में अग्रणी है।

- हमारा कार्ड आधार मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 234555 के कार्ड आधार के मुकाबले वर्षानुवर्ष 28.63% दर पर बढ़कर 301234 हो गया।
- क्रेडिट कार्ड का कारोबार मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 1170.52 करोड़ से बढ़ कर वर्षानुवर्ष 44.40% वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रु 1690.34 करोड़ हो गए।
- एंड्राइड और आईओएस दोनों संस्करणों में 03.10.2018 को नया क्रेडिट कार्ड मोबाइल ऐप एबी क्रेडिट कार्ड' का शुीभारंभ किया गया। मार्च 2019 तक, कुल 20226 उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए।

मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं

बैंक को सेबी के साथ निम्नलिखित दो पंजीकरण है:

1. डिबेंचर ट्रस्टी
2. एक निर्गम के लिए बैंकर

बैंक 2017-18 में रद्द की गई श्रेणी -I व्यापारी बैंकर या डिबेंचर ट्रस्टीज़ और मर्चेंट बैंकिंग पंजीकरण के रूप में कोई भी गतिविधि नहीं कर रहा है। बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, मुंबई के साथ समन्वय में, इक्विटी और लाभांश संबंधित मुद्दों के संबंध में बैंक के शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक भाग ले रहा है।

बैंक के लिए इक्विटी पूंजी संग्रहण: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार से इक्विटी पूंजी के तहत 2019 करोड़ रुपए और 3256 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक ने दस करोड़ इक्विटी शेयरों तक ईएसपीएस (कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के माध्यम से पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। उक्त योजना को 11.03.2019 से 20.03.2019 तक रु.19.26पै प्रति शेयर के रियायती मूल्य पर सदस्यता के लिए खोला गया था। 24.04.2019 को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त शेयर आवंटित किए गए हैं।

Liabilities (NDTL). Interest income from investments increased from Rs. 4488.43 Crore in 2017-18 to Rs. 4558.05 Crore in 2018-19. Profit on sale of investments stood at Rs. 83.72 Crore during 2018-19, while it was Rs. 489.32 Crore during 2017-18.

Classification of Investments **(Rs.in Crore)**

PARTICULARS	2017-18	2018-19	Var (%)
1. Government Securities	59072.74	57479.76	- 2.70
2. Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00
3. Shares	796.58	515.17	-35.33
4. Debentures & Bonds	2499.91	2512.22	0.49
5. Subsidiaries and / or Joint Ventures	357.63	359.16	0.43
6. Others	2043.44	2086.78	2.12
TOTAL (1 to 6)	**64770.30**	**62953.09**	**- 2.81**

Strategic Investments

Joint Venture Insurance : Our Bank is having Joint venture in insurance with Bank of Baroda and Carmel Point Investments India Private Limited named "India First Life Insurance Co. Ltd". Carmel Point Investments India Private Limited acquired 26% stake from Legal & General Middle East Limited ("L&G") of UK. Our stake in the venture is 30% while Bank of Baroda holds 44% and Carmel Point Investments India Private Limited holds 26% stake. Our investment in the life insurance venture is Rs.187.50 Crore.

Banking subsidiary in Malaysia : The Bank, along with Bank of Baroda and Indian Overseas Bank, has entered into a tie up for setting up a banking subsidiary in Malaysia. The Bank's stake in the venture is 25%, amounting to RM 82.50 Million (book value Rs. 143.28 Crore), in a total subscribed capital of RM 330 Million (approximately Rs. 559.02 Crore @ 1 RM = Rs. 16.94 as on 31.03.2019). The joint venture viz. INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD commenced business on 11.07.2012.

Treasury & Forex Business : The Bank is an 'Authorised Dealer', to deal in foreign exchange business through 56 designated 'B' category branches of the Bank. The Bank has speed remittance arrangements with an Exchange House (UAE Exchange LLC) based in Gulf. Systems have been put in place for management of country risk, exchange risk and other foreign exchange risks. The country risk exposures for single country risk limit and aggregate risk limits for the group of countries under each risk category are fixed and are being monitored on daily basis.

- ❖ During FY 2018-19, the Bank recorded a merchant turnover of Rs. 37,733 Cr in Forex, as compared to Rs 38,811 Cr during FY 2017-18
- ❖ During the year 2018-19, the profit on Forex transactions is Rs.308.19 Cr, when compared to Rs 397.68 Cr during the year 2017-18.
- ❖ The Bank recorded Inter-Bank turnover of Rs. 11,44,818 Cr during 2018-19,when compared to Rs. 10,14,326 Cr during 2017-18.
- ❖ Export finance of the Bank stood at Rs. 3,742 Cr. as on 31.03.2019, when compared to Rs 4,224 Cr. as on 31.03.2018.

CREDIT CARD BUSINESS : Our Bank is a Pioneer in Credit Card Business, both as Issuer and Acquirer (merchant Business) since 1981.

- ➢ Our Card base increased to 301234 as against card base of 234555 for the Year ended March 2018 showing year on year growth rate of 28.43%
- ➢ The turnover of Credit Cards has increased from Rs. 1170.52 crores for the year ended March 2018 to Rs. 1690.34 Crores for the year ended March 2019 showing year on year growth rate of 44.40%.
- ➢ Launched new Credit Card Mobile app "AB CreditCard' on 03.10.2018 in both Android and IOS versions. As on March 2019, total 20226 users registered.

MERCHANT BANKING SERVICES

The Bank is having the following two Registrations with SEBI:

1. Debenture Trustees
2. Bankers to an Issue

The Bank is not undertaking any activities as Category –I Merchant Bankers or Debenture Trustees and Merchant Banking registration cancelled in 2017-18. The Bank is attending to the requests and redressing the grievances of the shareholders of the Bank with regard to equity and dividend related issues, in coordination with the Banks' Registrars & Share Transfer Agents, M/s MCS Share Transfer Agents Limited, Mumbai.

Raising of equity capital for the Bank : During the financial year 2018-19, the Bank has raised Rs 2019 crores and Rs 3256 crores under Equity Capital from Government of India on preferential basis. The Bank has approved the scheme for raising of capital through ESPS

बैंक की ऋण पूंजी में वृद्धि: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने कोई ऋण बांड जारी नहीं किया है।

बैंक की ऋण बांडो और जमा राशि प्रमाण पत्र की रेटिंग : बैंक द्वारा जारी ऋण बॉंड और सीडी की रेटिंग हेतु बैंक, एम / एस केअर रेटिंग्स इंडिया लिमिटेड, मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स क्रिसिल लिमिटेड की सेवाओं का लाभ उठा रहा है।

बैंक द्वारा जुटाई गई ऋण पूंजी पर वार्षिक ब्याज का भुगतान: विभाग संबंधित नियत तारीखों पर बांडधारकों को वार्षिक ब्याज का भुगतान कर रहा है।

इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान: शून्य

साधारण बैठकों आयोजित करना : बैंक के शेयरधारकों की 18 वीं वार्षिक साधारण बैठक 09.07.2018 को आयोजित की गई थी और 31.03.2018 को समाप्त हुई बैंक के वार्षिक खातों को अपनाने के लिए और अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थाःनन के माध्यम से पूंजी जुटाने, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, आदि के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त की गई। विभाग ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को शेयरों के जारी करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी के लिए और कर्मचारी स्टॉक खरीद के तहत बैंक के कर्मचारियों को शेयर जारी करने के लिए 19.09.2018 को और 22.03.2019 को अधिमानी आधार पर भारत सरकार को शेयरों के मुद्दे को मंजूरी देने के लिए असाधारण सामान्य बैठकों का आयोजन किया।

सेबी विनियमों / दिशानिर्देशों और लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन : बैंक ने समय-समय पर जारी सेबी विनियमों / दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। बैंक ने सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का अनुपालन किया है।

अदत्त / अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना : बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) और वित्तीय संस्थानों के कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 (जो 16.10.2006 से लागू हुआ है) के संदर्भ में कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्तक या अदावी या गैर-नकदीकृत लाभांश की राशि को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया जाता है। 2018-19 के दौरान, बैंक ने 2010-11 से संबंधित अदावी / अदत्ति लाभांश राशि को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया है।

ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए): सेबी ने 10.11.2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करने वाले सभी निवेशक भुगतान करने के लिए केवल ब्लॉक की गई राशि सुविधा द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) का उपयोग करेंगे। हमारे बैंक के माध्यम से 24 अगस्त 2009 को एएसबीए सुविधा सक्षम की गई थी। 31 मार्च, 2018 तक, पूरे भारत में बैंक की सभी शाखाएँ एएसबीए अनुप्रयोगों को स्वीकार करने में सक्षम थीं। हमने अपने नेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से भी सुविधा बढ़ाई है जहाँ ग्राहक परेशानी मुक्त ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।

बैंकशुरेन्सा और शुल्कं आधारित उत्पाद: बैंक लगातार जीवन और गैर-जीवन बीमा उत्पादों, म्यूचुअल फंड उत्पादों, डिपॉजिटरी सर्विसेज, प्रत्यक्ष कर, वाणिज्यिक कर नगरपालिका कर, उपयोगिता भुगतान, भुगतान गेटवे सेवाएं, ऑटो-डेबिट सुविधाएं आदि का विपणन करके आय धाराओं के विविधीकरण के माध्यम से गैर-ब्याज आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

लाइफ इंश्योरेंस: बैंक ऑफ बड़ौदा और यूके के लीगल एंड जनरल ग्रुप पीएलसी के साथ मिलकर इंडिया फर्स्ट लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी बनाई गई है और इसे औपचारिक रूप से मार्च 2010 में प्रारंभ किया गया था। अब कारमेल पाइंट इनवेस्टबमेंट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने 2018-19 में लीगल एंड जनरल ग्रुप की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, रु.267.14 करोड़ का कुल नया व्यवसाय प्रीमियम (खुदरा और समूह व्यवसाय सहित) जुटाया गया था। 31.03.2019 को नवीकरण प्रीमियम रु.332.65 करोड़ एकत्र किया गया। बैंक ने जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री से रु .34.70 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

गैर-जीवन बीमा: बैंक ने मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं, लिमिटेड और मेसर्स रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं, लिमिटेड के साथ सामान्य बीमा हेतु गठबंधन किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने रु.75.71 करोड़ का प्रीमियम जुटाया है और सामान्य बीमा के तहत रु.10.58 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

स्वास्थ्य बीमा: बैंक का स्वास्थ्य बीमा के लिए मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. और मेसर्स सिग्ना टीटीके इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ गठबंधन है। वर्ष के दौरान स्वास्थ्य बीमा के तहत बैंक ने रु.138.44 करोड़ का प्रीमियम जुटाया है और रु.19.80 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

पेमेंट गेटवे और म्यूचुअल फंड: बैंक 12 पेमेंट गेटवे और 12 म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ गठबंधन किया है। बैंक ने रु.1.56 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

शुल्क आधारित आय: बैंक ने रु 253.24 करोड़ शुल्क आधारित आय अर्जित की है।

डिपॉजिटरी सर्विसेज: बैंक एबी डीमैट के ब्रांड नाम के तहत जनता को डिपॉजिटरी सर्विसेज दे रहा है। बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) है। बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 में 4291 डीमैट खाते और 2059 ट्रेडिंग खाते खोले हैं और रु. 43.09 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

आईटी पहल: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार के लिए निम्नलिखित आईटी पहल की हैं:

साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम – बैंक ने एटीएम / पीओएस चैनल के माध्यम से किए गए लेन-देन के व्यवहार में बदलाव होने पर ग्राहक के लेनदेन व्यवहार के विश्लेषण पर आधारित एसएमएस अलर्ट भेजने की सुविधा एनेबल किया है। निम्नलिखित अलर्ट जनरेट किए जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं।

(Employee Stock Purchase Scheme) upto Ten Crore Equity Shares. The said scheme was opened for subscription from 11.03.2019 to 20.03.2019 at a discounted price of Rs 19.26p. per share. The scheme was subscribed by 109% due to good participation by eligible employees of the bank. The said shares have been allotted during the next financial year on 24.04.2019.

Raising of Debt Capital of the Bank: During the financial year 2018-19, the Bank has not issued any debt bonds.

Rating of Debt Bonds and Certificate of Deposits borrowings of the Bank: The Bank is availing the services of M/s CARE Ratings India Limited, M/s Brickwork Ratings Pvt Limited and M/s CRISIL Limited for rating of the Debt Bonds and CD issues of the Bank.

Payment of annual interest on the debt capital raised by the Bank: The Department is making the payment of annual interest to the bondholders as on the respective due dates.

Payment of dividend on the equity shares: NIL

Holding of General Meetings: The 18th Annual General Meeting of shareholders of the Bank was held on 09.07.2018 and obtained their approval for adoption of annual accounts of the Bank for the FY ended 31.03.2018 and on raising of capital through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public Offer, etc. Department also conducted Extra-ordinary General Meetings on 19.09.2018 for approval of shareholders for issue of shares to Government of India on preferential basis and for issuing shares to Employees of the Bank under Employee Stock Purchase Scheme and on 22.03.2019 for approving the issue of shares to Government of India on preferential basis.

Compliance with SEBI Regulations/ Guidelines and Provisions of Listing Regulations: The Bank has complied with the SEBI Regulations/ Guidelines issued from time to time. Bank has complied with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Transferring the Unpaid/Unclaimed Dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF): In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed or unencashed for a period of seven years is requested to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. During the FY 2018-19, the Bank has transferred unclaimed/unpaid dividend amount pertaining to the year 2010 11 to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Application Supported by Blocked Amount (ASBA): SEBI vide Notification dated 10.11.2015, has mandated that all the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment. ASBA facility was enabled on August 24, 2009 through our Bank. As on March 31, 2018, all branches of the Bank across pan India were enabled to accept ASBA applications. We have also extended the facility through our Net Banking Channel where customers can bid online hassle free.

BANCASSURANCE & FEE-BASED PRODUCTS : The Bank has been constantly focusing on augmenting non-interest income through diversification of income streams by taking up marketing of life and non-life insurance products, Mutual fund products, Depository Services, Direct taxes, Commercial Taxes, Municipal Taxes, Utility payments, Payment gateway services, Auto-Debit facilities etc.

Life Insurance : The Bank along with the Bank of Baroda and Legal & General Group Plc of UK has formed a Joint venture Life Insurance Company named India First Insurance Co Ltd and it was formally launched in the month of March 2010.Now CARMEL POINT INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED has taken over the share of Legal & General Group in 2018-19. During the financial year 2018-19, total New Business premium (including Retail and Group business) of Rs.267.14 Crore was mobilized. Renewal premium of Rs. 332.65 Crore was collected upto 31.03.2019. Bank earned commission of Rs. 34.70 Crore from sale of Life Insurance Policies.

Non-Life Insurance : The Bank has tie up with M/S United India Insurance Co., Ltd & M/S Reliance General Insurance Co., Ltd for General Insurance. During the year the Bank has mobilized the premium of Rs. 75.71 Crore and earned a commission of Rs.10.58 Crore under General Insurance.

HEALTH INSURANCE: The Bank has a tie up with M/s United India Insurance Co.Ltd & M/s Cigna TTK Insurance Co Ltd for Health Insurance. During the year the Bank has mobilized the premium of Rs. 138.44 Crore and earned a commission of Rs. 19.80 Crore under Health Insurance.

Payment Gateways and Mutual Funds: The Bank is having a tie-up with 12 Payment Gateways and 12 Mutual Fund Companies. Bank has earned a commission of Rs. 1.56 Crore.

Fee Based Income: Bank has earned fee based income of Rs. 253.24 Cr

Depository Services: Bank is offering Depository Services to the public under the brand name of "AB Demat". The Bank is a Depository Participant (DP) with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as well as with National Securities Depository Limited (NSDL). The Bank has opened 4291 Demat a/cs and 2059 trading accounts in FY 2018-19 and earned a commission of Rs. 43.09 Lakh

IT Initiatives : During FY 2018-19 your Bank has taken the following I.T. initiatives to improve Customer Service:

Prevention of cyber frauds – The bank has enabled the feature of sending SMS alerts to customers based on analytics on customer's transaction behaviour whenever there is a change in behaviour of transaction done through ATM/POS channel. The following alerts are being generated and send as of now.

- पहला एटीएम लेनदेन
- पहला पीओएस लेनदेन
- 6 महीने की अवधि के बाद एटीएम लेनदेन
- 6 महीने की अवधि के बाद पीओएस लेनदेन

एप्लिकेशन फॉर्म स्वीत: भरने: बैंक ने बैंक के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुदरा ऋण के लिए आवेदन करते समय प्रमाणीकरण के बाद मौजूदा ग्राहकों के ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा एनेबल की है ।

वर्चुअल आधार आईडी: बैंक ने ई–केवाईसी संस्करण 2.1 से ई–केवाईसी संस्करण 2.5 में माइग्रेट किया है, जिससे ई–केवाईसी लेनदेन करने के लिए वर्चुअल आधार आईडी का उपयोग किया जा सकता है।

एफईबीए – फिनेक्ल ई बैंकिंग एप्लीकेशन – वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं:

क. **इंटरनेट बैंकिंग वैयक्तिकृत उपयोगकर्ता–आईडी को जानें –** खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों द्वारा ओटीपी सत्यापन के आधार पर अपनी यूज़र आईडी को पुनर्प्राप्त करना एनेबल किया गया।

ख. खुदरा और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग दोनों ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन टर्म डिपॉजिट के प्रति तत्काल ओवरड्राफ्ट सुविधा एनेबल किया गया है। इसके अलावा, खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से खोले गए खातों के लिए सावधि जमा के प्रति ओवरड़ाफ्ट खोल सकते हैं।

ग. कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सावधि जमा खोलना / बंद करना एनेबल किया गया है। यह सुविधा खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए उपलब्ध थी। केवल इंटरनेट के माध्यम से खोले गए मीयादी जमा ऑनलाई बंद किए जा सकते हैं।

घ. **कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए एएसबीए–** अब कॉर्पोरेट इनटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए भी एनेबल किया गया है।

ङ. **कॉरपोरेट के लिए चेक बुक अनुरोध सुविधा** : कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक अब चेक बुक सुविधा के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं और अनुरोधित चेक बुक ग्राहकों के संचार पते पर पहुंचा दी जाएगी।

च. **व्यक्तिगत रूपे डेबिट कार्ड के लिए अनुरोध:** चुंबकीय पट्टी कार्डों के प्रतिस्थापन के प्रतिशत में तेजी लाने के लिए और ग्राहकों के लिए ईएमवी कार्डों के साथ मौजूदा चुंबकीय पट्टी कार्डों के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, अब खुदरा ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूपे प्लेटिनम चिप कार्ड को फिर से जारी करने की सुविधा एनेबल की गई है।

छ. **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड सक्रिय करना:** इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूपे डेबिट कार्ड अनुरोध को एनेबल करने के बाद, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से रूपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड सक्रिय करने की सुविधा एनेबल की गई है।

ज. **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड को अवरुद्ध करना:** खुदरा ग्राहकों के लिए एक विकल्प प्रदान किया जाता है जहां वे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। ओटीपी के सफल सत्यापन पर, डेबिट कार्ड अवरुद्ध हो जाएगा। इस सुविधा को सक्षम करने के साथ, इंटरनेट बैंकिंग अब खुदरा ग्राहकों के लिए तीन डेबिट कार्ड सेवाएं प्रदान करता है यथा व्यक्तिगत रूप से प्लेटिनम कार्ड को फिर से जारी करने, व्यक्तिगत रूपे प्लेटिनम कार्ड को सक्रिय करना और डेबिट कार्ड को अवरुद्ध करने के लिए अनुरोध करना।

झ. **एलपीजी आईडी को खाते से जोड़ना:** खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक अब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने एलपीजी आईडी को अपने बैंक खाते के नंबर से लिंक कर सकते हैं।

ञ. **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल कर भुगतान:** हमारे बैंक को सीधे जीआरआईपीएस वेबसाइट में एकीकृत कर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल कर का भुगतान करने की सुविधा एनेबल की गई है।

ट. **सेफ़–टी का उपयोग करके कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ट्रांज़ेक्शन पासवर्ड जेनरेशन:** सेफ़–टी ऐप कॉरपोरेट और रिटेल नॉन डेबिट कार्ड धारकों को तुरंत लेनदेन पासवर्ड जनरेट करने में सक्षम बनाता है।

ठ. **कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए दान की सुविधा:** कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दान की सुविधा, खुदरा इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को प्रदान की गई सुविधा के अनुरूप है। इस मॉड्यूल के माध्यम से , ग्राहक हेड ऑफिस द्वारा अनुमोदित विभिन्न ट्रस्ट / मंदिरों को दान कर सकते हैं, जिनके लिए हमारी शाखाओं में खाते बनाए हुए हैं।

ड. **रिटेल और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए जीएसटीएन सीडिंग:** जीएसटीएन को खाता संख्या के साथ सीडिंग करने की सुविधा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खुदरा और कॉर्पो रेट ग्राहक, दोनों के लिए एनेबल किया गया है। सिस्टम जीएसटीएन की सीडिंग तभी करेगा जब ग्राहक पैन फिनेक्ल में पंजीकृत हो। एक ग्राहक इस कार्यक्षमता का उपयोग करके विभिन्न राज्यों से संबंधित जीएसटीएन का सीडिंग कर सकता है।

ढ. **कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग ग्राहक और सामान्य भीम ऐप के लिए बीबीपीएस:** कॉर्पोरेट ग्राहकों और सामान्य भीम ऐप के लिए नेट बैंकिंग में भारत बिल भुगतान सेवाओं का उपयोग कर उपयोगिता बिल भुगतान एनेबल किया गया है, जिसके माध्यम से ग्राहक व्यापारियों के लिए पाँच श्रेणियों के तहत बिलों का भुगतान करने में सक्षम होंगे – डीटीएच, बिजली, गैस, पानी और पोस्ट पेड मोबाइल

ण. **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा / बचत के लिए ब्याज प्रमाणपत्र:** इंटरनेट बैंकिंग में, ग्राहक आईडी से जुड़े सभी सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए रिटेल और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक विकल्प प्रदान किया जाता है और यह एनआरई खातों के लिए भी उपलब्ध है। रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि के लिए जेनरेट की जा सकती है और पीडीएफ, एक्सेल और एचटीएमएल प्रारूपों में डाउनलोड की जा सकती है।

त. **कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए आयकर एकल साइनऑन ई–फाइलिंग:** वर्तमान में आयकर ई–फाइलिंग (इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एकल साइनॉन) की सुविधा और फॉर्म 26एएस जेनरेशन केवल खुदरा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठाने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अब यह सुविधा बढ़ाई गई है।

- First ATM Transaction
- First POS Transaction
- ATM Transaction done after a period of 6 Months
- POS Transaction done after a period of 6 Months

Auto filling of Application forms : The Bank has enabled the feature of auto filling of online applications of the existing customers after authentication while applying for Retail Loan through the Bank's online portal.

Virtual Aadhaar ID: The bank has migrated from eKYC version 2.1 to eKYC version 2.5 enabling the use of Virtual aadhaar ID to perform e-KYC transactions.

FEBA- Finacle E Banking Application – the following new features have been added during FY 2018-19:

a) **Know Internet Banking personalized user-id** – to enable Retail Internet Banking customers to recover their USER ID based on OTP erification.

b) **Instant Overdraft Facility** against Online Term Deposit through Internet Banking is enabled for both Retail & Corporate Internet Banking customers. Further, Retail Internet banking customers can open OD against Term Deposits for accounts opened through Mobile Banking also.

c) **Term Deposit opening / Closure** is enabled for corporate customers. This facility was hitherto available to Retail Internet Banking Customers. Closure of Term Deposit facility is available only for the Term Deposits opened through Internet Banking.

d) **ASBA for Corporate IB Customers** is now enabled for Corporate IB customers also.

e) **Cheque book Request facility for corporates :** Corporate IB customers can now request for cheque book facility online and the requested cheque book will be delivered to customers communication address.

f) **Request for personalized Rupay Debit Card :** To accelerate the percentage of replacement of magnetic strip cards and to make the process of replacement of existing magnetic strip cards with EMV cards easy for customers, re-issuance of personalized Rupay Platinum Chip card is enabled through Internet Banking for Retail customers.

g) **Activation of Personalized RuPay Platinum Debit Card through Internet Banking :** Further to enabling of request for personalized Rupay Debit Card through IB, activation of Rupay platinum debit card is enabled through IB.

h) **Blocking of Debit Card through Internet Banking :** An option is provided for retail customers where-in they can block their debit card through Internet Banking. On successful validation of OTP, the debit card will be blocked. With enabling of this facility, IB now provides three debit card services for retail customers viz., request for re-issue of personalized Rupay Platinum card, activation of personalized Rupay Platinum card and blocking of debit card.

i) **LPG ID linking to account :** Retail Internet Banking customers can now link their LPG ID to their Bank account number through IB.

j) **West Bengal Tax Payment through Internet Banking :** Facility of paying West Bengal Taxes through Internet Banking is enabled by directly integrating our bank in GRIPS website.

k) **Transaction password generation for corporate customers using Safe-T :** Safe-T app enables Corporate & Retail Non Debit card holders to generate Transaction Password instantly.

l) **Donation facility for Corporate IB Customers :** Donation facility through IB is enabled for corporate customers in-line with the facility provided to retail IB customers. Through this module, customers can make donations to various trusts / temples approved by Head Office for which accounts are maintained at our branches.

m) **GSTN seeding for Retail and Corporate customers :** The facility for seeding GSTN to account numbers is enabled for Retail and Corporate customers through IB. System will allow to seed the GSTN only if the customers PAN is registered in Finacle. A customer can seed GSTN pertaining to different states using this functionality.

n) **BBPS for Corporate Net Banking Customers and Common BHIM App :** Utility Bill payments using Bharat Bill Pay services has been enabled in Net Banking for corporate customers and Common BHIM App through which the customer will be able to pay Bills for the merchants under five categories – DTH, Electricity, Gas, Water and Post Paid Mobiles

o) **Interest certificate for Deposits / Savings through Internet Banking :** In Internet Banking, an option is provided for both Retail and Corporate Internet Banking customers for generation of Interest Certificate for all Saving & Deposit Account linked to the Customer| Id and is available for NRE Accounts also. The report can be generated for a period of one year and can be downloaded in PDF, Excel and HTML formats.

p) **Income Tax Single Signon E-Filing for Corporate Internet Banking Customers :** Presently the facility of Income Tax E-filing (single Signon through Internet Banking) and generation of Form26AS is available only for Retail customers. The facility is now extended to Corporate customers availing Internet Banking.

थ. ईमेल से खाता विवरण और ट्रांजेक्शन अलर्ट के लिए पंजीकरण करने की सुविधा। बैंक ने ईमेल पर खाता ई–विवरण और डिजिटल चैनल ट्रांजेक्शन अलर्ट प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग में सुविधा एनेबल किया है।

मोबाइल बैंकिंग ऐप – एबी तेज– नई सुविधाएँ जोड़ी गईं:

क. बीमा का विवरण: एबी तेज मोबाइल बैंकिंग ऐप में नई सुविधा सक्षम की गई है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता एबी हेल्थ प्लस मेडिक्लेम पॉलिसी, एबी आरोग्यदान और इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बीमा पॉलिसी विवरण देख पाएंगे।

ख. एबी तेज ऐप को एक्सेस करने के लिए कई भाषाएं सक्षम करना: इस दिशानिर्देशों के अनुपालन में, एबी तेज मोबाइल ऐप में अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तेलुगु, तमिल और मराठी भाषाओं को सक्षम किया गया है। ग्राहक लॉगिन के समय अपनी पसंद की भाषा एबी तेज मोबाइल एप्लीकेशन में सेट कर सकते हैं। अन्य स्थापनीय भाषाएं ओडिया, कन्नड़ को एनेबल करना परीक्षण चरण में है।

ग. एबी तेज में ईमेल अपडेट: खाता विवरण प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के लिए एबी तेज ऐप में ग्राहक की ईमेल आईडी को स्वयं पंजीकृत करने कीसुविधा को एनेबल किया गया।

घ. एबी तेज में डेबिट कार्ड पुन: स्थापन और सक्रियण: एक विकल्प प्रदान किया जाता है जहां–मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में एबी तेज उपयोगकर्ता डेबिट कार्ड की प्राप्ति के बाद डेबिट कार्ड के पुन: स्थापन और एनेबल करने का विकल्प चुन सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना–इंटरनेट बैंकिंग, एबी तेज और आईएमपीएस के माध्यम से क्रेडिट : सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खातों के लिए मासिक किश्तों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त चैनल की सुविधा के उद्देश्य से, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग (एबी तेज ऐप) और आईएमपीएस चैनल के माध्यम से विकल्प एनेबल किया गया है।

ऑनलाइन ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) प्लेटफ़ॉर्म: पुनर्भुगतान या वसूली तक एंड–टू–एंड प्रोसेसिंग के साथ नया ऑनलाइन ओटीएस प्लेटफ़ॉर्म प्रारंभ किया गया है। जो ग्राहक एनपीए को ऑनलाइन निपटाना चाहते हैं, उन्हें हमारी बैंकों की वेबसाइट्.रपवहीरलरपज्ञ.ळप पर जाना होगा और वेबपेज और ऑनलाइन सेवा मेनू में उपलब्ध ऑनलाइन एनपीए ओटीएस लिंक पर क्लिक करके अनुरोध दर्ज करना होगा।

ग्राहक सीमित देयता: ग्राहक सुरक्षा पर नीति – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना के हिस्से के रूप में – जो ग्राहक संरक्षण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश पर आधारित है, बैंक ने पूर्ण लेनदेन विवरण के साथ ग्राहकों को एसएमएस भेजने की प्रक्रिया विकसित की है जिसके अंतर्गत यदि लेनदेन धोखाधड़ीपूर्ण है, ग्राहक द्वारा निर्धारित वीएमएन (वर्चुअल मोबाइल नंबर) 9298112345 पर एसएमएस किए जाने पर कार्ड को स्वरत: ब्लॉक किया जाता है।

नेटवर्क विस्तार: वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, बैंक ने परिचालन क्षमता में सुधार के लिए 9 शाखाएं खोलीं और 12 एटीएम / बीएनए / सीआर और तर्कसंगत 35 शाखाएं (विलयित) किया । इसके साथ, 31.03.2019 को, बैंक के 6687 डिलीवरी चैनल रहे, जिनमें 2885 शाखाएं, 4 विस्ता र पटल और 3798 एटीएम शामिल है, जिनमें बीएनए/ सीआर 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। ग्राहक के विशिष्ट वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की 44 विशिष्ट शाखाएं हैं।

शाखाओं की जनसंख्या समूह वार वर्गीकरण

क्र सं	वर्ग	संख्या	कुल का %
1	मेट्रो	717	24.85
2	शहरी	653	22.64
3	अर्ध शहरी	764	26.48
4	ग्रामीण	751	26.03
	कुल	**2885**	**100**

बैंक की 44 विशिष्ट शाखाएं निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	विशिष्ट शाखाओं की श्रेणी	शाखाओं की संख्या
1	विशेषीकृत एसएमई शाखाएं	17
2	विशेषीकृत कृषि वित्त शाखाएं	1
3	विशेषीकृत कृषि – हाईटेक शाखाए	6
4	विशेषीकृत आवास वित्त शाखाएं	4
5	विशेषीकृत कार्मिक बैंकिंग शाखाएं	4
6	विशेषीकृत एनआरआई शाखाएं	1
7	कॉर्पोरेट वित्त शाखाएं	2
8	ऑटो–टेक वित्त शाखा	1
9	विदेशी शाखा	1
10	एसेट रिकवरी प्रबंधन शाखाएं	6
11	छोटी बी शाखा	1
	कुल	**44**

q) **Facility to register for account statement and transaction alert over email** : Bank has enabled facility in Internet Banking for customers for self enrolment for receiving account e-statements and digital channel transaction alerts over email.

1. **Mobile Banking App - ABTej- new features added :**

a) **Details of insurance :** New facility has been enabled in ABTej Mobile banking app through which users will be able to view the insurance policy details of AB Health Plus Mediclaim policy, AB Arogyadan and India First Life Insurance.

b) **Enabling multiple vernacular Languages for accessing the AB Tej app :** In compliance of EASE guidelines, Dept., has enabled Hindi, Telugu, Tamil and Marathi Languages in addition to English in AB TEJ Mobile App. Customers can set their preferential language in AB TEJ Mobile Application at the time of login. Enabling of other vernacular languages Odiya, Kannada are under testing phase.

c) **Email Updation in AB TEJ :** Enabled a facility in the AB Tej app for customers to self-register customer email ID for receipt of account statement.

d) **Debit Card Reissue and Activation in AB TEJ :** An option is provided where-in Mobile Banking Application AB Tej users can opt for debit card reissuance and activation after receipt of the debit card.

Sukanya Samriddi Scheme –Credit through Internet Banking, ABTej & IMPS : With an objective to facilitate additional channel for paying monthly instalments for accounts opened under Sukhanya Samriddi Scheme, option has been enabled in Internet Banking, Mobile Banking (ABTej app) and through IMPS channel.

Online OTS (One Time Settlement) Platform: A new online OTS platform with end-to-end processing till repayment or recovery is introduced. Customers who want to settle the NPA online need to visit our banks website www.andhrabank.in and submit the request by clicking the "ONLINE NPA OTS" link available on the webpage and in the Online Service menu.

Customer Limited Liability: As part of "Policy on Customer Protections - Limiting Liability of Customers in Unauthorized Electronic Banking Transactions" – which is based on RBI direction on customer protection, the Bank has developed the process for sending SMS to customers with full transaction details and block the debit card automatically if customer forwards a SMS to a prescribed VMN (Virtual Mobile Number) 9298112345, if transaction is fraudulent.

NETWORK EXPANSION: During the Financial Year 2018-19, Bank opened 9 Branches and added 12 ATMs/ BNAs/ CRs and rationalized (merged) 35 branches to improve operational efficiencies. With this, as on 31.03.2019, Bank had 6687 Delivery Channels consisting of 2885 Branches, 4 Extension Counters and 3798 ATMs including BNAs/ CRs spread over 26 States and 3 Union Territories. The Bank has 44 Specialized Branches catering to the needs of the specific segments of clientele.

Population Group Wise classification of Branches

Sl. No .	**Category**	**Number**	**% to total**
1	Metro	717	24.85
2	Urban	653	22.64
3	Semi Urban	764	26.48
4	Rural	751	26.03
	TOTAL	**2885**	**100**

The Bank had 44 Specialized Branches, as detailed hereunder:

S.No.	**Category of Specialized Branches**	**No. of Brs.**
1	Specialised SME Branches	17
2	Specialised Argicultural Finance Branches	1
3	Specialised Agri -Hitech Branches	6
4	Specialised Housing Finance Branches	4
5	Specialised Personnel Banking Branches	4
6	Specialised NRI Branches	1
7	Corporate Finance Branches	2
8	Auto - Tech Finanace Branch	1
9	Overseas Branch	1
10	Asset Recovery Management Branches	6
11	Small B Branch	1
	TOTAL	44

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में उपस्थिति: 31.03.2019 को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हमारी 335 शाखाएं हैं। 31.03.19 को देश भर में बैंक के कुल नेटवर्क में से, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शाखाओं का प्रतिशत 11.60% था।

आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट: आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट एपी (9), तेलंगाना (2), ओडिशा (2), और केरल (1) राज्यों में 14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है और किसानों, एसएचजी महिलाओं, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण, उद्यमशीलता विकास और ज्ञान का प्रसार के लिए आवश्याकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। स्थापना के बाद से, 181327 उम्मीदवारों को संस्थानों द्वारा 6298 कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 79.01% प्रशिक्षित उम्मीदवार लाभकारी उपक्रमों में लगे हुए हैं। 50.34% बसे हुए उम्मीदवार बैंक शाखाओं से जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, संस्थानों ने 387 कार्यक्रमों के माध्यम से 9927 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया। एमओआरडी की आरएसईटीआई योजना के तहत सभी 12 आरएसईटीआई 2017–18 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्चतम रेटिंग एए / ए के साथ सम्मानित किए गए हैं । आन्ध्रा बैंक द्वारा प्रायोजित आरएसईटीआई में से एक, एनआईआरईडी, राजम (श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश राज्य), ने श्री ई एस एल नरसिम्हन, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य के माननीय राज्यपाल से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी – तेलंगाना राज्य शाखा की वार्षिक आम बैठक में सेवा पुरस्कार प्राप्त किया।

गुणवत्ता पहलू :

जोखिम प्रबंधन: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन नोट/दिशानिर्देशों के अनुसार क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। विभाग वार्षिक आधार पर निम्नलिखित नीतियों की तैयारी और समीक्षा कर रहा है।

i. ऋण जोखिम रेटिंग पॉलिसी
ii. मॉडल जोखिम नीति
iii. ऋण जोखिम डेटा प्रबंधन पॉलिसी
iv. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
v. ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति
vi. जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण और प्रदर्शन प्रबंधन नीति।
vii. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति
viii. बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
ix. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पॉलिसी
x. एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति
xi. एकीकृत निवेश और विदेशी मुद्रा नीति

उपरोक्त के अलावा, विभाग द्वारा निम्नलिखित नीतियां भी बनाई गई हैं:

1. तनाव परीक्षण नीति
2. आईसीएएपी नीति
3. प्रकटीकरण नीति
4. आउटसोर्सिंग नीति – गैर–आईटी गतिविधियाँ
5. उधारकर्ताओं की विदेशी मुद्रा जोखिमों के बचाव पर नीति।

सभी नीतियों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

ऋण जोखिम:

- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड और आरएमसी द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- बैंक ने सुपरिभाषित 'ऋण नीति' अपनायी है, जिसे बोर्ड ने विधिवत् अनुमोदित किया है और इसमें क्रेडिट प्रस्ताव, वित्तीय प्रसंविदाएं, रेटिंग मानक और बेंचमार्क, ऋण स्वीकृति शक्तियों का प्रत्यक'योजन, बड़े क्रेडिट एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमा, परिसंपत्ति संकेंद्रीकरण, ऋण संपार्श्विक के लिए मानक, संवर्ग प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम संकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन, ऋण का मूल्य निर्धारण, प्रावधान, नियामक / अनुपालन आदि की प्रस्तुति के लिए मानकों को निर्धारित किया है।
- बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम रेटिंग नीति, ऋण वसूली और एनपीए प्रबंधन नीति भी है।
- एक्सपोजर की विभिन्न श्रेणियों के लिए बैंक ने व्यापक जोखिम रेटिंग प्रणाली अपनायी है। बैंक ने 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी जोखिमों के लिए आंतरिक रेटिंग प्रदान करने के लिए रेटिंग कक्ष की स्थापना की है। रेटिंग कक्ष शाखा / आंचलिक कार्यालय / सर्कल कार्यालय द्वारा दी गई आंतरिक रेटिंग को बताता है और अंतिम रेटिंग प्रदान करता है।
- रेटिंग सेल व्यापक रेटिंग कवरेज, रेटिंग प्रक्रिया की अखंडता और उचित डेटा रखरखाव सुनिश्चित करता है।
- बैंक क्रिसिल से उद्योग रिपोर्ट और क्रिसिल अनुसंधान से उद्योग जोखिम स्कोर सेवा का उपयोग करता है।
- ऋण जोखिम कक्ष मासिक आधार पर एमसीएलआर आंकता है।

Presence in Minority-Dominated Districts: At the end of 31.03.2019 we are having 335 branches in Minority dominated Districts. Of the Bank's total network across the country, the percentage of Branches in minority dominated Districts stood at 11.60 % as on 31.03.2019.

Andhra Bank Rural Development Trust: Andhra Bank Rural Development Trust is running 14 Rural Self Employment Training Institutes in A.P (9), Telangana (2), Odisha (2), & Kerala (1) states and imparting need based training for capacity building/entrepreneurial development and dissemination of knowledge to farmers, SHG women, Rural unemployed youth and artisans.Since inception, 181327 candidates have been trained through 6298 programs by the Institutes and around 79.01% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. 50.34% of settled candidates are credit linked by the Bank branches. During the year FY 2018-19, the institutes imparted training to 9927 candidates through 387 programs. All 12 RSETIs under RSETI scheme of MoRD awarded with highest rating "AA / A" by Ministry of Rural Development, Govt. of India for the year 2017-18. NIRED Rajam (Srikakulam District, Andhra Pradesh State), one of the RSETIs sponsored by Andhra Bank received "Seva Award" from Shri E.S.L Narasimhan, Hon'ble Governor of Andhra Pradesh and Telangana during Annual General Body Meeting of Indian Red Cross Society – Telangana State Branch.

QUALITATIVE ASPECTS :

Risk Management : The Bank had a comprehensive "Integrated Risk Management Policy" for the management of Credit risk, Market risk and Operational risk as per the guidance notes/guidelines issued by the Reserve Bank of India. The Department is preparing and reviewing the following policies on annual basis.

- I. Credit Risk Rating Policy
- ii. Model Risk Policy
- iii. Credit Risk Data Management Policy
- iv. Credit Risk Management Policy
- v. Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy
- vi. Risk Based Pricing and Performance Management Policy.
- vii. Operational Risk Management Policy
- viii. Market Risk Management Policy
- ix. Asset Liability Management Policy
- x. Integrated Risk Management Policy
- xi. Integrated Investments & Forex Policy

Apart from the above, the following policies are also framed by the department :

1. Stress Testing Policy
2. ICAAP Policy
3. Disclosure Policy
4. Outsourcing policy – Non-IT activities
5. Policy on hedging of foreign currency exposures of the borrowers.

All the policies shall be reviewed annually.

Credit Risk :

- Credit Risk Management Committee is responsible for implementation of the Credit policies approved by the Board and RMC.
- The Bank has a well-defined 'Loan Policy' duly approved by the Board prescribing standards for presentation of credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance, etc.
- Bank also is having in place the Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy, Credit Risk Rating Policy, Loan Recovery and NPA Management Policy.
- The Bank has in place comprehensive risk rating system for various categories of exposures. Bank has established a Rating cell for assigning internal ratings for all exposures of Rs 5 Crore and above. The Rating cell vets the internal rating given by the branch / Zonal office / Circle Office and assigns final rating.
- The Rating cell ensures comprehensive rating coverage, integrity of rating process and proper data maintenance.
- The Bank utilizes industry reports from CRISIL and the industry risk score service from CRISIL Research.
- Credit risk Cell is computing MCLR on monthly basis.

बाजार जोखिम: बाजार जोखिम बाजार की निर्धारित दरों और कीमतों के प्रतिकूल संचलानों से होने वाले नुकसान की संभावना को दर्शाता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बैंक की कमाई और इक्विटी का इस तरह के नुकसानों से बचाव और वित्तीय साधनों जैसे कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा अनुबंध, इक्विटी और व्युत्पन्न उपकरण, साथ ही तुलन पत्र या संरचनात्मक स्थिति में निहित अस्थिरता से बैंक को अत्यधिक जोखिम से बचाना है। बैंक ने सुपरिभाषित 'बाजार जोखिम प्रबंधन नीति' और बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए संगठनात्मक संरचना अपनायी है। बैंक 'आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) पॉलिसी और 'निवेश/ विदेशी मुद्रा नीति' के माध्यम से बाजार के जोखिम का प्रबंधन करता है ।

एक उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति अर्थात आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) बैंक में एएलएम की देखरेख करती है और बाजार में चलनिधि और ब्याज दर परिदृश्य पर विचार–विमर्श करती है और विभिन्न उत्पादों के मूल्य निर्धारण का निर्णय लेती है। एएलसीओ नियमित रूप से चलनिधि, ब्याज दरों, इक्विटी और विदेशी मुद्रा क्षेत्रों में बाजार जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और शमन की निगरानी करता है ।

अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर परिपक्वता बेमेल के लिए 'चलनिधि जोखिम' को 'गैप विश्लेषण' द्वारा मापा और प्रबंधित किया जाता है। संपत्ति और देनदारियों के लिए, जो गैर–परिपक्वता प्रकृति के हैं, बैंक व्यवहार संबंधी अध्ययन कर रहा है और अंतर विश्लेषण में प्रेक्षण का फैक्ट रिंग कर रहा है। व्यवहार अध्ययन निष्कर्षों को वापस परीक्षण के अधीन किया जाता है और नियमित रूप से मान्य किया जाता है। शुद्ध अंतराल के लिए और एक वर्ष तक संचयी अंतराल के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं तय की जाती हैं और इन सीमाओं को नियमित रूप से मापा और मॉनिटर किया जाता है। बैंक की चलनिधि प्रोफ़ाइल भी विभिन्न चलनिधि अनुपातों के माध्यम से नियमित रूप से मापी जाती है और उस पर आधारित आंतरिक सीमा की मदद से निगरानी की जाती है।

'परिपक्वता अंतराल विश्लेषण' और 'अवधि अंतराल विश्लेषण' के माध्यम से 'ब्याज दर जोखिम' की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। ब्याज दरों में प्रतिकूल बदलाव के कारण नेट इंटरेस्ट इनकम (एनआईआई) पर प्रभाव के लिए सहिष्णुता सीमाएं तय की गई हैं। बैंक की इक्विटी पर ब्याज दर में बदलाव के प्रभाव को मापने के लिए, अवधि अंतराल विश्लेषण किया जाता है और इक्विटी की संशोधित अवधि के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की जाती है। इक्विटी की संशोधित अवधि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर है। वीएआर और अवधि विश्लेषण का उपयोग राजकोष संचालन सहित बाजार के जोखिम को मापने के लिए किया जाता है। बैंकिंग बुक (आईआरआरबी) में ब्याज दर जोखिम का भी मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है ।

बाजार से जुड़े अन्य जोखिम जिनमें बैंक को एक्सापोज़र होता है, वे है विदेशी मुद्रा स्थिति पर विदेशी मुद्रा जोखिम, चलनिधि या फंडिंग जोखिम और ट्रेडिंग संवर्ग पर मूल्य जोखिम। बैंक ने स्पष्ट रूप से अपनी राजकोषीय कार्यों को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए नीतियों को स्पष्ट किया है। इन नीतियों में प्रबंधन प्रथाओं, प्रक्रियाओं, विवेकपूर्ण जोखिम सीमा, समीक्षा तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल हैं। इन नीतियों को नियमित अंतराल पर वित्तीय और बाजार की स्थितियों में बदलाव के अनुरूप नियमित रूप से संशोधित किया जाता है।

परिचालनिक जोखिम: परिचालनिक जोखिम का प्रबंधन 'एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति' का एक हिस्सा है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के दृष्टिगत बैंक का परिचालनिक जोखिम के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित है। परिचालनिक जोखिम प्रबंधन कक्ष बैंक के सभी परिचालन जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है और इनमें जोखिम प्रोफ़ाइल की समझ का निर्माण, परिचालन जोखिम प्रबंधन से संबंधित उपकरण को लागू करना और बेहतर नियंत्रण और कम जोखिम के लक्ष्यों की दिशा में काम करना शामिल है। परिचालनिक जोखिम प्रबंधन कमेटी ओआरएमसी परिचालनिक जोखिम नीतियों के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करता है और बोर्ड / जोखिम प्रबंधन कमेटी आरएमसी को रिपोर्ट करता है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण ' (बीआईए) को अपनाते हुए परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना कर रहा है ।

भारित आस्तियों के प्रति पूँजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण : भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क' के तहत भारत के सभी वाणिज्यिक बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और संचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का पालन करेंगे।

ऋण जोखिम: वर्तमान में बैंक ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं के आकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है जिसमें निवेश के एचटीएम संवर्ग भी शामिल हैं। ऋण जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों पर आगे बढ़ने के लिए बैंक खुद को तैयार कर रहा है। इस संबंध में, बैंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे के परामर्श सहायता के साथ एक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल (सीआरआरएम) विकसित किया है। इस मॉडल को आंतरिक रूप से मजबूत बनाकर इसे डब्यूमॉड एएन (वाइड एरिया नेटवर्क) आधारित सीआरआरएम मॉडल बनाया गया है ताकि यह बैंक के किसी भी स्थान से एक्से(से हो सके। यह मॉडल ट्रांज़िशन मैट्रिसेस एंड डिफ़ॉल्ट पासिबिलिटीस (चूक की संभावना) प्रदान करने में सक्षम है और भविष्य में बैंक को उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने में मदद करेगा ।

बाजार जोखिम: बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार जोखिम (एचएफटी और एएफएस श्रेणियों में निवेश) हेतु कैपिटल चार्ज के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग कर रहा है।

परिचालनिक जोखिम: बैंक मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (बीआईए) के अनुसार परिचालनिक जोखिम के लिए पूंजी प्रदान कर रहा है।

उन्नत दृष्टिकोण पर आगे बढ़ने की तैयारी: बैंक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के कार्यान्वयन के माध्यम से उन्नत दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है।

बेसल आवश्यकताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के लिए बैंक का अनुपालन:

पिलर – I (न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं): भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने बेसल III दिशानिर्देशों में निम्नलिखित बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकताओं के बारे में बताया है और इन आवश्यकताओं को 31 मार्च, 2020 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अंतरणकालीन व्यवस्था भी निर्धारित की है ।

Market Risk: Market risk implies possibility of loss arising out of adverse movements of market determined rates and prices. The objective of market risk management is to avoid excessive exposure of Bank's earnings and equity to such losses and to reduce Bank's exposure to the volatility inherent in financial instruments such as securities, foreign exchange contracts, equity and derivative instruments, as well as balance sheet or structural positions. The Bank has in place a well-defined 'Market Risk Management Policy' and an organizational structure for market risk management functions. The Bank manages market risk through 'Asset-Liability Management (ALM) policy and 'Investments/Forex policy'.

A high level Executive Committee viz. Asset-liability Committee (ALCO) oversees the ALM in the Bank and deliberates on liquidity and interest rate scenario in the market and decides upon the pricing of various products. ALCO regularly monitors the identification, measurement, monitoring and mitigation of market risk in liquidity, interest rates, equity and forex areas.

The 'liquidity risk' is measured and managed through 'gap analysis' for maturity mismatches based on residual maturity. For assets and liabilities, which are of non-maturity nature, Bank is conducting behavioural studies and factoring the observations in the gap analysis. The behavioural study findings are subjected to back-testing and are validated regularly. Prudential limits are fixed for net gaps and also for cumulative gap up to one year and these limits are measured and monitored regularly. Liquidity profile of the Bank is also measured regularly through various liquidity ratios and monitoring of the same is done with the help of internal limits fixed thereon.

The 'interest rate risk' is monitored on a regular basis through 'Maturity gap analysis' and 'Duration gap analysis'. Tolerance limits have been fixed for impact on Net Interest Income (NII) due to adverse changes in interest rates. To measure the impact of interest rate changes on Bank's equity, duration gap analysis is done and prudential limit is set for modified duration of equity. Modified duration of equity is within the prudential limits set for this purpose. VaR and duration analysis are used for measuring market risk including treasury operations. The Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is also being assessed on a monthly basis.

Other market related risks to which any bank is exposed are foreign exchange risk on foreign currency positions, liquidity or funding risk and price risk on trading portfolios. The Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are revised regularly at fixed intervals in line with the changes in financial and market conditions.

Operational Risk: Management of Operational Risk is a part of the 'Integrated Risk Management Policy' and the Bank has a focused attention for management of the Operational Risk, in the light of the Reserve Bank of India guidelines. Operational Risk Management Cell is responsible for coordinating all the operational risk management activities of the bank and these include building an understanding of the risk profile, implementing tools related to operational risk management and working towards the goals of improved controls and lower risk. Operational Risk Management Committee [ORMC] ensures implementation and compliance of the Operational Risk policies and reports to the Board/Risk Management Committee [RMC]. The Bank has been computing capital charge for Operational risk by adopting 'Basic Indicator Approach' (BIA) as stipulated by the RBI.

Approaches followed for computation of Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR): As per RBI guidelines, all Commercial banks in India shall follow the Standardised Approach for Credit risk, Standardized Duration Approach for Market risk and Basic Indicator Approach for Operational risk under the 'New Capital Adequacy Framework".

Credit Risk: Bank at present is following the Standardized Approach for estimation of capital requirements for Credit Risk which also includes the HTM portfolio of Investments. Bank is gearing itself to move over to Advanced approaches for Credit risk. In this regard, Bank has developed a Credit Risk Rating Model (CRRM) with the consultancy assistance of National Institute of Bank Management (NIBM), Pune. This model is further strengthened internally by making it a WAN (Wide Area Network) based CRRM model so that it is accessible from any of the locations of the bank. This model is capable of providing transition matrices and default probabilities (Probability of default) and would help the Bank in moving over to the Advanced Approaches in future.

Market Risk : Bank is using the Standardized Duration method for computing capital charge for Market risk (investments in HFT and AFS categories) as per RBI guidelines.

Operational Risk : Bank is providing capital for Operational risk as per the Basic Indicator Approach (BIA).

Preparation for moving over to Advanced Approaches : Bank is in the process of migrating to Advanced Approaches through implementation of an Integrated Risk Management Solution.

Bank's compliance to RBI guidelines on Basel requirements:

Pillar – I (Minimum Capital requirements): RBI has introduced in its Basel III guidelines the following enhanced capital requirements and has also prescribed transitional arrangements to conform to these requirements in a phased manner by March 31, 2020.

	विनियामक पूंजी	आरडब्ल्यूए के % के रूप में
(i)	न्यू्नतम सामान्यू ईक्विटी टीयर1 अनुपात	5.5
(ii)	पूंजी संरक्षण बफर (सामान्यक ईक्विटी से बना)	2.5
(iii)	न्यू्नतम सामान्यअ ईक्विटी टीयर 1 अनुपात और पूंजी संरक्षण बफर का जोड़ (i) + (ii)	8.0
(iv)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	1.5
(v)	न्यूभनतम टीयर 1 पूंजी अनुपात (i) + (ii)	7.0
(vi)	टीयर 2 पूंजी	2.0
(vii)	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात (एमटीसी) (i) + (ii)	9.0
(viii)	न्यूभनतम कुल पूंजी अनुपात और पूंजी संरक्षण बफर (vii) + (ii)	11.5

बैंक बेसल II और बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी की पर्याप्तता की गणना कर रहा है। वर्तमान में बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेसल III के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतरणकालीन व्यवस्था के अनुरूप है। तथापि, बढ़ती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक को अपने पूंजी कोषों को, विशेष रूप से भविष्य में आम इक्विटी में वृद्धि करके, पूरक करना पड़ सकता है।

स्तंभ – II (पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया): बेसल III ढांचे के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पिलर– IIदिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने विभिन्न जोखिमों, जिसमें बैंक को एक्स पोशर है, के संबंध में आंतरिक पूंजी का आकलन करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) की नीति तैयार की है । असाधारण परंतु संभाव्यि परिस्थितियों में प्रभावी रूप से काम करने के लिए बैंक की वित्तीय और प्रबंधन क्षमता का आकलन करने के लिए तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। बैंक क्षेत्रवार, भौगोलिक और उधारकर्ता वार संकेंद्रीकरण के आधार पर संवर्ग स्तर के जोखिमों का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर संकेंद्रीकरण जोखिम का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक क्रेडिट संकेंद्रीकरण जोखिम का निर्धारण करने के लिए हरफिंडाल– हर्षमैन सूचकांक (एचएचआई), गिनी गुणांक और रोसेनब्लुरथ सूचकांक जैसे सांख्यिकीय मापदंडों का उपयोग कर रहा है। बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति अपनायी है जिसमें विभिन्न तकनीकों का वर्णन किया गया है ताकि इसकी संभावित भेद्यता का पता लगाया जा सके और इस तरह की भेद्यता को बनाए रखने की इसकी क्षमता भी हो ।

स्तंभ – III (बाज़ार अनुशासन): बेसल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र में निहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार बैंक की प्रकटीकरण नीति विद्यमान है। इसमें दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है और अनुपालन सक्षम अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाता है। बेसल खखख के स्तंभ-III (बाजार अनुशासन), का उद्देश्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं के एक समूह को विकसित कर बाजार सहभागियों को अनुप्रयोग, पूंजी, जोखिम एक्स पोशर, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं और इस प्रकार बैंक की पूंजी पर्याप्तता के दायरे पर जानकारी के प्रमुख मदों को एक्सेस उपलब्ध कराते हुए है बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित करता है । पिलर– III प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर प्रकाशित होते हैं, साथ ही हर साल मार्च के अंत में एक वर्ष की समाप्ति पर प्रकटीकरण किया जाता है। पिलर– III वर्षांत प्रकटीकरण बैंक के वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रकाशित होने के अलावा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उत्तोलन और चलनिधि मानकों के कई अन्य उपाय प्रारंभ किए हैं।

- बैंक की तुलन पत्र के अत्यधिक लाभ उठाने पर अंकुश लगाने के लिए 4.5% का न्यूनतम उत्तोलन अनुपात; तथा
- दो अनुपातों के माध्यम से चलनिधि मानक यथा चलनिधि व्युप्ति अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)।

एलसीआर के अनुसार बैंक को 30 दिनों में अपने कुल तनवाग्रस्तल निवल नकदी बहिर्गम की व्याभप्ति के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि रखने की आवश्यकता है। एनएसएफआर के अनुसार बैंक को विस्तारित तनाव के एक वर्ष की अवधि में स्थिर धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि रखने की आवश्यकता है। बैंक नियमित रूप से एलसीआर और एनएसएफआर के लिए जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के संदर्भ के रूप में चलनिधि अनुपात की गणना और निगरानी कर रहा है। बैंक तिमाही आधार पर उत्तोलन अनुपात की गणना और निगरानी भी कर रहा है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन: 31.03.2019 को बैंक का सकल एनपीए रु.28973.97 करोड़ रहा। सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए 16.21% रहा जबकि निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए 5.73% रहा। 31.03.2019 को एनपीए का प्रावधान व्याप्ति 68.62% रहा । एनपीए खातों में कुल कमी रु. 4425 करोड़ रहा।

अनर्जक आस्तियों की स्थिति **(रु करोड़ में)**

	2017-18	2018-19
वर्ष की शुरुआत में सकल एनपीए	17669.98	28124.36
वर्ष के दौरान परिवर्धन	13864.23	5274.94
वर्ष के दौरान कमी	3409.85	4425.33
वर्ष के अंत में सकल एनपीए	28124.36	28973.97
निवल एन.पी.ए.	12636.87	9091.40

	Regulatory Capital	As % to RWAs
(i)	Minimum Common Equity Tier 1 ratio	5.5
(ii)	Capital conservation buffer (comprised of Common Equity)	2.5
(iii)	Minimum Common Equity Tier 1 ratio plus capital conservation buffer [(i)+(ii)]	8.0
(iv)	Additional Tier 1 Capital	1.5
(V)	Minimum Tier 1 capital ratio [(I)+ (iv)]	7.0
(vi)	Tier 2 capital	2.0
(vii)	Minimum Total Capital Ratio (MTC) [(v) [(v)+(vi)]	9.0
(viii)	Minimum Total Capital Ratio plus capital conservation buffer [{vii)+(ii)]	11.5

The Bank is calculating its Capital Adequacy in accordance with Basel II & Basel III guidelines. The Bank's Capital Adequacy at present is in conformity with the transitional arrangements for Basel III as prescribed by RBI. However, to meet the growing business requirements, the Bank may have to supplement its Capital funds, especially by increasing Common equity in future.

Pillar – II (Supervisory Review & Evaluation Process) : In compliance with the Pillar–II guidelines of the RBI under Basel III framework, the Bank has formulated a Policy of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess internal capital in relation to various risks that it is exposed to. Stress Testing and scenario analysis are used to assess the financial and management capability of the Bank to continue to operate effectively under exceptional but plausible conditions. The bank is calculating the Concentration risk on a quarterly basis to assess the portfolio level risks based on sectoral, geographical and borrower wise concentration. Bank is using statistical parameters like Herfindahl-Hirshman Index (HHI), Gini Coefficient, and Rosenbluth Index for determining the Credit Concentration Risk. The Bank has a Board approved Stress Testing Policy describing the various techniques used to gauge its potential vulnerability and also its capacity to sustain such vulnerability.

Pillar – III (Market Discipline): The Bank has a Disclosure Policy as per the disclosure requirements contained in the circular issued by the Reserve Bank of India on the implementation of the Basel III Capital Regulations. The guidelines therein are adhered to and compliance is reported to the Competent Authorities. Pillar-III (Market discipline) of Basel III, aims to encourage Market discipline by developing a set of disclosure requirements which allows market participants to assess key pieces of information on the scope of application, capital, risk exposures, risk assessment processes and hence, the capital adequacy of the Bank. The Pillar–III Disclosures are published on a quarterly and half yearly basis on the Bank's website plus a year-end disclosure as on March of every year. The Pillar-III year-end disclosures are also published in the Bank's Annual Report apart from being available on the Bank's website.

In addition to the above, RBI has introduced several other measures of leverage and liquidity standards viz.

- A minimum Leverage Ratio of 4.5% to curb the excessive leverage of a bank's balance sheet; and
- Liquidity standards by way of two ratios viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).

The LCR requires a bank to hold sufficient high-quality liquid assets to cover its total stressed net cash outflows over 30 days. The NSFR requires a bank to hold sufficient amount of stable funds to meet the requirement of stable funding over a one-year period of extended stress. The Bank is regularly calculating and monitoring the Liquidity ratios taking as reference the RBI guidelines issued for LCR and NSFR. The Bank is also calculating and monitoring the Leverage ratio on a quarterly basis.

Management of Asset Quality : Gross NPAs of the Bank stood at Rs. 28973.97 Cr as on 31.03.2019. Gross NPAs as a percentage to Gross Advances stood at 16.21% while Net NPAs as a percentage to Net Advances stood at 5.73%. The Provision Coverage of NPAs as on 31.03.2019 was 68.62%. Total reduction in NPA accounts amounted to Rs. 4425 Crore.

Position of Non-Performing Assets **(Rs. in Crore)**

	2017 - 18	2018 - 19
Gross NPAs at the beginning of the year	17669.98	28124.36
Additions during the year	13864.23	5274.94
Reduction during the year	3409.85	4425.33
Gross NPAs at the end the year	28124.36	28973.97
Net NPAs	12636.87	9091.40

31.03.2019 को एनपीए का खंड-वार वितरण निम्नानुसार है:

खंड-वार अनर्जक आस्तियां (रु करोड़ में)

खंड	राशि	अग्रिम को एनपीए % *
ख. कृषि	1718.52	4.65%
खख. एमएसएमई	4890.93	14.88%
खखख. खुदरा ऋण	903.57	2.20%
खत. बड़े और मध्य कॉर्पोरेट	21460.95	31.62%
कुल	**28973.97**	**16.21%**

* अग्रिमों को एनपीए उस खंड के अग्रिमों का % एनपीए इंगित करता है।

एनपीए के विभिन्न वर्गों के तहत किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं: (13 करोड़ रुपये के अस्थायी प्रावधान को छोड़कर।)

(रु.करोड़ में)

आस्ति की प्रकृति	बकाया	किया गया प्रावधान
अवमानक आस्तियां	4015.89	685.59
संदिग्ध आस्तियां	22339.28	16530.38
हानि आस्तियां	2618.80	2618.80
कुल	**28973.97**	**19835.22**

पुन: संरचना तंत्र: वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, रु.250.22 करोड़ बकाया राशि वाले 4 खातों को पुन: संरचना पैकेज के संदर्भ में पुन: संरचित किया गया। मार्च 2019 के अंत तक पुन: संरचित खातों 16 खातों में कुल शेष रु 731.31 करोड़ रहा ।

उधार देने की प्रथाएँ: बैंक ने बोर्ड की स्वीकृति के साथ सुपरिभाषित ऋण नीति दिशानिर्देश तैयार किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक नीति विवरण, बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में परिकल्पित ऋण विकास, त्वरित विकास के लिए परिकल्पित नए उत्पादों का विपणन और विकास, फील्ड स्तर के अधिकारियों और प्रधान कार्यालय के ऋण विभागों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाती है।

ऋण प्रस्तावों के प्रतिबंधों का उपयोग करने के लिए प्रधान कार्यालय, सर्कल कार्यालय और आंचलिक कार्यालय स्तर पर बैंक में ऋण समितियों का गठन किया गया है और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के संदर्भ में उपयुक्त समितियों को उचित मंजूरी शक्तियां प्रत्या योजत की गई है। इसके अलावा, क्षेत्र स्तर के अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन में बदलाव के समय को कम करने के लिए विभिन्न अनुमोदन अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की जाती है और संशोधित किया जाता है। अगली उच्च समितियों / सक्षम अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों द्वारा की गई मंजूरी की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक में ऋण समीक्षा तंत्र को और मजबूत किया गया है।

तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) कक्ष : बैंक में तकनीकी आर्थिक व्यकवहार्यता (टीईवी) कक्ष है, जो ऋण प्रसंस्किरण और मंजूरी विभागों से स्वतंत्र है। कक्ष ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए तकनीकी आर्थिक व्यपवहार्यता (टीईवी) अध्ययरयन और उधार व्यवस्था (ऋण समूहन) आयोजित करते हुए परियोजना सूचना ज्ञापन(पीआईएम) की तैयारी की है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कक्ष ने रु.52.24 लाख का शुल्क आधारित आय अर्जित की है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली: बैंक ने एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है जो जोखिम प्रबंधन और योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक डेटा को कैप्चर करती है और निर्णय लेने में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है। इससे त्वरित निर्णय लेने में सुविधा हुई है। बैंक उपलब्ध सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए दैनिक आधार पर भी प्रमुख मापदंडों में प्रदर्शन का विश्लेषण करने की स्थिति में है। बैंक के सीबीएस मंच का लाभ उठाते हुए, एमआईएस ने त्वरित निर्णय लेने और इसके कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की है।

निरीक्षण और लेखा परीक्षा : लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान, विभाग ने लेखा परीक्षा योजना में निधारित लक्ष्यों को हासिल और संपन्न किया है:

- वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए 2569 के निर्धारित लक्ष्य के प्रति आर बी आई ए के तहत 2746 शाखाओं की लेखा परीक्षा पूरी की गई ।
- वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए 149 प्रबंधन लेखा परीक्षा आयोजित किए गए
- 730 में राजस्व रिसाव लेखा परीक्षा की सीमित समीक्षा
- 181 शाखाओं के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा किए गए
- निरीक्षण रिपोर्ट (ज़ेडएलएसी और एलएलएसी) को बंद करने के लिए समिति का दृष्टिकोण प्रारंभ किया गया
- पिछले वर्ष के 69.70 की तुलना में निरीक्षण रिपोर्ट को बंद करने में औसत मानव दिनों में सुधार और अब यह 68 हुआ है।
- वित्त वर्ष 2019 के दौरान 43 आईएस लेखा परीक्षा आयोजित किए गए, जिनमें आईटी इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर लेखा परीक्षा और आउटसोर्सिंग गतिविधियों की लेखा परीक्षा शामिल है।

श्री बसंत सेठ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गठित **ऑफ साइट मॉनिटरिंग कक्ष (ओएसएम कक्ष)** पिछले दिन शाखाओं में हुए उच्च मूल्य / महत्वपूर्ण लेनदेन की रिपोर्ट तैयार करता है, उनकी जांच करता है और जहां कहीं भी कमियां होती हैं, वहां सुधार कार्य करने के लिए नियंत्रण कार्यालयों / शाखाओं को संवेदनशील बनाता है। निधारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करने पर ध्यान दिया जाता है। अलर्ट भेजने के अलावा, ओएसएम कक्ष विभिन्न मापदंडों के आधार पर लेनदेन की समीक्षा करता है और शाखाओं से उन सूचनाओं / स्पष्टीकरणों की तलाश करता है जो उन्हें महत्वपूर्ण या संदिग्ध लगते हैं। लेनदेन की बेहतर निगरानी के लिए 91 वस्तुओं के लिए ओएसएम अलर्ट लागू किया गया है।

The segment-wise distribution of NPAs as on 31.03.2019 is as under:

Segment-wise Non-Performing Assets (Rs. in Crore)

Segment	Amount	NPA % to ADV*
I. Agriculture	1718.52	4.65%
II. MSME	4890.93	14.88%
III. Retail Credit	903.57	2.20%
IV. Large & Mid Corporate	21460.95	31.62%
Total	28973.97	16.21%

*NPA% to Advances indicates NPA to Advances of that segment.

Provisions held under different classes of NPAs are as under: (Excluding floating Provisions of Rs. 13 Cr.)

(Rs. in Crore)

Nature of Asset	Outstanding	Provision Held
Sub - Standard Assets	4015.89	685.59
Doubtful Assets	22339.28	16530.38
Loss Assets	2618.80	2618.80
Total	**28973.97**	**19835.22**

Restructuring mechanism: During FY 2018-19, 4 accounts with outstanding amount of Rs.250.22 Cr were restructured in terms of the restructuring packages. The total balances in restructured accounts as at the end of March 2019 stood at Rs.731.31 Crore in 16 accounts.

Lending Practices: The Bank had framed well defined Loan Policy Guidelines with the approval of the Board. These guidelines are reviewed by the Board at periodical intervals based on Reserve Bank of India guidelines, Bi-monthly Policy Statement of Reserve Bank of India, competitive environment prevailing among the banks, for accelerated credit growth envisaged in certain business segments, marketing & development of new products and taking into account the feedback received from the field level functionaries, credit departments at Head Office.

Credit Committees have been constituted in the Bank at Head Office, Circle Office and Zonal Office levels for exercising sanctions of credit proposals and suitable sanctioning powers have been delegated to these committees in terms of directions of Ministry of Finance. Further, based on feedback received from field level functionaries, the delegated powers of various sanctioning authorities are reviewed and revised to reduce turnaround time in the sanction of credit proposals. The loan review mechanism is further strengthened in the Bank ensuring review of sanctions made by all functionaries by the next higher committees / competent authorities as the case may be.

Techno Economic Viability (TEV) Cell : The Bank has a Techno Economic Viability (TEV) Cell which is independent of the credit processing & sanctioning Departments. The Cell undertakes preparation of project Information Memorandum (PIM), conducting Techno Economic Viability (TEV) study and Debt arrangement (loan Syndication) for corporate clients. The cell has earned a fee based income of Rs.52.24 lakhs during the FY 2018-19.

Management Information System: Bank has developed a robust Management Information System which captures data essential for vital functions such as risk management and planning and which serves as an effective tool for the Top Management in decision making. This has facilitated quick decision making. The Bank is in a position to analyse performance in major parameters even on a day to day basis using the information system available. Leveraging on the CBS platform of the Bank, the MIS has facilitated speedy decision making and its implementation.

Inspection & Audit: During the audit year 2018-19, department has met the targets prescribed in audit plan and completed:

- 2746 branch audits were completed under RBIA against set target of 2569 for FY 2018-2019.
- 149 Management audits conducted for FY 2018-2019
- 730 Limited Review of Revenue leakage audit conducted
- Compliance audits were conducted for 181 branches
- Committee approach introduced for closure of inspection reports (ZLAC and HLAC)
- Average man days in closure of inspection reports improved to 68 against 69.70 of previous year.
- 43, IS Audits were conducted during FY 2019, covering IT installations, software audits and audit of outsourcing activities.

Off Site Monitoring Cell (OSM Cell) formed based on the report submitted by Shri Basanth Seth generates the reports of high value/critical transactions happened at branches on previous day, scrutinize them and sensitize the controlling offices/Branches for taking corrective action wherever deficiencies are noticed in following the laid down systems and procedures. Besides sending the alerts, OSM cell reviews

अनुपालन नीति: बैंक में एक व्यापक अनुपालन नीति है। उप महाप्रबंधक के पद पर बैंक के एक कार्यकारी को 'मुख्य अनुपालन अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों और शाखाओं में विभिन्न विभागों के अनुपालन अधिकारियों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना रखी गई है। वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन बैंक में अनुपालन संचालन का दायरा है। बैंक में अनुपालन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली रखी गयी है।

विधि

- **सरफेसी अधिनियम:** वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, 366 प्रतिभूति संपत्ति बेची गई और सरफेसी कार्यवाही के तहत सुरक्षित संपत्तियों को बेचकर रु. 205.57 करोड़ वसूला गया। सरफेसी कार्यवाही के तहत वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बैंक द्वारा कुल नकद वसूली रु. 503.64 करोड़ रहा।
- लोक अदालत: वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 400 खातों में रु .71.67 लाख की राशि की वसूली की गई ।
- आरटीआई अधिनियम: वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत 1429 अनुरोध और 227 अपील प्राप्त हुई। सभी अनुरोध और अपील का समय पर निपटारा किया गया।

ग्राहक सेवा: बैंक को विभिन्न चैनलों के माध्यम से 1,01,883 शिकायतें मिलीं यथा., सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पोर्टल), बैंकिंग लोकपाल और विभाग जैसे नेफ्ट कक्ष, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, सीपीपीसी, खुदरा ऋण, एमएसएमई, एमबीडी, प्राथमिकता क्षेत्र, एटीएम कक्ष, विपणन और मानव संसाधन (आउटसोर्स शिकायतें) और एसएमएस अपसेट सिस्टम। वर्ष 2018–19 के दौरान 1,01,809 (99.92%) शिकायतों का समाधान किया गया। वर्ष 2018–19 से संबंधित सभी लंबित शिकायतों का आज तक समाधान कर दिया गया है।

- वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की शून्यय लंबित स्थिति के लिए बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक की सराहना की गई ।
- बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सुरक्षा–सीमित देयता पर नीति लागू की ।
- लोक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों को 21 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अनुसार 6 दिनों की औसत समय अवधि में हल किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

श्रम शक्ति आयोजना: मौजूदा श्रम शक्ति को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 523 सामान्य अधिकारियों और 595 क्लर्कों को भर्ती किया गया है।

नई भर्तियों का आगमन : संशोधित 'पीओ–ऑन बोर्डिंग सिस्टम' के माध्यम से, नए भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमारे एपेक्स कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इन परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विधिवत रूप से कौशल पहचान की बारीकी से निगरानी करके सक्षमता पहचान की जाती है।

कैरियर प्रगति: बैंक ने 2019–20 के लिए सभी संवर्गों में 1033 पदोन्नति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर करियर की प्रगति सुनिश्चित की। संपूर्ण पदोन्नति कार्य समय पर प्रारंभ की गई और प्रगति पर है।

कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण : उत्पाद जागरूकता मृदु कौशल विकास, ऋण मूल्यांकन, ऋण मॉनिटरिंग / फॉलो अप, वसूली, जोखिम प्रबंधन, फॉरेक्स आईटी, आदि, प्रमुख क्षेत्रों में पर कर्मचारियों की मुख्य क्षमताओं और दक्षताओं को बेहतर बनाने और कौशल अंतराल को पाटने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 10485 कर्मचारियों को इन–हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अधिकारियों के ज्ञान और उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से, हमारे एपेक्स कॉलेज हैदराबाद और एसटीसी विशाखापट्नम में आयोजित नियमित प्रशिक्षणों के अलावा, एनआईबीएम, आरबीआई–सीएबी, आईडीबीआरडीटी और एफईडीएआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित बाहरी प्रशिक्षणों के लिए 316 अधिकारियों को नामित किया गया है। इसके अलावा, 8 अधिकारियों को विदेश में आयोजित बाहरी कार्यक्रमों में भी भेजा गया ।

ई–लर्निंग: सीखने की सुविधा की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और सभी स्टाफ सदस्यों के बीच सीखने की संस्कृति विकसित करने के लिए, बैंक ने अपने व्युवसायिक ज्ञान को अपडेट करने के लिए 'लर्निंग पोर्टल' विकसित किया है । इस पोर्टल में लगभग 200 ई–पाठ अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों के कौशल के क्रमिक उन्नयन के लिए विभिन्न विषयों पर समय–समय पर ऑन–लाइन परीक्षण किए जा रहे हैं।

औद्योगिक संबंध : बैंक में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए और काम की परिस्थितियों के साथ–साथ ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए मुद्दों को सुलझाने के लिए, मान्यता प्राप्त अधिकारियों के संघ और पंचाट कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक बैठकें आयोजित करता है।

उत्तराधिकार योजना: उत्तराधिकार आयोजना पहल के हिस्से के रूप में, बैंक ने विभिन्न ग्रेडों में एक प्रतिभा पूल बनाया है और इन अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके, आने वाले वर्षों में शीर्ष प्रमुख पदों पर कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है। क्षमता निर्माण नीति के अनुसार, यह महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रमाणीकरण के लिए अनिवार्य किया गया है, इसके अलावा अधिकारियों को अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों में भी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पीएसबी के लिए एजेंडा में सुधारों के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने ईस– संवर्धित एक्सेजस और सेवा उत्कृजष्टधता नामक विषय के तहत कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें से एक है कार्य परिवार की संकल्पाना, जिसके अंतर्गत बैंक के विभिन्नत कार्य उचित रूप से पहचाने और आवंटित किए गए हैं, जो अंततः कर्मियों में विशेषज्ञता/निपुणता का निर्माण करते हैं। सलाह के अनुसार, कार्य परिवार की अवधारणा प्रारंभ की गई और सभी अधिकारियों ने अपने विकल्पों का उपयोग किया है ताकि प्रबंधन इन अधिकारियों को प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके।

transactions based on different parameters and seek information/clarifications from branches regarding the transactions which they find critical or suspicious. OSM alerts were implemented for 91 items for better monitoring of Transactions.

Compliance Policy: The Bank has in place a comprehensive Compliance Policy. An executive of the Bank in the rank of Deputy General Manager has been appointed as the 'Chief Compliance Officer'. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various departments at Head Office, Zonal Offices and Branches. Compliance of statutory and regulatory guidelines is the scope of operation of the compliance function in the Bank. Suitable reporting system is put in place to ensure effective implementation of Compliance Policy in the bank.

Legal

- **SARFAESI Act:** During the Financial Year 2018-19, 366 secured assets were sold and an amount of Rs. 205.57 Cr was recovered by selling the secured assets under SARFAESI Proceedings. Total cash recovery effected by the bank during the FY 2018-19 under SARFAESI Proceedings is Rs. 503.64 Cr
- Lok Adalats: Recovered an amount of Rs. 71.67 lakhs in 400 accounts during the FY 2018-19.
- RTI Act: 1429 Requests and 227 Appeals were received under RTI Act during the FY 2018-19. All the Requests and Appeals were disposed off on time.

Customer Service : Bank received 1,01,883 complaints through various channels viz. Public Grievance Redressal System (Portal), Banking Ombudsman and Departments like NEFT Cell, RTGS, Credit Card, CPPC, Retail Credit, MSME, MBD, Priority Sector, ATM Cell, Marketing & HR (outsourced complaints) and SMS Upset system during the year 2018-19 and resolved 1,01,809 (99.92%) complaints. As on date all the pending complaints pertaining to the year 2018-19 have been since resolved.

- Bank received appreciation from the O/o Banking Ombudsman for NIL pendency of complaints lodged during the year.
- Bank Implemented Policy on customer protection-Limiting Liability of customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions.
- Complaints lodged through Public Grievance redressal System Portal have been resolved in an average time period of 6 days as against the prescribed time frame of 21 days.

Human Resources Management

Manpower Planning : To augment the existing manpower, 523 general officers and 595 clerks were inducted during the financial year 2018-19.

Induction of new recruits : Through revised 'PO-on boarding system', the newly recruited probationary officers are provided intensive trainings. Competency mapping is done by closely monitoring these POs duly carrying out skill mapping exercise during the training programs conducted at our Apex College.

Career Progression: Bank ensured career progression by initiating the process for 1033 promotions in all cadres for the year 2019-20. The entire promotion exercise has been initiated in time and is under progress.

Skill Up gradation & Training: With an objective to improve the core capabilities and competencies of employees on product awareness soft skills development and to bridge the skill gaps in key areas like Credit appraisal, Credit Monitoring/follow up, Recovery, Risk Management, Forex, IT., etc, various training programmes were conducted and provided in-house training to 10485 employees. With an aim to enhance the knowledge and productivity levels of the officers, 316 Officers were nominated for external trainings conducted by reputed institutes like NIBM, RBI-CAB, IDBRDT & FEDAI, in addition to the regular trainings conducted at our Apex College Hyderabad and STC Visakhapatnam. In addition, 8 Officers were also sent to external programmes conducted abroad.

E-learning : For ensuring extensive reach of learning facility and to develop a learning culture among all staff members, Bank has developed an É learning portal' for updating their professional knowledge. Around 200 e-lessons are uploaded into this portal. Besides this, periodical on line tests on different subjects are being conducted for continual up gradation of skills of employees.

Industrial Relations : With a view to maintain cordial Industrial relations in the bank and to sort out the issues to enhance the working conditions as well as customer service, Quarterly meetings were held with the representatives of the recognized Officers' Federation and the Award Employees' Union.

Succession Planning : As part of succession planning initiative, Bank has created a talent pool in various grades and these officers are groomed by providing intensive training programmes on various fronts, to occupy the top key posts in the years to come. As per the Capacity Building Policy, it has been made mandatory for certification of the staff manning key functional areas, besides encouraging Officers to acquire certifications in other functional areas also. As a part of reforms Agenda for PSBs, Government has issued certain guidelines under the theme called "EASE - Enhanced Access & Service Excellence." One of the Action Points of EASE relates to introduction of Job Family Concept, whereby the different roles in the Bank are appropriately identified and allocated, which ultimately result in building up specialisation / expertise in personnel. As advised, Job Family concept has been introduced and all the Officers have exercised their options so as to enable the Management to effectively utilise these Officers.

एचआर डिजिटाइजेशन: हमारे बैंक ने अन्य बैंकों के समान कर्मचारियों के विभिन्न ऑनलाइन संबंधित मॉड्यूल को लागू करने की पहल की है यथा अधिकारियों की आस्ति–देयता विवरण का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, छुट्टी के आवेदन प्रस्तुत करना, कर्मचारी प्रोफ़ाइल दृश्य, कार्य परिवार आदि ।

परामार्श : नए प्रवेशकों को हमारे बैंक की संस्कृति, प्रणालियों और प्रक्रियाओं आदि की पहचान कराने के उद्देश्य से तैयार की गई अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। एक पहल के रूप में, चुनिंदा स्थानों पर 75 चयनित मेंटी को तैयार करने हेतु 15 मेंटरों की पहचान की गई है।

31.03.2019 को कर्मचारियों की संख्या

वर्ग	शक्ति	कुल का %
अधिकारी	11,484	56%
क्लर्को	5825	29%
अधीनस्थ कर्मचारी *	3037	15%
कुल	**20346**	**100%**

* पार्ट टाइम स्वीपर को छोड़कर।

अ.जा/अ.ज.जा/ ओबीसी प्रोफाईल : हमारा बैंक भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अ.जा और अ.ज.जा के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वियन करता रहा है। 31 मार्च 2019 को के कुल कार्मिकों में से अ.जा और अ.ज.जा का प्रतिनिधित्व क्रमश: 4217 और 1774 रहा। कुल 11484 अधिकारियों में से 2010 अ.जा कोटि के हैं और 1018 अ.ज.जा कोटि के हैं। बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक महाप्रबंधक को अ.जा और अ.ज.जा के मुख्य1 संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया है ताकि बैंक में आरक्षण नीति पर सरकार के दिशा–निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बैंक ने अ.जा और अ.ज.जा कर्मचारियों की शिकायतें, यदि हो, के समाधान हेतु आंचलिक स्त र पर सभी आंचलिक प्रबंधकों को अ.जा और अ.ज.जा के संपर्क अधिकारियों के रुप में नामित किया है। बैंक 'आन्ध्रा बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्यापण संघ' के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक संयुक्तब बैठकों का आयोजन करता रहा है। हमारा बैंक भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार 08.09.1993 से अन्यऔ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। 31 मार्च 2019 को 21403 कुल कार्मिकों में से अन्यआ पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्वि 6051 है। बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक महाप्रबंधक को अन्यो पिछड़े वर्ग के मुख्यर संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया है ताकि बैंक में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अन्य कल्याण संबंधित कार्य देखा जा सके। बैंक ने अन्यक पिछड़े वर्ग कर्मचारियों की शिकायतें, यदि हो, के समाधान हेतु आंचलिक स्तनर पर सभी द्वितीय स्तर अधिकारियों को अन्यक पिछड़े वर्ग के संपर्क अधिकारियों के रुप में नामित किया है। बैंक 'ऑल आन्ध्रा बैंक बीसी कर्मचारी कल्याण संघ' के प्रतिनिधियों के साथ अर्धवार्षिक बैठकों का आयोजन करता रहा है।

दिव्यांयग व्यक्ति : भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने सभी समूह के पदों पर सीधी भर्ती में दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसमें से 18.04.2017 तक समस्त र आधार पर प्रत्येक स्तर के लिए चिह्नित पदों में (i) दृष्टिहीन या कम दृष्टि (ii) बधिरता (iii) चलन अक्षमता या सेरिब्रल पालसी प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत आरक्षित है। नए अधिनियम 'दिव्यांग व्यतक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' जो 19.04.2017 से लागू हुआ है, के अनुसार और वित्तींय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्रातं निदेशों के अनुसार, बैंक सभी वर्गों में चिह्नित कुल रिक्तियों में से 4% की दर से दिव्यांग व्यलक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर रहा है, जिसमें से एक प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा जिन्हें खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत मानक अक्षमता है और एक प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के अंतर्गत मानक अक्षमताओं वाले व्येक्तियों के लिए है यथा :

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि

(ख) बधिरता और कम सुनाई देना

(ग) लाकोमोटर अक्षमता, इसमें सेरेब्रल पॉल्सी, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, तेज़ाब हमले के शिकार और मांसपेशीय दुर्विकास

(घ) ऑटिसम, बौधिक अक्षमता, विशिष्टस अध्योयन अक्षमता और मानसिक रुग्णता

(ङ) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत प्रत्येलक अक्षमता के लिए चिह्नित में से बहुल अक्षमताएं, इसमें बदिरता – दृष्टिहीनता शामिल है।

31 मार्च 2019 को के कुल कार्मिकों में से अक्ष्मता वाले व्य क्तियों का प्रतिनिधित्वु 648 यानी 3.02% रहा।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) :भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, ईडब्यूनी एस से संबंधित व्यसक्ति, जो अजा, अजजा और अपिव के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, को भारत सरकार की नागरिक पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा, जो 01.02.2019 से इसमें विनिर्दिष्टस परिवार आय और आस्तियों की शर्त पर है। तदनुसार, हमारे बैंक बोर्ड ने हमारे सभी चालू भर्ती प्रक्रियाओं में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्यूूस एस) के लिए आरक्षण पर भारत सरकार के दिशानिर्देश लागू करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

राजभाषा : एबी स्टाफ पोर्टल में राजभाषा लिंक का पुनरुत्थारन किया गया है। 'राजभाषा मिशन', बैंकिंग शब्दा वली, प्रशासनिक वाक्यांजश, राजभाषा मार्गदर्शिका, विभिन्नन फार्मेट, महत्व पूर्ण परिपत्र, अन्य संबंधित सूचना, हिंदी गृह पत्रिका, मासिक हिंदी ई–बुलेटिन, वार्षिक कार्य योजना, दैनिक हिंदी शब्दट, सप्ताहि का विचार और हिंदी कार्यशाला सामग्री आदि भी हमारे पोर्टल में उपलब्ध हैं। प्रधान कार्यालय को हिंदी के प्रयोग के लिए हैदराबाद नगर में गृह मंत्रालय द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । अंतर–बैंक नराकास हिंदी प्रतियोगिता में बैंक ने 40 पुरस्क्र प्राप्त किए हैं।

HR Digitalisation : Our Bank has initiated implementation of various online staff related modules on par with other Banks, viz., online submission of Assets & Liabilities statement of officers, submission of leave applications, employee profile view, job families etc.

Mentoring: The mentoring concept designed with an objective to imbibe our Bank's culture, systems and procedures etc among the new entrants, has been successfully implemented. As an initiative, 15 mentors are identified to groom 75 selected mentees at select places.

Staff Strength as on 31.03.2019 :

Category	Strength	% to total
Officers	11484	56%
Clerks	5825	29%
Sub Staff*	3037	15%
Total	20346	100%

*Excluding Part Time Sweepers.

SC/ST/OBC Profile : Our Bank has been implementing reservation policy for SCs & STs as per Government of India guidelines. The representation of SCs and STs is 4217 and 1774 respectively in total workforce of 21403 working in the Bank as on 31st March 2019. Out of the total of 11484 Officers, 2010 belong to SC category and 1018 belong to ST category. Bank has nominated a General Manager as Chief Liaison Officer for SCs & STs at Head Office to ensure proper implementation of Government guidelines on reservation policy in the Bank. Bank has nominated all the Zonal Managers as Liaison Officers for SCs & STs at Zonal level to address the grievances, if any, of SC & ST employees. Bank has been conducting Quarterly Joint Meetings with the representatives of "Scheduled Castes & Scheduled Tribes Employees' Welfare Association of Andhra Bank". Our Bank has been implementing reservation policy for Other Backward Classes (OBCs) with effect from 08.09.1993 as per Government of India guidelines. The representation of OBCs is 6051 out of the total work force of 21403 working in the Bank as on 31st March, 2019. Bank has nominated a General Manager as Chief Liaison Officer for OBCs at Head Office to look after the reservation and other welfare matters related to OBCs. Bank has nominated all second line executives at Zonal Office as Liaison Officers for OBCs at Zonal level to address the grievances, if any, of OBC employees. Bank has been regularly conducting Half Yearly Joint Meetings with the representatives of "All Andhra Bank BC Employees' Welfare Association".

Differently Abled Persons : As per Government of India guidelines, our Bank has provided 3% reservation to the Persons with Disabilities in direct recruitment to all Group of posts, of which one per cent each reserved for persons suffering from (i) blindness or low vision, (ii) hearing impairment and (iii) locomotor disability or cerebral palsy in the posts identified for each disability on horizontal basis till 18.04.2017. As per the new Act "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, came into force with effect from 19.04.2017, and as per the directions received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India, New Delhi, Bank has been providing reservation for Persons with Disabilities at the rate of 4% of the total vacancies identified in all cadres, of which one per cent each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) & (c) and one per cent for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely;

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.

The representation of Persons with Disabilities is 648 (3.02%) out of the total workforce of 21403 as on 31st March, 2019.

Economically Weaker Sections (EWSs): As per Govt. of India guidelines, the persons belonging to EWSs who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs shall get 10% reservation in direct recruitment in civil posts and services in the Government of India, subject to family income and assets specified therein with effect from 01.02.2019. Accordingly, our Bank's Board approved to implement the Government of India guidelines on reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in all our ensuing recruitment processes.

OFFICIAL LANGUAGE : Rajbhasha Link in AB Staff Portal has been revamped. Besides 'Rajbhasha Mission', Banking Terminology, Administrative Phraseology, Rajbhasha Margdarshika, various formats, Important Circulars, other related information, Hindi House Magazine, Monthly Hindi e-bulletin, Annual Action Plan, Daily Hindi Word, Thought for the week and Hindi Workshop material etc have also been kept in our Portal. Head Office was awarded First Prize in Use of Hindi in Hyderabad by Ministry of Home Affairs and the Bank has won 40 prizes in inter-bank TOLIC Hindi competition.

सतर्कता :

- केंद्रीय सतर्कता आयोग के पहल के अंतर्गत, सतर्कता विभाग ने दक्षिण आधारित सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के लिए हैदराबाद में दि.08.02.2019 को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में प्रारंभ किए गए निवारात्मैक सतर्कता की उत्तम प्रथाएं और प्रणालीगत सुधार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी सात दक्षिण आधारित बैंकों के प्रबंध निदेशक/ कार्यकारी निदेशक और मुख्या सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया । (आन्ध्राक बैंक, केनरा बैंक, कार्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सिंडिकेट बैंक और विजया बैंक)
- सतर्कता विभाग द्वारा विकसित ऑनलाईन शिकायत पंजीकरण तंत्र (ओसीआरएम) – (मुखबिर तंत्र) को अन्या बैंकों द्वारा अपनाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मान्य ता दी गई और अपने 'निवारात्मक सतर्कता पहल' पुस्त क में प्रकाशित किया गया।
- मुखबिर तंत्र को और मज़बूत बनाने के लिए नया निवारात्मनक सतर्कता उपकरण 'एसएमएस पर मुखबिर' तैयार किया गया जिसके अंतर्गत नामित वर्चुअल मोबाईल नंबर को एसएमएस भेजकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रेषक का मोबाईल नंबर प्रदर्शित नहीं होता है।
- सभी कर्मचारियों की सुविधा के लिए बैंक के उपयोगी सूचना पुस्तिका में सतर्कता मामलों पर अध्याभय जोड़ा गया है, जिसमें सीबीआई/ पुलिस के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायतों से निपटान,परिचालन और अग्रिम आदि में पाई गई सामान्यक अनियमितताएं/ त्रुटियां आदि की जानकारी है।
- आई ए एस रिपोर्ट की समीक्षा हेतु ' मामला प्रोफाईल' प्रारंभ किया गया। इसमें प्रत्येतक आईएएस रिपोर्ट के संबंध में विवरण यथा एनपीए तिथि, आईएएस आरंभ करना, प्रत्येंक स्तुर पर आईएएस की समीक्षा यथा आं;का, स.का, प्र.का, जैसा भी मामला हो, मांगे गए स्पआष्टीषकरण और सीवीओ को प्रस्तुति अंतिम नोट एक पत्र रिकार्ड किए जाते हैं। इससे प्रयी क स्तआर पर समय–सीमा सुनिश्चित किया जा सकता है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीवीओ ने 18 अंचलों का दौरा किया और आंचलिक कार्यालय के कार्यपालक और स्टा0फ के साथ–साथ बड़ी शाखाओं के प्रमुखों के साथ मिले और कतिपय प्रमुख मानकों के संबंध में चर्चा की ताकि बैंक में ईमानदारी, निष्पोक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा सके।
- सतर्कता मूल्यांकन – सतर्कता उत्कृमष्ट ता पुरस्कातर : सतर्कता अनुपालन और अन्यो प्रमुख घटकों में 25 मानकों के संरचित फार्मेट में अंचलों के कार्यनिष्पांदन का मूल्याांकन किया जाता है । उच्च्स 3 अंचलों की पहचान की जाती है और 'सतर्कता उत्कृकष्टकता पुरस्काार' प्रदान किया जाता है।
- वर्तमान वित्तींय वर्ष में, एपेक्स कॉलेज– हैदराबाद, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज – विशाखपट्टणम और आंचलिक कार्यालयों में आयोजित 484 विभिन्नऔ प्रशिक्षण कार्यक्रम / सत्रों में निवारात्मिक सतर्कता पहलुओं में जानकारी प्रदान की गई।
- सतर्कता संस्कृ ति बढ़ने के लिए सभी कर्मचारियों को नैतिकता, आचार और सतर्कता से संबंधित एसएमएस भेजे जाते हैं।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी ने स्टा फ कॉलेज के विभिन्नर कार्यक्रमों में सतर्कता अनुपान और सतर्कता संबंधित मामलों में विभिन्नन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के साथ चर्चा की।
- सतर्कता विभाग और नियंत्रक कार्यालय तथा शाखाओं के स्टापफ को सतर्कता संबंधित मामलों में बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्ते किया जा रहा है।

कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें – परिचालन

- विभाग ने प्रत्ये क वर्ष 31 मार्च को सभी अधिकारियों द्वारा आस्ति देयता विवरणी के ऑनलाईन प्रस्तुातीकरण हेतु मॉड्यूल विकसित किया है, जिससे समय पर प्रस्तुातीकरण और डाटा बेस का सृजन संभव हो पाएगा।
- विभाग ने अधिकारी स्टामफ के विवरण की समीक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया है।
- विभाग ने वर्ष के दौरान 170 शिकायतें प्राप्तक की है जिनमें से 155 शिकायतें निपटाई गई है।
- वित्ती य वर्ष के आरंभ में 92 सतर्कता मामले लंबित थे। वर्ष के दौरान 151 मामले दर्ज हुए और 149 मामले निपटाए गए हैं।
- विभाग ने गैर– सतर्कता के अंतर्गत मानव संसाधन – औद्योगिक संबंध को 144 मामले संदर्भित किए हैं जिनमें 230 स्टाकफ सदस्योां की जवाबदेही पाई गई।
- बैंक की सभी शाखाओं में निवारात्मकक सतर्कता निरीक्षण किया गया ताकि पद्धति और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- विभाग ने वित्तीतय वर्ष 2018–19 के दौरान 815 आई ए एस रिपोर्ट/ एफआरएमजी नोट/ विशेष रिपोर्ट प्राप्तत किए हैं जिनमें से 664 रिपोर्ट निपटाए गए हैं।
- बैंक में हो रही धोखाधडी और इसकी कार्य–पद्धति की समीक्षा हेतु धोखाधडी समीक्षा परिषद बैठकें प्रत्येकक तिमाही में आयोजित की गई । संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रणालीगत सुधार और सुधारात्मतक उपायों के लिए उचित सुझाव दिए गए ।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 (अक्तूबर 29, 2018 से नवंबर 03, 2018 तक) 'भ्रष्टाचार उन्मूलतन– नए भारत का निर्माण' विषय पर देशभर में 4478 जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन कयिा गया जिनमें 111405 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। विद्यालय और महाविद्यालयों में निबंध लेखन / वाक् / वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हैदराबाद और अन्यभ स्थाधनों में वाकैथन और सैक्लो थन का आयोजन किया गया। हैदराबाद में एक उचित चिकित्सा–शिबिर का भी आयोजन किया गया। निवारात्मअक सतर्कता उपायों के बारे में ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन किया गया, 4627 स्टावफ सदस्योंस ने इस परीक्षा में भाग लिया।

VIGILANCE:

- As part of the Central Vigilance Commission's initiative, Vigilance department conducted Workshop on **Best Practices in Preventive Vigilance & Systemic Improvements introduced in the Public Sector Banks** on 08.02.2019 at Hyderabad for South based Public Sector Banks. Managing Directors/ Executive Directors and Chief Vigilance Officers of all the seven South based Banks participated in the workshop. (Andhra Bank, Canara Bank, Corporation Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Syndicate Bank and Vijaya Bank).
- **Online Complaint Registration Mechanism (OCRM) – [Whistle Blower Mechanism]** devised by Vigilance Department was recognized by Central Vigilance Commission for adoption by other Banks and published in its "Preventive Vigilance Initiatives" book.
- Devised a new Preventive Vigilance tool **"Whistle Blower on SMS"** to strengthen the Whistle Blower Mechanism to lodge a complaint by sending an SMS to a designated virtual mobile number. The mobile number of the sender will not be displayed.
- Appended a chapter on Vigilance matters in the Bank's Handbook on Useful information for the benefit of all the employees which contains information on procedure for lodgement of complaint with CBI / Police, handling complaints, common irregularities / lapses observed in operations and advances etc.
- Introduced "Case Profile" for reviewing the IAS reports. A sheet containing the details like date of NPA, Initiation of IAS, Review of IAS at each level i.e. at ZO, CO, HO as the case may be, clarifications sought and final note put up to CVO are recorded in each IAS report. This enables ensuring timeline at each stage.
- CVO visited 18 Zones during the FY 2018-19 and interacted with Executives and staff of Zonal Office along with heads of large branches and discussed on certain critical parameters to ensure probity, fairness and transparency in the Bank.
- Vigilance Appraisal – Vigilance Excellence Award: Performance of Zones is assessed in respect of vigilance compliance and other key factors in a structured format containing 25 parameters. Top 3 Zones will be identified and awarded **"Vigilance Excellence Award".**
- In the current financial year, 10684 number of employees were enlightened on Preventive Vigilance aspects in 484 different training programs/sessions held at Apex College-Hyderabad, Staff Training College – Vishakhapatnam and Zonal Offices.
- Department is broadcasting messages on Morals & Ethics and Vigilance Angle through SMS to all employees to inculcate Vigilance Culture.
- Chief Vigilance Officer interacted with the participants of various programmes at Staff College on Vigilance Compliance and Vigilance related matters.
- Officers of Vigilance Department and staff from controlling offices and branches are being deputed to External Training Programmes on Vigilance related matters.

Performance Highlights – Operations

- Department has devised a module enabling all the officers for submission of statement of A&L online as on 31st March of every year, which would enable timely submission and creation of data base.
- Department has achieved the target of reviewing Assets & Liabilities statement of officers staff.
- Department received 170 complaints out of which 155 complaints were disposed off during the year.
- At the beginning of the Financial Year 92 Vigilance Cases were outstanding. During the year 151 Vigilance Cases have been registered and 149 cases have been disposed off.
- Department referred 144 cases to HR-IR for initiating Regular Departmental Action under Non-Vigilance wherein 230 staff members were found accountable.
- Preventive Vigilance Inspection has been conducted in all the branches of the Bank to ensure implementation of Systems & Procedures.
- Department received 815 IAS Reports/FRMG Note/Special Reports during the financial year 2018-19 out of which 664 Reports were disposed off.
- Fraud Review Council (FRC) meetings are conducted every quarter to review the frauds taking place in the Bank and its modus operandi. Appropriate suggestions for systemic improvement and corrective measures are advised to the concerned departments for required action and follow up.
- During the Vigilance Awareness Week 2018 (October 29, 2018 to November 03, 2018), with the theme "Eradicate Corruption - Build a New India", Bank has conducted 4478 Awareness Gram Sabhas across the country where more than 111405 citizens participated. Essay Writing/Elocution/Debate competitions were organized in schools and colleges. Walkathon & cyclothon were organized at Hyderabad and other places. A free medical camp was also organized at Hyderabad. An online test on Preventive Vigilance Measures was conducted where 4627 staff members have taken the test.

प्रकाशन

- पीएसबी में परिचालन और अपनें बैंकों में अपनाए जाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के **बैंकों में निवारात्मक सतर्कता और प्रणालीगत सुधार में प्रमुख उत्तम प्रथाएं** – विषय पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।
- त्रैमासिक आधार पर **'सावधान'** समाचार बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है ताकि स्टाफ को धोखाधडी और निवारात्मक उपायों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान की जा सके और वे स्वायं और बैंक के हितों की सुरक्षा कर सकें।
- बैंक में सतर्कता संस्कृति और सतर्कता अनुपालन की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों में**एक सही दिशा– सीवीओ की कलम से मुख्यु बात**' का परिचालन किया जा रहा है।

अग्रणी बैंक योजना – आन्ध्रा बैंक पंद्रह जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मे'दारी संभाल रहा है यथा आन्ध प्रदेश में श्रीकाकुलम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर; ओडिशा राज्य में गंजाम, गजपति और तेलंगाना राज्य में सिद्धिपेट, सिरसिल्लाश, राजन्नाट, जगत्याल, पेद्दपल्लीर, मंचीरियाल, वनपर्ति, नागरकर्नूल, जोगुलांबा गद्वाल, वरंगल ग्रामीण। बैंक इन सभी जिलों में अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वलयन की जिम्मोदारियों को निभा रहा है।

आन्ध्रा बैंक 1984 से आन्ध्र प्रदेश के राज्य स्तरीय बैंकर समिति के लिए संयोजक बैंक है। 2 जून, 2014 से तेलंगाना और शेष आन्ध्र प्रदेश के रूप में आन्ध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद शेष आन्ध्र प्रदेश के एसएलबीसी के संयोजक का कार्य आन्ध्रा बैंक के पास बना रहा।

अब तक आन्ध्र प्रदेश राज्यन में 206 एसएलबीसी बैठकों का आयोजन किया गया। चालू वर्ष के दौरान एसएलबीसी ने आरबीआई, नाबार्ड, बैंकर और सरकारी एजेंसियों को शामिल करते हुए विभिन्ने बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों के अलावा, संयोजक, एसएलबीसी ने विभिन्नो बैठकों में भाग लिया जिनका आयोजन भारत सरकार, आन्ध्रड प्रदेश सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

13.07.2018 को 203 वीं एसएलबीसी बैठक के दौरान आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्या मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आन्ध्र प्रदेश के लिए राज्य ऋण योजना का शुभारंभ किया गया। एसएलबीसी सभी पणधारकों से समन्वयन कर रहा है और वार्षिक ऋण योजना तथा केंद्र और राज्यी सरकार के विभिन्ना पहल के कार्यान्वयन में सक्रिय भाग ले रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के एसएलबीसी ने भारत सरकार के पहल लागू करने में भाग लिया है यथा, ग्राम स्वरराज अभियान (जीएसए), विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान (ईजीएसए) और आन्ध्र प्रदेश के चयनित जिलों में एमएसएमई समर्थन तथा पहुँच ।

एपएसएलबीसी कॉल सेंटर : एसएलबीसी ने राज्या के सभी बैंकों की ओर से एक कॉल सेंटर स्थाापित किया है यथा 'एपीएसएलबीसी कॉल सेंटर' जिसका नि:शुल्क टेलीफोन नंबर 18004258525 है और मुद्रा के लिए विशेष नि:शुल्के टेलीफोन नंबर 18004251525 स्थाबपित किया है। वैबसाईट : सभी पणधारकों और सामान्य जनता की सूचना के लिए एसएलबीसी आन्ध्र प्रदेश के लिए विशेष वेबसाईट की स्थांपना की गई है, जिसका यूआरएलwww.slbcap.nic.in है। इस वेबसाईट को नियमित अंतराल पर अद्यतन डाटा और सूचना के साथ अद्यतन किया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन :

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत बैंक की उपलब्ध निम्नानुसार है :

विवरण	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि %
पीएमजेडीवाई खाते	6,56,000	3,39,387	52.84
रूपे कार्ड जारी करना	6,56,000	2,01,498	23.67
ओडी की मंजूरी और संवितरण	कोई लक्ष्य नहीं	66,064	--
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत व्याप्ति	6,00,000	1,31,319	21.83

आधार सीडिंग : बैंक ने सक्रिय कासा खातों में 78.20% आधार सीडिंग और 69.58% आधार प्रमाणीकरण हासिल किया है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) : बैंक ने 1,73,220 के लक्ष्यी की तुलना में वर्ष के दौरान 76 खाते प्रति बैंक के औसत पर 2,23,454 एपीवाई खातों का पंजीकरण किया है। बैंक ने रु.3.95 करोड़ का प्रोत्साहन प्राप्त, किया है जिसमें से रु.1.99 करोड़ नए पंजीकरण के लिए हैं, रु.0.23 करोड़ मात्रा आधारित अतिरिक्तस प्रोत्साहन और रु.1.72 करोड़ सतत प्रयास प्रोत्सापहन है।

आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करना : डीएफएस, वित्तय मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी बैंकों को प्रत्येजक 10 शाखाओं के लिए 1 पंजीकरण केंद्र स्थाडपित करने की सलाह दी है। वर्तमान शाखा नेटवर्क के अनुसार, बैंक द्वारा देश–भर में 290 पंजीकरण केंद्र खोलने की आवश्यहकता है। तदनुसार बैंक ने 290 आधार पंजीकरण और अपडेशन केंद्र स्था पित किए हैं और 100% लक्ष्यश प्राप्तह किया है।

- महाराष्ट्र राज्य में हमारी वाशी शाखा ने उच्चतम पंजीकरण संख्या हासिल करने के उपलक्ष्य में यूआईडीएआई से उत्तपम कार्यनिष्पादन शाखा पुरस्कार प्राप्त किया है।
- बैंक ने 31.03.2018 तक 265 आधार पंजीकरण केंद्र स्थापित करने के लिए नाबार्ड से रु.2.11 करोड़ पूंजीगत प्रोत्साहन दावा प्राप्त किया है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र : 3 एफएलसीसी ने परिचालन प्रारंभ किए हैं यथा कर्नाटक राज्यै में सिरगुप्पाड, तेलंगाना राज्य के जगत्याल और सिद्धिपेट में प्रत्येक में एक। इसी के साथ बैंक के कुल 11 एफएलसीसी कार्य कर रहे हैं और सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

Publications

- ❖ Published a booklet on the **Key Best Practices in Preventive Vigilance & Systemic Improvements in Public Sector Banks** for circulation among the PSBs and for adoption in their Banks.
- ❖ News Bulletin **"SAVDHAN"** is being published quarterly for updating the staff with the latest information on frauds and preventive measures to safeguard themselves and the Bank.
- ❖ **"The Right Direction – A Key Note from CVO's desk"** is being circulated to all branches and offices of the Bank to ensure enhancement of Vigilance Culture and Vigilance Compliance level in the Bank.

LEAD BANK SCHEME: Andhra Bank is having Lead Bank responsibilities in fifteen districts, viz. Srikakulam, East Godavari, West Godavari, Guntur in the state of Andhra Pradesh; Ganjam, Gajapathi districts in Odisha state & Siddipet, Sircilla Rajanna, Jagtial, Peddapally, Mancherial, Wanaparty, Nagarkurnool, Jogulamba Gadwal, Warangal rural in Telangana State. Bank is discharging the responsibilities in implementation of Lead Bank Scheme in all these districts.

Andhra Bank is the Convener Bank for State Level Bankers` Committee, Andhra Pradesh since 1984. Consequent to re-organization of AP into Telangana & Residual Andhra Pradesh w.e.f. 2nd June, 2014, responsibility of Convenership of SLBC of residual AP continued to be with Andhra Bank.

So far 206 SLBC meetings have been organized in the state of Andhra Pradesh. During the current year, SLBC has conducted various meetings involving RBI, NABARD, Bankers and Govt. Agencies. Besides these meetings, the Convener, SLBC has participated in various meetings and Video Conferences that are being organized by Government of India, Government of Andhra Pradesh, RBI and NABARD.

The State Credit Plan for AP for FY 2018-19 was launched by the Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh during 203rd SLBC Meeting on 13.07.2018. SLBC is coordinating with all stakeholders and has been proactive in implementing Annual Credit Plan and other initiatives of Central & State Governments. During the year 2018-19, SLBC of AP actively involved in implementation of GoI initiatives namely Gram Swaraj Abhiyan (GSA), Extended Gram Swaraj Abhiyan (EGSA) and MSME Support & Outreach in selected districts of Andhra Pradesh.

APSLBC CALL CENTRE: SLBC has established a Call Centre namely ` APSLBC CALL CENTRE` on behalf of all Banks in the state with toll free telephone Number 18004258525 and an exclusive toll free number 18004251525 for MUDRA. Website: An exclusive website is set up for SLBC of Andhra Pradesh with URL www.slbcap.nic.in for information of all the stake holders and general public. The website is being updated at regular intervals with the latest data and information.

FINANCIAL INCLUSION:

During the FY 2018-19, the Bank's achievement against the set targets under Financial Inclusion schemes is given below

Particulars	Target	Actual	% of ach.
PMJDY Accounts	6,56,000	3,39,387	52.84
Issuance of RuPay Cards	6,56,000	2,01,498	23.67
Sanctioning and Disbursement of OD	No target	66,064	--
Coverage under Social Security Schemes	6,00,000	1,31,319	21.83

Aadhaar Seeding: Bank has achieved 78.20% of Aadhaar seeding and 69.58% in Aadhaar Authentication in active CASA accounts.

Atal Pension Yojana (APY): The Bank has enrolled 2,23,454 APY accounts during the year with average of 76 accounts per branch against a target of 1,73,220. The Bank has received an incentive of Rs.3.95 Cr of which 1.99 Cr towards fresh enrolments, Rs. 0.23 Cr towards volume based additional incentive and Rs. 1.72 Cr. towards persistency incentive.

Establishment of Aadhaar Enrolment Centres: DFS, Ministry of Finance, Govt. of India has advised all Banks to establish 1 enrolment centre for every 10 branches. As per existing branch network, Bank needs to establish 290 enrolment centres PAN India. Accordingly Bank has established 290 Aadhaar enrolment and updation centres and achieved 100% target.

- Our Vashi branch in Maharastra state has received Best Performing Branch award from UIDAI for registering highest number of enrollments.
- Bank has received capital incentive claim of Rs. 2.11 Crores form NABARD towards establishment of 265 Aadhaar Enrollment Centres as on 31.03.2018.

Financial Literacy and Credit Counselling Centers: 3 FLCCs one at Sirguppa in Karnataka state, one each at Jagtial and Siddipet in Telangana state started operations. With this bank is having total of 11 FLCCs functioning and are providing services.

बैंक मित्र सुलभकर्ता : चूंकि बैंक मित्र गतिविधियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, बैंक ने आन्ध्रे प्रदेश के 8 जिलों, तेलंगाना के 4 जिलों और आडिशा राज्यय के 3 जिलों में बैंक मित्र सुलभकर्ताओं की नियुक्ति की है।

ग्राम स्वराज अभियान (ईजीएसए) : इस कार्यक्रम के अंतर्गत डीएफएस ने वित्तीतय समावेशन संबंधित योजनाएं यथा पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत पूर्ण व्याप्ति प्रदान करने के लिए अभियान आयोजित करने हेतु, लगभग 48,503 ग्रामों की पहचान की है, जिनमें 1000 से अधिक आबादी है। 117 चिह्नित आकांक्षी जिलों में से बैंक की उपस्थिति 35 जिलों में हैं जिनमें 341 गाँव हैं। बैंक ने इस अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यं निम्नानुसार पार किए हैं ।

पीएमजेडीवाई			पीएमजेडीवाई			पीएमजेजेबीवाई		
लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
28,263	31,335	110.87	33,657	34,996	103.98	20,233	21,439	105.96

सहायक संस्थाएं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : बैंक की एक सहायक संस्थान है यथा, आन्ध्रा बैंक फाईनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (एबीएफएसएल), जो पूणत: बैंक द्वारा स्वाधिकृत संस्था0 है। 31.03.2019 को कंपनी ने ने आयकर से पूर्व रु.127.04 लाख लाभ और आयकर के बाद रु.91.80 लाख निवल लाभ अर्जित किया है, इससे कंपनी की अर्जित हानि 31.03.2019 को रु.572.36 लाख से घट कर रु.480.56 लाख हुई है। बैंक का एक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यथा चैतन्य. गोदावरी ग्रामीण बैंक जो गुण्टूयर (आन्ध्रै प्रदेश) में स्थित है और गुण्टूयर, पूर्व गोदवरी तथा पश्चिम गोदावरी में 218 शाखाओं के साथ व्यारप्त है। 31.03.2019 को कुल व्यंवसाय रु.9080.49 करोड़ रहा और कर के बाद निवल लाभ रु.71.71 करोड़ रहा। औसत अग्रिम के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत 1.00 % है।

सुरक्षा व्यवस्था : बैंक ने शाखाओं, मुद्रा तिजोरियों और एटीएम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्नयन किया है। बैंक की सभी शाखाओं में वीडियो पर्यवेक्षण हेतु सीसीटीवी प्रणाली है। 99% शाखाओं में परंपरागत अलार्म व्यकवस्थां को एकीकृत घुसपैठ सेंधमार अलार्म प्रणाली (आईआईबीएएस) में उन्नयन किया गया है। केंद्रीयकृत अलार्म निगरानी स्टेशन की स्थाअपना प्रधान कार्यालय में स्थाखपित की गई है ताकि शाखाओं में स्थातपित एकीकृत घुसपैठ सेंधमार अलार्म प्रणाली की 24 x 7 निगरानी की जा सके। 40% शाखाओं को प्रधान कार्यालय के कैम्सा को एकीकृत किया गया है और निरंतर रूप से निगरानी की जा रही है। शेष शाखाओं का एकीकरण प्रगति में है। 88% एटीएम साईट पर अद्यतन एकीकृत ई-पर्यवेक्षण प्रणाली की व्यरवस्था की गई है और बैंक ने इन स्था नों में भौतिक गार्डिंग को ई-पर्यवेक्षण के साथ प्रतिस्थाषपित करने से राजस्वथ व्य य में लगभग 68 करोड़ प्रतिवर्ष की कमी आई है। शेष स्थानों में ई-पर्यवेक्षण प्रणाली की स्थागपना की व्यनवस्थात की जा रही है। सभी सुरक्षा उपकरणों का सभी समयों पर कार्यचालन स्थिति में होना और बैंक के विरुद्ध अपराध की घटनाओं को कम करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

अनिवासी कक्ष : बैंक और अनिवासी ग्राहकों के बीच संचार के प्रभावी माध्यंम के रूप में कार्य करने हेतु अनिवासी कक्ष की स्थौपना की गई है और इससे एनआरई जमा में वृद्धि हुई है। यह कक्ष शाखाओं को प्रतिनिधि कार्यालय, दुबई को समर्थन प्रदान करता है और इस प्रकार ग्राहक सेवा में सुधार सुनिश्चित करता है। वित्तीलय वर्ष के दौरान बैंक ने नई जर्सी में अपने प्रतिनिधि कार्यालय को बंद किया है। अनिवासी कक्ष अनिवासी बुलेटिन (एबी कनेक्टज) के माध्यरम से प्रति माह बैंकिंग और विदेशी मुद्रा के बारे में अनिवासियों को उपयोगी सूचना प्रदान करता है। वर्तमान में लगभर 54991 अनिवासी ग्राहक (वर्तमान और संभाव्यप दोनों) एनआरआई बुलेटिन (एबी कनेक्ट) से जुडे हैं और सूचना प्राप्त कर रहे हैं। 31.03.2019 को बैंक का कुल अनिवासी व्यालपार रु.3403 करोड़ रहा।

ब्रैंडिंग और संचार : बैंक ने वित्ती य वर्ष के दौरान प्रचार और ब्रैंडिंग कार्य प्रारंभ किया है ताकि बैंक के लिए अच्छी गति और छवि हासिल की जा सके। प्रमुख प्रचार गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- निज़ाम क्लब, हैदराबाद में हमारे उत्पारदों के प्रचार हेतु विज्ञापन स्थान (बडा होर्डिंग) का उपयोग।
- श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल (एसवीबीसी) में लाईव कार्यक्रमों के दौरान विज्ञापन
- विभिन्नं स्थाानों में बस शेल्टवर, सेंट्रल मीडियन में हमारे विज्ञापन प्रदशित करना
- हैदराबाद के अखिल भारत औद्योगिक प्रदर्शनी में बैंक स्टापल लगानाय, जो 45 दिनों तक चला।

कार्पोरेट सामाजिक बाध्यता (सीएसआर) : चूंकि बैंक ने मार्च 2018 वर्षांत को हानि रिपोर्ट की है, वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दान के लिए कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है, इसमें सीएसआर गतिविधियां भी शामिल हैं।

बैंक वेबसाइट : बैंक अपनी वैबसाईटwww.andhrabank.in तीन भाषाओं में रखता है यथा अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु और बैंक, अपनी सेवा और उत्पुादों की सूचना प्रदान करता है। बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी डब्यूऔसीएजी (वैब कंटेंट एक्सेतसिबिलिटी दिशा-निर्देश) वेबसाईटी दृष्टिबाधित व्य क्तियों के लिए उपलब्धऔ करवाया है। बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति, आन्ध्र प्रदेश का संयोजक होने के नाते अलग वेबसाईट www.slbcap.nic.in बनाए रखता है। यह वेबसाईट एसएलबीसी बैठकों की कार्यवाही, राज्य सरकार के निदेश, बैंकर और जनता को अनुदेश की सूचना प्रदान करता है। बैंक वेबसाईट को सुरक्षित रुप से बनाए रखने के संबंध में समय-समय पर जारी सेर्ट-इन (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करता है।

Bank Mitra Facilitators: As number of Bank Mitra activities are increasing on day to day basis, Bank has appointed Bank Mitra Facilitators in 8 Districts of Andhra Pradesh, 4 districts in Telangana and in 3 Districts of Odisha State.

Gram Swaraj Abhiyan (EGSA): Under this programme DFS has identified about 48,503 villages having above 1000 population for conducting campaigns to provide universal coverage under financial inclusion related schemes such as PMJDY, PMSBY & PMJJBY. Of 117 identified aspirational districts, our Bank presence is in 35 Districts under which 341 villages exist. Bank has exceeded the set targets under this campaign as indicated below.

PMJDY			PMSBY			PMJJBY		
Target	Achievement	% of Achievement	Target	Achievement	% of Achievement	Target	Achievement	% of Achievement
28,263	31,335	110.87	33,657	34,996	103.98	20,233	21,439	105.96

SUBSIDIARIES & REGIONAL RURAL BANKS : The Bank has one Subsidiary, namely, Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL), which is wholly-owned by the Bank. The Company has earned a profit of Rs 127.04 Lacs before Income Tax and a Net Profit of 91.80 Lacs after Income tax during the year ending 31.3.2019, with this the accumulated losses of the company has been brought down from Rs 572.36 Lacs to Rs 480.56 Lacs as on 31.03.2019. Bank has one sponsored Regional Rural Bank namely Chaitanya Godavari Grameena Bank located in Guntur (Andhra Pradesh), covering the districts of Guntur, East Godavari and West Godavari with 218 branches. As on 31.03.2019, the total business stood at Rs.9080.49 Crore, and Net profit after Tax is Rs.71.71 Crore. Percentage of Gross NPA to Average Advances is 1.00%.

SECURITY ARRANGEMENTS : Bank has upgraded the security arrangements at branches, currency chests and ATMs. All branches in the Bank are provided with CCTV system for video surveillance. Conventional alarm system at 99 % branches have been upgraded to Integrated Intruder Burglar Alarm System (IIBAS). Centralized Alarm Monitoring Station has been established in Head Office for 24X7 monitoring of Integrated Intruder Burglar Alarm System installed in branches. 40 % of branches have already been integrated to CAMS at Head Office and are being monitored continuously. Integration of balance branches is in progress. State of Art integrated e-surveillance system has been provided in 88 % of the ATM Sites and Bank has reduced revenue expenditure to the tune of approximately 68 Crores per Annum, by replacing physical guarding with e-surveillance at these sites. Installation of e-surveillance system at balance sites is in progress. All efforts are on to ensure that all security gadgets are maintained in working condition at all times and minimize crime incidents against Bank.

NRI CELL: The NRI Cell was set up with a view to serve as an effective channel of communication between the Bank and its NRI Clientele thereby increasing NRE Deposits. The Cell supports and guides the branches & Representative Office in Dubai thereby ensuring betterment in Customer Service. During the Financial year, the Bank has closed its representative office in New Jersey. NRI Cell provides useful information related to Banking & Foreign Exchange to NRIs through NRI Bulletin (AB Connect) every month. At present nearly 54991 NRI Customers (both existing and prospective) are being connected and accessing the information provided in the NRI Bulletin (AB Connect). Total NRI business of the Bank of the Bank stood at Rs. 3403 Cr as on 31.03.2019.

BRANDING AND COMMUNICATIONS: The Bank has undertaken publicity & branding during the financial year to derive good mileage and visibility for the Bank. Some of the major publicity activities include,

- Utilization of Ad Space (Big hoarding) at Nizam Club, Hyderabad for publicity on our products.
- Advertisement in Sri Venkateswara Bhakti Channel (SVBC) during live programmes.
- Exhibiting of our ADs on Bus Shelters, Central Medians at different places.
- Putting up of Bank's Stall at All India Industrial Exhibition at Hyderabad which run for 45 days.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): As the Bank reported loss for the year ending March, 2018, there was no budget allocation for Donation which includes CSR activities for the financial year 2018-19.

BANK'S WEB SITE: The Bank maintains its website www.andhrabank.in in three languages, viz., English, Hindi and Telugu for providing information about the Bank, its services and products offered. The Bank has made its WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) website accessible to 'visually impaired persons', as per Government of India guidelines. The Bank being the Convener of State Level Bankers' Committee, Andhra Pradesh, maintains separate website www.slbcap.nic.in. This website communicates all the proceedings of SLBC Meetings, State Government directives, instructions to Bankers and public. The Bank follows meticulously CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) guidelines issued from time to time in maintaining Bank's Website securely.

पुरस्कार : बैंको वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नरलिखित पुरस्कर प्राप्त हुए :

- **आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार – 2019** – हमारे बैंक ने आईबीए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार – 2019 में 4 पुरस्कारि प्राप्तर किए हैं यथा – 'वर्ष का उत्तम प्रौद्योगिकी बैंक – विजेता' उत्तम वित्तीय समावेशन पहल – द्वितीय पुरस्कार ' उत्तम भुगतान पहल – द्वितीय पुरस्कीर' और प्रौद्योगिकी के उपयोग में सबसे अधिक ग्राहक केंद्रित बैंक – द्वितीय पुरस्कार' ।
- **इनफोसिस फिनेकल ग्राहक नवीकरण पुरस्कार – 2019** –हमारे बैंक ने इनफोसिस फिनैकल ग्राहक नवीकरण पुरस्कार 2019 में 3 पुरस्काहर प्राप्त किया हैं यथा – प्रक्रिया नवीकरण – विजेता 'त्वरित परिवर्तन – द्वितीय पुरस्कोर' और उभरते प्रौद्योगिकी जनित नवीकरण – द्वितीय पुरस्कुर' ।
- **एपीवाई के अंतर्गत पुरस्कार :** बैंक ने पीएफआरडीए द्वारा घोषित अभियानों में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं ।

  – बैंक को पीएफआरडीए द्वारा लगातार तीसरे वर्ष के लिए 'उत्तम कार्यनिष्पादक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक' पुरस्कार प्रदान किया गया है।

  – **बैंके के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी** को पीएफआरडीए अभियान में एपीवाई 'लीडरशिप कैपिटर' का पुरस्काकर प्रदान किया गया है।

  – **मेकर्स ऑफ एक्सेरलेंस** – हमारे बैंक के कार्यपालक निदेश को एपीवाई के अंतर्गत उत्तकम कार्यपालक निदेशक के रपू में पुरस्काकर प्रदान किया गया है।

  – **एपीवाई – स्लेंमडिड 7** – हमारे बैंक के महाप्रबंधक वित्तीनय समावेशन को प्रमुख बैंक श्रेणी में उत्तकम कार्यनिष्पा्दक महाप्रबंधक के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है।

  – **एपीवाई – पैशन फर परफार्मेंस – नोडल अधिकारी** –हमारे बैंक के एफ आई को एपीवाई के अंतर्गत उत्तम कार्यनिष्पादन नोडल अधिकारी के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- **'एनपीसीआई द्वारा एईपीएस'** में उत्तीम कार्यनिष्पादन के लिए 'बी' श्रेणी बैंकों में विशेष मान्यता पुरस्कार ।

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) – प्रगति : भारतीय लेखांकन मानक (इंड ए एस) को परिपत्र सं.डीबीआर. बीपी. बीसी. नं. 29/21.07.001/ 2018–19 दि.मार्च 22, 2019 के अंतर्गत आगे सूचना दिए जाने तक स्थीगित किया गया है। बैंकों द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त लखांकन अवधि के लिए वित्तीकय विवरण और इसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार हेतु भारतीय लेखांकन मानक (इंड ए एस) का अनुपालन करना होगा। इंड ए एस के कार्यान्वियन में निर्बाध अंतरण सुनिश्चित करने के लिए, बैंक आईटी प्रणाली और अन्यो नीतियों में इंड ए एस के अनुपालन हेतु किए जाने वाले परिवर्तन चिह्नित करने की प्रक्रिया में है।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन : वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड की संरचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए :

- श्री जे पक्किरिसामी ने दि.21.09.2018 को प्रबंध निदेशक एवं मुख्यए कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण किया ।

निदेशकों के उत्तररदायित्व का कथन : निदेशक मंडल एतद द्वारा बताता है कि

- वार्षिक खातों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और तात्विक विचलन से संबंधित उचित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।
- लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर, युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान किए गए हैं ताकि 31.03.2019 को बैंक की स्थिति और दि;31.03.2019 को समाप्तन वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की लाभ हानि की सही और उचित स्थिति दर्शायी जा सके।
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधडी और अन्य विनियमिताओं के निवारण और पहचान हेतु संबंधित विनियामक प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्तय लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्ति सावधानी बरती गई है।
- कार्यशील संस्था के रूप वार्षिक खाते तैयार किए गए हैं।
- बैंक द्वारा अपनाए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्दिष्ट किए गए हैं और ऐस आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित प्रणालियों को तैयार किया गया है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

अभिस्वीकृति : आन्ध्रा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, नाबार्ड और अन्यव प्राधिकारियों / एजेंसियों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिनिधि बैंकों के प्रति अपने मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन हेतु आभारी है। निदेश बैंक के सभी स्टीफ सदस्यों के प्रति अपनी समर्पित सेवा, उत्कृथष्टर व्यावसायिकता और सतत वृद्धि हेतु बैंक के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता हेतु प्रशंसा व्यसक्तन करते हैं। अंततः, निदेशक सभी ग्राहकों, शेयरधारकों और अन्य पणधारकों को अपने मूल्ययवान समर्थन हेतु हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

बोर्ड के लिए और की ओर से,

(जे पक्किरिसामी)
एमडी एवं सीईओ

स्थान : हैदराबाद
दिनांक :13.05.2019

AWARDS AND REWARDS: The bank received the following awards during the FY 2018-19:

- **IBA Banking Technology Awards-2019**-Our Bank has won 4 awards at IBA Banking Technology Awards-2019- viz.,'The Best Technology Bank of Year-Winner', 'The Best Financial Inclusion Initiatives-Runner up', 'The Best Payments Initiatives-Runner up' and 'The Most Customer Centric Bank using Technology-Runner up'.
- **Infosys Finacle Client Innovation Awards 2019**- Our Bank has won 3 awards at Infosys Finacle Client Innovation Awards 2019 – viz., 'Process Innovation-Winner', 'Accelerated Transformation-Runner up' and 'Emerging Technologies Led Innovation-Runner up'.
- **Awards under APY :** Bank got the following awards in **campaigns announced by PFRDA**
  - Bank has been awarded as the "Second Best Performing Public Sector Bank" from PFRDA for the FY 2018-19.
  - **MD & CEO** of our Bank was awarded in APY "Leadership Capital" campaign by PFRDA.
  - **Makers of Excellence** – Executive Director of our Bank has been awarded as best Executive Director under APY.
  - **APY – Splendid 7** – General Manager FI of our Bank has been awarded as Best Performing General Manager under Major Banks category.
  - **APY – Passion for Performance – Nodal Officer** – FI of our Bank has been awarded as best performing Nodal Officer under APY.
- **Special Recognition Award** for Excellent performance in " AePS by NPCI" in "B" Category banks.

Indian Accounting Standards (Ind AS) – Progress: Implementation of Indian Accounting standards (Ind As) has been deferred till further notice, vide circular No. DBR. BP. BC. No. 29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019. Bank shall comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for financial statements for accounting period ending 31st March 2019 and thereafter in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India. In order to facilitate smooth transition to the application of Ind AS , Bank is in the process of identifying the changes required to be made in the IT system & other policies to comply with Ind AS.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR: The following changes took place in the Composition of the Board during the FY 2018-19:

- Shri J Packirisamy, assumed charge as MD& CEO on 21.09.2018.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT: The Board of Directors hereby state that

- The applicable accounting standards have been followed in the preparation of the annual accounts and proper explanations have been furnished, relating to material departures.
- Accounting policies have been selected and applied consistently, reasonable and prudent judgments and estimates have been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31.03.2019 and of the profit and loss of the Bank for the financial year ended on 31.03.2019.
- Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the relevant regulatory provisions for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- Internal Financial controls to be followed by the Bank have been laid down and such internal financial controls are adequate and are operating effectively.
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems are adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENT: Andhra Bank is grateful to the Government of India, RBI, SEBI, NABARD, and other authorities/agencies, Financial Institutions and Correspondent Banks for their valuable support and guidance. The Directors also express their deep sense of appreciation to all the staff members of the Bank for their dedicated service, outstanding professionalism and commitment towards Bank's vision for a sustainable growth. Finally, the Directors wish to sincerely thank all the customers, shareholders and other stakeholders for their valuable support.

For and on behalf of the Board,

Place : Hyderabad **(J Packirisamy)**

Date :13.05.2019 MD & CEO

प्रपत्र सं. एमआर-3
साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
[कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 204(1) तथा कंपनी के नियम 9 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसार]

सेवा में

सदस्य,

आंध्रा बैंक,

प्रधान कार्यालय

डॉ. पट्टाभि भवन

5-9-11, सैफाबाद,

हैदराबाद – 500 004.

हमने आंध्रा बैंक (एतद् पश्चात बैंक) द्वारा लागू वैधानिक उपबंधों के अनुपालन तथा उत्तम कॉर्पोरेट कार्यप्रणाली के अनुवर्तन की साचिविक लेखा परीक्षा का आयोजन किया। साचिविक लेखा परीक्षा का आयोजन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के दिशानिर्देश नोट के तहत इस पद्धति से किया गया कि जिसने हमें कॉर्पोरेट संहिता की समीक्षा/वैधानिक अनुपालन तथा उस पर हमारी राय व्यक्त करने का एक सर्वमान्य आधार प्रदान किया।

बैंक के कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिका, रजिस्टर तथा बैंक द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों के सत्यापन तथा साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान बैंक के अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न सूचिबद्ध वैधानिक उपबंधों का अनुपालन किया है। साथ ही बैंक में उचित मंडल कार्यविधियाँ तथा विस्तृत अनुपालन तंत्र हैं। इस संबंध में बनाई गई रिपोर्ट इस प्रकार है:

निम्न उपबंधों के अनुसार, 23 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक द्वारा रखे गये कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिका तथा अन्य अभिलेखों की हमने जाँच कर ली है,:

i. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949;

ii. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980; (अधिनियम)

iii. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980; (योजना);

iv. आंध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 यथा संशोधित;

v. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

vi. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उनके अंतर्गत निर्मित विनियमन एवं उपविधियाँ;

vii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियमन एवं दिशानिर्देश –

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और भार-ग्रहण) विनियमन, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन की आवश्यकता) विनियमन, 2018;

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014;

   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्ज प्रतिभूति निर्गम और सूचिबद्धता) विनियमन, 2008;

   च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के पंजीयनकर्ता) विनियमन, 1993;

   छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं) और

   ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियमन, 1998; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

   झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियमन, 2018;

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2019

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To

The Members,

ANDHRA BANK,

Head Office

Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad,

Hyderabad – 500 004.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Andhra Bank (hereinafter called the Bank). Secretarial Audit was conducted in accordance with the guidance note issued by the Institute of Company Secretaries of India and in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's papers, minute books, registers and other records maintained by the Bank and also the information provided by its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2019, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the papers, minute books and other records maintained by the Bank for the financial year ended on March 31, 2019, according to the provisions of:

(i) The Banking Regulation Act, 1949;

(ii) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980; (the Act)

(iii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980; (the Scheme)

(iv) Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended;

(v) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(vi) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(vii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 - (Not applicable to the Bank during the period of audit); and

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 - (Not applicable to the Bank during the period of audit).

(i) Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

ञ. **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिये बैंकर) विनियमन, 1994;**

ट. **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासधारी) विनियमन, 1993;**

ठ. **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उत्तरदायित्व और प्रकटन आवश्यकताओं की सूचिबद्धता) विनियमन, 2015 (सेबी (एलओडीआर));**

viii. **उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो बैंक पर लागू हो।**

हमने नीचे दिये गए लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की:

i. बीएसई लिमिटेड (बीएसी) और भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड (एनएसई) के साथ बैंक द्वारा निष्पादित किये गए सूचीबद्धता समझौते;

समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक द्वारा ऊपर दिये गए अधिनियमों, नियमों, विनियमनों, दिशानिर्देशों इत्यादि का अनुपालन किया गया। निम्नलिखित उनमें शामिल नहीं है:

- यदि बैंक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक हैं तो बोर्ड के कम-से-कम आधे अधिकारी स्वतंत्र निदेशक होने चाहिये। आंध्रा बैंक के बोर्ड में दिनांक 31.03.2019 तक 3 स्वतंत्र निदेशकों सहित कुल 8 निदेशक हैं। यह पाया गया कि आंध्रा बैंक के निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) की धारा 9(3) के (क) से (ज) खंडों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किये जाते हैं। सनदी लेखाकार निदेशक का नामांकन अधिनियम की धारा 9(3)(छ) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से विचार-विमर्श के बाद स्वतंत्र निदेशक के रूप में किया जाता है। शेयरधारक निदेशक का चुनाव अधिनियम की धारा 9(3)(झ) के अनुसार शेयरधारकों द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 9(3)(छ) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के 4 पद हैं जिनको केद्र सरकार द्वारा भरा जाना शेष है।
- लेखा परीक्षा समिति, नामांकन समिति, पारिश्रमिक समिति और प्रबंधन समिति का गठन और संयोजन अधिनियम तथा योजना के उपबंधों द्वारा शासित होता है। उक्त समितियों का पुनर्गठन केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद ही किया जा सकता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की संतुलित संख्या के साथ है। तथापि, बैंक द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) के उपबंधों की मांग के अनुरूप अभी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की रचना में हुए बदलावों का अधिनियम के उपबंधों के साथ अनुपालन किया गया।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक आयोजन हेतु पर्याप्त सूचना दी गई, कार्यसूची तथा उस पर विसतृत जानकारी पहले ही भेज दी गई, बैठक में कार्यसूची के मदों पर सूचना मांगने और अधिक स्पष्टीकरण और अर्थपूर्ण प्रतिभागिता की एक प्रणाली उपलब्ध है।

बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाता है और असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को, यदि कोई हो तो, ध्यान में रखा जाता है ऐसे विचारों को ग्रहण कर के उसका रिकॉर्ड कार्यवृत्त के भाग के रूप में रख लिया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार और परिचालन की दृष्टि से लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये बैंक में पर्याप्त प्रणालियाँ उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक में ऐसे कार्यक्रम/कार्रवाई नहीं हुई जिससे बैंक की ओर से ऊपर संदर्भित कानून, नियम, विनियम, दिशानिर्देश मानदंड इत्यादि प्रभावित हों।

स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 13.05.2019

कृते डी. हनुमंत राजू और कं

कंपनी सचिव

कंपनी सचिव डी. हनुमंत राजू

साझेदार

एफसीएस: 4044, सीपी सं: 1709

यह रिपोर्ट हमारे उस तारीख के पत्र से पढ़ी जानी है जो अनुबंध क के रूप में अनुबंधित है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

(j) Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;

(k) Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993;

(l) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR))

(viii) There are no specific laws as such applicable to the Bank other than those which are mentioned above.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE);

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above except the following:

- The Bank should have atleast half of the Board as independent directors if the Chairman is an Executive Director. Andhra Bank is having 8 directors on its Board as on 31.03.2019 including 3 independent directors. It was observed that the Directors of Andhra Bank are appointed / nominated by the Central Government under clauses (a) to (h) of Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the Act). Chartered Accountant Director is nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India who contemplates to be an Independent Director as per Section 9(3)(g) of the Act. Shareholder Directors are elected by the shareholders as per Section 9 (3) (i) of the Act. There are four vacancies of Independent Directors as per Section 9(3)(h) of the Act which are yet to be filled by Central Government.
- The Audit Committee of the Bank shall have minimum of three directors as members and 2/3rd of the members shall be independent directors and the Bank is having 5 members in its Audit Committee of which only one member is an Independent Director who is also the chairman of the Audit Committee. The Nomination Committee and Remuneration Committee of the Bank is constituted separately and it is not as per Regulation 19 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. However, the said committees are constituted on the basis of RBI circulars.

We further report that

The Board of Directors of the Bank is constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. However, the Bank is yet to appoint requisite number of Independent Directors as required under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act). The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decisions are carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank has no specific events / actions having a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

Place: Hyderabad

Date: 13.05.2019

For D. HANUMANTA RAJU & CO

COMPANY SECRETARIES

CS D. HANUMANTA RAJU

PARTNER

FCS: 4044, CP NO: 1709

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

अनुबंध क'

सेवा में

सदस्य,

आंध्रा बैंक,

प्रधान कार्यालय

डॉ. पट्टाभि भवन

5-9-11, सैफाबाद,

हैदराबाद – 500 004.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए:

1. साचिविक रिपोर्ट का अनुरक्षण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित इन साचिविक अभिलेखों पर विचार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली और कार्यविधियों का पालन किया है जो साचिविक अभिलेखों में निहित विषयवस्तु की शुद्धता के लिये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये उपयुक्त है। यह सुनिश्चित करने के लिये की सही आँकड़े प्रस्तुत किये गए हैं, उनका सत्यापन परीक्षण द्वारा किया गया। हमें विश्वास है कि जिन कार्यविधियों और कार्यप्रणालियों का हम पालन कर रहे हैं, वे हमारी राय के लिये उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेख और खाता पुस्तिका की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यकता हुई, हमने कानून, नियम, और विनियम तथा हो रहे आयोजनों इत्यादि के संबंद में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियम, विनियम, मानदंडों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच परीक्षण आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन तक सीमित है।
6. यह साचिविक अभिलेख न तो न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 13.05.2019

कृते डी. हनुमंत राजू और कं

कंपनी सचिव

कंपनी सचिव डी. हनुमंत राजू

साझेदार

एफसीएस: 4044, सीपी सं: 1709

Annexure A'

To

The Members,

ANDHRA BANK,

Head Office

Dr. Pattabhi Bhavan

5-9-11, Saifabad,

Hyderabad – 500 004.

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of Secretarial Records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial Records based on our Audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness and with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Place: Hyderabad

Date: 13.05.2019

For D. HANUMANTA RAJU & CO

COMPANY SECRETARIES

CS D. HANUMANTA RAJU

PARTNER

FCS: 4044, CP NO: 1709

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2018-19

भाग क : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) a	**लागू नहीं**
2	कंपनी का नाम	आन्ध्रा बैंक
3	पंजीकृत पता	डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
4	वेबसाईट	www.andhrabank.in
5	ई-मेल आईडी	mbd@andhrabank.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2018-19
7	कंपनी के कार्य-क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कूट-वार)	बैंकिंग
8	कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं को बताएं (तुलन-पत्र के अनुसार)	क) जमा ख) ऋण ग) निवेश
9	कुल स्थानों की संख्या जहां कंपनी के व्यापार कार्यकलाप किये जा रहे हैं	2885
i	अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 के विवरण प्रस्तुत करें)	शून्य
ii	राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	2885
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान विपणन	पैन इंडिया

भाग ख : कंपनी के वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूंजी (भारतीय रूपया)	रु. 2884.49 करोड़
2	कुल टर्नोवर (भारतीय रूपया)	रु. 3,98,511 करोड़ (जमा रु.2,19,821 करोड़ तथा अग्रिम रु. 1,78,690 करोड़)
3	कर के बाद कुल लाभ / हानि (भारतीय रूपया)	(रु.2786 करोड़)
4	कर के बाद लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय	वर्ष 2018-19 हेतु अंशदान (सीएसआर) के अंतर्गत बजट का कोई आबंटन नहीं था क्योंकि बैंक मार्च, 2018 में समाप्त वर्ष हेतु हानि रिपोर्ट कर चुका था ।
5	उपर्युक्त 4 में किया गया व्यय के क्रियाकलापों की सूची	1.शून्य

भाग ग : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की अनुषंगी कंपनी / कंपनियाँ हैं ?	1.आन्ध्रा बैंक फ़िनांशियल सर्विसेज़ लिमिटेड शून्य
2	क्या अनुषंगी कंपनी पेरेंट कंपनी की बीआर पहलुओं में भाग लेती है ? यदि हाँ, तो उन कंपनी/कंपनियों की संख्या सूचित करें ।	जी नहीं ।
3	क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरण : पूर्तिकार, वितरणकार आदि), जिनके साथ कंपनी व्यपार करती है, कंपनी के बीआर पहलुओं में भाग लेते हैं ? यदि हाँ, तो उस संस्था/संस्थाओं के प्रतिशत सूचित करें ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]	जी नहीं ।

भाग घ : बी आर सूचना

1. **बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण**

क. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	07984364
नाम	श्री कुल भूषण जैन
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2018-19

Section A: General Information about the Company

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	**Not applicable**
2	Name of the Company	ANDHRA BANK
3	Registered Address	DR PATTABHI BHAVAN, 5-9-11, SAIFABAD, HYDERABAD – 500 004.
4	Website	www.andhrabank.in
5	E -mail id	mbd@andhrabank.co.in
6	Financial Year reported	2018-19
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code - wise)	BANKING
8	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in Balance Sheet)	(A) DEPOSITS (B) LOANS (C) INVESTMENTS
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	2 885
i	Number of International Locations (Provide details of major 5)	NIL
ii	Number of National Locations	2 885
10	Markets served by the Company	PAN INDIA

Section B: Financial Details of the Company

1	Paid up Capital (INR)	Rs. 2884.49 Crs
2	Total Turnover (INR)	Rs.3,98,511 Crs (Deposits Rs 2,19,821 Crs & Advances Rs.1,78,690 Crs)
3	Total profit/(**loss**) after taxes (INR)	(Rs.2786 Crs)
4	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%).	There was no allocation of budget under Donation (CSR) for the year 2018-19 as the Bank had reported loss for the year ended March, 2018.
5	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%).	NIL

Section C: Other Details

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	1.ANDHRA BANK FINANCIAL SERVICES LTD
2	Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR initiatives of the Parent Company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	NO
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	NO

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a. Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	*07984364*
Name	*Sri Kul Bhushan Jain*
Designation	*Executive Director*

ख. बीआर प्रमुख के विवरण

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	08413075
2	नाम	श्री एम बी राजेन्द्र प्रसाद
3	पदनाम	महा प्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	040 – 23252371
5	ई-मेल आईडी	mbd@andhrabank.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (हाँ / नहीं में उत्तर दें(

(क) अनुपालन का विवरण (हाँ / नहीं में उत्तर दें(

क्र.सं	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए नीति तैयार की जा रही है	हाँ *	हाँ ^	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नही	हाँ	हाँ
2	क्या आपके पास नीति/ नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्द(	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, तो क्या यह एमडी /स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
5	क्या पॉलिसी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/आधिकारिक कंपनी की एक विशिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का संकेत मिलता है?	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों को भेजी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या पॉलिसी/नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी की आंतरिक संरचना है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9	क्या नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/ नीतियों से संबंधित कंपनी की शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के काम का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

@ बैंक द्वारा कई नीतियाँ औपचारिक रूप से स्थापित की जाती हैं जो बैंक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कार्यों का संचालन करती हैं । यद्यपि, उसी समय, बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देश होते हैं, जो ऑपरेटिंग इकाइयों के साथ-साथ नीतियों पर औपचारिक रूप से लागू होते हैं । इसी तरह, बैंक नियामकों, संबद्ध संघों और अन्य विधियों द्वारा बैंकिंग कार्यों को पूरा करते हुए तैयार की गई नीतियों को भी कार्यान्वित करता है ।

विभिन्न दिशा-निर्देशों और नीतियों को तैयार करते समय, नीतियों को हितधारकों के विचार/प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है।

* सिद्धांत 1 के अंतर्गत, बैंक मुख्यतः सीवीसी दिशा-निर्देशों का पालन करता है, जैसा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में होता है । (लिंक: http://cvc.nic.in/ man04.pdf)

^ सिद्धांत 2 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को बैंक की ऋण नीति द्वारा शासित किया जाता है जो कि आंतरिक उपयोग के लिए ही है और इसलिए, ऑनलाइन नहीं देखा जा सकता है ।

** क्रम सं. 3: बैंक द्वारा अनुपालन की जा रही सभी नीतियां विभिन्न नियामकों और भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत के संविधान, कानूनी अधिनियम आदि जैसे वैधानिक निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं । अत:, वे राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं ।
लिंक: www.andhrabank.in

b. Details of the BR Head

S.No.	Particulars	Details
1	DIN Number (if applicable)	08413075
2	Name	Sri M B Rajendra Prasad
3	Designation	General Manager
4	Telephone Number	040 - 2325 2371
5	e -mail id	mbd @andhrabank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

(a) Details of Compliance (Reply in Y/N)

S.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1@	Do you have a policy/ policies for	Y *	Y ^	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3	Does the policy conform to any national/ international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4	Has the policy being approved by the Board? if yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
5	Does the Company have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
8	Does the Company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

@ There are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the Bank directly or indirectly. However, at the same time, there are various guidelines issued by the Bank from time to time, that are followed by the operating units as well as the policies are formally put in place. Similarly, the Bank also implements the policies framed by regulators, affiliated associations and other statutes while carrying out the banking functions.

While framing the various guidelines and policies, the views/feedback of stake holders is taken into consideration.

* Under Principle 1, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. (Link: http://cvc.nic.in/ man04.pdf)

^ Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

2. ख. यदि क्रम सं. 1 का जवाब किसी भी सिद्धांत के प्रति नहीं है, तो क्यों, कृपया समझाएं : (2 विकल्प तक टिक करें)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई है ।	पी 7 के लिए नीति न होने का कारण								
2	कंपनी निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने तथा कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है ।									
3	कंपनी के पास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।	पी 7 के लिए कोई नीति नहीं है क्योंकि बैंक सार्वजनिक और विनियामक निकायों को प्रभावित करने में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा है। तथापि, बैंक "बैंकिंग सिस्टम" के संबंध में नीति निर्माताओं / नियामकों के साथ जुड़ा हुआ है।								
4	यह अगले 6 महीनों के अंदर किये जाने की योजना है ।									
5	यह अगले 1 वर्ष के अंदर किये जाने की योजना है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3 . बीआर से संबंधित गवर्नेंस

* निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के बी आर कार्यनिष्पादन का आकलन करने की अंतराल अवधि का उल्लेख करें । 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वर्ष में एक बार, एक वर्ष से भी अधिक --- वर्ष में एक बार ---

* क्या कंपनी बीआर या एक वहनीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है ?

हाँ, बीआर रिपोर्ट www.andhrabank.in पर देखी जा सकती है ।
यह वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है ।

भाग ङः सिद्धांत-वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सं संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है ? हाँ/नही। क्या यह समूह/ संयुक्त उपक्रम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार गैर-सरकारी संगठन/अन्य के लिए विस्तारित है?

उत्तर : "व्यवसायों को आचार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ स्वयं को शासन करना चाहिए"

हाँ, इसमें बैंक और संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को शामिल किया गया है ।

बैंककारी कंपनी)उपक्रमों का अर्जन और अंतरण(अधिनियम, 1980 के तहत नए बैंक के रूप में आन्ध्रा बैंक का गठन किया गया है।

बैंक को मजबूत नैतिक मूल्यों पर स्थापित किया गया है तथा अपने ईमानदार और विवेकपूर्ण नेतृत्व द्वारा आगे बढ़ाया गया है । वित्तीय सत्यनिष्ठा , व्यवसायिक समझदारी, सावधानी और लोगों की कड़ी कमाई की बचत के लिए एक स्थायी देखभाल और चिंता करते हुए बैंक सामाजिक जिम्मेदारी की एक गहरी समझ के साथ एक ग्राहक केंद्रित संगठन बनाने के लिए और विश्व स्तर के मानकों के कार्यनिष्पादन को प्राप्त करने के लिए लगातार तकनीक का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

बैंक में "विसल ब्लोअर" की नीति है तथा भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन और निधियों का दुर्विनियोजन की जांच हेतु सतर्कता प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

1) सभी अधिकारियों द्वारा वार्षिक आस्तियों और देयताओं का विवरण प्रस्तुत करना
2) संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची :
सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची वर्ष में एक बार तैयार / समीक्षा की जाती है ।
3) उपर्युक्त सूचियों में सूचित अधिकारियों की तैनाती :
मानव संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचियों में सूचित अधिकारियों को संवेदनशील कार्य में तैनात नहीं किया जाता है। सतर्कता विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है ।

S. No. 3: All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, SEBI, Constitution of India, legal Acts etc. Hence, they conform to national standards.

Link: www.andhrabank.in

2.b. If answer to the question at Serial .No.1 against any principle, is 'No', please explain why : (Tick up to 2 options)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	The company has not understood the Principles	Reason for not having policy for P7 There is no policy for P7 as Bank is not directly engaged in influencing public and Regulating Bodies. However Bank is associated with Policymakers / Regulators in respect of "Banking System".								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task.									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next 1 year									
6.	Any other reason (please specify)									

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year. ---ANNUALLY —---
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

YES , BR Report can be viewed at www.andhrabank.in

It is published annually.

Section E : Principle-wise performance

Principle 1

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

Reply: "Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability"

Yes, it covers the Bank and Joint Ventures/Suppliers/Contractors.

Andhra Bank has been constituted as corresponding new Bank under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980.

The Bank has been founded on strong ethical values taken forward by its honest and prudent leadership. The financial integrity, business prudence, caution and an abiding care and concern for the hard earned savings of people, Bank is committed to create a customer centric organization with a deep sense of social responsibility and to continuously leverage technology to attain world class standards of performance and maximising the stake holders' value.

Bank does have a policy of "Whistle blower" and procedures regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds as under:

1) Assets and Liabilities return filed by all Officers on an Annual Basis

2) List of Officers of Doubtful integrity :

As per CVC guidelines, list of Officers of Doubtful integrity is prepared/ reviewed annually.

3) Posting of officers appearing in the above lists :

It is ensured by the HR Department that the officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments. This is monitored by Vigilance Department.

4) **कर्मचारियों का रोटेशन :**
बैंक में संवेदनशील पदों में कर्मचारियों के रोटेशन की निगरानी की जाती है तथा मासिक रिपोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग को जानकारी प्रस्तुत की जाती है ।
5) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में अनुबंधों को प्रदान करते समय सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है ।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने शेयरधारक की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा किस प्रतिशत तक संतोषपूर्वक समाधान किया गया है ? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें ।

उत्तर : वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 4154 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी शिकायतों का समाधान किया गया। शिकायतें लाभांश नहीं प्राप्त होना, भौतिक शेयरधारकों के लिए पते में परिवर्तन, शेयरधारकों की मृत्यु पर शेयरधारकों के शेयरों के अंतरण, शेयरों के अंतरण, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण-पत्र, भौतिक शेयरधारकों के लिए ईसीएस सुविधा हेतु बैंक खाते अद्यतन करना, ई-मेल (ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत) के माध्यम से प्राप्त शेयरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति ।

सिद्धान्त 2
1. अपने तीन उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनकी रुपरेखा में सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिम तथा/या अवसरों को शामिल किया है ।

I. वित्तीय समावेशन (एफआई) अभियान
आधार सीडिंग तथा आधार अधिप्रमाणन:
बैंक ने सक्रिय कासा खातों में आधार सीडिंग का 78.20 प्रतिशत तथा आधार अधिप्रमाणन में 69.58 प्रतिशत प्राप्त किया है ।
पीएमजेडीवाई अभियान :
डीएफएस, वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं और बैंकों को अभियान माध्यम द्वारा दि.01.10.2018 से दि.31.03.2019 की अवधि के दौरान रुपे कार्ड जारी करने के साथ-साथ पीएमजेडीवाई खाते खोलने के लक्ष्य को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है । बैंक को अभियान की समाप्ति पर निम्नानुसार उपलब्धि हुई है ।

क्रम संख्या	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	पीएमजेडीवाई खाते	6,56,000	3,39,387	52.84
2	रुपे कार्ड जारी करना	6,56,000	2,01,498	23.67
3	ओडी की मंजूरी और संवितरण	लक्ष्य नहीं	66,064	--
4	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवरेज	6,00,000	1,31,319	21.83

अटल पेन्शन योजना (एपीवाई) :
➢ पीएफआरडीए द्वारा संगठित विभिन्न अभियानों में बैंक की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं ।
- बैंक को 2015-16 से 2017-18 तक लगातार तीन वर्षों से पीएफआरडीए से "बैस्ट परफोंमिंग पब्लिक सेक्टर बैंक" पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ।
- बैंक को वर्ष 2018-19 हेतु पीएफआरडीए द्वारा "सैकिंगड बैस्ट परफोंमिंग पब्लिक सेक्टर बैंक" पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।
- एपीवाई – स्प्लेंडिड 7 – हमारे बैंक के महा प्रबंधक – वित्तीय समावेशन को बड़े बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत बैस्ट परफोंमिंग महा प्रबंधक पुरस्कार प्राप्त हुआ है ।
- एपीवाई – पैशन फोर परफ़ौरमेंस – हमारे बैंक के नोडल अधिकारी – एफआई को एपीवाई के अंतर्गत बैस्ट परफोंमिंग नोडल अधिकारी से सम्मानित किया गया है ।
- मेकर्स ऑफ़ एक्सीलेंस – हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक को एपीवाई के अंतर्गत बैस्ट एक्ज़ीक्युटिव डायरेक्टर से सम्मानित किया गया है ।
- हमारे बैंक के एमडी व सीईओ को पीएफआरडीए द्वारा एपीवाई "लीडरशिप अभियान" में सम्मानित किया गया है।
- बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान 76 खाते प्रति शाखा के औसत सहित 1,73,220 के लक्ष्य के प्रति 2,23,454 एपीवाई खातों का नामांकन किया है ।
- बैंक ने रु. 3.95 करोड़ का प्रोत्साहन प्राप्त किया है जिसमें से 1.99 करोड़ नए नामांकन, रु. 0.23 करोड़ मात्रा पर आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन और रु. 1.72 करोड़ सततता प्रोत्साहन हैं ।

ग्राम स्वराज अभियान (ईजीएसए):
डीएफएस, वित्त मंत्रालय ने दि.01.06.2018 से दि.15.08.2018 तक देश के 115 प्रेरणात्मक जिलों में विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान (ईजीएसए) की घोषणा की है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, डीएफएस ने वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत सर्वव्यापी कवरेज प्रदान करने के लिए अभियानों के आयोजन हेतु 1000 जनसंख्या से अधिक वाले लगभग 48,503 गाँवों की पहचान की है । पहचान किए गए 117 प्रेरणात्मक जिलों में से, हमारे बैंक की मौजूदगी 35 जिलों में है जिसके अंतर्गत 341 गाँव हैं ।

4) **Rotation of staff :**

Rotation of staff in sensitive positions in the Bank is monitored and information is submitted to the Central Vigilance Commission in monthly reports.

5) In case of services rendered by suppliers/contractors, CVC guidelines are followed while awarding the contracts.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Reply: Total number of complaints/requests received during 2018-19 is 4154 and all the complaints are resolved. The Complaints/requests are with regard to dividend not received, change of address for physical share holders, transmission of shares in case of death of share holder, transfer of shares, duplicate share certificates, updating of Bank account details for ECS facility for physical share holders, request for physical copy of Annual Reports by shareholders who receive through Emails (Under Green Initiative).

Principle 2

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risk and/or opportunities.

I. Financial Inclusion (FI) Campaign.

Aadhaar Seeding and Aadhaar Authentication:

Bank has achieved 78.20% of Aadhaar seeding and 69.58% in Aadhaar Authentication in active CASA accounts.

PMJDY Campaign:

DFS, Ministry of Finance has set targets for all Banks and Banks need to achieve the targets for opening of PMJDY accounts along with issuance of RuPay cards during the period from 01.10.2018 to 31.03.2019 in a campaign mode. Bank has achieved the following by the end of campaign.

ment

S No	Particulars	Target	Achievement	% of achievement
1	*PMJDY Accounts*	*6,56,000*	*3,39,387*	*52.84*
2	*Issuance of RuPay Cards*	*6,56,000*	*2,01,498*	*23.67*
3	*Sanctioning and Disbursement of OD*	*No target*	*66,064*	*--*
4	*Coverage under Social Security Schemes*	*6,00,000*	*1,31,319*	*21.83*

Atal Pension Yojana (APY) :

➢ Following are the achievements of Bank in various campaigns organized by PFRDA.

- Bank has been awarded as the "Best Performing Public Sector Bank" from PFRDA for three consecutive years from 2015-16 to 2017-18.
- Bank has been awarded as the "Second Best Performing Public Sector Bank" from PFRDA for the year 2018-19.
- APY – Splendid 7 – General Manager- Financial Inclusion of our Bank has been awarded as Best Performing General Manager under Major Banks category.
- APY – Passion for Performance – Nodal Officer – FI of our Bank has been awarded as best performing Nodal Officer under APY.
- Makers of Excellence – Executive Director of our Bank has been awarded as best Executive Director under APY.
- MD & CEO of our Bank was awarded in APY "Leadership Capital" campaign by PFRDA.
- Bank has enrolled 2,23,454 APY accounts during the Financial Year with average of 76 accounts per branch against a target of 1,73,220.
- Bank has received an incentive of Rs.3.95 Crores of which 1.99 Crores towards fresh enrollments, Rs.0.23 Crores towards volume based additional incentive and Rs. 1.72 crores towards persistency incentive.

Extended Gram Swaraj Abhiyan (EGSA):

DFS, Ministry of Finance has announced Extended Gram Swaraj Abhiyan (EGSA) in 115 aspirational districts of the country from 01.06.2018 to 15.08.2018. Under this programme, DFS has identified about 48,503 villages having above 1000 population for conducting campaigns to provide universal coverage under financial inclusion related schemes such as PMJDY, PMSBY & PMJJBY. Of 117 identified inspirational districts, our Bank presence is in 35 Districts under which 341 villages exist.

पीएमजेडीवाई			पीएमएसबीवाई			पीएमजेजेबीवाई		
लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
28,263	31,335	110.87	33,657	34,996	103.98	20,233	21,439	105.96

बैंक ने पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पार किया है ।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण काउंसिलिंग केंद्र (आईएफएलसीसी):

3 एफएलसीसी एक कर्नाटक राज्य के सिरिगुप्पा में, तेलंगाना राज्य में एक जगतियल और एक सिद्दीपेट में परिचालन आरंभ कर चुके हैं । इस बैंक के साथ कुल 11 एफएलसीसी कार्यरत हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ।

बैंक मित्र फैसिलिटेटर्स:

बैंक मित्र गतिविधियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने के कारण, बैंक ने आन्ध्र प्रदेश के 8, तेलंगाना के 4 और उड़ीया राज्य के 3 जिलों में बैंक मित्र फैसिलिटेटर्स नियुक्त किए हैं ।

एइपीएस (आधार इनेबुल भुगतान प्रणाली) विशेष पुरस्कार:

बैंक ने "बी" श्रेणी बैंकों में दि.29.05.2018 को एनपीसीआई द्वारा एइपीएस में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार प्राप्त किए हैं ।

आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना:

डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक 10 शाखाओं के लिए एक नामांकन केंद्र स्थापित करने की सलाह दी है । वर्तमान शाखा नेटवर्क के अनुसार, बैंक को पूरे भारत में 290 नामांकन केंद्रों की स्थापना करने की आवश्यकता है । तदनुसार बैंक ने 290 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों की स्थापना की और शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया ।

- महाराष्ट्र राज्य में हमारी वशी शाखा ने नामांकन की उच्चतम संख्या पंजीकृत करने के लिए युआईडीएआई से श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन शाखा पुरस्कार प्राप्त किया है ।
- बैंक ने दि.31.03.2018 को नाबार्ड से 265 आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना हेतु रु. 2.11 करोड़ का पूँजी प्रोत्साहन दावा प्राप्त किया है ।

II. ग्रामीण विकास:

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम रु. 78318 करोड़ हैं और दि.31.03.2019 को 11.69 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की बढ़त दर्ज की है । मार्च 2018 के बाद पूर्ण वृद्धि रु. 8197 करोड़ है । पीएसएलसी (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम निवल रु. 62743 करोड़ है । बैंक ने भारिबैंक के ई-कुबेर पोर्टल द्वारा रु. 17475 करोड़ का पीएसएलसी सामान्य / एसएफ-एमएफ निवल विक्रय किया है और पीएसएलसी / आईबीपीसी से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 133.50 करोड़ का प्रीमियम / कमीशन अर्जित किया है ।

कृषि – प्राथमिकता को ऋण

मार्च 2019 की समाप्ति पर 13.80 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की दर से वृद्धि अर्जित करते हुए बैंक के कृषि अग्रिम (कृषि-प्राथमिक) रु. 33725 करोड़ रहे । मार्च 2018 के बाद पूर्ण वृद्धि रु. 4088 करोड़ है । कृषि – प्राथमिक अग्रिम (रु. 7875 करोड़ के पीएसएलसी एसएफ/एमएफ और पीएसएलसी-कृषि के निवल विक्रय के पश्चात) रु. 25850 करोड़ रहे ।

लघु और सीमांत किसानों को ऋण

लघु और सीमांत किसानों को दि.31.03.2019 को रु. 14691 करोड़ ऋण था (पीएसएलसी एसएफ/एमएफ के अंतर्गत रु. 8375 करोड़ के निवल विक्रय के पश्चात) ।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण

बैंक ने दि.31.03.2019 को कुल रु.7559 करोड़ के एक्सपोज़र के साथ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 237415 की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है ।

महिला हिताधिकारियों को दि.31.03.2019 को कुल रु.25096 करोड़ ऋण का विस्तार किया गया था यानि पाँच प्रतिशत मानदंड के प्रति निवल बैंक ऋण का 15.22 प्रतिशत ।

कमज़ोर वर्गों को ऋण

कमज़ोर वर्गों (पीएसएलसी एसएफ/एमएफ के अंतर्गत रु. 8375 करोड़ के निवल विक्रय के पश्चात) को अग्रिम रु. 19048 करोड़ रहे ।

अल्पसंख्यकों को ऋण

दि.31.03.2019 को, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले जिलों में बैंक की 335 शाखाएं हैं । देश भर में बैंक के कुल नेटवर्क में से, दि.31.03.2019 को अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले जिलों में शाखाओं का प्रतिशत 8.10 प्रतिशत रहा (यानि, रु. 6357) ।

कृषि के अंतर्गत एनपीए

दि.31.03.2019 को कुल कृषि अग्रिमों रु.36961 करोड़ (कृषि गैर-प्राथमिक सहित) में से, कृषि के अंतर्गत एनपीए रु.1719 करोड़ है जो पिछले वर्ष के दौरान 4.11 प्रतिशत के प्रति सकल कृषि अग्रिमों का 4.65 प्रतिशत है ।

आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास न्यास

आन्ध्रा बैंक ग्रामीण विकास ट्रस्ट आन्ध्र प्रदेश(9), तेलंगाना(2), उड़ीसा(2), और केरला(1) राज्यों में 14 ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान चला रहा है तथा क्षमता निर्माण / उद्यमिता विकास और ज्ञान के प्रसार के लिए किसानों, एसएचजी महिलाओं, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं तथा कारीगरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ।

Following is the status of targets and achievement as on 31.08.2018 under EGSA :

PMJDY			PMSBY			PMJJBY		
Target	Achievement	% of Achievement	Target	Achievement	% of Achievement	Target	Achievement	% of Achievement
28,263	31,335	110.87	33,657	34,996	103.98	20,233	21,439	105.96

Bank has exceeded the set targets under PMJDY, PMSBY and PMJJBY.

Financial Literacy and Credit counseling Centers (FLCC) :

3 FLCCs one at Sirguppa in Karnataka state, one each at Jagtial and Siddipet in Telangana state started operations. With this bank is having total of 11 FLCCs functioning and are providing services.

Bank Mitra Facilitators :

As number of Bank Mitra activities are increasing on day to day basis, Bank has appointed Bank Mitra Facilitators in 8 Districts of Andhra Pradesh, 4 districts in Telangana and in 3 Districts of Odisha State.

AePS (Aadhaar enabled Payment System)Special Award:

Bank has received Special Recognition Award for Excellent Performance in AePS by NPCI on 29.05.2018 in "B" category Banks.

Establishment of Aadhaar Enrolment Centres:

DFS, Ministry of Finance, Govt. of India has advised all Banks to establish 1 enrolment centre for every 10 branches. As per existing branch network, Bank needs to establish 290 enrolment centres PAN India. Accordingly Bank has established 290 Aadhaar enrolment and updation centres and achieved 100% target.

- Our Vashi branch in Maharashtra state has received Best Performing Branch award from UIDAI for registering highest number of enrollments.
- Bank has received capital incentive claim of Rs. 2.11 Crores from NABARD towards establishment of 265 Aadhaar Enrollment Centres as on 31.03.2018.

II. Rural Development :

Priority Sector advances of the bank stood at Rs.78318 Crore and registered a growth of 11.69% (Y-O-Y) as on 31.03.2019. The absolute increase over March. 2018 is Rs. 8197 Crore. Total Priority sector advances net of PSLC (Priority Sector Lending Certificates) is Rs.62743 Cr. Bank has made net sale of Rs. 17475 Cr PSLC General / SF-MF through e-kuber portal of RBI and earned a premium / commission from PSLCs /IBPCs for Rs.133.50 Cr during the FY 2018-19.

Credit to Agriculture-Priority

Agricultural advances (Agri-Priority) of the Bank stood at Rs. 33725 Crore at the end of March. 2019, registering a growth rate of 13.80 % (YO-Y). The absolute increase over March 2018 is Rs. 4088 Crore. Agri. Priority advances (after net sale of PSLC SF/MF & PSLC-Agri of Rs.7875 Cr) are at Rs.25850 Cr.

Lending to Small & Marginal Farmers

Loans to **Small & Marginal Farmers** as on 31.03.2019 was Rs.14691 Cr (after net sale of Rs.8375 Crs under PSLC SF/MF)

Lending to Self Help Groups

Bank has extended financial assistance to 237415 Self Help Groups (SHGs) with total exposure of Rs.7559 Crore as on 31.03.2019.

Total credit extended to women beneficiaries as on 31.03.2019 was at Rs. 25096 Cr i.e., 15.22 % of Net Bank Credit as against norm of 5%.

Credit to Weaker Sections

Advances to Weaker sections (after net sale of Rs.8375 Cr under PSLC SF/MF) stood at Rs.19048 Crore.

Credit to Minorities

As on 31.03.2019, Bank is having 335 branches in Minority dominated Districts. Of the Bank's total network across the country, the percentage of Branches in minority dominated Districts stood at 8.10 % (i.e., Rs 6357 Crs) as on 31.03.2019.

NPA under Agriculture

Out of Total Agricultural advances of Rs.36961 Cr (including Agri-Non priority) as on 31.03.2019, NPA under Agriculture is Rs.1719 Cr which is 4.65% of Gross Agril. Advances as against 4.11 % during previous year.

Andhra Bank Rural Development Trust

Andhra Bank Rural Development Trust is running 14 Rural Self Employment Training Institutes in A.P (9), Telangana (2), Odisha (2), &

स्थापना पश्चात, संस्थानों द्वारा 181327 उम्मीदवारों को 6298 कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है तथा करीब 79.01% प्रशिक्षित उम्मीदवार लाभकारी उद्यमों में कार्यरत्त हैं । 50.34% उम्मीदवार बैंक शाखाओं से ऋण सम्बद्ध कर स्थापित किए गए हैं । वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थानों ने 387 कार्यक्रमों के माध्यम से 9927 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया है ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आरएसईटीआई योजना के अधीन सभी आरएसईटीआई को सर्वोच्च "एए / ए" रेटिंग प्रदान की गई है । एनआईआरईडी राजम (जिला श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश राज्य), आन्ध्रा बैंक द्वारा प्रायोजित आरएसईटीआई में से एक को श्री ई. एस. एल. नरसिम्हन, आन्ध्र प्रदेश और तेलुगाना के माननीय गवर्नर द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी – तेलंगाना स्टेट ब्रांच की वार्षिक आम सभा बैठक के दौरान "सेवा अवार्ड" प्राप्त हुआ ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित, गुंटूर, पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी को कवर करते हुए 218 शाखाओं वाली, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक को प्रायोजित किया है । दि.31.03.2019, को कुल व्यवसाय रु. 9580.52 करोड़ और कर के बाद निवल लाभ रु. 66.50 करोड़ रहा । औसत अग्रिम से सकल एनपीए का प्रतिशत 1.00 है ।

III. हरित बैंकिंग - बैंक ने कई पर्यावरणीय अनुकूलक उपायों, तथा कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), इन्टरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, कैश/चैक स्वीकृतकर्ता, बॉयोमीट्रिक एटीएम इत्यादि आरम्भ किए हैं।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक) :

I. गत वर्ष के बाद से मूल्य श्रृंखला में सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी ?
लागू नहीं

II. गत वर्ष के बाद से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कितनी कमी हासिल की गई है ?
लागू नहीं

3. कम्पनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं ?
नहीं

I. यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया था ? इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण भी प्रदान करें ।

4. क्या कम्पनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से सामान तथा सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हों ? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और उत्पादकता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?
भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई –II दिनांक 15 जून 2017 के अनुसार अनुसरण किया जाता है ।

5. क्या कम्पनी के उत्पादों और अवशिष्ट को पुन:चक्रित(रिसाइकल) करने के लिए कोई तन्त्र है ? यदि हां, उत्पादों और अवशिष्ट के पुन:चक्रित(रिसाइक्लिंग) का प्रतिशत कितना है (पृथ्क रूप से <5%, 5-10%,> 10%) इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण भी प्रदान करें।
लागू नहीं

सिद्धान्त 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं । 21403
2. कृपया अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं । 3806
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं । 6262
4. कृपया स्थायी कर्मचारियों में दिव्यांगों की संख्या बताएं । 684
5. क्या प्रबन्धन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है । -हाँ
6. स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का सदस्य है ? -98%
7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी और यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या सूचित करें ।

क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	NIL
2	यौन उत्पीड़न	1	1
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	NIL

Kerala (1) states and imparting need based training for capacity building/entrepreneurial development and dissemination of knowledge to farmers, SHG women, Rural unemployed youth and artisans.

Since inception, 1,81,327 candidates have been trained through 6298 programs by the Institutes and around 79.01% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. 50.34% of settled candidates are credit linked by the Bank branches. During the year FY 2018-19, the institutes imparted training to 9927 candidates through 387 programs.

All 12 RSETIs under RSETI scheme of MoRD awarded with highest rating "AA / A" by Ministry of Rural Development, Govt. of India for the year 2017-18.

NIRED Rajam (Srikakulam District, Andhra Pradesh State), one of the RSETIs sponsored by Andhra Bank received "Seva Award" from Shri E.S.L Narasimhan, Hon'ble Governor of Andhra Pradesh and Telangana during Annual General Body Meeting of Indian Red Cross Society – Telangana State Branch.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored one Regional Rural Bank namely Chaitanya Godavari Grameena Bank located in Guntur (Andhra Pradesh), covering the districts of Guntur, East Godavari and West Godavari with 218 branches. As on 31.03.2019, the total business stood at Rs.9580.52 Crore, and Net profit after Tax is Rs.66.50 Crore. Percentage of Gross NPA to Average Advances is 1.00.

III. **Green Banking** – The Bank has introduced several environment friendly measures, viz, Core Banking Solution, Internet Banking, Tele banking, Mobile banking, ATMs, Cash/cheque acceptor, Biometric ATMs etc.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

   I. Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

   Not Applicable

   II. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

   Not Applicable

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

   No

   I. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

   The Department of Industrial policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India order no: P-45021/2/2017 B.E:-II dt 15th June, 2017 is followed.

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as < 5%, 5-10%, > 10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

   Not Applicable

Principle 3

1. Please indicate the Total number of employees: 21403
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.:3806
3. Please indicate the Number of permanent women employees.:6262
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities:684
5. Do you have an employees association that is recognized by management. - YES
6. What percentage of your permanent employees is member of this recognized employee association? - 98%.
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending , as on the end of the financial year.

No.	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1	Child labour / forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	1	1
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. पिछले वर्ष आपके निम्न कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा तथा कौशल अप-ग्रेडिंग प्रशिक्षण प्रदान किया गया था?

क) स्थायी कर्मचारी -48.98 %

ख) स्थायी महिला कर्मचारी -19.71% से अधिक

ग) आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी -शून्य

घ) दिव्यांग कर्मचारी -2% से अधिक

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाहरी हितधारकों को चिह्नित(मैप) किया है?

हाँ

2. उपरोक्त में से, क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर और सीमान्त हितधारकों की पहचान की है।

हाँ

3. क्या कम्पनी ने वंचित, कमजोर और सीमान्त हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है। यदि ऐसा है, इसके बारे में 50 शब्द या उससे अधिक में विवरण भी प्रदान करें।

बैंक ने वंचित, कमजोर और सीमान्त हितधारकों को कार्य में संलग्न करने तथा लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विशेष पहल की है। इनमें से कुछ निम्नानुसार है:

अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जनजाति(एसटी)/पिछड़ा वर्ग(बीसी)/अल्पसंख्यक कर्मचारी

बैंक सभी कर्मचारियों के साथ बिना किसी भेदभाव, जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी पूर्वाग्रह के बिना समान व्यवहार की नीति का पालन करता है। बैंक अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जनजाति(एसटी)/पिछड़ा वर्ग(बीसी)/अल्पसंख्यक कर्मचारी को कुछ विशेष लाभ/सुविधाएं/सहायता यथा पूर्व भर्ती प्रशिक्षण, पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण आदि प्रदान करता है।

दिव्यांग व्यक्ति :

एक नियोक्ता के रूप में बैंक, अपने सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य प्रदत्त लाभ अन्य कर्मचारियों के समान हैं। दिव्यांग कर्मचारियों की अपने पद पर नियुक्ति के समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपनी दिव्यांगता के बावजूद आराम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

बाह्य वंचित, कमजोर और सीमान्त हितधारकों को कार्य में संलग्न करने तथा लाभ प्रदान करने के लिए की गई पहल :

क) ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं में कृषि ऋण के लिए "बे-बाकी प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने से छूट।

ख) ₹₹रु. 1.60 लाख तक के कृषि ऋण को बिना किसी मार्जिन आवश्यकता के कर दिया गया है।

ग) कृषि ऋण के अन्तर्गत ₹रु. 1.60 लाख तक तथा 5 वर्षों हेतु साबित शीघ्र भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में रु. 3.00 लाख तक, कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं।

घ) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अधीन, किसानों को फसल उत्पादन के लिए कृषि निवेश यथा फसल उत्पादन तथा कृषि निवेश /कृषि तथा सम्बद्ध इकाईयों की स्थापना के लिए मीयादी ऋण।

ङ) किसान चक्र –किसानों को दोपहिया तथा चारपहिया वाहनों के लिए वित्त।

च) किसान बन्धु –ट्रैक्टर खरीद तथा कृषि मशीनरी के लिए वित्त।

छ) किसान सम्पत्ति –ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए वित्त।

ज) जलीय कृषि करने वाले किसानों के लिए किसान मत्स्य रक्षक योजना।

झ) "किसान कल्पतरू" योजना निम्न ब्याज दर के साथ अगले 2-3 वर्षों में ऋणी/किसान के द्वारा की जाने वाली विविध गतिविधियों के लिए पृथक उप सीमाओं के साथ झंझट रहित एकल स्वीकृति मीयादी ऋण।

ञ) "किसान मित्र" –प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा प्राप्त होने वाली प्राप्तियों पर ऋण आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना।

ट) "पट्टाभि सीतारामय्या –स्व व्यापार समूह योजना" स्वयं सहायता समूह संविभाग के अधीन नकदी ऋण वित्त तथा मीयादी ऋण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन।

ठ) महिला सशक्तिकरण उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह वित्त।

ड) संयुक्त देयता समूह –फसलों के उत्पादन के लिए किराएदार कृषकों को वित्त-पोषण।

ढ) रायतू मित्र समूह –किसानों के समूह को वित्त (छोटे तथा सीमान्त स्वामी कृषकों तथा किराएदार कृषकों के लिए)।

ण) दुधारू पशुओं की खरीद के लिए डेयरी ऋण।

त) हाइड्रोपोनिक्स के तहत हरित चारे की खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराना।

थ) सौर ऋण –सौर जल पम्प तथा घर के सौर प्रकाश की खरीद के लिए प्रोत्साहन।

द) कृषि स्नातकों द्वारा कृषि उत्पादों (इनपुट) तथा उर्वरक (फर्टिलाइजर), बीज, कीटनाशकों आदि के निर्माण के लिए कृषि व्यवसाय केन्द्र तथा कृषि क्लिनिकों की स्थापना।

ध) प्रधानमन्त्री कार्यक्रम के अधीन अल्पसंख्यकों को वित्त पोषण।

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-grading training in the last year?
   (a) Permanent Employees - 48.98 %
   (b) Permanent Women Employees - 19.71 % of the above
   (c) Casual/Temporary/Contractual Employees - NIL
   (d) Employees with Disabilities - 2 % of the above

Principle 4

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders?

   Yes

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.

   Yes

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

- The Bank has taken various special initiatives to engage and extend benefits to the internal disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. Few of them are us under :

SC/ST/BC/Minority Employees

The Bank practises a policy of equal treatment to all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/facilities/assistance to employees belonging to SC/ST/BC and Minority category such as pre-recruitment training /pre promotion training.

Persons with Disabilities

The Bank as an employer provides equal opportunities to all its employees. The wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably despite their disability.

Initiatives to engage and extend benefits to the external disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders :

a) Dispensed with obtaining "No Dues Certificate" for agriculture loans in Rural & Semi Urban branches.

b) Margin requirements are waived for agricultural loans up to Rs 1.60 Lakh.

c) No collateral security upto Rs 1.60 lacs under Agri advances and in case of borrowers with proven prompt payment track record for 5 years, upto Rs. 3.00 lakhs.

d) Under Kisan Credit Card (KCC) Scheme, finance is extended to the farmers for raising crops i.e. crop production and term loans for Agril investment / setting up of Agri and allied units.

e) Kisan chakra – Finance to 2 Wheeler and 4 Wheeler to farmers.

f) Kisan Bandhu – Finance to Tractor purchase and farm machinery.

g) Kisan Sampathi – Finance for construction of rural godowns.

h) Kisan Matsya Rakshak scheme for pisciculture farmers.

I Kishan Kalpataru" scheme for hassle free single sanction term loan with separate sub-limits for different activities to be undertaken by the Borrower/Farmer in the next 2-3 years with lower rate of interest.

j) "Kisan Mitra" - Provides the credit requirements against receivables to be received from reputed organizations.

k) "Pattabhi Sitaramayya – Self Business Group Scheme" promoted for improving the term loan and cash credit finance under SHG portfolio.

l) Self Help Group Finance for upliftment women empowerment.

m) Joint Liability groups – Finance to tenant farmers for cultivation of crops.

n) Rythu Mithra Group – Finance to the group of farmers (Small and marginal owner farmer and tenant farmer).

o) Dairy Loans for purchase of Milch animals.

p) Loans are available for Green fodder cultivation under Hydroponics.

q) Solar Loans -Encouragement to purchase of solar water pumps and solar home lighting.

r) Agri Clinics and Agri Business Centre for Agriculture Graduates for establishment of Agri Inputs like fertilizer, seeds pesticides etc.

s) Finance to Minorities under Prime Minister's Programme.

सिद्धांत 5

1. क्या मानवाधिकार पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ अन्य लोगों को भी कवर प्रदान करती है ?
   - बैंक की मानव अधिकार की रक्षा करने वाली विभिन्न नीतियां, प्रत्यक्ष या परोक्ष, केवल बैंक के संचालन को कवर करती है तथा इसकी अनुषंगी यानि, एबीएफएसएल, को नहीं । इसका कारण है कि वहाँ काम करने वाला केवल एक स्टाफ सदस्य है जिसे बैंक के प्रधान कार्यालय से प्रतिनियुक्त किया गया है ।
   - बैंक इस तथ्य से भली-भाँति परिचित है कि सभी व्यक्ति स्वतन्त्र और समान हैं, और व्यक्तियों के मूल मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए । बैंक इस प्रकार की नीतियों/प्रक्रियाओं जो कि राष्ट्रीय उद्गम, नागरिकता, रंग, जाति, विश्वास, धर्म, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, विकलांगता, आयु, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान, सामाजिक स्थिति, या किसी अन्य प्रकार से विधि द्वारा निषिद्ध है का प्रयोग नहीं करता है ।
   - बैंक कार्य स्थल पर भारत के संविधान और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन मानवाधिकार घटकों को भली-भाँति समझता है । बैंक संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान करता है ।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

- बैंक कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है । सेवा शर्तों में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशेष रूप से खण्ड हैं, तदनुसार, कार्य स्थलों पर महिला कर्मचारियों से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट विषयों के समाधान के लिए, बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक आंतरिक अनुपालन समिति जो कि उप महाप्रबंधक स्तरीय महिला अधिकारी की अध्यक्षता में और प्रतिष्ठित एनजीओ ये महिला प्रतिनिधि सहित गठित की है ।

बैंक वेबसाइट के माध्यम से आम जनता के लिए सूचना :

- बैंक, पब्लिक डोमेन में, प्रकट की जाने योग्य, आम जनता के लिए उपलब्ध अपने उत्पादों / सेवाओं / सुविधाओं / कोई अन्य सूचना को अद्यतन रखता है । सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, बैंक अपने वित्तीय परिणामों को आम जनता की सूचना के लिए पब्लिक डोमेन में रखता है।
- आन्ध्रा बैंक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005, में जन प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार, जन प्राधिकरण है । अतएव, जनसाधारण को सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है । बैंक में जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) का प्रारूप निम्न अनुसार है :
- केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) : सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को सीपीआईओ के रूप में पदनामित किया गया है जो लोगों से सूचना हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषिण्त करेंगे ।
- सीपीआईओ: अधिकारी के रूप में नियुक्त सभी उप महा प्रबंधक सीपीआईओ आंचलिक कार्यालयों में द्वितीय श्रेणी अधिकारी हैं जो केंद्रीय सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित हैं । लोगों से अनुरोध की प्राप्ति पर, सीपीआईओ उस पर विचार करेगा और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय के अंदर अनुरोध अस्वीकार करेगा अथवा सूचना भेजेगा ।
- अपीलीय प्राधिकारी : कार्पोरेट प्रधान कार्यालय में कार्यरत सभी महा प्रबंधकों को वरिष्ठ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (एससीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया जाता है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी हैं और वे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध नागरिकों द्वारा पहली अपील याचिका की सुनवाई करेंगे ।

  दि.01.04.2018 से दि.31.03.2019 से आरटीआई आवेदनों / अपीलों की स्थिति

आरटीआई आवेदन

क्रम संख्या	विवरण	
1	वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदन	203
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	1429
3	अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को अंतरित आवेदन	2
4	स्वीकृत आवेदन	900
5	अस्वीकृत आवेदन	496
6	वर्ष की समाप्ति पर लंबित आवेदन	234^

आरटीआई अपील

क्रम संख्या	विवरण	
1	वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदन	44
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	227
3	अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को अंतरित आवेदन	0
4	स्वीकृत आवेदन	110
5	अस्वीकृत आवेदन	102
6	वर्ष की समाप्ति पर लंबित आवेदन	59^

Principle 5

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the group/ Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs/ Others?
   - The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly, cover only the operations of the Bank and do not extend to its subsidiary i.e., ABFSL, the reason being, there is only one staff member working therein who is deputed from the head office of the Bank.
   - The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal, and that the basic human rights of individuals must be respected. The Bank follows such policies/practices of national origin, citizenship, colour, race belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age, sexual orientation, place of birth, social status, or any other basis prohibited by the Law.
   - The Bank understands well the Human Rights content of the Constitution of India and other international laws on Human Rights at the work place. The Bank respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

Prevention of Sexual Harassment

- The Bank prohibits sexual harassment at the work place. In the Service conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at workplace. Accordingly, for addressing issues related specifically to women employees in work places, the Bank has appointed an Internal Compliance Committee in Head office headed by a lady officer in the rank of a General Manager and also involving a lady representative from a repute NGO.

Dissemination of Information to public through the Bank's web site:

- The Bank places up-to-date information about its Products/ Services/ Facilities available to public/any other information, which can be disclosed, in public domain. Being a listed company, the Bank displays its financial results in the public domain for information to the public.
- Andhra Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and, thus, is under obligation to provide the information to citizens of india.

The structure of Public information officer in the Bank is as follows:

- Central Assistant Public Information Officer (CAPIO): Branch Managers of all branches have been designated as CAPIO who will receive the request for information from public and forward to the consern general office Central Public Information Officer (CPIO) for necessary action.
- CPIO: All the Zonal Managers irresceptiev of there cadre are designated as Central public Information Officers. On receipt of the request from the public, the CPIO shall consider the same and furnish the information or reject the request within the time stitulated under RTI Act.
- Appellate Authorities: The Senior most General Manager posted at corporate Head office is designated as first appellate authority (FAA)under the Act and they will examine the first appeal filed by citizens against the decision of the Central Public Information Officers.

Position of RTI Requests / Appeals from 01.04.2018 to 31.03.2019

RTI Requests

Sl. No.	Particulars	
1	Requests pending at the beginning of the year	203
2	Requests received during the year	1429
3	Requests transferred to other Public Offices	2
4	Requests accepted	900
5	Requests rejected	496
6	Requests pending at the end of the year	234 ^

RTI Appeals

Sl. No.	Particulars	
1	Appeals pending at the beginning of the year	44
2	Appeals received during the year	227
3	Appeals transferred to other Public Offices	0
4	Appeals accepted	110
5	Appeals rejected	102
6	Appeals pending at the end of the year	59^

^ सभी लंबित आरटीआई आवेदनों / अपीलों का निवारण किया गया है ।

शिकायतों का निवारण :

- बैंक ने ग्राहक शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए ग्राहक शिकायत निवारण मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं ।
- प्रधान कार्यालय में ग्राहकों की शिकायत के निवारण हेतु अलग विभाग है ।
- एक आंतरिक लोकपाल है जो प्रभावी रूप से शिकायतों का निवारण की निगरानी करता है ।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्वक निपटाए जाने का प्रतिशत क्या था ?

वार्षिक रिपोर्ट उद्देश्य 2018-19 के लिए शिकायतों का प्रकटन :

क. ग्राहक शिकायत (एटीएम लेन-देन से संबंधित शिकायतों सहित)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1571	760
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (#)	101883	214138
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	103380	213327
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (*)	74	1571

ख.एटीएम शिकायत

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (#)	90788	198214
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	90788	198214
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (*)	शून्य	शून्य

ख.एटीएम शिकायत

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या	शून्य	**शून्य**
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अवार्ड की संख्या	1	**शून्य**
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अवार्ड की संख्या	1	**शून्य**
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या	शून्य	**शून्य**

अगले कार्यदिवस में निवारण की गई शिकायतें शामिल नहीं हैं ।

* सभी लंबित शिकायतों का निवारण किया गया है ।

सिद्धांत 6

'व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए'

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है अथवा समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ अन्य लोगों तक विस्तार किया है ।

- नीति केवल बैंक को कवर करती है ।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कार्यनीति पहल है ? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें ।

- बैंक ने निम्न अनुसार पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय आरंभ किए हैं :

➢ बैंक उन उद्योगों, जो पर्यावरण को प्रभावित करता है, ओजोन घटाने वाले वाले पदार्थों का उत्पादन करता है, को वित्त प्रदान नहीं करता है ।

➢ बैंक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र जैसे वित्त, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में वित्त पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

कागज के उपभोग को घटाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए थे:

- काग़ज़ रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, "डिजिज्ञान" बैनर के अंतर्गत डिजिटाईजेशन मोड को तेज़ी से बढ़ाया गया है ।
- अंचलों / सर्कल कार्यालयों तथा शाखाओं इत्यादि को हार्ड प्रति प्रेषित करने के स्थान पर ई-मेल भेजे जाते हैं ।
- बचत खातों में डेबिट कार्ड को बढ़ावा दिया जाता है । मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है ।

^ All the pending RTI Requests / Appeals have since been redressed.

Redressal of Complaints :

- The Bank has taken several measures to strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints.
- In Head office, there is a separate department to attend the complaints of customers.
- There is an internal Ombudsman who monitors the effective grievance redressal.

2. How many stakeholders' complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

Disclosure of Complaints for 2018-19 :

A. Customer Complaints (including complaints relating to ATM transactions)

		Current year	Previous year
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	1571	760
(b)	No. of complaints received during the year (#)	101883	214138
(c)	No. of complaints redressed during the year	103380	213327
(d)	No. of complaints pending at the end of the year (*)	74	1571

B. ATM Complaints

		Current year	Previous year
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of complaints received during the year (#)	90788	198214
(c)	No. of complaints redressed during the year	90788	198214
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	NIL	NIL

C. Awards passed by the Banking Ombudsman

		Current year	Previous year
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	1	NIL
(c)	No. of Awards implemented during the year	1	NIL
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	NIL	NIL

Does not include complaints redressed within the next working day.

* All the pending complaints have since been redressed.

Principle 6

'Business should respect, protect, and make efforts to restore the Environment"

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/joint venture/suppliers/ contractors/ NGOs/others.
   - The policy covers Bank only.
2. Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N If yes, please give hyperlink for webpage etc.
   - Bank has initiated certain important measures to protect environment and prevent pollution as under :
   - ➢ The Bank does not extend finance to industries which affects environment/produce ozone depleting substances.
   - ➢ Bank has committed to extend finance in Renewable energy sector viz solar, wind and other renewable energy projects.

Following measures were adopted to reduce consumption of paper:

- To encourage paperless transactions, digitisation mode has been taken up in an aggressive manner under the banner "Digigyan"
- Sending emails to Zones/Circles Offices and Branches etc instead of sending hard copies.
- Promoting use of Debit cards in SB accounts. Encouraging Mobile Banking etc.

- पीओएस मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है ।
- इंटरनेट लेन-देन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है ।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं

हाँ

- टीईवी अध्ययन/परियोजना मूल्यांकन में, संभावित पर्यावरणीय जोखिमों के निवारण के लिए उचित महत्व दिया जाता है ।

हाँ

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें, अथवा हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की जाती है ?

- बैंक ने कागज रहित निविदा को बढावा देने हेतु बैंक की ओर से ई-निवेदा, ई-निलामी तथा तथा रिवर्स नीलामी के निष्पादन के लिए मेसर्स अंतरास सिस्टम प्राइवेट लि., बैंगलोर तथा मेसर्स ऑक्सन टाइगर, के साथ एक समझौता किया है ।
- कागज उपभोग की बचत के लिए विक्रेताओं को भुगतान (आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा हिताधिकारी खाता में ऑन-लाइन क्रेडिट) ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाता है ।
- विभिन्न केंद्रों पर बैंक के आगामी कार्यालय/आवासीय भवन को ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना के आधार पर डिज़ाइन किया गया है जिसका अर्थ है स्थल का चयन तथा निर्माण की डिजाइनिंग तथा निष्पादित परिचालन से लेकर निर्माण का प्रत्येक चरण पर्यावरण अनुकूल तथा संसाधन कुशल प्रक्रियाओं का समावेशन ।
- एटीएम के माध्यम से डेबिट कार्डों हेतु हरित पिन सृजन ।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कृपया वेब-पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

- समस्याओं की पहचान द्वारा बिजली बर्बादी को कम करना जो अधिक बिजली की खपत का कारण बनती है । बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं । बैंक पर्यावरण अनुकूल हरित परियोजनाओं को उचित प्राथमिकता तथा महत्व देता है जो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं, जैसे पवन मिल्स/सौर उर्जा परियोजना । बैंक हरित तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए ऋण हेतु प्राथमिकता प्रदान करने की योजना है ।
- साथ ही, बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करते हुए अपने सभी परिसरों में एलईडी प्रतिस्थापित कर रहा है । बैंक उच्चतर उर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए रेटेड एनर्जी प्रभावशाली उपकरण अर्थात एयर कंडीशनर का उपयोग करने की नीति का भी पालन कर रहा है ।

6. क्या वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा उत्सृजित उत्सर्जन/अपशिष्ट की सूचना दी जा रही है ?

- लागू नहीं

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या, जो कि लंबित हैं (अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति संतोषपूर्वक नहीं निपटाया गया है)

- शून्य

सिद्धांत 7 "व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करता हो, तो इसे जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए"

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर अथवा संघ का सदस्य है ? यदि हां, तो केवल उन प्रमुख नामों को दें जिनके साथ आपका व्यापार संबंधित है:

   (क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

   (ख) भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

   (ग) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)

   (घ) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई)

2. क्या आपने जनहित के सुधार अथवा लाभ हेतु उपर्युक्त संघों के माध्यम से वकालत/लॉबी किया है? हाँ : यदि हाँ तो बोर्ड क्षेत्र निर्दिष्ट करें : ड्रॉप-बॉक्स ।

- देश के बैंक-रहित ग्रामीण स्थानों पर शाखाओं के नए व्यवहार्य स्वरूप के बारे में भारतीय बैंक संघ को सुझाव दिए गए ।
  शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यवसाय सिद्धांत, अन्य
- बैंक, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लाभों के विस्तार के सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित है । साथ ही, बैंक देश के सतत विकास में सहयोग देते हुए खाद्य सुरक्षा तथा समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा आर्थिक क्षेत्रों को समय-समय पर समग्र रूप से कवर करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी सभी नीतिगत अनुदेशों/विनियामक दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है ।
- डिजिटल बैंकिंग प्रवेश में सुधार के लिए एईपीडीएस प्रणाली के कार्यान्वयन में अग्रणी में से एक ।

- Promoting use of POS machines
- Promoting use of internet transactions.

3. Does the company identify and assess potential environmental risk? Y/N

   Yes

   - In TEV study/project appraisal, due weightage is given to the mitigation of potential environmental risks.

4. Does the company have any project related to clean Development mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also if yes, whether any environmental compliance report is filed?

   - Bank has executed an agreement with M/s Antaras System Private Ltd., Bangalore to carry out e-tendering, e-auction and reverse auction on behalf of Bank to promote paper less tendering.
   - Payments to vendors are being made through e-payment mode (RTGS/NEFT or online credit to beneficiary account) to save paper consumption.
   - Bank's upcoming Office /Residential building at different centres are designed by considering the Green Building Concept which means the incorporation of environment friendly and resource efficient processes at each stage of construction, right from site selection and designing to construction and operation followed.
   - Green Pin generation for Debit cards through ATMs.

5. Has the company undertaken any other initiatives on- clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N if yes, please give hyperlink for web page etc.

   - Minimization of electric wastage by identifying the problems that causes more electricity consumption. Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills/ Solar power Projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.
   - Further, the Bank is changing over to LED in all its premises ensuring higher energy efficiency. The Bank is also following a policy of using Rated Energy Efficient Appliances viz, Air Conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

6. Is the Emission/waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

   - Not Applicable

7. Number of show cause / legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction as on end of Financial Year.

   - Nil

Principle 7 "Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy,

Should do so in a responsible manner"

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If yes, Name only those major ones that your business deals with:

   (a) Indian Banks Association (IBA)

   (b) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)

   (c) National institute of Bank Management (NIBM)

   (d) Administrative Staff College of India (ASCI)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advantage or improvement of public good? Yes : if yes specify the board areas

   - Suggested to Indian Banks Association (IBA) about the opening new viable format of Branches at unbanked rural places of the country.

   Governance and Administration, Economic Reform, Inclusive Development Policies, Energy security , water, food Security , Sustainable Business Principle, Others.

   - The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/regulatory guidelines issued by the Government of India and Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.
   - The Bank is one of the forerunners in implementation of AEPDS system to improve digital Banking penetration.

'सिद्धांत 8

व्यवसाय को समावेशी और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए'

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 की नीति से संबंधित कार्यक्रम/पहल/परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया है ? यदि हां, तो इसका विवरण ।

- बैंक ने सिद्धांत 8 के अनुसरण में कई पहल/कार्यक्रम/परियोजना आरंभ की हैं ।

बैंक की वित्तीय समावेशन पहल उनमें से एक है :

विवरण निम्न अनुसार हैं:

बैंक ने ग्रामीण लोगों को वहन-योग्य लागत के साथ गैर-बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सेवा प्रदान करने की वित्तीय समावेशन परियोजना लागू की तथा उन्हें समावेशी विकास हेतु मुख्य आर्थिक धारा में कवर किया है । इस सेगमेंट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष उत्पाद जैसे कि बचत सह इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवर्ती जमा, आन्ध्रा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कम लागत प्रीमियम के साथ बीमा उत्पाद तैयार किए हैं । पीओएस आधारित व्यवसाय संवाददाता मॉडल यूबीबीएस आदि जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉडलों को लागू किया गया है ।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजना इन-हाउस टीम/स्वयं फाउंडेशन/बाह्य एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संस्थान के माध्यम से किए गए हैं ?

- इन-हाउस टीम

3. क्या आपने अपनी पहल में कोई प्रभावी आकलन किया है ?

- हाँ, संस्थानों द्वारा 6298 कार्यक्रमों के माध्यम से 181327 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 79.01% प्रशिक्षित अभ्यार्थी लाभकारी उद्यमों में कार्यरत हैं । 50.34% संपन्न अभ्यार्थियों को बैंक शाखाओं से क्रेडिट लिंक किया गया है । वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थान ने 387 कार्यक्रमों द्वारा 9927 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया, जिससे वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ कर पाएं । इस प्रशिक्षण ने उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया ।

4. समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाई गई सामुदायिक विकास पहल में प्रत्यक्ष रूप से आपका क्या योगदान है ? कृपया 50 शब्दों में स्पष्ट करें ।

- शून्य

सिद्धांत 9

"व्यवसाय से अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को उचित महत्व तथा लाभ होना चाहिए ।"

1. वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का कितान प्रतिशत लंबित है ।

   100% निपटान किया गया ।

2. क्या कंपनी स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद की योग्यता सम्बन्धी उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है ? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)

- लागू नहीं ।

3. क्या गत पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापनों तथा/अथवा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार से सम्बन्धित कम्पनी के विरूद्ध किसी भी हितधारक द्वारा कोई मुकदमा फाइल किया गया अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में लम्बित है । यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें ।

- शून्य

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों का पालन किया है ?

- हाँ ।

सरलतापूर्वक सुधारों के लिए, एक स्वतंत्र अनुसंधान एजेंसी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों की संतुष्टि का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में अन्य पार्टी सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था । सर्वेक्षण में शाखा परिसरों को लेकर ग्राहकों, शाखा प्रबंधकों और सर्वेक्षकों के अवलोकन का विस्तृत साक्षात्कार सम्मिलित था । सर्वेक्षण में पूरे भू-भाग (उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम) मैट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण में बैंक की न्यूनतम 2.5 प्रतिशत शाखाओं को कवर किया गया था । प्रति शाखा न्यूनतम 5 ग्राहकों का सर्वेक्षण किया गया ।

क) ग्राहक प्रतिक्रिया सूचकांक – बैंक ने 81 प्रतिशत स्कोर किया

ख) शाखा अवसंरचना सूचकांक - बैंक ने 68 प्रतिशत स्कोर किया

ग) ग्राहक शिकायत निवारण सूचकांक - बैंक ने 79 प्रतिशत स्कोर किया

घ) वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के अनुभवों का सूचकांक - बैंक ने 70 प्रतिशत स्कोर किया

Principle 8

'Businesses should support inclusive growth and equitable development"

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to principle 8? If yes details thereof.
   - Bank has taken several initiatives / programmes / projects in pursuit of the Principle 8. Financial inclusion initiatives of the Bank are also one of them.

   Details are as under:

   Bank has implemented Financial Inclusion project to provide banking service in un-banked rural areas with affordable cost to the rural masses and covered them in main economical stream for inclusive growth. Considering the need of the segment, Bank has devised special products such as Savings cum inbuilt Overdraft facility, Recurring Deposit, Andhra Bank Kisan credit card, credit card and Insurance product with low cost premium to cater to the needs of rural masses. Various models have been implemented for providing the banking services in rural and urban areas such as POS based Business Correspondent model UBBS etc.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?
   - In house team.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?
   - Since inception, 181327 candidates have been trained through 6298 programs by the Institutes and around 79.01% of the trained candidates are engaged in gainful ventures. 50.34% of settled candidates are credit linked by the Bank branches. During the year FY 2018-19, the institutes imparted training to 9927 candidates through 387 programs which made them to start their own business activities. This ameliorated them financially.
4. What is your company's direct contribution to community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words. NIL

Principle 9

"Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner"

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

   100 % redressed.
2. Does the company display product information on the product lable, over and above what in mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks(additional information)
   - Not Applicable.
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/ or anti competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, Provide details thereof, in about 50 words or so.
   - Nil
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?

   Yes.

As part of the EASE reforms, an Independent research agency Third party survey was conducted on the following areas to gauge the customer satisfaction across all Public Sector Banks. The survey included detailed interviews of customers, branch manager's and surveyor's observations of the branch premises. A minimum of 2.5% of the Branches of the Bank across geographies (North, East, South and West) Metro, Urban, Semi-urban and Rural are covered in the survey. At least 5 customers per branch are surveyed.

a) Customer feedback index – the Bank scored 81%

b) Branch infrastructure index- the Bank scored 68%

c) Customer grievance redressal index – the Bank scored 79%

d) Sr. Citizen/ differently abled persons experience index – the Bank scored 70%

अनुबन्ध II

पर्यावरणीय, सामाजिक तथा शासकीय मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने हेतु सिद्धांत

सिद्धांत 1 : व्यवसायों को आचार संहिता, पारदर्शिता तथा जिममेदारी के साथ संचालित तथा नियंत्रित करना चाहिए ।

1. व्यवसायों को प्रशासन संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा कार्य प्रणालियों को विकसित करना चाहिए जो सभी स्तरों पर आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा तथा इसकी मूल्य श्रृंखला में इस सिद्धांत को अपनाने हेतु बढ़ावा दे । व्यवसाय में पारदर्शी संवाद तथा अपने निर्णयों से सम्बन्धित जानकारी होनी चाहिए जो प्रासंगिक हितधारकों को प्रभावित करेगा ।
2. व्यवसाय को अपमानजनक, भ्रष्ट अथवा गैर-प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ।
3. व्यवसाय में वित्त सम्बन्धित अपनी जिम्मेदारियों तथा अन्य आवश्यक प्रकटीकरण को ईमानदारी से निभाना चाहिए ।
4. व्यवसाय में किसी अन्य व्यक्ति के उन कार्यों में सहभागिता से बचना चाहिए जिसमें इन दिशा-निर्देशों में सम्मिलित सिद्धांतों का उलंघन हो ।

सिद्धांत 2 : व्यवसाय में ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित तथा अपने जीवन-काल के दौरान स्थिर हो ।

1. व्यवसाय में उत्पाद के जीवन-काल के दौरान प्रयोग हेतु डिजाइन से लेकर निपटान तक सुरक्षित एवं श्रेष्ठ संसाधन सुनिश्चित करना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे सम्बन्धित

1. प्रत्येक डिजाइनर, निर्माता, मूल्य श्रृंखला के सदस्य, ग्राहक तथा रिसाइक्लर अपनी जिम्मेदारियों से अवगत हों ।
2. व्यवसाय में शिक्षा, उत्पाद लेबलिंग, उचित तथा उपयोगी विपणन संचार, सामग्री एवं संरचना का पूर्ण विवरण तथा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के सुरक्षित उपयोग एवं निपटान को बढ़ावा देने के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति ग्राहकों में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए ।
3. उत्पाद डिजाइन करने में, व्यवसाय सुनिश्चित करें कि इसके उत्पादन हेतु आवश्यक विनिर्माण प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकियों के संसाधन प्रभावी एवं टिकाऊ हैं ।
4. व्यवसाय में नई प्रौद्योगिकी के विकास, विनियोजन तथा व्यावसायीकरण, सम्मिलित सामाज, आचार संहिता तथा पर्यावरण विचार की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा तथा वृद्धि करनी चाहिए ।
5. व्यवसाय में व्यक्ति के अधिकार को समझना एवं सम्मान करना चाहिए, जो पारंपरिक ज्ञान तथा बौद्धिक संपदा के अन्य प्रारुप के स्वामी हो सकते हैं ।
6. व्यवसाय में समझना चाहिए कि अति-उपभोग हमारे संसाधनों के अरक्षणीय शोषण को प्रभावित करेगा, इसलिए संसाधनों की पुनरावृत्ति सहित स्थायी खपत को बढ़ावा देना चाहिए ।

सिद्धांत 3 व्यवसाय में अच्छे कार्य हेतु सभी कर्मचारियों को बढ़ावा देना चाहिए ।

1. व्यवसाय में संघ की भागीदारी, सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए तथा उचित शिकायत निवारण तंत्र हेतु ऐक्सेस प्रदान करना चाहिए ।
2. व्यवसाय में भर्ती के समय तथा साथ ही साथ जाति, सम्प्रदाय, लिंग, प्रजाति, धर्म, अक्षमता अथवा यौन अभिविन्यास के संदर्भ में रोजगार प्रदान करने के दौरान समान अवसर प्रदान करना तथा इसे **बनाए रखना चाहिए ।**
3. व्यवसाय में बाल श्रम, जबरन श्रम अथवा अनैच्छिक श्रम के किसी भी रूप, वैतनिक अथवा अवैतनिक, का उपयोग नहीं करना चाहिए ।
4. व्यवसाय में अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं, के कार्य-जीवन संतुलन का संज्ञान लेना चाहिए ।
5. व्यवसाय में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों सहित अपने कर्मचारी के लाभ हेतु सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए । वे आर्थिक आवश्यकताओं तथा कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उचित वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें ।
6. व्यवसाय में एक कार्य-स्थल का माहौल प्रदान करना चाहिए, जो सुरक्षित, स्वच्छ हो, जिससे कर्मचारियों की गरिमा बनी रहे । व्यवसाय अपने कर्मचारियों को इस प्रावधान की सूचना दे तथा उन्हें नियमित आधार पर प्रशिक्षित करे ।
7. व्यवसाय एक समान तथा गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर शिक्षा के आवश्यक अवसर हेतु ऐक्सेस प्रदान कर सभी कर्मचारियों के सतत कौशल और क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करे । वे प्रबुद्ध मानव संसाधन मध्यक्षेप द्वारा कर्मचारियों के मनोबल और कैरियर के विकास को बढ़ावा दें ।
8. व्यवसाय में उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल जहां कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सुरक्षित महसूस करें, सुनिश्चित करने हेतु सिस्टम तथा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए ।

सिद्धांत 4 :व्यवसाय सभी हितधारकों विशेष रूप से जिन्हें हानि हुई हो, कमजोर तथा उपेक्षित हों, का सम्मान करे तथा उनके प्रति उत्तरदायी रहे ।

1. व्यवसाय अपने हितधारकों की पहचान करे, उनके विचारों को समझे, सम्मिलित होने के उद्देश्य तथा क्षेत्र को परिभाषित करे तथा उनके साथ सम्मिलित होने के लिए प्रतिबद्ध रहे ।
2. व्यवसाय अपनी नीतियों, निर्णयों, उत्पाद एवं सेवाओं के प्रभाव तथा हितधारकों हेतु संबद्ध कार्य-कलाप को स्वीकार करे, जिम्मेदारी संभाले तथा पारदर्शी बने ।
3. व्यवसाय में विकासशील क्षेत्रों के हितधारकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।
4. व्यवसाय में सरल, उचित तथा न्यायसंगत रूप से हितधारकों के साथ मतभेदों को दूर करना चाहिए ।

सिद्धांत 5 : व्यवसाय मानव अधिकारों का सम्मान करे तथा बढ़ावा दे ।

1. व्यवसाय भारतीय संविधान में सम्मिलित मानव अधिकारों, राष्ट्रीय कानूनों तथा नीतियों एवं मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक की विषयवस्तु को समझें । व

ANNEXURE II

PRINCIPLES TO ASSESS COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE NORMS

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and accountability

1. Businesses should develop governance structures, procedures and practices that ensure ethical conduct at all levels: and promote the adoption of this principle across its value chain. Businesses should communicate transparency and assure access to information about their decisions that impact relevant stakeholders.
2. Business should not engage in practices that are abusive, corrupt, or anti competition.
3. Business should truthfully discharge their responsibility on financial and other mandatory disclosures.
4. Businesses should avoid complicity with the actions of any third party that violates any of the principles contained in these Guidelines

Principle 2 : Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. Businesses should assure safety and optimal resource use over the life-cycle of the product – from design to disposal- and ensure that everyone connected with it- designers, producers , value chain members , customers and recyclers are aware of their responsibilities.
2. Businesses should raise the consumer's awareness of their rights through education, product labeling, appropriate and helpful marketing communication, full details of contents and composition and promotion of safe usage and disposal of their products and services.
3. In designing the product, business should ensure that the manufacturing processes and technologies required to produce is are resource efficient and sustainable.
4. Businesses should regularly review and improve upon the process of new technology development, deployment and commercialization, incorporating social, ethical, and environmental considerations.
5. Businesses should recognize and respect the right of people who may be owners of traditional knowledge, and other forms of intellectual property.
6. Businesses should recognize that over-consumption results in unsustainable exploitation of our plant's resources, and should therefore promote sustainable consumption, including recycle of resources.

Principle 3 : Businesses should promote the well being of all employees

1. Businesses should respect the right to freedom of association participation, collective bargaining and provide access to appropriate Grievance Redressal Mechanisms.
2. Businesses should provide and maintain equal opportunities at the time of recruitment as well as during the course of employment irrespective of caste, creed, gender, race, religion, disability or sexual orientation.
3. Businesses should not use child labour, forced labour or any form of involuntary labour, paid or unpaid.
4. Businesses should take cognizance of the work-life balance of its employees, especially that of women.
5. Business should provide facilities for the wellbeing of its employee including those with special needs. They should ensure timely payment of fair living wages to meet basic needs and economic security of the employees.
6. Businesses should provide a workplace environment that is safe, hygienic humane, and which upholds the dignity of the employees. Business should communicate this provision to their employees and train them, on a regular basis.
7. Businesses should ensure continuous skill and competence upgrading of all employees by providing access to necessary learning opportunities, on an equal and non- discriminatory basis. They should promote employee morale and career development through enlightened human resource interventions.
8. Business should create systems and practices to ensure a harassment free workplace where employees feel safe and secure in discharging their responsibilities.

Principle 4 : Businesses should respect the interest of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. Businesses should systematically identify their stakeholders, understand their concerns, define purpose and scope of engagement and commit to engaging with them.
2. Businesses should acknowledge, assume responsibility and be transparent about the impact of their policies, decisions, product & services and associated operations on the stakeholders.
3. Businesses should give special attention to stakeholders in areas that are underdeveloped.
4. Businesses should resolve differences with stakeholders in a just, fair and equitable manner.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Businesses should understand the human rights content of the Constitution of India, national laws and policies and the content of

व्यवसाय मानव अधिकारों की सराहना करे क्योंकि इसका स्वरूप निहित, सार्वभौमिक, अविभाज्य तथा परस्पर-निर्भर है ।

2. व्यवसाय, परिचालन पर मानव अधिकारों के प्रभाव को संचालित एवं प्रबन्ध करके तथा व्यवसाय से प्रभावित सभी व्यक्तियों हेतु शिकायत तंत्र का ऐक्सेस सुनिश्चित कर व्यक्तिगत रूप से प्रबन्धन प्रणाली में मानव अधिकारों हेतु सम्मान को एकीकृत करे ।
3. व्यवसाय अपने कार्यस्थल से परे समुदायों, उपभोक्ताओं तथा कमजोर एवं उपेक्षित समूहों सहित प्रासंगिक हितधारकों तथा समूहों के मानव अधिकारों को समझे तथा सम्मान करे ।
4. व्यवसाय, अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर, अपने मूल्य श्रृंखला में मानव अधिकारों की जागरूकता तथा वास्तविकता को बढ़ावा दे ।
5. व्यवसाय में किसी अन्य व्यक्ति के साथ मानवाधिकारों के दुरूपयोग में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ।

सिद्धांत 6 : व्यवसाय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सम्मान, रक्षा तथा प्रयास करे ।

1. व्यवसाय में श्रेष्ठ तथा जिम्मेदार रूप से प्राकृतिक तथा मानव द्वारा निर्मित संसाधनों का प्रयोग करे तथा अपशिष्ट को कम कर, पुन: उपयोग कर, रीसाइक्लिंग एवं नियंत्रित कर संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करे।
2. व्यवसाय प्रदूषण की जाँच करने तथा रोकने हेतु कदम उठाए । वे पर्यावरण के नुकसान का आकलन करे तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण कमी की लागत वहन करे ।
3. व्यवसाय सुनिश्चित करे कि जैविक तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायीकरण तथा संबद्ध पारंपरिक ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभ समान रूप से वितरित हो ।
4. व्यापार स्वच्छ उत्पादन प्रणाली अपनाकर, ऊर्जा कुशल तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर अपने पर्यावरण प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने का प्रयास करे ।
5. व्यवसाय पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा आकस्मिक योजनाओं एवं प्रक्रिया को विकसित करे जो उन पर्यावरण हानि एवं आपदाओं को रोकने तथा कम करने एवं नियंत्रण करने में उनकी सहायता करेगा, जो उनके परिचालन अथवा उनके मूल्य श्रृंखला के सदस्यों के कारण हो सकता है।
6. व्यवसाय अपने परिचालन में सम्मिलित संभावित पर्यावरण जोखिम सहित उचित एवं पारदर्शी रूप से हितधारकों हेतु अपना पर्यावरण कार्य-निष्पादन रिपोर्ट प्रदर्शित करे ।
7. व्यवसाय इस सिद्धन्त को अपनाने हेतु अपने मूल्य श्रृंखला को सक्रियता से समझाए तथा समर्थन करे ।

सिद्धांत 7 : व्यवसाय में सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना चाहिए ।

1. व्यवसाय, जब नीति का पालन करे, तो यह सुनिश्चित करे कि उनके वकालत का स्तर इन दिशा-निर्देशों में निहित सिद्धांतों तथा मूल तत्वों के अनुरूप हो ।
2. जहां तक संभव हो, व्यवसाय ऐसी नीति आरम्भ करने हेतु व्यापार तथा उद्योग संगठनों एवं संघों तथा अन्य ऐसे सामूहिक प्लेटफार्मों का प्रयोग करे ।

सिद्धांत 8 : व्यवसाय समावेशी वृद्धि तथा समान विकास का समर्थन करे ।

1. व्यवसाय सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर अपने प्रभाव को समझे, तथा नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु उचित कार्रवाई करे ।
2. व्यवसाय उत्पादों, तकनीकों और प्रक्रियाओं में नवीनता लाए तथा निवेश करे, जिससे समाज को लाभ होगा ।
3. व्यवसाय स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर विकास की प्राथमिकताओं को पूरक तथा समर्थन करने का प्रयास करे तथा उचित पुनर्वास तथा समुदायों के पुनर्वास को आश्वस्त करे, जो अपने व्यवसाय के संचालन हेतु विस्थापित किए गए हैं ।
4. विकासशील क्षेत्रों में व्यवसाय का संचालन विशेष रूप से स्थानीय विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

सिद्धांत 9 : व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार रूप से सम्मिलित हो तथा उन्हें महत्व प्रदान करे ।

1. व्यवसाय, जब अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ग्राहकों तथा समाज की समग्र लाभ को ध्यान में रखे ।
2. व्यवसाय अपने उत्पादों की डिजाइनिंग, प्रोमोटिंग तथा बिक्री करते समय यह सुनिश्चित करे कि वे किसी भी रूप से चुनाव और मुक्त प्रतियोगिता की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर रहे हैं ।
3. व्यवसाय उत्पादों के उपयोग सम्बन्धित सभी जानकारी, व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए तथा सभी के लिए लेबलिंग तथा अन्य साधनों के माध्यम से जोखिम सहित सटीक एवं तथ्यात्मक रूप से प्रकट करे, ताकि ग्राहक जिम्मेदार रूप से उपभोग हेतु अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। आवश्यक होने पर, व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग हेतु अपने ग्राहकों को शिक्षित करे ।
4. व्यवसाय अपने उत्पादों को बढ़ावा दे तथा विज्ञापन दे ताकि उपभोक्ताओं को भ्रम अथवा समस्या न हो अथवा इन दिशा निर्देशों में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन न हो ।
5. वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रमाणन करते समय व्यवसाय उचित देखभाल और सावधानी बरते जो प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन अथवा अत्यधिक विशिष्ट उपभोग का नेतृत्व करने में सहायक होगा ।
6. व्यवसाय ग्राहक के विचार तथा फ़ीडबैक को सम्बोधित करने हेतु पर्याप्त शिकायत निपटान तंत्र प्रदान करे।

International Bill of Human Rights. Businesses should appreciate that human rights are inherent, universal, indivisible and interdependent in nature.

2. Businesses should integrate respect for human rights in management systems, in particular through assessing and managing human rights impact of operations, and ensuring all individuals impacted by the business have access to grievance mechanisms.
3. Businesses should recognise and respect the human rights of all relevant stakeholders and groups within the beyond the workplace, including that of communities, consumers and vulnerable and marginalised groups.
4. Businesses should, within their sphere of influence, promote the awareness and realization of human rights across their value chain.
5. Businesses should not be complicit with human rights abuses by a third party.

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. Businesses should utilize natural and manmade resources in an optimal and responsible manner and ensure the sustainability of resources by reducing, reusing, recycling and managing waste.
2. Businesses should take measures to check and prevent pollution. They should assess the environmental damage and bear the cost of pollution abatement with due regard to public interest.
3. Businesses should ensure the benefits arising out of access and commercialization of biological and other natural resources and associated traditional knowledge are shared equitably.
4. Businesses should continuously seek to improve their environmental performance by adopting cleaner production methods, promoting use of energy efficient and environment friendly technologies and use of renewable energy.
5. Businesses should develop Environmental Management Systems (EMS) and contingency plans and process that help them in preventing, mitigating and controlling environmental damages and disasters, which may be caused due to their operations or that of a member of its value chain.
6. Businesses should report their environmental performance, including the assessment of potential environmental risks associated with their operations, to the stakeholders in a fair and transparent manner.
7. Businesses should proactively persuade and support its value chain to adopt this principle.

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Businesses, while pursuing policy advocacy, must ensure that their advocacy positions are consistent with the principles and Core Elements contained in these Guidelines.
2. To the extent possible, businesses should utilize the trade and industry chambers and associations and other such collective platforms to undertake such policy advocacy.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Businesses should understand their impact on social and economic development, and respond through appropriate action to minimise the negative impacts.
2. Businesses should innovate and invest in products, technologies and processes that promote the wellbeing of society.
3. Businesses should make efforts to complement and support the development priorities at local and national levels, and assure appropriate resettlement and rehabilitation of communities who have been displaced owing to their business operations.
4. Business operating in regions that are underdeveloped should be especially sensitive to local concerns.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. Businesses, while serving the needs of their customers, should take into account the overall well-being of the customers and that of society.
2. Businesses should ensure that they do not restrict the freedom of choice and free competition in any manner while designing, promoting and selling their products.
3. Businesses should disclose all information truthfully and factually, through labelling and other means, including the risks to the individual, to society and to the planet from the use of products, so that the customers can exercise their freedom to consume in a responsible manner. When required, businesses should educate their customers on the safe and responsible usage of their products and services.
4. Businesses should promote and advertise their products in ways that do not mislead or confuse the consumers or violate any of the principles in these Guidelines.
5. Businesses should exercise due care and caution while proving goods and services that result in over exploitation of natural resources or lead to excessive conspicuous consumption.
6. Businesses should provide adequate grievance handling mechanisms to address customer concerns and feedback.

31-03-2019 को बेसल III पूंजी नियमन (पिलर III) के अन्तर्गत प्रकटीकरण

डीएफ 2 में रिपोर्ट किए गए जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के प्रति पूंजी बैंक की सोलो एवं समेकित स्थिति से सम्बन्धित है । डीएफ–11, डीएफ–12, और सारणी डीएफ–17 एवं डीएफ–18 में दी गई पूंजी बैंक की समेकित स्थिति से सम्बन्धित है । इस रिपोर्ट में अन्य सभी प्रकटन आन्ध्रा बैंक (सोलो) से सम्बन्धित हैं ।

सारणी डी एफ – I लागू होने का क्षेत्र

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम, जिस पर रूपरेखा लागू होती है : आन्ध्रा बैंक

(i) **गुणात्मक प्रकटीकरण :**

संस्था का नाम/ निगमित देश	क्या संस्था समेकित लेखा–क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति का विवरण प्रस्तु त करें ।	क्या संस्था समेकन के विनियामक क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति का विवरण प्रस्तु त करें ।	समेकन की पद्धति में अन्तर का कारण स्पष्ट करें	यदि समेकन केवल एक क्षेत्र के अन्तर्गत है, तो कारण स्पष्ट करें
अनुषंगी :						
आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लि/भारत	हां	एएस–21 –आस्ति/ देयता/आय/ व्यय की प्रत्येक मद का पंक्ति–दर–पंक्ति कुल	हां	एएस–21 –आस्ति/ देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का पंक्ति–दर–पंक्ति कुल	लागू नहीं	लागू नहीं
सहयोगी संस्था :						
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक/भारत	हां	एएस23–ईक्विटी पद्धति	हां	एएस23–ईक्विटी पद्धति	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम :						
इन्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी/भारत	हां	एएस27– समानुपातिक समेकन	नहीं	लागू नहीं	बीमा कम्पनी पर लागू विनियामक दिशा निर्देश	संस्था बीमा गतिविधि में संलिप्त है । अतएव, परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी.बीसी.72/21.04.018/2001–02, दिनांक फरवरी 25, 2003 के अनुसार समेकन के विनियामक के कार्य क्षेत्र से परे है ।
एएसआरईसी (इन्डिया) लिमिटेड/भारत	हां		हां	एएस27– समानुपातिक समेकन	लागू नहीं	लागू नहीं
इन्डिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/मलेशिया	हां		हां		लागू नहीं	लागू नहीं

क) समेकन हेतु विचार किए गए समूह संस्थाओं की सूची :

i. आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लि/भारत, अनुषंगी (100%)
ii. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक/भारत, सहयोगी संस्था (35%)
iii. ए एस आर ई सी (इन्डिया) लिमिटेड/भारत, संयुक्त उद्यम (26.02%)
iv. इन्डिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/मलेशिया, संयुक्त उद्यम) (25%

Disclosures under Basel IIICapital Regulations (Pillar III)as on 31.03.2019

(e Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) reported in DF 2 pertains to Solo & Consolidated position of the Bank.e Composition of Capital furnished in DF 11, DF12 and table DF-17& DF-18 pertain to the consolidated position of the Bank. All other disclosures in this report pertain to Andhra Bank (Solo)

Table DF-1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Andhra Bank

(i) Qualitative Disclosures:

<table>
<tr><td>Name of the entity/ country of incorporation</td><td>Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)</td><td>Explain the method of consolidation</td><td>Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)</td><td>Explain the method of consolidation</td><td>Explain the reasons for dierence in the method of consolidation</td><td>Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation</td></tr>
<tr><td colspan="7">Subsidiary:</td></tr>
<tr><td>Andhra Bank Financial Services Limited/India</td><td>Yes</td><td>AS21- Line by line aggregation of each item of asset/liability/ income/ expenses</td><td>Yes</td><td>AS21- Line by line aggregation of each item of asset/liability/ income/ expenses</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td colspan="7">Associate:</td></tr>
<tr><td>Chaitanya Godavari Grameena Bank/ India</td><td>Yes</td><td>AS23- Equity Method</td><td>Yes</td><td>AS23- Equity Method</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td colspan="7">Joint Ventures:</td></tr>
<tr><td>India First Life Insurance Company Limited/ India</td><td>Yes</td><td rowspan="3">AS27- Proportionate consolidation</td><td>No</td><td>NA</td><td>Regulatory guidelines applied to an Insurance entity.</td><td>e entity is engaged in Insurance activity. Hence, excluded from the regulatory scope of consolidation in terms ofCircular no. DBOD.No.BP. BC.72/21.04.018/2001-02 dated February 25, 2003.</td></tr>
<tr><td>ASREC (India) Limited/India</td><td>Yes</td><td>Yes</td><td rowspan="2">AS27- Proportionate consolidation</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>India International bank (Malaysia) BHD / Malaysia</td><td>Yes</td><td>Yes</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
</table>

(a) List of group entities considered for consolidation:

(i) Andhra Bank Financial Services Limited/India, Subsidiary (100%)
(i) Chaitanya Godavari Grameena Bank/India, Associate (35%)
(i) ASREC (India) Limited/India, Joint Venture (26.02%)
(i) India International bank (Malaysia) BHD / Malaysia, Joint Venture (25%)

ख) समेकन के लेखा तथा विनियामक दोनों क्षेत्रों के अन्ततर्गत समेकन हेतु विचार नहीं किए गए समूह संस्थाओं की सूची :

संस्था का नाम/निगमित देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल ईक्रिटी तुलन पत्र (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)	कुल ईक्रिटी में बैंक के धारण का प्रतिशत	संस्था के पूंजी प्रलेख में बैंक के निवेश का विनियामक व्यवहार	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)
शून्य					

(ii) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ग) समेकन हेतु विचार किए गए समूह संस्थाओं की सूची : (₹ मिलियन में)

संस्था का नाम/निगमित देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल ईक्रिटी तुलन पत्र (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)
आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लि/भारत	पट्टा, किराया खरीद, व्यापारी बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाएं जिस हेतु उसकी स्थापना की गई थी । तथापि, अब कोई गतिविधि नहीं है	1.94	363.81
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक/भारत	बैंकिंग	3677.05	71837.31
ए एस आर ई सी (इन्डिया) लिमिटेड/भारत	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण	1400.98	1668.26
इन्डिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/मलेशिया	बैंकिंग	5452.08	7792.71

घ) सभी अनुषंगियों में पूंजीगत-कमियों की कुल राशि, जो समेकन के विनियामक-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है यथा जो काटी गई है :

₹ मिलियन में) (

अनुषंगी का नाम/निगमित देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल ईक्रिटी तुलन पत्र (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)	कुल ईक्रिटी में बैंक धारिता का प्रतिशत	पूंजीगत कमियां
शून्य				

ङ) कुल राशि, जो जोखिम-भारित है (यथा बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल ब्याज का चालू बही मूल्य)

(₹ मिलियन में)

अनुषंगी का नाम/निगमित देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल ईक्रिटी तुलन पत्र (विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में वर्णित अनुसार)	कुल ईक्रिटी में बैंक धारिता का प्रतिशत/वोटिंग अधिकारों का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति का प्रयोग बनाम जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग की विनियामक पूंजी पर गुणात्मक प्रभाव
इन्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड/भारत	बीमा व्यवसाय	6631.34	30%	0.10%

च) बैंकिंग समूह में निधि या विनियामक पूंजी के अन्तरण पर कोई प्रतिबन्ध या रोक – शून्य

(b) **List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.**

Name of the entity/ country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) **Quantitative Disclosures:**

(c) **List of group entities considered for consolidation:**

(Rs. in Million)

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Andhra Bank Financial Services Limited/India	Leasing, Hire Purchase, Merchant Banking and other nancial services for which it was established. However, no activity is undertaken now.	1.94	363.81
Chaitanya Godavari Grameena Bank/India	Banking	3677.05	71837.31
ASREC (India) Limited/India	Securitization and Reconstruction of Financial Assets	1400.98	1668.26
India International bank (Malaysia) BHD / Malaysia	Banking	5452.08	7792.71

(d) **The aggregate amount of capital deciencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:**

(Rs. in Million)

Name of the subsidiaries/ country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deciencies
Nil				

(e) e **aggregate amounts (e.g. current book value of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:**

(Rs. in Million)

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
India First Life Insurance Company Limited/India	Insurance Business	6631.34	30%	0.10%

(f) **Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Nil**

सारणी डी एफ – 2 : पूंजी पर्याप्तता

(क) गुणात्मीक प्रकटीकरण :

वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों हेतु अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए बैंक के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त विवरण :

बैंक बेसल–II और बेसल–III फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबन्धन शर्तों का कार्यान्वियन करते समय विश्व की उत्तम परम्पराओं को अपनाने हेतु तत्पर है । बेसल–II और बेसल–III से सम्बन्धित विभिन्न मामलों हेतु व्यापक जोखिम प्रबन्धन रूपरेखा उपलब्ध है । बैंक की पूंजी आवश्यकता का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए शीर्ष कार्यपालकों की एक आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएएपी) समिति/पूंजी आयोजना समिति का गठन किया गया है । इस समिति का गठन 3–5 वर्ष की मध्यम अवधि के लिए बैंक की पूँजी आवश्यकताओं का निरीक्षण एवं निर्धारण करने तथा ऋण जोखिम बाजार जोखिम परिचालन जोखिम में जोखिम अधिभारित आस्तियों तथा व्यवसाय में अनुमानित वृद्धि को दृष्टि में रखकर किया गया है ।

नियमित रूप से समिति की बैठक होती है और पूँजी के अधिकतम उपयोग करने हेतु परिप्रेक्ष्य विश्लेषण करते हुए पूंजी संवर्धन और पूंजी संरचना हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखकर पूंजी से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय लेती है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(₹ मिलियन में)

मद	दिनांक 31.03.2019 को राशि
क) ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं (सोलो) • मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग • प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	125313.69 शून्य
– मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण • ब्याज दर जोखिम • विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) • ईक्विटी स्थिति जोखिम	5895.34 43.50 2565.68
ग) परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं (सोलो) – मूल सूचक दृष्टिकोण	15640.97
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सोलो) साधारण ईक्विटी टीयर–I • टीयर – I सीआरएआर (%) • कुल सीआरएआर (%) समेकित स्थिति के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात • साधारण ईक्विटी टीयर–I • टीयर – I सीआरएआर (%) • कुल सीआरएआर (%) महत्वपूर्ण अनुषंगी जो समेकित समूह में नहीं है, उसके लिए कुल एवं टीयर– I सीआरएआर	8.42% 10.38% 13.68% 8.55% 10.52% 13.82% लागू नहीं

सारणी डी एफ – 3 : ऋण जोखिम – सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरणः

क) ऋण जोखिम के सम्बन्ध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति पर चर्चा

कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं :

ऋण जोखिम को उधारकर्ताओं या प्रति पक्षकारों की ऋण की गुणवत्ता में कमी के कारण उत्पन्न होने वाली सम्भाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया गया है । उधारकर्ता द्वारा विभिन्न कारणों से उनको अपनी प्रतिबद्धता से चूकने की सम्भावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक का ऋण जोखिम मूर्त रूप धारण करता है । ग्राहक या पक्षकारों द्वारा विवशता या अनिच्छा के कारण उधार, व्या पार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेनों के मामले में अपनी प्रतिबद्धताओं से चूक के कारण ये हानियां होती हैं । दूसरे शब्दों में, हानियाँ ऋण की गुणवत्ता में वास्तविक या परिकल्पित कमियों के कारण उत्पन्न संविभाग मूल्य में क्षति है । अतः ऋण जोखिम, चूक जोखिम और एक्स्पोजर जोखिम दोनों का संयुक्त परिणाम है और यह बैंक द्वारा कार्पोरेट, वैयक्तिक, बैंक वित्तीय संस्था या राज्य के साथ ऋण कारोबार में उत्पन्न होता है ।

Table DF-2: Capital Adequacy

(a) Qualitative disclosures:

A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

Bank is geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework. Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. For periodic assessment of Capital needs of the Bank, an Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) Committee/ Capital Planning Committee comprising the top executives has been constituted, to monitor and assess the Capital requirement of the Bank over the medium horizon of 3-5 years, keeping in view the anticipated growth in the business and corresponding Risk Weighted Assets in Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

The Committee meets regularly and decides on the capital related issues, with due focus on dierent options available for capital augmentation and realignment of Capital structure duly undertaking the scenario analysis for capital optimization.

Quantitative disclosures:

(Rs. in MIllion)

Items	Amount as on 31.03.2019
(b) Capital requirements for credit risk (solo)	
• Portfolios subject to standardized approach	125313.69
• Securitization exposures	NIL
(c) Capital requirements for market risk (solo)	
- Standardized duration approach	
• Interest rate risk	5895.34
• Foreign exchange risk (including gold)	43.50
• Equity position risk	2565.68
(d) Capital requirements for operational risk (solo)	
- Basic indicator approach	15640.97
(e) Capital Adequacy Ratios (solo)	
• Common Equity Tier I	8.42%
• Tier 1 CRAR (%)	10.38%
• Total CRAR (%)	13.68%
Capital Adequacy Ratios for the consolidated Position	
• Common Equity Tier I	8.55%
• Tier 1 CRAR (%)	10.52%
• Total CRAR (%)	13.82%
Total and Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which is not under consolidated group	NA

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosures:

(a) General qualitative disclosures with respect to credit risk

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

Strategies and Processes:

Credit Risk is dened as "the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties". ere is always a possibility for the borrower to default from his commitments for various reasons, resulting in crystallization of Credit risk to the Bank. ese losses could stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counter party to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other nancial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality. Credit risk is, therefore, a combined outcome of Default Risk & Exposure Risk and arises fromthe Bank's dealings with or lendingto a corporate, individual, bank, nancial institution or a sovereign.

ऋण जोखिम निम्न प्रकार के हो सकते हैं :

- प्रत्यक्ष ऋण के मामले में : मूल राशि और/या ब्याज न चुकाया जाना ।
- गारंटियां या साख पत्रों के मामले में : दायित्व के मूर्तकरण पर ग्राहकों से निधियां प्राप्त न होना ;
- राजकोष परिचालनों के मामले में: सम्बद्ध करारों के अन्तर्गत प्रतिपक्षकारों द्वारा देय अदायगियां या अदायगियों की श्रृंखला प्राप्त नहीं होना या बंद हो जाना;
- प्रतिभूति व्यापार व्यवसाय के मामले में : निधि/प्रतिभूतियों का निपटान नहीं किया जाना ;
- सीमापार एक्स्पोजर के मामले में : राज्य द्वारा विदेशी मुद्रा निधियों की उपलब्धता और निर्बंध अन्तरण में प्रतिबन्ध लगाना या रोक लगाना ।

ऋण जोखिम का प्रभावी प्रबन्धन समेकित बृहत जोखिम प्रबन्धन का एक विशिष्ट अंग है और किसी भी बैंकिंग संस्था की दीर्घावधि सफलता के लिए अत्यावश्यक है । ऋण जोखिम प्रबन्धन में पहचान, क्रेडिट रेटिंग/स्को रिंग द्वारा माप, अनुमानित ऋण हानियों के आकलन द्वारा मात्रा निर्धारण, वैज्ञानिक आधार पर मूल्यक–निर्धारण और प्रभावी ऋण समीक्षा तन्त्र तथा संविभाग प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रण शामिल है ।

बैंक में ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति लागू है जिसकी समीक्षा समय–समय पर की जाती । गत कई वर्षों से विकसित कार्यक्षेत्र और वास्तविक अनुभव के परिणाम स्वरूप इससे सम्बन्धित नीति और पद्धतियों को सुदृढ किया गया है । नीति और पद्धतियों को बेसल ।।/बेसल ।।। में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाया गया है ।

ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति निम्न उद्देश्यों से तैयार की गयी है

1. व्यवस्थित और गुणकारी ऋण वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबन्धन क्षमताओं को बढ़ाना ।
2. आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना ।
3. स्वीकार्य मानक/विवेकपूर्ण एक्स्पोजर के अन्दर ऋण जोखिम एक्स्पोजर को बनाये रखना ।
4. बैंक के पास जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आस्ति संविभाग का प्रबन्धन ।
5. बैंक में कार्यान्वित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल का उपयोग करते हुए आन्तरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण को स्थानातंरण करने के लिए आवश्यक डाटा बेस तैयार करना ।
6. पद्धतियों और नियन्त्रण को सुव्यवस्थित बनाते हुए जोखिम को समाप्त या कम करना ।

ऋण जोखिम प्रबन्धन कार्य की संरचना और संगठन :
बैंक की ऋण जोखिम प्रबन्धन की संरचना निम्न प्रकार है :

- निदेशक मण्डल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति
- ऋण जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी)
- मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) – प्रधान कार्यालय
- ऋण जोखिम प्रबन्धन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग, प्रधान कार्यालय

ऋण जोखिम रिपोर्टिंग और माप पद्धतियों का क्षेत्र एवं प्रकारः
ऋण जोखिम माप में विभिन्न संविभागों हेतु कम्पनी, ग्रुप कम्पनी, उद्योग, संपार्श्विक प्रकार एवं भौगोलिक जैसी एक्सपोज़र सीमाओं का निर्धारित सीमाएं सम्मिलित हैं । बेहतर जोखिम प्रबन्धन एवं ऋण जोखिम तीव्रता से बचने के लिए व्यक्तिगत कम्पनी, ग्रुप कम्पनी, बैंक, व्यक्तिगत उधारकर्ता, गैर–कार्पोरेट संस्थात, संवेदनशील क्षेत्र, जैसे पूंजी बाजार, भू सम्पदा, संवेदनशील पण्ये, आदि के सम्बन्ध में बैंक में विवेकपूर्ण एक्सपोज़र मानदण्डों पर आन्तरिक दिशा–निर्देश हैं ।

हेजिंग एवं जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजिंग/ न्यूनीकरण के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी हेतु कार्यनीति तथ प्रणाली :
बैंक में सुव्यवस्थित ऋण नीति भी है । ऋण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, वित्तीय प्रसंविदाएं, रेटिंग मानक एवं बेंचमार्क, ऋण अनुमोदन अधिकारों का प्रत्यायोजन, बड़े ऋण एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण सीमाएं, आस्ति सकेन्द्रकरण, ऋण संपार्श्विकता के लिए मानक, संविभाग प्रबन्धन, ऋण समीक्षा प्रक्रिया तन्त्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, ऋण निगरानी एवं मूल्याकिंन, ऋण का मूल्यव निर्धारण, प्रावधानीकरण, विनियामक/विधि अनुपालन, आदि के लिए बैंक ने मानकों पर नीतियां और प्रक्रियाएं बनाई है ।

गत देय और अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु) :
पट्टे पर ली गयी आस्ति सहित आस्ति, जब भी बैंक को आय देना बंद कर देती है, अनर्जक आस्ति बन जाती है । अनर्जक आस्ति (एनपीए) वह ऋण या अग्रिम है, जहां –

i) सावधि ऋण के सम्बन्ध में जहां मूल धन का ब्याज और/या किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है ।

ii) ओवर ड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में* जब खाता निम्नानुसार 'अनियमित' हो जाता है ।

Credit risk may take the following forms:

- in the case of direct lending: principal/and or interest amount may not be repaid;
- in the case of guarantees or letters of credit: funds may not be forthcoming from the constituents upon crystallization of the liability;
- in the case of treasury operations: the payment or series of payments due from the counter parties under the respective contracts may not be forthcoming or ceases;
- in the case of securities trading businesses: funds/ securities settlement may not be eected;
- in the case of cross-border exposure: the availability and free transfer of foreign currency funds may either cease or restrictions may be imposed by the sovereign.

e eective management of credit risk is a critical component of comprehensive risk management and is essential for the long - term success of any banking institution. Credit Risk Management encompasses identication, measurement through credit rating/scoring, quantication through estimate of expected loan losses, pricing on a scientic basis and controlling through eective Loan Review Mechanism & Portfolio Management.

e Bank has in place a Credit Risk Management Policy which is reviewed from time to time. Over the years, the policy and procedures in this regard have been rened as a result of evolving concepts and actual experience. e policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel II/Basel-III guidelines

e Credit Risk Management Policy is designed with the following Objectives.

1. Enhance the risk management capabilities to ensure orderly and healthy credit growth.
2. Maintain the Asset Quality.
3. Maintain credit risk exposure within acceptable parameters/prudential exposures.
4. Manage the asset portfolio in a manner that ensures bank has adequate capital to hedge risks.
5. Build database necessary for migration to the Internal Ratings Based (IRB) approach, using the Credit Risk Rating Model implemented in the Bank
6. Mitigate and reduce the risk by streamlining the Systems and Controls.

Structure and organization of the Credit Risk management function

Credit Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Chief Risk Ocer (CRO)-Head Oce
- Credit Risk Management Cell, Integrated Risk Management Department, Head Oce

Scope and nature of risk reporting and measurement systems:

e measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversied portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place.

Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing eectiveness of hedges/ mitigants:

e bank also has a well-dened Loan Policy in place. e bank has formulated policies & procedures on standards for presentation of credit proposals, nancial covenants, rating standards and benchmarks, delegation of credit approving powers, prudential limits on large credit exposures, asset concentrations, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance etc.

Denition of past due and impaired (for accounting purposes):

An Asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A "Non-Performing Asset" (NPA) is a loan or an advance where::

(i) interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan

(ii) the account remains out of order as indicated below, in respect of an Overdra/Cash Credit (OD/CC),

iii) खरीदे गये और भुनाए गये बिलों के सम्बन्ध में जब बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाते हैं ।

iv) अल्पावधि फसल के सम्बन्ध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज दो फसल के मौसमों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है ।

v) दीर्घावधि फसल के सम्बन्ध में जब मूल धन की किस्त या ब्याज एक फसल के मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है ।

vi) फरवरी 1, 2006 के प्रतिभूतिकरण दिशा–निर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के सम्बन्ध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है ।

vii) डेरिवेटिव लेनदेनों के मामले में, डेरिवेटिव संविदा का बही में सकारात्मक बाजार मूल्य दर्शाने वाले अतिदेय प्राप्य भुगतान हेतु विनिर्दिष्ट तिथि से 90 दिन की अवधि तक अदत्त रहते हैं ।

ब्याज भुगतान के मामले में, किसी तिमाही के दौरान देय तथा प्रभारित ब्याज का तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूर्णतः भुगतान नहीं किए जाने पर ही बैंक को उस खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए ।

***अनियमित स्थिति – खाते को 'अनियमित' माना जाएगा यदि–**

i. बकाया शेष निरन्तर स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बनी रहे ।

ii. प्रमुख परिचालनिक खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन तुलन पत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिन तक कोई जमा न हो। अथवा

iii. उसी अवधि के दौरान नामे ब्याज हेतु जमा पर्याप्त न हों ।

अस्थायी कमी वाले खाते – खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना वसूली रिकार्ड पर आधारित है । अग्रिम खाते में अस्थायी प्रकार की कमियों यथा अद्यतन उपलब्ध स्टॉक विवरण के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति उपलब्ध नहीं है, बकाया शेष अस्थायी तौर पर सीमा से अधिक है, स्टॉक विवरणों का गैर– प्रस्तुतीकरण, देयता तिथि को सीमाओं का गैर–नवीकरण आदि के कारण से बैंक अग्रिम खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है । ऐसे खातों के वर्गीकरण के मामले में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों को अपनाया जाता हैः

बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण पर्याप्त चल आस्तियों द्वारा कवर होते हैं, चूंकि आपदा के मामले में चल आस्तियों का पहले विनियोजन किया जाता है । वर्तमान स्टॉक विवरण 3 महीनों से अधिक पुराना नहीं, के आधार पर आहरण शक्ति का आकलन किया जाता है । तीन महीनों से अधिक पुराने स्टॉक विवरणियों तथा/अथवा बही ऋण विवरणियों के प्रति अनुमत आहरण को अनियमित आहरण माने गये हों तथा उन अनियमित आहरण को लगातार 90 दिन की अवधि हेतु अनुमत किये गये हों, तो उन खातों को एनपीए माना जायेगा ।

कार्यशील पूंजी उधार खाते में यूनिट कार्यशील होते हुए या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक होते हुए भी 90 दिन की निरन्तर अवधि हेतु खाते में 3 माह से पुरानी स्टॉक विवरणी के विरूद्ध आहरण की अनुमति दी जाने पर यह एनपीए हो जाएगा ।

देय तिथि/तदर्थ मंजूरी की तिथि से 180 दिन के भीतर नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण नहीं किए जाने पर खाते को एनपीए माना जाएगा ।

कृषि अग्रिम

अल्पावधि फसल हेतु प्रदत्त ऋण की मूल राशि या इस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहने पर इसे एनपीए माना जाएगा । दीर्घावधि फसल हेतु दिए ऋण की मूल राशि या इस पर ब्याज की किस्तं एक फसल मौसम हेतु अतिदेय रहने पर एनपीए माना जाएगा । इन दिशा–निर्देशों के प्रयोजन के लिए एक वर्ष से अधिक फसल मौसम के फसल ''दीर्घावधि'' हैं और फसल जो ''दीर्घावधि'' नहीं हैं उन्हें ''अल्पा वधि'' फसल माना जाता है । प्रत्येक फसल हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा फसल मौसम, यानी उगाई गई फसल की कटौती तक की अवधि, निर्धारित की जाएगी । कृषक द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर उनके द्वारा लिए कृषि मीयादी ऋणों पर उपर्युक्त एनपीए मानक लागू किए जाएंगे ।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) कुल सकल ऋण जोखिम सीमाएं :

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	दि. 31.03.2019 को राशि
निधि आधारित	1786895.68
गैर निधि आधारित	209175.81

ख) बैंक की कोई विदेशी शाखा नहीं हैं, अतएव भौगोलिक एक्सकपोजर नहीं दिया गया है ।

(iii) the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

(iv) the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

(v) the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,

(vi) the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on Securitization dated February 1, 2006

(vii) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specied due date for payment.

In case of interest payments, banks should, classify an account as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

Out of Order' status - An account is treated as **'out of order' if –**

i. the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power;

ii. the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet; or

iii. Credits are not enough to cover the interest debited during the same period.

Accounts with temporary deciencies - e classication of an asset as NPA is based on the record of recovery. Bank does not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deciencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classication of accounts with such deciencies the following guidelines are adopted:

Bank ensures that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are rst appropriated in times of distress. Drawing power is arrived at based on the stock statement not older than 3 months. In case Drawings allowed against Stock statements and/or Book debts statements of more than three months old are treated as irregular drawings and accounts where such irregular drawings are allowed for a continuous period of 90 days are to be treated as NPA.

A working capital borrowal account will become NPA if drawings are permitted against stock statement of older than 3 months in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's nancial position is satisfactory.

An account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Agricultural advances:

A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons. A loan granted for long duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season. For the purpose of these guidelines, "long duration" crops are crops with crop season longer than one year and crops, which are not "long duration" crops are treated as "short duration" crops. e crop season for each crop, which means the period up to harvesting of the crops raised, would be as determined by the State Level Bankers' Committee in each State. Depending upon the duration of crops raised by an agriculturist, the above NPA norms are also made applicable to agricultural term loans availed of by him.

Quantitative Disclosures:

(a) e total Gross Credit Risk Exposures are :

(Rs. in MIllion)

Category	Amount as on 31.03.2019
Fund Based	1786895.68
Non Fund Based	209175.81

(b) Bank has no Overseas Branches. Hence, Geographical exposures are not given.

ग) उद्योगवार एक्सपोज़र वितरण:

दि. 31.03.2019 को उद्योगवार निधि आधारित ऋण एक्सपोज़र

(₹ मिलियन में)

लोहा और इस्पात	उद्योग	दि. 31.03.2019 को वास्तविक निधि आधारित एक्स पोज़र
1	टेक्सटाईल्स	57056.00
2	पेट्रोलियम उत्पाद	21338.90
3	ऊर्जा	164646.80
3.1	क) नवीकरणीय ऊर्जा	12111.30
4	इंजीनियरिंग (भारी तथा हल्के)	27407.00
5	एनबीएफसी	179211.60
5.1	क) स्वर्ण संपार्श्विक के विरूद्ध एनबीएफसी	15250.00
6	हीरे, जवाहरात और आभूषण	18668.20
7	धान मिलें	47581.90
8	चीनी	10240.20
9	दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्ज	23173.60
10	तंबाकू	8290.40
11	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	13336.20
12	डिस्टिलरीस	2150.30
13	लोहा और इस्पात	74951.70
14	निर्माण और ठेकेदार	84160.50
15	साफ्टवेयर	1118.20
16	अस्पताल	6449.10
17	होटल	6949.90
18	शैक्षणिक संस्थाएं	7317.70
19	भू संपदा	293806.20
19.1	वाणिज्यिक भू संपदा	31973.10
19.2	आवासीय ऋण	261833.10
19.2.1	क) आवासीय ऋण –प्रत्यक्ष	200946.00
19.2.2	ख) आवासीय ऋण –अप्रत्यक्ष	60887.10
	कुल	**1047854.40**

(c) **Industry type distribution of exposures:**

INDUSTRY WISE FUNDED CREDIT EXPOSURE AS ON 31.03.2019

(Rs in Millions)

Sl.No	Industry	Actual Fund Based Exposure as on 31.03.2019
1	TEXTILES	57056.00
2	PETROLEUM PRODUCTS	21338.90
3	POWER	164646.80
3.1	a)Renewable Energy	12111.30
4	ENGINEERING (HEAVY&LIGHT)	27407.00
5	NBFC	179211.60
5.1	a) NBFC of which against GOLD collaterals	15250.00
6	DIAMONDS GEMS & JEWELLERY	18668.20
7	RICE MILLS	47581.90
8	SUGAR	10240.20
9	DRUGS & PHARMACEUTICALS	23173.60
10	TOBACCO	8290.40
11	CEMENT & CEMENT PRODUCTS	13336.20
12	DISTILLERIES	2150.30
13	IRON & STEEL	74951.70
14	CONSTRUCTION & CONTRACTORS	84160.50
15	SOFTWARE	1118.20
16	HOSPITALS	6449.10
17	HOTELS	6949.90
18	EDUCATIONAL INSTITUTIONS	7317.70
19	REAL ESTATE	293806.20
19.1	COMMERCIAL REAL ESTATES	31973.10
19.2	HOUSING LOANS	261833.10
19.2.1	a)Housing Loans – Direct	200946.00
19.2.2	b) Housing Loans – Indirect	60887.10
	TOTAL	**1047854.40**

दि. 31.03.2019 को उद्योगवार गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोज़र

(₹ मिलियन में)

क्रम संख्या	उद्योग	दिन.31.03.2019 को वास्तविक गैर निधि आधारित एक्सपोसर
1	टेक्सटाईल्स	7016.60
2	पेट्रोलियम उत्पाद	2134.50
3	ऊर्जा	20317.70
3.1	क) नवीकरणीय उर्जा	0.00
4	इंजीनियरिंग (भारी तथा हल्के)	21082.00
5	एनबीएफसी	6793.00
5.1	क) स्वर्ण संपार्श्विक के विरूद्ध एनबीएफसी	0.00
6	हीरे, जवाहरात और आभूषण	738.60
7	धान मिलें	7318.10
8	चीनी	1040.30
9	दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्ज	7779.60
10	तंबाकू	25.10
11	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	754.40
12	डिस्टिलरीस	51.90
13	लोहा और इस्पात	9194.40
14	निर्माण और ठेकेदार	116061.20
15	साफ्टवेयर	790.60
16	अस्पताल	2379.10
17	होटल	516.10
18	शैक्षणिक संस्थाएं	846.40
19	भू संपदा	1992.80
19.1	वाणिज्यिक भू संपदा	1990.30
19.2	आवासीय ऋण	2.50
19.2.1	क) आवासीय ऋण -प्रत्यक्ष	0.00
19.2.2	ख) आवासीय ऋण -अप्रत्यक्ष	2.50
	कुल	**206832.40**

घ) **कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपपोज़र (निधि आधारित+गैर-निधि आधारित) के 5% से अधिक वाले उद्योगों में बैंक का बकाया :**

दि.31.03.2019 को, कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर (निधि आधारित+गैर निधि आधारित) के 5% से अधिक वाले उद्योगों में बैंक का बकाया निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2019 को	**राशि**
निधि आधारित ऋण बकाया	**1786895.68**
गैर-निधि आधारित बकाया	209175.81
कुल	1996071.49

INDUSTRY WISE NON FUNDED CREDIT EXPOSURE AS ON 31.03.2019

(Rs in Millions)

Sl. No	Industry	Actual Non Fund based exposure as on 31.03.2019
1	TEXTILES	7016.60
2	PETROLEUM PRODUCTS	2134.50
3	POWER	20317.70
3.1	a)Renewable Energy	0.00
4	ENGINEERING (HEAVY&LIGHT)	21082.00
5	NBFC	6793.00
5.1	a) NBFC of which against GOLD collaterals	0.00
6	DIAMONDS GEMS & JEWELLERY	738.60
7	RICE MILLS	7318.10
8	SUGAR	1040.30
9	DRUGS & PHARMACEUTICALS	7779.60
10	TOBACCO	25.10
11	CEMENT & CEMENT PRODUCTS	754.40
12	DISTILLERIES	51.90
13	IRON & STEEL	9194.40
14	CONSTRUCTION & CONTRACTORS	116061.20
15	SOFTWARE	790.60
16	HOSPITALS	2379.10
17	HOTELS	516.10
18	EDUCATIONAL INSTITUTIONS	846.40
19	REAL ESTATE	1992.80
19.1	COMMERCIAL REAL ESTATES	1990.30
19.2	HOUSING LOANS	2.50
19.2.1	a)Housing Loans - Direct	0.00
19.2.2	b) Housing Loans - Indirect	2.50
	TOTAL	**206832.40**

(d) Bank's outstanding to the industries with more than 5% of the total gross credit risk exposure (FB+NFB) :

As on 31.03.2019, the Bank's outstanding to the industries with more than 5% of the total gross credit risk exposure (FB+NFB) are given below

As on 31.03.2019	Amount
Fund Based credit outstanding	**1786895.68**
Non Fund Based outstanding	209175.81
Total	1996071.49

कार्य-कलाप	दि.31.03.2019 को निधि आधारित ऋण बकाया (क)	द.31.03.2019 को गैर-निधि आधारित बकाया (ख)	दि.3103.2019 को निधि आधारित ऋण बकाया + गैर-निधि आधारित बकाया (ग=क+ख)	दि.31.03.2019 को कुल निधि आधारित ऋण बकाया + गैर-निधि आधारित बकाया (घ)	घ के % के रूप में ग
आवास ऋण (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहित)	236731.30	2.50	236733.80	1996071.49	11.86%
एनबीएफसी (एचएफसी सहित)	159654.30	6693.00	166347.30		8.33%
निर्माण और ठेकेदार	64065.30	98306.80	162372.10		8.13%
ऊर्जा	122966.40	16717.10	139683.50		7.00%

ङ) आस्तियों का रेसिडुअल संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ मिलियन में)

परिपक्वता अवधि	अग्रिम (निवल)	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
0 से 1 दिन	3573.61	0.00	2009.80
2 से 7 दिन	10534.07	10859.70	680.50
8 से 14 दिन	15776.66	49.00	707.10
15 से 30 दिन	21587.67	3583.40	2345.60
31 दिनों से 2 माह	53576.93	10119.10	2602.30
2 माह से 3 माह	56936.09	2501.50	3523.60
3 माह से अधिक और 6 माह तक	87055.77	8301.10	6235.70
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	125542.74	12852.90	0.00
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	714796.91	23808.50	0.00
3 वर्षों से अधिक और 5 वर्ष तक	131803.89	51457.10	0.00
5 वर्षों से अधिक	367042.52	505998.60	0.00
कुल	**1588226.87**	**629530.90**	**18104.60**

च) एनपीए की राशि (सकल) :

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	राशि 31.03.2019 के अनुसार
अवमानक	40158.90
संदिग्ध-1	47572.80
संदिग्ध-2	112031.50
संदिग्ध-3	63788.50
हानि	26188.00
कुल	**289739.70**

छ) निवल एन.पी.ए.

(₹ मिलियन में)

	31.03.2019 तक
निवल एनपीए	90914.00

ज) एनपीए अनुपात :

	31.03.2019 तक
सकल अग्रिमों का सकल एनपीए (%)	16.21%
निवल अग्रिमों का निवल एनपीए (%)	5.73%

Activity	Fund based Credit O/s 31.03.2019 (A)	Non-fund based O/s 31.03.2019 (B)	Fund based Credit O/s + Non-fund based O/s as on 31.03.2019 (C=A+B)	Total FB Credit O/s + NFB O/s as on 31.03.2019 (D)	C as % of D
HOUSING LOANS (including Direct & Indirect)	236731.30	2.50	236733.80	1996071.49	11.86%
NBFC (including HFCs)	159654.30	6693.00	166347.30		8.33%
CONSTRUCTION & CONTRACTORS	64065.30	98306.80	162372.10		8.13%
POWER	122966.40	16717.10	139683.50		7.00%

e) **Residual contractual Maturity breakdown of assets:**

(Rs. in Million)

Maturity Pattern	Advances (Net)	Investments	Foreign Currency Assets
Day 1	3573.61	0.00	2009.80
2 to 7 days	10534.07	10859.70	680.50
8 to 14 days	15776.66	49.00	707.10
15 to 30 days	21587.67	3583.40	2345.60
31 days to 2 months	53576.93	10119.10	2602.30
2 months to 3 months	56936.09	2501.50	3523.60
Over 3 months & upto 6 months	87055.77	8301.10	6235.70
Over 6 months & upto 1 year	125542.74	12852.90	0.00
Over 1 year & upto 3 years	714796.91	23808.50	0.00
Over 3 year & upto 5 years	131803.89	51457.10	0.00
Over 5 years	367042.52	505998.60	0.00
Total	**1588226.87**	**629530.90**	**18104.60**

(f) **Amount of NPAs (Gross):**

(Rs. in Million)

CATEGORY	AMOUNT As on 31.03.2019
Sub-Standard	40158.90
Doubtful-1	47572.80
Doubtful-2	112031.50
Doubtful-3	63788.50
Loss	26188.00
Total	**289739.70**

(g) **Net NPAs:**

(Rs. in Million)

	31.03.2019
Net NPAs	90914.00

(h) **NPA Ratios:**

	31.03.2019
Gross NPA to Gross Advances (%)	16.21%
Net NPA to Net Advances (%)	5.73%

झ) एनपीए में परिवर्तन (सकल) :

(₹ मिलियन में)

	31.03.2019 तक
(क) प्रारम्भिक शेष	281243.60
(ख) वर्ष के दौरान जोड़	52749.40
(ग) वर्ष के दौरान घटाव	44253.30
(घ) अन्तिम शेष	289739.70

ञ) एनपीए हेतु प्रावधानों में परिवर्तन :

(₹ मिलियन में)

	31.03.2019
एनपीए हेतु विशिष्ट प्रावधानों में परिवर्तन	
क) प्रारम्भिक शेष	154567.70
(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	66849.10
(ग) बट्टा खाता	17755.80
(घ) अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	5178.80
(ड) अन्तिम शेष	198482.20

ट) अनर्जक निवेश की राशि : रू. 10152.50 मिलियन

ठ) अनर्जक निवेश हेतु रखे गए प्रावधानों की राशि : रू. 8960.70 मिलियन

ड) निवेशों पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधानों में परिवर्तन :

(₹ मिलियन में)

	31.03.2019
क) प्रारम्भिक शेष	13915.60
(ख) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	6515.10
(ग) बट्टा खाता (घ) अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	3789.90
(ड) अन्तिम शेष	16640.80

ढ) बट्टे खाते तथा वसूलियां जिन्हे सीधे आय विवरणी में शामिल किया गया है:

(₹ मिलियन में)

तकनीकी बट्टे खातों में की गई वसूली	1381.30
टीडब्यूओ खातों से ब्याज वसूली जिसे सीधे आय विवरणी में शामिल किया गया है	4243.30

मुख्य उद्योग प्रकार से

(₹ मिलियन में)

उद्योग	एनपीए राशि	प्रावधान	वर्तमान वर्ष के दौरान बट्टे खाते
इन्फ्रास्ट्रक्चर	80016.10	51981.40	11728.70
लौह तथा इस्पात	43042.40	30511.90	6269.30
निर्माण	15872.10	13395.80	87.80
अभियान्त्रिकी –अन्य	14922.30	11456.00	18.70
कपड़ा –सूती वस्त्र	13491.80	11036.70	38.50
अन्य उद्योग	11948.90	9854.50	282.70
पेट्रोलियम	8879.80	8876.40	0.00

(i) Movement of NPAs (Gross):

(Rs. in Million)

	31.03.2019
(a) Opening Balance	281243.60
(b) Additions during the year	52749.40
(c) Reductions during the year	44253.30
(d) Closing Balance	289739.70

(j) Movement of Provision for NPAs:

(Rs. in Million)

	31.03.2019
Movement of Specic Provisions for NPAs	
(a) Opening Balance	154567.70
(b) Provisions made during the year	66849.10
(c) Write-o	17755.80
(d) Write-back of excess provisions	5178.80
(e) Closing Balance	198482.20

(k) Amount of Non-Performing Investments : Rs. 10152.50 Millions

(l) Amount of provisions held for non-performing investments : Rs. 8960.70 Millions

(m) Movement of provisions for depreciation on investments:

(Rs. in Million)

	31.03.2019
(a) Opening Balance	13915.60
(b) Provisions made during the period	6515.10
© Write-off	3789.90
(d)Write back of excess provisions	
(e) Closing Balance	16640.80

n) Write o and recoveries that have been booked directly to the income statement:

(Rs. in Million)

Recovery in Technically Write O ffaccounts	1381.30
Interest recovery in TWO accounts directly booked to Income statement	4243.30

n) By major industry type:

(Rs. in Millions)

Industry	NPA Amount	Provisions	Write-offs during the current year
INFRASTRUCTURE	80016.10	51981.40	11728.70
IRON & STEEL	43042.40	30511.90	6269.30
CONSTRUCTION	15872.10	13395.80	87.80
ENGINEERING - OTHERS	14922.30	11456.00	18.70
TEXTILES - COTTON	13491.80	11036.70	38.50
OTHER INDUSTRIES	11948.90	9854.50	282.70
PETROLEUM	8879.80	8876.40	0.00

अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	8115.40	5139.00	1956.90
भोजन उत्पाद –अन्य	6159.80	5053.40	7.60
वाहन, वाहन कलपुर्जे	5420.50	3535.10	0.10
गहने तथा जवाहरात	5240.60	4632.60	0.10
भोजन उत्पाद –खाद्य तेल एवं वनस्पति	4934.30	3077.70	0.50
भोजन उत्पाद –चीनी	4927.30	2541.00	226.90
पेय पदार्थ	3856.30	1018.60	0.00
रसायन –अन्य	3407.80	2457.30	1.60
कपड़ा –अन्य	3281.50	2466.40	107.70
रसायन –दवाईयां एवं फार्मास्यूटिकल्स	2843.60	1679.10	0.10
कागज और कागज उत्पाद	1120.40	865.60	5.40
कपड़ा–जूट	1037.20	875.20	1.20
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	878.80	788.10	0.20
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	860.40	472.60	44.00
अभियान्त्रिकी –इलेक्ट्रॉनिक्स	718.80	473.60	34.10
सीमेन्ट तथा सीमेन्ट उत्पाद	641.30	256.20	0.40
खनन तथा उत्खनन	459.00	317.10	0.30
ग्लास तथा ग्लास उत्पाद	337.80	334.00	0.00
रसायन –उर्वरक	246.60	246.60	0.00
कपड़ा –हस्तनिर्मित	176.40	39.20	0.30
चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	107.90	59.20	0.20
कुल	**242945.10**	**173440.30**	**20813.30**

ण) **प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों सहित महत्व पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र द्वारा एनपीए राशि :**

दिनांक 31.03.2019 को राज्य वार एनपीए तथा प्रावधान **(₹ मिलियन में)**

क्र.सं	राज्य का नाम	एनपीए राशि	प्रावधान
1	तेलंगाना	92773.80	63093.80
2	महाराष्ट्र	66736.40	54928.00
3	दिल्ली	64064.00	42842.30
4	तमिलनाडु	18986.40	9987.30
5	आन्ध्र प्रदेश	18211.00	10616.90
6	पश्चिम बंगाल	10526.10	8590.20
7	कर्नाटक	3605.00	1490.80
8	पंजाब	2750.50	1014.30
9	गुजरात	2285.50	1073.30
10	ओड़ीशा	1785.50	1125.40
11	चंडीगढ़	1405.20	819.30
12	हरियाणा	1344.50	444.40
13	उत्तर प्रदेश	1261.00	482.30
14	मध्य प्रदेश	865.10	447.90
15	राजस्थान	689.00	404.20
16	पुदुचेरी	606.60	292.90
17	केरल	599.80	150.00
18	बिहार	319.30	153.40
19	हिमाचल प्रदेश	241.30	38.20

OTHER METAL & METAL PRODUCTS	8115.40	5139.00	1956.90
FOOD PRODUCTS - OTHERS	6159.80	5053.40	7.60
VEHICLES, VEHICLE PARTS	5420.50	3535.10	0.10
GEMS & JEWELLERY	5240.60	4632.60	0.10
FOOD PRODUCTS - EDIBLE OILS & VANASPATHI	4934.30	3077.70	0.50
FOOD PRODUCTS - SUGAR	4927.30	2541.00	226.90
BEVERAGES	3856.30	1018.60	0.00
CHEMICALS - OTHERS	3407.80	2457.30	1.60
TEXTILES - OTHERS	3281.50	2466.40	107.70
CHEMICALS - DRUGS AND PHARMACEUTICALS	2843.60	1679.10	0.10
PAPER AND PAPER PRODUCTS	1120.40	865.60	5.40
TEXTILES - JUTE	1037.20	875.20	1.20
WOOD AND WOOD PRODUCTS	878.80	788.10	0.20
RUBBER, PLASTIC AND THEIR PRODUCTS	860.40	472.60	44.00
ENGINEERING - ELECTRONICS	718.80	473.60	34.10
CEMENT AND CEMENT PRODUCTS	641.30	256.20	0.40
MINING AND QUARRYING	459.00	317.10	0.30
GLASS & GLASSWARE	337.80	334.00	0.00
CHEMICALS - FERTILIZERS	246.60	246.60	0.00
TEXTILES - MAN-MADE	176.40	39.20	0.30
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS	107.90	59.20	0.20
TOTAL	**242945.10**	**173440.30**	**20813.30**

(o) Amount of NPAs broken down by signicant geographic areas including the amounts of specic provisions related to each geographic area

STATE-WISE NPA &PROVISIONS AS ON 31.03.2019

(Rs. In Millions)

S. No.	Name of State	NPA Amount	Provision
1	TELANGANA	92773.80	63093.80
2	MAHARASHTRA	66736.40	54928.00
3	DELHI	64064.00	42842.30
4	TAMIL NADU	18986.40	9987.30
5	ANDHRA PRADESH	18211.00	10616.90
6	WEST BENGAL	10526.10	8590.20
7	KARNATAKA	3605.00	1490.80
8	PUNJAB	2750.50	1014.30
9	GUJARAT	2285.50	1073.30
10	ODISHA	1785.50	1125.40
11	CHANDIGARH	1405.20	819.30
12	HARYANA	1344.50	444.40
13	UTTAR PRADESH	1261.00	482.30
14	MADHYA PRADESH	865.10	447.90
15	RAJASTHAN	689.00	404.20
16	PONDICHERRY	606.60	292.90
17	KERALA	599.80	150.00
18	BIHAR	319.30	153.40
19	HIMACHAL PRADESH	241.30	38.20

20	छत्तीसगढ़	227.50	166.10
21	झारखण्ड	211.80	102.50
22	उत्तराखण्ड	181.50	68.80
23	गोवा	42.50	13.40
24	दादरा नागर हवेली	8.40	2.30
25	सिक्किम	5.10	2.00
26	असम	4.90	1.30
27	जम्मू एवं कश्मीर	1.90	0.90
28	त्रिपुरा	0.10	0.00
कुल		**289739.70**	**198352.20**

सारणी डी एफ – 4 : ऋण जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभाग के लिए :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित तथा प्रयोग की जाने वाली ऋण रेटिंग एजेंसियों के नाम

- क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेस ऑफ इन्डिया लिमिटेड (क्रिसिल)
- क्रेडिट अनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
- इन्डिया रेटिंग एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड
- स्मेआरा रेटिंग लिमिटेड
- ब्रिक–वर्क रेटिंग्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
- इन्फॉर्मिकस वैल्यूशन एण्ड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इन्फॉमेरिक्स)

एक्सपोजर के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सियों का उपयेग किया गया

- एक वर्ष से कम या एक वर्ष की संविदागत परिपक्वता के साथ एक्सपोजर के लिए (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट के अलावा) अनुमोदित रेटिंग एजेन्सी द्वारा दी गई अल्पावधि रेटिंग का उपयोग किया जाता है ।
- देशी नकदी ऋण ओवर ड्राफ्ट एवं एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि रेटिंग का उपयोग किया गया है ।
- बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आग्रह की गई रेटिंग का उपयोग करता है, जिसकी वैधता तथा समीक्षा मान्यता प्राप्त ईसीएआई द्वारा की जाती है ।
- बैंक एक ही उधारकर्ता के एक एक्सपोजर के लिए एक ईसीएआई की रेटिंग और अन्य एक्सपोज़र के लिए अन्य ईसीएआई की रेटिंग का एक साथ उपयोग नहीं करता है जब तक कि सम्बन्धित एक्सपोजर की रेटिंग एक ही चयनित ईसीएआई द्वारा न किया गया हो । इसके अलावा, बैंक एक ही ग्रूप के अन्य संस्था के जोखिम भार हेतु कार्पोरेट ग्रूप के व्यरक्तिगत संस्था को दिए गए रेटिंग का उपयोग नहीं करता है ।
- जहां एक्सपोजर/उधारकर्ता को चयनित ईसीएआई से एकाधिक रेटिंग का चयन किया गया है, वहां जोखिम भार संगणना के लिए बैंक निम्न प्रकिया अपनाता है
  i. यदि चयनित ईसीएआई द्वारा दो रेटिंग का चयन किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भार को दर्शाता है, तो उच्च दर का जोखिम भार प्रभावी किया जाता है।
  ii. यदि चयनित ईसीएआई द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग का चयन किया गया हो, जो विभिन्न जोखिम भार को दर्शाता है, तो निम्नतम दो सम्बन्धित रेटिंग का सन्दर्भ लिया जाता है और इन दोनों में से उच्चतम रेटिंग का जोखिम भार लगाया जाता है ।

बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों को सार्वजनिक इश्यू रेटिंग के अन्तरण में प्रयुक्त प्रकिया का विवरणः

ऐसी कोई प्रकिया लागू नहीं है ।

20	CHHATTISGARH	227.50	166.10
21	JHARKHAND	211.80	102.50
22	UTTARAKHAND	181.50	68.80
23	GOA	42.50	13.40
24	DADRA - NAGAR HAVELI	8.40	2.30
25	SIKKIM	5.10	2.00
26	ASSAM	4.90	1.30
27	JAMMU AND KASHMIR	1.90	0.90
28	TRIPURA	0.10	0.00
	TOTAL	**289739.70**	**198352.20**

Table DF-4 - Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardized Approach

Qualitative Disclosures:

(a) **<u>For portfolios under the standardized approach</u>:**

Name of the credit rating agencies approved by the Reserve Bank of India and used.

- Credit Rating Information Services India Limited (CRISIL)
- Credit Analysis and Research Limited (CARE)
- India Ratings and Research Private Limited
- ICRA Limited
- ACUITE ratings, formerly SMERA ratings limited
- Brick Work Ratings India Private Limited
- Infomerics Valuation and Rating Pvt. Ltd. (INFOMERICS)

Types of exposure for which each agency is used:

- For exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except cash credit, overdra) Short term rating given by approved Rating Agencies is used.
- For domestic cash credit, overdra and for term loan exposures of over 1 year, long Term Rating is used.
- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized ECAIs.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure to the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAIs. Further, the bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAIs, the bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:

i If there are two ratings accorded by chosen ECAIs, which map into dierent risk weights, the higher risk weight is applied.

ii If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAIs which map into dierent risk weights, the ratings corresponding to the risk weights are referred to and higher of those two risk weights is applied.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book

No such process is applied

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम समूहों में एक्सपोजर राशियों के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत जोखिम उपशमनों और साथ में कटौती की गयी बैंक की बकाया राशि (रेटिंग की गई व रेटिंग नहीं की गई) :

(₹ मिलियन में)

	दि. 31.03.2019	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
100% से कम जोखिम भारित	1041785.41	98115.98
100% जोखिम भारित	446851.80	54030.11
100% से अधिक जोखिम भारित	152024.63	28310.34
कटौती की गई (उपशामक)	146233.84	28719.38
कुल	**1786895.68**	**209175.81**

सारणी डी एफ – 5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ऋण जोखिम न्यूनीकरण के सन्दर्भ में सामान्य गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में निम्न सम्मिलित है :

क) ऑन एण्ड ऑफ बैलेन्स शीट नेट्टिंग हेतु नीतियां और प्रक्रियायें, और बैंक उनका कहां तक उपयोग करता है, इसका संकेत,

बैंक ऑन बैलन्स शीट और ऑफ बैलन्स शीट के नेट्टिंग का प्रयोग तभी करता है जब जमा राशियाँ/नकद किसी विशिष्ट ऋण आस्ति के विरुद्ध रखे जाते हैं ।

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबन्धन के लिए नीति और प्रकिया :

बैंक आस्तियों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का पालन करता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक मूल्य से प्रभावी रूप से जोखिम राशि को कम करते हुए बैंक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जो एक्सपोसर जोखिम के प्रति संपार्श्विकों को पूरा करता है (उपयुक्त मार्जिन के पश्चात) ।

बैंक द्वारा लिये जाने वाले प्रमुख संपार्श्विकों का वर्णन:

जोखिम न्यूनीकरण के रूप में बैंक द्वारा सामान्यता लिये जाने वाले प्रधान संपार्श्विक निम्न प्रकार हैं :

1. नकद/बैंक जमा राशियां
2. स्वर्ण
3. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और किसान विकास पत्र
5. घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी
6. ऋण प्रतिभूतियाँ (नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेम वर्क में परिभाषित अनुसार)
7. म्यूचुअल फंड की इकाइयां
8. संयंत्र और मशीनरी, भूमि व भवन (केवल एनपीए खातों के मामले में)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम न्यूनीकरण लागू किया जाता है ।

गारंटर प्रतिपक्षकार के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण पात्रता :

जहाँ कहीं आवश्यक हो, ऋण जोखिम के न्यूनीकरण के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक व्यक्तिगत या कार्पोरेट गारंटी लेता है, जिसके लिए गारंटर पर सीधा दावा किया जा सकता है और यह शर्त रहित एवं अविकल्पी है । गारंटर की ऋण पात्रता सामान्यता उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित या प्रभावित नहीं है । राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिभूति सुविधा के रूप में दी गयी गारंटी भी बैंक स्वीकार करता है । ऐसी गारंटियां निरन्तर प्रभावित रहती है, जब तक सुविधा की सम्पूर्ण चुकौती या निपटान नहीं किया जाता है ।

किये गये उपशमनों के अन्दर जोखिम केन्द्रीकरण (बाजार या ऋण) के सम्बन्ध में सूचनाः

बैंक में आस्तियों का एक अच्छा प्रकीर्ण संविभाग है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों द्वारा रक्षित है, जैसे :

- ऊपरोक्त सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक
- स्वतन्त्र एवं अच्छे मूल्य निर्धारित कार्पोरेटों द्वारा गारंटियां
- प्रतिपक्षकार की अचल संपत्ति और चालू संपत्तियां

Quantitative Disclosures:

(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of bank's outstanding (rated & unrated) in the following major risk buckets as well as those that are deducted:

(Rs. in Millions)

	31.03.2019	
	Fund Based	**Non Fund Based**
Below 100% risk weight	1041785.41	98115.98
100% risk weight	446851.80	54030.11
More than 100% risk weight	152024.63	28310.34
Deducted (Mitigants)	146233.84	28719.38
Total	**1786895.68**	**209175.81**

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and o-balance sheet netting

The Bank makes use of on-balance sheet and o-balance sheet netting only in cases where deposits/cash is held against the particular loan asset.

Policies and processes for collateral valuation and management:

A Board approved Policy on valuation of properties obtained by the Bank, is in place.

As per RBI guidelines, the Bank adopts the comprehensive approach, which allows full oset of collateral (aer appropriate haircuts) against exposures, by eectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

Description of the main types of collateral taken by the Bank:

The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprise -

1. Cash/ Banks deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Government
4. NSCs and KVPs
5. LIC policies with a declared surrender value
6. Debt securities (as dened in the New Capital Adequacy Framework)
7. Units of Mutual Funds.
8. Plant & Machinery, Land & Building (In case of NPAs only)

The Credit Risk Mitigants are applied in accordance with the RBI guidelines.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

Wherever required, the Bank obtains Personal or Corporate guarantee, as an additional comfort for mitigation of credit risk, which can be translated into a direct claim on the guarantor, and is unconditional and irrevocable. e Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or aected by the borrower's nancial position. e Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually eective until the facility covered is fully repaid or settled.

Information about risk concentration (market or credit) within the mitigation taken:

Bank has a well dispersed portfolio of assets which are secured by various types of securities, such as:

- Eligible nancial collaterals listed above
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporate
- Fixed and current assets of the counterparty

ख) गुणात्मक प्रकटीकरण : (₹ मिलियन में)

विवरण		राशि
क)	मार्जिन के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किय गये कुल एक्सपोजर.	
	जिनमें से :	
	i) स्वर्ण	174953.22
	ii) बैंक की जमा राशियां	115065.29
	iii) बीमा पॉलिसियां	54474.32
		394.97
	iv) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और किसान विकास पत्र आदि	5018.64
ख)	गारंटियों द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर	55172
	क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा कवर किया गया कुल एक्सपोजर	-

सारणी डी एफ – 6 प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरः मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण : शून्य

सारणी डी एफ – 7 ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्यनीति एवं प्रकियाएँ

बैंक में सुपरिभाषित एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति' एवं बाजार जोखिम प्रबन्धन कार्यां के लिए संगठनात्मक संरचना है । नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैः

- ऑन एवं ऑफ तुलन पत्र मदों में अन्तर्निहित बाजार सम्बन्धी जोखिम को नियन्त्रित करने और बैंक के बेहतर हित में इनकी निगरानी एवं प्रबन्धन।
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक की निवल ब्याज दर बाजार सम्बन्धी पहलुओं के घटने–बढ़ने से संरक्षित है ।
- बाजार जोखिम से सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली स्तर में सुधार करना ।
- पूंजी स्रोतों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पूंजी संगणन की आधुनिकतम पद्धतियों को अपनाने के लिए बैंक को तैयार करना ।

बाजार जोखिम प्रबन्धन कार्य की संरचना एवं संगठन :

बैंक के बाजार जोखिम प्रबन्धन की संरचना निम्न प्रकार है –

- निदेशक मण्डल
- बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति
- आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को)
- मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) – प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय
  - इंटिग्रेटेड मिड ऑफिस
  - आस्ति देयता प्रबंधन कक्ष

जोखिम रिपोर्टिंग एवं माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति :

1 बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए ओवरनाइट सीमा, इंट्राडे सीमा, कुल गैप सीमा, स्टॉप लॉस सीमा, वीएआर सीमा, ब्रोकर टर्नोवर सीमा, पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा, उत्पादवार एक्सपोजर सीमा, इश्यूअरवार एकसपोजर सीमा जैसे विभिन्न प्रकार की एक्सपोजर सीमाएँ बनाई हैं ।

2 बैंक में ट्रेडिंग डेस्क से बोर्ड स्तर तक के विभिन्न स्तरों में जोखिम सीमा निगरानी हेतु जोखिम रिपोर्टिंग योजना विद्यमान है ।

3 जोखिम प्रबंधन के लिए या लेखा प्रयोजनों के लिए अंकित बाजार–दर स्वतंत्र रूप से सत्यापित की जाती है ।

4 बैंक की रणनीति के अनुसार निष्पादन एवं जोखिम की निगरानी व्यापार गतिविधियों के प्रबंधन के लिए रिपोर्टों का प्रयोग किया जाता है ।

5 रिपोर्टिंग सिस्टम समय पालन, स्वचालीकरण के साथ यथोचित यथार्थता को सुनिश्चित करता है । रिपोर्ट लचीले हैं और निर्णय प्रक्रिया में सुधार लाती हैं ।

5 डीलिंग रूम गतिविधियां केंद्रीकृत है ।

7 रिपोर्टिंग फार्मेट एवं बारंबारिता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि वे बैंक की जोखिम निगरानी, माप एवं निवारण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।

हेजिंग एवं जोखिम न्यूयनीकरण के लिए नीति एवं हेजिंग/न्यूकनीकरण के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी के लिए कार्यनीति एवं प्रक्रिया :

बैंक में बोर्ड अनुमोदित एकीकृत नीतियां (नेवेश एवं फॉरेक्स) हैं, जिसमें बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, देश जोखिम प्रबन्धन नीति, प्रतिपक्षकार बैंक जोखिम प्रबंधन नीति सम्मिलित है । बैंक में बैंक के प्रतिपक्षकार के लिए अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रबंधन हेतु हेजिंग नीति है । एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति, जोकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, जिसमें विभिन्न विनियामक तथा आंतरिक जोखिम सीमा के पालन के लिए चलनिधि प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन की निगरानी विद्यमान हैं । नीति जोखिम

(b) Quantitative Disclosures: (₹ in Millions)

Particulars	Amount
a. Total exposure covered by eligible financial collateral after application of haircuts.	174953.22
Of which :	
i) Gold	115065.29
ii) Bank Deposits	54474.32
iii) Insurance Policies	394.97
iv) NSCs / KVPs etc.	5018.64
b. Total exposure covered by guarantees	56011.48
Total exposure covered by credit derivatives	-

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach: NIL

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

(a) Qualitative Disclosures:

Strategies and processes:

The Bank has in place a well-dened Board approved 'Market Risk Management Policy' and organizational structure for Market risk management functions. The objectives of the policy are-

- to capture all the market related risks inherent in on and o-balance sheet items, monitor and manage them in the best interests of the bank.
- to ensure that the bank's NII is protected from the volatilities in the market related factors
- to improve the sophistication levels of the risk management systems pertaining to Market Risk; and
- to prepare the bank for adoption of the advanced methods of capital computation to ensure optimum utilization of the capital sources.

Structure and organization of the MarketRisk management function:

Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Chief Risk Ocer (CRO)-Head Oce
- Market Risk Management Cell, Integrated Risk Management Department, Head Oce-
  - Integrated Mid Oce
  - Asset Liability Management Cell

Scope and nature of risk reporting and measurement systems:

1. Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit etc.
2. A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across dierent levels of the bank from trading desk to the Board level.
3. The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently veried.
4. The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with banks strategy.
5. The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation. e reports are exible and enhance decision-making process.
6. The Dealing room activities are centralized
7. The reporting formats & the frequency is periodically reviewed so as to ensure that they suce the risk monitoring, measuring and mitigation requirements of the Bank.

Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing eectiveness of hedges/ mitigants:

Bank has a Board approved Integrated (Investments & Forex) Policy which covers Market Risk Management, Country Risk Management and Counterparty Bank Risk Management. Bank has in place Hedging Policy for management of Unhedged foreign currency exposures of the counterparties of the Bank. e Integrated Risk Management Policy, which is also approved

निर्धारण, पहचान, माप एवं न्यू नीकरण, जोखिम सीमा एवं ट्रिगर, जोखिम निगरानी एवं रिपार्टिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है ।

चल जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में बैंक ने यह सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न दिशा–निर्देश जारी किए हैं कि दबाव की स्थिति में चलनिधि स्थिति अनुकूल है । एक आकस्मिकताएं निधियन योजना भी बनाई गई है।

मानकीकृत दृष्टिकोण द्वारा कवर किए गए पोर्टफोलियो

1. व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) और बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियां

ख) गुणात्मक प्रकटीकरण :

(₹ मिलियन में)

बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं	
– मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
• ब्याज दर जोखिम	5895.34
• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	43.50
• ईक्विटी स्थिति जोखिम	2565.68

सारणी डी एफ – 8 : परिचालनात्मक जोखिम :

गुणात्मक प्रकटीकरण :

कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन एक सुदृढ संगठनात्मक संस्कृति एवं स्वस्थ परिचालनात्मक प्रक्रिया, कार्पोरेट मूल्यों सहित, प्रवृत्ति, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपार्टिंग एवं प्रासंगिक योजना युक्त है । बैंक में प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां बनायी गयी हैं ।

नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं –

- परिचालनिक जोखिम के संबंध में समझना और इसके प्रबंधन में सहायक होना ।
- उचित संगठनात्मक ढांचा बनाना ।
- प्रत्येक उत्पाद/गतिविधि/प्रक्रिया में बैंक के समक्ष आने वाले परिचालनिक जोखिम की पहचान ।
- बैंक के समक्ष आने वाले परिचालनिक जोखिम के प्रबंधन/न्यूनीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सुदृढ परिचालनिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करना ।
- पाई गई कमियों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रिया को सुदृढ बनाने के लिए उपाय सुझाना ।
- पूंजी के आकलन हेतु बैंक को उन्नत पद्धति की ओर बढ़ने में सहायक ।

परिचालनिक जोखिम प्रबन्धन कार्य की संरचना एवं संगठन :

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन की संरचना निम्न प्रकार है :

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) – प्रधान कार्यालय
- परिचालन जोखिम प्रबंधन कक्ष (आईआरएमडी), प्रधान कार्यालय

जोखिम रिपार्टिंग और माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति :

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन सुदृढ जोखिम प्रबंधन का एक महत्वईपूर्ण घटक है । जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं/कार्यालयों में लोगों, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी एवं बाह्य घटनाओं के संबंध में होने वाली परिचालन जोखिम हानि की घटनाएँ निहित हैं । हानि की घटनाओं पर एमआईएस की तैयारी के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा प्राप्त किया जाता है ।

हेजिंग एवं जोखिम न्यूननीकरण के लिए नीति एवं हेजिंग/न्यूहनीकरण के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी :

बैंक में परिचालनिक जोखिम प्रबंधन नीति के अन्तर्गत परिचालनिक जोखिम, जोखिम प्रबन्धन संरचना, परिचालनिक जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, माप और निगरानी कवर की गई हैं ।

by the Board covers the Liquidity Management, Asset Liability Management and monitoring of adherence to various regulatory and internal risk limits. e policies provide the framework for risk assessment, identication, measurement & mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

As part of Liquidity risk management Bank has various guidelines in place to ensure that the liquidity position is comfortable during times of stress. A Contingency Funding Plan is also put in place.

Portfolios covered by the Standardized approach
Securities held under Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.

(b) Quantitative Disclosures:

(₹ in Millions)

Capital requirements for market risk	
- Standardized duration approach	
• Interest rate risk	5895.34
• Foreign exchange risk (including gold)	43.50
• Equity position risk	2565.68

Table DF-8: Operational Risk

Qualitative Disclosures:

Strategies and processes:
e Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, eective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for eective management of Operational Risk in the Bank.

The main objectives of the policy are –

- To have common understanding of Operational Risk and facilitate its management
- Put in place a suitable Organizational Structure.
- Identication of the Operational Risks faced by the bank in each of the products / activities / processes.
- Developing sound Operational Risk Management systems consistent with the guidelines issued by Reserve Bank of India for management / mitigation of operational risks faced by the bank.
- Suggesting measures for strengthening of internal control systems & procedures based on the deciencies observed.
- To facilitate the bank moving over to Advanced Methodology for calculation of capital.

Structure and organization of Operational Risk management function:
e Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Chief Risk Ocer (CRO)–Head Oce
- Operational Risk Management Cell (IRMD), Head Oce

Scope and nature of risk reporting and measurement systems:
Operational Risk Management is an important component of sound risk management. e Risk reporting consists of operational risk loss incidents / events occurred in branches / oces relating to people, process, technology and external events. e data collected from dierent sources are used for preparation of MIS on loss event types.

Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing eectiveness of hedges/ mitigants:
Bank has put in place an Operational Risk Management Policy covering the terms of operational risk, risk management structure, identication, assessment, measurement and monitoring of operational risk.

परिचालनात्मक जोखिम पूंजी मूल्यांकन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच अपनाई है ।

सारणी डी एफ – 9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

क) **गुणात्मक प्रकटीकरण :**

ब्याज दर के अविनियमन, विनिमय दर प्रणाली के उदारीकरण, बांड के लिए द्वितीयक बाजार का विकास एवं वित्तीय प्रणाली के क्षेत्र में विस्तार के कारण बैंक ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, विनिमय दर जोखिम इत्यादि को एक्सपोज होते हैं । आस्ति देयता प्रबंधन में विभिन्न जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन के माप के लिए व्यापक एवं गतिशील फ्रेमवर्क निर्धारित किया जाता है । बैंक के समग्र जोखिम को सहने की क्षमता के अंतर्गत निवल ब्याज आय को बढाना एएलएम का मुख्य उद्देश्य है ।

आघात सहनीयता शक्ति एवं/या इसके प्रभाव का अनुमान लगाने हेतु चलनिधि एवं ब्याज दर में परिवर्तन द्वारा विभिन्न स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं । यह मूल जोखिम के साथ आस्तियों एवं देयताओं में ब्याज दरों में समानान्तर शिफ्ट के जरिए जोखिम पर अर्जन मूल्यांकित करता है । स्ट्रेस की स्थिति का अनुमान लगाते हुए स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं, जिसमें ऋण का पूर्वभुगतान, जमा के परिपक्वतापूर्व क्लोजर जैसे नीहित विकल्प लागू किए जाते हैं जो स्ट्रैस–स्तर परीक्षण हेतु व्यवहारात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से बेहतर हैं ।

अर्जन परिप्रेक्ष्य से ब्याज दर जोखिम के परिकलन के लिए भारिबैंक द्वारा बनाया गया परंपरागत गैप विश्लेषण का अनुपालन किया जाता है । प्रतिशत के रूप में शर्तों में ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु भारिबैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि अंतराल पद्धति का अनुपालन किया जाता है ।

आल्को वैश्विक स्तर पर व घरेलू स्तर पर बृहत् आर्थिक परिदृश्य और लागत–लाभ, स्पिन–ऑफ, वित्तीय समावेशन एवं अन्य कई पहलुओं पर विचार करने के बाद आस्ति एवं देयताओं का ब्याज दर निर्धारित करने का निर्णय करता है ।

कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

विभिन्न परिदृश्य का अनुकरण करते हुए पहले ही स्ट्रेस टेस्ट करके जोखिम निवारण की नीति अपनायी जाती है ताकि संभावी घटना हेतु तैयार रह सकें और आवश्यक हो तो उसका निवारण कर सकें । आस्ति एवं देयता के संम्मिश्रण के परिवर्तन, अवधि अंतराल को शून्य के निकट लाने, ब्याज दरों में परिवर्तन इत्यादि द्वारा जोखिम को दूर करने की प्रक्रिया की पहल की जाती है ।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्यों की संरचना एवं संगठनः

एएलएम कक्ष मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) – एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है तथा संरचनात्मक चलनिधि समेत विभिन्न विषयों पर एएलएम रिपोर्टों, ब्याज दर की संवेदनशीलता एवं अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण पाक्षिक आधार पर आल्को को और आवधिक अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं । आल्को की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है और कार्यपालक निदेशक एवं कार्यकारी विभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं ।

जोखिम रिपोर्टिंग एवं माप प्रणाली का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति :

चलनिधि एवं ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण चलनिधि स्थिति एवं बैंक के ब्याज दर जोखिम को दर्शाते हैं । बोर्ड के अनुमोदन से सहन सीमाएँ निर्धारित की जाती है जिसके अंतर्गत बैंक को काम करना होता है । सीमाओं में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर आल्को को रिपोर्ट किया जाता है जो उपचारात्मक उपाय आरम्भ करने हेतु निदेश देता है।

हेजिंग एवं जोखिम दूर करने के लिए नीति एवं हेजिंग/न्यू नीकरण के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी :

चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए आल्को द्वारा निवारणात्मक उपाय किये जाते हैं । रेसिडुअल मेचुरिटी के आधार पर आल्को को चलनिधि एवं ब्याज दर संरचना की जानकारी के लिए पाक्षिक विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं । विभिन्न समय अवधियों के अंतर्गत अंतराल, चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम बतलाते हैं । विस्तृत रूप में अंतराल की स्थिति के अध्ययन के बाद आलको असंतुलन को कम करने के लिए कार्यनीतियां बनाता है ताकि चलनिधि एवं ब्याज दर जोखिम कम किए जा सकें ।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की प्रकृति तथा प्रमुख आकलन ऋण पूर्व भुगतान तथा गैर–परिपक्वता जमा व्यवहार तथा आईआरआरबीबी उपायों की आवृत्ति सम्मिलित है ।

आईआरआरबीबी का परिकलन प्रत्येक माह के अन्तिम दिन को प्रत्येक माह किया जाता है । आईआरआरबीबी का परिकलन आर्थिक मूल्य आधार (संशोधित अवधि अन्तराल पद्धति) तथा आय आधार (परम्परागत अन्तराल अन्वेषण पद्धति) पर किया जाता है ।

निम्न पद्धतियों का अनुसरण तथा आकलन आईआरआरबीबी के परिकलन के लिये किया जाता है – आर्थिक मूल्य आधार

- सभी दर संवेदनशील आस्तियां तथा देयताएं दस गुणा भागों में; रेसिडुअल परिपक्वता/पुनर्मूल्याकंन दिनांक पर आधारित, विभाजित किया जाता है ।
- आस्तियां, देयताएं तथा शेष तुलन पत्र मदों को विशाल शीर्षों यथा जमा, ऋण, अन्य देयताएं, प्रावधान, अन्य बैंकों के साथ शेष, निवेश (एचटीएम), अग्रिम तथा अनर्जक आस्तियां के अधीन समूहबद्ध किया जाता है ।
- नकदी प्रवाह की प्रमात्रा–वार तुलन पत्र में प्रत्येक मद/श्रेणी की आस्ति/देयता/शेष राशि का आकलन किया जाता है ।

Operational risk capital assessment:
e Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk, as stipulated by the Reserve Bank of India.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

(a) Qualitative Disclosures:

With the deregulation of interest rates, liberalization of exchange rate system, development of secondary markets for bonds and deepening and widening of nancial system, Banks are exposed to interest rates risk, liquidity risk, exchange rate risk etc. Asset Liability Management (ALM) outlines a comprehensive and dynamic framework for measuring, monitoring and managing various risks. Primary objective of ALM is to maximize the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank.

Various stress tests are conducted by varying the liquidity and interest rate structure to estimate the resilience and/or the impact. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shi in the interest rates across assets and liabilities as also basis risk.e stress tests are carried out by assuming stress conditions wherein embedded options are exercised like prepayment of loans and premature closure of deposits much above the revelations of the behavioral studies to test the stress levels.

Traditional Gap Analysis method suggested by RBI is followed for calculation of Interest rate risk from Earnings perspective. Modied Duration Gap method is followed, as per RBI guidelines, to assess the eect of interest rate changes on the Market Value of Equity in percentage terms.

e ALCO decides on the xation of interest rates on both assets and liabilities aer considering the macro economic outlook – both global and domestic, as also the micro aspects like cost-benet, spin os, nancial inclusion and a host of other factors.

Strategies and process:
e strategy adopted for mitigating the risk is conducting stress tests before hand by simulating various scenarios so as to be in preparedness for the plausible event and if possible in mitigating it. e process for mitigating the risk is initiated by altering the mix of asset and liability composition, bringing the duration gap closer to zero, change in interest rates etc.

Structure and organization of the relevant risk management functions:
e ALM cell reports to the Chief Risk Ocer (CRO) - Integrated Risk Management Department and the ALM reports on various subjects/ topics along with the structural liquidity and the interest rate sensitivity statements are presented to the ALCO and the Risk Management Committee of the Board on a periodical basis. e ALCO is chaired by the Managing Director & CEO of the Bank and has the Executive Directors and GMs of functional Departments as its members.

Scope and nature of risk reporting and measurement systems:
e liquidity and interest rate sensitivity statements reveal the liquidity position and the Interest rate risk of the Bank. With the approval by the Board, tolerance level is stipulated, within which the Bank is to operate. Any breach in the limits is reported to the ALCO which in turn directs remedial measures to be initiated.

Policies for hedging and mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing eectiveness of hedges/ mitigates:
Mitigating measures are initiated in the ALCO on how to contain the liquidity risk and interest rate risk. e fortnightly statements presented to the ALCO reveal the liquidity and interest rate structure based on residual maturity. e gap position under various time buckets denotes the liquidity risk and interest rate risk. e ALCO on studying the gap position in detail evolves the strategies to reduce the mismatches in order to minimize the liquidity and interest rate risks.

e nature of Interest rate risk in banking book and key assumptions including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits and Frequency of IRRBB measurement

IRRBB is calculated every month as on the last day of each month. IRRBB is calculated from Economic value perspective (Modified duration gap method) & Earnings perspective (Traditional gap analysis method).

Following is the Methodology followed & Assumptions made for calculating IRRBB - **Economic value perspective.**

- All rate sensitive assets and liabilities are distributed into 10 time buckets, based on the residual maturity/repricing date.
- Assets, liabilities and o balance sheet items are grouped under the broad heads viz., Deposits, Borrowings, Other liabilities, Provisions, Balance with other banks, Investments (HTM), Advances &Non-performing assets.
- Bucket-wise cash ows for each item/category of asset/liability/o balance sheet item are arrived at.

- प्रत्येक प्रमात्रा का अवधि का केन्द्र समय सभी आस्तियों तथा देयताओं की प्रत्येक प्रमात्रा की परिपक्वता के लिये प्रॉक्सी अवधि के रूप में लिया जाता है।
- तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी की आस्ति/देयता/शेष राशि का परिपक्वता दिनांक, कूपन, प्रतिफल तथा ब्याज आवृत्ति के आधार पर संशोधित अवधि का परिकलन किया जाता है ।
- सभी आस्तियों (डीए) तथा सभी देयताओं (डीएल) के लिये भारित औसत संशोधित अवधि का परिकलन तुलन पत्र में शेष राशि की गणना करते हुए किया जाता है।

आकलन :

1. समस्त अतिदेय जमा को 1–28 दिन के समय भाग में रखा जाता है ।
2. समस्त चालू खाता जमा तथा बचत खाता जमा का व्यावहारिक शिक्षण आधार पर समय भाग में रखा जाता है ।
3. माँग तथा मियादी ऋण को विभिन्न समय भाग में उनके पूर्व भुगतान के व्यावहारिक आधार पर मूल परिपक्वता के बजाय बैंक के व्यावहारिक शिक्षण के आधार पर वितरित किया जाता है ।
4. देशी खुदरा मीयादी जमा व्यावहारिक आधार पर वितरित किया जाता है ।
5. चूँकि अग्रिमों के मामले में पुनर्मूल्यनिर्धारण आल्को बैठक तिथि से संबद्ध है, यह माना जाता है कि बीएमपीएलआर तथा अग्रिमों से संबद्ध आधार दर तदनुसार पुनर्मूल्यनिर्धारित होगा । चूँकि आल्को बैठक मासिक आधार पर आयोजित होता है, फ्लोटिंग दर अग्रिम का 1 माह के अंदर पुनः मूल्यनिर्धारण होगा अर्थात फ्लोटिंग दर पोर्टफोलियो का पुनः मूल्यनिर्धारण 1–28 दिन समय भाग के अंदर आएगा । एमसीएलआर संबद्ध अग्रिम पुनर्निर्धारण तिथि के अनुसार प्रभावी होगा ।

आईआरआरबीबी परिकलन के लिये प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति/आकलन – आय सन्दर्भ निम्नालिखित है ।

- एक वर्ष तक की दर संवेदनशील आस्ति (आरएसए) तथा दर संवेदनशील देयता (आरएसएल) को आय सन्दर्भ से आईआरआर परिकलन के लिये विचार किया जाता है ।
- आस्ति देयता प्रबन्धन प्रक्रिया के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक दिशा–निर्देशों में व्यक्त व्यावहारिक शिक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार करते हुए, बैंक ब्याज दर संवेदनशील विवरणी मासिक आधार पर तैयार कर रहा है ।
- अन्तराल पता करने के लिये एक वर्ष तक की दर संवेदनशील आस्ति तथा दर संवेदनशील देयता को लिया जाता है ।
- दर संवेदनशील अन्तराल पता करने के लिये दर संवेदनशील आस्ति से दर संवेदनशील देयता को घटाया जाता है ।
- ब्याज दर आघात परिकलन करने के लिये दर संवेदनशील अन्तर को अनुमानित ब्याज दर परिवर्तन से गुणा किया जाता है ।
- एक सार्वभौमिक खिसकाव (समानान्तर) सभी परिपक्वता भाग वाले प्रतिफल वक्र के बीच आकलित किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त बैंक विभिन्न अनुपात जैसे एलसीआर, एनएसएफआर, अतितिक्त तरलता तथा स्टॉक अनुपात की गणना द्वारा तरलता स्थिति की निगरानी करता है ।

ख) गुणात्मक प्रकटीकरण :

जोखिम पर अर्जन

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	एक वर्ष तक पुन: मूल्य निर्धारण
0.25%	13.63
0.50%	27.25
0.75%	40.88
1.00%	54.50

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य **(₹ मिलियन में)**

दरों में 200 बीपीएस परिवर्तन हेतु ईक्विटी मूल्य में कमी (रिज़र्व सहित)	3030.00

सारणी डीएफ –10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्स पोज़र हेतु सामान्यत प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम को लेन–देन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले लेन–देन के चूक जाने के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा वित्तीय लेन–देन में डेरिवैटिव्ज और प्रतिभूतियों के लिए जोखिम का प्राथमिक स्रोत है । एक ऋण से बैंक के ऋण जोखिम एक्सपोजर के विपरीत, जहां ऋण जोखिम एकतरफा है और केवल उधार दाता बैंक हानि के जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम प्रकृति में द्विपक्षीय है यथा लेन–देन के किसी भी प्रतिपक्ष के लिए और समय–समय पर अंतर्निहित बाजार कारकों की गति के साथ लेन–देन का बाजार मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है । एक आर्थिक नुकसान तब होगा यदि प्रतिपक्ष के लेन–देन या लेन–देन के संविभाग के पास चूक के समय पर सकारात्मक आर्थिक मूल्य होता है ।

- e mid-point of each time bucket is taken as proxy duration for the maturity of all assets and liabilities in the respective time bucket
- Modied duration of each category of asset/liability/o balance sheet item is calculated using the maturity date, coupon, yield and interest frequency.
- Weighted average modied duration of all the assets (DA) and all the liabilities (DL) is calculated including the o balance sheet items.

Assumptions:

1. Entire overdue deposits are placed in 1-28 days time bucket.
2. Entire Current account deposits and saving account deposits are bucketed as per behavioral studies.
3. Demand and Term Loans are distributed into various buckets based on the pattern of prepayments as per banks behavioral studies instead of the original maturity.
4. Domestic Retail Term Deposits are distributed as per behavioral studies.
5. Since the re-pricing date in case of advances is linked to ALCO meeting date, it is assumed that BMPLR and Base Rate linked advances get re-priced accordingly. Since ALCO meeting is conducted on monthly basis, oating rate advances will be re-priced within 1 month i.e. re-pricing of oating rate portfolio will come under 1-28 days time bucket.MCLR linked advances are bucketed as per the reset date.

Following is the Methodology followed / Assumptions made for calculating IRRBB - **Earnings perspective.**

- Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate sensitive Liabilities (RSL) up to one year are considered for calculation of IRR from earnings perspective.
- Bank is preparing interest rate sensitivity statement on Monthly basis, duly taking into consideration the various behavioral studies as envisaged in RBI guidelines as part of ALM process.
- Rate sensitive assets and Rate sensitive liabilities upto one year are taken to arrive at the gap.
- Rate sensitive liabilities are reduced from Rate sensitive assets to arrive at the rate sensitive gap.
- e rate sensitive gap is multiplied by assumed interest rate changes to arrive at the interest rate shock.
- A uniform shi (parallel) in yield curve across all the maturity buckets is assumed.

In addition to this Bank is monitoring liquidity position by calculating various ratios like LCR, NSFR, additional liquidity and stock ratios.

(b) Quantitative Disclosures:

EARNINGS AT RISK

(₹ in Millions)

Change in interest rate	Re-pricing up to 1 year
0.25%	13.63
0.50%	27.25
0.75%	40.88
1.00%	54.50

ECONOMIC VALUE OF EQUITY

For a 200 bps rate shock the drop in equity value (including reserves)	3030.00

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures:

Counterparty Credit Risk is dened as the risk that the counterparty to a transaction could default before the nal settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors. An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

बैंक में प्रतिपक्षकार एक्सपोजर की सीमाओं के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है। एक्सपोजर सीमाओं को आंतरिक रेटिंग आकलन विधि (आईआरएएम) के आधार पर निश्चित किया जाता हैं जिसमें पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, तरलता, लाभप्रदता आदि से सम्बन्धित विभिन्न मापदण्डों का लेखांकन किया जाता है। इन सीमाओं को काउंटर पार्टी बैंक/संस्था के आंतरिक रेटिंग आकलन विधि के स्कोर के आधार पर नेट वर्थ के प्रतिशत के रूप में निश्चित किया जाता है। सम्बन्धित प्रतिपक्षों की सीमा तय करते समय सीसीआर सीमा की राशि और अवधि निर्धारित की जाती है। सीसीआर एक्सपोजर की पूंजी के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

					राशि (₹ मिलियन में)
क्र.सं.	**विवरण**	**कल्पित राशि**		**चालू एक्सपोजर**	
		दि. 31.03.2019	**दि. 31.03.2018**	**दि. 31.03.2019**	**दि. 31.03.2018**
1	वायदा संविदाएं	1725604.68	1071317.39	34534.57	21971.93
	उपरोक्त में से				
	वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं	1650519.57	984534.57	33032.87	20236.27
	वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (14 दिन से कम की अवधि में मुलत: परिपक्व)	75085.11	86782.82	1501.70	1735.66
2	परस्पर लेन-देन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	उपरोक्त में से	-	-	-	-
	बैंकों के साथ	-	-	-	-
	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ	-	-	-	-
3	एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ए+बी+सी)	1725604.68	1071317.39	34534.57	21971.93

सारणी डीएफ-11: पूंजी की संरचना

			(₹ मिलियन में)
डीएफ-11: पूंजी की संरचना			**संदर्भ सं.**
सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी: लिखत एवं प्रारक्षिती			
1	सीधे निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी सहित संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	114374.76	ए +बी
2	प्रतिधारित उपार्जन	(62251.13)	सी-डी
3	संचित अन्य बृहत आय (और 55% की छूट पर पूनर्मूल्यांबकन प्रारक्षिती सहित अन्य प्रारक्षिती)	75800.50	ई+एफ+जी+एच+जे+(आई*45%)
4	सीईटी 1 से फेस आउट होने की शर्त पर सीधे निर्गमित पूंजी (केवल गैर-जाइंट स्टॉक कंपनियों1 के लिए लागू)	-	
	सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त पूंजी जिसे 1 जनवरी 2018 तक भविष्यगामी विनियामक छूट प्राप्त है	-	
5	अनुषंगियों द्वारा निर्गमित और तृतीय पक्षकारों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी1 में अनुमत राशि)	-	
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी	127924.13	
सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी:			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	29.00	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	191.70	डब्ल्यू का 100%
9	बंधक चुकौती अधिकार के अलावा अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	-	वी का 100%
10	आस्थगित कर आस्तियां	-	
11	आस्थगित कर आस्तियां	-	
12	अनुमानित हानियों के प्रति प्रावधान की कमी	-	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-	

e bank has a board approved policy for the counterparty exposure limits. e exposure limits are xed on the basis of an "Internal Rating Assessment Method" (IRAM) which takes into account various parameters relating to Capital Adequacy, Asset quality, Liquidity, Protability etc. ese limits are xed as a percentage of net worth of the counter party bank/institution based on the score arrived as per the Internal Rating Assessment Method. CCR limits are set on the amount and tenor while xing the limits to respective counterparties. Capital for CCR exposure is assessed based on Standardized Approach

Quantitative Disclosures:

Amount (₹ in Millions)

Sl No	Particulars	Notional Amount		Current Exposure	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
1	Forward Contracts	1725604.68	1071317.39	34534.57	21971.93
	Out of above---				
	Forward Forex contracts	1650519.57	984534.57	33032.87	20236.27
	Forward Forex contracts (Original maturity less than 14 days)	75085.11	86782.82	1501.70	1735.66
2	Cross Currency Interest rate Swaps	NIL	NIL	NIL	NIL
	Out of above—	-	-	-	-
	With Banks	-	-	-	-
	With RBI	-	-	-	-
	Inter Bank (Original maturity less than 14 days)	-	-	-	-
3	Single Currency Interest Rate Swaps	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total (A+B+C)	1725604.68	1071317.39	34534.57	21971.93

Table DF-11: Composition of Capital

(₹ in Million)

DF-11 : COMPOSITION OF CAPITAL			Ref No
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	114374.76	a+b
2	Retained earnings	(62251.13)	c-d
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves including Revaluation Reserve at a discount of 55%)	75800.50	e+f+g+h+j+(i*45%)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	-	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	127924.13	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	29.00	100% of w
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	191.70	100% of v
10	Deferred tax assets	-	
11	Cash-ow hedge reserve	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	
13	Securitization gain on sale	-	

14	उचित मूल्यांकन की देयताओं पर स्वयं क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	-	
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तिया	-	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर प्रदत्त पूंजी में पहले से घटाया न गया हो)		यू का भाग
17	सामान्य ईक्विटी में रेसिप्रोकल प्रतिधारिता	64.59	आर का भाग
18	वनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में पूंजी का निवेश, पात्र शार्ट स्थिति का निवल, जहाँ बैंक के स्वामित्व में निर्गमित शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (10% सीमा से अधिक राशि)	-	
19	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शार्ट स्थिति का निवल (10% सीमा से अधिक राशि)	-	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% सीमा से अधिक राशि)	लागू नहीं	
21	अस्थायी अंतरण से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (10% सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	-	
22	15% सीमा से अधिक राशि	10203.22	
23	जिसमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	3565.53	
24	जिसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	-	
25	जिसमें से: अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ	6637.69	
26	राष्ट्र विशेष का विनियामक समायोजन (26क+26ख=26ग+26घ)	-	
26क	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	-	
26ख	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	-	
26ग	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिनका समेकन बैंक के साथ नहीं किया गया है	-	
26घ	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-	
	पूर्व बेसल III व्यवहार की शर्त पर राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	-	
27	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	-	
28	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 में कुल विनियामक समायोजन	10488.51	
29	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)	117435.62	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			
30	सीधे निर्गमित अर्हक अतिरिक्त टीयर 1 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक (31+32)	27000.00	
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जनमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	27000.00	के का भाग
33	सीधे निर्गमित पूंजी लिखत अतिरिक्त टीयर 1 से फेस आउट की शर्त पर	-	के का भाग
34	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत) अनुषंगियों द्वारा निर्गमित और तृतीय पक्षकारों द्वारा धारित (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)	-	
35	जिनमें से: अनुषंगियों द्वारा निर्गमित लिखत फेस आउट की शर्त पर	-	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	27000.00	

14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15	Dened-benet pension fund net assets	-	
16	Investments in own shares (if not already netted o paid-in capital on reported balance sheet)	-	Part of u
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	64.59	Part of r
18	Investments in the capital of banking, nancial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	
19	Signicant investments in the common stock of banking, nancial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	NA	
21	Deferred tax assets arising from temporary dierences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-	
22	Amount exceeding the 15% threshold	10203.22	
23	of which: signicant investments in the common stock of nancial entities	3565.53	
24	of which: mortgage servicing rights	-	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary dierences	6637.69	
26	National specific regulatory adjustments(26a+26b=26c+26d)	-	
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-nancial subsidiaries	-	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
26d	of which: Unamortized pension funds expenditures	-	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	10488.51	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	117435.62	
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	27000.00	
31	of which: classied as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classied as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	27000.00	Part of k
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	-	Part of k
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	27000.00	

अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	-	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में रेसिप्रोकल क्रास होल्डिंग	-	
39	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में पूंजी का निवेश, पात्र शार्ट स्थिति का निवल, जहाँ बैंक के स्वामित्व में निर्गमित शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (10% सीमा से अधिक राशि)	-	
40	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शार्ट स्थिति का निवल)	-	
41	राष्ट्र विशेष का विनियामक समयोजन (41क+41ख)	-	
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों का अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश	-	
41ख	हुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी, जिनका समेकन बैंक के साथ नहीं किया गया है	-	
	पूर्व बेसल III व्यवहार की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	-	
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार जोडें उदा. : डीटीए	-	
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार जोडें उदा. – टीयर 1 से 50% की दर से घटाए गए वर्तमान समंजन	-	
	जिसमें से: समायोजन का प्रकार जोडें उदा. – गुडविल और अमूर्त आस्तियां	-	
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	-	
43	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	-	
44	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)	27000.00	
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना में ली गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	27000.00	
45	टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44क)	144435.62	
टीयर 2 पूंजी : प्रलेख और प्रावधान			
46	सीधे निर्गमित टीयर 2 प्रलेख सहित अधिक स्टॉक	30000.00	आई का भाग
47	टीयर 2 से फेस आउट की शर्त पर सीधे निर्गमित पूंजी प्रलेख	7980.00	आई का भाग
48	अनुषंगियों द्वारा जारी टीयर 2 प्रलेख (और सीईटी1 तथा एटी 1 प्रलेख जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए हैं) और तृतीय पक्षकारों द्वारा धारित (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	-	
49	जिनमें से : फेस आउट की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी प्रलेख	-	
50	प्रावधान	7314.46	एन
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर 2 पूंजी	45294.46	
टीयर 2 पूंजी: विनियामक समंजन			
52	स्वयं टीयर 2 प्रलेखों में निवेश	-	
53	टीयर 2 प्रलेखों में रेसिप्रोकल क्रास – होल्डिंग	-	एस का भाग
54	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में पूंजी का निवेश, पात्र शार्ट स्थिति का निवल, जहाँ बैंक के स्वामित्व में निर्गमित शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (10% सीमा से अधिक राशि)	-	
55	विनियामक समेकन की परिधि से परे बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शार्ट स्थिति का निवल)	-	
56	राष्ट्र विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)	-	
56क	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों की टीयर 2 पूंजी में निवेश		

Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	-	
39	Investments in the capital of banking, nancial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-	
40	Signicant investments in the capital of banking, nancial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	-	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	-	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]- Goodwill and Intangible assets	-	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	-	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	27000.00	
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	27000.00	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	144435.62	
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	30000.00	Part of l
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	7980.00	Part of l
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
50	Provisions	7314.46	n
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	45294.46	
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	-	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	-	Part of s
54	Investments in the capital of banking, nancial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-	
55	Signicant investmentsin the capital banking, nancial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-	

56ख	जिसमें से : बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी, जिनका समेकन बैंक के साथ नहीं किया गया है		
	पूर्व बेसल III व्यवहार की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टीयर 2 हेतु लागू विनियामक समायोजन		
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार जोडें उदा. – टीयर 2 से 50% की दर से घटाए गए वर्तमान समंजन)		
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार जोडें)		
57	टीयर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	-	
58	टीयर 2 पूंजी (टी2)	45294.46	
58क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना में ली गई टीयर 2 पूंजी	45294.46	
58ख	टीयर 2 पूंजी के रूप में गणना में ली गई अधिक अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	-	
58ग	पूंजी पर्याप्तता हेतु अनुमेय कुल टीयर 2 पूंजी (58क + 58ख)	45294.46	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58ग)	189730.08	
60	कुल जोखिम भारांकित आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)	1373322.98	
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारांकित आस्तियां	1150152.09	
60ख	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारांकित आस्तियां	79345.90	
60ग	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारांकित आस्तियां	143825.00	
पूंजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.55%	
62	टीयर 1 (जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.52%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.82%	
64	संस्था विशेष बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा सहित पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	7.375%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षा	1.875%	
66	जिसमें से : बैंक विशेष प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	जसमें से: जी–एसआईबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर 1 (जाखिम भारांकित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	3.05%	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III से भिन्न हो तो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III से भिन्न हो तो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III से भिन्न हो तो)	9.00%	
कटौती हेतु सीमा से कम राशियां (जोखिम भारांकन से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर–महत्वपूर्ण निवेश	3939.30	आर एवं एस का भाग
73	वित्तीय संस्थाओं की सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	14.71	टी का भाग
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	लागू नहीं	
75	अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	शून्य	
टीयर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएं			
76	मानकीकृत अप्रोच की शर्त पर एक्सपोशर के संबंध में टीयर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	7314.46	
77	मानकीकृत अप्रोच के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु सीमा	14376.90	

56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	-	
58	Tier 2 capital (T2)	45294.46	
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	45294.46	
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	-	
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	45294.46	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	189730.08	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1373322.98	
60a	of which: total credit risk weighted assets	1150152.09	
60b	of which: total market risk weighted assets	79345.90	
60c	of which: total operational risk weighted assets	143825.00	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.55%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.52%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.82%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buer requirement	1.875%	
66	of which: bank specic countercyclical buer requirement	0	
67	of which: G-SIB buer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	3.05%	
National minima (if dierent from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if dierent from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-signicant investments in the capital of other nancial entities	3939.30	Part of r&s
73	Signicant investments in the common stock of nancial entities	14.71	Part of t
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	NA	
75	Deferred tax assets arising from temporary dierences (net of related tax liability)	NIL	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	7314.46	
*77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	14376.90	

78	आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच की शर्त पर एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधन शामिल करने हेतु सीमा	लागू नहीं	
फेस आउट की शर्त पर पूँजी प्रलेख (केवल 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)			
80	फेस आउट व्य वस्थारओं की शर्त पर सीईटी1 प्रलेख पर वर्तमान कैप	-	
81	कैप के कारण सीईटी1 से निकाली गई राशि (मोचन और परिक्र्ता के बाद कैप से अधिक)	-	
82	कैप के कारण एटी1 पर वर्तमान कैप (मोचन और परिक्र्ता के बाद कैप से अधिक)	-	
83	कैप के कारण एटी1 से निकाली गई राशि (मोचन और परिक्र्ता के बाद कैप से अधिक)	-	
84	फेस आउट व्यवस्थाओं की शर्त पर टी2 प्रलेख पर वर्तमान कैप	-	
85	कैप के कारण टी2 से निकाली गई राशि (मोचन और परिक्र्ता के बाद कैप से अधिक)	-	

* बेसल III पूँजी विनियमों और ब्रेक–अप पर मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 4.2.5.1 में निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के संदर्भ में पात्र प्रावधानों और पुनर्मूल्यांकन निक्षेपों को रिपोर्ट करने के लिए नोट्स में प्रस्तुत किया जाना है ।

टैम्प्लेट पर नोट

टैम्प्लेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानि से संबंधित आस्थगित कर आस्तियाँ	-
	आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से संबंधित के अलावा) आस्थगित कर देयता का निवल	6637.69
	पंक्ति 10 में बताए अनुसार कुल	6637.69
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेश की कटौती पूर्णतः पूंजी से किए बिना कटौती की 10% सीमा के अंतर्गत विचार किया जाता है, इसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से: अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	जिसमें से: टीयर 2 पूंजी में वृद्धि	-
26ख	यदि असमेकित गैर–वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश की कटौती नहीं की गई और इस हेतु जोखिम भारांकित किया गया है :	-
	(i) सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	-
	(ii) जोखिम भारांकित आस्तियों में वृद्धि	-
44क	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी का आधिक्य पूंजी जिसकी गणना पूंजी पर्याप्तता हेतु नहीं की गई (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए अनुसार अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी और 44 क में रिपोर्ट किए अनुसार अनुमेय अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी का अंतर)	-
	जिसमें से : अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी का आधिक्य जिसे पंक्ति 58ख के अंतर्गत टीयर 2 पूंजी के रूप में विचार किया गया	-
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	7314.46
	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षिती	-
	पंक्ति 50 का कुल	7314.46
58क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना में नहीं लिया गया टीयर 2 पूंजी आधिक्य (पंक्ति 58 में रिपोर्ट किए अनुसार टीयर 2 पूंजी और 58 क में रिपोर्ट किए अनुसार टी 2 में अंतर)	-

78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital Instruments subject to phase-out (only applicable between March 31,2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	-	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-	
82	Current cap on AT1 instruments due to cap(excess over cap after redemptions and maturities)	-	
83	Amount excluded from AT1 due to cap(excess over cap after redemptions and maturities)	-	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	-	
85	Amount excluded from T2 due to cap(excess over cap after redemptions and maturities)	-	

*To report Eligible Provisions and Revaluation Reserves in terms of guidelines contained in para 4.2.5.1 of the Master Circular on Basel III Capital regulations and break-up to be furnished in the Notes

Notes On Templates

Row No. of the template	Particular	(₹ in million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	-
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	6637.69
	Total as indicated in row 10	6637.69
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	-
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Tier 2 capital	-
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-nancial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	-
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	(ii) Increase in risk weighted assets	-
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	-
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	-
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	7314.46
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	-
	Total of row 50	7314.46
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	-

सारणी डीएफ-12: पूंजी की संरचना- समाशोधन अपेक्षाएं

(₹ मिलियन में)

डीएफ-12: पूंजी की संरचना- समाशोधन अपेक्षाएं		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	विनियामक समेकन परिधि के अंतर्गत तुलन-पत्र
चरण-1		दि. 31-03-2019 को	दि. 31-03-2019 को
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	28844.88	28844.88
	प्रारक्षिती एवं आधिक्य	104472.37	104357.97
	अल्पांश हित	-	-
	कुल पूंजी	**133317.25**	**133202.85**
ii	**जमा राशियां**	**2198529.33**	**2198531.04**
	जिनमें से : बैंकों से जमाराशियां	528.53	528.53
	जिनमें से: ग्राहकों से जमाराशियां	2093819.72	2093821.43
	जिनमें से: अन्य जमाराशियां (जमा प्रमाणपत्र)	104181.08	104181.08
iii	**उधार**	**103145.89**	**102845.89**
	जिनमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	5000.00	5000.00
	जिनमें सेः अन्य बैंकों से	64.80	64.80
	जिनमें से : अन्य संस्था एंव एजेंसियों से	24694.46	24394.46
	जिनमें सेः अन्य (कृपया स्पष्ट करें)- भारत से बाहर ऋण व्यवस्था	5186.63	5186.63
	जिनमें से : पूंजी प्रलेख	68200.00	68200.00
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	105447.34	60842.06
	कुल	**2540439.81**	**2495421.84**
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशियां	101271.37	101269.66
	बैंकों में शेष राशियां और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	54208.34	50417.49
ii	निवेश	669148.26	630059.92
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	585342.10	574925.20
	जिनमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7583.17	0.00
	जिनमें से : शेयर	12682.04	5152.20
	जिनमें सेः डिबेंचर और बॉड	27409.15	25122.19
	जिनमें से : अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी	1509.65	3384.65
	जिनमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	34622.15	21475.68
iii	ऋण और अग्रिम	**1588479.10**	**1588458.67**
	जिनमें सेः बैंकों को ऋण और अग्रिम	0.00	0.00
	जिनमें सेः ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1588479.10	1588458.67
iv	**अचल आस्तियां**	**15693.87**	**15608.79**
v	**अन्य आस्तियां**	**111609.87**	**109578.31**
	जिसमें सेः सुनाम और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	22983.12	22983.12
vi	समेकन पर सुनाम	29.00	29.00
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल आस्तियां	**2540439.81**	**2495421.84**

Table DF-12: Composition of Capital – Reconciliation Requirements

			(₹ in Million)
DF-12- Composition of Capital- Reconciliation Requirements		**Balance sheet as in nancial statements**	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
Step-1		**As on 31-03-2019**	**As on 31-03-2019**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	28844.88	28844.88
	Reserves & Surplus	104472.37	104357.97
	Minority Interest	-	-
	Total Capital	**133317.25**	**133202.85**
ii	**Deposits**	**2198529.33**	**2198531.04**
	of which: Deposits from banks	528.53	528.53
	of which: Customer deposits	2093819.72	2093821.43
	of which: Other deposits (Certicate of Deposit)	104181.08	104181.08
iii	**Borrowings**	**103145.89**	**102845.89**
	of which: From RBI	5000.00	5000.00
	of which: From banks	64.80	64.80
	of which: From other institutions & agencies	24694.46	24394.46
	of which: Others (pl specify)- Outside India Line of Credit	5186.63	5186.63
	of which: Capital instruments	68200.00	68200.00
iv	**Other liabilities & provisions**	105447.34	60842.06
	Total	**2540439.81**	**2495421.84**
B	**Assets**		
i	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	101271.37	101269.66
	Balance with banks and money at call and short notice	54208.34	50417.49
ii	**Investments:**	669148.26	630059.92
	of which: Government securities	585342.10	574925.20
	of which: Other approved securities	7583.17	0.00
	of which: Shares	12682.04	5152.20
	of which: Debentures & Bonds	27409.15	25122.19
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1509.65	3384.65
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	34622.15	21475.68
iii	**Loans and advances**	**1588479.10**	**1588458.67**
	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00
	of which: Loans and advances to customers	1588479.10	1588458.67
iv	**Fixed assets**	**15693.87**	**15608.79**
v	**Other assets**	**111609.87**	**109578.31**
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	22983.12	22983.12
vi	**Goodwill on consolidation**	29.00	29.00
vii	**Debit balance in Prot & Loss account**	0.00	0.00
	Total Assets	**2540439.81**	**2495421.84**

(₹ मिलियन में)

डीएफ-12 :पूँजी की संरचना - समाशोधन अपेक्षाएं		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	वनियामक समेकन परिधि के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं.
चरण-2		दि.31-03-2019 को	दि.31-03-2019 को	
क	पूँजी और देयताएं			
i	**प्रदत्त पूँजी**	**28844.88**	**28844.88**	
	जिसमें से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	28844.88	28844.88	ए
	जिसमें से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	-	-	
	प्रारक्षिती एवं आधिक्य	**104472.37**	**104357.97**	
	जिसमें सेः			
	शेयर प्रीमियम	85919.88	85529.88	बी
	लाभ/हानि खाते में शेष	(62556.72)	(62251.13)	सी
	जिसमें सेः			
	(क) पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ चालू अवधि का लाभ नहीं गिना जाएगा ।	-	-	डी
	सांविधिक रिज़र्व	25542.05	25542.05	ई
	सामान्य रिज़र्व	24876.46	24876.46	एफ
	पूँजी रिज़र्व	6554.24	6524.24	जी
	आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(**viii**) के अन्त र्गत विशेष रिज़र्व	14550.00	14550.00	एच
	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व	9597.66	9597.66	आई
	विदेशी मुद्रा ट्रान्ले **i**) शन आरक्षिति	(11.19)	(11.19)	जे
	अल्प संख्यिक हित	-	-	
	जिसमें से पूँजी निधि के अंतर्गत विचारा गया	-	-	
	कुल पूँजी	133317.25	133202.85	
ii	**जमाराशि**	**2198529.33**	**2198531.04**	
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशि	528.53	528.53	
	जिसमें से : ग्राहकों की जमाराशि	2093819.72	2093821.43	
	जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया स्पष्ट करें) - जमा प्रमाणपत्र	104181.08	104181.08	
iii	**उधार**	**103145.89**	**102845.89**	
	जिसमें : भारिबैं से	5000.00	5000.00	
	जिसमें : बैंकों से	64.80	64.80	
	जिसमें : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	24694.46	24394.46	
	जिसमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें) - भारत से बाहर का ऋण	5186.63	5186.63	
	जिसमें : पूँजीगत विलेख	68200.00	68200.00	
	जिसमें :			
	(क) एटी1 पूँजी हेतु पात्र	27000.00	27000.00	के
	(ख) बैंक द्वारा जारी टी2 पूँजी हेतु पात्र	37980.00	37980.00	एल
	(ग) अनुषंगी द्वारा जारी टी2 पूँजी हेतु पात्र	0.00	0.00	
iv	**अन्य देयताएं व प्रावधान**	**105447.34**	**60842.06**	**एम**
	जिसमें :			
	मानक आस्तियों के विरूद्ध प्रावधान	7314.46	7314.46	एन
	एआरसी II हेतु प्रावधान	0.00	0.00	ओ
	विशेष प्रावधान - एसआरएस	0.00	0.00	
	साख से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00	
	कुल	**2540439.81**	**2495421.84**	
बी	आस्तियाँ			
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष राशियाँ	101271.37	101269.66	
	बैंकों में शेष राशि और मांग तथा अल्पर सूचना पर प्रतिदेय राशि	54208.34	50417.49	

(₹ in Million)

DF-12- Composition of Capital- Reconciliation Requirements		Balance sheet as in nancial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
Step-2		**As on 31-03-2019**	**As on 31-03-2019**	
A	**Capital & Liabilities**			
i	**Paid-up Capital**	**28844.88**	**28844.88**	
	of which: Amount eligible for CET1	28844.88	28844.88	a
	of which: Amount eligible for AT1	-	-	
	Reserves & Surplus	**104472.37**	**104357.97**	
	of which:			
	Share premium	85919.88	85529.88	b
	Balance in Prot/Loss A/c	(62556.72)	(62251.13)	c
	of which:			
	(a) Current period prots not reckoned for capital adequacy purpose	-	-	d
	Statutory Reserves	25542.05	25542.05	e
	General Reserve	24876.46	24876.46	f
	Capital Reserve	6554.24	6524.24	g
	Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act	14550.00	14550.00	h
	Revaluation Reserve	9597.66	9597.66	i
	Foreign Currency Translation Reserve	(11.19)	(11.19)	j
	Minority Interest	-	-	
	Of which considered under capital funds	-	-	
	Total Capital	133317.25	133202.85	
ii	**Deposits**	**2198529.33**	**2198531.04**	
	of which: Deposits from banks	528.53	528.53	
	of which: Customer deposits	2093819.72	2093821.43	
	of which: Other deposits (pl. specify)- Certicate of Deposit	104181.08	104181.08	
iii	**Borrowings**	**103145.89**	**102845.89**	
	of which: From RBI	5000.00	5000.00	
	of which: From banks	64.80	64.80	
	of which: From other institutions & agencies	24694.46	24394.46	
	of which: Others (pl specify)- Outside India Line of Credit	5186.63	5186.63	
	of which: Capital instruments	68200.00	68200.00	
	of which:			
	(a) Eligible AT1 capital	27000.00	27000.00	k
	(b) Eligible T2 capital issued by Bank	37980.00	37980.00	l
	© Eligible T2 capital issued by subsidiaries	0.00	0.00	
iv	**Other liabilities & provisions**	**105447.34**	**60842.06**	m
	of which:			
	Provision against standard assets	7314.46	7314.46	n
	Provision for ARCIl	0.00	0.00	o
	Special Provision -SRS	0.00	0.00	
	DTLs related to goodwill	0.00	0.00	
	DTLs related to intangible assets	0.00	0.00	
	Total	**2540439.81**	**2495421.84**	
B	**Assets**			
i	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	101271.37	101269.66	
	Balance with banks and money at call and short notice	54208.34	50417.49	

ii	**निवेश**	669148.26	630059.92	
	जिसमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	585342.10	574925.20	पी
	जिसमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	7583.17	0.00	क्यू
	जिसमें : शेयर	12682.04	5152.20	आर
	जिसमें : डिबेंचर और बाँड	27409.15	25122.19	एस
	जिसमें : अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी	1509.65	3384.65	टी
	जिसमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंड इत्यादि)	34622.15	21475.68	यू
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**1588479.10**	**1588458.67**	
	जिसमें : बैंक को ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	
	जिसमें : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1588479.10	1588458.67	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**15693.87**	**15608.79**	
	जिसमें :			
	बंधक को छोडकर अमूर्त – सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	224.80	191.70	वी
v	**अन्य आस्तियाँ**	**111609.87**	**109578.31**	
	जिसमें : अपरिशोधित पेंशन एवं ग्रेच्युटी	-	-	
	जसमें : साख एवं अमूर्त आस्तियाँ	-	-	
	साख	-	-	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोडकर)	-	-	
	आस्थ गित कर आस्तियाँ	22983.12	22983.12	
vi	**समेकन पर साख**	**29.00**	**29.00**	डब्ल्यू
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**0.00**	**0.00**	
	कुल आस्तियाँ	**2540439.81**	**2495421.84**	

(र मिलयन मं)

बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प लेट की विवरणी (जोड़े गए कॉलम सहित)			
सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी : प्रलेख एवं रिज़र्व			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए नियंत्रित पूँजी के घटक	**चरण 2 से समेकन के नियंत्रण परिधि के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ**
1	प्रत्यतक्ष रूप में जारी अर्हता प्राप्त सामान्ये शेयर पूँजी (और गैर–संयुक्त स्टांक कंपनियों के लिए समकक्ष) पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष	114374.76	ए+बी
2	प्रतिधारित उपार्जन	(62251.13)	सी–डी
3	संचित अन्य व्याकपक आय (तथा अन्य रिज़र्व)	78500.50	ई+एफ+जी+एच+जे+(आई*45%)
4	प्रत्याक्ष रूप से जारी पूँजी बशर्तें कि सीईटी 1 से फेज़ आउट (केवल गैर–संयुक्त स्टाक कंपनियों के लिए लागू)	-	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्यट पार्टी द्वारा रखी गयी सामान्ये शेयर पूँजी (सीईटी1 समूह में अनुमत राशि)	-	
6	नियंत्रक सामायोजन से पहले सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूँजी	127924.13	
7	विवेकपूर्ण मूल्योंकन समायोजन	-	
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	29.00	डब्ल्यू का 100%

ii	**Investments**	669148.26	630059.92	
	of which: Government securities	585342.10	574925.20	P
	of which: Other approved securities	7583.17	0.00	q
	of which: Shares	12682.04	5152.20	r
	of which: Debentures & Bonds	27409.15	25122.19	s
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1509.65	3384.65	t
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	34622.15	21475.68	u
iii	**Loans and advances**	**1588479.10**	**1588458.67**	
	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00	
	of which: Loans and advances to customers	1588479.10	1588458.67	
iv	**Fixed assets**	**15693.87**	**15608.79**	
	of which:			
	Intangibles other than mortgage - servicing rights (net of related tax liability)	224.80	191.70	v
v	**Other assets**	**111609.87**	**109578.31**	
	of which: Un amortized pension and gratuity	-	-	
	of which: Goodwill and intangible assets Out of which:	-	-	
	Goodwill	-	-	
	Other intangibles (excluding MSRs)	-	-	
	Deferred tax assets	22983.12	22983.12	
vi	**Goodwill on consolidation**	**29.00**	**29.00**	w
vii	**Debit balance in Prot & Loss account**	**0.00**	**0.00**	
	Total Assets	**2540439.81**	**2495421.84**	

(₹ in Million)

Extract of Basel III common disclosure template (with added column)			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	114374.76	a+b
2	Retained earnings	(62251.13)	c-d
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	78500.50	e+f+g+h+j+(i*45%)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	127924.13	
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	29.00	100% of w

सारणी डीएफ-13: विनियामक पूँजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताएं

(रु मिलियन में)

दि.31.03.2019 को विनियामक पूंजी प्रलेखों के मुख्य लक्षणों के लिए प्रकटीकरण टेम्प्लेट							
			गौण ऋण बॉण्ड VIII इश्यु	अपर टीयर II बॉण्ड II इश्यु श्रृंखला-बी	अपर टीयर II बॉण्ड-II इश्यु श्रृंखला-सी	बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर I बेमियादी ऋण बॉण्डि - श्रृंखला-I	बेसल III अनुपालन टीयर II बॉण्डल ए-श्रृंखला
	विवरण	इक्विटी शेयर	निम्नतर टीयर II	टीयर II	टीयर II	बेमियादी	टीयर II
1.	निगमकर्ता	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक
2.	अद्वितीय परिचयकर्ता (उदा निजी स्थानि नियोजन हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमिबर्ग परिचयकर्ता)	आईएनई434ए01013	आईएनई434ए09131	आईएनई434ए09115	आईएनई434ए09123	आईएनई434ए09149	आईएनई434ए08026
3.	प्रलेखों के शासी कानून	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाए	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाए	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाए	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाए	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाए	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाए
	विनियामक व्यवहार						
4.	परिवर्तनीय बेसल III नियम	ईक्विटी टीयर I	टीयर II	अपर टीयर II	अपर टीयर II	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II
5.	ट्रांसिशनल-पूर्व बेसल III नियम	ईक्विटी टीयर I	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II
6.	सोलो/ग्रुप/ग्रुप तथा सोलो में पात्र	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप
7.	प्रलेख प्रकार	ईक्विटी शेयर	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड	कर्ज बॉण्ड
8.	विनियामक पूँजी में मान्योता प्राप्ती राशि (रु मिलियन में, अधिकांश हाल की ही रिपोर्टिंग तिथि को)	28844.88	0.00	5200.00	2800.00	5000.00	5000.00
9.	प्रलेख का सममूल्य (प्रत्येक शेयर/बॉण्ड का अंकित मूल्य)	रू 10/-	रु 3200 मिलियन तथा प्रत्येक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 5200 मिलियन तथा प्रत्येतक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 2800 मिलियन तथा प्रत्येतक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 5000 मिलियन तथा प्रत्येक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 5000 मिलियन तथा प्रत्येकक प्रलेख का रु.10,00,000/-
10.	लेखा वर्गीकरण	शेयरधारक इक्विटी	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11.	निर्गम की मूल तिथि (आबंटन की तिथि)	विभिन्न तिथियां*	24.12.2009	08.06.2009	18.12.2009	26.12.2014	16.09.2015
12.	बेमियादी अथवा दिनांकित	बेमियादी	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	बेमियादी	दिनांकित
13.	मूल परिपक्वता तिथि	परिपक्वता नहीं	24.12.2019	08.06.2024***	18.12.2024***	बेमियादी**	16.09.2025***
14.	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां
15.	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथि और प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	08.06.2019##	18.12.2019##	26.12.2019****	16.09.2020****
16.	परवर्ती मांग तिथि, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF-13: Main features of Regulatory Capital Instruments

(₹ in Million)

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments as on 31.03.2019							
			Subordinated Debt Bonds VIII Issue	Upper Tier-II Bonds - II Issue Series-B	Upper Tier-II Bonds - III Issue Series-C	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-I	BASEL III Compliant Tier II Bonds A-Series
	Particulars	Equity shares	Lower Tier II	Tier II	Tier II	Perpetual	Tier II
1	Issuer	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identier for private placement)	INE434A01013	INE434A09131	INE434A09115	INE434A09123	INE434A09149	INE434A08026
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Equity Tier I	Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II	Additional Tier I	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Equity Tier I	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Additional Tier I	Tier II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Equity shares	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	28844.88	0.00	5200.00	2800.00	5000.00	5000.00
9	Par value of instrument (Face value of each share / bond)	Rs.10/-	Rs 3200 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 5200 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 2800 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 5000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 5000 million and each instrument of Rs.10,00,000/
10	Accounting classication	Shareholders' equity	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance (Date of allotment)	various dates*	24.12.2009	08.06.2009	18.12.2009	26.12.2014	16.09.2015
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Perpetual	Dated
13	Original maturity date	No maturity	24.12.2019	08.06.2024***	18.12.2024***	Perpetual~	16.09.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not applicable	Not applicable	08.06.2019##	18.12.2019##	26.12.2019****	16.09.2020****
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

दि.31.03.2019 को विनियामक पूंजी प्रलेखों के मुख्य लक्षणों के लिए प्रकटीकरण टेम्प्लेट							
			गौण ऋण बॉण्ड VIII इश्यु	अपर टीयर II बॉण्ड II इश्यु श्रृंखला-बी	अपर टीयर II बॉण्ड-II इश्यु श्रृंखला-सी	बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर I बेमियादी ऋण बॉण्डि - श्रृंखला-I	बेसल III अनुपालन टीयर II बॉण्डल ए-श्रृंखला
	विवरण	**इक्विटी शेयर**	**निम्नतर टीयर II**	**टीयर II**	**टीयर II**	**बेमियादी**	**टीयर II**
	कूपन / लाभांश	लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17.	स्थिर अथवा अस्थिर कूपन/लाभांश	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18.	कूपन दर और कोई संबंधित इंडेक्स	लागू नहीं	8.55% प्रति वर्ष	8.72% प्रति वर्ष	8.70% प्रति वर्ष	9.55% प्रति वर्ष	8.58% प्रति वर्ष
19.	लाभांश बंद करने वाले का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	संपूर्ण विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन अथवा अधिदेशी	संपूर्ण विवेकाधीन	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी
21.	वृद्धिशील का अस्तित्व अथवा अन्य पुन: प्राप्त हेतु प्रोत्साहन	नहीं	नहीं	वृद्धिशील	वृद्धिशील	नहीं	नहीं
22.	असंचयी अथवा संचयी असंचयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23.	संपरिवर्तनीय अथवा असंपरिवर्तनीय	लागू नहीं	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय
24.	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	यदि संपरिवर्तनीय, संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	यदि संपरिवर्तनीय, अधिदेशी अथवा वैकल्पिक संपरिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीयता के प्रलेख प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	यदि संपरिवर्तनीय, संपरिवर्तनीयता के प्रलेख के निर्गमकर्ता स्पष्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन लक्षण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31.	यदि अवलेखन है, अवलेखन ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	ट्रीगर्स का अर्थ है कि निर्गमकर्ता के सामान्य इक्विटी टीयर I अनुपात है : (i) यदि आरडब्ल्यूप ए के 5.5% या इससे कम पर दि.31, मार्च 2019 से पूर्व किसी भी समय गणना किया गया हो (ii) यदि आरडब्ल्यूक ए के 6.125% या इससे कम पर दि.31, मार्च 2019 को या इस तिथि को किसी भी समय गणना किया गया हो (सीईटी1 ट्रीगर्स इवेंट आरम्भिक सीमा)	लागू नहीं

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments as on 31.03.2019							
			Subordinated Debt Bonds VIII Issue	Upper Tier-II Bonds - II Issue Series-B	Upper Tier-II Bonds - III Issue Series-C	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-I	BASEL III Compliant Tier II Bonds A-Series
	Particulars	**Equity shares**	**Lower Tier II**	**Tier II**	**Tier II**	**Perpetual**	**Tier II**
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or oating dividend/coupon	Not applicable	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not applicable	8.55% p.a.	8.72% p.a.	8.70% p.a.	9.55% p.a.	8.58% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	Step-up	Step-up	No	No
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
23	Convertible or non-convertible	Not applicable	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-Convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
25	If convertible, fully or partially	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
26	If convertible, conversion rate	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
30	Write-down feature	No	No	No	No	Yes	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Trigger means that the Issuer's Common Equity Tier I Ratio is: (i) If calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5% of RWAs; or (ii)If calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125% of RWAs (the CET 1 Trigger Event Threshold).	Not applicable

दि.31.03.2019 को विनियामक पूंजी प्रलेखों के मुख्य लक्षणों के लिए प्रकटीकरण टेम्प्लेट							
			गौण ऋण बॉण्ड VIII इश्यु	अपर टीयर II बॉण्ड II इश्यु श्रृंखला-बी	अपर टीयर II बॉण्ड-II इश्यु श्रृंखला-सी	बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर I बेमियादी ऋण बॉण्डि - श्रृंखला-I	बेसल III अनुपालन टीयर II बॉण्डल ए-श्रृंखला
	विवरण	**इक्विटी शेयर**	**निम्नतर टीयर II**	**टीयर II**	**टीयर II**	**बेमियादी**	**टीयर II**
32.	यदि अवलेखन हो,संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संपूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33.	यदि अवलेखन हो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थायी	लागू नहीं
34.	यदि अस्थायी अवलेखन, बट्टे खाते डाले तंत्र का वर्णन करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बैंक अपने एकल क्षेत्राधिकार में भविष्य में बॉण्ड के वास्तविक मूल्य में बॉण्ड को बट्टे खाते में डाल सकता है, जब यह प्रदर्शित होता है कि इसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से काफी अधिक और भारिबैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ है ।	लागू नहीं
35.	चलनिधि में अधीनस्थन क्रम में स्थिति (प्रलेख का प्रकार तुरंत स्पष्ट करें, वरिष्ठ से प्रालेख)	अन्य सभी दावों हेतु अधीनस्थी	बैंक के अन्य सभी लेनदार एवं जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार एवं जमाकर्ता	बैंक के अन्या सभी लेनदार एवं जमाकर्ता	(i) इक्विटी शेयर तथा बेमियादी असंचयी वरीयता शेयर में निवेशकों के दावों से उच्चव (ii) जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों तथा अधीनस्थ ऋण बॉण्ड के दावों के अधीनस्थiii() न तो निर्गमकर्ता की गारंटी न ही संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यंवस्थाथ द्वारा सुरक्षित या कवर किया गया है जो दावा की वरीयता और बैंक के लेनदारों में विधिक अथवा आर्थिक रूप से वृद्धि करते हैं	(i) टीयर I पूंजी में समावेश हेतु पात्र इक्विटी शेयर तथा लिखत में निवेशकों के दावों से उच्च ii() बैंक के सभी जमाकर्ताओं तथा सामान्य् लेनदारों के दावों के अधीनस्था (iii) न तो निर्गमकर्ता की गारंटी न ही संबंधित संस्था अथवा अन्यध व्यवस्था द्वारा सुरक्षित या कवर किया गया है जो दावा की वरीयता और बैंक के लेनदारों में विधिक अथवा आर्थिक रूप से वृद्धि करते हैं
36.	गैर-अनुपालित संक्रमण विशेषताए	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37.	यदि हां, तो गैर-अनुपालित विशेषताएं स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments as on 31.03.2019							
			Subordinated Debt Bonds VIII Issue	Upper Tier-II Bonds - II Issue Series-B	Upper Tier-II Bonds - III Issue Series-C	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-I	BASEL III Compliant Tier II Bonds A-Series
	Particulars	**Equity shares**	**Lower Tier II**	**Tier II**	**Tier II**	**Perpetual**	**Tier II**
32	If write-down, full or partial	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Full or Partial	Not applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Temporary	Not applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Bank at its sole discretion may write-up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI	Not applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other claims	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	(i)Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (ii)Subordinate to the claims of depositors, general creditors and subordinate debt bonds; (iii) Is neither secured or covered by a guarantee of the issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors	(i)Superior to the claims of investors in equity shares and in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital; (ii)Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank Creditors;
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No	Not applicable	Not applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

दि.31.03.2019 को विनियामक पूंजी प्रलेखों के मुख्य् लक्षणों के लिए प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(रु मिलियन में)

		बेसल-III अनुपालन टीयर-II बॉण्डल श्रृंखला-बी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-II	बेसल-III अनुपालन टीयर-II बॉण्डल 8.65%- 10 वर्ष- श्रृंखला-सी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-III	बेसल-III अनुपालन टीयर-II कर्ज बॉण्डी 7.98%- 10 वर्ष - श्रृंखला-डी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-IV
	विवरण	टीयर II	बेमियादी	टीयर II	बेमियादी	टीयर II	बेमियादी
1.	निगमकर्ता	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक
2.	अद्वितीय परिचयकर्ता (उदा. निजी स्थानि नियोजन हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग परिचयकर्ता)	आईएनई434ए08034	आईएनई434ए08042	आईएनई434ए08059	आईएनई434ए08067	आईएनई434ए08075	आईएनई434ए08083
3.	प्रलेखों के शासी कानून	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाए	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाएं	लागू भारतीय संविधि एवं विनियामक अपेक्षाएं
	विनियामक व्यवहार						
4.	परिवर्तनीय बेसल III नियम	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I
5.	ट्रांसिशनल-पूर्व बेसल III नियम	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I	टीयर II	अतिरिक्त टीयर I
6.	सोलो/ग्रुप/ग्रुप तथा सोलो में पात्र	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप	सोलो तथा ग्रुप
7.	प्रलेख प्रकार	कर्ज बॉण्ड्	कर्ज बॉण्ड्	कर्ज बॉण्ड्	कर्ज बॉण्ड्	कर्ज बॉण्ड्	कर्ज बॉण्ड्
8.	विनियामक पूँजी में मान्यता प्राप्तम राशि (रु मिलियन में, अधिकांश हाल की ही रिपोर्टिंग तिथि को)	5000.00	8000.00	10000.00	9000.00	10000.00	5000.00
9.	प्रलेख का सममूल्यत (प्रत्येक शेयर/बॉण्ड का अंकित मूल्य)	5000 मिलियन तथा प्रत्येक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 8000 मिलियन तथा प्रत्येक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 10000 मिलियन तथा प्रत्येक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 9000 मिलियन तथा प्रत्येक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 10000 मिलियन तथा प्रत्येक प्रलेख का रु.10,00,000/-	रु 5000 मिलियन तथा प्रत्येक प्रलेख का रु.10,00,000/-
10.	लेखा वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11.	निर्गम की मूल तिथि (आबंटन की तिथि)	18.12.2015	19.02.2016	27.06.2016	05.08.2016	24.10.2017	31.10.2017
12.	बेमियादी अथवा दिनांकित	दिनांकित	बेमियादी	दिनांकित	बेमियादी	दिनांकित	बेमियादी
13.	मूल परिपक्वता तिथि	18.12.2025	बेमियादी	27.06.2026	बेमियादी	27.06.2027	बेमियादी
14.	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन निर्गमकर्ता की मांग	हां	हां	हां	हां	हां	हां
15.	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथि और प्रतिदान राशि	18.12.2020****	19.02.2021****	27.06.2021****	05.08.2021****	27.06.2022****	31.10.2022****
16.	परवर्ती मांग तिथि, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments as on 31.03.2019

(₹ in Million)

		BASEL III Compliant Tier II Bonds B-Series	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-II	Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.65%-10 years- Series C	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - III	Basel III Compliant Tier-II Debt Bonds 7.98%-10 years-Series -D	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - IV
	Particulars	**Tier-II**	**Perpetual**	**Tier-II**	**Perpetual**	**Tier-II**	**Perpetual**
1	Issuer	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank	Andhra Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identier for private placement)	INE434A08034	INE434A08042	INE434A08059	INE434A08067	INE434A08075	INE434A08083
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Additional Tier I	Tier II	Additional Tier I	Tier II	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Additional Tier I	Tier II	Additional Tier I	Tier II	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group	Solo & Group
7	Instrument type	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds	Debt Bonds
8	Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	5000.00	8000.00	10000.00	9000.00	10000.00	5000.00
9	Par value of instrument (Face value of each share / bond)	Rs 5000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 8000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 10000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 9000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 10000 million and each instrument of Rs.10,00,000/	Rs 5000 million and each instrument of Rs.10,00,000/
10	Accounting classication	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance (Date of allotment)	18.12.2015	19.02.2016	27.06.2016	05.08.2016	24.10.2017	31.10.2017
12	Perpetual or dated	Dated	Perpetual	Dated	Perpetual	Dated	Perpetual
13	Original maturity date	18.12.2025~	Perpetual~	27.06.2026~	Perpetual~	24.10.2027~	Perpetual~
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	18.12.2020****	19.02.2021****	27.06.2021****	05.08.2021****	24.10.2022****	31.10.2022****
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

		बेसल-III अनुपालन टीयर-II बॉण्डल श्रृंखला-बी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-II	बेसल-III अनुपालन टीयर-II बॉण्डल 8.65%- 10 वर्ष- श्रृंखला-सी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-III	बेसल-III अनुपालन टीयर-II कर्ज बॉण्डी 7.98%- 10 वर्ष - श्रृंखला-डी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-IV
	विवरण	**टीयर II**	**बेमियादी**	**टीयर II**	**बेमियादी**	**टीयर II**	**बेमियादी**
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17.	स्थिर अथवा अस्थिर कूपन/लाभांश	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18.	कूपन दर और कोई संबंधित इंडेक्स	8.63% प्रति वर्ष	10.95% प्रति वर्ष	8.65% प्रति वर्ष	10.99% प्रति वर्ष	7.98% प्रति वर्ष	9.20% प्रति वर्ष
19.	लाभांश बंद करने वाले का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	संपूर्ण विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन अथवा अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी	अधिदेशी
21	वृद्धिशील का अस्तित्व या अन्य पुन: प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी अथवा संचयी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23	संपरिवर्तनीय या असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय है, तो संपरिवर्तन ट्रीगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय है, तो सम्पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय है, तो संपरिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय है, तो अधिदेशी अथवा वैकल्पिक संपरिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है, तो संपरिवर्तनीयता के लिखत प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि संपरिवर्तनीय है, तो संपरिवर्तनीयता के लिखत के निर्गमकर्ता स्पष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन लक्षण	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ

		BASEL III Compliant Tier II Bonds B-Series	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-II	Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.65%-10 years- Series C	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - III	Basel III Compliant Tier-II Debt Bonds 7.98%-10 years-Series -D	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - IV
	Particulars	**Tier-II**	**Perpetual**	**Tier-II**	**Perpetual**	**Tier-II**	**Perpetual**
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or oating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.63% p.a.	10.95% p.a.	8.65% p.a	10.99% p.a	7.98% p.a.	9.20% p.a
19	Existence of a dividend stopper	Not applicable	Applicable	Not applicable	Applicable	Not applicable	Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NO	NO	NO	NO	NO	NO
22	Non-cumulative or cumulative	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
25	If convertible, fully or partially	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
26	If convertible, conversion rate	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
30	Write-down feature	NO	YES	NO	YES	NO	YES

		बेसल-III अनुपालन टीयर-II बॉण्डल श्रृंखला-बी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-II	बेसल-III अनुपालन टीयर-II बॉण्डल 8.65%- 10 वर्ष- श्रृंखला-सी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-III	बेसल-III अनुपालन टीयर-II कर्ज बॉण्डी 7.98%- 10 वर्ष - श्रृंखला-डी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-IV
	विवरण	टीयर II	बेमियादी	टीयर II	बेमियादी	टीयर II	बेमियादी
31	यदि अवलेखन है, तो अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	पूर्व-स्पष्ट ट्रिगर का अर्थ है कि निर्गमकर्ता के सामान्य इक्विटी टीयर ख अनुपात: (i) यदि दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व किसी भी समय आरडब्यू ए के 5.5% पर या इससे कम पर आकलन किया जाता है, (ii) यदि दिनांक 31 मार्च, 2019 सहित एवं से किसी भी समय आरडब्ल्यू ए के 6.125% पर या इससे कम पर आकलन किया जाता है (सीईटी 1 ट्रीगर प्रारम्भिक घटना है)	लागू नहीं	पूर्व-स्पष्ट ट्रिगर का अर्थ है कि निर्गमकर्ता के सामान्य इक्विटी टीयर I अनुपात: (i) यदि दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व किसी भी समय आरडब्यू ए के 5.5% पर या इससे कम पर आकलन किया जाता है, (ii) यदि दिनांक 31 मार्च, 2019 सहित एवं से किसी भी समय आरडब्ल्यू के 6.125% पर या इससे कम पर आकलन किया जाता है (सीईटी 1 ट्रीगर प्रारम्भिक घटना है)		पूर्व स्पष्ट ट्रिगर का अर्थ है कि निर्गमकर्ता के सामान्य इक्विटी टीयर I अनुपात: (i) यदि दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व किसी भी समय आरडब्ल्यू के 5.5% पर या इससे कम पर आकलन किया जाता है, (ii) यदि दिनांक 31 मार्च, 2019 सहित एवं से किसी भी समय आरडब्ल्यू के 6.125% पर या इससे कम पर आकलन किया जाता है (सीईटी 1 ट्रीगर प्रारम्भिक घटना है)
32	यदि अवलेखन है, तो सम्पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	सम्पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	सम्पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	सम्पूर्ण या आंशिक
33	यदि अवलेखन है, तो स्थायी अथवा अस्थायी	लागू नहीं	अस्थायी	लागू नहीं	अस्थायी	लागू नहीं	अस्थायी
34	यदि अस्थाायी अवलेखन है, तो बट्टे खाते डाले तंत्र का वर्णन करें ।	लागू नहीं	जब यह प्रदर्शित होगा कि इसकी पूँजी स्थिति न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं से काफी अधिक तथा भारिबैंक के पूर्व अनुमोदन से है, तब बैंक अपने एकल विवेकाधिकार में भविष्य में बॉण्ड को इसके मूल मूल्यम पर बट्टे खाते में डाल सकता है ।	लागू नहीं	जब यह प्रदर्शित होगा कि इसकी पूँजी स्थिति न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं से काफी अधिक तथा भारिबैंक के पूर्व अनुमोदन से है, तब बैंक अपने एकल विवेकाधिकार में भविष्य में बॉण्ड को इसके मूल मूल्यम पर बट्टे खाते में डाल सकता है ।	लागू नहीं	जब यह प्रदर्शित होगा कि इसकी पूँजी स्थिति न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं से काफी अधिक तथा भारिबैंक के पूर्व अनुमोदन से है, तब बैंक अपने एकल विवेकाधिकार में भविष्य में बॉण्ड को इसके मूल मूल्यं पर बट्टे खाते में डाल सकता है ।

		BASEL III Compliant Tier II Bonds B-Series	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-II	Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.65%-10 years- Series C	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - III	Basel III Compliant Tier-II Debt Bonds 7.98%-10 years-Series -D	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - IV
	Particulars	**Tier-II**	**Perpetual**	**Tier-II**	**Perpetual**	**Tier-II**	**Perpetual**
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not applicable	Pre-speci ed Trigger means that the Issuer's Common Equity Tier I Ratio is: (i) If calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5% of RWAs; or (ii)If calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125% of RWAs (the CET 1 Trigger Event reshold).	Not applicable	Pre-speci ed Trigger means that the Issuer's Common Equity Tier I Ratio is: (i) If calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5% of RWAs; or (ii)If calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125% of RWAs (the CET 1 Trigger Event reshold).	Not applicable	Pre-speci ed Trigger means that the Issuer's Common Equity Tier I Ratio is: (i) If calculated at any time prior to March 31, 2019, at or below 5.5% of RWAs; or (ii)If calculated at any time from and including March 31, 2019, at or below 6.125% of RWAs (the CET 1 Trigger Event reshold).
32	If write-down, full or partial	Not applicable	Full or Partial	Not applicable	Full or Partial	Not applicable	Full or Partial
33	If write-down, permanent or temporary	Not applicable	Temporary	Not applicable	Temporary	Not applicable	Temporary
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not applicable	Bank at its sole discretion may write-up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI	Not applicable	Bank at its sole discretion may write-up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI	Not applicable	Bank at its sole discretion may write-up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI

		बेसल-III अनुपालन टीयर-II बॉण्डल श्रृंखला-बी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-II	बेसल-III अनुपालन टीयर-II बॉण्डल 8.65%- 10 वर्ष- श्रृंखला-सी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-III	बेसल-III अनुपालन टीयर-II कर्ज बॉण्डी 7.98%- 10 वर्ष - श्रृंखला-डी	बेसल-III अनुपालन अतिरिक्त- टीयर-I बेमियादी कर्ज बॉण्ड श्रृंखला-IV
	विवरण	टीयर II	बेमियादी	टीयर II	बेमियादी	टीयर II	बेमियादी
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम की स्थिति (लिखत से वरीयता वाले लिखत को स्पष्ट करें)	(i) टीयर I पूंजी में समावेश हेतु पात्र इक्विटी शेयर तथा लिखत में निवेशकों के दावों से उच्चं (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं तथा सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थं (iii) न तो निर्गमकर्ता की गारंटी न ही संबंधित संस्थाब अथवा अन्यं व्यवस्था द्वारा सुरक्षित या कवर किया गया है जो दावा की वरीयता और बैंक के लेनदारों में विधिक अथवा आर्थिक रूप से वृद्धि करते हैं	(i) इक्विटी शेयर तथा शश्वत असंचयी वरीयता शेयर में निवेशकों के दावों से उच्च (ii) जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों तथा अधीनस्थ ऋण बॉण्ड के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो निर्गमकर्ता की गारंटी न ही संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्थाा द्वारा सुरक्षित या कवर किया गया है जो दावा की वरीयता और बैंक के लेनदारों में विधिक अथवा आर्थिक रूप से वृद्धि करते हैं	(i) टीयर I पूंजी में समावेश हेतु पात्र इक्विटी शेयर तथा लिखत में निवेशकों के दावों से उच्च (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं तथा सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थल (iii) न तो निर्गमकर्ता की गारंटी न ही संबंधित संस्था अथवा अन्यध व्यवस्था द्वारा सुरक्षित या कवर किया गया है जो दावा की वरीयता और बैंक के लेनदारों में विधिक अथवा आर्थिक रूप से वृद्धि करते हैं	(i) इक्विटी शेयर तथा शश्वत असंचयी वरीयता शेयर में निवेशकों के दावों से उच्च (ii) जमाकर्ताओं, सामान्यं लेनदारों तथा अधीनस्थ ऋण बॉण्ड के दावों के अधीनस्थथ (iii) न तो निर्गमकर्ता की गारंटी न ही संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था द्वारा सुरक्षित या कवर किया गया है जो दावा की वरीयता और बैंक के लेनदारों में विधिक अथवा आर्थिक रूप से वृद्धि करते हैं	"Iटीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र लिखत में निवेशकों के दावे से वरीयता चाहे वह वर्तमान का बकाया हो या भविष्य में किसी भी समय जारी हो; (ii) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ; (iii) यह न तो प्रतिभूति है और न ही बैंक की गारंटी से कवर है या संबंधित इकाई या अन्य करार जो विधिक रूप में या आर्थिक रूप से बैंक के लेनदारों की तुलना में दावे की वरीयता में वृद्धि करता है; (iv) टीयर 2 पूंजी में शामिल किए जाने के लिए अधिमान के बिना अपने तथा अन्य गौण ऋण के साथ-साथ जहां वर्तमान में बकाया हो या भविष्य में किसी भी समय जारी हो।"	(Iइक्विटी शेयर तथा शश्वत असंचयी वरीयता शेयर में निवेशकों के दावों से उच्च (ii) जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों तथा अधीनस्थ ऋण बॉण्ड के दावों के अधीनस्थ (iii) न तो निर्गमकर्ता की गारंटी न ही संबंधित संस्था अथवा अन्य व्यवस्था द्वारा सुरक्षित या कवर किया गया है जो दावा की वरीयता और बैंक के लेनदारों में विधिक अथवा आर्थिक रूप से वृद्धि करते हैं
36	गैर-अनुपालित संक्रमण विशेषताए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, तो गैर-अनुपालित विशेषताएं विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

		BASEL III Compliant Tier II Bonds B-Series	BASEL III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds - Series-II	Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.65%-10 years- Series C	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - III	Basel III Compliant Tier-II Debt Bonds 7.98%-10 years-Series -D	Basel III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds Series - IV
	Particulars	**Tier-II**	**Perpetual**	**Tier-II**	**Perpetual**	**Tier-II**	**Perpetual**
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	(i)Superior to the claims of investors in equity shares and in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital; (ii) Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank Creditors;	(i)Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (ii)Subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt bonds issued by the Bank; (iii)Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors	(i)Senior to the claims of investors in equity shares and in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital; (ii)Subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank Creditors;	(i)Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (ii)Subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt bonds issued by the Bank; (iii)Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors	"i)Senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital whether currently outstanding or issued any time in future; (ii)Subordinated to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; (iii) Is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or is related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Creditors of the Bank; (iv) Paripassu without preference amongst themselves and other subordinated debt eligible for inclusion in Tier 2 Capital whether currently outstanding or issued at any time in the future."	(i)Superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares; (ii)Subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt bonds issued by the Bank; (iii)Is neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-a-vis Bank's creditors
36	Non-compliant transitioned features	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(#) बैंक सीआरएआर स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के साथ ऐसा लिखत जिसे 10 वर्ष हो चुके हों, की माँग विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

(#) यदि लिखत को 10 वर्ष हो चुके हैं, तो माँग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है । माँग विकल्प का प्रयोग केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग) की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माँग विकल्प के प्रयोग पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ, माँग विकल्प के प्रयोग के समय बैंक के सीआरएआर की स्थिति पर भी विचार करेगा तत्पश्चात विकल्पि प्रयोग करने देगा ।

(*) ईक्विटी शेयरों के आबंटन की तिथि: प्रारम्भिक सार्वजनिक ऑफर 24.03.2001, अनुवर्ती सार्वजनिक ऑफर 03.02.2006, भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन 21.12.2013, भारत सरकार को अधिमान्यी आबंटन 25.03.2015, दिनांक 30.09.2015 को भारत सरकार को अधिमानी आबंटन तथा दिनांक 29.03.2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आबंटन ।

(***) भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से मांग विकल्पग के साथ जारी उच्चतर टीयर– II बॉण्ड जो लिखत के 10 वर्ष हेतु चालू रहने के उपरान्त प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि मांग विकल्प निष्पादित न किया जाता हो तो लिखत के 10 वर्ष के उपरान्त कूपन में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि होगी । तदुपरांत कूपन निम्नप्रकार होंगे :

उच्चतर टीयर–II (I निर्गम) दिनांक 25.03.2019 के पश्चात दिनांक 25.03.2024 तक 9.80%

उच्चतर टीयर–II (II निर्गम) दिनांक 08.06.2019 के पश्चात दिनांक 08.06.2024 तक 9.22%

उच्चतर टीयर–II (III निर्गम) दिनांक 18.12.2019 के पश्चात दिनांक 18.12.2024 तक 9.20%

(****) वैकल्पिक मांग तिथि (क) लिखत कम से कम 5 वर्ष हेतु चालू रहना चाहिए (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ (ग) लिखत को उसी पूँजी के साथ अथवा बेहतर ईक्विटी में प्रतिस्थापित किया जाता है एवं इस पूँजी का प्रतिस्थापन शर्तों के साथ किया जाता है जो बैंक की आय क्षमता के लिए उपयुक्त हो अथवा बैंक प्रदर्शित करता है कि इसकी पूँजी स्थिति मांग विकल्प के प्रयोग के बाद न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं से अच्छीं है । न्यूनतम 8% जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए के) (आरडब्ल्यूए के 2.5 प्रतिशत का पूंजी संरक्षण बफर सहित) का साधारण ईक्विटी टीयर–1 है एवं पिलर-II के अन्तर्गत पहचानी गई अतिरिक्त पूँजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यूए के 11.5% की कुल पूँजी है ।

(~) बैंक द्वारा मांग–विकल्पट पर निम्न वर्णित सभी शर्तें लागू होंगी :

क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष का हो ।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन ।

ग) i) प्रलेख उसकी पूंजी अथवा बेहतर स्तर से बदला जाए तथा इस पूँजी का परिवर्तन बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो;

(अथवा)

(ग) ii) (बैंक की पूँजी स्थिति मांग विकल्प के पश्चात न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं से काफी अधिक है । न्यूनतम का अर्थ है जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 8% का सामान्य ईक्विटी टीयर–I (आरडब्ल्यूए के 2.5 प्रतिशत का पूंजी संरक्षण बफर सहित) तथा पिलर– II के अन्तर्गत पहचानी गई अतिरिक्त पूँजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यूए के 11.5% की कुल पूँजी है ।

पीओएनवी (गैर संभाव्यकता पाइंट) पर बट्टे खाते
भारिबैंक के लागू दिशा–निर्देशों के अनुरूप

(#) The Bank has an option to exercise Call Option aer the instrument has run for atleast 10 years with the prior approval of RBI considering the CRAR position of the Bank.

(##) Call Option may be exercised only if the instrument has run for atleast 10 years. Call option may exercised only with the prior approval of RBI (Department of Banking Operations and Development). While considering the proposals received from banks for exercising the call option RBI would, among other things, take into consideration the Bank's CRAR position both at the time of exercise of the call option and aer exercise of the option.

(*)Dates of allotment of equity shares: Initial Public Offer..24.03.2001; Follow-on Public Offer..03.02.2006; Preferential allotment to Govt of India..25.03.2011; Preferential allotment to Govt of India..21.12.2013; Preferential allotment to Govt. of India.. 25.03.2015; Preferential allotment to Govt. of India..30.09.2015 and preferential allotment to Life Insurance Corporation of India on 29.03.2016;

(***) Upper Tier-II Bonds issued with a Call option that may be exercised after the instrument has run for 10 years, with prior permission of Reserve Bank of India. If call option is not exercised, coupon will be step-up with 0.50% aer 10 years of the instrument. en the coupons will be as under:

Tier-II (I Issue). 9.80% after 25.03.2019 upto 25.03.2024

Upper Tier-II (II Issue) 9.22% after 08.06.2019 upto 08.06.2024

Upper Tier-II (III Issue) 9.20% after 18.12.2019 upto 18.12.2024

(****) Optional Call Date..(a) The instrument has to run for atleast 5 years; (b) With the prior approval of Reserve Bank of India; (c) the instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank OR e Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised. Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including additional capital requirements identied under Pillar 2.

(~) Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below :
a) The instrument has run for at least ve years;
b) Prior approval of Reserve Bank of India;
c) (i) The instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank;
(or)
c) (ii) The Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements aer the call option is exercised; Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identified under Pillar 2.

Write off at the PONV (Point of Non-Viability)
AS PER APPLICABLE RBI GUIDELINES

सारणी डीएफ - 14 : विनियामक पूँजी लिखतों के सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें

निर्गम आकार	**आन्ध्रा बैंक**
लिखत का प्रकार	**अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, गौण बॉन्ड न्यून टीयर II (VIII निर्गम - सिरीज एच)**
लिखत की प्रकृति	**वचन पत्र**
निर्गम का तरीका	**निजी नियोजन**
आईएसआई संख्या	**आईएनई434ए09131**
निर्गम आकार	रु.3200.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
अवधि	120 माह
कूपन दर	8.55% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान अंतराल	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रत्येक वर्ष 24 दिसम्बर को
आबंटन की तिथि	24.12.2009
परिपक्वता की तिथि	24.12.2019
रिकार्ड तिथि	बॉन्डों हेतु रिकार्ड तिथि तिथि प्रत्येक ब्यानज भुगतान से 30 दिन पूर्व एवं/या मूलधन भुगतान तिथि होगा ।
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमेट
को सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)
विक्रय विकल्प	कुछ नहीं
मांग विकल्प	कुछ नहीं
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टी शिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स केयर : केयर एए मेसर्स ब्रिकवर्क : बीडब्ल्यूआर एए
स्टेप-अप विकल्प	कुछ नहीं
स्टेन विकल्प सहित कूपन	लागू नहीं
व्यवसाय दिवस परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर में व्यरवसाय के लिए खुले रहते हैं, तब परवर्ती व्यवसाय दिवस को ब्याज का भुगतान किया जाएगा, वह व्यवसाय किया जाएगा परंतु विलंब अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के लिए देयता के बिना ।
	यदि मूलधन मोचन की तिथि के दिन व्यवसाय दिवस (अर्थात् उस दिन जिस दिन हैदराबाद शहर में वाणिज्यिक बैंक कारोबार हेतु खुले है) नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीच की अवधि हेतु देय अतिरिक्त ब्याज समेत बकाये का भुगतान अगले कार्य-दिवस पर किया जायेगा ।

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Redeemable, Non-Convertible, Subordinated Bonds Lower Tier - II (VIII Issue-Series H)**
Nature of Instrument	**Promissory Notes**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A09131**
Issue size	Rs.3200.00 Millions
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	120 months
Coupon Rate	8.55% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 24th December
Date of allotment	24.12.2009
Date of maturity	24.12.2019
Record date	Record Date for the Bonds shall be 30 days prior to each interest payment / or principal repayment date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
Put Option	None
Call Option	None
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	M/s.CARE: CARE AAA M/s.Brickwork: BWR AAA
Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day denition	Business day being a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad, then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	In case if the principal redemption date falls on a day which is not a business day (business day being a day on which commercial banks are open for business in Hyderabad), then the payment due shall be made on the next business day together with additional interest for the intervening period.

रिकार्ड तिथि	**आन्ध्रा बैंक**
लिखत का प्रकार	**अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय (अपर टीयर II) बॉण्डह - इश्य II श्रृंखला बी**
लिखत की प्रकृति	**वचन पत्र**
निर्गम का तरीका	**निजी नियोजन**
आईएसआई संख्या	**आईएनई434ए09115**
निर्गम आकार	रु.5200.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रु.10,00,000/- प्रति बॉन्ड
अवधि	15 वर्ष
कूपन दर	8.72% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान अंतराल	वार्षिक l
ब्याज भुगतान	प्रति वर्ष 8 जून को
आबंटन की तिथि	08.06.2009
परिपक्वता की तिथि	08.06.2024
रिकार्ड तिथि	बॉन्डों हेतु रिकार्ड तिथि प्रत्येक ब्याज भुगतान के 30 दिन पूर्व तथा/अथवा मूलधन भुगतान तिथि होगी । (यदि मांग विकल्प का प्रयोग किया जाता है)
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमेट
को सूचीबद्ध	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)
विक्रय विकल्प	कुछ नहीं
मांग विकल्प	भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से - लिखत के 10 वर्ष होने के पश्चात
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टी शिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल : एए/स्टेबल मैसर्स ब्रिकवर्क : बीडब्ल्यूआर एए+
स्टेप-अप विकल्प	यदि मांग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है, तो लिखत के 10 वर्ष होने के पश्चानत 0.50% के साथ
स्टेप-विकल्प सहित कूपन	यदि मांग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है, तो दिनांक 08.06.2019 से 08.06.2024 तक 9.22%
व्यवसाय दिवस परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है, (व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद शहर में व्यवसाय हेतु वाणिज्यिक बैंक खुले हों), तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा ।
	यदि मूलधन मोचन की तिथि के दिन व्यवसाय दिवस (अर्थात् उस दिन जिस दिन हैदराबाद शहर में वाणिज्यिक बैंक कारोबार हेतु खुले है) नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीच की अवधि हेतु देय अतिरिक्त ब्याज समेत बकाये का भुगतान अगले कार्य-दिवस पर किया जायेगा ।

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Redeemable, Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds - Issue-II Series-B**
Nature of Instrument	**Promissory Notes**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A09115**
Issue size	Rs.5200.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	15 years
Coupon Rate	8.72% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 8th June
Date of allotment	08.06.2009
Date of maturity	08.06.2024
Record date	Record Date for the Bonds shall be 30 days prior to each interest payment and / or principal repayment date (in case of exercise of call option).
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
Put Option	None
Call Option	Aer 10 years run of the instrument - with prior permission of Reserve Bank of India
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	M/s. CRISIL: CRISIL AA/Stable M/s. Brickwork: BWR AA+
Step-up Option	with 0.50% aer 10 years run of the instrument, if call option is not exercised
Coupon with Step-option	9.22% from 08.06.2019 till 08.06.2024 if call-option is not exercised
Business Day denition	If any interest payment date falls on a day which is not a Business Day (Business Day, being a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad), then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	In case if the principal redemption date falls on a day which is not a Business Day (Business Day being a day on which Commercial Banks are open for business in the City of Hyderabad), then the payment due shall be made on the next Business Day together with additional interest for the intervening period.

निर्गमकर्ता का नाम	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**अरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय (अपर टीयर II) बांड इश्यु–III – श्रृंखला सी**
प्रलेख की प्रकति	**वचन पत्र**
निर्गम का तरीका	**निजी नियोजन**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई 434-09123**
निर्गम आकार	रू 280000 मिलियन
अंकित मूल्य	रूपये 10,00,000/– प्रति बॉण्ड ।
अवधि	15 वर्ष
कूपन दर	8.70 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान अंतराल	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर को ।
आबंटन की तिथि	18.12.2009
परिपक्वता तिथि	18.12.2024
रिकार्ड तिथि	बॉन्डों हेतु रिकार्ड तिथि प्रत्येक ब्याज भुगतान के 30 दिन पूर्व तथा/अथवा मूलधन भुगतान तिथि होगी । (यदि मांग विकल्प का प्रयोग किया जाता है)
लिखत की निर्गम/व्यापारिक तरीका	केवल डीमैट
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि (बीएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं।
मांग विकल्प	भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से – लिखत के 10 वर्ष होने के पश्चात
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण–रेटिंग	मेसर्स केयर : केयर एए+ (डबल ए+) मेसर्स ब्रिकवर्क– बीडब्ल्यूआर एएए+
स्टेप–अप विकल्प	यदि मांग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है, तो लिखत के 10 वर्ष होने के पश्चात् 0.50% के साथ
स्टेप–अप विकल्प सहित कूपन	यदि मांग विकल्पश का उपयोग नहीं किया गया है, तो दिनांक 18.12.2019 से 18.12.2024 तक 9.20%
व्यवसाय दिन परिभाषा	यदि कोई ब्याज का भुगतान उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय–दिवस नहीं है (व्यवसाय दिन वह दिन है जब हैदराबाद शहर में व्यवसाय हेतु वाणिज्यिक बैंक खुले हों), तब ब्याज का भुगतान अगले व्यवसाय दिन किया जाएगा किन्तु बीच की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान हेतु देयता के बिना किया जाएगा ।
	यदि मूलधन मोचन की तिथि के दिन व्यवसाय दिवस (अर्थात् उस दिन जिस दिन हैदराबाद शहर में वाणिज्यिक बैंक कारोबार हेतु खुले है) नहीं है तो ऐसी स्थिति में बीच की अवधि हेतु देय अतिरिक्त ब्याज समेत बकाये का भुगतान अगले कार्य–दिवस पर किया जायेगा ।

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Redeemable, Non-Convertible (Upper Tier-II) Bonds - Issue-III Series-C**
Nature of Instrument	**Promissory Notes**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A09123**
Issue size	Rs.2800.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	15 years
Coupon Rate	8.70% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 18th December
Date of allotment	18.12.2009
Date of maturity	18.12.2024
Record date	Record Date for the Bonds shall be 30 days prior to each interest payment and/or principal repayment date (in case of exercise of call option)
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Bombay Stock Exchange Ltd (BSE)
Put Option	None
Call Option	Aer 10 years run of the instrument - with prior permission of Reserve Bank of India
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	M/s. CARE: CARE AA+ (Double A+) M/s. Brickwork: BWR AA+
Step-up Option	with 0.50% aer 10 years run of the instrument, if call option is not exercised
Coupon with Step-option	9.20% from 18.12.2019 till 18.12.2024 if call-option is not exercised
Business Day denition	If any interest payment date falls on a day which is not a Business Day (Business Day, being a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad), then payment of interest will be made on the next day that is a business day but without liability for making payment of interest for the intervening period.
	In case if the principal redemption date falls on a day which is not a Business Day (Business Day being a day on which Commercial Banks are open for business in the City of Hyderabad), then the payment due shall be made on the next Business Day together with additional interest for the intervening period.

निर्गमकर्ता का नाम	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**अरक्षित, अपरिवर्तनीय बेसल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर – 1 बेमियादी ऋण प्रलेख – श्रृंखला I**
प्रलेख की प्रकृति	**वचन पत्र**
निर्गम का तरीका	**निजी प्ले समेंट**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई 434ए09149**
जारी आकार	रू 5000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रू 10,00,000/– प्रति बॉण्ड ।
अवधि	बेमियादी
कूपन दर	9.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान फ्रीक्रेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 26 दिसम्बर को ।
आबंटन की तिथि	दिनांक 26.12.2014
परिपक्वता तिथि	बेमियादी
रिकार्ड तिथि	ब्याज तथा प्रतिदेय भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि ब्याज तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि से 15 दिन पूर्व होगी ।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं।
मांग विकल्प	बैंक द्वारा मांग विकल्प का प्रयोग निम्न उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (ख) भारिबैं के पूर्वानुमोदन से; (ग) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो अथवा बैंक स्पष्ट करे कि कॉल–आप्शन के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । न्यूनतम से तात्पर्य है 8% जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) का कॉमन ईक्विटी टीयर I (आरडब्लयूए के 2..5% के कैपिटल कनज़रवेशन बफर सहित) तथा पिलर–2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित आरडब्यूए के 11.5% की कुल पूंजी ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टी शिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण–रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल – क्रिसिल एए–/स्टैबल
स्टे्प–अप विकल्प	कुछ नहीं
स्टे्प–अप विकल्प सहित कूपन	लागू नहीं
व्यवसाय दिन परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर, तेलंगाना में व्यनवसाय के लिए खुले रहते हैं, यदि कोई कूपन भुगतान तिथि तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय–दिवस नहीं है तब परवर्ती व्यवसाय दिवस को ब्याज तथा/अथवा मूल धन का भुगतान किया जाएगा ।

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Non-Convertible BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments - Series I**
Nature of Instrument	**Promissory Notes**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A09149**
Issue size	Rs.5000.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	Perpetual
Coupon Rate	9.55% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 26th December
Date of allotment	26.12.2014
Date of maturity	Perpetual
Record date	The Record Date for interest and redemption payment would be 15 days prior to interest and / or redemption date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all of the below mentioned conditions: (a) instrument has run for atleast ve years; (b) With the prior approval of Reserve Bank of India; (c) instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank OR Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements aer the call option is exercised. Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including additional capital requirements identied under Pillar 2.
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	M/s. CRISIL: CRISIL AA-/Stable
Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day denition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon payment date and/or redemption date falls on a day which is not a business day, payment of interest and/or principal amount shall be made on the next business day.

निर्गमकर्ता का नाम	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**अरक्षित, अपरिवर्तनी, प्रतिदेय, बेसल III अनुपालन टीयर – II बॉण्डे – श्रृंखला ए**
प्रलेख की प्रकति	**डिबेंचर**
निर्गम का तरीका	**निजी नियुक्ति**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई434ए08026**
जारी आकार	रू 5000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	रूपये 10,00,000.00 प्रति बॉण्ड
अवधि	10 वर्ष
कूपन दर	8.58% प्रति वर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान अंतराल	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 16 सितम्बर को
आबंटन की तिथि	दिनांक 16.09.2015
परिपक्वता तिथि	दिनांक 16.09.2025
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं
मांग विकल्प	मांग विकल्प बैंक द्वारा मांग विकल्प का प्रयोग निम्न उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (ख) भारिबैं के पूर्वानुमोदन से; (ग) (i) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो (अथवा) (ग) (ii) बैंक स्पष्ट करे कि मांग विकल्प के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । न्यूनतम से तात्पर्य है 8% जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) का कॉमन ईक्विटी टीयर I (आरडब्ल्यूए के 2.5% के कैपिटल कनज़रवेशन बफर सहित) तथा पिलर–2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यू ए के 11.5% की कुल पूंजी । भारिबैंक दिशा–निर्देशों के अनुसार पीओएनवी (गैर–अर्थक्षमता बिन्दु) पर बट्टे खाते में डाले गए ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
जारी करने के समय ऋण–रेटिंग	सर्स क्रिसिल लिमिटेड द्वारा क्रिसिल एए+/स्टेबिल तथा मैसर्स केयर रेटिंग द्वारा केयर एए+(डबल ए प्लेस)
स्टेप–अप ऑप्शन	कुछ नहीं
स्टेप–अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं
व्यवसाय दिन परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर, तेलंगाना में व्यगवसाय के लिए खुले रहते हैं, यदि कोई कूपन भुगतान तिथि तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय–दिवस नहीं है तब परवर्ती व्य।वसाय दिवस को ब्यारज तथा/अथवा मूल धन का भुगतान किया जाएगा ।

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Non-Convertible and Redeemable BASEL-III Compliant Tier-II Bonds - Series A**
Nature of Instrument	**Debentures**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A08026**
Issue size	Rs.5000.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	10 years
Coupon Rate	8.58% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 16th September
Date of allotment	16.09.2015
Date of maturity	16.09.2025
Record date	Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below : a) instrument has run for at least ve years; b) Prior approval of Reserve Bank of India; c) (i) instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) c) (ii) Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements aer the call option is exercised; Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identied under Pillar 2. WRITE-OFF AT THE PONV (POINT OF NON-VIABILITY) .. as per applicable RBI Guidelines.
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	CRISIL AA+/Stable by M/s. CRISIL Limited and CARE AA+(Double A Plus) by M/s. CARE Ratings
Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day denition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon payment date and/or redemption date falls on a day which is not a business day, payment of interest and/or principal amount shall be made on the next business day .

निर्गमकर्ता का नाम	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**आरक्षित, अपरिवर्तनी तथा प्रतिदेय, बेसल III अनुपालन टीयर – II बॉण्डी – श्रृंखला बी**
प्रलेख की प्रकति	**डिबेंचर**
निर्गम का तरीका	**निजी नियुक्ति**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई434ए08034**
जारी आकार	रू 5000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड रू 10,00,000.00/-
अवधि	10 वर्ष
कूपन दर	8.63 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान अंतराल	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर को
आबंटन की तिथि	दिनांक 18.12.2015
परिपक्वता तिथि	दिनांक 18.12.2025
रिकार्ड तिथि	ब्याज का भुगतान/मूलधन का पुनर्भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि ब्याज तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि से 15 दिन पूर्व होगी ।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं
मांग विकल्प	बैंक द्वारा मांग विकल्प का प्रयोग निम्न उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (ख) भारिबैं के पूर्वानुमोदन से; (ग) (i) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो (अथवा) (ग) (ii) बैंक स्पष्ट करे कि मांग विकल्प के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । न्यूनतम से तात्पर्य है 8% जोखिम भारित आस्ति (आरडब्लयूए) का कॉमन ईक्विटी टीयर I (आरडब्लयूए के 2..5% के कैपिटल कनजरवेशन बफर सहित) तथा पिलर-2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यूए के 11.5% की कुल पूंजी । भारिबैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार पीओएनवी (गैर-अर्थक्षमता बिन्दु) पर बट्टे खाते में डाले गए ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मैसर्स क्रिसिल लिमिटेड द्वारा क्रिसिल एए+/स्टेबिल तथा मैसर्स केयर रेटिंग द्वारा केयर एए+(डबल ए प्लेस)

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Non-Convertible and Redeemable BASEL-III Compliant Tier-II Bonds - Series B**
Nature of Instrument	**Debentures**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A08034**
Issue size	Rs.5000.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	10 years
Coupon Rate	8.63% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 18th December
Date of allotment	18.12.2015
Date of maturity	18.12.2025
Record date	Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below : a) instrument has run for at least ve years; b) Prior approval of Reserve Bank of India; c) (i) instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank;(or) c) (ii) Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements aer the call option is exercised; Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identied under Pillar 2. WRITE-OFF AT THE PONV (POINT OF NON-VIABILITY).As per applicable RBI Guidelines.
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	CRISIL AA+/Stable by M/s.CRISIL Limited and CARE AA+(Double A Plus) by M/s.CARE Ratings

स्टेप-अप ऑप्शन	कुछ नहीं
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं
व्यवसाय दिन परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर, तेलंगाना में व्यगवसाय के लिए खुले रहते हैं, यदि कोई कूपन भुगतान तिथि तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है तब परवर्ती व्य।वसाय दिवस को ब्यारज तथा/अथवा मूल धन का भुगतान किया जाएगा ।

निर्गमकर्ता का नाम	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**आरक्षित, अपरिवर्तनीय बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टीयर - 1 बेमियादी कर्ज लिखत -श्रृंखला-II**
प्रलेख की प्रकति	**डिबेंचर**
निर्गम का तरीका	**निजी नियुक्ति**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई434ए08042**
जारी आकार	रू 8000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड रू 10,00,000.00/-
अवधि	बेमियादी
कूपन दर	10.95 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 19 फरवरी को
आबंटन की तिथि	दिनांक 19.02.2016
परिपक्वता तिथि	बेमियादी
रिकार्ड तिथि	ब्याज का भुगतान/मूलधन का पुनर्भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि संबंधित ब्या ज भुगतान तिथि तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि से 15 दिन पूर्व होगी ।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं
मांग विकल्प	बैंक द्वारा कॉल तिथि का प्रयोग निम्न उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (ख) भारिबैं के पूर्वानुमोदन से; (ग) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरुप हो अथवा बैंक स्पष्ट करे कि कॉल-आप्शन के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । न्यूनतम से तात्पर्य है 8% जोखिम भारित आस्ति (आरडब्लयूए) का कॉमन ईक्विटी टीयर ख (आरडब्लयूए के 2..5% के कैपिटल कनजरवेशन बफर सहित) तथा पिलर-2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित 11.5% की कुल पूंजी ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड।

Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day denition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon payment date and/or redemption date falls on a day which is not a business day, payment of interest and/or principal amount shall be made on the next business day.

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Non-Convertible BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments - Series II**
Nature of Instrument	**Debentures**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A08042**
Issue size	Rs.8000.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	Perpetual
Coupon Rate	10.95% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 19th February
Date of allotment	19.02.2016
Date of maturity	Perpetual
Record date	Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the relevant interest payment date and/or the redemption date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all of the below mentioned conditions:' (a) instrument has run for atleast ve years; (b) With the prior approval of Reserve Bank of India; (c) instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank OR Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements aer the call option is exercised. Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including additional capital requirements identied under Pillar 2.
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited

जारी करने के समय ऋण–रेटिंग	मेसर्स केयर रेटिंग – केयर एए–/स्टेकबल (डबल ए मिनस)
स्टेप–अप ऑप्शन	कोई नहीं
स्टेप–अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं
व्यवसाय दिवस परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर, तेलंगाना में व्य वसाय के लिए खुले रहते हैं, यदि कोई कूपन भुगतान तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय–दिवस नहीं है तब बैंक द्वारा ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु ब्याज सहित तत्कारल परवर्ती व्यतवसाय दिवस को भुगतान किया जाएगा । इसके अलावा भुगतान किए गए ऐसी अतिरिक्तय अवधि हेतु ब्यानज आगामी कूपन भुगतान तिथि को ब्यामज भुगतान के अलावा कटौतरी की जाएगी । यदि बॉण्ड् की प्रतिदेय तिथि (अंतिम कूपन भुगतान तिथि सहित) उस दिन पड़ता है जोकि व्यपवसाय दिवस नहीं है, तो ऐसी भुगतान की तिथि को छोड़कर बॉण्डॉ पर अर्जित ब्या ज के साथ प्रतिदेय प्राप्यु राशि का भुगतान बैंक द्वारा तत्कौल परवर्ती व्यावसाय दिवस को किया जाएगा । यदि रिकॉर्ड तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यावसाय तिथि नहीं है, तो तत्का ल परवर्ती व्यकवसाय दिवस को रिकॉर्ड तिथि के रूप में माना जाएगा ।

स्टेप–अप ऑप्शन	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**आरक्षित, अपरिवर्तनीय तथा प्रतिदेय बासेल III अनुपालक टीयर–II बांड – श्रृंखला सी**
प्रलेख की प्रकति	**डिबेंचर**
निर्गम का तरीका	**निजी प्लेसमेंट**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई 434ए08059**
जारी आकार	रू 10000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड रूपये 10,00,000.00
अवधि	10 वर्ष
कूपन दर	8.65 प्रतिशत प्रतिवर्ष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 27 जून को
आबंटन की तिथि	दिनांक 27.06.2016
परिपक्वता तिथि	दिनांक 27.06.2026
रिकार्ड तिथि	ब्याज का भुगतान/मूलधन का पुनर्भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि संबंधित ब्याज भुगतान तिथि तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि से 15 दिन पूर्व होगी ।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं ।

Credit Rating at the time of issue	M/s. CARE RATINGS - CARE AA-/Stable (Double A Minus)
Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day denition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad, Telangana. If any Coupon Payment Date falls on a day that is not a Business Day, the payment shall be made by the Bank on the immediately succeeding Business Day along with interest for such additional period. Further, interest for such additional period so paid, shall be deducted out of the interest payable on the next Coupon Payment Date. If the Redemption Date (also being the last Coupon Payment Date) of the Bonds falls on a day that is not a Business Day, the redemption proceeds shall be paid by the Bank on the immediately preceding Business Day along with interest accrued on the Bonds until but excluding the date of such payment. In the event the Record Date falls on a day which is not a Business Day, the immediately succeeding Business Day will be considered as the Record Date.

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Non-Convertible and Redeemable BASEL-III Compliant Tier-2 Bonds - Series C**
Nature of Instrument	**Debentures**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A08059**
Issue size	Rs. 10000.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	10 years
Coupon Rate	8.65% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every Year on 27th June
Date of allotment	27.06.2016
Date of maturity	27.06.2026
Record date	Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Put Option	None

मांग विकल्प	बैंक द्वारा मांग विकल्पं का प्रयोग निम्न उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (I) भारिबैं के पूर्वानुमोदन से; (ग) (i) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो (अथवा) (ग) (ii) बैंक स्पष्ट करे कि मांग विकल्पत के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । न्यूनतम से तात्पर्य है 8% जोखिम भारित आस्ति (आरडब्लयूए) का कॉमन ईक्विटी टीयर I (आरडब्ल्यूए के 2.5% के कैपिटल कनज़रवेशन बफर सहित) तथा पिलर-2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यूए के 11.5% की कुल पूंजी । भारिबैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार पीओएनवी (गैर-अर्थक्षमता बिन्दु) पर बट्टे खाते में डाले गए ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स केयर लिमिटेड द्वारा क्रिसिल एए+/नेगेटिव तथा मैसर्स केयर रेटिंग द्वारा केयर एए+(डबल ए प्लस)
स्टेप-अप ऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं।
व्यवसाय दिन परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर, तेलंगाना में व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं, यदि कोई कूपन भुगतान तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है तब बैंक द्वारा ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु ब्याज सहित तत्काल परवर्ती व्यवसाय दिवस को भुगतान किया जाएगा । इसके अलावा भुगतान किए गए ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु ब्याज आगामी कूपन भुगतान तिथि को ब्याज भुगतान के अलावा कटौतरी की जाएगी । यदि बॉण्ड की प्रतिदेय तिथि (अंतिम कूपन भुगतान तिथि सहित) उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय दिवस नहीं है, तो ऐसी भुगतान की तिथि को छोड़कर बॉण्डों पर अर्जित ब्याज के साथ प्रतिदेय प्राप्यु राशि का भुगतान बैंक द्वारा तत्काल परवर्ती व्यवसाय दिवस को किया जाएगा । यदि रिकॉर्ड तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय तिथि नहीं है, तो तत्काल परवर्ती व्यावसाय दिवस को रिकॉर्ड तिथि के रूप में माना जाएगा ।

जारीकर्ता का नाम	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**आरक्षित, अपरिवर्तनीय तथा प्रतिदेय बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टीयर-I बेमियादी ऋण बांड - श्रृंखला III**
प्रलेख की प्रकति	**डिबेंचर**
निर्गम का तरीका	**निजी प्लेसमेंट**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई 434ए08067**
जारी आकार	रू 9000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड रूपये 10,00,000.00
अवधि	बेमियादी
कूपन दर	10.99 प्रतिशत प्रतिवष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 5 अगस्त को

Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below : a) instrument has run for at least ve years; b) Prior approval of Reserve Bank of India; c) (i) instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) c) (ii) Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements aer the call option is exercised; Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buffer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identied under Pillar 2. WRITE-OFF AT THE PONV (POINT OF NON-VIABILITY) .. as per applicable RBI Guidelines.
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	CRISIL AA+/Negative by M/s CRISIL Limited and CARE AA+ (Double A Plus) by M/s CARE Ratings
Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day denition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the city of Hyderabad, Telangana. If any coupon date falls on a Day that is not a Business Day, the payment shall be made by the Bank on the immediately succeeding Business Day along with interest for such additional period. Further, interest for such additional period so paid, shall be deducted out of the interest payable on the next Coupon Payment Date. If the Redemption Date (also being the last Coupon Payment Date) of the Bonds falls on a day that is not a Business Day, the redemption proceeds shall be paid by the Bank on the immediately preceding Business Day along with interest accrued on the Bonds until but excluding the date of such payment. In the event the Record Date on a Day which is not a Business Day, the immediately succeeding Business Day will be considered as the Record Date.

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Type of Instrument	**Unsecured, Non-Convertible BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Bonds - Series III**
Nature of Instrument	**Debentures**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A08067**
Issue size	Rs. 9000.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	Perpetual
Coupon Rate	10.99% per annum
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every Year on 05th August

आबंटन की तिथि	दिनांक 05.08.2016
परिपक्वता तिथि	बेमियादी
रिकार्ड तिथि	ब्याज का भुगतान/मूलधन का पुनर्भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि संबंधित ब्याज भुगतान तिथि तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि से 15 दिन पूर्व होगी ।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं ।
मांग विकल्प	बैंक द्वारा मांग विकल्प का प्रयोग निम्नई उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (I) भारिबैं के पूर्वानुमोदन से; (ग) (i) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो (अथवा) (ग) (ii) बैंक स्पष्ट करे कि मांग विकल्पि के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । न्यूनतम से तात्पर्य है 8% जोखिम भारित आस्ति (आरडब्लयूए) का कॉमन ईक्विटी टीयर I (आरडब्ल्यूए के 2..5% के कैपिटल कनज़रवेशन बफर सहित) तथा पिलर–2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यूलए के 11.5% की कुल पूंजी ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण–रेटिंग	मेसर्स केयर रेटिंग द्वारा केयर एए– (डबल ए माइनस) तथा मैसर्स क्रिसिल द्वारा क्रिसिल एए–/नेगेटिव
स्टेप–अप ऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप–अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं।
व्यवसाय दिन परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर, तेलंगाना में व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं, यदि कोई कूपन भुगतान तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय–दिवस नहीं है तब बैंक द्वारा ऐसी अतिरिक्तर अवधि हेतु ब्यानज सहित तत्काल परवर्ती व्यवसाय दिवस को भुगतान किया जाएगा । इसके अलावा भुगतान किए गए ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु ब्याज आगामी कूपन भुगतान तिथि को ब्याज भुगतान के अलावा कटौतरी की जाएगी । यदि बॉण्ड की प्रतिदेय तिथि (अंतिम कूपन भुगतान तिथि सहित) उस दिन पड़ता है जोकि व्यावसाय दिवस नहीं है, तो ऐसी भुगतान की तिथि को छोड़कर बॉण्ड पर अर्जित ब्यातज के साथ प्रतिदेय प्राप्य राशि का भुगतान बैंक द्वारा तत्काल परवर्ती व्यवसाय दिवस को किया जाएगा । यदि रिकॉर्ड तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय तिथि नहीं है, तो तत्काल परवर्ती व्यसवसाय दिवस को रिकॉर्ड तिथि के रूप में माना जाएगा ।

Date of allotment	05.08.2016
Date of maturity	Perpetual
Record date	Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
Issue/Trading mode of the instrument	Demat only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below : a) instrument has run for at least ve years; b) Prior approval of Reserve Bank of India; c) (i) instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) c) (ii) Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised;Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identified under Pillar 2.
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	CARE AA- (Double A Minus) by M/s CARE Ratings and CRISIL AA-/ Negative by M/s CRISIL
Step-up Option	None
Coupon with Step-option	Not applicable
Business Day denition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad, Telangana. If any Coupon Payment Date falls on a day that is not a Business Day, the payment shall be made by the Bank on the immediately succeeding Business Day along with interest for such additional period. Further, interest for such additional period so paid, shall be deducted out of the interest payable on the next Coupon Payment Date. If the Redemption Date (also being the last Coupon Payment Date) of the Bonds falls on a day that is not a Business Day, the redemption proceeds shall be paid by the Bank on the immediately preceding Business Day along with interest accrued on the Bonds until but excluding the date of such payment. In the event the Record Date falls on a day which is not a Business Day, the immediately succeeding Business Day will be considered as the Record Date.

जारीकर्ता का नाम	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**आरक्षित, अपरिवर्तनीय तथा प्रतिदेय बासेल III अनुपालक टीयर - 2 बॉण्ड - श्रृंखला डी**
प्रलेख की प्रकति	**डिबेंचर**
निर्गम का तरीका	**निजी प्लेसमेंट**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई 434ए08075**
जारी आकार	रूपये 10000 मिलियन
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड रूपये 10,00,000.00
अवधि	10 वर्ष
कूपन दर	7.98 प्रतिशत
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 24 अक्तूबर को
आबंटन की तिथि	दिनांक 24.10.2017
परिपक्वता तिथि	दिनांक 24.10.2027
रिकार्ड तिथि	ब्याज का भुगतान/मूलधन का पुनर्भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि संबंधित ब्याज भुगतान तिथि तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि से 15 दिन पूर्व होगी ।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं ।
मांग विकल्प	बैंक द्वारा मांग विकल्पं का प्रयोग निम्न(उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (I) भारिबैं के पूर्वानुमोदन से; (ग) (i) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो (अथवा) (ग) (ii) बैंक स्पष्ट करे कि मांग विकल्पत के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । न्यूनतम से तात्पर्य है 8% जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) का कॉमन ईक्विटी टीयर ख (आरडब्ल्यूए के 2..5% के कैपिटल कनज़रवेशन बफर सहित) तथा पिलर-2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यूलए के 11.5% की कुल पूंजी । भारिबैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार पीओएनवी (गैर-अर्थक्षमता बिन्दु) पर बट्टे खाते में डाले गए ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मेसर्स क्रिसिल लिमिटेड द्वारा क्रिसिल एए+/नेगेटिव तथा मेसर्स केयर रेटिंग्स द्वारा केयर एए+; नेगेटिव (डबल ए प्लास)
स्टेप-अप ऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं।
व्यवसाय दिन परिभाषा	व्यवसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर, तेलंगाना में व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं, यदि कोई कूपन भुगतान तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है तब बैंक द्वारा ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु ब्याज सहित तत्काल परवर्ती व्यवसाय दिवस को भुगतान किया जाएगा । इसके अलावा भुगतान किए गए ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु ब्याज आगामी कूपन भुगतान तिथि को ब्याज भुगतान के अलावा कटौतरी की जाएगी । यदि बॉण्ड की प्रतिदेय तिथि (अंतिम कूपन भुगतान तिथि सहित) उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय दिवस नहीं है, तो ऐसी भुगतान की तिथि को छोड़कर बॉण्ड पर अर्जित ब्याज के साथ प्रतिदेय प्राप्यु राशि का भुगतान बैंक द्वारा तत्काल परवर्ती व्यावसाय दिवस को किया जाएगा । यदि रिकॉर्ड तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय तिथि नहीं है, तो तत्कादल परवर्ती व्यवसाय दिवस को रिकॉर्ड तिथि के रूप में माना जाएगा ।

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Typ Type of Instrument	**Unsecured, Non-Convertible and Redeemable BASEL-III Compliant Tier-2 Bonds - Series D**
Nature of Instrument	**Debentures**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A08075**
Issue Size	Rs.10000.00 million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	10 years
Coupon Rate	7.98%
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 24th October
Date of allotment	24.10.2017
Date of maturity	24.10.2027
Record Date	Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
Issue/Trading mode of instrument	Demat Only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd.(NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below : a) instrument has run for at least ve years;b) Prior approval of Reserve Bank of India; c) (i) instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) c) (ii) Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised;Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs including any additional capital requirements identified under Pillar 2.WRITE-OFF AT THE PONV (POINT OF NON-VIABILITY) as per applicable RBI Guidelines
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	CRISIL AA+/Negative by M/s CRISIL Limited and CARE AA+; Negative (Double A Plus) by M/s CARE Ratings
Step-Up option	None
Coupon with Step-option	Not Applicable
Business Day denition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad, Telangana. If any Coupon Payment Date falls on a day that is not a Business Day, the payment shall be made by the Bank on the immediately succeeding Business Day. If the Redemption Date (also being the last Coupon Payment Date) of the Bonds falls on a day that is not a Business Day, the redemption proceeds shall be paid by the Bank on the immediately preceding Business Day along with interest accrued on the Bonds until but excluding the date of such payment. In the event the Record Date falls on a day which is not a Business Day, the immediately succeeding Business Day will be considered as the Record Date.

जारीकर्ता का नाम	**आन्ध्रा बैंक**
प्रलेख का प्रकार	**आरक्षित, अपरिवर्तनीय बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टीयर-1 बेमियादी ऋण बॉण्ड - श्रृंखला IV**
प्रलेख की प्रकति	**डिबेंचर**
निर्गम का तरीका	**निजी प्लेसमेंट**
आईएसआईएन नम्बर	**आईएनई 434ए08083**
जारी आकार	रूपये 5000.00 मिलियन
अंकित मूल्य	प्रति बॉण्ड रूपये 10,00,000.00
अवधि	बेमियादी
कूपन दर	9.20 प्रतिशत प्रतिवष
कूपन प्रकार	स्थिर
ब्याज भुगतान फ्रीक्वेंसी	वार्षिक
ब्याज भुगतान	प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को
आबंटन की तिथि	दिनांक 31.10.2017
परिपक्वता तिथि	बेमियादी
रिकार्ड तिथि	ब्याज का भुगतान/मूलधन का पुनर्भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि संबंधित ब्याज भुगतान तिथि तथा/अथवा प्रतिदेय तिथि से 15 दिन पूर्व होगी ।
प्रलेख जारी/ट्रेडिंग स्रोत	केवल डीमैट।
को सूचीबद्ध	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई)
विक्रय विकल्प	कोई नहीं ।
मांग विकल्प	बैंक द्वारा मांग विकल्प् का प्रयोग निम्न उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा (क) प्रलेख न्यूनतम 5 वर्ष तक रहा हो (I) भारिबैं के पूर्वानुमोदन से; (ग) (ळ) प्रलेख पूंजी से बदला गया हो अथवा अच्छी क्वालिटी से तथा पूंजी का परिवर्तन इस शर्त पर हो कि वह बैंक की आय क्षमता के अनुरूप हो (अथवा) (ग) (ii) बैंक स्पष्ट करे कि मांग विकल्पत के पश्चात उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से अधिक है । न्यूनतम से तात्पर्य है 8% जोखिम भारित आस्ति (आरडब्लयूए) का कॉमन ईक्विटी टीयर I (आरडब्लयूए के 2..5% के कैपिटल कनज़रवेशन बफर सहित) तथा पिलर-2 के अन्तर्गत चयनित अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं सहित आरडब्ल्यूए के 11.5% की कुल पूंजी ।
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड।
जारी करने के समय ऋण-रेटिंग	मैसर्स केयर रेटिंग द्वारा केयर एए- (डबल ए माइनस); नेगेटिव तथा मैसर्स क्रिसिल द्वारा क्रिसिल एए-/नेगेटिव
स्टेप-अप ऑप्शन	कोई नहीं।
स्टेप-अप ऑप्शन सहित कूपन	लागू नहीं।
व्यवसाय दिन परिभाषा	व्यववसाय दिवस वह दिन है जिस दिन वाणिज्यिक बैंक हैदराबाद शहर, तेलंगाना में व्येवसाय के लिए खुले रहते हैं, यदि कोई कूपन भुगतान तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्यवसाय-दिवस नहीं है तब बैंक द्वारा ऐसी अतिरिक्तद अवधि हेतु ब्यामज सहित तत्काकल परवर्ती व्यरवसाय दिवस को भुगतान किया जाएगा । इसके अलावा भुगतान किए गए ऐसी अतिरिक्ति अवधि हेतु ब्याहज आगामी कूपन भुगतान तिथि को ब्या ज भुगतान के अलावा कटौतरी की जाएगी । यदि बॉण्ड् की प्रतिदेय तिथि (अंतिम कूपन भुगतान तिथि सहित) उस दिन पड़ता है जोकि व्यीवसाय दिवस नहीं है, तो ऐसी भुगतान की तिथि को छोड़कर बॉण्ड पर अर्जित ब्यायज के साथ प्रतिदेय प्राप्यु राशि का भुगतान बैंक द्वारा तत्कौल परवर्ती व्यावसाय दिवस को किया जाएगा । यदि रिकॉर्ड तिथि उस दिन पड़ता है जोकि व्य वसाय तिथि नहीं है, तो तत्कादल परवर्ती व्यावसाय दिवस को रिकॉर्ड तिथि के रूप में माना जाएगा ।

Name of the Issuer	**Andhra Bank**
Typ Type of Instrument	**Unsecured, Non-Convertible BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Bonds - Series IV**
Nature of Instrument	**Debentures**
Mode of Issue	**Private Placement**
ISIN No.	**INE434A08083**
Issue Size	Rs.5000.00 Million
Face Value	Rs.10,00,000/- per bond
Tenor	Perpetual
Coupon Rate	9.20% p.a
Coupon Type	Fixed
Interest payment frequency	Annual
Interest payment	Every year on 31st October
Date of allotment	31.10.2017
Date of maturity	Perpetual
Record Date	Record Date for payment of interest / repayment of principal shall be the date falling 15 days prior to the interest and/or redemption date.
Issue/Trading mode of instrument	Demat Only
Listed on	National Stock Exchange of India Ltd.(NSE)
Put Option	None
Call Option	Exercise of Call Option by the Bank will be subject to all the conditions mentioned below : a) instrument has run for at least ve years;b) Prior approval of Reserve Bank of India; c) (i) instrument is replaced with capital of the same or better quality and the replacement of this capital is done at conditions which are sustainable for the income capacity of the Bank; (or) c) (ii) Bank demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements after the call option is exercised;Minimum refers to Common Equity Tier I of 8% of Risk Weighted Assets (RWAs) (including capital conservation buer of 2.5% of RWAs) and Total capital of 11.5% of RWAs
Trustees	IDBI Trusteeship Services Limited
Credit Rating at the time of issue	CARE AA- (Double A Minus); Negative by M/s CARE Ratings and CRISIL AA-/ Negative by M/s CRISIL
Step-Up option	None
Coupon with Step-option	Not Applicable
Business Day denition	Business Day shall be a day on which commercial banks are open for business in the City of Hyderabad, Telangana. If any Coupon Payment Date falls on a day that is not a Business Day, the payment shall be made by the Bank on the immediately succeeding Business Day. If the Redemption Date (also being the last Coupon Payment Date) of the Bonds falls on a day that is not a Business Day, the redemption proceeds shall be paid by the Bank on the immediately preceding Business Day along with interest accrued on the Bonds until but excluding the date of such payment. In the event the Record Date falls on a day which is not a Business Day, the immediately succeeding Business Day will be considered as the Record Date.

सारणी डीएफ –16 ईक्विटी – बैंकिंग बुक स्थिति हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1	ईक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता (इस अनुबंध के पैरा 2.1) के अंतर्गत	
	• धारिता जिन पर पूंजीगत लाभ का प्रत्याशित है एवं वह अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत लिया गया हो जैसे संबंध एवं कार्यनीतिक कारण में अंतर एवं	छोटी अवधि पूंजीगत लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से ईक्विटी होल्डिंग ऑफ कोटेड शेयरों एवं ईक्विटी ओरियंटेड म्युच्युअल फंड को अर्जित किया है। लंबी अवधि पूंजीगत लाभ प्राप्तव करने की दृष्टि से ईक्विटी होल्डिंग ऑफ अनकोटेड शेयर्स, अधिमान्य एवं वेंचर कैपिटल फंड को अर्जित किया है। हमारे पास संबंध एवं कार्यनीतिक कारण हेतु सहायक, सहयोग एवं संयुक्ता उद्यम में भी ईक्विटी होल्डिंग्स उपलब्ध है।
	• महत्वपूर्ण नीतियों की चर्चा जहां बैंकिंग बुक में ईक्विटी होल्डिंग को लेखांकन एवं मूल्यां कन सम्मिलित है। इसमें उपयुक्त लेखांकन तकनीक एवं मूल्यांकन पद्धतियां समेकित हैं जिसमें आधारभूत कल्पनाएं एवं मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली पद्धतियां एवं इन पद्धतियों में महत्ववपूर्ण परिवर्तन भी समेकित है।	एएफएस एवं एचएफटी के अंतर्गत शेयर्स पृथक रूप से लेखांकित हैं। वैल्यूं एन वेंचर कैपिटल फंड को फंड की गिरावट तिथि से 3 वर्षों तक एचटीएम में रखा जाएगा एवं उसके बाद एएफएस को अंतरण किया जाएगा। उद्धत भाव वाले शेयरों की मूल्यांकन स्क्रिप की विपणन मूल्य पर निर्भर है। गैर उद्धत वाले शेयर के मूल्यांकन कंपनी की नवीन तुलन पत्र से निश्चित किया गया विश्लेषित मूल्य पर निर्भर होगा। प्राईवेट ईक्विटी वेंचर कैपिटल फंड की मूल्य कंपनी की निवल आस्ति मूल्यू पर निर्भर होगा। जहां एचटीएम के वेंचर कैपिटल फंड बही मूल्यव में उपलब्ध रहेगा, वहीं एएफएस के वेंचर कैपिटल फंड की मूल्यांकन फंड की निवल आस्ति मूल्य पर निर्भर रहेगा। सहायक एवं संयुक्त वेंचर एचटीएम श्रेणी में उपलब्ध होगा एवं बही मूल्य में जारी रहेगा। चूंकि सभी पद्धतियां मूल्यांकन पर जारी भारिबैंक की मास्टर परिपत्र पर आधारित है, इन पद्धतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

गुणात्मक प्रकटीकरण **(रू मिलियनमें)**

		बही मूल्य दि.31.03.2019	उचित मूल्य दि.31.03.2019
1	निवेश की तुलन पत्र में प्रकट किया गया मूल्य3 एवं उन निवेशों की उचित मूल्य , उद्धत भाव वाले प्रतिभूतियों हेतु, सार्वजनकि किया गया उद्धत भाव वाले शेयरों की मूल की तुलना जहां शेयर मूल्यि से उचित मूल्यि में महत्व पूर्ण अंतर है।	4251.35	4302.96
	सार्वजनिक की गयी उद्धत भाव वाले शेयर मूल्य जहां शेयर मूल्य से उचित मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर है।	शून्य	शून्य
2	निवेश के प्रकार एवं प्रकृति जहां धन राशि समेकित है जो निम्ना नुसार वर्गीकरण किया जा सकता है :		
	• सामूहिक रूप से ट्रेडिंग	शून्य	शून्य
	• एफआई (आईएफसीआई)	शून्य	शून्य
	• निजी रूप से उपलब्ध	4251.35	4302.96
	वित्तीय निगम	शून्य	शून्य
	सं.उ. (भारत में)	2159.00	2159.00
	सं.उ.जेवी (भारत से बाहर)	1432.81	1406.53
	आरआरबी	26.05	26.05
	अनुषंगी (भारत में)	50.00	0.00
	अनुषंगी (भारत से बाहर)	शून्य	शून्य
3	संचयी प्राप्त लाभ (हानि) जो रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री एवं परिसमापन से आविर्भाव हुआ	45.97	--

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions

Qualitative Disclosures		
1	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	• differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	Equity Holding of Quoted shares and units of Equity oriented Mutual Funds are acquired with a view to achieve short term capital gains. Equity Holding of Unquoted shares, Preference Shares and units of Venture Capital Funds acquired with a view to achieve long term capital gains. We also have equity holdings in Subsidiary, Associate and Joint Ventures for relationship and strategic reasons.
	• Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. is includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices aecting valuation as well as signicant changes in these practices.	Shares under AFS and HFT are accounted for separately. Value in Venture Capital Funds are held in HTM for 3 years from the date of drawdown and then transferred to AFS. The valuation of quoted shares is based on the Market value of the scrips. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest balance sheet of the company. Private Equity Venture Capital funds are valued based on the Net Asset Value of the Funds. While the Venture Capital Funds in HTM are carried at Book Value, the Venture Capital Funds under AFS are subjected to valuation based on the Net Asset Value of the Fund. Subsidiaries and Joint Ventures are held in HTM category and carried at Book Value. ere have been no signicant changes in these practices since the practices are based on RBI Master Circular on Valuations.

Quantitative Disclosures			(₹ in Mn)
		BOOK VALUE 31.03.2019	**FAIR VALUE 31.03.2019**
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially dierent from fair value.	4251.35	4302.96
	Publicly quoted share values where the share price is materially dierent from fair value.	Nil	Nil
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classied as:		
	• Publicly traded.	Nil	Nil
	FIs (IFCI)	Nil	Nil
	• Privately held.	4251.35	4302.96
	Financial Corporation	Nil	Nil
	JVs (In India)	2159.00	2159.00
	JVs (Outside India)	1432.81	1406.53
	RRBs	26.05	26.05
	Subsidiaries(In India)	50.00	0.00
	Subsidiaries(Outside India)	Nil	Nil
3	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	45.97	--

4	कुल अप्राप्त लाभ (हानि) 1	शून्य	शून्य
5	अप्रकट पुनर्मूल्यां कन लाभ (हानि) 2	127.89	--
6	कोई भी उक्त धन राशि जो टियर-1 एवं/या टियर-2 पूंजी में समेकित है	-	-
7	उपयुक्त ईक्विटी समूह द्वारा पूंजी आवश्यिकता में रुकावट, बैंक पद्धतियों से स्थिरता, संकलित राशियों एवं ईक्विटी निवेश के प्रकार, जो विनियामक पूंजी आवश्यतकताओं के पर्यवेक्षणीय संक्रमण या प्रावधानों के संशोधित भविष्यगामी छूट पर निर्भर है ।	-	-

1 तुलन पत्र में पहचानी गई अप्राप्त लाभ (हानि) लेकिन लाभ व हानि खाता से नहीं ।

2 न तुलन पत्र में और न ही लाभ एवं हानि खाता में नहीं पहचानी गयी अप्राप्त लाभ (हानि) ।

सारणी डीएफ -17 लेखांकन आस्ति बनाम लीवरेज अनुपात एक्सीपोज़र उपाय का सारांश तुलना

बेसल III लिवरेज अनुपात को एक्सपोज़र उपाय द्वारा विभाजित, प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित पूंजी उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है । भारिबैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समेकित स्तर पर बैंक हेतु लिवरेज अनुपात के लिए अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नांनुसार है ।

(रु मिलियन में)

क्र.सं	विवरण	राशि
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2540439.81
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाई में निवेश हेतु समायोजन जो लेखांकन प्रयोजन हेतु समेकित हो लेकिन विनियमित समेकन की सीमा से बाहर है	-45017.97
3	परिचालित लेखांकन रूपरेखा की तुलन पत्र की पहचानी गयी प्रत्यियी आस्तियों हेतु समायोजन लेकिन लिवरेज अनुपात एक्स्पोज़र उपाय से बाहर है	-
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत हेतु समायोजन	544.91
5	प्रतिभूतियां वित्ती्य लेनदेन हेतु समायोजन (याने रेपो एवं समान सुरक्षित उधार)	-
6	गैर तुलन पत्र विषयों हेतु समायोजन (याने गैर तुलन पत्र एक्सपोजर की ऋण समानांतर राशि की परिवर्तन)	148750.63
7	अन्य समायोजन	-10488.52
8	लिवरेज अनुपात एक्स पोजर	2634228.86

डीएफ-18 लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैम्प्लेट

(रु मिलियन में)

लिवरेज अनुपात रूपरेखा		
	तुलन पत्र के एक्सूपोज़र	**राशि**
1	तुलन पत्र की मदें (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी रहित लेकिन संपार्शिक सहित)	2495421.84
2	(आस्ति की राशि बेसल-III टियरी 1 पूंजी को निर्धारित करने में घटाया)	-10488.52
3	कुल तुलन पत्र एक्ससपोजर्स (व्युत्पन्नियों एवं एसएफटी रहित) (लाईन 1 एवं 2 का योग)	2484933.32
	व्युत्पन्नी एक सपोजर्स	
4	सभी व्युत्पन्नी लेनदेन के साथ प्रतिस्थापित लागत (याने पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन की निवल)	544.91
5	सभी व्युत्पन्नी लेनदेन के साथ पीएफई हेतु राशि की जोड	-
6	व्युत्पन्नी संपाशिव्रक हेतु सकल दिए गए हैं जहां परिचालित खाता फ्रेमवर्क के तुलन पत्र आस्ति से आहरित है	-
7	(नकद परिवर्तन मार्जिन हेतु प्राप्ति योग्य आस्तियों का आहरण सडेरिवेटिव लेन देन में दिए गए हैं)	-
8	(ग्राहक रहित व्यापार एक्सपोजर की छूट प्राप्ता सीसीपी लेग)	-

4	Total unrealized gains (losses)1	Nil	--
5	Total latent revaluation gains (losses)2	127.89	--
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	-	-
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	-	-

1 Unrealized gains (losses) recognized in the balance sheet but not through the prot and loss account.

2 Unrealized gains (losses) not recognized either in the balance sheet or through the prot and loss account.

Table DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, expressed as a percentage. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank at the consolidated level at March 31, 2019 is as follows.

(₹ in Million)

S.No	Particulars	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	2540439.81
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-45017.97
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	544.91
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	148750.63
7	Other adjustments	-10488.52
8	Leverage ratio exposure	2634228.86

DF-18 – Leverage ratio common disclosure template

(₹ in Million)

Leverage ratio framework		
	On-balance sheet exposures	**Amount**
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2495421.84
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-10488.52
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2484933.32
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	544.91
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	-
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-

9	बट्टे खाते ऋण डेरिवेटिव की समायोजित लागू कल्पित राशि	-
10	(बट्टे खाते डेरिवेटिव हेतु समायोजित लागू कल्पित ऑफसेट तथा ऐडऑन आहरण)	-
11	कुल डेरिवेटिव एक्सेपोजर (लाईन 4 से 10 तक कुल)	**544.91**
प्रतिभूति वित्तीएकरण लेने-देन एक्सपोजर		
12	समग्र एसएफटी आस्तियां (अज्ञात) समायोजन पश्चात	-
13	(देय नकद की ज्ञात राशि तथा समग्र एसएफटी आस्तियां प्राप्ति योग्य नकद)	-
14	एसएफटी आस्ति का सीसीआर एक्सपोजर	-
15	एजेंट लेन देन एक्सपोजर	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तीकरण लेन देन एक्ससपोजर (लाईन 12 से 15 तक)	
अन्य ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर		
17	समग्र कल्पित राशि पर ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर	403730.68
18	(ऋण समतुल्य राशि के परिवर्तन हेतु समायोजन)	-254980.05
19	ऑफ तुलन पत्र मदें (लाईन 17 तथा 18)	148750.63
पूंजी तथा कुल एक्सपोजर		
20	टीयर 1 पूंजी	144435.62
21	कुल एक्सपोजर (लाईन 3, 11, 16 तथा 19 तक कुल)	**2634228.86**
लीवरेज अनुपात		5.48%

9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**544.91**
Securities nancing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	
Other o-balance sheet exposures		
17	O-balance sheet exposure at gross notional amount	403730.68
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-254980.05
19	O-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	148750.63
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	144435.62
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	**2634228.86**
Leverage Ratio		5.48%

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. **कार्पोरेट गवर्नेंस – दर्शन**

आन्ध्रा बैंक का दर्शन ग्राहकों की निरन्तर बदलती आवश्यकताओं के प्रति सदैव जागरूक रहना है । बैंक का विश्वास है कि उपयुक्त कार्पोरेट गवर्नेंस से व्यवसाय के प्रभावी प्रबन्धन एवं नियन्त्रण में मदद मिलती है । इससे बैंक अपनी व्यावसायिक नीति के स्तर को बनाये रखता है और अपने सभी पणधारियों के लिए मूल्य में वृद्धि करता है । कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धान्त हेतु उच्चस्तरीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पणधारियों में मूल्यों के निर्माण के साथ वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता आवश्यक है । संक्षेप में उद्देश्य निम्न प्रकार है ।

- नैतिक सिद्धान्तों एवं देश के कानूनी ढांचे के अन्दर पणधारियों के मूल्य को कायम रखना ।
- ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज सहित शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हित की रक्षा करना ।
- संप्रेषण में पारदर्शिता और एकीकरण को सुनिश्चित करना और सभी सम्बन्धितों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना ।

2. **निदेशक मण्डल**

2.1 आन्ध्रा बैंक का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम 1980 के तहत तदनुरूप नए बैंक के रूप में किया गया है ।

2.2 बोर्ड का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है ।

2.3 बोर्ड के प्रमुख प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ हैं जिनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है । प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1), खण्ड 6, और खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के तहत की जाती है ।

2.4 प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ के अतिरिक्त बैंक के दो पूर्णकालिक निदेशकों (कार्यपालक निदेशक) की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है जो बोर्ड के भी सदस्य हैं । बैंक के कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) तथा खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के तहत की जाती है ।

2.5 31 मार्च 2019 को बोर्ड में 08 निदेशक हैं जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा दो कार्यपालक निदेशक) हैं, एक निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नामित केन्द्र सरकार के अधिकारी हैं, एक निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी हैं, सीए श्रेणी के अन्तर्गत धारा 9 (3) (जी) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (ळ) और धारा 9 (3 ए) जिसे राष्ट्री यकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खण्ड 3 के उप खण्ड (1) के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों के बीच दो निदेशक चुने गए हैं ।

2.6 बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों का आयोजन आवर्ती अन्तराल में किया जाता है और वे उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा, नीतिपरक कार्य और बैंक के व्यावसायिक प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंक का मार्गदर्शन करती हैं ।

2.7 ति निर्धारण, कार्यनिष्पादन की समीक्षा और विश्लेषण जैसे दायित्व बोर्ड द्वारा निभाए जाते हैं । बोर्ड ने बैंक द्वारा निधारित नीतियों के अनुरूप कार्यपालकों और बैंक के कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकार सौंपे हैं । बोर्ड द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित अधिकारों की समीक्षा की जाती है और बैंक के प्रभावी कार्यचालन के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं ।

2.8 वार्षिक आधार पर बैंक की नीतियों की समीक्षा की जाती है और बदलते परिदृश्य तथा बाजार की मांगों के अनुरुप आवश्यक आशोधन किये जाते हैं ।

2.9 बोर्ड के अध्यक्ष पूर्ण कालिक निदेशक हैं तथा इसलिए बोर्ड के कम से कम 1/2 में स्वतंत्र निदेशकों का समावेश होता है। तदनुसार 31 मार्च, 2019 तक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है :

निदेशकों के प्रकार	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक	03
गैर– कार्यपालक	05 (जिनमें से 3 स्वतंत्र निदेशक हैं)
कुल	08

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. CORPORATE GOVERNANCE - PHILOSOPHY

The Philosophy of Andhra Bank is to continue to remain dynamic to the ever changing needs of the customers. The Bank believes that proper Corporate Governance facilitates effective management and control of business. This, in turn, enables the Bank to maintain a level of business ethics and to optimize the value for all its stakeholders. The principles of Corporate Governance require the commitment of the Bank to attain high standard of transparency, accountability, responsibility and financial stability with the ultimate objective of building up values to the stakeholders. The objectives can be summed up as under:

- Upholding the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country;
- to protect interest of shareholders and other stakeholders including customers, employees and society at large;
- to ensure transparency and integration in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Andhra Bank has been constituted as corresponding new Bank under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980.

2.2 The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

2.3 The Board is headed by the Managing Director & CEO who is appointed by the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India. The Managing Director & CEO is appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub-clause (1) of clause 3, clause 6, and sub-clause (1) of clause 8 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

2.4 In addition to the Managing Director & CEO, two Whole-time Directors (Executive Directors) of the Bank are appointed by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India, who are also members of the Board. The Executive Directors of the Bank are appointed in exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

2.5 As on 31st March, 2019 there are 08 (Eight) Directors on the Board consisting of Three Whole Time Directors (MD& CEO and two Executive Directors), One Director who is an official of the Central Government nominated by it, One Director who is an Officer of Reserve Bank of India nominated by the Central Government on the recommendation of RBI, one Director nominated by the Central Government under Sec 9 (3)(g) under CA category and two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government under Sec 9 (3) (i) & Sec 9(3A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub-clause (1) clause 3 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

2.6 The Board and its Committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of customer service, ethical practices and professional management of the Bank.

2.7 The responsibilities such as policy formulations, performance review and analysis are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives and Committees of Executives of the Bank in tune with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank.

2.8 The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.

2.9 The Chairman of the Board is a Whole Time Director and therefore at least 1/2 of the Board should consist of Independent Directors as per SEBI Guidelines. The composition of the Board as on 31st March, 2019 is as under:

Type of Directors	No. of Directors
Executive	03
Non - executive	05 (out of which 3 are Independent Directors)
Total	08

2.10 वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड के निदेशकों का प्रोफाइल

1. श्री जे पक्किरिसामी

इन्होंने दिनांक 21 सितम्बर, 2018 को आन्ध्रा बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया । आन्ध्रा बैंक में पदभार ग्रहण करने से पूर्व, वे देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबन्ध निदेशक थे ।

इनका जन्म दिनांक 28 फरवरी, 1961 को हुआ, इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बी.एससी तथा एमबीए (वित्त) एवं आईआईबीएफ से सीएआईआईबी किया है ।

इन्होंने वर्ष 1984 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा प्रशासनिक एवं प्रबन्धन स्तरीय क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है । इन्होंने वर्ष 2004-2009 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की फ्रेंकफर्ट, शाखा जर्मनी में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। ये अपने साथ बैंकिंग व्यवसाय में विशेषकर ऋण संविभाग, विशलेषणात्माक कौशल, अंतर्वैयक्तिक गुण आदि में समृद्ध एवं वृहद अनुभव लेकर आए हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय एक्सथपोज़र, आस्ति प्रबन्धदन, दबावग्रस्तय आस्तियों के समाधान तथा अन्यय मुख्यन प्रबन्ध। क्षेत्रों के ज्ञान को सम्मिलित करते हुए ये एक बहुमुखी व्य क्तित्वध के कार्यपालक हैं । इन्होंधने बहु-क्षेत्रों यथा कॉर्पोरेट बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्त्राष्ट्रीरय बैंकिंग का सफलतापूर्वक प्रबन्ध।न किया एवं सभी स्तोरों पर परिचालन स्टा,फ के कौशल विकास में गहनता से जुड़े रहें हैं ।

2. श्री अजित कुमार रथ

इन्होंने दि.13.03.2015 को बैंक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, हेतु कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । वे इन्सटिट्युशन ऑफ इंजीनियर (एएमआईई) के सम्बद्ध सदस्यगण हैं, इन्होंने वेतनमान खत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वर्ष 2001 में जुआइन किया तथा दिनांक 12 मार्च 2015 तक कार्य किया । यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने कैरियर के दौरान वे महा प्रबन्धक संवर्ग तक पदोन्नत हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वे स्विफ्ट इंडिया डोमस्टिक सर्विसेस् प्रा.लि. के बोर्ड में निदेशक थे । वे एनपीसीआई/स्विफ्ट इंडिया व स्टारि यूनियन दाईची बीमा कम्पनी की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य थे । वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.01.2018 के अनुसार, उन्हे प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने तथा समस्त प्रशासनिक शक्तियां प्रयोग में लेने के लिए प्राधिकृत किया है जब तक कि सरकार द्वारा बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है ।

3. श्री कुल भूषण जैन

इन्होंने दि.09.10.2017 को बैंक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, हेतु कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । वे सीएआईआईबी के साथ विज्ञान तथा विधि में दोहरे स्नातक हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 1985 में एक अधिकारी के रूप में अपना बैंकिंग करियर आरम्भ किया तथा दिनांक 08 अक्तूबर, 2017 तक कार्य किया । बैंक ऑफ इंडिया में अपने करियर के दौरान वे महा प्रबन्धक संवर्ग तक पदोन्न्त हुए इन्हें ऋण, राजकोष तथा अन्त राष्ट्रीय बैंकिंग का अत्याधिक अनुभव है । वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.01.2018 के अनुसार, इन्हें प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने तथा समस्त प्रशासनिक शक्तियां प्रयोग में लेने के लिए प्राधिकृत किया है जब तक कि सरकार द्वारा बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं की जाती है।

4. सुश्री अंजना दुबे

इन्होंने भारत सरकार के नामिती के रूप में दिनांक 28.04.2017 को आन्ध्रा बैंक के निदेशक मण्डल में जुआइन किया । उन्होंपने लखनऊ विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विज्ञान में स्नात्कोत्तवर पूर्ण करने के पश्चात 1987 में भारतीय सांख्यिकी सेवाएं जुआइन किया । इन्हें भारतीय प्रबन्ध न संस्था बेंगलूरू (फेलो आईआईएमबी) द्वारा सार्वजनिक नीति में डॉक्टर की उपाधी मिली है । इन्हें सूक्ष्म-वित्त तथा वित्तीय समावेशन में शोध में रूचि है । इनके पास ली कुअन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, द्वारा सार्वजनिक प्रबन्धन में स्नात्कोहत्तेर की डिग्री भी है, जिसमें हार्वर्ड कैनेडी स्कूलल में एक्सपोज़र सम्मिलित है ।

वित्तीय सेवाएं विभाग में इनकी तैनाती से पूर्व इन्होंने अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों यथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय में कार्य किया ।

5. श्री यूजीन ई कर्थक

वे जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं । वर्तमान में वे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बेंक, नई दिल्ली हैं । वे दिनांक 13.03.2014 से बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक हैं । उन्हें विभिन्न पदों का 29 वर्ष का बैंकिंग अनुभव है । वे भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दो चरणों में वर्ष 1991 से 1993 तथा वर्ष 2002 से 2008 तक रहे । वे वर्ष 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक, सिक्किम में प्रभारी अधिकारी थे । वे दिनांक 28.03.2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलूरू के क्षेत्रीय निदेशक थे ।

6. श्री बालगोपाल महापात्र

इन्होंने आन्ध्रा बैंक के निदेशक मण्डल के निदेशक के रूप में दिनांक 27.12.2017 को बोर्ड में जुआइन किया । वे भारतीय चार्टड एकाउंटेंट संस्था के सदस्य रहने के साथ-साथ वाणिज्य तथा एलएलबी में स्नातक हैं । उन्होंने 1989 तक चार्टड एकाउंटेंट का अभ्यास किया ।

सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक, राजस्व लेखा-परीक्षक, स्टॉक लेखा-परीक्षक, समवर्ती लेखा-परीक्षक तथा आन्तरिक लेखा-परीक्षक के रूप में कई राष्ट्रीकृत बैंकों का लेखा-परीक्षा किया । ओडिशा की सरकार, केन्द्र सरकार का उपक्रम, बीमा कम्पनियों, कोयला क्षेत्र, विद्यालय, कॉलेज, एनजीओ आदि के एपेक्स

2.10 Profile of Directors on the Board during the Year 2018-19

1. Sri J Packirisamy

Assumed charge as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank on 21st September 2018. Prior to joining Andhra Bank, he was Deputy Managing Director in State Bank of India, the Country's largest Bank.

Born on 28th February 1961, he has done his B.Sc. and MBA (Finance) from University of Madras and CAIIB from IIBF.

He joined SBI as Probationary Officer in 1984 and served in different positions in the field as well as at administrative and management levels. He also served as Chief Executive Officer, Frankfurt, Germany Branch of SBI during 2004-2009. He has got rich and vast expertise to his credit in Banking Business particularly Credit portfolio, analytical skills, inter-personal qualities etc.

He is an Executive with a multi-faceted personality and knowledge encompassing international exposure, assets management, resolution of stressed assets and other key management areas. Successfully managed multiple areas like Corporate Banking, Retail Banking and International Banking and engaged extensively in skill development of operating staff at all levels.

2. Sri Ajit Kumar Rath

He assumed charge as Executive Director of the Bank on 13.03.2015 for a period of five years with effect from the date of his assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. He is Associate Member of the Institution of Engineers (AMIE) joined Union Bank of India in Scale IV cadre in 2001 and worked till 12th March 2015. During his career in Union Bank of India was elevated upto General Manager Cadre. He was a Director on the Board of Swift India Domestic Services Pvt. Ltd., on behalf of Union Bank of India. He was a member of Technical Advisory Committee of NPCI / SWIFT India & Star Union Daichi Insurance Company. As per Ministry of Finance, Govt. of India letter dt. 12.01.2018, he has been vested with financial and administrative powers and functions of the Managing Director & Chief Executive Officer till such time the appointment to the post of the Bank's MD & CEO is made by the Government.

3. Sri Kul Bhushan Jain

He assumed charge as Executive Director of the Bank on 09.10.2017 for a period of three years with effect from the date of his assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. He is a double graduate in Science and Law with CAIIB, started his Banking career in Bank of India as an Officer in 1985 and worked till 08th October, 2017. During his career in Bank of India he was elevated upto General Manager Cadre. He has rich experience in the areas of Credit, Treasury and International Banking. As per Ministry of Finance, Govt. of India letter dt. 12.01.2018, he has been vested with financial and administrative powers and functions of the Managing Director & Chief Executive Officer till such time the appointment to the post of the Bank's MD & CEO is made by the Government.

4. Ms. Anjana Dube

She joined the Board of Directors of the Bank on 28.04.2017 as Nominee Director of Government of India. She joined Indian Statistical Services in the year 1987 after completion of Master of Science in Statistics from Lucknow University. She is a Doctorate in Public Policy from Indian Institute of Management Bangalore (Fellow IIMB). Her research interests include micro-finance and financial inclusion. She also holds degree of Master in Public Management from Lee Kuan School of Public Policy, National University of Singapore which includes exposure at Harvard Kennedy School.

Prior to her posting in the Department of Financial Services she has worked in other Ministries and organizations viz., National Sample Survey Office and National Accounts Division of Ministry of Statistics and Program Implementation, Central Vigilance Commission and Ministry of Industry and Commerce.

5. Sri Eugene E Karthak

He is post graduate in Political Sciences from Jawaharlal Nehru University, Delhi. He is the Regional Director, RBI, New Delhi. He is Nominee Director of Reserve Bank of India on the Board of Directors of the Bank since 13.03.2014. He has 29 years of Banking experience in various capacities. He was also with Government of India on deputation basis in two phases 1991 to 1993 and 2002 to 2008. He was the Officer-in-Charge of RBI, Sikkim and continued till 2013. He was the Regional Director of RBI, Bangalore till 28.03.2018.

6. Sri Balgopal Mahapatra

He joined the Board on 27.12.2017 as Director on the Board of Directors of Andhra Bank. He is a Graduate in Commerce and LLB as well as a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India. He has been a Practicing Chartered Accountant since 1989.

He audited many nationalized banks as statutory branch auditors, revenue auditors, stock auditors, concurrent auditors and internal auditors and also audited apex co-operative societies of the Govt. of Odisha, Central govt. undertakings, Insurance Companies, Coal Fields, Schools, Colleges, NGOs etc., also represented before Income Tax and other Appellate authorities / tribunals on behalf of clients.

कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का लेखा–परीक्षा भी किया, ग्राहकों की ओर से आयकर तथा अपील प्राधिकारियों/अधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्वी भी किया ।

वे वर्ष 2000 से 2003 तक ओडिशा के राज्य टेजीकॉम सलाहकार समिति के सदस्य रहें तथा वर्ष 2002 में भुवनेश्वर के क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे । वे वर्ष 2003 से 2004 तक ओडिशा ग्रामीण आवास विकास कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे । वे विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक संगठनों में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे ।

7. श्री ए कृष्ण कुमार

उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दि.14.03.2015 से दि.13.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक चुना गया था । उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दि.14.03.2018 से दि.13.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुन: निदेशक चुना गया है । वे दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्थिक में आर्टस स्नातक (ऑनर्स) हैं । उन्होंने अपना करियर 1975 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रारम्भ किया था । भारतीय स्टेट बैंक में 15 वर्ष के दौरान, उन्हो्ने अहमदाबाद में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रभारी उप महा प्रबन्धक तथा इसके पश्चात बैंक के हैदराबाद सर्कल के सर्कल वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य किया । तत्पश्चात महा प्रबन्धक के रूप में वे बैंक के कार्पोरेट केन्द्र में मानव संसाधन विभाग में अध्ययन एवं विकास के प्रभारी रहे । सितम्बर, 2004 में वे बैंक के चंडीगढ सर्कल में महा प्रबन्धक के रूप में तैनात किए गए, अगली पदोन्नति पर उन्हों ने मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में बैंक के मध्य म कार्पोरेट समूह को सम्भाला । अक्तूबर 2007 में वे मुख्य महा प्रबन्धक के रूप में बैंक के पटना सर्कल में तैनात किए गए । उप प्रबन्ध निदेशक के रूप में वे बैंक के कार्पोरेट केन्द्र में जुलाई 2009 से अप्रैल 2011 तक बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख रहे ।

उन्हें अप्रैल 2011 में प्रबन्ध निदेशक व ग्रूप कार्यपालक के रूप में पदोन्नगति मिली और राष्ट्रीय बैंकिंग का कार्यभार सौंपा गया । इस कार्य के दौरान वे लगभग 16000 शाखाओं में फैले संपूर्ण खुदरा जमा, वाणिज्यिक ऋण, कृषि ऋण, आवास ऋण, आटो ऋण और अन्य खुदरा ऋण सहित एसबीआई के संपूर्ण खुदरा व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे । उन्हें अप्रैल 2014 में 36 देशों में एसबीआई के 190 कार्यालयों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों की निगरानी का कार्य सौंपा गया। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तीन अनुषंगी कार्यालयों, एसबीआई जीवन बीमा, एसबीआई सामान्य बीमा और एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बोर्ड में भी रहे । नवम्बर 2014 में अधिवर्षिता तक वे बैंक के लिए नीति बनाने तथा रणनीति तैयार करने के लिए प्रमुख व्यक्ति थे ।

8. श्री जी शिवकुमार

उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दि.14.03.2015 से दि.13.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक चुना गया है । उन्हें केंद्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से दि.14.03.2018 से दि.13.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुन: निदेशक चुना गया है । वे आईआईटी, मद्रास के बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग), इलिनोयस् विश्वकविद्यालय, अरबनाकैम्पे।न, युएसए से पीएचडी (कम्प्यूटर विज्ञान) हैं । वे सितम्बर 1988 से अगस्त 1991 तक दिलावेर विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफसर थे । अगस्त 1991 से वे कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजिनियरिंग के प्रोफसर के रूप में आईआईटी, मुम्बई में कार्यरत हैं ।

उन्हें फोर्मल स्पेसिफिकेशन व वेरिफिकेशन, थियोरम प्रूविंग, नेटवर्क सुरक्षा व प्रबन्धन के शोध में रूचि है । टर्म री–राईटिंग पर आईएफआईपी कार्यकारी ग्रूप (डब्युसरि जी 1.6) के एक स्थापक सदस्य हैं । वे स्थाई समिति, कंप्यूटिंग विज्ञान शोध हेतु भारतीय संघ (आईएआरसीएस) के सदस्य हैं । वे आईआईटी मुम्बथई के गवर्नरों के बोर्ड (2006–2007) में सीनेट नामिती, आईडीआरबीटी (2005 से) के शासकीय कॉउनसिल के सदस्य, आरबीआई, सीसीआईएल, एनएसडीएल, एसईबीआई के आईटी सलाहकार समिति के सदस्य, ओपन सोर्स साफ्टवेयर रिसोर्स सेंटर (ओएसएसआरसी) के संस्थापक सदस्य, ई–गवर्नेन्स में मुक्तई मानकों के लिए इंटरओपरेबिलिटी फ्रेमवर्क समिति के अध्यक्ष थे ।

2.11 वर्ष 2018–2019 के दौरान निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम :

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री जे पक्किरिसामी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	21.09.2018

2.12 वर्ष 2018–2019 के दौरान निदेशक के रूप में अवधि समाप्त व्यक्तियों के नाम :

निदेशक का नाम	धि–समाप्ति तिथि
शून्य	

2.13 वर्ष 2018–2018 के दौरान, निम्नलिखित तिथियों को निदेशक मण्डल की 11 (ग्यारह) बैठकें हुईं:–

23.04.18	10.07.18	03.11.18	26.02.19
22.05.18	10.08.18	05.12.18	16.03.19
18.06.18	19.09.18	11.02.19	

He had been the member of State Telecom Advisory Committee of Odisha from 2000 to 2003 and also the member of the Regional Direct Taxes Advisory Committee of Bhubaneswar in the year 2002. He had been the Chairman of the Orissa Rural Housing Development Corporation during 2003-2004. He is also actively involved in various socio- cultural organizations.

7. Sri A. Krishnakumar

He has been elected as Director from amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2015 for a period of three years till 13.03.2018. He is re-elected as Director amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2018 for a period of three years till 13.03.2021. He is a Bachelor in Arts (Hon) in Economics from Delhi University. He had started his career in 1975 as a Probationary Officer in State Bank of India. During last 15 years in State Bank of India, he worked as Deputy General Manager in charge of Commercial Banking at Ahmedabad and later Circle Financial Officer in the Hyderabad Circle of the Bank. Subsequently as General Manager he was in-charge of Learning and Development in the Human Resources Department at the Bank's Corporate Centre. In September 2004, he was posted as General Manager in the Bank's Chandigarh Circle. On his next promotion, he handled the Mid Corporate Group of the Bank as its Chief General Manager. In October 2007, he was posted as the Chief General Manger of the Bank's Patna Circle. As Deputy Managing Director he headed the Bank's Information Technology Department from July 2009 tol April 2011 in the Bank's Corporate Centre.

He was elevated as Managing Director & Group Executive in April 2011 and given charge of National Banking. In this assignment, he was responsible for the entire Retail Business of SBI covering the entire gamut of Retail Deposits, Commercial Loans, Agricultural Loans, Home Loans, Auto Loans and other Retail Loans spread over nearly 16000 branches. In April 2014, he was assigned the task of overseeing the International Operations of SBI covering 190 offices in 36 countries. He was also on the Boards of SBI Life Insurance, SBI General Insurance and SBI Credit Cards, three subsidiaries of State Bank of India. He was one of the key persons in policy making and formulating the strategies for the Bank till his superannuation in November 2014.

07. Sri G. Sivakumar

He has been elected as Director from amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2015 for a period of three years till 13.03.2018. He is re-elected as Director amongst shareholders other than Central Government w.e.f. 14.03.2018 for a period of three years till 13.03.2021. He is a B.Tech (Electrical Engineering) IIT, Madras, Ph.D. (Computer Science) from University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. He was Assistant Professor, Computer Science Department, University of Delaware from Sept 1988 to August 1991. Since August 1991, he has been working as Professor in Computer Science and Engineering, IIT Bombay.

His research interests are Formal Specification and Verification, Theorem Proving, Network Security and Management. He is one of the Founder Members of the IFIP Working Group (WG 1.6) on Term Rewriting. He is Steering Committee Member, Indian Association for Research in Computing Sciences (IARCS). He was Senate Nominee on IIT Bombay's Board of Governor's (2006-2007). Member of Governing Council of IDRBT (since 2005);Member, IT Advisory Committee of RBI, CCIL, NSDL, SEBI; Founder Member of Open Source Software Resource Centre (OSSRC); Chair, Interoperability Framework Committee for Open Standards in E governance.

2.11 Names of persons who were appointed as Directors during the year 2018-19

Name of the Director	Date of Appointment
Shri J Packirisamy, MD & CEO	21 - 09 - 2018

2.12 Names of persons who ceased to be Directors during the year 2018-19

Name of the Director	Date of Cessation
- NIL -	

2.13 During the year 2018-19, the Board of Directors met on 11 (eleven) occasions on the following dates:

23.04.18	10.07.18	03.11.18	26.02.19
22.05.18	10.08.18	05.12.18	16.03.19
18.06.18	19.09.18	11.02.19	

दि. 01.04.2018 से दि. 31.03.2019 की अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या सहित बोर्ड की बैठकों एवं अन्य समिति बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	दिनांक 09.07.2018 को आयोजित 18 वीं एजीएम में उपस्थिति	शेयरों की संख्या
श्री जे पक्किरिसामी, अध्यक्ष	21.09.2018 से 31.03.2019	05	05	लागू नहीं	शून्य
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक	01.04.2018 से 20.09.2018 अध्यक्ष	06	06	उपस्थित	शून्य
	21.09.2018 से 31.03.2019 सदस्य	05	05		
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	11	11	उपस्थित	शून्य
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार के नामिति निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	11	09	उपस्थित	शून्य
श्री यूजीन ई कर्थक, भारिबैंक नामिती निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	11	09	अनुपस्थित	शून्य
श्री बालगोपाल महापात्र, अंशकालिक अशासकीय निदेशक (सीए श्रेणी के अन्तर्गत)	01.04.2018 से 31.03.2019	11	11	उपस्थित	शून्य
श्री ए कृष्ण कुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	11	11	उपस्थित	शून्य
श्री जी शिवकुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्ये शेयरधारकों में से चुने गए निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	11	11	उपस्थित	शून्य

2.14 बोर्ड ने निम्नलिखित विभिन्न समितियों का गठन किया है, जो बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों की गवर्नेंस और बैंक के मामलों के नियन्त्रण पर विशेष ध्यान देतीं हैं :

- प्रबन्धन समिति
- लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबन्धन समिति
- अनुशासनिक कार्रवाई समिति
- उच्च मूल्य की धोखाधडियों पर निगरानी हेतु विशेष समिति
- शेयरधारक संबंध समिति
- शेयर अन्तरण समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
- ऋण अनुमोदन समिति
- मानव संसाधन प्रबन्धन पर संचालन समिति

The details of attendance of each Director at the Board along with the number of meetings held during the period from 01.04.2018 to 31.03.2019 are as under:

Name and Type of the Director	Period	No. of Board meetings held during the period	Board Meetings attended	Attendance at the Eighteenth AGM held on 09.07.2018	No. of Shares held
Shri J Packirisamy Chairman	21 -09 -2018 to 31 -03 -2019	5	5	Not Applicable	NIL
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	01.04.2018 to 20.09.2018 Chairman	6	6	Attended	Nil
	21 -09 -2018 to 31 -03 -2019 Member	5	5		
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	11	11	Attended	Nil
Ms Anjana Dube Govt. of India Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	11	9	Not Attended	Nil
Sri Eugene E Karthak RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	11	6	Not Attended	Nil
Sri Balgopal Mahapatra Part-time Non -Official Director (under CA Category)	01.04.2018 to 31.03.2019	11	11	Attended	Nil
Sri A. Krishnakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2018 to 31.03.2019	11	11	Attended	200
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2018 to 31.03.2019	11	11	Attended	100

2.14 The Board has constituted various committees as under, which provide specific and focused governance in the important functional areas and control the affairs of the Bank:

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Disciplinary Proceedings Committee
- Special Committee for monitoring large value frauds
- Stakeholders Relationship Committee
- Share Transfer Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Information Technology Strategy Committee
- Credit Approval Committee
- Steering Committee on Human Resources Management

- एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- निर्वाचन विवाद समिति
- ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक
- स्वातंत्र निदेशकों की बैठक
- इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
- गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति
- डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी हेतु समिति

2.15 निदेशकों के विवरण तथा समितियों में उनकी सदस्यता

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ		1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 3. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 4. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 5. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 6. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 7. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 8. ग्राहक सेवा समिति 9. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 10. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 11. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति	1) बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2) बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 3) उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 4) बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 5) बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 6) मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 7) एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 8) ग्राहक सेवा समिति 9) इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 10) ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 11) गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति	21.09.2018 से 31.03.2019
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शुरेन्स कं. लिमिटेड - नामिती निदेशक	1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति	शेयर अन्तरण समिति	01.04.2018 से 31.03.2019

- Committee for Monitoring of Recovery in NPAs
- Customer Service Committee
- Election Dispute Committee
- Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service
- Meeting of Independent Directors
- Review Committee on Wilful Defaulters
- Review Committee on Non Cooperative Borrowers
- Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions

2.15 Particulars of Directors and their membership in Committees

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO		1. Management Committee of the Board 2. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 3. Special Committee for monitoring large value frauds 4. Risk Management Committee of the Board 5. Credit Approval Committee of the Board 6. Steering Committee of Board on Human Resources. 7. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 8. Customer Service Committee 9. Review Committee on Wilful Defaulters 10. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 11. Review Committee on Non-cooperative Borrowers	1. Management Committee of the Board 2. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 3. Special Committee for monitoring large value frauds 4. Risk Management Committee of the Board 5. Credit Approval Committee of the Board 6. Steering Committee of Board on Human Resources. 7. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 8. Customer Service Committee 9. Review Committee on Wilful Defaulters 10. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 11. Review Committee on Non-cooperative Borrowers.	21-09-2018 to 31-03-2019
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	India First Life Insurance Company Limited – Nominee Director	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Special Committee for monitoring large value frauds 5. Risk Management Committee of the Board 6. Credit Approval Committee of the Board	Share Transfer committee	01.04.2018 to 31.03.2019

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
		7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 9. ग्राहक सेवा समिति 10. शेयर अन्तरण समिति 11. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 12. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति 13. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 14. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 15. शेयरधारक संबंध समिति 16. डिजिटल लेनदेन में प्रगति की निगरानी समिति		
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक	कोई नहीं	1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 6. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 9. ग्राहक सेवा समिति 10. शेयर अन्तरण समिति 11. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 12. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 13. शेयरधारक संबंध समिति 14. डिजिटल लेनदेन में प्रगति की निगरानी समिति 15. निर्वाचन विवाद समिति	कोई नहीं	01.04.2018 से 31.03.2019

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
		7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 9. Customer Service Committee 10. Share Transfer committee 11. Review Committee on Wilful Defaulters 12. Review Committee on Non Cooperative Borrowers 13. Information Technology Strategy Committee 14. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 15. Stakeholders' Relationship Committee 16. Committee for monitoring the progress in Digital Transactions		
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	None	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Special Committee for monitoring large value frauds 5. Risk Management Committee of the Board 6. Credit Approval Committee of the Board 7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 9. Customer Service Committee 10. Share Transfer committee 11. Information Technology Strategy Committee 12. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 13. Stakeholders' Relationship Committee 14. Committee for monitoring the progress in Digital	None	01.04.2018 to 31.03.2019

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामिती निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 2. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 3. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 4. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति 5. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 6. बोर्ड की नामांकन समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 9. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 10. डिजिटल लेनदेन की प्रगति पर निगरानी समिति 11. निर्वाचन विवाद समिति 12. डिजिटल लेनदेन में प्रगति की निगरानी समिति	1. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 2. बोर्ड की नामांकन समिति	01.04.2018 से 31.03.2019
श्री यूजीइन ई कर्थक भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 3. बोर्ड की अनुशासनिक कार्रवाई समिति 4. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 5. ग्राहक सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 6. निर्वाचन विवाद समिति	शून्य	01.04.2018 से 31.03.2019
श्री बालगोपाल महापात्र सीए श्रेणी के अन्तर्गत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक	शून्य	1. बोर्ड की प्रबन्धन समिति 2. उच्च मूल्य धोखाधडी पर निगरानी हेतु विशेष समिति	बोर्ड की प्रबन्धन समिति	01.04.2018 से 31.03.2019

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
		Transactions 15. Election Disputes Committee		
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director	None	1. Audit Committee of the Board 2. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 3. Risk Management Committee of the Board 4. Special Committee for Monitoring Large value Frauds 5. Remuneration Committee of the Board 6. Nomination Committee of the Board 7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 9. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service. 10. Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions 11. Election Disputes Committee 12. Information Technology Strategy Committee	1. Remuneration Committee of the Board 2. Nomination Committee of the Board	01.04.2018 to 31.03.2019
Sri Eugene E Karthak RBI Nominee Director	None	1. Management Committee of the Board 2. Audit Committee of the Board 3. Disciplinary Proceedings Committee of the Board 4. Remuneration Committee of the Board 5. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service 6. Election Disputes Committee	None	01.04.2018 to 31.03.2019
Sri Balgopal Mahapatra Part Time Non-	None	1. Audit Committee of the Board 2. Special Committee for monitoring large value frauds	Audit Committee of the Board	01.04.2018 to 31.03.2019

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
		3. बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति 4. एनपीए में वसूली की निगरानी हेतु समिति 5. ग्राहक-सेवा की समीक्षा हेतु बोर्ड की विशेष बैठक 6. बोर्ड की नामांकन समिति 7. इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति 8. गैर सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति 9. शेयरधारक संबंध संमिति 10. ग्राहक सेवा समिति 11. शेयर अन्तरण समिति		
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित निदेशक	1. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड - गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक अध्यक्ष - लेखा परीक्षा समिति सदस्य - शेयरधारक सम्बन्ध समिति 2. केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड (लेखा परीक्षा समिति - सदस्य; 3. शेयरधारकों सम्बन्ध समिति - अध्यक्ष)	1. प्रबन्धन समिति 2. उच्च मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति 3. ग्राहक सेवा की समीक्षा के लिए बोर्ड की विशेष बैठक 4. शेयर ट्रांसफर समिति 5. पारिश्रमिक समिति 6. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति 7. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति 8. एनपीए वसूली की निगरानी के लिए समिति 9. इरादतन चूक-कर्ता पर समीक्षा समिति 10. डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए समिति 11. बोर्ड की नामांकन समिति	कोई नहीं	01.04.2018 से 31.03.2019
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक	निदेशक 1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम; (प्रबन्धन समिति - सदस्य; नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सह-अध्यक्ष; तकनीकी और परियोजना प्रबन्धन समिति - अध्यक्ष; स्वतन्त्र निदेशकों की समिति - सह-अध्यक्ष)	1. प्रबन्धन समिति 2. शेयरधारक सम्बन्ध समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. ग्राहक सेवा की समीक्षा के लिए बोर्ड की विशेष बैठक	1. शेयरधारक सम्बन्ध समिति 2. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति 3. डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए समिति दिनांक 28.08.2017 से प्रभावी	01.04.2018 से 31.03.2019

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
Official Director under CA Category		3. Risk Management Committee of the Board 4. Committee for Monitoring of Recovery in NPAs 5. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service. 6. Nomination Commitee of the Board 7. Review Committee on Wilful Defaulters 8. Review Committee on Non Cooperative Borrowers 9. Stakeholders Relationship Committee. 10. Customer Service Committee. 11. Share Transfer Committee		
Sri A Krishna Kumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. Rural Electrification Corporation Ltd – Non official Part time Director Chairman – Audit Committee Member - Stakeholders Relationship Committee 2. Central Depository Services (India) Ltd. (Audit Committee – Member; 3. Stakeholders Relationship Committee – Chairman)	1. Management Committee 2. Special Committee for monitoring large value of frauds . 3. Special meeting of Board for review of Customer Service. 4. Share Transfer Committee 5. Remuneration Committee 6. IT Strategy Committee 7. Steering Committee of Board on Human Resources. 8. Committee for monitoring of recovery in NPAs 9. Review Committee on Wilful Defaulters 10. Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions 11. Nomination Commitee of the Board	None	01.04.2018 to 31.03.2019 01.03.2018 to 31.03.2019
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Director in 1. National Payments Corporation of India (Management Committee – Member;	1. Management Committee 2. Stakeholders Relationship Committee. 3. Customer Service Committee. 4. Special Meeting of Board for Reviewing Customer Service	1. Stakeholders Relationship Committee 2. Information Technology Strategy Committee 3. Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions w.e.f. 28.08.2017	01.04.2018 to 31.03.2019

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक-पद/समितियों की सदस्यता	बैंक में समितियों की सदस्यता	समितियों के अध्यक्ष	निदेशक-पद अवधि से तक
	2. राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड (सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति – अध्यक्ष; नैतिकता समिति – सदस्य) 3. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (तकनीकी अनुमोदन समिति – अध्यक्ष)	6. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति 7. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति 8. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति। 9. असहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति 10. डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए समिति 11. बोर्ड की नामांकन समिति	अध्यक्ष	

निदेशकों का विवरण और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में उनका निर्देशन

निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशन	निदेशन की श्रेणी
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामिती निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री यूजीइन ई कर्थक भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री बालगोपाल महापात्र सीए श्रेणी के अन्तर्गत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित निदेशक	1. केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड; 2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	जनहित निदेशक गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं

2.16 हमारे बैंक के स्वतंत्र निदेशकों आदि सहित निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/भारत सरकार के प्रावधानों के अंतर्गत शासित है ।

2.17 किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्याग-पत्र नहीं दिया है और इसलिए, पैरा सी का खंड 2, अनुसूची त लागू नहीं है ।

Name and Type of Directors	Directorship/ Membership of Committees in other Companies	Membership of the Committees in the Bank	Chairman /Chairperson of the Committees	Period of Directorship from – to
	Nomination & Remuneration Committee – Co-chair; Technology and Project Management Committee – Chairman; Committee of Independent Directors – Co-chair) 2. National Securities Depository Limited. (IT Strategy Committee – Chairman; Ethics Committee – Member) 3. The Clearing Corporation of India Limited. (Technical Approval Committee – Chairman)	6. Remuneration Committee of the Board 7. Information Technology Strategy Committee 8. Steering Committee of Board on Human Resources. 9. Review Committee on Non Cooperative Borrowers. 10. Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions. 11. Nomination Committee of the Board	Chairman /Chairperson of the Committees	

• **Particulars of Directors and their directorship in other Listed Entities**

Name of the Director	**Directorship in other Listed Entities**	**Category of Directorship**
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO	None	None
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	None	None
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	None	None
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director	None	None
Sri Eugene E Karthak RBI Nominee Director	None	None
Sri Balgopal Mahapatra Part Time Non-Official Director under CA Category	None	None
Sri A Krishna kumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	1. Central Depository Services (India) Limited; 2. Rural Electrification Corporation Limited	Public Interest Director Non-official Part-time Director
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	None	None

2.16 Constitution of Board of Directors including Independent Directors etc of our Bank is governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and RBI Directives/Government of India Guidelines.

2.17 No Independent Director has resigned before the expiry of his / her tenure and therefore, clause 2(j) of Para C, Schedule V is not applicable.

2.18 हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं ।

2.19 निर्देशकों के बीच कोई अंतर–संबंध नहीं हैं ।

3. निदेशक मण्डल की समिति

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों/निर्देशों के सन्दर्भ में निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन शीघ्र निर्णय लेने तथा उचित निगरानी तथा उनके सन्दर्भ में आने वाली विभिन्न गतिविधियों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए किया गया है ।

बोर्ड की समितियां निम्नानुसार हैं: –

3.1 बोर्ड की प्रबन्धन समिति

वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, बोर्ड की प्रबन्धन समिति का गठन विभिन्न प्रस्तावों यथा ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देना, ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्ताव के लिए, पूंजी के अनुमोदन तथा राजस्व व्यय मंजूरी, अधिग्रहण और परिसर किराए पर लेने, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करने के लिए निदेशक मण्डल द्वारा गठन किया गया है ।

वर्तमान में, समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दो कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक और दो स्वतन्त्र निदेशक शामिल हैं ।

वर्ष के दौरान समिति की सभी 17 बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

18.04.18	27.08.18	19.11.18	22.03.19
21.05.18	04.09.18	19.12.18	27.03.19
18.06.18	27.09.18	11.01.19	--
09.07.18	15.10.18	11.02.19	--
09.08.18	03.11.18	05.03.19	--

उक्त अवधि के दौरान आयोजित बैठकों में प्रबन्धन समिति (एमसी) बैठक की सदस्यों की उपस्थिति के साथ बैठकों की संख्या निम्नानुसार दी गई है:

निदेशक का नाम	अवधि	अवधि के दौरान आयोजित प्रबन्धन समिति बैठकों की संख्या	प्रतिभागिता की गई प्रबन्धन समिति की बैठकों की संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ अध्यक्ष	21.09.2018 से 31.03.2019	10	10
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक	01.04.2018 से 20.09.2018 अध्यक्ष	7	7
	21.09.2018 से 31.03.2019 सदस्य	10	10
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक	09.10.2018 से 31.03.2019	17	17
श्री यूजीन ई कर्थक भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	17	14
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित निदेशक	14.03.2018 से 13.09.2018	13	11
	01.12.2018 से 31.05.2019		
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक	01.06.2018 से 30.11.2018	12	11
	12.02.2019 से 11.08.2019 (विशेष आमंत्रित व्यक्ति 21.05.2018)		

3.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन में, बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन पाँच निदेशकों के साथ पुन: किया गया यथा दो कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक और सीए श्रेणी के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक । बोर्ड में सीए श्रेणी के निदेशक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति दिशा–निर्देश प्रदान करती है और बैंक के कुल लेखा–परीक्षा कार्यों के संचालन की निगरानी भी करती है जिसमें आन्तरिक लेखा–परीक्षा और निरीक्षण प्रणाली का संगठन, परिचालन और गुणवत्ता नियन्त्रण की आन्तरिक लेखा–परीक्षा तथा निरीक्षण तन्त्र तथा बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा–परीक्षा के लिए अनुवर्ती कार्यवाही तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण सम्मिलित है ।

2.18 We confirm that, in the opinion of the Board of Directors of the Bank, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.

2.19 There are no inter-se relationships between Directors.

3. COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Various committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India guidelines / directives in order to expedite the decision making and proper monitoring and follow up of the various activities falling within their terms of reference.

The Committees of the Board are as under :-

3.1 Management Committee of the Board

Pursuant to the directive of the Government of India, Ministry of Finance, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals, loan compromise / write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations etc.

Presently, the committee consists of Managing Director & CEO, two Executive Directors, Nominee Director of Reserve Bank of India and two Independent Directors.

In all 17 Meetings of the Committee were held during the year, on the following dates:

18.04.18	27.08.18	19.11.18	22.03.19
21.05.18	04.09.18	19.12.18	27.03.19
18.06.18	27.09.18	11.01.19	--
09.07.18	15.10.18	11.02.19	--
09.08.18	03.11.18	05.03.19	--

The attendance of the Members at the Management Committee (MC) meetings along with the number of meetings held during the period is given below :

Name and Type of the Director	Period	No. of M.C. meetings held during the period	No. of M.C. Meetings atten ded
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO Chairman	21.09.2018 to 31.03.2019	10	10
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	01.04.2018 to 20.09.2018 Chairman	7	7
	21-09-2018 to 31-03-2019 Member	10	10
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	09.10.2018 to 31.03.2019	17	17
Sri Eugene E Karthak RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	17	14
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	14.03.2018 TO 13.09.2018 01.12.2018 to 31.05.2019	13	11
Sri A Krishna kumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.06.2018 to 30.11.2018 12.02.2019 to 11.08.2019 (Special Invitee 21-05-2018)	12	11

3.2 Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, the Audit Committee of the Board was constituted / re-constituted with Five Directors viz. Two Executive Directors, Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India and Director appointed by Central Government under CA Category. The Director under CA Category on Board chairs the meetings of Audit Committee.

The Audit Committee of the Board provides directions and also oversees the operations of the total Audit Functions of the Bank which include organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the Statutory /

समिति आन्तरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है, जो लोंग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में इंगित सभी विषयों की अनुवर्ती कार्यवाही तथा एलएफएआर के सम्बन्ध में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करती है । समिति रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में अनुपालन के मामले में लेखांकन मानकों के अनुपालन की भी समीक्षा करती है ।

समिति विशेषीकृत तथा अतिरिक्त बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करती है । यह अन्तर-शाखा समायोजन खातों की समीक्षा के अलावा अंतर बैंक खातों में असंगत लंबी बकाया प्रविष्टियां, हाउसकीपिंग की स्थिति की समीक्षा भी करती है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर 6 बार बैठक की:

22.05.2018	10.08.2018	19.01.2019
09.07.2018	03.11.2018	11.02.2019

दि. 15.10.2018 को निर्धारित एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक निम्नलिखित कारणों से नहीं बुलाई जा सकी: –
सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 2015 के संदर्भ में, लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक और श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाना चाहिए और समिति के अध्यक्ष व्यक्तिगत अनिवार्यता के कारण बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके ।

लेखा-परीक्षा समिति की उक्त अवधि के दौरान आयोजित बैठकों में बैठकों की संख्या के साथ-साथ सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान आयोजित लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री बालगोपाल महापात्र (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	सीए श्रेणी के तहत अध्यक्ष/ अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	6	6
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	सदस्य	6	6
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	सदस्य	6	6
सुश्री अंजना दुबे भारत सरकार नामित निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	सदस्य/गैर-कार्यपालक	6	3
श्री यूजीन ई कर्थक आरबीआई नामित निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	सदस्य/गैर कार्यपालक	6	5

3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)

बोर्ड की जोखिम प्रबन्धन समिति का गठन बैंक ने 28.06.2001 को किया है बैंक के सर्वोत्तम हित में इसका प्राथमिक उद्देश्य एक समूह को बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करने और जोखिम के स्तर का निर्धारण करने की पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है ।

वर्तमान में, समिति के गठन में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, भारत सरकार के नामित निदेशक और दो अन्य निदेशक के साथ किया गया है।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबन्धन समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर पाँच बैठकें की :

21-05-2018	09-07-2018	15-10-2018	19-01-2019	15-03-2019

External Audit of the Bank and Annual Financial Inspection by Reserve Bank of India.

The Committee reviews internal inspection / audit functions, follows up on all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with the external auditors in respect of LFAR. The committee also reviews the compliance of the Accounting Standards in terms of reporting process, disclosure of financial information and compliance in terms of other statutory requirements.

The Committee reviews inspection reports of the specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also reviews inter branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in inter bank accounts besides reviewing the position of housekeeping.

The Committee met six times during the year under review, on the following dates:

22.05.2018	10.08.2018	19.01.2019
09.07.2018	03.11.2018	11.02.2019

One Audit Committee meeting scheduled on 15.10.2018 could not be convened due to the following reason:-

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, the Audit Committee shall be chaired by an Independent Director and Sri Balgopal Mahapatra, Independent Director under CA Category and Chairman of the Committee could not attend the meeting because of personal exigencies.

The attendance of members at the Audit Committee meetings along with the number of meetings held during the period is given below:

Name of the Director	Type of Director	Number of Audit Committee meetings held during the period of their tenure	Number of meetings attended
Sri Balgopal Mahapatra (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	**Chairman** / Part Time Non - Official Director under CA Category	6	6
Sir Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	6	6
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	6	6
Ms. Anjana Dube Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member / Non - Executive	6	3
Sri Eugene E Karthak RBI Nominee Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member / Non Executive	6	5

3.3 Risk Management Committee of the Board (RMC)

The Bank has constituted a Risk Management Committee of the Board on 28.06.2001 with an objective to empower one group with full responsibility of evaluating overall risks faced by the Bank and determining the level of risks, which will be in the best interest of the Bank.

Presently, the Committee is constituted with Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. of India Nominee Director and two other Directors.

The Risk Management Committee met five times during the year on the following dates:

21-05-2018	09-07-2018	15-10-2018	19-01-2019	15-03-2019

The attendance of the members at the Risk Management Committee meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure is given below:

जोखिम प्रबन्धन समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान आयोजित जोखिम प्रबन्धन समिति की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ	दि. 21.09.2018 से 31.03.2019	03	03
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक	01.04.2018 से 20.09.2018 तक अध्यक्ष	02	02
	21.09.2018 से 31.03.2019 तक सदस्य	03	03
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक	सदस्य 01.04.2018 से 31.03.2019 तक	05	05
सुश्री अंजना दुबे भारत सरकार नामित निदेशक	सदस्य 01.04.2018 से 31.03.2019 तक	05	03
श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक	सदस्य 01.04.2018 से 31.03.2019 तक	05	04
श्री जी शिवकुमार (विशेष आमंत्रित व्यक्ति) केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक	सदस्य 09.07.2018	01	01

3.4 बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति :

बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति भारत सरकार के विनिर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों के निपटान और बैंक में विभागीय पूछताछ के निपटारे की स्थिति की विशेष रूप से समीक्षा करने के लिए गठित की गई है ।

समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दो कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार नामित निदेशक तथा आरबीआई नामित निदेशक सम्मिलित होते हैं: –

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर चार बैठकें की:

22-05-2018	09-08-2018	05-12-2018	15-03-2019

अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ दि. 21.09.2018 से 31.03.2019	अध्यक्ष	02	02
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	01.04.2018 से 20.09.2018 अध्यक्ष	02	02
	21.09.2018 से 31.03.2019 सदस्य	02	02
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	सदस्य	04	04
सुश्री अंजना दूबे, भारत सरकार नामित निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	सदस्य	04	03
श्री यूजिन ई कर्थक, भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	सदस्य	04	02

Name of the Director	Type of Director	Number of Risk Management Committee meetings held during the period of their tenure	Number of meetings attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO	21.09.2018 to 31.03.2019	03	03
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director	01.04.2018 to 20.09.2018 Chairman	2	2
	21 - 09 - 2018 to 31 - 03 - 2019 Member	3	3
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director	Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	05	05
Ms. Anjana Dube Govt. of India Nominee Director	Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	05	03
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category	Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	05	04
Sri G. Siva Kumar (Special Invitee) Director elected from amongst shareholders other than Central Government	Member 09 - 07 - 2018	01	01

3.4 Disciplinary Proceedings Committee of the Board :

Disciplinary Proceedings Committee of the Board is constituted in terms of Govt. of India directions to specifically look into and review the position of disposal of vigilance disciplinary cases and Departmental Enquiries in the Bank.

The Committee consists of MD & CEO, two Executive directors, GOI Nominee Director and RBI Nomine Director.

The Committee met four times during the year on the following dates:

22-05-2018 09-08-2018 05-12-2018 15-03-2019

The attendance of the members at the Disciplinary Proceedings Committee meetings along with the number of meetings held during the year is given below:

Name of the Director	Type of Director	Number of meetings held during the period	Number of meetings attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO 21.09.2018 to 31.03.2019	Chairman	0 2	0 2
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	01.04.2018 to 20.09.2018 Chairman	2	2
	21 - 09 - 2018 to 31 - 03 - 2019 Member	2	2
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	4	4
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	4	3
Sri Eugene E Karthak , RBI Nominee Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	4	2

3.5 उच्च मूल्य धोखाधड़ी निगरानी के लिए विशेष समिति:

उच्च मूल्य धोखाधड़ी निगरानी के लिए विशेष समिति, निदेशक मण्डल स्तरीय समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, विशेष रूप से रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए किया गया है ।

समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दो कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार नामित निदेशक, सीए श्रेणी के अंतर्गत तथा केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निर्वाचित निदेशक सम्मिलित होते हैं: –

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर नौ बैठकें की:

22.05.2018	10.08.2018	05.12.2018
18.06.2018	18.09.2018	19.01.2019
10.07.2018	03.11.2018	16.03.2019

उच्च मूल्य धोखाधड़ी निगरानी के लिए विशेष समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का प्रकार	इस अवधि के दौरान आयोजित बड़े मूल्य धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ दि. 21.09.2018 से 31.03.2019	अध्यक्ष	04	04
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक	दि. 01.04.2018 से 20.09.2018 अध्यक्ष	05	05
	21.09.2018 से 31.03.2019 सदस्य	04	04
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	सदस्य	09	09
सुश्री अंजना दूबे , भारत सरकार नामित निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	सदस्य	09	05
श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	सदस्य	09	09
श्री ए कृष्णा कुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	सदस्य	09	08
श्री जी शिवकुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019)	विशेष आमंत्रित	02	02

3.5 Special Committee for Monitoring Large Value Frauds :

Special Committee for Monitoring Large Value Frauds, a Board level Committee is constituted as per the directions of Reserve Bank of India to specifically look into monitoring and following up the cases of frauds involving an amount of Rs.1.00 crore & above.

The Committee consists of MD& CEO, two Executive Directors, GOI Nominee Director, Director under CA Category and one Director elected from amongst shareholders other than Central Government

The Committee met nine times during the year on the following dates:

22.05.2018	10.08.2018	05.12.2018
18.06.2018	18.09.2018	19.01.2019
10.07.2018	03.11.2018	16.03.2019

The attendance of the members at the Meetings of Special Committee for Monitoring Large Value Frauds along with the number of meetings held during the year is given below:

Name of the Director	Type of Director	Number meetings held during the period	Number of meetings attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO 21.09.2018 to 31.03.2019	Chairman	04	04
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director	01.04.2018 to 20.09.2018 Chairman	5	5
	21 - 09 - 2018 to 31 - 03 - 2019 Member	4	4
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	9	9
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	9	5
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	9	9
Sri A. Krishna kumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Member	9	8
Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	Special Invitee	2	2

3.6 शेयरधारकों से सम्बन्ध समिति

3.6.1 बैंक ने शेयरधारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण को विशेष रूप से देखने के लिए -शेयरधारकों की सम्बन्ध समिति -बोर्ड की एक समिति का गठन किया है ।

वर्तमान में समिति में 4 निदेशकों शामिल हैं यथा:

1. श्री जी शिवकुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से चुने गए निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
2. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
3. कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (09.10.2018 से 31.03.2019 तक)
4. श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

शेयरधारकों की सम्बन्ध समिति ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथि को तीन बार बैठकें की:

22-05-2018	18-09-2018	11-01-2019

नाम एवं निदेशक का प्रकार	शेयरधारकों की सम्बन्ध समिति की बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति की संख्या
श्री जी शिवकुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निर्वाचित समिति के अध्यक्ष/निदेशक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक	03	03
श्री अजित कुमार रथ, सदस्य/कार्यपालक निदेशक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक	03	03
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	03	03
श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	03	03

वर्ष के दौरान शेयरधारकों द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा शिकायतों के निराकरण का विवरण :

दि. अप्रैल 01, 2018 को शेयरधारकों की लम्बित शिकायत	शून्य
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायत	2611
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निपटाए गए शेयरधारकों की शिकायत	2611
मार्च 31, 2019 को लम्बित शेयरधारकों की शिकायत	शून्य

3.7 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

दो कार्यपालक निदेशक, सीए श्रेणी के अंतर्गत एक निदेशक तथा केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक को सम्मिलित करते हुए समय-समय पर शेयर अंतरण समिति गठित की जाती रही है:

वर्तमान में समिति में 4 निदेशक सम्मिलित हैं :

1. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक एवं समिति अध्यक्ष, (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
2. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
3. श्री बलगोपाल महापात्र, निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
4. श्री ए कृष्ण कुमार, निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

शेयर ट्रांसफर समिति ने निम्नलिखित तिथि को वर्ष के दौरान की तीन बैठकें की :

22-05-2018	18-09-2018	11-01-2019

3.6 Stakeholders' Relationship Committee

3.6.1 The Bank has constituted a Committee of the Board - "Stakeholders' Relationship Committee" – to specifically look into the redressal of grievances of Shareholders and other security holders.

Presently the Committee consists of 4 Directors i.e.

1. Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
2. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
3. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 09.10.2018 to 31.03.2019)
4. Sri Balgopal Mahapatra, Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)

The Stakeholders' Relationship Committee met three times during the current year on the following dates:

22 - 05 - 2018	18 - 09 - 2018	11 - 01 - 2019

Name and Type of Director	No. of Meetings of Stakeholder's Relationship Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri G. Sivakumar Chairman of the Committee / Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3
Sri Ajit Kumar Rath Member / Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3

- **Statement of Shareholders complaints' received and redressed during the year**

Outstanding Shareholders Complaint as on April 01, 2018	NIL
Shareholders' Complaint received during the FY 2018-19	2611
Shareholders' Complaint redressed during the FY 2018-19	2611
Shareholders' Complaint pending on March 31, 2019	NIL

3.7 Share Transfer Committee of the Board

Share Transfer committee is being re-constituted from time to time with two Executive Directors, one Director under CA Category and one Director elected from amongst shareholders other than Central Government.

Presently the Committee consists of 4 Directors i.e.

1. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director & Chairman of the Committee (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
2. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
3. Sri Balgopal Mahapatra, Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
4. Sri A Krishnakumar, Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)

The Share Transfer Committee met three times during the current year on the following dates:

22-05-2018	18-09-2018	11-01-2019

The attendance of the members at the Meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below :

वर्ष के दौरान समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न अनुसार हैं:

निदेशक का प्रकार	शेयर ट्रांसफर समिति की बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	प्रतिभागिता संख्या
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष/कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019)	03	03
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019)	03	03
श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019)	03	03
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक/सदस्य (01.04.2018 से 31.03.2019)	03	03

3.8 बोर्ड की पारिश्रमिक समिति :

बैंक के वित्त मन्त्रालय (एमओएफ) के पत्र संख्या एफ20/1/2005–बीओआई दिनांकित 09.03.2007 के निर्देशानुसार दि. 24.03.2007 को बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की । एमओएफ पत्र के सन्दर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक निष्पादन सम्बद्ध लाभांश के पात्र होंगे जो कि निर्धारित विस्तृत संख्यात्मक श्रेणी के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स आधारित लक्ष्य अर्जन विवरण और गुणात्मक मानकों के अन्तर्गत तथा गत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्ट पर आधारित अंक आधारित कार्य–निष्पादन का विषय होंगे । संख्यात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन का आधार सम्बन्धित वर्ष का 31 मार्च का बैंक का लेखा परीक्षित वित्तीय डेटा होगा । वित्त मन्त्रालय पत्र सं. फाइल सं 12/1/2014 –बीओए दिनांकित 18.08.2015 के अनुसार, पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन सचिव (वित्तीय सेवाएं) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी ।

पारिश्रमिक समिति पूर्णकालिक निदेशकों यथा प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक के निष्पादन सम्बद्ध लाभांश का निर्णय करनेके लिए बैंक/पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करेगी ।

वर्तमान में, समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :

1. सुश्री अंजना दूबे, भारत सरकार की निदेशक (समिति के अध्यक्ष) (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
2. श्री यूजीन ई कर्थक, आरबीआई नामित निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
3. श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
4. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड की पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई ।

3.9 बोर्ड की नामांकन समिति

बोर्ड की नामांकन समिति दि. 30.11.2007 को गठित की गई और दिशा–निर्देशों के अनुसार समय–समय पर पुनर्गठित की गई तथा वर्तमान में निम्नलिखित निदेशक हैं:

1. सुश्री अंजना दूबे, भारत सरकार के नामित निदेशक (समिति अध्यक्ष) (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
2. श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के तहत निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
3. श्री ए कृष्ण कुमार, निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)
4. श्री जी शिवकुमार, निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई ।

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति आरबीआई द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्र संख्या आरबीआई/2010–11/494डीबीएस.सीओ.आइटीसी.बीसी. नं.6/31.02.2008/2010–11 में वर्णित दिशा–निर्देशों के सन्दर्भ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 09 व्यापक क्षेत्रों यथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, सूचना सुरक्षा, आईएस लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा आउटसोर्सिंग, साइबर धोखाधड़ी, व्यापार निरन्तरता योजना, ग्राहक जागरूकता में जारी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम और कानूनी पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए गठित की गई है ।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथि को समिति ने पाँच बार बैठकें की :

09-05-2018	21-05-2018	09-07-2018	15-10-2018	15-03-2019

Name and Type of Director	No. of Meetings of Share Transfer Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Chairman of the Committee / Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3
Sri A. Krishna Kumar Member / Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3

3.8 Remuneration Committee of the Board:

The Bank has in terms of Ministry of Finance (MOF) letter no. F20/1/2005-BOI, dated 09.03.2007, constituted a Remuneration Committee of the Board on 24.03.2007. In terms of MOF letter, the Whole Time Directors of Public Sector Banks would be entitled to performance linked incentives subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on the "Statement of Intent of Goals" and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last financial year. The basis of evaluation of the quantitative and qualitative parameters would be the Bank's audited financial data as on March 31st of the relevant year. In terms of MOF letter no. F.No. 12/1/2014-BOA dated 18.08.2015, the performance of the Wholetime Directors will be evaluated by a Committee chaired by Secretary (Financial Services).

The Remuneration Committee shall evaluate the performance of the Bank / full time Directors for deciding the performance linked incentives to be paid to the whole time Directors i.e., Managing Director & CEO and Executive Directors of the Bank.

Presently, the Committee consists of following members:

1. Ms. Anjana Dube, GOI Nominee Director (Chairman of the Committee) (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
2. Sri Eugene E Karthak, RBI Nominee Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
3. Sri A. Krishnakumar, Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
4. Sri G. Sivakumar, Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)

No meeting was held during the financial year 2018-19.

3.9 Nomination Committee of the Board

Nomination Committee of the Board constituted on 30.11.2007 and reconstituted from time to time as per the guidelines and the following are present Directors:

1. Ms. Anjana Dube, GOI Nominee Director (Chairman of the Committee) (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
2. Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
3. Sri A. Krishnakumar, Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
4. Sri G. Sivakumar, Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)

No meeting was held during the financial year 2018-19.

3.10 Information Technology Strategy Committee

The IT Strategy Committee has been constituted in terms of guidelines issued by RBI letter no. RBI/2010 11/494DBS.CO.ITC.BC.NO. 6/31.02.2008/2010-11 for implementation of recommendations issued by Reserve Bank of India in nine broad areas such as IT governance, Information Security, IS Audit, IT Operations, IT Services Outsourcing, Cyber Fraud, Business Continuity Planning, Customer Awareness programmes and Legal aspects.

The committee met five times during the year on the following dates:

09-05-2018	21-05-2018	09-07-2018	15-10-2018	15-03-2019

The attendance of the members at the meetings of Information Technology Strategy Committee along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below:

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति उनके कार्यकाल की अवधि में प्रतिभागिता की गई बैठकों की संख्या निम्न अनुसार दी गई हैं :

निदेशक का प्रकार	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठक की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	प्रतिभागिता संख्या
श्री जी शिवकुमार, केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक समिति के अध्यक्ष (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	05	04
सुश्री अंजना दूबे, भारत सरकार की निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	03	02
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	05	05
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	05	04
श्री ए कृष्णा कुमार, निदेशक केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	04 (सदस्य)	04
	1 (अध्यक्ष)	01

3.11 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति :

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति दि. 02.02.2012 को भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.12.2011 के सन्दर्भ में गठित की गई । समिति ऋण प्रस्तावों के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करती है:-

तीन लाख करोड़ रुपये या इससे अधिक के व्यापार की 'क' श्रेणी के बैंकों के मामले में चार सौ करोड़ रुपए तक या

अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में दो सौ पचास करोड़ रुपये तक ।

रु. 60 करोड़ से अधिक तथा रु. 400 करोड़ तक (समूह: रु. 800 करोड़) के ऋण प्रस्तावों पर बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाता है ।

समिति ने वर्ष 2018-19 के दौरान निम्न तिथियों को 27 बार बैठकें आयोजित की:

12-04-2018	07-07-2018	06-10-2018	18-12-2018	01-03-2019
19-04-2018	31-07-2018	25-10-2018	20-12-2018	12-03-2019
25-04-2018	08-08-2018	08-11-2018	10-01-2019	28-03-2019
05-05-2018	18-08-2018	17-11-2018	30-01-2019	
30-05-2018	05-09-2018	01-12-2018	02-02-2019	
21-06-2018	11-09-2018	13-12-2018	22-02-2019	

ऋण अनुमोदन समिति की बोर्ड बैठकों की वर्ष के दौरान उनकी कार्यवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न अनुसार दिया गया है:

निदेशक का प्रकार	ऋण अनुमोदन समिति की बैठक की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	प्रतिभागिता संख्या
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ दि. 21.09.2018 से 31.03.2019 समिति अध्यक्ष	12	12
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष (01.04.2018 से 20.09.2018 तक) सदस्य (21.09.2018 से 31.03.2019 तक)	15 (अध्यक्ष)	15
	12 (सदस्य)	12
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	27	27

Name and Type of Director	No. of Meetings of Information Technology Strategy Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government Chairman Of the Committee (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	5	4
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director	3	2
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	5	5
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	5	4
Sri A. Krishna kumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	4(Member)	4
	1(Chairman)	1

3.11 Credit Approval Committee of the Board :

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 02.02.2012 in terms of Gazzette notification dated 05.12.2011 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The Committee shall exercise powers of the Board with regard to credit proposals:-

- Upto four hundred crore rupees in case of the category A Banks having business of three lakh crore rupees or more or
- Upto two hundred fifty crore rupees in case of the other Nationalised Banks.
- The credit proposals above Rs.60 crore and upto Rs. 400 crore (Group: Rs. 800 crore) are considered for sanction by the Credit Approval Committee of the Board.

The Committee met 27 times during the year 2018-19 on the following dates:

12 -04 -2018	07 -07 -2018	06 - 10 -2018	18 - 12 -2018	01 -03 -2019
19 -04 -2018	31 -07 -2018	25 - 10 -2018	20 - 12 -2018	12 -03 -2019
25 -04 -2018	08 -08 -2018	08 - 11 -2018	10 -01 -2019	28 -03 -2019
05 -05 -2018	18 -08 -2018	17 - 11 -2018	30 -01 -2019	
30 -05 -2018	05 -09 -2018	01 - 12 -2018	02 -02 -2019	
21 -06 -2018	11 -09 -2018	13 - 12 -2018	22 -02 -2019	

The attendance of the Directors at the Credit Approval Committee of the Board meetings along with the number of meetings held during the year is given below:

Name and Type of Director	No. of Meetings of Credit Approval Committee	
	Held during the tenure	Attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO 21.09.2018 to 31.03.2019 Chairman of the Committee.	12	12
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Chairman (From 01.04.2018 to 20.09.2018) Member (From 21.09.2018 to 31.03.2019)	15 (Chairman)	15
	12 (Member)	12
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	27	27

3.12 मानव संसाधन प्रबन्धन पर बोर्ड की संचालन समिति :

बोर्ड ने दि.05.06.2012 को भारत सरकार के सन्दर्भ में दीर्घकालिक जनशक्ति नियोजन अभ्यास, नई दक्षताओं के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास की समीक्षा के लिए खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए भारत सरकार के निर्देश उपर्युक्त समिति गठित की ।

समिति ने वर्ष 2018–19 में दो बार दि. 09.08.2018 और दि. 15.03.2019 को बैठक की ।

वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल की अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या के साथ मानव संसाधन प्रबन्धन पर बोर्ड की संचालन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नांनुसार है:

निदेशक का प्रकार	मानव संसाधन प्रबन्धन पर बोर्ड की संचालन समिति की बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	में भाग लिया
श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ दि. 21.09.2018 से 31.03.2019, समिति अध्यक्ष	1	1
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष (दि.01.04.2018 से दि.20.09.2018 तक) सदस्य (21.09.2018 से 31.03.2019 तक)	1 (अध्यक्ष)	1
	1 (सदस्य)	1
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	2	2
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	2	1
श्री ए कृष्णकुमार, निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	2	2
श्री जी शिवकुमार, निदेशक (13.01.2018 से 31.03.2018 तक)	2	1

3.13 एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए समिति:

वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के सन्दर्भ में दि. 28.11.2012 को नियमित आधार पर एनपीए में वसूली की प्रगति पर निगरानी के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय समिति गठित की।

समिति ने वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर छः बार बैठक की: –

21-05-2018	10-07-2018	05-12-2018
18-06-2018	18-09-2018	11-02-2019

वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल की अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या के साथ एनपीए बैठकों में वसूली की निगरानी समिति में सदस्यों की उपस्थिति निम्नाानुसार है:

निदेशक का प्रकार	एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए समिति की बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	में भाग लिया
श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ दि. 21.09.2018 से 31.03.2019, समिति अध्यक्ष	2	2
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक सदस्य (दि.01.04.2017 से दि.27.11.2017 तक) अध्यक्ष (दि.09.02.2018 से दि.12.03.2018 तक)	4 (अध्यक्ष)	4
	2 (सदस्य)	2
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	6	6
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	6	3
श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अन्तर्गत निदेशक (दि.19.01.2018 से दि.31.03.2018 तक)	6	6
श्री ए. कृष्णकुमार, निदेशक सदस्य (दि.01.04.2017 से दि.31.03.2018 तक)	6	5

3.12 Steering Committee of the Board on Human Resources Management:

Board constituted the above committee on 05.06.2012 in terms of Govt. of India directions for implementation of Khandelwal Committee recommendations for review of long term Manpower planning exercise, training arrangements for new competencies and Succession Planning and Leadership development.

The Committee met two times on 09-08-2018 and 15.03.2019 during the year 2018-19.

The attendance of the members at the meetings of the Steering Committee of the Board on Human Resources Management along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below :

Name and Type of Director	No. of Meetings of Steering Committee of the Board on Human Resources Management	
	Held during the tenure	Attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO 21.09.2018 to 31.03.2019 Chairman of the Committee.	1	1
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Chairman (From 01.04.2018 to 20.09.2018)	1(Chairman)	1
Member (From 21.09.2018 to 31.03.2019)	1 (Member)	1
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	2	2
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	2	1
Sri A. Krishnakumar, Director From 01.04.2018 to 31.03.2019	2	2
Sri G. Sivakumar, Director From 13.01.2018 to 31.03.2018	2	1

3.13 Committee for Monitoring of Recovery in NPAs :

Board constituted a Board Level Committee to monitor the progress in recovery in NPAs on regular basis on 28.11.2012 in terms of Ministry of Finance directions.

The Committee met six times during the year 2087-19 on the following dates:-

21 - 05 - 2018	10 - 07 - 2018	05 - 12 - 2018
18 - 06 - 2018	18 - 09 - 2018	11 - 02 - 2019

The attendance of the members at the Committee for Monitoring of Recovery in NPAs meetings along with the number of meetings held during the period of their tenure during the year is given below:

Name and Type of Director	No. of Meetings of Committee for Monitoring of Recovery in NPAs	
	Held during the tenure	Attended
Shri J Packirisamy Managing Director & CEO 21.09.2018 to 31.03.2019 Chairman of the Committee.	2	2
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director Member (From 01.04.2017 to 27.11.2017)	4(Chairman)	4
Chairman (From 09.02.2018 to 12.03.2018)	2(Member)	2
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	6	6
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	6	3
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 19.01.2018 to31.03.2018)	6	6
Sri A. Krishnakumar, Director Member (From 01.04.2017 to 31.03.2018)	6	5

3.14 ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत, ग्राहक सेवा पर बोर्ड की समिति बैंक में गठित की जाती है ।

वर्तमान में, समिति में दो कार्यपालक निदेशक, भारिबैंक नामित निदेशक, सीए श्रेणी के अंतर्गत निदेशक तथा दो शेयरधारक निदेशक सम्मिलित हैं :

ग्राहक सेवा पर समीक्षा और विचार–विमर्श करने के लिए समिति ने दि. 10.07.2018 को बैठक की । श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक ने समिति की बैठक की अध्यक्षता की । भारत सरकार नामित निदेशक को छोड़कर बोर्ड के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था ।

3.15 ग्राहक सेवा की समीक्षा के लिए विशेष बोर्ड बैठक:

ग्राहक सेवा की समीक्षा पर भारिबैंक मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत, ग्राहक सेवा पर समीक्षा और विचार–विमर्श के लिए दि. 18.09.2018 और दि.16.03.2019 को विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई ।

निदेशक का नाम एवं प्रकार	अवधि	अवधि के दौरान अयोजित बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक में उपस्थिति
श्री जे पक्किरिसामी, अध्यक्ष	21–09–2018 से 31–03–2019	1	1
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक	01.04.2018 से 20.09.2018 अध्यक्ष	1	1
	21–09–2018 से 31–03–2019 सदस्य	1	1
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	2	2
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	2	1
श्री यूजिन ई कर्थक, भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	2	0
श्री बालगोपाल महापात्र, अंशकालिक गैर–शासकीय निदेशक (सीए श्रेणी के अन्तर्गत)	01.04.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री जी. शिवकुमार सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	2	2

3.16 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

सेबी (बाध्यता सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 25 (3) और (4) के अनुसार, बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की वर्ष में न्यू नतम एक बैठक अलग से आयोजित की जाएगी, प्रबन्धन के गैर–स्वतंत्र निदेशकों और सदस्यों की उपस्थिति के बिना । कम्पनी के सभी स्वतंत्र निदेशक इस तरह की बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे।

बैठक पूर्ण रूप से गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के कार्य–निष्पोदन की समीक्षा करेगी, बैंक के कार्यपालक निदेशक और गैर–कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, बैंक के एमडी एवं सीईओ के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करें, गुणवत्ता, मात्रा और बोर्ड प्रबन्धन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की समयबद्धता जो बोर्ड के लिए प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है उसका आकलन करें।

उपर्युक्त के अनुसार, 15 मार्च, 2019 को स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक हुई थी । निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक में भाग लिया था:

श्री बलगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अंतर्गत निदेशक

श्री ए. कृष्णकुमार, निदेशक

श्री जी. शिवकुमार, निदेशक

3.17 इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति:

इरादतन चूककर्ताओं पर भारिबैंक के मास्टमर परिपत्र के दृष्टिगत, बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति गठित की गई है ।

3.14 Customer Service Committee :

The Committee of the Board on Customer Service is constituted in the Bank, in terms of RBI Master Circular.

Presently, the Committee consists of two Executive Directors, RBI Nominee Director, Director under CA Category and two share holder Directors:

The Committee met on 10.07.2018 to review and deliberate on Customer Service. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director chaired the Committee meeting. All members had attended the meeting except Govt. of India nominee Director.

3.15 Exclusive Board Meeting to Review Customer Service :

In terms of RBI Master Circular on Review of Customer Service, an Exclusive Board Meeting was convened on 18.09.2018 and 16.03.2019 to review and deliberate on Customer Service.

The following members of the Board had attended the meeting:

Name and Type of the Director	Period	No. of Board meetings held during the period	Board Meetings attended
Shri J Packirisamy Chairman	21-09-2018 to 31-03-2019	1	1
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director	01.04.2018 to 20.09.2018 Chairman	1	1
	21-09-2018 to 31-03-2019 Member	1	1
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	2	2
Ms Anjana Dube Govt. of India Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	2	1
Sri Eugene E Karthak RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	2	0
Sri Balgopal Mahapatra Part-time Non -Official Director (under CA Category)	01.04.2018 to 31.03.2019	2	2
Sri A. Krishnakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2018 to 31.03.2019	2	2
Sri G. Sivakumar Director elected from amongst shareholders other than Central Government	01.04.2018 to 31.03.2019	2	2

3.16 Meeting of Independent Directors :

As per Regulation 25 (3) & (4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, separate Meetings of the Independent Directors of the Bank shall be convened at least one meeting in a year, without the attendance of non-independent directors and members of Management. All the independent directors of the Company shall strive to be present at such meeting.

The meeting shall review the Performance of non-independent directors and the Board as a whole, review the performance of the MD & CEO of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors, assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties.

In accordance with the above, a Meeting of Independent Directors was convened on 15th March, 2019. The following independent Directors had attended the Meeting:

Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category

Sri A. Krishnakumar, Director

Sri G. Sivakumar, Director

3.17 Review Committee on Wilful Defaulters :

In terms of RBI Master Circular on 'Wilful Defaulters', Review Committee on Wilful Defaulters has been constituted by the Bank.

वर्तमान में, समिति में श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक, श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अन्तर्गत निदेशक तथा श्री जी शिवकुमार, शेयरधारक निदेशक सम्मिलित हैं ।

समिति ने दि. 22.05.2018, दि. 18.09.2018, दि. 03.11.2018 और दि. 16.03.2019 को वर्ष 2018-19 के दौरान चार बार बैठक की ।

वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल की अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या के साथ इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नासनुसार है:

निदेशक का नाम एवं प्रकार	एनपीए में वसूली की निगरानी के लिए समिति की बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	उपस्थिति
श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ दि. 21.09.2018 से 31.03.2019 समिति अध्यक्ष	2	2
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक, (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	2 (अध्यक्ष)	2
	2 (सदस्य)	2
श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अन्तर्गत निदेशक (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	4	3
श्री ए. कृष्णकुमार, निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	4	4

3.18 गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति:

गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं पर भारिबैंक के मास्टमर परिपत्र के दृष्टिगत, बैंक द्वारा गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति गठित की गई है ।

वर्तमान में, समिति में श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक, श्री बालगोपाल महापात्र, सीए श्रेणी के अन्तर्गत निदेशक तथा श्री जी शिवकुमार, शेयरधारक निदेशक सम्मिलित हैं ।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने कोई बैठक नहीं की ।

3.19 डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए समिति

अपनी बैठक दि. 20.07.2017 में सचिवों की समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार बैंक द्वारा डिजिटल लेन-देन में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय उप-समिति गठित की गई है ।

निम्नलिखित निदेशक समिति के सदस्य हैं: -

1. श्री जी. शिवकुमार, निदेशक, अध्यक्ष (दि.01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)
2. श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)
3. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)
4. सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2018 से दि.31.03.2019)
5. श्री ए. कृष्ण कुमार, निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)

समिति ने वर्ष 2018-19 के दौरान तीन बार दि.10.07.2018, दि.19.01.2019 और दि. 15.03.2019 को बैठक की ।

निदेशक का नाम एवं प्रकार	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठक की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	उपस्थिति
श्री जी. शिवकुमार सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक (दि.01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)	3	2
सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक	3	1
श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि.01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)	3	3
श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, सदस्य (दि.01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)	3	3
श्री ए कृष्ण कुमार केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच चुने गए निदेशक (दि.01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)	2 (सदस्य)	2
	1 (अध्यक्ष)	1

Presently, the Committee consists of Shri J Packirisamy, MD & CEO , Shri Ajit Kumar Rath, Executive Director, Shri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category and Shri A Krishnakumar , Share Holder Director.

The Committee met four times during the year 2018-19 on 22.05.2018, 18.09.2018, 03.11.2018 and 16.03.2018.

The attendance of the members at the meetings of Review Committee on Willful Defaulters along with the number of meetings held during year is given below:

Name and Type of Director	No. of Meetings of Committee for Monitoring of Recovery in NPAs	
	Held during the tenure	Attended
Shri J Packirisamy 21-09-2018 to 31-03-2019 Chairman	2	2
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director, (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	2(Chairman) 2(Member)	2 2
Sri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	4	3
Sri A. Krishnakumar, Director ,Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	4	4

3.18 Review Committee on Non-Cooperative Borrowers :

In terms of RBI Master Circular on 'Non-Cooperative Borrowers, Review Committee on Non-Cooperative Borrowers has been constituted by the Bank.

Presently, the Committee consists of Shri J Packirisamy, MD & CEO , Shri Ajit Kumar Rath, Executive Director, Shri Balgopal Mahapatra, Director under CA Category and Shri G Siva Kumar, Share Holder Director.

No Committee meeting was held during the financial year 2018-19.

3.19 Committee for monitoring the Progress in Digital Transactions

As per the suggestions given by the Committee of Secretaries in its meeting dt. 20.07.2017 a Board level sub-committee for monitoring the progress in Digital transactions has been constituted by the Bank.

The following Directors are the Members of the Committee:-

1. Sri G. Sivakumar, Director, Chairman (from 01.04.2018 to 31.03.2019)
2. Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director, Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
3. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
4. Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director, Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
5. Sri A. Krishnakumar, Director, Member (from 01.04.2018 to 31.03.2019)

The Committee met three times during the year 2018-19 on 10.07.2018, 19.01.2019 and 15-03-2019.

Name and Type of Director	No. of Meetings of Information Technology Strategy Committee	
	Held during the tenure	Attended
Sri G. Sivakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government Chairman Of the Committee (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	2
Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director	3	1
Sri Ajit Kumar Rath, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3
Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	3	3
Sri A. Krishnakumar, Director elected from amongst shareholders other than Central Government (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	2(Member) 1(Chairman)	2 1

3.20 चुनाव विवाद समिति

आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के अनुसार, उपर्युक्त. समिति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा उसकी अनुपस्थिति में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत कार्यपालक निदेशक और किसी भी दो नामांकित निदेशकों यानि हमारे बैंक के बोर्ड में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामांकित निदेशक से संबंधित होगी ।

निम्नलिखित निदेशक समिति के सदस्य हैं: –

1. श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष (दि.21.09.2018 से दि.31.03.2019 तक)
2. श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक, समिति के अध्यक्ष (दि. 01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)
3. सुश्री अंजना दुबे, भारत सरकार नामांकित निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)
4. श्री यूजीन ई कर्थक, भारिबैंक नामांकित निदेशक, सदस्य (दि. 01.04.2018 से दि.31.03.2019 तक)

समिति ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई बैठक नहीं की थी ।

अन्य प्रकटीकरण:

क) स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों के विवरण बैंक की वेबसाइटः ृ.रपवहीरलरपड्ड.ळप पर निदेशक मण्डल टैब के अन्तर्गत उपलब्ध हैं ।

ख) निष्पक्ष प्रथाओं का कोड बैंक की वेबसाइट: www.andhrabank.in पर टैब निवेशक संबंध के अन्तर्गत उपलब्ध है ।

3.21 अन्य समितियां:

प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकों, महा प्रबन्धकों और विभागीय अधिकारियों समेत अन्य कार्यकारी समितियां हैं जिन्हें व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के प्रतिदिन की कार्यप्रणाली, समीक्षा और निगरानी के लिए गठित किया गया है । कुछ महत्वपूर्ण कार्यकारी समितियां निम्नानुसार हैं:

1. संपत्ति देयता समिति (एएलसीओ)
2. परिचालनात्मतक जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरएमसी)
3. निवेश समिति (आईसी)
4. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण समिति (आरबीएससी)
5. क्रेडिट जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी)
6. आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन समिति (आईसीएएपी)

क. संपत्ति देयता समिति (एएलसीओ)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक आलको के प्रमुख हैं । समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. महा प्रबन्धक (आईआईबी)
4. महा प्रबन्धक (सी एवं आईएफडी)
5. महा प्रबन्धक (आयोजना)
6. महा प्रबंधक (लेखा/सीएफओ)
7. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

सहायक महा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) – समिति के संयोजक

समिति के मुख्य कार्य:

1. एएलसीओ के कार्य तीन प्रकार के हैं – (ळ) कार्यनीति आयोजना (ळळ) उत्पाद मूल्य निर्धारण और (ळळळ) जोखिम प्रबन्धन ।
2. एएलसीओ ब्याज दर और चलनिधि जोखिम के रणनीतिक प्रबन्धन सहित जोखिम रिटर्न परिप्रेक्ष्य से तुलन–पत्र आयोजना के लिए जिम्मेदार निर्णय लेने वाली इकाई है।
3. एएलसीओ बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं / मानकों के भीतर संचालन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
4. एएलसीओ बैंक के वर्तमान ब्याज दर के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है और तदनुसार भविष्य की व्यावसायिक रणनीतियों के लिए अपने निर्णय का आधार बनाता है ।

ख. परिचालनात्मिक जोखिम प्रबन्धन समिति ओआरएमसी

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक ओआरएमसी के प्रमुख हैं । समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक

3.20 Election Disputes Committee

As per the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the said committee shall consists of Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act i.e. Director nominated by Government of India and by Reserve Bank of India in the board of our Bank

The following Directors are the members of the Committee :-

1. Shri J Packirisamy, Managing Director & CEO, Chairman of the Committee (From 21.09.2018 to 31.03.2019)
2. Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director, Chairman of the Committee (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
3. Ms. Anjana Dube, Govt. of India Nominee Director, Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)
4. Sri Eugene E Karthak, RBI Nominee Director, Member (From 01.04.2018 to 31.03.2019)

No Committee meeting was held during the financial year 2018-19.

Other Disclosures :

a. Details of Familiarization programmes imparted to independent directors are available on the Bank's website: www.andhrabank.in under the tab " Board Of Directors"
b. Code of fair practices is available on the Bank's website: www www.andhrabank.in under the tab " Investor Relations"

3.21 Other Committees :

There are other Functional Committees consisting of Managing Director & CEO, Executive Directors, General Managers and Departmental Executives which have been constituted for day-to-day functioning, review and monitoring of various aspects of business. Some of the important Functional Committees are as under:

1. Asset Liability Committee (ALCO)
2. Operational Risk Management Committee (ORMC)
3. Investment Committee(IC)
4. Risk Based Supervision Committee (RBSC)
5. Credit Risk Management Committee (CRMC)
6. Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP)

a. Asset Liability Committee (ALCO) :

ALCO is headed by Managing Director & CEO / Executive Directors. ALCO consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. General Manager (IIB)
4. General Manager (C & IFD)
5. General Manager (Planning)
6. General Manager (Accounts / CFO)
7. Chief Risk Officer (CRO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

Key Functions of the Committee:

1. Functions of ALCO are three fold – (i) Strategic Planning (ii) Product Pricing and (iii) Risk Management.
2. ALCO is a decision making unit responsible for Balance Sheet planning from Risk Returns perspective, including the strategic management of interest rate and liquidity risks.
3. ALCO will monitor implementation of operations within the limits / parameters set by the Board.
4. ALCO articulates the current interest rate view of the Bank and accordingly base its decisions for future business strategies.

b. Operational Risk Management Committee (ORMC):

ORMC is headed by Managing Director & CEO / Executive Directors. ORMC consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s

3. प्रधान कार्यालय के सभी महा प्रबन्धक
4. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)
5. मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)
6. मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)

सहायक महा प्रबन्धक /मुख्य प्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) समिति के संयोजक हैं ।

समिति के मुख्य कार्य:

1. समय–समय पर आरंभ किए गए परिचालनात्मपक जोखिम घटकों सहित नीतियों, उत्पादों / प्रक्रियाओं / प्रणालियों और प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा और अनुमोदन।
2. आकलन, रिपोर्टिंग, पूँजी और डेटाबेस की हानि घटना सहित परिचालनात्मसक जोखिम पद्धतियों और उपकरणों के विकास और कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुमोदन।
3. निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि उपर्युक्त परिचालन जोखिम प्रबन्धन रूप–रेखा यथा–स्थाकन है ।
4. सुनिश्चित करना कि ओआरएमसी में रिपोर्ट के कैलेंडर पर चर्चा की गई है और आवश्यकतानुसार आरएमसी को सूचित किया गया है ।
5. परिचालनात्मीक जोखिम के प्रबन्धन के लिए उपर्युक्त नियन्त्रण / न्यू नता पर चर्चा करना और सलाह देना ।
6. सभी व्यावसायिक इकाइयों में जोखिम जागरूकता बनाएं और बढ़ावा देना ।
7. व्यावसायिक क्षेत्रों और कर्मचारियों के घटकों से परिचालनात्माक जोखिम प्रबन्धन का महत्व सूचित करना ।

ग. निवेश समिति (आईसी)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक आईसी के प्रमुख हैं । समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. महा प्रबन्धक (कार्पोरेट आयोजना)
4. महा प्रबंधक (सी एवं आईएफडी)
5. महा प्रबंधक (लेखा)
6. महा प्रबन्धक (निवेश और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/उप महा प्रबंधक आईआईबी)
7. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

सहायक महा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) समिति के संयोजक हैं ।

समिति के मुख्य कार्य:

1. निवेश समिति वित्तीय बाजारों यानि बैंक के निवेश–सूची में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है;
2. यह आईआईबी की प्रति दिन की गतिविधियों की निगरानी करती है और निवेश–सूची में निवेश की सलाह / अनुमोदन देती है;
3. यह अभिनियोजित निधि पर वापसी को अधिकतम करने के लिए सुविधा प्रदान करती है ।

घ. जोखिम आधारित पर्यवेक्षी समिति (आरबीएससी)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक आरबीएससी के प्रमुख हैं । समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं –

1. प्रबन्ध निदेशक एव सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. प्रधान कार्यालय में सभी महा प्रबन्धक
4. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)
5. मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)

सहायक महा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) समिति के संयोजक हैं ।

सहायक महा प्रबंधक (सतर्कता) तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) को उनके क्षेत्र से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए।

समिति के मुख्य कार्य :

1. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए कार्य–बिन्दुओं के कार्यान्वयन की प्रगति के निरीक्षण का कार्य समिति द्वारा किया जाएगा ।
2. तिमाही अन्तराल पर बोर्ड के समक्ष प्रगति रिपोर्ट समीक्षा के लिए रखी जाएगी –यथा जोखिम आधारित आन्तरिक मूल्यांकन अधीन जोखिम रेटिंग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीएस डाटा प्रस्तुतीकरण/अपलोड करना ।

3. All General Managers at Head Office
4. Chief Risk Officer (CRO)
5. Chief Compliance Officer (CCO)
6. Chief Information Security Officer (CISO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

Key Functions of the Committee:

1. Review and approve policies, products / processes / systems & procedures etc. involving Operational Risk elements introduced from time to time.
2. Review and approve the development and implementation of operational risk methodologies and tools, including assessments, reporting, capital and loss event databases.
3. Monitor and ensure that appropriate operational risk management framework is in place.
4. Ensure calendar of reports are discussed in ORMC and reported to RMC as required.
5. Discuss and recommend suitable controls/ mitigant for managing operational risk.
6. Create and promote risk awareness across all business units.
7. Communicate to business areas and staff components the importance of Operational Risk Management.

c. Investment Committee (IC) :

IC is headed by Managing Director & CEO / Executive Directors. IC consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. General Manager (Corporate Planning)
4. General Manager (C & IFD)
5. General Manager (Accounts)
6. General Manager (IIB) / Deputy General Manager (IIB)
7. Chief Risk Officer (CRO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

Key Functions of the Committee:

1. Investment Committee meets regularly to take stock of the impact of significant movements in financial markets on Bank's investment portfolio;
2. It monitors the day to day activities of IIB and advises/approves the investment made by IIB Mumbai; and
3. It facilitates for maximizing the return on funds deployed.

d. Risk based Supervisory Committee (RBSC) :

RBSC is headed by Managing Director & CEO/ Executive Directors. RBSC consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. All General Managers at Head Office
4. Chief Risk Officer (CRO)
5. Chief Compliance Officer (CCO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

AGM (Vigilance) and Chief Information Security Officer (CISO) shall be invited for discussion of matters pertaining to their domains.

Key Functions of the Committee:

1. The committee shall monitor the progress in implementing the action points advised by RBI on RBS.
2. The review reports on progress shall be placed before the Board at quarterly intervals - like Risk Rating under RBIA and Submission/uploading of RBS data to RBI.

ङ़. ऋण जोखिम प्रबन्धन समिति (सीआरएमसी) :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक सीआरएमसी के प्रमुख हैं । समिति के सदस्य हैं –

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. महा प्रबन्धक (सीआरएमडी)
4. महा प्रबन्धक (सी एवं आईएफडी)
5. महा प्रबन्धक (एमएसएमई)
6. महा प्रबन्धक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)
7. महा प्रबन्धक (खुदरा ऋण)
8. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

सहायक महा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग) समिति के संयोजक हैं ।

समिति के मुख्य कार्य :

1. समिति बोर्ड/जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीतियों/कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तकरदायी है ।
2. समिति व्यापक रूप से बैंक की ऋण जोखिम की निगरानी करती है तथा बैंक अनुमोदित जोखिम पैरामीटर/विवेकपूर्ण मानदंड सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है तथा जोखिम सकेंद्रण की निगरानी करती है । समिति बैंक की ऋण प्रस्तावों, वित्तीय औचित्य की प्रस्तुति हेतु मानकों तथा बड़े ऋण प्रस्तावों, ऋण संपार्श्विक हेतु मानकों, लक्षित विशिष्ट ग्राहक समूहों के लिए विकसित विभिन्न ऋण योजनाओं के अनुमोदन सहित रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण के अनुमोदन, नीति निर्माण हेतु आरएमसी/बोर्ड को सिफारिश करती है।
3. समिति ऋण अनुमोदन शक्तियों, ऋण एक्सपोजर पर विवेकाधीन सीमा, संपार्श्विक ऋण हेतु मानक, पोर्टफोलियो प्रबन्धन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम संकेन्द्रण, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन, ऋण का कीमत निर्धारण, प्रावधान, नियामक/कानूनी अनुपालन इत्यादि के प्रतिनिधिमण्डल पर भी निर्णय लेती है ।

च. आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन समिति (आईसीएएपी)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/ कार्यपालक निदेशक आईसीएएपी की कार्यपाकल स्तरीय समिति के प्रमुख हैं। आईसीएएपी के सदस्य हैं:

1. प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यपालक निदेशक
3. प्रधान कार्यालय के सभी महा प्रबन्धक
4. मुख्य जोखिम अधिकारी (एकीकृत जोखिम प्रबन्धन विभाग)
5. सहायक महा प्रबन्धक/मुख्य प्रबंधक (आईआरएमडी) संयोजक

4. सामान्य निकाय बैठकें :

4.1 वार्षिक साधारण बैठक

सामान्य निकाय बैठक	तिथि	समय	स्थान
सोलहवीं एजीएम	20.07.2016	प्रात: 11.00 बजे	'पट्टाभि भवनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद , हैदराबाद - 500004
सत्रहवीं एजीएम	21.07.2017	प्रात: 10.00 बजे	'पट्टाभि भवनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद , हैदराबाद - 500004
अठारहवीं एजीएम	09.07.2018	12.00 बजे दोपहर	श्री सत्य साई निगमगमम, 8-3-987/2, श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद -500 073

e. Credit Risk Management Committee (CRMC) :

CRMC is headed by Managing Director & CEO / Executive Directors. CRMC consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. General Manager (CMRD)
4. General Manager (C & IFD)
5. General Manager (MSME)
6. General Manager (Priority Sector Policy)
7. General Manager (Retail Credit)
8. Chief Risk Officer (CRO)

Asst. General Manager / Chief Manager (IRMD) is Convener of the committee.

Key Functions of the Committee :

1. The Committee is responsible for implementation of the credit risk policies/strategies approved by the Board/Risk Management Committee.
2. Monitor credit risks on a bank wide basis and ensure compliance with the board approved risk parameters/prudential limits and monitor risk concentrations. Recommend to the RMC/Board, for its approval, clear policies on lending to various activities including standards for presentation of credit proposals, financial covenants, and prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, rating standards and benchmarks including approval of various credit schemes developed towards targeted specific client groups.
3. The Committee also decides on the delegation of credit approving powers, prudential limits on credit exposures, standards for loan collaterals, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, pricing of loans, provisioning, regulatory/legal compliance, etc.

f. Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP) :

The Executive level Committee of ICAAP is headed by Managing Director & CEO/ Executive Directors. ICAAP consist of:

1. Managing Director & CEO
2. Executive Director/s
3. All General Managers at Head Office
4. Chief Risk Officer (Integrated Risk Management Department)
5. Assistant General Manager/Chief Manager (IRMD) Convener

Functions of the Committee :

1. The Executive Level Committee of ICAAP scrutinizes the assessment made in the ICAAP document and suggest modifications/changes, if any, to the document. and
2. The Committee recommends the ICAAP document to be placed before the Managing Director & Chief Executive Officer and, thereafter to the Board for approval.

4. General Body Meetings:

4.1 Annual General Meeting

General Body Meeting	Date	Time	Venue
Sixteenth AGM	20.07.2016	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.
Seventeenth AGM	21.07.2017	10.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.
Eighteenth AGM	09.07.2018	12.00 Noon	Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad – 500073.

सोलहवीं और अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठकों में, नीचे दिए गए विशेष संकल्प दि. 20.07.2016 और दि. 09.07.2018 को हुई एजीएम पर शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए थे:

योग्य संस्थागत नियोजन, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, इत्यादि द्वारा पूँजी जुटाना ।

सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में, कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक मतपत्र द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था ।

4.2 असाधारण सामान्य बैठक

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक का विवरण निम्नानुसार है :

तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
23.09.2015	सायं 4.30 बजे	आन्ध्रा बैंक एपेक्स कॉलेज, प्लॉट सं.27-29, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबॉवली, हैदराबाद - 500 032	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 4,94,63,491 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए । (विशेष संकल्प)
21.03.2016	प्रात: 11.00 बजे	आन्ध्रा बैंक एपेक्स कॉलेज, प्लॉट सं.27-29, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबॉवली, हैदराबाद - 500 032	अधिमान्य आधार पर भारत के जीवन बीमा निगम को 2,88,53,210 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए । (विशेष संकल्प)
06.05.2017	प्रात: 11.00 बजे	'पट्टाभि भवनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 19,16,37,630 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए ।
12.03.2018	प्रात: 11.00 बजे	'पट्टाभि भवनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 32,60,30,705 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए । (विशेष संकल्प)

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान हुई शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
19.09.2018	प्रात: 11.00 बजे	'पट्टाभि भवनालय', आन्ध्रा0 बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को कुल राशि रु. 2,019 करोड़ के 53,99,83,952 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए। (विशेष संकल्प)
22.03.2019	प्रात: 11.00 बजे	'पट्टाभि भवनालय', आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद , हैदराबाद - 500004	अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को कुल राशि रु. 3,256 करोड़ के 114,56,72,061 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करने के लिए। (विशेष संकल्प)

In the Sixteenth and Eighteenth Annual General Meetings, the given below Special Resolution were passed by the shareholders at the AGM held on 20.07.2016 and 09.07.2018:

- Raising of capital through Qualified Institutional Placement, Follow-on Public Offer, etc.

In the Seventeenth Annual General Meeting, no Special Resolution was passed.

No Special Resolution was passed through postal ballot during the previous three years.

4.2 Extraordinary General Meeting

The details of Extraordinary General Meeting of the shareholders held during the last 3 years are as follows:

Date	Time	Venue	Purpose
23.09.2015	4.30 PM	Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032.	To issue and allot 4,94,63,491 equity shares to Government of India on preferential basis. (Special Resolution)
21.03.2016	11.00 AM	Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032.	To issue and allot 2,88,53,210 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis. (Special Resolution)
06.05.2017	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.	To issue and allot 19,16,37,630 equity shares to Government of India on preferential basis. Raising of Capital through Qualified Institutional Placement, Follow on Public Offer, etc. (Special Resolution)
12.03.2018	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.	To issue and allot 32,60,30,705 equity shares to Government of India on preferential basis. (Special Resolution)

The details of the Extra-ordinary General Meeting of the shareholders held during the financial year 2018-19, are as follows:

Date	Time	Venue	Purpose
19.09.2018	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.	To issue and allot 53,99,83,952 equity shares to Government of India on preferential basis amounting to Rs 2,019 Crores. (Special Resolution)
22.03.2019	11.00 AM	'Pattabhi Bhavanalaya', Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.	To issue and allot 114,56,72,061 equity shares to Government of India on preferential basis amounting to Rs 3,256 Crores. (Special Resolution)

4.3 घोषणाएं और प्रमाण पत्र

1. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के दृष्टिगत, वर्ष 2018–19 के लिए बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट को संलग्नव किया गया है ।
2. सीईओ और सीएफओ का प्रमाण पत्र निदेशक मण्डल को सौंप दिया गया है और इस रिपोर्ट से संलग्नत किया गया है ।
3. बैंक ने निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबन्धन से आचार संहिता अपनाई है, जिसका पाठ बैंक की वेबसाइट् .रपवहीरलरपज्ञ.ळप पर उपलब्ध है । सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबन्धन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंत में अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र दिया गया है ।
4. बैंक ने बैंक प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता भी तैयार की है।

4.4 प्रकटीकरण

1. बैंक ने शेयरों की पूँजी के बाद से पूँजी बाजार से संबंधित मामलों के बारे में सभी आवश्यकताओं का पालन किया था और पिछले तीन वर्षों में स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी अथवा पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले का अनुपालन करने के लिए किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना लगाना अथवा निन्दा नहीं किया गया ।
2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्था न, नई दिल्ली द्वारा जारी लेखा मानक –18 के अनुसार दि.31.03.2019 को बैंकों के संबंधित पक्ष लेन–देन के लिए लेखानुदान, तुलन–पत्र की अनुसूची में प्रकटीकरण किया गया है । इसके अतिरिक्तं, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी लेन–देन नहीं है जो कि बैंक हित के विरूद्ध है ।
3. निदेशक और वरिष्ठ प्रबन्धन कर्मियों को बैंक द्वारा तैयार आदर्श आचार संहिता द्वारा पुष्टि की जाती है और यह बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है ।
4. सेबी की (पूँजी दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार बैंक के कार्यपालक निदेशकों और मुख्यस वित्तीणय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा निष्पादित अनुपालन प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्नि है ।

5. दि. 31.03.2019 को गैर–कार्यकारी निदेशकों द्वारा आयोजित शेयरों की संख्या नीचे दी गई है:

1. श्री ए. कृष्णकुमार 200 शेयर

2. श्री जी. शिवकुमार 100 शेयर

अन्य सभी गैर–कार्यकारी निदेशकों के पास बैंक के इक्विटी शेयर नहीं हैं ।

6. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 के अनुसार निदेशकों अथवा कोई फर्म जिसके प्रति निदेशकों की रुचि हो अथवा कोई कम्पनी जिसमें बैंकिंग कम्पनी का कोई निदेशक निदेशक, प्रबन्धक, कर्मचारी अथवा गारंटर अथवा जिसमें उसकी काफी रुचि हो, के लिए बैंक द्वारा ऋण और अग्रिमों में निषेध है । अत:, बैंक को अपने निदेशक, प्रबन्धन और/अथवा रिश्तेऋदारों के साथ प्रमुख रूप से संबंधित लेन–देन नहीं हैं, जो विस्तृत रूप से बैंक हित पर संभाव्यव संघर्ष करेंगे।

7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने टायर 1 / टियर 2 पूँजी जुटाने के लिए निम्नलिखित लिखत जारी किए हैं:

उपकरण विवरण	जारी तिथि (आबंटन)	जारी मूल्य	वर्द्धित राशि (राशि करोड़ों में)
भारत सरकार को प्रत्येक 10/– रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन	11.10.2018	प्रति शेयर 37.39/–	रु. 2019
भारत सरकार के लिए प्रत्येक 10/– रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन	28.03.2019	प्रति शेयर 28.42/–	रु. 3256

बेसल III पूँजी विनियमों के सन्दर्भ में बैंक की पूँजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए टियर–1 और टियर 2 पूँजी बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से राशि में वृद्धि हुई थी । वर्द्धित पूँजी का उपयोग **पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था ।**

8. बोर्ड की उप–समितियों का संविधान और दायरा मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार और अन्य लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार है ।

9. पण्य कीमत जोखिमों और पण्यर बचाव–व्यवस्थाय गतिविधियों का प्रकटीकरण : लागू नहीं ।

10. बैंक ने अन्य सभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का पालन किया है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 से 27 और 46 (2) (बी) से (आई) अथवा उसमें कोई संशोधन में निर्दिष्ट है ।

11. बैंक ने सेबी पूँजी विनियमों की अनुसूची त के उप–अनुच्छेद (2) से (10) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की आवश्यकता का पालन किया है ।

12. अधिमान आबंटन के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गई निधियों का पूर्ण उपयोग किया गया तथा बैंक ने क्यूआईपी के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है ।

13. बैंक ने मेसर्स डी. हनुमंत राजू, पेशेवर कंपनी सचिव, हैदराबाद से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है कि बैंक बोर्ड में किसी भी निदेशक को सेबी/कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाने अथवा बैंक के निदेशक के रूप में निरंतर बने रहने से वंचित अथवा अयोग्य किया गया है ।

4.3 DECLARATIONS AND CERTIFICATES

1. In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance of the Bank for the year 2018-19 and the same is annexed to the Report.
2. The certificate of CEO & CFO has been submitted to the Board of Directors and is annexed to this Report.
3. The Bank has adopted code of conduct from the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank www.andhrabank.in . All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a certificate affirming compliance is given at the end of corporate governance report.
4. The Bank has also framed a Code of Conduct for prevention of insider trading in Bank Securities.

4.4. Disclosures

1. The Bank had complied with all the requirements regarding Capital Market related matters since its listing of shares and no penalties or strictures has been imposed by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority for non-compliance of any matter related to capital markets during the last three years.
2. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts, Schedule of the Balance Sheet as on 31.03.2019 as per Accounting Standard-18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi. Further, during the financial year 2018 19, there are no materially significant related party transactions that may have conflict with the Banks' interest.
3. The Directors and the Senior Management personnel affirm by the Model Code of Conduct framed by the Bank and the same is posted on the Bank's website.
4. The Compliance Certificate executed by the MD & CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank in terms of Regulation 17(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 or any amendments thereto is attached to the Corporate Governance Report.
5. The number of shares held by Non- Executive Directors as on 31.03.2019 is furnished below:

   1. Sri A. Krishnakumar 200 shares
   2. Sri G. Sivakumar 100 shares

   All other Non-Executive Directors do not hold equity shares of the Bank.
6. Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 prohibits grants of loans and advances by the Bank to Directors or to any firm in which the Directors are interested or to any company of which any of the Director of the Banking Company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest. Hence, there are no materially significant related transactions of the Bank with its Directors, Management and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large.
7. During the year under review, the Bank has issued the following instruments to raise the Tier 1/ Tier 2 capital:

Instrument Details	Date of Issue (Allotment)	Issue Price	Amount Raised (Amt in Crores)
Preferential Allotment of equity shares of face value of Rs. 10/- each to Government of India	11.10.2018	Rs. 37.39p. per share	2019
Preferential Allotment of equity shares of face value of Rs. 10/- each to Government of India	28.03.2019	Rs 28.42p. per share	3256

   During the FY 2018-19, the Bank has not raised any Tier 2 capital.

   The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-1 & Tier 2 capital for strengthening Capital Adequacy requirements of the Bank in terms of Basel III Capital regulations. The capital raised was utilised to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank.
8. The constitution and scope of the sub-committees of Board is as per the extant Reserve Bank of India/ Government of India and other applicable guidelines.
9. Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities: Not Applicable
10. The Bank has complied with all other Corporate Governance requirements as specified in Regulation 17 to 27 and 46(2) (b) to (I) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 or any amendments thereto.
11. The Bank has complied with the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.
12. The funds raised by the Bank through Preferential Allotment of Shares is fully utilized and the Bank has not raised any funds through QIP.
13. The Bank has obtained a certificate from M/s. D. Hanumanta Raju & Co., Practicing Company Secretaries, Hyderabad confirming that none of the Directors on the board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by the SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any other statutory authority. Copy of the certificate attached.

14. सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नेटवर्क संस्था/नेटवर्क इकाई में सभी इकाईयां जिनका सांविधिक लेखा परीक्षक भाग हैं, हेतु समेकित आधार पर बैंक तथा इसके अनुषंगियों द्वारा सभी सेवाओं हेतु प्रदत्त कुल शुल्क :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों हेतु प्रदत्त शुल्क संबंधित विवरण बैंक के स्टैंडएलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची 16 में प्रकट किया गया है ।

15. सूचीकरण विनियमन की विनियम 16 की अपेक्षता के संदर्भ में, कंपनी बैंक की कार्यात्मक वेबसाईट का रखरखाव करती है तथा बैंक की वेबसाईट पता www.andhrabank.in है ।

16. निम्नलिखित नीतियां 'निवेशक संबंध' टब के अंतर्गत बैंक की वेबसाईट www.andhrabank.in पर उपलब्ध हैं :

- 'तात्विक अनुषंगियों' के परिकलन के लिए नीति
- संबंधित पार्टी लेन-देन से संबंधित नीति
- लाभांश वितरण नीतिफ

17. बैंक से संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं :

क.	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दर्ज शिकायत की संख्या	1
ख.	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निपटाए गए शिकायत की संख्या (विगत वित्त वर्ष से संबंधित)	1
ग.	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लंबित शिकायत की संख्या (कथित वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त)	1

अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के सन्दर्भ में बैंक ने सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया है ।

- **व्हिसल ब्लोअर नीति**

बैंक ने सार्वजनिक ब्याज प्रकटीकरण और सूचना के संरक्षण (पीआईडीपीआई) और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 पर भारत सरकार के संकल्प के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है । इसके अन्तर्गत, एक कर्मचारी को इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र शामिल किया गया है कि कर्मचारी कैसे अनैतिक व्यवहार, यदि कोई हो, तो वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण या नैतिकता का उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है । यह पुष्टि की जाती है कि यह तंत्र अनुचित समाप्ति और अन्य अनुचित रोजगार अभ्याास से कर्मचारी के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है जिन्होंने इस तंत्र का उपयोग किया है और किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति में प्रवेश के लिए मना नहीं किया गया है ।

बैंक द्वारा बनाई गई व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट: www.andhrabank.in पर उप टैब: 'नीतियां' के अन्तर्गत टैब 'निवेशक संबंध' के अन्तर्गत उपलब्ध है ।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची खख भाग ई में उल्लिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य आवश्यकता	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	**बोर्ड** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हो सकता है और उसे अपने कर्तव्यों के निष्पाहदन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दी जा सकती है।	बोर्ड बैंकिंग कम्पनी (अधिग्रहण और उपक्रम के अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा (9) (3) के अनुसार गठित किया गया है । अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं है ।
2.	**शेयरधारक अधिकार** गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पाकदन की अर्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों के घर पर भेजी जानी चाहिए	बैंक ने सभी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण विकास के सारांश के साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम भेजे हैं
3.	**लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत** सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखा-परीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण दे सकती है ।	सांविधिक लेखा परीक्षकों ने दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई पात्रता जारी नहीं की है
4.	**अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग पद** सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद हेतु अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ.सं.4/2/2018-बीओ.आई दिनांक 21 सितम्बर, 2018 के माध्यम से बैंक के प्रबन्ध निदेशक और सीईओ को नियुक्त किया, चूंकि बैंक का बोर्ड बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा (9) (3) के अनुसार गठित किया गया है ।

14. Total fees for all services paid by the Bank and its subsidiaries, on a consolidated basis to the statutory auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

    Details relating to fee paid to the statutory auditors during the financial year 2018-19 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone and Consolidated Financial Statements of the Bank.

15. Pursuant to the requirement of Regulation 46 of the Listing Regulations, the Company maintains a functional website of the Bank and website address of the Bank is www.andhrabank.in.

16. The following policies are available on the Bank's website: www.andhrabank.in under the tab 'Investor Relations'.

    - The policy for determining 'Material Subsidiaries'
    - The policy on dealing with Related Party transactions
    - Dividend Distribution Policy

17. Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 pertaining to the Bank is as follows :

a.	Number of complaints filed during the financial year 2018-19	1
b.	Number of Complaints disposed of during the financial year 2018-19 (which pertains to the the previous FY)	1
c.	Number of complaints pending as on end of the financial year 2018-19 (received during the said FY)	1

MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

- **WHISTLE BLOWER POLICY**

The Bank has drawn Whistle Blower Policy as per the Government of India Resolution on "Public Interest Disclosures & Protection of Informer" (PIDPI) and SEBI Listing Regulations, 2015. Under this, a mechanism has been incorporated as to how an employee can report about unethical behavior, if any, actual or suspected fraud or violation of conduct or ethics. It is affirmed that this mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employee from unfair termination and other unfair employment practices who have used this mechanism and no personnel has been denied access to the Audit Committee.

The Whistle Blower Policy formulated by the Bank is available on the Bank's website: www.andhrabank.in under the tab 'Investor Relations' under the sub tab: 'Policies'.

- **The extent of implementation of non-mandatory requirements as mentioned in Schedule II Part E of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is furnished hereunder:**

Sl. No	NON MANDATORY REQUIREMENT	STATUS OF IMPLEMENTATION
1.	**The Board** A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain the Chairperson's office at the listed entity's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Board is constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980. Hence the clause is not applicable to us.
2.	**Shareholder Rights** The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six-months should be sent to each household of shareholders.	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders.
3.	**Modified Opinion(s) in Audit Report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	Statutory Auditors have not issued any qualifications in the Auditor's Report on the Annual Accounts for the year ended 31.03.2019.
4.	**Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	Government of India vide its Notification No. F.No.4/2/2018-BO.I dated 21st September, 2018 appointed Managing Director & CEO of the Bank, since the Board of the Bank is constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य आवश्यकता	कार्यान्वयन की स्थिति
5.	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं ।	महा प्रबन्धक, निरीक्षण विंग (आंतरिक लेखा-परीक्षा) तथा उनके द्वारा नामित अधिकारियों के पास सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यों तथा कर्मियों हेतु अप्रतिबंधित एक्सेगस है एवं बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबन्धन की लेखा-परीक्षा समिति तक पूर्ण एवं नि: शुल्क पहूँच है ।

4.5 वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक* का विवरण

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है । वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के पूर्ण-कालिक निदेशकों को प्रदत् वेतन का विवरण निम्नानुसार है : **(राशि रुपये में)**

निदेशक	वेतन	बैठक शुल्क	कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि	
			वित्तीय वर्ष अवधि	रकम
श्री जे पक्किरिसामी प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (दिनांक 21.09.2018 से 31.03.2019 तक)	1416575	-- -	-- -	-- -
श्री अजित कुमार रथ कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	2546022	-- -	-- -	-- -
श्री कुल भूषण जैन कार्यपालक निदेशक (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)	2364537	-- -	-- -	-- -

* पारिश्रमिक में वेतन, लाभ, परिलब्धियाँ आदि सम्मिलित हैं ।

गैर-कार्यपालक/स्वयतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्कि, यात्रा एवं ठहरने हेतु व्य य के अलावा, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु, कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जा रहा है । भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है ।

5. संचार के माध्यम

तिमाही वित्तीय परिणाम शेयर बाजारों जहां बैंक के शेयर निर्धारित समय-सीमा के अन्द र सूचीबद्ध किए गए हैं, में प्रस्तुबत किए जाते हैं ।

बैंक का मानना है कि सभी शेयरधारकों को विभिन्न गतिविधियों, कार्य-निष्पारदन तथा उत्पाद पहलों की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए । वर्ष 2018-19 हेतु बैंक के वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए । परिणाम बैंक की वेबसाइट ृ.रपवहीरलरपझ.ळप पर भी उपलब्ध कराए गए । वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है । प्रत्येक वर्ष वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा तिमाही परिणामों की घोषणा के पश्चाधत, उसी दिन मुम्बई में प्रेस मीटिंग आयोजित की जाती है जिसमें प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हैं । इसके अतिरिक्त इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाती है ।

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 वित्तीय परिणाम तथा अन्य संवेदनशील सूचनाएं शेयर बाजार को प्रस्तुत की जाती है । बैंक अपनी वेबसाइट में आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी प्रदर्शित करता है ।

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक तथा अन्य उच्प कार्यपालक भारत के अन्यन स्थादनों पर तथा विदेशों में दौरे के दौरान, निधि प्रबन्धकों एवं प्रेस के साथ व्यक्तिगत रूप से आपसी बैठक करते हैं तथा उन्हें बैंक के कार्य-निष्पाकदन की जानकारी देते हैं । बैंक ने वित्तीय परिणामों पर संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण दिया, ये प्रस्तुतियां शेयर बाजारों को प्रस्तुत की गई हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई हैं । निम्नलिखित समाचार पत्र मुख्य रूप से वित्तीय परिणाम तथा नोटिस को कवर करते हैं :

अंग्रेजी	बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस
तेलुगू	आन्ध्र ज्योति, विशालान्ध्रा, मना तेलंगाना, प्रजाशक्ति
हिन्दी	जनसत्ता

6. शेयरधारकों की जानकारी

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है । दिनांक 31.03.2019 तक बैंक की 2885 शाखाएं, 2352 एटीएम, 36 आंचलिक कार्यालय और 06 सर्कल कार्यालय हैं ।

बैंक के शेयर निम्नलिखित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं :

क. बीएसई लिमिटेड
25 वां तल, फिरोज जीजीभाई टावर्स
दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001

प्रतीक : 532418
स्टॉक कोड/सिस्टम : ANDBKDM

Sl. No	NON MANDATORY REQUIREMENT	STATUS OF IMPLEMENTATION
5.	**Reporting of Internal Auditor** The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management.

4.5 Details of remuneration* paid to the Directors for the Financial year 2018-19

Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the Whole-Time Directors of the Bank, during the year 2018-19 are as under:

(Amount in Rupees)

Director	Salary	Sitting Fees	Performance based Incentive	
			Period FY	Amount
Sri J. Packirisamy Managing Director & Chief Executive Officer (From 21.09.2018 to 31.03.2019)	1416575	--	--	--
Sri Ajit Kumar Rath Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	2546022	--	--	--
Sri Kul Bhushan Jain Executive Director (From 01.04.2018 to 31.03.2019)	2364537	--	--	--

* The remuneration includes salary, benefits, perquisites etc.

The Non-Executive / Independent Directors are not being paid any remuneration, except the sitting fees, travelling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India. The sitting fees are paid as per Government of India Directives.

5. Means of Communication

Quarterly Financial Results are submitted to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed within the stipulated time frame.

The Bank strongly believes that all stakeholders should have access to complete information on different activities, performance and product initiatives. Annual, half yearly and quarterly results of the Bank for the year 2018-19 were published in the leading newspapers. The results were also made available on the Bank's website www.andhrabank.in; The Annual Report is sent to all the shareholders of the Bank. Every year, after the annual, half yearly and quarterly results are declared, analyst meet is conducted at Mumbai in which the Managing Director & Chief Executive Officer answers to the queries. In addition to this, a press release is also issued in this regard.

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive information's are furnished to Stock Exchanges. The Bank also displays official news releases in its website.

The Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and other top functionaries, in the course of their visits to other centers in India as well as abroad, undertake one to one meeting with the Fund Managers as well as Press personally and appraise them about the performance of the Bank. The Bank made presentations on financial results to institutional investors/ analysts, these presentations are furnished to Stock Exchanges and also made available on the Bank's website. The following newspapers mainly cover the Financial Results and Notices:

English	Business Line, Business Standard, Financial Express,
Telugu	Andhra Jyothi, Visalandhra, Mana Telangana, , Prajasakthi
Hindi	Jansatta

6. Shareholders Information

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with the Head Office situated at Hyderabad. The Bank has its presence in 2885 branches, 2352 ATMs, 36 Zonal Offices and 6 Circle Offices as on 31.03.2019.

The Bank's shares are listed on the following Stock Exchanges:

a.	BSE Limited	Symbol: 532418
	25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers	Stock Code/System: ANDBKDM

ख. दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टॉक कोड/प्रतीक: ANDHR BANK
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुंबई – 400 051

दिनांक 31.03.2019 तक वार्षिक सूचीकरण शूल्क का भुगतान किया गया है ।

6.2 साख की रेटिंग : दि. 31.03.2019 को अशोधित बॉण्ड/जमा कार्यक्रम के साथ उनकी साख रेटिंग निम्न अनुसार हैं :

क्र.सं.	बॉण्ड के प्रकार	ईश्यू आकार (रु. करोड़ में)	कूपन दर % (प्रति वर्ष)	क्रेडिट रेटिंग
1	अतिरिक्त टीयर I	500.00	9.55	क्रिसिल एए–/नकारात्मक,
2	अतिरिक्त टीयर I	800.00	10.95	केयर ए+/ नकारात्मक
3	अतिरिक्त टीयर I	900.00	10.99	क्रिसिल एए–/ नकारात्मक, केयर ए+/ नकारात्मक
4	अतिरिक्त टीयर I	500.00	9.20	क्रिसिल एए–/ नकारात्मक, केयर ए+/ नकारात्मक
5	न्यूनतर टीयर II	320.00	8.55	केयर एए/नकारात्मक, बीडब्ल्यूआर एए/स्थिर
6	उच्चतम टीयर II	280.00	8.70	केयर एए–/ नकारात्मक, बीडब्ल्यूआर एए–/ स्थिर
7	टीयर II	500.00	8.58	क्रिसिल एए+/ नकारात्मक, केयर एए/नकारात्मक
8	टीयर II	500.00	8.63	
9	टीयर II	1000.00	8.65	
10	टीयर II	1000.00	7.98	
11	इन्फ्रा बॉण्ड	500.10	9.35	केयर एए/ नकारात्मक, क्रिसिल एए+/ नकारात्मक
12	जमा रसीद	15000.00	परिपक्वता तथा बाजार में प्रचलित ब्याज दर के आधार पर	केयर ए1+/ नकारात्मक

वित्तवर्ष 2018–19 के दौरान साख रेटिंग में कोई संशोधन नहीं है ।

7. प्रतिभूतियों का अमूर्तिकरण

बैंकों के शेयर सेबी की अनिवार्य अमूर्त सूची के अन्तधर्गत है एवं बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण हेतु एक निर्गमी कम्पतनी के रूप में बैंक नैशनल सिक्योरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रगल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के डिपाजिटरी सेवाओं का सदस्यक है । शेयरधारक अपने शेयरों का एनएसडीएल या सीडीएसएल में अमूर्तिकरण कर सकते हैं । डिपॉजिटरी सेवाओं ने बैंक को निम्नलिखित आईएसआईएन संख्याण नंबर आबंटित किया है ।

एनएसडीएल – INE434-01013

सीडीएसएल – INE434-01013

दिनांक 31 मार्च, 2019 तक, बैंक के 2,24,806 शेयरधारकों में से 29,712 शेयरधारकों के शेयर मूर्त रूप में है और 1,95,094 शेयरधारक के शेयर अमूर्त रूप में हैं। बैंक के कुल 2,88,44,87,840 इक्विटी शेयरों में से 2,62,06,34,630 इक्विटी शेयर भारत सरकार के पास हैं तथा शेष 26,38,53,210 आम जनता को निर्गमित किए गए हैं । दिनांक मार्च 31, 2019 को मूर्त शेयर 40.19% तथा अमूर्त शेयर 59.81% रहा ।

7.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है ।

7.2 शेयर अन्तरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी अन्तरण उनके प्रस्तुशत किए जाने की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दिर प्रभावी हों । बोर्ड ने अन्तशरणों की पुष्टि हेतु एक शेयर अन्तरण समिति गठित की है, जिसकी नियमित अन्तराल पर बैठक होती है ।

Dalal Street
Mumbai – 400 001.

b. The National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 051 — Stock Code/ Symbol: ANDHRABANK

The annual listing fee has been paid till 31.03.2019.

6.2 **Credit Ratings:** The details of outstanding bonds / Deposit programmes along with their credit ratings as on 31.03.2019 are as under:

Sl No.	Type of Bonds	Issue Size (Rs. in crore)	Coupon rate % (p.a.)	Credit Rating
1	Additional Tier I	500.00	9.55	CRISIL AA - /Negative,
2	Additional Tier I	800.00	10.95	CARE A+/Negative
3	Additional Tier I	900.00	10.99	CRISIL AA - /Negative, CARE A+/Negative
4	Additional Tier I	500.00	9.20	CRISIL AA - /Negative, CARE A+/Negative
5	Lower Tier II	320.00	8.55	CARE AA/Negative, BWR AA/Stable
6	Upper Tier II	280.00	8.70	CARE AA - /Negative, BWR AA - /Stable
7	Tier II	500.00	8.58	CRISIL AA+/Negative, CARE AA/Negative
8	Tier II	500.00	8.63	
9	Tier II	1000.00	8.65	
10	Tier II	1000.00	7.98	
11	Infra Bond	500.10	9.35	CARE AA/Negative CRISIL AA+/Negative
12	Certificate of Deposit	15000.00	Depends upon the maturity and the interest rates prevailing in the market	CARE A1+/ Negative

There is no revision in the credit ratings during the financial year 2018-19.

7. Dematerialisation of Securities

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank is a Member of the Depository Services with National Security Depository Ltd (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL), as an issuer company for dematerialisation of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The Depository Services have allotted the following ISIN number to the Bank.

NSDL -- INE434A01013
CDSL -- INE434A01013

As on March 31, 2019, out of 2,24,806 shareholders of the Bank 29,712 shareholders hold the shares of the Bank in physical mode and 1,95,094 shareholders hold the shares in demat form. Out of the total equity shares of 2,88,44,87,840 of the Bank, 2,62,06,34,630 equity shares are held by the Government of India and the remaining 26,38,53,210 are held by the public. As on March 31, 2019 physical shares constitute 40.19% and dematerialized shares stand at 59.81%.

7.1 No Dividend is proposed during the financial year 2018-19.

7.2 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers are duly effected within the period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has

रजिस्ट्रार तथा शेयर अन्तरण एजेंट निर्धारित सांविधिक अवधि के अन्द्र अन्तरण की प्रक्रिया करते हैं, जिसकी पुष्टि शेयर अन्तरण समिति द्वारा की जाती है ।

शेयर अन्तरण, लाभांश का भुगतान तथा निवेशकों से सम्बान्धित अन्य सभी क्रियाकलापों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार और शेयर अन्तलरण एजेंट, मैसर्स एमसीएस शेयर अन्तअरण एजेंट लिमिटेड, मुंबई के कार्यालय में की जाती है ।

शेयरधारक अन्तरण विलेख एवं अन्य कोई दस्तावेज तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तिरण एजेंट के निम्नलिखित पते पर भेज हैं :

मैसर्स एमसीएस शेयर अन्तरण एजेंट लिमिटेड
यूनिट : आन्ध्रा बैंक
ए-2019, 'सी' विंग, द्वीतिय तल
गोकुल औद्योगिक एस्टेट, सागबौग
मरोल को-ऑपरेटिव ईंडस्ट्रीयल एरिया, बी/एच टाइम्स स्क्यार
अंधेरी (ई), मुंबई - 400 059
फोन नं. 022-28516020/23
फैक्स नं. 022-40206021
संपर्क व्यक्ति : श्री सुबोध विचारे
ई-मेल आईडी : mcssta.mumbaigmail.com;
subodhmcsregistrars.com

बैंक प्रधान कार्यालय के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग में निवेशक सेवाओं से सम्बन्धित कार्य भी करता है । कोई भी संसूचना/पत्राचार/अनुरोध/शिकायत को निवारण हेतु निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:

कम्पनी सचिव
शेयरधारकों/निवेशक संबंध अनुभाग
आन्ध्रा बैंक,
डॉ पट्टाभि भवन, प्रधान कार्यालय
5-9-11, सैफाबाद
हैदराबाद - 500 004
टेलीफोन : 040-23252371 फ़ैक्स 040-23230883;
ई-मेल पता : **mbdandhrabank.co.in**

7.3 एस्क्रो खाता खोलना

सेबी ने अपने परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा इक्विटी सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए में संशोधन किया है । संशोधन के अनुसार, किसी पब्लिक इश्यूक अथवा अन्य इश्यूआ के कारण मूर्त रूप में जारी शेयरों हेतु, जो अदावे रूप में रह जाते हैं, जारीकर्ता कम्पनी को उसमे निहित प्रक्रिया का पालन करना है ।

बैंक ने आन्ध्रा बैंक केन्द्री कृत डीपी शाखा, कोटी, हैदराबाद में एस्क्रो खाता खोला है तथा दिनांक 25.03.2010 को हमारे फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर में भाग लेने वाले शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को अंतरित किया है । बैंक ने 183 शेयरधारकों से संबंधित 27,279 अदावाकृत शेयरों को उपर्युक्त एस्क्रो खाते में अन्त रित किया। वर्ष 2018-19 के दौरान, खाते से शेयरधारकों के डीमैट खातों में इक्वीटी शेयर के अंतरण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । उचंत खाते में बकाया अदावाकृत शेयरों की संख्या 18,947 शेयर हैं ।

इन अदावी शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि ऐसे शेयरों के न्यायसम्मत मालिक शेयरों का दावा नहीं करते हैं ।

निम्नलिखित अदावी लाभांश राशि का शेष बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 बी के प्रावधानों के अन्तकर्गत निम्नण विवरण के अनुसार निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अन्तारित किया जाएगा तथा इसके पश्चामत शेयरधारकों द्वारा बैंक अथवा आईईपीएफ को भुगतान हेतु कोई दावा नहीं होगा:

क्र. सं.	अदत्ता लाभांश खातों के विवरण	लाभांश भुगतान तिथि	दिनांक 31.03.2019 को शेष राशि (रुपये में)	आईईपीएफ में अन्तरण करने की देय तिथि
1	अदत्त लाभांश खाता 2010-11	29.06.2011	2,45,99,009.00	दि. 29.10.2018 अंतरित किया गया
2	अदत्त लाभांश खाता 2011-12	11.07.2012	2,73,84,176.00	18.10.2019
3	अदत्त लाभांश खाता 2012-13	29.07.2013	2,95,84,070.00	05.11.2020
4	अदत्त लाभांश खाता 2013-14	31.01.2014	85,87,243.20	07.04.2021
5	अदत्त लाभांश खाता 2014-15	17.07.2015	1,56,44,646.00	24.10.2022
6	अदत्त लाभांश खाता 2015-16	26.07.2016	61,80,384.50	02.11.2023

वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया गया था ।

constituted a Share Transfer Committee for confirmation of the transfers, which meets at regular intervals.

The Registrars & Share Transfer Agents undertake the process of transfers within the stipulated statutory period which is confirmed by the Share Transfer Committee.

Share Transfers, Dividend Payments and all other Investor related activities are attended to and processed at the Office of the Registrars and Share Transfer Agents, M/S.MCS Share Transfer Agent Limited, Mumbai.

The Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at the following address of the Registrars and Share Transfer Agents:

M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED

Unit: ANDHRA BANK

A-209, 'C' WING, 2ND FLOOR

GOKUL INDUSTRIAL ESTATE, SAGBAUG

MAROL CO-OP INDUSTRIAL AREA, B/H TIMES SQUARE

ANDHERI (E), MUMBAI - 400059

PH.NO. 022-28516020/23

FAX NO. 022-40206021

Contact Person: Mr. Subodh Vichare

Email id: mcssta.mumbai@gmail.com;

subodh@mcsregistrars.com

The Bank also undertakes the investor services in Merchant Banking Division at Head Office of the Bank. Any communication / correspondence /grievances/ complaints can be sent to the following address for redressal:

The Company Secretary

Shareholders/ Investor Relation Section

Andhra Bank

Dr. Pattabhi Bhavan, Head Office

5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004.

Tel: 040-23252371 Fax. 040-23230883;

E-mail id: mbd@andhrabank.co.in

7.3 Opening of an ESCROW Account

The SEBI vide its circular No. CIR/CFD/DIL/10/2010 dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure therein.

The Bank has opened an ESCROW Account with Andhra Bank Centralised DP Branch, Koti, Hyderabad and on 25.03.2010 transferred the unclaimed shares of the shareholders who have participated in our Follow-on Public Offer. 27,279 unclaimed shares pertaining to 183 shareholders were transferred to the above Escrow Account.

During the year 2018-19, no request has come for transferring of equity shares from the account to the shareholders' demat account. The number of unclaimed shares outstanding in the Suspense account are 18,947 shares.

The voting rights on these unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

The balance of the following Unclaimed Dividend amount will be transferred as per details mentioned below to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) under the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF by the shareholders:

Sl No.	Details of the Unpaid Dividend Accounts	Dividend Payment Date	Balance as on 31.03.2019 (In Rs)	Due Date to transfer to IEPF
1	Unpaid Dividend A/c 2010-11	29.06.2011	2,45,99,009.00	Transferred on 29.10.2018
2	Unpaid Dividend A/c 2011-12	11.07.2012	2,73,84,176.00	18.10.2019
3	Unpaid Dividend A/c 2012-13	29.07.2013	2,95,84,070.00	05.11.2020
4	Unpaid Dividend A/c 2013-14	31.01.2014	85,87,243.20	07.04.2021
5	Unpaid Dividend A/c 2014-15	17.07.2015	1,56,44,646.00	24.10.2022
6	Unpaid Dividend A/c 2015-16	26.07.2016	61,80,384.50	02.11.2023

8. वित्तीय कैलेंडर

8.1 शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की अठारहवीं वार्षिक साधारण बैठक का विवरण :

वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय एवं स्थान	सोमवार, 09 जुलाई, 2018 दोपहर 12.00 बजे श्री सत्य साईं निगमगमम, 8-3-987/2, श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद -500073

8.2 वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

अवधि की समाप्ति पर तिमाही परिणामों का अनुमोदन :

दिनांक 30 जून, 2019 – जुलाई, 2019 के अंत तक

दिनांक 30 सितंबर, 2019 – अक्टूबर, 2019 के अंत तक

दिनांक 31 दिसंबर, 2019 – जनवरी, 2020 के अंत तक

दिनांक 31 मार्च, 2020 – लेखा परीक्षित वार्षिक खाते – अप्रैल, 2020

8.3 वार्षिक सामान्य बैठक हेतु लेखा बन्दी की तिथि

दिनांक 03.07.2018 से 09.07.2018 (दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक बही बन्दी।

8.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है ।

8.5 दिनांक 31.03.2019 को शेयरधारिता का स्वरूप

क्र.सं.	वर्ग	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों का %
01	भारत सरकार	1	2620634630	90.8527
02	आम जनता	221611	113764188	3.9440
03	एनआरआई/ओसीबी	1706	2995069	0.1038
04	निजी कॉर्पोरेट निकाय	1378	16652119	0.5773
05	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	4	389717	0.0135
06	बैंक/ वित्तीय संस्थान/बीमा कम्पनी	33	100783116	3.4940
07	विदेशी संस्थागत निवेशक	46	28789798	0.9981
08	अन्य	27	479203	0.0166
	कुल	2,24,806	288,44,87,840	100.0000

दिनांक 31 मार्च, 2019 तक कुल विदेशी शेयरधारिता 1.1019% ((दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 2.9297%) रही, जो बैंक की प्रदत्तर पूंजी के 20% के निर्धारित स्तर के अन्दर है :

क्र.सं.	वर्ग	दिनांक 31.03.2018 तक		दनांक 31.03.2019 तक	
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	विदेशी संस्थागत निवेशक	84	32228799	46	28789798
2	एनआरआई/ओसीबी	1696	2892750	1706	2995069
	कुल	1780	3,51,21,549	1752	3,17,84,867

8.6 बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए हैं

8.7 दिनांक 31.03.2019 को बैंक के शीर्ष 5 शेयरधारक

आन्ध्रा बैंक – दिनांक 31.03.2019 को शीर्ष 5 शेयरधारक			
क्र.सं.	धारक का नाम	धारिता	कुल धारिता का %
1	भारत सरकार	2620634630	90.8527
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	97831820	3.3917
3	पिमको इक्विटी सीरीज पिमको राइ फंडामेंटल इमर्जिंग	3951838	0.1370
4	वेंगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	3504126	0.1215
5	कॉपथल मॉरिसस इनवेस्टमेंट लिमिटेड	2860670	0.0992

No Dividend was proposed during the financial year 2016-17 and 2017-18.

8. Financial Calendar

8.1 Annual General Meeting of the Shareholders:

Particulars of the Eighteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank:

Date, Time & Venue of the AGM Monday, July 09, 2018 at 12.00 noon at Sri Sathya Sai Nigamagammam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500073

8.2 Financial Calendar (Tentative)

Approval of quarterly results for the period ending:

June 30, 2019 -- End of July, 2019

September 30, 2019 -- End of October, 2019

December 31, 2019 -- End of January, 2020

March 31, 2020 -- Audited Annual Accounts – April, 2020

8.3 Date of Book Closure for Annual General Meeting

Book Closure from 03.07.2018 to 09.07.2018 (both days inclusive).

8.4 No Dividend is proposed for the financial year 2018-19.

8.5 SHARE HOLDING PATTERN AS ON 31.03.2019

Sl. No.	Category	No. of Holders	No. of Shares	% to Shares
01	Government of India	1	2620634630	90.8527
02	General Public	221611	113764188	3.9440
03	NRIs / OCBs	1706	2995069	0.1038
04	Private Corporate Bodies	1378	16652119	0.5773
05	Mutual Funds & UTI	4	389717	0.0135
06	Banks / Financial Institutions / Insurance Cos.	33	100783116	3.4940
07	Foreign Portfolio Investors	46	28789798	0.9981
08	Others	27	479203	0.0166
	T O T A L	**2,24,806**	**288,44,87,840**	**100.0000**

The total foreign shareholding as on 31st March, 2019 was 1.1019% (2.9297% as on 31st March, 2018) as under, which is within the stipulated level of 20% of the paid up capital of the Bank:

Sl. No.	Category	As on 31.03.2018		As on 31.03.2019	
		No. of shareholders	No. of shares	No. of shareholders	No. of shares
1.	Foreign Portfolio Investors	84	32228799	46	28789798
2.	NRIs / OCBs	1696	2892750	1706	2995069
	Total	**1780**	**3,51,21,549**	**1752**	**3,17,84,867**

8.6 Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments.

8.7 Top 5 shareholders of the Bank as on 31.03.2019

ANDHRA BANK - TOP 5 SHAREHOLDERS AS ON 31/03/2019			
SRL	NAME OF HOLDER	HOLDING	% TOTAL HOLDING
1	GOVERNMENT OF INDIA	2620634630	90.8527
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	97831820	3.3917
3	PIMCO EQUITY SERIES PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING	3951838	0.1370
4	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3504126	0.1215
5	COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED	2860670	0.0992

9. दिनांक 31-03-2019 तक श्रेणी-वार शेयरधारकों का वितरण

	शेयरधारक		शेयर राशि	
अंकित मूल्य	धारक	%	राशि	%
5000 तक	184046	81.8688	309071210	1.0715
5001 - 10000	22773	10.1301	188591220	0.6538
10001 - 20000	10176	4.5266	148089060	0.5134
20001 - 30000	2955	1.3145	74498740	0.2583
30001 - 40000	1240	0.5516	44566890	0.1545
40001 - 50000	912	0.4057	42983450	0.149
50001 - 100000	1481	0.6588	108326610	0.3755
100001 तथा अधिक	1223	0.5439	27928751220	96.824
कुल	**224806**	**100**	**28844878400**	**100**

(*) मुंबई में प्रतिनिधि कार्यालय वाले एफआईआई/एनआरआई शेयरधारक सम्मिलित हैं ।

दिनांक 31/03/2019 को आन्ध्रा बैंक राज्य वार नियन्त्रण			
राज्य का नाम	धारकों की संख्या	कुल धारिता	%
अंडमान निकोबार	11	962	0.0000
आन्ध्र प्रदेश	49413	23981241	0.8314
अरुणाचल प्रदेश	4	728	0.0000
असम	608	482153	0.0167
बिहार	1628	753415	0.0261
चंडीगढ़	375	288867	0.0100
छत्तीसगढ	864	402986	0.0140
दिल्ली	9165	2628801059	91.1358
गोवा	472	446846	0.0155
गुजरात	11921	6067371	0.2103
हरियाणा	2250	1280352	0.0444
हिमाचल प्रदेश	212	78573	0.0027
जम्मू कश्मीर	238	151605	0.0053
झारखण्ड	1443	884403	0.0307
कर्नाटक	13127	6759043	0.2343
केरल	4169	2075838	0.0720
मध्य प्रदेश	2896	1666215	0.0578
महाराष्ट्र	24982	152218350	5.2771
मणिपुर	7	823	0.0000
मेघालय	30	10658	0.0004
नागालैंड	22	12759	0.0004
ओडीशा	4785	1932313	0.0670
पौंडिचेरी	307	117361	0.0041
पंजाब	1682	1083033	0.0375
राजस्थान	4394	2715831	0.0942
सिक्किम	20	91443	0.0032
तमिलनाडु	16673	8705580	0.3018
तेलंगाना	35402	20637403	0.7155
त्रिपुरा	62	25607	0.0009
उत्तर प्रदेश	7240	3379294	0.1172
उत्तरांचल	511	153177	0.0053
पश्चिम बंगाल	8569	5794434	0.2009
अन्य	21324	13488117	0.4676
कुल	**224806**	**2884487840**	**100.0000**

9. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS RANGE-WISE AS ON 31-03-2019

	SHARE HOLDERS		SHARE AMOUNT	
Nominal Value	**Holders**	**%**	**Amount**	**%**
Upto 5000	184046	81.8688	309071210	1.0715
5001 - 10000	22773	10.1301	188591220	0.6538
10001 - 20000	10176	4.5266	148089060	0.5134
20001 - 30000	2955	1.3145	74498740	0.2583
30001 - 40000	1240	0.5516	44566890	0.1545
40001 - 50000	912	0.4057	42983450	0.149
50001 - 100000	1481	0.6588	108326610	0.3755
100001 and above	1223	0.5439	27928751220	96.824
Total	**224806**	**100**	**28844878400**	**100**

(*) includes FII / NRI shareholders having correspondent offices in Mumbai

ANDHRA BANK STATE WISE CONTROL AS ON 31/03/2019			
STATE NAME	**NO OF HOLDERS**	**TOTAL HOLDING**	**%**
ANDAMAN NICOBAR	11	962	0.0000
ANDHRA PRADESH	49413	23981241	0.8314
ARUNACHAL PRADESH	4	728	0.0000
ASSAM	608	482153	0.0167
BIHAR	1628	753415	0.0261
CHANDIGARH	375	288867	0.0100
CHHATTISGARH	864	402986	0.0140
DELHI	9165	2628801059	91.1358
GOA	472	446846	0.0155
GUJARAT	11921	6067371	0.2103
HARYANA	2250	1280352	0.0444
HIMACHAL PRADESH	212	78573	0.0027
JAMMU KASHMIR	238	151605	0.0053
JHARKHAND	1443	884403	0.0307
KARNATAKA	13127	6759043	0.2343
KERALA	4169	2075838	0.0720
MADHYA PRADESH	2896	1666215	0.0578
MAHARASHTRA	24982	152218350	5.2771
MANIPUR	7	823	0.0000
MEGHALAYA	30	10658	0.0004
NAGALAND	22	12759	0.0004
ORISSA	4785	1932313	0.0670
PONDICHERRY	307	117361	0.0041
PUNJAB	1682	1083033	0.0375
RAJASTHAN	4394	2715831	0.0942
SIKKIM	20	91443	0.0032
TAMIL NADU	16673	8705580	0.3018
TELANGANA	35402	20637403	0.7155
TRIPURA	62	25607	0.0009
UTTAR PRADESH	7240	3379294	0.1172
UTTARANCHAL	511	153177	0.0053
WEST BENGAL	8569	5794434	0.2009
OTHERS	21324	13488117	0.4676
TOTAL	**224806**	**2884487840**	**100.0000**

10 शेयर मूल्य, शेयर बाजार में व्यापार कि गए शेयरों की मात्रा

अवधि	भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड			बीएसई लिमिटेड, मुंबई		
माह	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा
अप्रैल, 2018	47.00	37.20	130505283	47.00	37.00	8960948
मई, 2018	40.00	33.10	104011627	39.95	33.15	7590374
जून, 2018	38.00	31.05	86554434	37.90	31.05	5237751
जुलाई, 2018	36.75	29.25	134361071	36.75	29.30	9209044
अगस्त, 2018	36.60	31.10	86023726	36.65	31.20	6214230
सितंबर, 2018	35.70	26.70	102489534	35.65	27.00	7025740
अक्टूबर, 2018	29.80	25.25	33441437	29.35	25.20	3283506
नवंबर, 2018	31.25	27.35	25514209	31.10	26.00	2533201
दिसंबर, 2018	29.80	25.75	18450323	30.35	25.85	1260080
जनवरी, 2019	30.60	24.85	17267322	30.65	25.00	1136754
फरवरी, 2019	26.00	22.75	15318076	26.05	22.70	1237294
मार्च, 2019	28.50	24.45	26025730	28.50	24.55	1623973

बैंक निफ्टी, एनएसई तथा बीएसई के संचालन की तुलना में बैंक के शेयर का निष्पादन निम्न प्रस्तुत है :

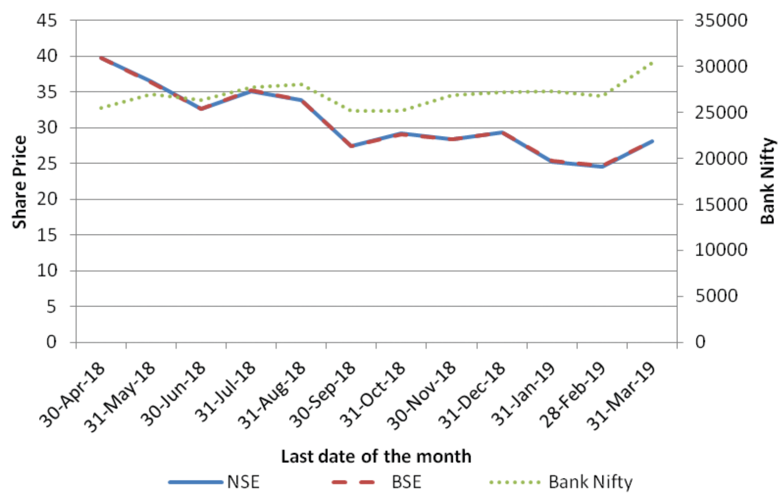

10 SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED ON STOCK EXCHANGES

Period	National Stock Exchange of India Limited			BSE Limited, Mumbai		
Month	High	Low	Volume	High	Low	Volume
April 2018	47 .00	37.20	130505283	47 .00	37.00	8960948
May 2018	40 .00	33.10	104011627	39.95	33.15	7590374
June 2018	38 .00	31.05	86554434	37.90	31.05	5237751
July 2018	36.75	29.25	134361071	36.75	29.30	9209044
August 2018	36.60	31.10	86023726	36.65	31.20	6214230
September 2018	35.70	26.70	102489534	35.65	27.00	7025740
October 2018	29.80	25.25	33441437	29.35	25.20	3283506
November 2018	31.25	27.35	25514209	31.10	26.00	2533201
December 2018	29.80	25.75	18450323	30.35	25.85	1260080
January 2019	30.60	24.85	17267322	30.65	25.00	1136754
February 2019	26.00	22.75	15318076	26.05	22.70	1237294
March 2019	28.50	24.45	26025730	28.50	24.55	1623973

Performance of Bank's share in comparison with the movement of Bank Nifty, NSE & BSE is shown here below:

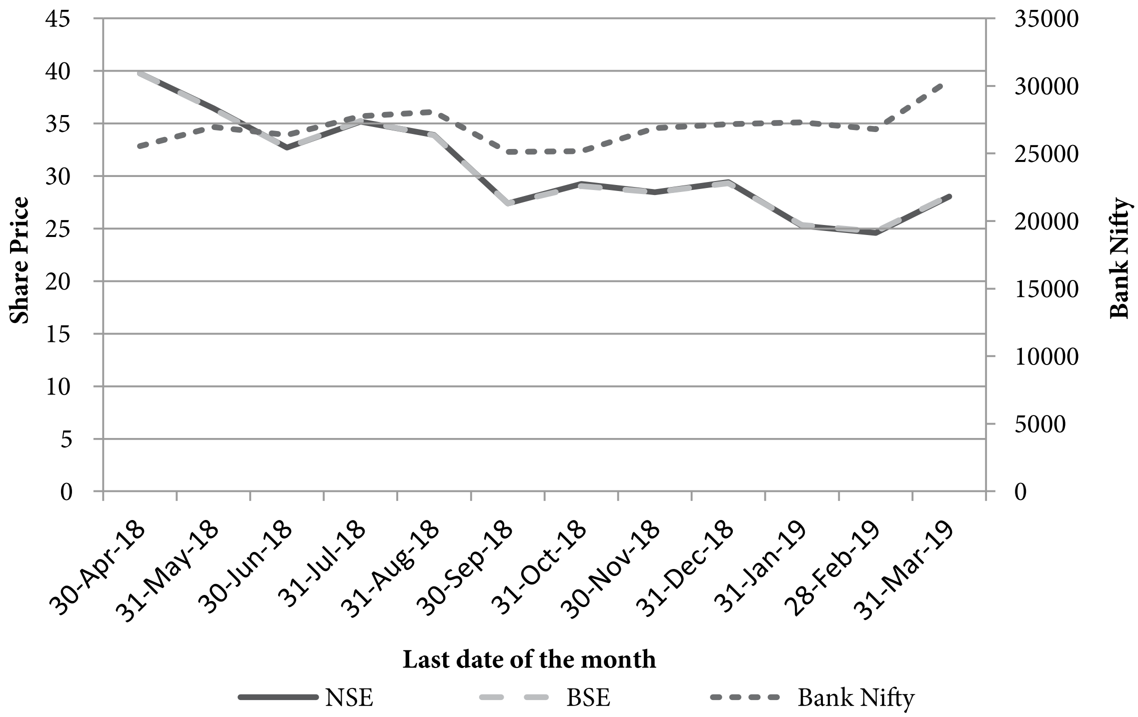

वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रत्येक माह के दौरान बाजार मूल्य डाटा-उच्च, न्यून निम्नानुसार प्रस्तुत है:

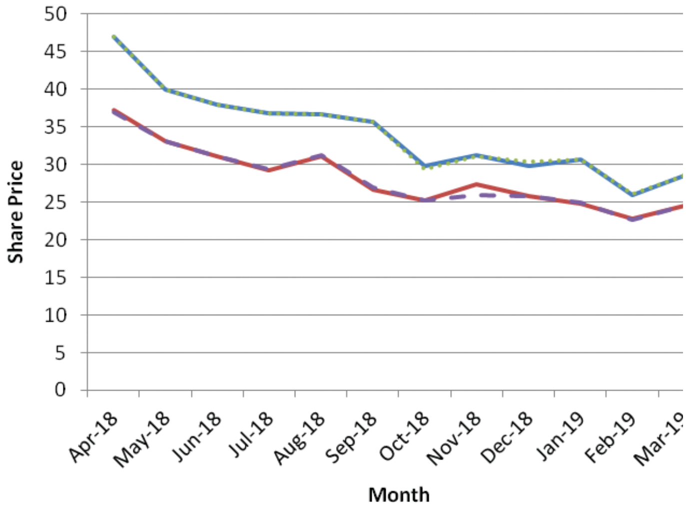

11. प्रति शेयर डाटा

	2016-17	2017-18	2018-19
अंकित मूल्य (रु.)	10/-	10/-	10/-
दिनांक 31 मार्च तक बाजार भाव - एनएसई (रु.)	57.95	41.60	28.05
प्रति शेयर आय (रु.)	2.56	(38.94)	(19.01)
प्रति शेयर लाभांश (रु.)	--	--	--
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	153.84	60.25	34.29
लाभांश भुगतान (निवल लाभ का %)	--	--	--

12. चलनिधि

आन्ध्रा बैंक का शेयर बी.एस.ई. में समूह/सूची ए/एस एवं पी बीएसई 500 एवं एनएसई के एनआईएफटीवाई 500 में सम्मिलित है। व्यातपार की पर्याप्तम मात्रा शेयरधारकों को प्रवेश/निकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

13. दिनांक 31.03.2019 तक बैंक के बाँड के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता निम्नानुसार है :

आईडीबीआई ट्रस्टीशीप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन भवन
17, भू-तल, आर कमानी मार्ग
बलार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001
फोन नं. 022-40807037

बैंक के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ द्वारा घोषणा

सेबी (सूचीकरण बाध्य ता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार

निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन के कर्मचारियों ने 31.03.2019 तक निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(जे पक्रिरिसामी)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Market Price data-high, low during each month in Financial Year 2018-19 is shown under:

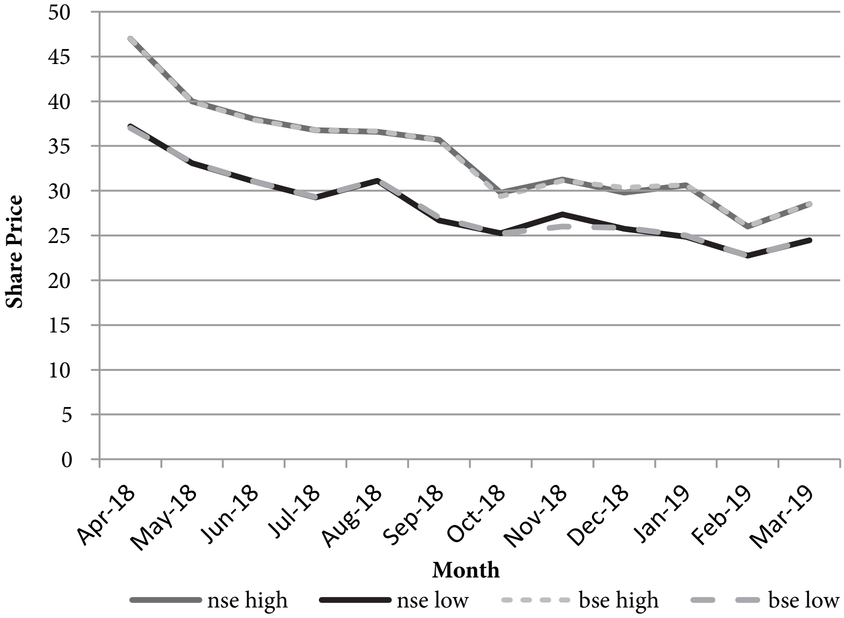

11. PER SHARE DATA

	2016-17	2017-18	2018-19
Face Value (Rs.)	10/-	10/-	10/-
Market Quotation as on 31st March-NSE (Rs.)	57.95	41.60	28.05
Earnings Per Share (Rs.)	2.56	(38.94)	(19.01)
Dividend Per Share (Rs.)	--	--	--
Book Value Per Share (Rs.)	153.84	60.25	34.29
Dividend payout (% of Net Profit)	--	--	--

12. LIQUIDITY

Andhra Bank scrip belongs to Group / Index 'A/S&P BSE 500' on BSE and 'NIFTY 500' on NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

13. The name and address of Debenture Trustees in respect of Bank's Bonds as on 31.03.2019 are as follows:

IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building
17, Ground Floor, R. Kamani Marg
Ballard Estate, Mumbai – 400 001
Ph No. 022-40807037

DECLARATION BY MD AND CEO OF THE BANK

[Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

The members of the Board of Directors and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of Board of Directors and Senior Management as on 31.03.2019.

J. Packirisamy
Managing Director & CEO

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 का विनियम 34 (3) तथा अनुसूची V, पैरा सी का खंड 10 (i) के अनुसरण में

सेवा में,
आन्ध्रा बैंक के सदस्यगण

हमने संबंधित रजिस्टर, अभिलेख, फार्म, रिटर्न, प्रतिज्ञापत्र तथा आन्ध्रा बैंक जिसका डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004 (एतदपश्चात 'आन्ध्रा बैंक' के रूप में संदर्भित) में प्रधान कार्यालय है, के निदेशकों से प्राप्त प्रकटन की जाँच की तथा विनियम 34 (3) जिसे भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा सी उप खंड 10 (i) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई ।

हमारी राय में तथा उत्तम जानकारी के अनुसार तथा अनिवार्य मानी जाने वाली सत्यापन तथा बैंक एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुरूप, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त–वर्ष हेतु निम्न कथित बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में जारी रहने अथवा नियुक्त किए जाने पर रोक लगाई अथवा अयोग्य ठहराया है ।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री जे पक्किरिसामी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	21.09.2018
2.	श्री अजित कुमार रथ	कार्यपालक निदेशक	13.03.2015
3.	श्री कुल भूषण जैन	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017
4.	सुश्री अंजना दूबे	भारत सरकार नामित निदेशक	28.04.2017
5.	श्री यूजीन ई कर्थक	भारिबैंक नामित निदेशक	13.03.2014
6.	श्री बालगोपाल महापात्र	निदेशक	27.12.2017
7.	श्री अरवामुदन कृष्णकुमार	निदेशक	14.03.2018
8.	श्री गोपालन शिवकुमार	निदेशक	14.03.2018

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता हेतु पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इनपर राय देना है । प्रमाण–पत्र न तो बैंक की भविष्य व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही क्षमता अथवा प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कार्य किया है ।

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 27.05.2019

कृते डी. हनुमंत राजू एवं कं.
कंपनी सचिव
सीएस. डाटला हनुमंता राजू
साझेदार
एफसीएस: 4044, सीपी नं. 1709

Certificate of Non-Disqualification of Directors

(Pursuant to Regulation 34 (3) and clause 10(Iof Para C, Schedule V of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To,
The Members of
ANDHRA BANK

We have examined the relevant registers, records, forms, returns, covenants and disclosures received from the Directors of ANDHRA BANK and having its Head Office at Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2019 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India or any such other Statutory Authority.

Sl. No.	Name of Director	Designation	Date of Appointment in Bank
1.	Shri J Packirisamy	MD & CEO	21.09.2018
2.	Shri. Ajit Kumar Rath	Executive Director	13.03.2015
3.	Shri. Kul Bhushan Jain	Executive Director	09.10.2017
4.	Ms.Anjana Dube	Govt of India, Nominee Director	28.04.2017
5.	Shri.Eugene Emmaneul Karthak	RBI Nominee Director	13.03.2014
6.	Shri. Balgopal Mahapatra	Director	27.12.2017
7.	Shri.Aravamudan Krishnakumar	Director	14.03.2018
8.	Shri. Gopalan Sivakumar	Director	14.03.2018

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Place: Hyderabad
Date: 27.05.2019

For **D. Hanumanta Raju & Co**
Company Secretaries
CS. Datla Hanumanta Raju
Partner
FCS: 4044, CP No.: 1709

प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के विनियम 17(8) के अनुसरण में

निदेशक मंडल
आन्ध्रा बैंक
प्रधान कार्यालय
हैदराबाद

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

क. 31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरण तथा नकद–प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई है तथा हमारी उत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार :

. इi इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण नहीं है अथवा किसी तथ्यात्मक जानकारी को छोडा नहीं गया है अथवा ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हों।

ii. ये सभी विवरण एक साथ बैंक के कार्यों का सही एवं उचित चित्रण करते हैं तथा लागू कानून, विनियम एवं वर्तमान लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण, गैर–कानूनी अथवा बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुए कोई लेनदेन नहीं किए गए हैं।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की जाँच कर ली है तथा हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को, ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियाँ, यदि हों, तथा जो हमें ज्ञात हुई हों, सूचित कर दी हैं तथा इन कमियों को दूर करने हेतु हमारे द्वारा किए अथवा प्रस्तावित उपायों के बारे में भी सूचित कर दिया है ।

घ. हमने लेखा–परीक्षकों तथा लेखा–परीक्षा समिति को निम्न की सूचना दी है:–

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उनकी सूचना वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी गई है । और

iii. महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की घटनाएं, जो हमारे ध्यान में आईं तथा प्रबंधन अथवा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि हो।

एम बाबू राजेंद्र प्रसाद	जे. पक्किरिसामी
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थाान: हैदराबाद

दिनांक: 13.05.2019

Certificate

[Pursuant to Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

The Board of Directors
ANDHRA BANK
Head Office
Hyderabad

This is to certify that:

A. The financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2019, have been reviewed and that to the best of our knowledge and belief:

   i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with the existing accounting standards, applicable laws and regulations;

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:

   i. significant changes in internal control over financial reporting during the year;

   ii. significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

M. B. Rajendra Prasad
Chief Financial Officer

J. Packirisamy
Managing Director & CEO

Place: Hyderabad
Date: 13.05.2019

अग्रवाल और सक्सेना सनदी लेखाकार 510-511, पांचवीं मंजिल सिटी सेंटर, 63/2, द मॉल कानपुर - 208 001	रॉय और कं. सनदी लेखाकार शेक्सपियर कोर्ट, 21 ए शेक्सपियर सरिनी, फ्लैट 8 सी, 8वीं मंजिल कोलकाता 700 017	संतोष गुप्ता और कं. सनदी लेखाकार 417, अटलांटा एस्टेट जीएम लिंक रोड, विट भट्टी , गोरेगांव (पूर्व) मुंबई - 400 063	जीएस माधव राव एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफ 5 और 7, हैदराबाद बिजनेस सेंटर, हैदरगुडा , हैदराबाद - 500 029

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाण पत्र

सेवा में
आन्ध्रा बैंक के सदस्यगण,

यह प्रमाण पत्र कॉरपोरेट अभिशासन, जैसा कि सेबी में सूचीबद्ध है (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू है, के शर्तों के अनुपालन में जारी किया गया है।

हमने तदनुसार, आन्ध्रा बैंक के प्रासंगिक ब्यौषरे, प्रलेखों और दस्तावेजों की जांच की है और उक्तद जानकारी और व्युख्यान के आधार पर हम निवेदन करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्ती वर्ष के लिये कॉरपोरेट अभिशासन का पालन किया है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रमाण पत्र तैयार करना आन्ध्रा बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है, (यहाँ से आगे बैंक) जिसमें सभी प्रासंगिक सहायक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की तैयारी और रखरखाव शामिल है। इस जिम्मेदारी में उक्त प्रमाणपत्र की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का ढाँचा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

बैंक का प्रबंधन बैंक के सदस्यों को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

भारत सरकार के सनदी लेखाकार संस्थाकन द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों और अन्य लागू आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार, उक्त् प्रमाण पत्र का हमारे द्वारा सत्यापन किया गया था।

हमने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए विशेष प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार प्रमाण पत्र की हमारी जाँच की है। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचरण संहिता की नीति संबंधी आवश्यकताओं का पालन करें ।

हमारी जाँच प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिसे कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाया गया था। यह बैंक के वित्तीय विवरणियों पर न तो एक लेखा-परीक्षा है और न ही एक राय है।

राय

ऊपर के रूप में हमारे मूल्यांकन के दौरान, हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रासंगिक जानकारी पर भरोसा किया है। हमारे निष्कर्ष ऐसी सूचनाओं पर निर्भर हैं जो सभी भौतिक मामलों में सटीक और पूर्ण हैं।

सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 जहाँ तक राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू हैं, में निर्धारित 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये हमने, आंध्रा बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तपम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, ऊपर बताई गई बातों के अधीन -

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है जो उपर्युक्त सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए लागू है।

हम बताते हैं कि बैंक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार सभी निवेशक शिकायतों को निर्धारित समय के भीतर निवारण किया जाता है।

हम आगे बताते हैं कि इस तरह के अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

यह प्रमाण पत्र केवल बैंक के सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए तैयार किया गया है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को भेजा या वितरित नहीं किया जाना है। तदुनसार, किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पार्टी को या जिसे यह दिखाया गया है या जिनके हाथों में यह हमारी पूर्व सहमति के बिना लिखित रूप में आ सकता है, हम किसी भी दायित्व या देखभाल के किसी भी दायित्व, स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं।

किसी भी स्थिति में हम किसी भी तरह से धोखाधड़ी कृत्यों, गलतफहमी, जानबूझकर चूक या आन्ध्रा बैंक की ओर से उनके प्रबंधन, कर्मचारियों या एजेंटों की ओर से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

कृते अग्रवाल और सक्सेना सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002405सी)	कृते रॉय और कं. सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 313124ई)	कृते संतोष गुप्ता एंड कंपनी सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 009713एन)	कृते जी एस माधव राव एंड कंपनी सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 001907एस)
(सीए अनिल के सक्सेना) साझेदार एम. सं.071600	(सीए सुब्रत रॉय) साझेदार एम. सं. 051205	(सीए मनोज कुमार) साझेदार एम. सं. 108603	(सीए माणिक्यप्रसाद गोल्लाएमुड़ी) साझेदार एम. सं. 020105

स्थान: हैदराबाद
तिथि - 13 मई, 2019

M/s. AGARWAL & SAXENA	M/s. RAY & CO	M/s. SANTOSH GUPTA & CO	M/s. G S MADHAVA RAO & CO
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
Kanpur	Kolkata	Mumbai	Hyderabad

Certificate on Corporate Governance

To,

The Members of Andhra Bank,

This Certificate is issued in compliance with conditions on Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as far as applicable to the Nationalised Banks.

We have accordingly, examined the relevant details, records and documents of Andhra Bank and on the basis of the said information and explanations we have to submit that the Bank has complied with the Corporate Governance for the year ended 31st March 2019.

Management Responsibility

The preparation of the certificate is the responsibility of the Management of Andhra Bank, (hereinafter the "Bank") including the preparation and maintenance of all relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the captioned certificate.

The Bank's Management is also responsible for providing all relevant information to the members of the Bank.

Auditor's Responsibility

Our verification of the captioned certificate was conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We conducted our examination of the Certificate in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Opinion

In the course of our assessment as above, we have relied upon the relevant information provided by the management. Our conclusions are dependent on such information being accurate and complete in all material respects.

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Andhra Bank, for the year ended 31st March, 2019, as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as far as applicable to the Nationalised Banks.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, subject to what is stated above:

We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent applicable to the Nationalised Banks.

We state that all investor grievances are redressed within the stipulated time as per the record maintained by the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on Use

This certificate has been prepared solely for use by the members of the bank and it is not to be used, referred to or distributed for any other purpose or to any other person. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

In no event shall we be liable for any loss, damage, cost or expense arising in any way from fraudulent acts, misrepresentations or willful default on the part of Andhra Bank and their management , employees or agents.

FOR AGARWAL & SAXENA	**FOR RAY & CO**	**FOR SANTOSH GUPTA & CO**	**FOR G S MADHAVA RAO & CO**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN:002405C	FRN:313124E	FRN:009713N	FRN:001907S
(CA ANIL K. SAXENA)	**(CA SUBRATA ROY)**	**(CA MANOJ KUMAR)**	**(MANIKYAPRASAD GOLLAMUDI)**
PARTNER (M.NO. 071600)	PARTNER (M. No. 051205)	PARTNER (M.NO. 108603)	PARTNER (M. NO. 020105)

Place: Hyderabad
Date: 13.05.2019

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र BALANCE SHEET AS ON 31.03.2019

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
पूंजी तथा देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी CAPITAL	1	2884,48,78	1198,83,18
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष RESERVES & SURPLUS	2	10280,63,74	9619,45,49
जमा DEPOSITS	3	219821,00,00	208070,47,86
उधार BORROWINGS	4	10278,10,90	18269,04,86
अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	6047,18,12	5013,55,73
कुल TOTAL		**249311,41,54**	**242171,37,12**
आस्तियाँ ASSETS			
भारिबैं में नकदी एवं शेष CASH AND BALANCES WITH RBI	6	10126,77,33	9911,04,86
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	4907,06,56	6033,25,91
निवेश INVESTMENTS	8	62953,09,14	64770,29,81
अग्रिम ADVANCES	9	158822,68,73	149064,12,50
अचल आस्तियां FIXED ASSETS	10	1558,08,48	1473,29,58
अन्य आस्तियां OTHER ASSETS	11	10943,71,30	10919,34,46
कुल TOTAL		**249311,41,54**	**242171,37,12**
आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES	12	203677,32,29	145666,14,53
वसूली हेतु बिल BILLS FOR COLLECTION		9801,11,35	8773,41,18
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा पर टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं The Schedules referred to aboveformanintegralpartofBalanceSheet.

कुल भूषण जैन KUL BHUSHAN JAIN
कार्यपालक निदेशक Executive Director

अजित कुमार रथ AJIT KUMAR RATH
कार्यपालक निदेशक Executive Director

जे पक्किरिसामी J PACKIRISAMY
प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

जी शिवकुमार G SIVAKUMAR
निदेशक Director

ए कृष्ण कुमार A KRISHNAKUMAR
निदेशक Director

बालगोपाल महापात्र BALGOPAL MAHAPATRA
निदेशक Director

पी जे थॉमस P J THOMAS
निदेशक Director

अंजना दुबे ANJANA DUBE
निदेशक Director

बी सत्यनारायण राव B. SATYANARAYANA RAO
सहायक महा प्रबन्धक एम Assistant General Manager

एम बी राजेन्द्र प्रसाद M.B.RAJENDRA PRASAD
महा प्रबन्धक General Manager

बालगोपाल महापात्र BALGOPAL MAHAPATRA
निदेशक Director

As per our report of even date

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना	**कृते रॉय एण्ड कम्पनी**	**कृते सन्तोष गुप्ता एण्ड क.**	**कृते जी एस महादेव राव एण्ड क.**
FOR AGARWAL & SAXENA	**FOR RAY & CO**	**FOR SANTOSH GUPTA & CO**	**FOR G S MADHAVA RAO & CO**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 002405सी FRN:002405C	फर्म पंजी सं 313124ई FRN:313124E	फर्म पंजी. सं 009713एन FRN:009713N	फर्म पंजी. सं 001907एस FRN:001907S
(सीए अनिल के सक्सेना)	(सीए सुब्रत रॉय)	(सीए मनोज कुमार)	(सीए मानिक्य प्रसाद जी)
(CA ANIL K. SAXENA)	**(CA SUBRATA ROY)**	**(CA MANOJ KUMAR)**	**(CA MANIKYA PRASAD G)**
साझेदार (एम सं 071600)	साझेदार (एम सं 051205)	साझेदार (एम सं 108603)	साझेदार (एम सं 020105)
PARTNER (M.NO. 071600)	PARTNER (M.NO. 051205)	PARTNER (M.NO. 108603)	PARTNER (M.NO. 020105)

स्थान Place: हैदराबाद Hyderabad
दिनांक Date: 13.05.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
आय INCOME			
अर्जित ब्याज INTEREST EARNED	13	18932,22,05	17974,53,80
अन्य आय OTHER INCOME	14	2045,04,03	2372,06,18
कुल आय TOTAL INCOME		**20977,26,08**	**20346,59,98**
व्यय EXPENDITURE			
विस्तरित ब्याज INTEREST EXPENDED	15	12223,99,15	11639,77,96
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES	16	3730,14,89	3345,78,85
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ PROVISIONS AND CONTINGENCIES		7809,24,76	8773,55,93
कुल व्यय TOTAL EXPENDITURE		**23763,38,80**	**23759,12,74**
वर्ष हेतु निवल लाभ /(हानि) NET PROFIT / (LOSS) FOR THE YEAR		**(2786,12,72)**	**(3412,52,76)**
आगे लाया गया समेकित निवल लाभ /(हानि) PROFIT/(LOSS) BROUGHT FORWARD		(3463,08,53)	1,53,46
कुल TOTAL		**(6249,21,25)**	**(3410,99,30)**
विनियोजन APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO STATUTORY RESERVE		97,91	13,02,31
आरक्षित पूंजी को अंतरण TRANSFER TO CAPITAL RESERVE		2,93,75	39,06,92
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO REVENUE & OTHER RESERVES		-	-
आई.टी आधिनियम के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि को अंतरण TRANSFER TO SPECIAL RESERVE		-	-
प्रस्तावित लाभांश PROPOSED DIVIDEND		-	-
लाभांश पर कर DIVIDEND TAX		-	-
तुलनपत्र को ले जाया गया शेष BALANCE CARRIED OVER TO BALANCE SHEET		(6253,12,91)	(3463,08,53)
कुल TOTAL		**(6249,21,25)**	**(3410,99,30)**
प्रति शेयर आय (मूल एवं अवमिश्रित) ₹ EARNING PER SHARE (BASIC AND DILUTED) ₹		**(19.01)**	**(38.94)**

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग है. The Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account

कुल भूषण जैन KUL BHUSHAN JAIN
कार्यपालक निदेशक Executive Director

अजित कुमार रथ AJIT KUMAR RATH
कार्यपालक निदेशक Executive Director

जे पक्किरिसामी J PACKIRISAMY
प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

जी शिवकुमार G SIVAKUMAR
निदेशक Director

ए कृष्ण कुमार A KRISHNAKUMAR
निदेशक Director

बालगोपाल महापात्र BALGOPAL MAHAPATRA
निदेशक Director

पी जे थॉमस P J THOMAS
निदेशक Director

अंजना दुबे ANJANA DUBE
निदेशक Director

बी सत्यनारायण राव B. SATYANARAYANA RAO
सहायक महा प्रबन्धक एम Assistant General Manager

एम बी राजेन्द्र प्रसाद M.B.RAJENDRA PRASAD
महा प्रबन्धक General Manager

बालगोपाल महापात्न BALGOPAL MAHAPATRA
निदेशक Director

As per our report of even date

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
FOR AGARWAL & SAXENA
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 002405सी FRN:002405C
(सीए अनिल के सक्सेना)
(CA ANIL K. SAXENA)
साझेदार (एम सं 071600)
PARTNER (M.NO. 071600)

कृते रॉय एण्ड कम्पनी
FOR RAY & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी सं 313124ई FRN:313124E
(सीए सुब्रत रॉय)
(CA SUBRATA ROY)
साझेदार (एम सं 051205)
PARTNER (M.NO. 051205)

कृते सन्तोष गुप्ता एण्ड क.
FOR SANTOSH GUPTA & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 009713एन FRN:009713N
(सीए मनोज कुमार)
(CA MANOJ KUMAR)
साझेदार (एम सं 108603)
PARTNER (M.NO. 108603)

कृते जी एस महादेव राव एण्ड क.
FOR G S MADHAVA RAO & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 001907एस FRN:001907S
(सीए मानिक्य प्रसाद जी)
(CA MANIKYA PRASAD G)
साझेदार (एम सं 020105)
PARTNER (M.NO. 020105)

स्थान Place: हैदराबाद Hyderabad
दिनांक Date: 13.05.2019

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in "000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE-1:: पूंजी CAPITAL		
I. अधिकृत पूंजी AUTHORISED CAPITAL		
10/- रु प्रत्येक के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर 600,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each गत वर्ष 10/- रु प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर Previous Year 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	6000,00,00	3000,00,00
II. जारी, अभिदत्त, मांगे गए तथा प्रदत्त ISSUED,SUBSCRIBED, CALLED UP AND PAID UP		
₹ 10/- रु प्रत्येक के 2884,48,78 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 119,88,31,827 इक्विटी शेयर) (केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे 262,06,34,630 इक्विटी शेयर सहित) (गत वर्ष 93,49,78,617 ईक्विटी शेयर) 288,44,87,840 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 119,88,31,827 Equity Shares) [Including 262,06,34,630 Equity Shares (Previous year 93,49,78,617 Equity Shares) held by Central Government]	2884,48,78	1198,83,18
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- I	**2884,48,78**	**1198,83,18**
अनुसूची SCHEDULE- 2 : प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षिती STATUTORY RESERVE		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2808,53,73	2795,51,42
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	97,91	13,02,31
घटाएं: कटौतियां Less : Deductions	280,53,08	-
कुल Total- I	**2528,98,56**	**2808,53,73**
II. पूंजी प्रारक्षिती CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षिती A. REVALUATION RESERVE		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	835,49,61	849,72,30
वर्ष के दौरान जमा Addition during the Year	138,49,65	-
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन भाग पर संचित मूल्यह्रास) Deduction during the year (Being depreciation on revalued portion of property)	14,22,69	14,22,69
कुल-II क Total-II A	**959,76,57**	**835,49,61**
ख. प्रारक्षिती शेष B. OTHER RESERVES		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	643,64,63	604,57,71
वर्ष के दौरान जमा Addition during the Year	2,93,75	39,06,92
कुल-II ख Total-II B	**646,58,38**	**643,64,63**
कुल-II क+ख Total-II A+B	**1606,34,95**	**1479,14,24**
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	4963,64,38	2491,31,22
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	3589,34,40	2472,33,16
कुल-III Total-III	**8552,98,78**	**4963,64,38**
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती REVENUE AND OTHER RESERVES		
क. राजस्व प्रारक्षिती A. Revenue Reserve		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2376,21,67	2487,83,50
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	14,22,69	35,71,71
घटाएं: कटौतियां Less : Deductions	-	147,33,54
कुल-IV क Total-IV A	**2390,44,36**	**2376,21,67**

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
ख) आई.टी. अधिनियम की धारा 36(1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षिती B. SPECIAL RESERVE U/s 36 (1) (viii) of IT Act		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	1455,00,00	1455,00,00
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	-	-
घटाएं: कटौतियां Less : Deductions	-	-
कुल IV ख Total-IV B	**1455,00,00**	**1455,00,00**
कुल IV (क+ख) Total-IV (A+B)	**3845,44,36**	**3831,21,67**
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	**(6253,12,91)**	**(3463,08,53)**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- 2	**10280,63,74**	**9619,45,49**
अनुसूची SCHEDULE-3 :: जमा DEPOSITS		
I-क. मांग जमा A. DEMAND DEPOSITS		
i) बैंको से From Banks	47,48,44	62,82,79
ii) अन्य से From Others	10183,09,67	10297,77,04
कुल Total 1-A	**10230,58,11**	**10360,59,83**
I--ख. बचत बैंक जमा B. SAVING BANK DEPOSITS		
i) बैंको से From Banks	-	-
ii) अन्य से From Others	58767,69,90	54235,96,95
कुल Total 1-B	**58767,69,90**	**54235,96,95**
I-ग. मीयादी जमा C. TERM DEPOSITS		
i) बैंको से From Banks	5,36,92	5,06,36
ii) अन्य से From Others	150817,35,07	143468,84,72
कुल Total 1-C	**150822,71,99**	**143473,91,08**
कुल-I TOTAL-I.	**219821,00,00**	**208070,47,86**
II-क. भारत की शाखाओं मे जमा II-A. DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	219821,00,00	208070,47,86
II-ख. भारत के बाहर की शाखाओं में जमा II-B. DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	-	-
कुल-II TOTAL-II.	**219821,00,00**	**208070,47,86**
कुल अनुसूची - 3 TOTAL SCHEDULE-3	**219821,00,00**	**208070,47,86**

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 4 :: उधार BORROWINGS		
I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से From Reserve Bank of India	500,00,00	7001,49,00
ii) अन्य बैंकों से From Other Banks	-	-
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां Other Institutions & Agencies	1939,34,65	1400,18,36
iv) गौण ऋण SUBORDINATED DEBTS		
क) 9.15% 124 माह बांड a) 9.15% 124 Months Bonds	-	700,00,00
ख) 11.00% 120 माह बांड b) 11.00% 120 Months Bonds	-	600,00,00
ग)8.55% 120 माह बांड c) 8.55% 120 Months Bonds	320,00,00	320,00,00
v) नवोन्मेषी परपेच्युअल ऋण बॉण्ड Innovative Perpetual Debt Bonds	-	200,00,00
vi) अपर टीयर- II बॉण्ड Upper Tier II Bonds	800,00,00	1000,00,00
vii) 7 वर्षीय इनफ्रा बॉण्ड 7 Years Infra Bonds	500,10,00	500,10,00
viii) अतिरिक्त टीयर-I परपेच्युअल ऋण बॉण्ड Additional Tier-I Perpetual Debt Bonds	2700,00,00	2700,00,00
ix) टीयर-II बॉण्ड बेसल-III Tier-II Bonds BASEL-III	3000,00,00	3000,00,00
उप जोड SUB-TOTAL I	**9759,44,65**	**17421,77,36**
II. भारत से बाहर उधार BORROWINGS OUTSIDE INDIA	518,66,25	847,27,50
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- 4	**10278,10,90**	**18269,04,86**
अनुसूची SCHEDULE - 5 :: अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल Bills Payable	772,63,85	839,78,70
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustment (Net)	927,52,39	-
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	368,66,16	362,93,37
IV. मानक आस्तियों के विरूद्ध आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions Against Standard Assets	731,44,63	769,44,63
V. आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability	-	-
VI. अन्य (प्रावधान सहित) Others (Including Provisions)	3246,91,09	3041,39,03
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-5	**6047,18,12**	**5013,55,73**
अनुसूची SCHEDULE - 6 :: भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी तथा शेष CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash In Hand (Including Foreign Currency Notes)	984,61,05	1129,70,21
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Balance with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	9142,16,28	8781,34,65
ii) अन्य खातों में In Other Accounts	-	-
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-6	**10126,77,33**	**9911,04,86**

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE-7 :: बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में IN INDIA		
i). बैंकों में शेष Balances with Banks		
क) चालू खातों में a)In Current Accounts	47,98,18	64,36,46
ख) अन्य खातों में b) In Other Accounts	-	-
कुल Total (i)	**47,98,18**	**64,36,46**
ii). मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों में a).With Banks	4800,00,00	5900,00,00
ख) अन्य संस्थाओं में b).With Other Institutions	-	-
कुल Total (ii)	**4800,00,00**	**5900,00,00**
कुल Total-I (i+ii)	**4847,98,18**	**5964,36,46**
II. भारत से बाहर OUTSIDE INDIA		
क) चालू खातों में a) In Current Accounts	59,08,38	68,89,45
ख) अन्य खातों में b) In Other Deposit Accounts	-	-
ग) मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि c) Money at Call and Short Notice	-	-
कुल Total-II	**59,08,38**	**68,89,45**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-7	**4907,06,56**	**6033,25,91**
अनुसूची SCHEDULE - 8 :: निवेश INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA		
i). सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	57479,76,26	59072,74,42
ii). अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	-	-
iii). शेयर Shares	515,16,60	796,58,04
iv). डिबेंचर तथा बांड Debentures and Bonds	2512,21,93	2499,90,52
v). अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	218,50,48	218,50,47
vi). अन्य (वाणिज्यिक पत्र,वीसीएफ एवं प्रतिभूति रसीद आदि) Others	2086,78,57	2043,43,60
कुल Total - I	**62812,43,84**	**64631,17,05**
II. भारत से बाहर निवेश INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i). अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	140,65,30	139,12,76
कुल Total - II	**140,65,30**	**139,12,76**
कुल Total (I and II)	**62953,09,14**	**64770,29,81**
भारत में सकल निवेश Gross Investments in India	65475,18,02	66602,28,62
घटायें Less : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provision for Depreciation	2662,74,18	1971,11,57
भारत में निवल निवेश Net Investments in India	**62812,43,84**	**64631,17,05**
भारत से बाहर कुल निवेश Gross Investments outside India	143,28,07	143,28,08
घटायें Less : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provision for Depreciation	2,62,77	4,15,32
भारत में निवल निवेश Net Investments outside India	**140,65,30**	**139,12,76**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-8	**62953,09,14**	**64770,29,81**

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 9 :: अग्रिम ADVANCES		
I-क खरीदे एवं भुनाए गए बिल I-A.Bills Purchased and Discounted	1384,26,63	1910,80,31
I-ख.नकदऋण,ओवरड्राफ्ट एवं ऋणमांगपर चुकौतीयोग्यऋण I-B.Cash Credits,Overdrafts and Loans (repayable on demand)	90069,31,03	81797,78,06
I-ग.मीयादीऋण I-C.Term Loans	67369,11,07	65355,54,13
कुल - I Total - I	**158822,68,73**	**149064,12,50**
II-अग्रिमकेब्यौरे : II Particulars of Advances :		
II-क. मूर्तआस्तियोंद्वारारक्षित(बही-ऋणोंकेविरूद्धअग्रिमोंसहित) II-A.Secured By Tangible Assets (Includes Advances against Book Debts)	144242,59,59	133675,87,24
II-ख. बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर किया गया II-B.Covered by Bank/Government Guarantees	9771,20,04	5083,83,01
II-ग. अरक्षित अग्रिम II-C.Unsecured Advances	4808,89,10	10304,42,25
कुल - II Total - II	**158822,68,73**	**149064,12,50**
III Sectoral Classification of Advances		
III-क. भारत में अग्रिम III-A. Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	75160,34,54	66910,94,18
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	12002,36,50	10991,90,09
iii) बैंक Banks	-	-
iv) अन्य Others	71659,97,69	71161,28,23
कुल Total	**158822,68,73**	**149064,12,50**
III-ख. भारत के बाहर अग्रिम III-B Aadvances outside India	-	-
कुल - III Total - III	**158822,68,73**	**149064,12,50**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-9	**158822,68,73**	**149064,12,50**
अनुसूची SCHEDULE - 10 :: अचल आस्तियां FIXED ASSETS		
A. मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS		
I. परिसर PREMISES		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर At Cost as on 31st March of the preceding year	1812,03,73	1770,42,38
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	9,40,61	41,86,57
मूल लागत का पूनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation in original cost	222,50,75	-
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती Deductions during the year	-	25,22
तिथि को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन के खाते पर संचित मूल्यह्रास सहित) Depreciation to date (including accumulated depreciation on account of revaluation)	939,36,51	839,07,16
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयू डी वी WDV at the end of the Year	**1104,58,58**	**972,96,57**
II. अन्य अचल आस्तियां OTHER FIXED ASSETS (Including furniture & fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर At Cost as on 31st March of the preceding year	1578,81,20	1483,58,00
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	70,40,84	123,75,55
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	49,26,43	28,52,35
तिथि को मूल्यह्रास Depreciation to date	1172,25,58	1119,71,89
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयई डी वी WDV at the end of the Year	**427,70,03**	**459,09,31**
III. पूंजीगत चालू कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर At Cost as on 31st March of the preceding year	7,95,38	45,70,35
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	15,17,07	12,03,00
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	16,49,62	49,77,97
वर्ष की समाप्ति पर मूल्य Value at the end of the Year	**6,62,83**	**7,95,38**
B. अमूर्त आस्तियां INTANGIBLE ASSETS		
I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर At Cost as on 31st March of the preceding year	212,25,21	199,86,99
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	88,87	12,38,46
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती Deductions during the year	4,41	24
तिथि को मूल्यह्रास/परिशोधन Depreciation/Amortization to date	193,92,63	178,96,89
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयू डी वी WDV at the end of the Year	**19,17,04**	**33,28,32**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-10	**1558,08,48**	**1473,29,58**

तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 11 :: अन्य आस्तियां OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	- - -	345,89,94
II. उपचित ब्याज Interest Accrued	1677,93,95	1610,25,37
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल) Tax Paid in Advance/Tax Deducted at Source (Net of Provision)	3969,32,80	2845,98,20
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प Stationery & Stamps	13,84,35	14,87,06
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax Asset (Net)	2296,71,04	2539,71,04
VI. अन्य Others	2985,89,16	3562,62,85
कुल अनुसूची -11 TOTAL SCHEDULE-11	**10943,71,30**	**10919,34,46**
अनुसूची SCHEDULE - 12 :: आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंकों के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता Claims against Bank not acknowledged as debts	1918,54,91	1738,68,17
II. आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर/निवेश हेतु देयता Liability for partly paid Shares/Investments	-	-
III. पूंजी प्रतिबद्धता Capital Commitments	30,20,24	24,49,61
IV. विकल्प एवं व्युतपन्न Options & Derivatives	-	-
V. बकाया वायदा विनिमय करार Outstanding Forward Exhange Contracts	172560,46,86	107131,73,89
VI. घटकों (बीजी) की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of Constituents		
क). भारत में a) In India	16040,29,13	15639,10,90
ख). भारत से बाहर b) Outside India	-	-
VII. स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	4870,95,66	5835,83,35
VIII. लैटर ऑफ कम्फर्ट Letter of Comfort	7,53,64	1016,06,53
IX. ब्याज-दर स्वैप Interest Rate Swaps	-	-
X. विवादग्रस्त कर Disputed Tax Liability	2750,29,00	1903,28,00
XI. अन्य मदें जिन हेतु बैंक आकस्मिक रूप से बाध्य है Other Items for which Bank is Contingently Liable	5499,02,85	12376,94,08
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-12	**203677,32,29**	**145666,14,53**

31 मार्च, 2019 को लाभ एवं हानि खाते के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars			31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 13 :: अर्जित ब्याज INTEREST EARNED				
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट Interest/Discount on Advances/ Bills			14172,55,03	13069,24,99
II. निवेश पर आय Income on Investments			4558,12,22	4488,43,01
III. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष पर ब्याज तथा अन्य अंतर-बैंक निधियां Interest on balances with Reserve Bank of India and Other Inter Bank Funds			88.24.41	133,46,27
IV. अन्य Others			113,30,39	283,39,53
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-13			**18932,22,05**	**17974,53,80**
अनुसूची SCHEDULE - 14 :: अन्य आय OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज Commission, Exchange and Brokerage			579,12,10	557,72,83
II. निवेश की बिक्री पर लाभ Profit on Sale of Investments	126,46,11	501,05,28		
निवेश की बिक्री पर हानि less Loss on Sale of Investments	-42,74,26	-11,72,80	83,71,85	489,32,48
III. निवेश (निवल) के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) Profit/(Loss) on Revaluation (NET) of Investments			- -	- -
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	1,75,73	82,68		
भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि Less Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	-1,29,70	-29,13	46,03	53,55
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ Profit on Exchange Transactions	206,50,73	244,86,24		
विनिमय लेनदेन पर हानि less Loss on Exchange Transactions	-156,55,70	-114,72,85	49,95,03	130,13,39
VI. अनुषंगी/कम्पनियों/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि से आय Income by way of Dividend etc. from Subsidiaries / Companies / Joint ventures in India			7,33,03	4,73,12
VII. विविध आय Miscellaneous Income			1324,45,99	1189,60,81
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-14			**2045,04,03**	**2372,06,18**

31 मार्च, 2019 को लाभ एवं हानि खाते के अन्तर्गत अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT AS ON 31ST MARCH, 2019

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 15 :: विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज Interest on Deposits	11476,02,44	10784,73,03
II. भारतीय रिजर्व बैंक में /अंतर बैंक उधार पर ब्याज InterestonReserveBankofIndia/InterBank Borrowings	270,38,71	199,54,97
III. अन्य Others	477,58,00	655,49,96
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-15	**12223,99,15**	**11639,77,96**
अनुसूची SCHEDULE - 16 :: परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों हेतु प्रावधान तथा भुगतान Payment to and Provisions for Employees	2241,49,55	1857,79,32
II. किराया, कर तथा बिजली Rent, Taxes and Lighting	308,20,69	313,02,26
III. मुद्रण तथा लेखन सामग्री Printing and Stationery	29,56,15	30,05,29
IV. विज्ञापन तथा प्रचार Advertisement and Publicity	9,91,43	11,15,40
V. बैंक सम्पत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on Bank's Property	131,37,64	195,26,48
VI. निदेशक केशुल्क, भत्ते एवं व्यय Director's Fees, Allowances and Expenses	43,69	31,44
VII. लेखापरीक्षक के शुल्क एवं व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों) Auditors' Fees and Expenses (Including Branch Auditors)	32,05,19	27,37,80
VIII. विधि प्रभार Law Charges	3,24,62	27,86,74
IX. डाक, तार एवं दूरभाष आदि Postages, Telegram & Telephones etc.	53,57,07	43,58,88
X. मरम्मत तथा रख-रखाव Repairs and Maintenance	126,84,60	127,08,57
XI. बीमा Insurance	217,99,78	199,48,45
XII. अन्य व्यय Other Expenditure	575,44,48	512,78,22
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-16	**3730,14,89**	**3345,78,85**

अनुसूची -17 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

सामान्य :

1.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, अन्यथा उल्लिखित न होने पर, लेखांकन के विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी शर्तों/दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 एवं भारतीय सनदी लेखाका संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों, मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं ।

1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तिथि को आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) के संबंध में रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट किए गए आय और व्यय के संबंध में प्राक्कलन और अनुमान का उपयोग किया जाता है । प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त प्राक्कलन उचित और युक्ति संगत हैं। भविष्य के परिणाम इन प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं । लेखांकन प्राक्कलन में किसी प्रकार के परिशोधन को चालू और भविष्य की अवधि में भविष्यगामी मान्यता दी जाती है ।

2. राजस्व की पहचान :

2.1 निम्नलिखित को छोडकर, आय और व्यय की पहचान सामान्यत : संचयी आधार पर की जाती है ।

i. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज का निर्धारण वसूली के आधार पर किया जाता है ।

ii. कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क, अतिदेय बिलों पर ब्याज, एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

iii. लाभांश उसकी प्राप्ति का अधिकार सुनिश्चित होने पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

iv. वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय प्रभारित किया गया है तथा वसूली पर उन्हें आय के रूप में परिकलित किया जाता है ।

2.2 निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि :

I. निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को भारित औसत लागत के आधार पर मूल्य तिथियों को मान्यता प्राप्त है । डेबेंचर/बॉण्ड की मोचन पर प्रीमियम मोचन की तिथि को मान्यता प्राप्त है ।

ii. “बिक्री हेतु उपलब्ध” और “व्यापार हेतु रखे हुए” श्रेणियों में निवेश की बिक्री पर लाभ, लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है ।

iii. “परिपक्वता हेतु रखे हुए” श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और लाभ की बराबर राशि पूंजी रिज़र्व (करों का निवल और संवैधानिक रिज़र्व में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि) में विनियोजित किया जाता है ।

iv. सभी तीन श्रेणियों में निवेश की बिक्री पर हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है ।

2.3 अनर्जक अग्रिमों में आंशिक वसूली को निम्नानुसार प्राथमिकता आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

i. वसूली हेतु व्यय/कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय ।

ii. ब्याज अनियमितताएं/संचित ब्याज ।

iii. मूल अनियमितताएं यथा खाते में बकाया मूल राशि ।

2.4 अनर्जक अग्रिमों में समझौता निपटान वाले मामलों में वसूलियाँ पहले मूल राशि के लिए समायोजित की जाती हैं ।

विदेशी मुद्रा लेनदेन :

3.1 आय एवं व्यय की मदें लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं ।

3.2 मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय-दर पर पुनः मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है ।

3.3 डेरिवेटिव-उत्पाद (वायदा संविदा (व्यापारी और अंतरबैंक दोनों)/भविष्य मुद्रा/विदेशी विनिम मुद्रा आदि) आरम्भ में संविदा की बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय-दर पर रिकार्ड किया जाता है । इन्हें फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्त तिमाही दरों पर पुनः मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है । वर्तमान मूल्य एमटीएम तक पहुंचने के लिए एफआईएमएमडीए-जेडसीवाईसी दरों (छ: माह) उपयोग कर परिणामत: बाजार भाव (एमटीएम) लाभ/हानि को छूट दी जाती है और परिणामत: लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है ।

3.4 विदेशी साख पत्रों/लैटर ऑफ कम्फर्ट तथा गारंटी पत्रों को, ऐसी प्रतिबद्धता की तिथि पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है । वित्त वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दर पर बकाया मदों का पुनः वर्णन किया जाता है ।

3.5 बैक-टू-बैक आधार पर लिये गये डेरिवेटिव-उत्पाद जैसे ब्याज दर स्वैप/वायदा दर करार/विकल्प आदि अथवा बैंक को अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की हैजिंग हेतु संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तिथि को, अंतिम तिथि को रिपोर्ट किये जाते हैं । इन लेन-देन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक समानुपातिक अवधि हेतु किया जाता है । बैक-टू-बैक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित की जाती है ।

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL:

1.1. Basis of preparation

The financial statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles in India which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/ guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

1.2. Use of estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods

2. REVENUE RECOGNITION:

2.1 Income and Expenditure are generally recognised on accrual basis, except the following;

i. Interest on non-performing advances and non performing investments is recognized based on realisation as per prudential norms laid down by Reserve Bank of India.

ii. Income by way of Commission, exchange, brokerage, fee, interest on overdue bills, and rent on lockers are accounted for on realisation.

iii. Dividend is accounted for on accrual basis when the right to receive the same is established.

iv. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and on recovery the same are accounted as income.

2.2 Profit / Loss on Sale of Investments:

i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on redemption Debentures/ Bonds is recognized on the date of redemption.

ii. Profit on sale of investments held in “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in the Profit and Loss Account.

iii. Profit on sale of investments in “Held to Maturity” category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

iv. Loss on sale of investments in all the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

2.3 Partial recoveries in non performing advances are appropriated in the following order of priority:

I Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery.

ii. Interest irregularities/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e., Principal outstanding in the account.

2.4 In case of non performing advances involving compromise settlements, the recoveries are first adjusted towards principal.

3. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

3.1 Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

3.2 Monetary Assets and Liabilities are revalued at the Exchange Rates notified by FEDAI at the close of the year and the Net Present Value (NPV) of the resultant gain/loss is recognized in the Profit and Loss Account.

3.3 Derivative products (forward contracts (both merchant & interbank) /currency futures /foreign currency swaps etc.) are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract. These are revalued at the Quarter-end rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss is taken to profit & loss account. The resultant Marked to market (MTM) gain/loss is discounted by using FIMMDA- ZCYC rates (6 month) to arrive at present value MTM and the resultant gain/loss is recognized in profit and loss A/c.

3.4 Foreign Letters of Credit/Letters of Comfort and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rates notified by FEDAI as at the close of the financial year.

3.5 Other derivative products like interest rate swaps / forward rate agreement/options etc. which are undertaken on back-to back basis or for hedging bank’s own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of contract and are reported at the closing rates at the balance sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back- to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

4. निवेश :

4.1 तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं :

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर एवं बाँड

v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस में निवेश

vi) अन्य

4.2 निवेश निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं ।

i) परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

iii) व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

4.3 **वर्गीकरण का आधार :**

i. निवेश की खरीद के समय इसे एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तत्पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन श्रेणियों में अंतरित किया जाता है ।

ii. 'परिपक्वता तक रखे गये' श्रेणी में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती हैं ।

iii. 'व्यापार के लिए रखे गये' श्रेणी में व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं ।

iv. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं ।

v. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्था में निवेश 'परिपक्वता तक रखे गए' निवेश के रूप में वर्गीकृत हैं ।

4.4 **मूल्यांकन :**

निवेश की प्राप्ति लागत निर्धारित करने हेतु

i. अंशदान पर प्राप्त ब्रोकरेज/कमीशन निवेश की लागत से घटा दिए जाते हैं । प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन लाभ एवं हानि खाते में जमा किए जाते हैं ।

ii. निवेश की प्राप्ति हेतु खर्च किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर और स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है ।

iii. ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना जाता है और लागत/बिक्री प्रतिफल से घटाया जाता है ।

iv. लागत, निवेश की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत आधार पर निर्धारित की जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश का मूल्यन निम्न आधार पर किया जाता है :

i. परिपक्वता तिथि तक रखे गए :

क. इस वर्ग में रखे गये निवेश, परिशोधन की अर्जन लागत, परिशोधन का निवल, यदि कोई हो, तो उस पर दर्शाए जाते हैं । अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक हो तो शेष, परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है । इस प्रकार प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समाशोधित किया जाता है ।

ख. अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट (भारत में और विदेशी दोनों) में निवेश का मूल्यांकन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश, जिनका निर्धरण रखाव लागत पर किया जाता है (यथा बही मूल्य), उनके अलावा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है ।

ग. अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा उद्यमों के निवेश मूल्यों का अलग निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है ।

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का निम्नानुसार मूल्यांकन किया गया है ।

सरकारी/प्राधिकृत प्रतिभूतियाँ	वाईटीएम (परिपक्वता पर मूल्य) के आधार पर
इक्विटि शेयर	अध्यतन तुलना पत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं), रू 1 प्रति कम्पनी के अलावा, बजार मूल्य पर उद्धृत भाव वाले शेयर और विश्लेषित मूल्य पर गैर-उद्धृत भाव वाले शेयर (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व पर विचार किए बिना, यदि कोई हो)
अधिमान्य शेयर	वाईटीएम आधार पर
डेबेंचर/बांड	वाईटीएम आधार पर
म्यूचुअल फंड इकाईयँ	प्रत्येक योजना के सम्बंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्क्रय मूल्य/एनएवी।

4. INVESTMENTS:

4.1 Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads :

i. Government Securities

ii. Other Approved Securities

iii. Shares

iv. Debentures and Bonds

v. Investments in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates and

vi. Others.

4.2 Investments are further classified into the following three categories :

i. Held to Maturity (HTM)

ii. Available for Sale (AFS)

iii. Held for Trading (HFT)

4.3 Basis of classification

I. An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the guidelines issued by Reserve Bank of India.

ii. "Held to Maturity" category comprises securities acquired with the intention to hold them up to maturity.

iii. "Held for Trading" category comprises securities acquired with the intention of trading.

iv. "Available for Sale" securities are those which are not classified under either of the above two categories.

v. Investments in Subsidiaries/Joint ventures/Associates are classified as "Held to Maturity".

4.4 Valuation :

In determining the acquisition cost of an investment

I Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost of Investments. The incentives received after the sale of securities is credited to Profit and Loss Account.

ii. Brokerage, commission, securities transaction tax and stamp duty paid in connection with acquisition of investments is treated as revenue expenditure.

iii. Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

iv. Cost is determined on the weighted average cost method for all the categories of investments.

The Investments are valued in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India on the following basis:-

i. Held to Maturity:

a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost, net of amortization, if any. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortised over the remaining period of maturity. Such amortization of premium is adjusted against income under the head 'Interest on Investments'.

b. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investment in Regional Rural Bank, which are valued at carrying cost (i.e. Book Value)

c. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for on each such investment individually.

ii. Available for Sale :

Investments classified under this category are valued as under.

Government / Approved securities	On YTM (Yield to Maturity) basis.
Equity Shares	Quoted Shares at market price and unquoted shares at break-up value (without considering Revaluation Reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise at ₹1 per Company.
Preference Shares	On YTM basis.
Debentures/ Bonds	On YTM basis.
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

व्यापार पूंजी निधि	लेखा-परीक्षित तुलना पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विश्लेषित एनएवी, जो 18 माह से अधिक पुराना नहीं है । यदि एनएवी/लेखा-परीक्षित वित्तीय 18 माह से अधिक पुराना उपलब्ध नहीं ,है तो प्रति वीसीएफ रु. 1/- होता है ।
प्रतिभूति प्राप्तियां	एनएवी पर आस्ति पुनर्निमाण कम्पनी द्वारा घोषित किए गए अनुसार ।
टी-बिल एवं वाणिज्यिक पत्र	रखाव लागत पर ।

पांच शीर्ष में से प्रत्येक के अन्तर्गत निवल मूल्यह्रास (सहायक कम्पनियों/संयुक्त व्यापार/एसोसिएट्स में निवेश के अलावा) पूरी तरह से प्रदान किया जाता है, जबकि निवल वृध्दि, यदि कोई हो, तो उपेक्षा की जाती है । व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य बाजार भाव के पश्चात किसी भी परिवर्तन से नहीं गुजरता है ।

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश :

प्रतिभूतिकरण कम्पनी (एससी)/आस्ति पुनर्निमाण कम्पनी (एआरसी) को प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के जारी के विरूद्ध एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में, एसआर में निवेश को (i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) (यथा बही मूल्य घटाव किए गए प्रावधान) तथा (ii) एसआर के उन्मोचन मूल्य से कम पर मान्यता दी जाती है । एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों हेतु लागू दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया जाता है । तद्नुसार, जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी किया गया एसआर संबंधित योजना में लिखतों हेतु सौंपे गए वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित है, वहां एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को ऐसे निवेश के मूल्यानिर्धारण हेतु माना जाता है ।

iii. व्यापारार्थ रखे गये :

क. इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक महीने के अंत में फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिडेट (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य/प्रतिफल, बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है ।

ख. प्रत्येक 5 शीर्ष (अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स् में निवेश के अलावा) में निवल मूल्यह्रास का पूर्ण प्रावधान है जबकि निवल वृद्धि, यदि हो, की उपेक्षा की जाती है । अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य में बाजार भाव करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ।

4.5 विवेकपूर्ण मानदंड :

i. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अर्जक और अनर्जक निवेशों की पहचान की गयी है ।

ii. गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के सम्बंध में, आय को मान्यता नहीं दी गयी है और भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावाधान किया गया है ।

4.6 रेपो/रिवर्स रेपो लेन-देन के लिए लेखांकन :

रेपो/रिवर्स रेपो (भारिबैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत संवैधानिक सुविधा (एमएसएफ) के अन्तर्गत रेपो/रिवर्स रेपो सहित) के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का लेखांकन संपार्श्विकयुक्त ऋण और उधार लेनदेन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य सीधी बिक्री/खरीद लेनदेन के रूप में ही किया जाता है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचलन का रिपो/रिवर्स रिपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए किया जाता है । उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया जाता है । लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । रिपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) और रिवर्स रिपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प- सूचना पर राशि) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

4.7 सामान्य :

i. सरकार तथा सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा खरीद एवं बिक्री लेनदेन निपटान-तिथि पर दर्ज किए जाते हैं ।

ii. (क) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण : अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है । अंतरण के समय जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, वृद्धि की उपेक्षा की जाती है तथा प्रतिभूति बही-मूल्य पर अंतरित की जाती है । ऐसे मामलों में जहां बाजार मूल्य बही-मूल्य से कम है, उस प्रतिभूति के विरूद्ध पहले ही रखे गए मूल्यह्रास के विरूद्ध प्रावधान और बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाता है तथा अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, को मान्यता दी जाती है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है ।

(ख) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में :

यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत हो -

- बट्टे पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में बही मूल्य/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है ।
- प्रीमियम पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है ।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के पश्चात्, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः मूल्य-ह्रास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है ।

(ग) प्रतिभूतियों के एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्यह्रास, यदि हो, तो उस हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्य-ह्रास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है ।

5. ब्याज दर स्वाप

5.1. ब्याज दर का स्वाप : (हेजिंग)

i. सतत स्वाप लेनदेनों पर आय उस स्वाप को छोडकर, जो आस्ति या देयता से संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत पर की गई है, का निर्धारण संचयी आधार पकिया गया है । उस मामले में स्वाप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं ।

Venture Capital Funds	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months then at ₹1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by the Asset Reconstruction Company.
T-Bill & Commercial Paper	At Carrying Cost.

The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

Investments in Security Receipts :

In case of sale of NPA (financial asset) to Securitization Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognized at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

iii. Held for Trading:

a. Investments classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/yields declared by Financial Benchmark India Limited (FBIL) at the end of every month.

b. The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Joint Ventures /Associates) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

4.5 Prudential Norms :

i. Investments are classified as performing and non performing based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

ii. In respect of non-performing investments (NPI), income is not recognised and provision is made for depreciation in value for such securities as per RBI guidelines.

4.6 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions :

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo (including repo/ reverse repo transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and the Marginal Standing Facility (MSF) with RBI) are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under Schedule 7 (Balances with Banks & Money at Call & Short Notice).

4.7 General

i. Purchase and sale transactions in Government and other than Government Securities are recorded on the date of settlement.

ii. a.) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category: Transfer is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation already held against that security and the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer is recognized and adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category:

If the security originally placed under HTM category:

- is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/ book value.

- is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortized cost.

After transfer in both the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and depreciation already held if any, is transferred to the provision for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

5. INTEREST RATE SWAPS :

5.1 Interest Rate Swaps: (Hedging)

i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability.

ii. जब समायोजित लाभ/हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वाप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है । इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वाप पर लाभ या हानि, स्वाप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं ।

5.2. ब्याज दर स्वाप (व्यापार)

i. व्यापार स्वाप के बाजार मूल्य को परिवर्तनों के साथ लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है ।

ii. इन स्वापों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तिथि में निर्धारित किया गया है ।

iii. शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है ।

iv. स्वाप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज की गई हैं ।

6. अग्रिम

6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार ऋण और अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

6.2 अग्रिमों का वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियां ऋण-वार किया गया है ।

6.3 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए भारिबैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए तथा अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं ।

6.4 तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि प्रावधान का निवल है ।

6.5 पुन: संरचित/पुनर्निधारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिनके अनुसार पुनर्निर्धारण से पूर्व और इसके बाद ऋण के उचित मूल्य में अंतर हेतु प्रावधान किया गया है। उचित मूल्य में कमी (डीएफवी) हेतु प्रावधान अग्रिम से घटाया जाता है ।

6.6 अनर्जक के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि यह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो ।

6.7 गत वर्ष अपलिखित ऋणों में वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष के दौरान आय के रूप में माना जाता है ।

6.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किया जाता है । इन प्रावधानों को तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिनपर निवल अनर्जक आस्तियों के आकलन के समय विचार नहीं किया जाता है ।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास तथा परिशोधन :

7.1 भूमि और परिसर के अलावा अन्य निश्चित परिसंपत्तियों को लागत, कम संचित मूल्यह्रास के रूप में हानि, यदि कोई हो, के लिए समायोजित के रूप में बताया गया है । लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने के लिए तैयार होने से पहले परिसंपत्ति पर लगाए गए अन्य शुल्क शामिल हैं । उपयोग करने के लिए लगाई गई संपत्ति पर बाद में किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब यह संपत्ति से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है ।

7.2 भूमि/परिसर, जिन का पुन: मूल्यांकन किया गया है, को छोडकर, अचल आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है । अचल आस्तियों की पुन: मूल्यांकित राशि सकल बही मूल और संचित मूल्यह्रास दोनों के पुन:कथन के बाद उल्लेख किया जाता है ताकि निवल बही मूल्य निवल पुन: मूल्यांकित राशि समान हो । पुन: मूल्यांकन पर मूल्य-वर्धन को पुन: मूल्यांकन रिज़र्व को जमा किया जाता है और वृद्धिशील मूल्यह्रास, यदि पुन: मूल्यांकित राशि से संबंधित हो, को इससे घटाया जाता है ।

7.3 पट्टा पर दिया और पूर्ण स्वामित्व वाले दोनों परिसर का लागत भूमि लागत शामिल हैं ।

7.4 मूल्य-ह्रास

I एक सीधी रेखा के आधार पर अचल संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास का प्रभार लगाया जाता है । प्रबंधन का मानना है कि बैंक द्वारा मूल्यांकन की गई संपत्ति का उपयोगी जीवन, पर्यावरण में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और उपयोग में संपत्ति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है । अचल संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नांकित है ।

विवरण	अवशिष्ट मूल्य	बैंक द्वारा निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन
परिसर - पूर्ण स्वामित्व (फ्रिहोल्ड)	मूल लागत का 5%	60 वर्ष
अन्य अचल सम्पत्ति :		
सुरक्षित जमा लॉकर, सुरक्षित कक्ष दरवाजे, तिजोरी	रु.1/-	30 वर्ष
फर्नीचर,फिक्स्चर,विद्युत फिटिंग, वातानुकूल संयंत्र और उपकरण	रु.1/-	10 वर्ष
स्वचलित टेल्लर मशीन/नकद जमा मशीन/कॉइन डिस्पेनसर/कॉइन वेंडिंग मशीन	रु.1/-	7 वर्ष
कार्यालय उपकरण	रु.1/-	5 वर्ष
मोटर कार,वैन एवं मोटर साईकल	मूल लागत का 5%	5 वर्ष
कम्प्यूटर और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अभिन्न अंग	रु.1/-	3 वर्ष

ii. Gains/ losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset/liability.

5.2 Interest Rate Swaps: (Trading)

i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss Account;

ii. Income and Expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;

iii. Fee is recognized as income or expense as the case may be;

iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

6. ADVANCES

6.1 Loans and Advances are classified as Performing and Non-Performing, based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets borrower wise.

6.3 Provisions are made for Non Performing Advances (NPAs) as per the extant guidelines prescribed by Reserve Bank of India and Additional Provisions as assessed.

6.4 Advances stated in the Balance Sheet are net of specific loan loss provisions.

6.5 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for. The Provision for Diminution in Fair Value (DFV) is reduced from advances.

6.6 In the case of loan accounts classified as NPAs, account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Reserve Bank of India.

6.7 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

6.8 General provision is also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities and Provisions" and are not considered for arriving at Net NPAs.

7. FIXED ASSETS DEPRECIATION AND AMORTISATION

7.1 Fixed Assets other than land and premises are stated at cost, less accumulated depreciation as adjusted for impairment loss, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation cost and other charges incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit from the asset.

7.2 Land/premises, which have been revalued are stated at revaluation amount. At the date of revaluation, accumulated depreciation is calculated by restating proportionately with the change in gross carrying amount so that the carrying amount after revaluation equals its revalued amount, as per the Accounting Standard AS-10-(Revised) Property, Plant and Equipment. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted therefrom.

7.3 Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

7.4 Depreciation

(i) Depreciation is charged over the estimated useful life of the fixed asset on a straight line basis. The management believes that the useful life of assets assessed by the Bank, taking into account changes in environment, changes in technology and the utility of the asset in use, represents the useful lives of the respective assets. The estimated useful lives of fixed assets are given below.

Particulars	**Residual Value**	**Estimated useful life as determined by the Bank**
Premises – Freehold	5% of original cost	60 Years
Other Fixed Assets :		
Safe Deposit Lockers, Strong Room Doors, Safe	₹ 1/-	30 Years
Furniture, Fixtures, Electrical fittings, Air-conditioning plants and Equipments	₹ 1/-	10 Years
Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine/Coin Dispenser / Coin Vending Machine	₹ 1/-	7 Years
Office Equipments	₹ 1/-	5 Years
Motor cars, Vans & Motor cycles	5% of original cost	5 Years
Computers and Computer Software forming integral part of hardware	₹ 1/-	3 Years

ii. जिन आस्तियों की मूल लागत रू 10,000/- तक अथवा इससे कम है, उनपर रू 1/- का रैज़ीडुयल मूल्य छोड़ कर, 100% मूल्यह्रास लगाया जाता है ।

7.5 परिशोधन

i. पट्टागत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत के साथ ऐसे प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया गया है या 60 वर्ष, जो भी पहले हो ।

ii. सॉफ्टवेयर की अधिग्रहण लागत को अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है ।

क. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के तहत अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर को पांच वर्ष के अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक परिशोधित किया जाता है ।

ख. अधिग्रहण किए गए अन्य सॉफ़्टवेयर को अधिग्रहण के वर्ष में बंद कर दिया जाता है ।

iii. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन के नामे समायोजित किया जाता है ।

iv. शेष प्राथमिक अवधि पर परिसर में सुधार पट्टे को प्रभार रहित किया जाता है ।

v. वर्ष के दौरान खरीदी और बेची गई आस्तियों के लिए, बैंक द्वारा यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है ।

vi. जब भी आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का पुनरीक्षण होता है, तो उक्त संपत्ति के संशोधित शेष उपयोगी जीवन पर असंबद्ध मूल्यह्रास राशि का प्रभार लिया जाता है ।

vii. अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ, करों का निवल और वैधानिक रिजर्व में स्थानांतरण, पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित किया जाता है ।

8. कर्मचारी लाभ

8.1. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

कर्मचारियों द्वारा सेवा के बारह माह के अंदर पूर्ण रूप से देय अल्पावधि कर्मचारी लाभकारी गैर-भुनायी गयी राशि को लघु-अवधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन्हें उस अवधि दौरान माना जाता है, जिसमें कर्मचारी सेवारत हो ।

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

i. परिभाषित अंशदान योजनाएं :

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को देय अंशदान को अंशदान योजना परिभाषित कर लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है ।

बैंक में दिनांक 1 अप्रैल 2010 के बाद बैंक में भर्ती सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालन में है, जो परिभाषित योजना है । ऐसे नए भर्ती वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने हेतु पात्र नहीं हैं । योजना के अनुसार कवर प्राप्त कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और बैंक से तदनुरूपी राशि का अंशदान देते हैं । पंजीकरण प्रक्रिया की पूर्ति तक संबंधित कर्मचारियों के अंशदान बैंक में रखे जाते हैं । बैंक ऐसे वार्षिक अंशदान को संबंधित वर्ष में गणना में लेता है । स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस न्यास को अंतरित की जाती है ।

ii. परिभाषित सुविधा योजनाएं :

कर्मचारी की ग्रैच्युटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण परिभाषित सुविधा योजना है ।

क. ग्रेच्युटी

कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग योजना द्वारा जीवन बीमा निगम/बैंक द्वारा प्रबंधित है । ग्रेचुइटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से घटाया गया है ।

ख. पेंशन

कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है । पेंशन के अंतर्गत बैक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से घटाया गया है ।

ग. अवकाश नकदीकरण :

साधिकार अवकाश को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर 'अनुमोदित यूनिट क्रेडिट पद्धति' से स्वतंत्र एक्चुरियल मूल्यांकन पर माना जाता है ।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

क. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति, रजत जयंती पुरस्कार, अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति पुरस्कार और रीसेटलमेंट भत्ते के लिए पात्र हैं । कर्मचारी की ऐसी दीर्घावधि लाभ का बैंक द्वारा आंतरिक निधीकरण किया जाता है ।

ख. अन्य दीर्घावधि लाभ प्रदान करने की लागत का पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को बीमांकक मूल्यांकन करते हुए निर्धारित किया जाता है । पिछली सेवा लागत की गणना लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल गणना में लिया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता ।

ii.) Assets having original cost less than or equal to ₹10,000/- are being depreciated 100% leaving a residual value of ₹1/- only.

7.5 Amortisation

i. Premium wherever is paid for acquisition of leasehold land, such premium along with cost of the buildings constructed thereon is amortised over the period of lease or 60 years whichever is earlier.

ii. Acquisition cost of software is treated as intangible assets.

a. Software acquired under Core Banking Solution (CBS) is amortised over its estimated useful life of five years.

b. Other software acquired is charged off in the year of acquisition.

iii. Depreciation on revalued figures have been adjusted against the revaluation reserve.

iv. Improvements to leasehold premises are charged off over the remaining primary period of lease.

v. For assets purchased and sold during the year, depreciation is provided on pro-rata basis by the Bank.

vi. Whenever there is a revision of the estimated useful life of the asset, the unamortised depreciable amount is charged over the revised remaining useful life of the said asset.

vii. Profit on sale of immovable property, net of taxes and transfer to statutory reserve, are transferred to capital reserve account.

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service by employees are classified as short term, and are recognized during the period in which the employee renders the related service.

8.2 Long Term Employee Benefits:

i. Defined Contribution Plans :

Contributions payable to the recognized provident fund / National Pension Scheme (NPS), are defined contribution plan and charged to the profit & loss account.

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

ii. Defined Benefit Plans

Employees' gratuity, pension and leave encashment are defined benefit plans.

a. Gratuity:

The employee's Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds through approved schemes of Life Insurance Companies. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

b. Pension:

The employees Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

c. Leave Encashment :

The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on Projected Unit Credit method' at each balance sheet date.

iii. Other Long Term Employee Benefits :

a. All eligible employees of the Bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

9. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल और मंदित आय एएस 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार रिपोर्ट की गई है । अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बा निवल लाभ को विभाजित करके निवल आय प्रति इक्विटी शेयर की गणना की जाती है ।

अवधि के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और पतला संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या का उपयोग करके प्रति इक्विटी शेयर की आय अर्जित की जाती है ।

10. आय पर कर

10.1. आयकर व्यय निम्नलिखित की कुल राशि है ।

i. वर्तमान कर प्रावधान और

ii. आस्थगित कर प्रभार

10.2. वर्तमान कर प्रावधान, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में निर्धारित अवधि हेतु कर राशि है ।

10.3. आस्थगित कर प्रभार का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 'आय पर कर हेतु लेखांकन' के अनुसरण में किया गया है और यह वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयता का निवल अंतर है । आस्थगित आय कर में वर्तमान वर्ष के दौरान करादेय आय और लेखांकन आय के बीच के समय अंतर और पिछले वर्ष के समय अंतर के प्रतिवर्तन का प्रभाव दर्शाता है ।

10.4. आस्थगित कर आकलन तुलन-पत्र की तिथि को कर दरें और पारित या पर्याप्त रूप से पारित कर विधि के आधार पर किया जाता है ।

10.5. आस्थगित कर आस्तियों को गणना में तब तक नहीं लिया जाता है जब तक कि युक्तिपूर्ण निश्चितता न हो कि भविष्य में ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के प्रति पर्याप्त करादेय आय की वसूली होगी ।

10.6 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की युक्तिपूर्ण/निश्चितता के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर गणना में लिया जाता है और पुन: मूल्यांकन किया जाता है ।

10.7. विशेष रिज़र्व

राजस्व और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व शामिल हैं । बैंक के निदेशक मंडल ने रिज़र्व के सृजन को अनुमोदित करते हुए और विशेष रिज़र्व से आहरण करने का उद्देश्य न होने के संबंध में पुष्टि करते हुए संकल्प पारित किया है ।

11. अपसामान्य आस्तियाँ

बैंक प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण करता है कि क्या आस्ति की हानि होने का कोई संकेत है । हानि, यदि कोई हो, तो उनके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक आस्ति की रखवा राशि में विस्तार हेतु लाभ एवं हानि खाते की विवरणी में प्रदान किया जाता है ।

12. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक आस्तियां

12.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29 "प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और संपार्श्विक आस्तियों" के अनुपालन में, बैंक प्रावधानों को निम्नलिखित स्थिति में ही गणना में लेता है

i. पूर्व घटना के कारण वर्तमान बाध्यता है ।

ii. बाध्यता के निपटान हेतु आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना है और

iii. बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सके ।

12.2 निम्नलिखित हेतु प्रावधान को गणना में नहीं लिया जाता है :

i. पूर्व घटना के कारण बाध्यता के उत्पन्न होने की संभावना जो भविष्य में एकाधिक घटनाओं, जो पूर्णत: बैंक के नियंत्रण में न हों, के घटित होने या न होने पर आधारित हो । या

ii. पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी वर्तमान बाध्यता पर जो मान्य नहीं है क्योंकि

क. यह संभाव्य नहीं है कि बाध्यता का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बर्हिगमन की आवश्यकता होगी ।

ख. बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है ।

ऐसी बाध्यताओं को प्रासंगिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है । नियमित अंतराल पर इनका आकलन किया जाता है और आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना वाले अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों को छोडकर, जहाँ कोई विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है ।

12.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है ।

13. निवल लाभ

लाभ एवं हानि लेखा में प्रकट निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है :

i. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान

ii. कराधान हेतु प्रावधान

iii. ऋण हानियों हेतु प्रावधान

iv. मानक आस्तियों पर प्रावधान

v. अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान

vi. अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान

9. EARNINGS PER SHARE

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Income tax expense is the aggregate amount of

i. current tax provision and

ii. deferred tax charge.

10.2 Current tax provision is the amount of tax for the period which is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and the rules made there under.

10.3 Deferred tax charge is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 'Accounting for Taxes on Income' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and is the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income and reversal of timing differences of earlier years.

10.4 Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

10.5 Deferred tax assets are not recognized unless there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

10.6 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon the management's judgment as to whether realisation is considered as reasonably/virtually certain.

10.7 Special Reserve:

Revenue and other Reserves include Special Reserve created under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961.The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that there is no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

11. Impairment of Assets

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Statement of Profit and Loss to the extent the carrying amount of assets exceeds their estimated recoverable amount.

12. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

12.1 In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank shall recognise provisions only when :

i. it has a present obligation as a result of a past event.

ii. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

iii. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

12.2 No provision is recognized for :

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognized because

a. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

b. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that Part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

12.3 Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:-

i. Provision for depreciation on Investments.

ii. Provision for Taxation.

iii. Provision on loan losses

iv. Provision on Standard Assets.

v. Provision for non-performing investments

vi. Other usual and necessary provisions.

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियां

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैंक) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के निबन्धनों के अनुसार निम्न प्रकटीकरण किए जा रहे हैं :

1.1. पूंजी

(रू करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2019		31 मार्च, 2018	
		बेसल –II	बेसल –III	बेसल –II	बेसल –III
i	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	8.42%	लागू नहीं	5.61
ii	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	1.96%	लागू नहीं	1.83
iii	टीयर– I पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	10.38%	7.26	7.44
iv	टीयर II पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	3.30%	4.16	3.56
v	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	लागू नहीं	13.68%	11.42	11.00
vi	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	90.85		77.99	
vii	**जुटाई गयी ईक्विटी पूंजी राशि**	2019*+3256$= Rs.5,275.00 Crs		1100* + 1890 $ = Rs.2,990.00 Crs	
viii	जुटाई गयी अतिरिक्ती टीयर 1 पूंजी, जिसमें	शून्य		500.00 (@)	
	स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य		शून्य	
	निरंतर ऋण लिखत (पीडीआई)	शून्य		500.00 (@)	
ix	जुटाई गयी टीयर –II पूंजी राशि, जिसमें	शून्य		1000.00 (#)	
	ऋण पूंजी लिखत	शून्य		1000.00 (#)	
	स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)	शून्य		शून्य	
	प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)	शून्य		शून्य	
	प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)	शून्य		शून्य	

() बैंक ने नकदी के रू10/– मूल्य के 53,99,83,952 इक्विटी शेयर रू.37.39/– प्रति शेयर (रू.27.39/– प्रति शेयर की प्रीमियम राशि सहित) (गत वर्ष दिनांक 05.08.2017 को रू.47.40 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित रू.57.40 मूल्यर के 19,16,37,630 इक्विटी शेयर, जिसका कुल मूल्य रू.1099,99,99,962/–) जिसका कुल मूल्य रू. 2018,99,99,965.20 है, दिनांक 11.10.2018 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर आबंटित किए हैं ।

($)बैंक ने नकदी के रू10/– मूल्य के 114,56,72,061 इक्विटी शेयर रू.28.42/– प्रति शेयर (रू.18.42/– प्रति शेयर की प्रीमियम राशि सहित) (गत वर्ष दिनांक 28.03.2018 को रू.47.97 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित रू.57.97 मूल्यर के 32,60,30,705 इक्विटी शेयर, जिसका कुल मूल्य रू.1889,99,99,968.85/–) जिसका कुल मूल्य रू.3255,99,99,973.60 है, दिनांक 28.03.2019 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर आबंटित किए हैं ।

(@) गत वर्ष 2017–18 के दौरान, बैंक ने निजी स्थान नियोजन आधार पर दिनांक 31.10.2017 को रू.500 करोड़ राशि के 9.20% – बेसल – III अनुपालित अतिरिक्त टीयर–I स्थायी ऋण बॉण्ड जुटाया है । वर्ष 2018–19 के दौरान ऐसे कोई बॉण्ड नहीं जुटाए गए ।

(#) गत वर्ष 2017–18 के दौरान, बैंक ने निजी स्थान नियोजन आधार पर दिनांक 24.10.2017 को रू.1,000 करोड़ राशि के 10 वर्षीय बेसल – III अनुपालित टीयर–II बॉण्ड (श्रेणी –घ) 7.98% की दर पर जुटाया है । वर्ष 2018–19 के दौरान ऐसे कोई बॉण्डस नहीं जुटाए गए ।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अधिकतम 25% की छूट पर 10 करोड़ तक नवीन इक्विटी शेयर जारी करने के लिए ईएसपीएस (कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के माध्यम से पूंजी जुटाने हेतु एक योजना अनुमोदित की है । रू 192.60 करोड़ के कुल योग सहित रू.19.26 प्रति शेयर की छूट पर यह योजना दिनांक 11.03.2019 से 20.03.2019 तक सब्सक्रिपशन हेतु खुली थी । उक्तश शेयर वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 24.04.2019 को आबंटित की गई ।

1.2 निवेश

(रू करोड़ में)

क्र.सं.	मद	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(1)	**निवेश का मूल्य**		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	64617.17	66161.86
	(क) भारत में	#64473.89	#66018.58
	(ख) भारत के बाहर	*143.28	*143.28
(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान	1664.08	1391.56
	(क) भारत में	1661.45	1387.41
	(ख) भारत के बाहर	2.63	4.15

Schedule 18 - Notes on Accounts

In terms of the Guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the following disclosures are made:

1.1 Capital (₹ in Crore)

Sl. No	Particulars	31st March -2019		31st March -2018	
		BASEL-II	BASEL-III	BASEL-II	BASEL-III
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	NA	8.42%	NA	5.61
ii)	Additional Tier I Capital Ratio (%)	NA	1.96%	NA	1.83
iii)	Tier I capital ratio (%)	NA	10.38 %	7.26	7.44
iv)	Tier II Capital ratio (%)	NA	3.30%	4.16	3.56
v)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	NA	13.68%	11.42	11.00
vi)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	90.85		77.99	
vii)	Amount of equity capital raised	2019*+3256$ = ₹ 5,275.00 Crs		1100* + 1890$ = ₹ 2,990.00 Crs	
viii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which:	NIL		500.00 (@)	
	Perpetual Non - Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL		NIL	
	Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL		500.00 (@)	
ix)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	NIL		1000.00 (#)	
	Debt capital instrument	NIL		1000.00 (#)	
	Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	NIL		NIL	
	Redeemable Non - Cumulative Preference Shares (RNCPS)	NIL		NIL	
	Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	NIL		NIL	

(*) The Bank has allotted 53,99,83,952 equity shares of ₹10/- each for cash ₹ 37.39p per share (including premium of ₹ 27.39p per share) (PY 19,16,37,630 Equity shares at ₹ 57.40p per share including premium of ₹ 47.40p per share on 05.08.2017 amounting to ₹ 1099,99,99,962/-) on preferential basis to Government of India on 11.10.2018, amounting ₹ 2018,99,99,965.20 paise.

($) The Bank has allotted 114,56,72,061 equity shares of ₹ 10/- each for cash at ₹ 28.42p per share (including premium of ₹18.42p. per share) (PY 32,60,30,705 equity shares at ₹ 57.97p per share including a premium of ₹ 47.97p per share on 28.03.2018 amounting to ₹ 1889,99,99,968.85p) on preferential basis to Government of India on 28.03.2019, amounting ₹ 3255,99,99,973.60paise.

(@) During the previous year 2017-18, Bank had raised 9.20% Basel-III Compliant Additional Tier I Perpetual Debt Bonds on Private Placement basis on 31.10.2017 amounting to ₹ 500.00 crores. No such bonds have been raised during the year 2018-19.

(#) During the previous year 2017-18, Bank had raised 7.98% - 10 years Basel III Compliant Tier-II Bonds (Series-D) on Private Placement basis on 24.10.2017 amounting to Rs.1000.00 crores. No such bonds have been raised during the year 2018-19. During the year, Bank has approved a scheme for raising of capital through ESPS (Employee Stock purchase Scheme) up to 10 Crore fresh issue of equity shares at a discount not exceeding 25%. The scheme was opened for subscription from 11.03.2019 to 20.03.2019 at a discounted price of ₹ 19.26 per equity share aggregating to ₹192.60 Crore. The said shares have been allotted during the current financial year on 24.04.2019.

1.2 Investments (₹ in Crore)

Items	31st Mar 2019	31st March 2018
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	64617.17	66161.86
(a) In India	#64473.89	#66018.58
(b) Outside India	*143.28	*143.28
(ii) Provisions for Depreciation	1664.08	1391.56
(a) In India	1661.45	1387.41
(b) Outside India	2.63	4.15

क्र.सं.	मद	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
(iii)	निवेश का निवल मूल्य	62953.09	64770.30
	(क) भारत में	#62812.44	#64631.17
	(ख) भारत के बाहर	*140.65	*139.13
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति रखे गए प्रावधान में संचलन		
	i) प्रारम्भिक शेष	1391.56	432.97
	ii) जोडें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	651.51	1294.30
	iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए/(राइट बैक) किये गये अधिशेष प्रावधान	378.99	335.71
	iv) अन्तिम शेष	1664.08	1391.56

निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा शेयर पूंजी जमा में रू.2.60 (रू.2.60) करोड़ के 10/- (रू10) प्रति शेयर की दर से 26,04,770 (26,04,770) शेयर में निवेश शामिल है जिसकी भारत सरकार के दिशा-निदेशों की अनुपालना के अनुसार जमा राशि रू.शून्यन (रू.शून्य) है ।

निम्न सम्मिलित है :

क) मास्टर कार्ड इंक के रू.1 (रू.1) बही मूल्य के 1620 (1620) (क्लास बी) शेयर में निवेश

ख) स्विफ्ट के रू.1 (रू.1) बही मूल्य के 8 (8) शेयर में निवेश

ग) रू.143.28 करोड़ (रू.143.28 करोड़) की राशि के 10/- मलेशियन रिंगिट के 8250000 (8250000) शेयरों में इन्डिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में निवेश ।

मास्टर कार्ड इंक के शेयर वस्तु के रूप में, नि:शुल्क इन इकाईयों के साथ विगत व्यवसाय सम्बन्ध के दृष्टिगत प्रोत्साहन स्वरूप आबंटित किए गए हैं ।

स्विफ्ट शेयरों में आरम्भिक सदस्यता में आबंटित शेयर तथा पुनराबंटन पर उपचित शेयर सम्मिलित हैं । शेयरों का पुनराबंटन बैंक द्वारा स्विफ्ट नेटवर्क आधारित वित्तीय सेवाओं के उपयोग पर आधारित है ।

प्रतिभूति निपटान हेतु क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., आईसीसीएल, बीएसई, एनएसई, भारिबैंक और एमएसईआई में मार्जिन के रूप में रू.17507.57 करोड़ (रू.15341.07 करोड़) की प्रतिभूतियाँ मार्जिन के रूप में रखी गई हैं ।

1.2.1 रिपो लेनदेन : (मुद्रित मूल्य रूप में) (रू करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	31 मार्च 2019 को शेष
रिपो के अन्तर्गत विक्रय की गई प्रतिभूतियां				
i) सरकार प्रतिभूतियां	111.14	7436.50	1776.40	532.95
	(341.10)	(7756.91)	(1283.84)	(6656.59)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
रिवर्स रिपो के अन्तर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i) सरकार प्रतिभूतियां	94.44	9251.23	739.42	4564.95
	(90.64)	(16002.78)	(1823.66)	(5443.30)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

1.2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) गैर एस.एल.आर. निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना **(रू करोड़ में)**

क्रमांक (1)	निर्गमकर्ता (इश्यूअर) (2)	राशि (3)	प्राइवेट प्लेसमेंट की मात्रा (4)	निवेश श्रेणी से कम की प्रतिभूतियों की मात्रा (5)*	गैर श्रेणीकृत प्रतिभूतियों की मात्रा (6)*	असूचीगत प्रतिभूतियों की मात्रा (7)*
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम					9.61
		2688.83	1911.14	1.59	–	(9.61)
		(2420.68)	(1643.29)	(–)	(–)	
2	वित्तीय संस्थान	979.89	979.89	19.99	–	4.99
		(1278.14)	(1273.78)	(14.32)	(–)	(5.99)
3	बैंक	338.21	306.97	5.00	–	–
		(234.67)	(203.08)	(5.03)	(–)	(–)

Items	31 st Mar 2019	31 st March 2018
(iii) Net Value of Investments	62953.09	64770.30
(a) In India	#62812.44	#64631.17
(b) Outside India	*140.65	*139.13
(2) Movement of provisions held towards depreciation On investments .		
i) Opening balance	1391.56	432.97
ii) Add: Provisions made during the year	651.51	1294.30
iii) Less: Write -off/(write-back) of excess provisions during the year	378.99	335.71
iv) Closing balance	1664.08	1391.56

Investment includes ₹ 2.60 (₹2.60) Crore invested in 26,04,770 (26,04,770) shares of ₹ 10 (₹ 10) each of Regional Rural Bank and Share Capital deposit amounting to ₹Nil (₹ Nil) crore pursuant to Government of India directions.

* Includes the following

a) Investments in 1620 (1620) shares (class B) of Master card Inc with a Book value of ₹ 1 (₹1)

b) Investments in 8 (8) shares of SWIFT with a Book value of ₹1 (₹1)

c) Investment in 8250000 (8250000) shares of Malaysian Ringgit 10 each amounting ₹143.28 crore (₹143.28 crore) in India International Bank (Malaysia) BHD.

Shares of Master Card Inc. are allotted in kind, free of cost, as an incentive in view of the past business relations with the entity. Shares of SWIFT include shares allotted on initial membership and accrued on re-allocation. The reallocation of share is based on the bank's utilization of SWIFT's network based financial services.

Securities amounting to ₹17507.57 crore (₹15341.07 crore) are kept as margin with Clearing Corporation of India Ltd, ICCL, BSE, NSE, RBI, and MSEI towards securities settlement.

1.2.1 Repo Transactions: (in face value terms) (₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Balance as on 31 st Mar 2019
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities	111.14 (341.10)	7436.50 (7756.91)	1776.40 (1283.84)	532.95 (6656.59)
(ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities	94.44 (90.64)	9251.23 (16002.78)	739.42 (1823.66)	4564.95 (5443.30)
(ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

1.2.2 Non S.L.R. Investment Portfolio

I) Issuer composition of Non SLR Investments (₹ in Crore)

Sr. No. (1)	Issuer (2)	Amount (3)	Extent of Private Placement (4)	Extent of below Investment Grade Securities (5)*	Extent of "unrated" securities (6)*	Extent of "unlisted" securities (7)*
1	PSUs	2688.83 (2420.68)	1911.14 (1643.29)	1.59 (-)	- (-)	9.61 (9.61)
2	FIs	979.89 (1278.14)	979.89 (1273.78)	19.99 (14.32)	- (-)	4.99 (5.99)
3	Banks	338.21 (234.67)	306.97 (203.08)	5.00 (5.03)	- (-)	- (-)

क्रमांक (1)	निर्गमकर्ता (इश्यूअर) (2)	राशि (3)	प्राइवेट प्लेसमेंट की मात्रा (4)	निवेश श्रेणी से कम की प्रतिभूतियों की मात्रा (5)*	गैर श्रेणीकृत प्रतिभूतियों की मात्रा (6)*	असूचीगत प्रतिभूतियों की मात्रा (7)*
4	प्राइवेट कोर्पोरेट	1747.30 (1678.75)	1747.04 (1635.15)	87.34 (82.08)	- (-)	84.53 (44.69)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	366.79 (366.79)	366.79 (366.79)	- (-)	- (-)	- (-)
6	अन्य	8940.74 (3683.06)	7274.11 (2469.62)	- (-)	- (-)	7.36 (7.36)
	कुल	15061.76 (9662.09)	12585.94 (7591.71)	113.92 (101.43)	- (-)	106.49 (67.65)
7	घटाए : मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान	1490.89 (1120.26)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	**शेष**	13570.87 (8541.83)	12585.94 (7591.71)	113.92 (101.43)	- (-)	106.49 (67.65)

नोट : गत वर्ष के अंक पुन: समूहीकृत/पुन: वर्गीकृत/पुन: क्रमित किए गए हैं जहां भी वर्तमान वर्ष के अंकों को पुष्ट करने के लिए आवश्यक समझा गया है । कोष्किवे के अंक गत वर्ष के अंकों का संकेत करते हैं ।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सीधी जारी की गई प्रतिभूतियां, जो कि एस.एल.आर. उद्देश्य से गणना नहीं की गई है), इक्विटी शेयरों, उन्मुख म्यूचुअल फण्डों, उद्यम पूंजी निधि, सुरक्षा रसीद इत्यादि इस श्रेणी में अलग नहीं की गई हैं क्योंकि इन्हें रेटिंग/लिस्टिंग दिशा-निर्देशों से छूट प्राप्त है ।

रू.7165 करोड़ (रू.1890 करोड़) की राशि के पनर्पूंजीकरण बॉण्ड का संकेत करते हैं ।

कॉलम 4,5,6 तथा 7 के अन्तर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं हैं ।

कॉलम 3 में कुल के अन्तर्गत तुलन-पत्र की अनुसूची-8 में विनिर्दिष्ट निवेश की निम्न श्रेणियाँ सम्मिलित है :-

(रू करोड़ में)

विवरण	निवल मूल्य	
	दि. 31 मार्च, 2019	दि. 31 मार्च, 2018
शेयर	515.16	796.58
डिबेंचर तथा बॉण्ड	2512.22	2499.91
अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	359.16	357.63
अन्य	10184.33	4887.71
कुल	13570.87	8541.83

(ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (रू करोड़)

विवरण	2018-19	2017-18
प्रारंभिक शेष	1343.06	221.96
वर्ष के दौरान जोड़ी गई	127.28	1165.21
वर्ष के दौरान घटाई गई	455.09	44.11
अंतिम शेष	1015.25	1343.06
किए गए कुल प्रावधान	896.07	1048.77

1.2.3 प्रतिभूतियों में परिवर्तन

क) वर्ष के दौरान, बैंक ने केन्द्र/राज्य सरकार की समेकित रू.7321.06 करोड़ (रू.7746.80 करोड़) की प्रतिभूतियों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणी/व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) श्रेणी से परिपक्वता तक धारण (एचटीएम) श्रेणी में अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य/बाजार मूल्य के कुल के निम्नतर पर किया तथा लाभ एवं हानि खाते में रू.312.28 करोड़ (रू.85.27 करोड़) की अंतरण हानि दर्ज की । बैंक ने केन्द्र/राज्य सरकार की समेकित रू.7313.60 करोड़ (रू.8169.32 करोड़) की प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारण (एचटीएम) श्रेणी से 'बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में दर्ज करते हुए रू.0.00 करोड़ (रू.0.00 करोड़) की हानि दर्ज की ।

Sr. No. (1)	Issuer (2)	Amount (3)	Extent of Private Placement (4)	Extent of below Investment Grade Securities (5)*	Extent of "unrated" securities (6)*	Extent of "unlisted" securities (7)*
4	Private Corporates	1747.30 (1678.75)	1747.04 (1635.15)	87.34 (82.08)	- (-)	84.53 (44.69)
5	Subsidiaries/ Joint Ventures	366.79 (366.79)	366.79 (366.79)	- (-)	- (-)	- (-)
6	Others	8940.74** (3683.06)	7274.11 (2469.62)	- (-)	- (-)	7.36 (7.36)
	Total	**15061.76 (9662.09)**	**12585.94 (7591.71)**	**113.92 (101.43)**	- (-)	**106.49 (67.65)**
7	Less: Provision held towards depreciation	1490.89 (1120.26)	XXX	XXX	XXX	XXX
8	**Balance**	**13570.87 (8541.83)**	**12585.94 (7591.71)**	**113.92 (101.43)**	- (-)	**106.49 (67.65)**

Note : Previous year figures have been regrouped/ reclassified/ rearranged wherever necessary to conform to current years figures. Figures in bracket indicate figures of previous year.

*Investment in Govt. Securities (Securities directly issued by the Central and State Governments, which are not reckoned for SLR purposes), Equity Shares, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital Funds, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/ listing guidelines.

** Includes Recapitalization Bonds amounting to ₹7165 Crore. (₹1890 Crore.)

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

Total under column 3 include the following categories of investments specified in Schedule 8 to the Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	Net Value	
	31st March -2019	**31st March -2018**
Shares	515.16	796.58
Debentures & Bonds	2512.22	2499.91
Subsidiaries / Joint Ventures	359.16	357.63
Others	10184.33	4887.71
Total	**13570.87**	**8541.83**

ii) Non Performing Non SLR Investments

(₹ in Crore)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance	1343.06	221.96
Additions during the year	127.28	1165.21
Reduction during the year	455.09	44.11
Closing Balance	**1015.25**	**1343.06**
Total provisions held	**896.07**	**1048.77**

1.2.3 Shifting of Securities :

(a) During the year, the Bank has shifted Central/State Government securities aggregating ₹ 7321.06 crore (₹ 7746.80 crore) from 'Available for Sale' (AFS) category/Held for Trading (HFT) category to Held to Maturity (HTM) Category at lower of acquisition cost/book value / market value and booked a shifting loss of ₹ 312.28 crore (₹ 85.27 Crore) to P&L Account. Bank also shifted Central/ State Government Securities aggregating to ₹7313.60 crore (₹ 8169.32 crore) from Held to Maturity (HTM) category to Available for Sale (AFS) category and booked a shifting loss of Rs.0.00 crore (₹ 0.00 crore). Bank also shifted investment of ₹ 27.16 crore (₹ 32.84 crore) in Venture Capital funds from Held to Maturity (HTM) category to Available for Sale (AFS) category and provided a depreciation of ₹ 0.41 Crore (₹ 0.17 Crore).

बैंक ने रू.27.16 करोड़ (रू.32.84 करोड़) का निवेश परिपक्वता तक धारण (एचटीएम) श्रेणी से 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणी में अन्तरित करते हुए रू.0.41 करोड़ (रू.0.17 करोड़) का मूल्य ह्रास दर्ज किया ।

ख) बैंक ने एचटीएम श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से कुल रू.5.53 करोड़ (रू.79.13 करोड़) का लाभ अर्जित किया जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार रू.2.70 करोड़ (रू.38.81 करोड़) कर की निवल राशि जिसे सांविधिक निक्षेप (रिजर्व) में अंतरित करना अपेक्षित है, को पूंजी निक्षेप (रिजर्व) खाते में समायोजित किया गया है ।

ग) एचटीएम श्रेणी को/से विक्रय तथा अन्तरण :

मार्च 31, 2019 तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्ते वर्ष के दौरान, विक्रय किए गए निवेश के समेकित बही मूल्य से, तथा एचटीएम श्रेणी से/को अंतरित किया गया निवेश का कुल बही मूल्य एचटीएम श्रेणी में रखे गये निवेश के मूल्ये के 5 प्रतिशत के भीतर है ।

1.2.4 एमटीएम नुकसान का प्रसार

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने भारिबैंक दिशा–निर्देशों की शर्तों में अपेक्षित अनुसार निवेश पर कुल मुल्यमहास प्रदान किया है और अगली तिमाही हेतु शून्यक मूल्यह्रास अग्रेषित की गई ।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 'बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, परिचालन तथा मूल्यन –एमटीएम नुकसान का प्रसार तथा निवेश उतार–चढ़ाव निक्षेप (आईएफआर) का सृजन' भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017–18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तथा 31 मार्च 2018 की तिमाही के लिए एएफएस तथा एचएफटी में किए गए निवेशों पर हुए बाजार भाव पर प्रदर्शित नुकसान को चिह्नित करने के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्रसार (स्प्रैड) विकल्प का प्रयोग बैंक ने निम्नानुसार किया है :

(क) दिसम्बर 2017 तिमाही को समाप्त निवेश संविभाग के लिए रू.257.11 करोड़ (दिसम्बर 2017 तिमाही के दौरान किए गए रू.514.22 करोड़ के कुल प्रावधान) तथा मार्च 2018 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए रू.30.16 करोड़ (रू120.64 करोड़ के कुल आवश्यक प्रावधानों में से) का प्रावधान किया गया था तथा

(ख) रू.347.59 करोड़ के शेष को वित्तीय वर्ष 2018–19 की शेष तिमाहियों की आवश्यकताओं के लिए अग्रेषित किया गया है, जिसे वर्तमान वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान प्रदान किया गया ।

1.3 डेरिवेटिव

1.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप **(रू करोड़ में)**

विवरण	2018–19	2017–18
स्वैप करार का अनुमानित मूल	शून्य	शून्य
समझौते के अधीन प्रतिपक्षीयों द्वारा बाध्यता पूरा नहीं करने से होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
स्वैप में प्रविष्ट होने के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

1.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव : **(रू करोड़ में)**

क्र.सं	विवरण	राशि	
		2018–19	2017–18
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि क) भविष्य की ब्याज दर	480.68	741.55
(ii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि	शून्य	शून्य
(iii)	अत्यधिक प्रभावी नहीं तथा बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर की अनुमानित मूल राशि	शून्य	शून्य
(iv)	अत्याधिक प्रभावी नहीं तथा बाजार भाव पर अंकित विनिमय व्यापार ब्याज दर की बकाया	शून्य	शून्य

1.3.3 डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) डेरिवेटिव व्यापार में जोखिम प्रबंधन हेतु संरचना और संगठन :

i) ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) एवं अग्रिम दर करार (एफआरए) पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ब्याज दर स्वैप के लिए एक नीति एवं प्रक्रिया, काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखांकन नीति, मूल्यांकन के लिए नीति, आईएसडीए प्रलेखन, कट लॉस, रिपोर्टिंग इत्यादि का अनुमोदन किया है, ब्याज दर स्वैप के लिए तथा ब्याज दर स्वैप के लिए (ट्रेडिंग बही के लिए रू.500 करोड़ की उप सीमा) निर्धारित करते हुए रू.1500 करोड़ की सीमा का निर्धारण किया गया है । बैंक ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के समग्र ढाँचे के अन्तर्गत डेरिवेटिव आपरेशन का संचालन किया है ।

(b) The Bank has earned gross amount of ₹ 5.53 crore (₹ 79.13 crore) as profit on sale of securities in HTM category out of which an amount of ₹ 2.70 crore (₹ 38.81 crore), net of tax and amount required to be transferred to Statutory Reserve, has been appropriated to capital reserve account as per RBI guidelines.

(c) Sale and Transfers to / from HTM Category :

During the year ended March 31, 2019 and March 31, 2018 the aggregate book value of investments sold and transferred to/ from HTM category was within the limit of 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

1.2.4 Spreading of MTM losses.

During the year ended March 31, 2019, the Bank has provided total depreciation on investment as required in terms of RBI guidelines and 'Nil' depreciation has been carried forward for the next quarter.

During the year ended March 31, 2018, In terms of RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, on 'Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks – Spreading of MTM losses and creation of Investment Fluctuation Reserve (IFR)', the Bank has utilized the option to spread provisioning for Mark to Market (MTM) losses on Investments held in AFS and HFT for the quarter ended December 31, 2017 and March 31, 2018 as follows.

a) The provision for depreciation of the investment portfolio for the quarter ended December 2017 amounting to ₹ 257.11 crore (out of total provision made during quarter ended December 2017 of ₹ 514.22 crore) and for March 2018 amounting to ₹ 30.16 crore (out of total provision requirement of ₹ 120.64 crore) was made during the quarter/year ended March 2018 and

b) The balance amounting to ₹ 347.59 crore was carried forward required to be made in the remaining quarters of the FY 2018-19, which has been provided during the current FY 2018-19.

1.3 Derivatives

1.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swaps (₹ in Crore)

Particulars	2018 -19	2017 -18
The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
The fair value of the swap book	Nil	Nil

1.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives : (₹ in Crore)

S.No.	Particulars	Amount	
		2018 -19	2017 -18
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year · Interest Rate Future	480.68	741.55
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding	Nil	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil

1.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives :

A) Qualitative Disclosures:

a) Structure and Organization for Management of risk in derivatives trading:

i) In terms of Reserve Bank of India guidelines on Interest Rate Swaps (IRS) and Forward Rate Agreements (FRA) the Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, policy for valuation, ISDA documentation, cut loss, reporting etc., for Interest Rate Swaps and fixed a cap of Rs 1500 crore for interest rate swaps (sub-limit of Rs. 500 crore for Trading Book). Bank has conducted the derivative operations within the overall framework of these guidelines.

ii) बैंक ने विभिन्न प्रकार के मुद्रा स्वैप में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेने के लिए नीति एवं प्रकियाओं, काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमा, अधिकारों का प्रत्यायोजन, लेखांकन नीति, आईएसडीए प्रलेखन, रिपार्टों इत्यादि का अनुमोदन किया है जो विभिन्न प्रकार के विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के विभिन्न प्रारूपों तथा विभिन्न प्रकार के ब्याज दर स्वैप जो कार्पोरेट ऋण ग्राहकों, अन्य बैंकों तथा गैर ऋणीं ग्राहकों के साथ दुतरफा आधार पर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव परिवर्तित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है । बैंक की नीति दुतरफा आधार पर अपने अग्रिम एक्सपोजर के लिए बचाव-व्यवस्था/कीमत निर्धारण के लिए बैंक ग्राहकों के साथ प्लेन वनीला यूरोपियन स्टाइल विकल्प में प्रविष्टि के लिए भी अनुमोदन देती है ।

iii) दुतरफा आधार पर लिए गए डेरिवेटिव करारों या स्वयं हेतु विदेशी मुद्रा एक्सपोजर बचाव व्यवस्था के लिए संविदा की तारीख को विद्यमान दर पर रिकार्ड किया गया है और तुलन पत्र की समाप्ति तिथि को बन्द होने वाली दरों पर रिपोर्ट किया गया है । इन लेन-देनों से सम्बन्धित राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक आनुपातिक अवधि के लिए किया गया है । दुतरफा आधार पर की गई संविदाओं के सम्बन्ध में संविदा के जल्दी समाप्त किए जाने पर राजस्व का निर्धारण संविदा समाप्ति पर किया गया है ।

ख) जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रक्रिया का क्षेत्र एवं प्रकृति : सभी बकाया स्वैप, नए स्वैप में प्रवेश, स्वैप से निर्गमन, बाजार मूल्य पर स्वैप अंकित किए जाने इत्यादि की स्थिति की समीक्षा बैंक की निवेश समिति तथा बोर्ड द्वारा मासिक अन्तराल पर किया जाता है । आईआरएस के अन्तर्गत किए गए लेन-देनों का विवरण भी भारतीय रिजर्व बैंक को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाता है ।

ग) बचाव व्यवस्था एवं/या न्यूनीकरण नीति एवं बचाव व्यवस्था बचाव कार्य के प्रभाव को जारी रखने की निगरानी हेतु रणनीति एवं प्रक्रिया ब्राजार में उपलब्ध अवसरों के अनुसार ब्याज दर के उत्तर चढ़ाव पर निर्णय लिया जाता है तथा उस पर कार्रवाई की जाती है । यद्यपि स्वैप की शर्तों के अनुसार, नियत तिथि/तिथियों को स्वैपों का निपटान होता है, स्वैप बुक पर बाजार में परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए दैनिक आधार पर मूल्य की निगरानी की जाती है । जब बाजार नकारात्मक गति की दिशा में हो, तो हानि घटाने के लिए स्वैप से निर्गमन (एक्जिट) किया जाता है । हानि घटाने की सीमा, निर्गमन (एक्जिट) अधिकार, समीक्षा प्राधिकारी इत्यादि निर्धारित हैं ।

घ) बचाव व्यवस्था एवं गैर बचाव व्यवस्था लेनदेन को रिकार्ड, आय की पहचान, प्रीमियम एवं छूट, बकाया संविदा का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम मिटिगेशन हेतु लेखांकन नीति : बोर्ड द्वारा विस्तृत लेखा नीति एवं मूल्यांकन नीति अनुमोदित की जाती है । बचाव-व्यवस्था के प्रयोजन के लिए लेन-देन को उपचय आधार पर उस स्वैप के अलावा जो उस आस्ति/देयता के रूप में माना जाता हो जो निम्नतर कीमत अथवा बाजार मूल्य पर हो, हिसाब में लिया जाता है । ऐसे मामले में, निधारित आस्ति या देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में परिणामी लाभ या हानि के साथ स्वैप को बाजार भाव पर दर्शाया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि निर्धारित की जाती है जब निर्धारित आस्तिा एवं देयता पर ऑफसेटिंग लाभ एवं हानि निर्धारित की जाती है । समाप्त स्वैप पर निर्धारित लाभ या हानि आस्थगित किया जाता है और स्वैप के शेष करार समय या आस्ति/देयता के शेष समय में जो भी कम हो के दौरान मान्यता दी जाती है । आय विवरण में प्रभार रिकार्ड करते हुए व्यापार संबंधी लेन देन बाजार को अंकित किया जाता है । आय, व्यय, शुल्क, स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि सभी को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है ।

बी) मात्रात्मक प्रकटीकरण **(रू. करोड़ में)**

क.	बचाव व्यवस्था डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव		याज दर डेरिवेटिव	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
I	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्यवस्था के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II	बाजार भाव पर दर्शाने की स्थिति				
	क) बचाव व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III	ऋण एक्सपोजर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
IV	याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. बचाव व्यवस्था डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. व्यापार डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 पर देखे गये अधिकतम व न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क. बचाव व्यवस्था डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख. व्यापार डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बैंक अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर बचाव व्यवस्था में प्रविष्टि के लिए डेरिवेटिव सौदा रू 0.00 करोड़ (0.00 करोड़) बाजार भाव पर दर्शाता है । बैंक के लिए इस लेन-देन हेतु निवल बाजार भाव प्रभाव शून्या (शून्य) है ।

ii) The Bank has approved policies and procedures, counter party exposure limits, delegation of powers, accounting policy, ISDA documentation, reporting etc., for undertaking forex derivatives in various forms of currency swaps & various types of interest rates swaps not specifically prohibited by Reserve Bank of India with the corporate borrower customers, other banks and non borrower customers to be covered on back to back basis. Bank's policy also permits entering into Plain Vanilla European Style Option to Bank's customers for hedging/ pricing their forward exposures on back to back basis, or for hedging foreign currency exposures.

iii) Derivative contracts undertaken on back-to-back basis or for hedging own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of the contract and are reported at the closing rates at the Balance Sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till the expiry of the contract. In respect of contracts done on back to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

b) **Scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems :** The position of all outstanding swaps, new swaps entered, swaps exited, mark to market value of swaps etc., is being reviewed by the bank's investment committee and Board at monthly intervals. Details of transactions undertaken in IRS are also reported to Reserve Bank of India on a fortnightly basis.

c) **Policies for hedging and/ or mitigating and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants :** Depending on the market opportunities a view on interest rate movement is taken and acted upon. Though the settlement of swaps takes place on due date/dates as per the terms of the swaps, the value monitoring is carried out daily to know the impact of market changes on Swap Book. When unfavorable market movements are unidirectional, swaps are exited cutting loss. Cut loss limits, exit powers, reviewing authority etc., are prescribed.

d) **Accounting policy for recording the hedge and non-hedge transactions, recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation :** Detailed accounting policy and valuation policy are approved by Board. Transactions for hedging purposes are accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset / liability that is carried at lower of cost or market value. In that case, the swap is marked to market, with the resultant gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability. On termination of swap, gain or loss is recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Any gain or loss on the terminated swap was deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liability.

Trading transactions have to be marked to market with charges recorded in the income statement. Income, expenditure, fee, gains or losses on termination of swaps are all recorded as immediate income or expenses.

B) Quantitative Disclosure (₹ in Crore)

S.No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate Derivatives	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
I	Derivatives (Notional principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) For Hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) For Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
II	Marked to Market Positions				
	A. Hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability(-)	NIL	NIL	NIL	NIL
	B. Trading	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset(+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability(-)	NIL	NIL	NIL	NIL
III	Credit Exposure	NIL	NIL	NIL	NIL
IV	Likely Impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) On hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
V	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) On hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) On trading	NIL	NIL	NIL	NIL

1.4 एमएसएमई से संबंधित प्रकटीकरण :

(क) भा.रि.बैंक. ने दिनांक 6 जून 2018 को जारी परिपत्र सं डीबीआर.सं..बीपी.बीसी.108/21.04.048 /2017-18 द्वारा बैंकों को एमएसएमई के उधारकर्ताओं को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक्सपोज़र जारी रखने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2019 को मानक आस्ति के रूप में रु 259.27 करोड़ की अग्रिम को प्रतिधारित किया है। परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक ने इन खातों पर रु 8.77 करोड़ की ब्याज को स्वीकृत नहीं किया है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2019 को रू 12.53 करोड़ का मानक आस्ति प्रावधान का अनुरक्षण कर रहा है।

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्ययम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना पर भा.रि.बै. के परिपत्र सं डीबीआर.सं..बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी 2019 के अनुपालन में दिनांक 31 मार्च, 2019 को बैंक द्वारा पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है :

(रू करोड़ में)

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि (रू करोड़ में)
22549	504.24

1.5 आस्ति गुणवत्ता

1.5.1 अनर्जक आस्तियां : (रू करोड़ में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
(i) निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए (%)	5.73%	8.48%
(ii) एनपीए का उतार चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	28124.36	17669.98
(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा गया	5274.94	13864.23
(ग) वर्ष के दौरान घटाया गया	4425.33	3409.85
(घ) अंतिम शेष	28973.97	28124.36
(iii) निवल एनपीए का उतार चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	12636.87	10354.81
(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा गया (निवल)	0.00	2282.06
(ग) वर्ष के दौरान घटाया गया	3545.47	0.00
(घ) अंतिम शेष	9091.40	12636.87
(iv) एनपीए के लिए प्रावधान का उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान के अलावा)		
(क) प्रारंभिक शेष	15456.77	7315.17
(ख) वर्ष के दौरान रखे गए प्रावधान	6684.90	10102.87
(ग) अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते में प्रस्ताव/राइट बैक	2293.46	1961.26
(घ) अंतिम शेष	19848.22	15456.78

1.5.2 आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन हेतु अनुबंध : (रू करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	28124.36
2	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकन किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	28234.16
3	सकल एनपीए (2-1) में विचलन	109.80
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को निवल एनपीए	12636.87
5	भारिबैंक द्वारा मूल्यां कन किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को निवल एनपीए	12165.17
6	निवल एनपीए (5-4) में विचलन	-471.70
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	15487.49
8	भारिबैंक द्वारा मूल्यां कन किए गए अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	16068.99
9	प्रावधान (8-7) में विचलन	581.50
10	दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कर के पश्चात रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीएटी)	-3412.53
11	प्रावधान में विचलन को सम्मिलित करने के पश्चुत दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कर के पश्चात समायोजित (अनुमानित) निवल लाभ	-3994.03

Bank is having marked to market position of ₹ 0.00 crore (₹ 0.00 crore) for a derivative deal entered for hedging its foreign currency exposure. Net marked to market effect for this transaction is NIL (NIL) for the bank.

1.4 Disclosure pertaining to MSME:

(a) RBI vide Circular no. DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated 6th June 2018 permitted banks to continue the exposures to MSME borrowers to be classified as standard assets. Accordingly, the Bank has retained advances of ₹ 259.27 Crore as standard asset as on 31st March 2019. In accordance with the provisions of the circular, the bank has not recognized interest of Rs.8.77 crores on these accounts and is maintaining a standard asset provision of ₹ 12.53 Crore as on 31st March 2019 in respect of such borrowers.

(b) In accordance with RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019, on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector – Restructuring of Advances" the details of MSME accounts restructured by the bank as on 31st March 2019 are as under:

No.of Accounts Restructured	Amount (₹ in crores)
22549	504.24

1.5 Asset Quality

1.5.1 Non-Performing Assets :

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
(i) Net NPA to Net Advances (%)	5.73%	8.48%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	28124.36	17669.98
(b) Additions during the year	5274.94	13864.23
(c) Reductions during the year	4425.33	3409.85
(d) Closing Balance	28973.97	28124.36
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	12636.87	10354.81
(b) Additions during the year (Net)	0.00	2282.06
(c) Reductions during the year	3545.47	0.00
(d) Closing Balance	9091.40	12636.87
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding Provisions on Standard Assets)		
(a) Opening Balance	15456.77	7315.17
(b) Provisions made during the year	6684.90	10102.87
(c) Write Off / Write back of excess provisions	2293.46	1961.26
(d) Closing Balance	19848.22	15456.78

1.5.2 Annexure to Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

(₹ in Crore)

Sr.	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	28124.36
2	Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	28234.16
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	109.80
4	Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	12636.87
5	Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	12165.17
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	-471.70
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	15487.49
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	16068.99
9	Divergence in provisioning (8-7)	581.50
10	Reported Net Profit / (Loss) after Tax for the year ended March 31, 2018	-3412.53
11	Adjusted (Notional) Net Profit / (Loss) after Tax for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning	-3994.03

* March 31, 2018 is the close of reference period in respect of which divergences were assessed.

The Bank had duly recorded the impact of the above in its working results during the finical year ended on 31st March 2019

1.5.3 पुनर्संरचित खातों का विवरण

पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण : दिनांक 31.03.2019 को (रू करोड़ में)

क्र सं	पुनर्संरचना का प्रकार →		सीडीआर तंत्र के अन्तर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना तन्त्र के अन्तर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण → / विवरण ↓		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष अप्रैल 1 को पुनर्संरचित खाते (आरम्भिक आंकड़े)* –दि.31.03.2018 को	उधारकर्ता की सं.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00	18.00	0.00	3.00	0.00	21.00	21.00	2.00	4.00	0.00	27.00
		बकाया राशि	61.49	0.00	0.00	0.00	61.49	4.48	32.42	4.07	0.00	40.97	1523.97	0.00	84.76	0.00	1608.73	1589.94	32.42	88.83	0.00	1711.19
		प्रावधान	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	75.67	0.00	0.00	0.00	75.67	78.96	0.00	0.00	0.00	78.96
2	वर्ष 2018-19 के दौरान नई पुनर्संरचना/संवितरण	उधारकर्ता की सं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	27.66	0.00	234.73	0.00	262.39	27.66	0.00	240.33	0.00	267.99
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	10.10	0.00	12.20	2.10	0.00	10.10	0.00	12.20
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में कोटि उन्नयन	उधारकर्ता की सं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	-37.94	0.00	0.00	37.94	0.00	-37.94	0.00	0.00
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/ या अतिरिक्त जोखिम भार लागू नहीं है और इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ता की सं.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
		बकाया राशि	61.49	0.00	0.00	0.00	61.49	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	898.24	0.00	0.00	0.00	898.24	964.21	0.00	0.00	0.00	964.21
		प्रावधान	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	42.98	0.00	0.00	0.00	42.98	45.62	0.00	0.00	0.00	45.62
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ग्रेड घटाए गए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ता की सं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	4.00	3.00	0.00	1.00	0.00	4.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.42	0.00	45.13	0.00	258.55	213.42	0.00	45.13	0.00	258.55
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	10.52
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना / वसूली/प्रकटीकरण	उधारकर्ता की सं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28	23.28	0.00	1.83	0.00	25.11
7	दि.31.03.2018 को पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ता की सं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	9.00	0.00	3.00	0.00	12.00	9.00	2.00	5.00	0.00	16.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42	7.84	0.00	40.26	454.63	0.00	236.42	0.00	691.05	454.63	32.42	244.26	0.00	731.31
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	0.00	10.14	0.00	32.87	22.73	0.00	10.14	0.00	32.87

* इसमें मानक पुनर्संरचित अग्रिम, जिन पर जोखिम भार हेतु उच्चतर प्रावधानीकरण लागू नहीं है, (यदि लागू हो) के आंकडे शामिल नहीं हैं।

फुटनोट : 1. क्रम सं. 2 में वर्तमान पुनर्संरचित खातों में नया/जोड़ शामिल करते हुए योग रू.17.77 करोड़ (5 खातें) के आंकड़ें शामिल है।

2. क्रम सं. 6 में वसूली के माध्यवम से वर्तमान पुर्संरचित खातों में कमी की ओर रू.25.11 करोड़ (7 वर्तमान खाते) सम्मिलित हैं।

1.5.3 Partic ulars of Accounts Restructured:

Disclosure of Restructured Accounts :: AS ON 31.03.2019 (₹ in Crore)

Sl NO	Type of Restructuring → / Asset Classification → / Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Stan dard	Sub-Stan dard	Doub tful	Los s	Tot al	Stan dard	Sub-Stan dard	Doub tful	Los s	To tal	Stan dard	Sub-Stan dard	Dou btful	Lo ss	To tal	Stan dard	Sub-Stan dard	Dou btful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY.(opening figures)*- as on 31.03.2018	No. of borrower	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00	18.00	0.00	3.00	0.00	21.00	21.00	2.00	4.00	0.00	27.00
		Amount outstanding	61.49	0.00	0.00	0.00	61.49	4.48	32.42	4.07	0.00	40.97	1523.97	0.00	84.76	0.00	1608.73	1589.94	32.42	88.83	0.00	1711.19
		Provision there on	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	75.67	0.00	0.00	0.00	75.67	78.96	0.00	0.00	0.00	78.96
2	Fresh restructuring /disbursements during the year 2018-19	No.of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	0.00	4.00
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	27.66	0.00	234.73	0.00	262.39	27.66	0.00	240.33	0.00	267.99
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	10.10	0.00	12.20	2.10	0.00	10.10	0.00	12.20
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2018-19	No.of borrower	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	-37.94	0.00	0.00	37.94	0.00	-37.94	0.00	0.00
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the period and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
		Amount outstanding	61.49	0.00	0.00	0.00	61.49	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	898.24	0.00	0.00	0.00	898.24	964.21	0.00	0.00	0.00	964.21
		Provision there on	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	42.98	0.00	0.00	0.00	42.98	45.62	0.00	0.00	0.00	45.62
5	Down gradation of restructured accounts during the FY 2018 -19	No. of borrower	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	4.00	3.00	0.00	1.00	0.00	4.00
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.42	0.00	45.13	0.00	258.55	213.42	0.00	45.13	0.00	258.55
		Provision there on	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	10.52
6	Write-offs / recoveries/closure in restructured accounts during the FY 2018-19	No. of borrower	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28	23.28	0.00	1.83	0.00	25.11
7	Restructured Accounts as on 31.03.2019	No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	9.00	0.00	3.00	0.00	12.00	9.00	2.00	5.00	0.00	16.00
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42	7.84	0.00	40.26	454.63	0.00	236.42	0.00	691.05	**454.63**	32.42	244.26	0.00	**731.31**
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	0.00	10.14	0.00	32.87	22.73	0.00	10.14	0.00	32.87

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

FOOT NOTE: 1. Figures under Sl no 2 include a sum of ₹ 17.77 Cr (5 accounts) towards fresh/addition to exiting restructured accounts.

2. Figure under Sl. No 6, includes ₹ 25.11 crores (7 existing accounts) towards reduction in existing restructured accounts by way of recovery.

1.5.4 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण (रू करोड़ में)

विवरण	2018-19		2017-18	
	अर्जक	अनर्जक	अर्जक	अनर्जक
(i) खातों की संख्या	शून्य	10	1	76
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	शून्य	197.94	32.07	671.09
(iii) कुल प्रतिफल	शून्य	216.51	25.78	990.87
(iv) पूर्व वर्षों में अन्तरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	4.93	शून्य	3.73
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ/हानि	शून्य	23.50	-6.29	323.51

1.5.5 दिनांक 31.03.2019 को मानक पुनर्संरचित आस्तियों पर प्रावधान (रू करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	लागू विशेष प्रावधान	बकाया राशि	एफआईटीएल राशि	एफआईटीएल तथा ऋण को छोडकर बकाया शेष राशि	प्रावधान राशि
1	दो वर्ष से कम के मानक खाते (मोरटोरियम खाते सहित) दि31.03.2018 तक पुनर्संरचित	5.00% (5.00%)	454.63 (1590.50)	0.00 (14.93)	454.63 (1575.57)	22.73 (78.78)

1.5.6 दिनांक 31.03.2019 को त्यातग का प्रावधान (रू करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	आस्ति स्थिति	खातों की संख्या	बकाया राशि	त्याग राशि
1	रू 1.00 करोड़ एवं अधिक की देयता के साथ खाते	मानक	9 (20)	454.63 (1589.79)	0.00 (0.15)
2	रू 1.00 करोड़ से कम देयता खाता	मानक	0 (1)	0.00 (0.71)	0.00 (0.03)
3	रू1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की देयता खाते	एनपीए	7 (6)	276.68 (120.69)	10.14 (0.00)
4	रू 1.00 करोड़ से कम देयता खाता	एनपीए	0 (0)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	उप जोड़		**16 (27)**	**731.31 (1711.19)**	**10.14 (0.18)**
5	जोड़ : दिनांक 31.03.2019 तक मोरटोरियम तथा दो वर्ष पूर्ण किए गए मानक खातों पर त्याग (प्रकटीकरण नियम से निर्गमित खात	मानक	1302 (1798)	931.45 (157.28)	8.52 (13.43)
	कुल		**1318 (1825)**	**1662.76 (1868.47)**	**18.66 (13.61)**

1.5.7 विक्रय की गयी/क्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण – बैंक :

i) क्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण : (रू करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	क. वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. कुल बका या शेष	शून्य	शून्य
2	क. इनमें से, वर्ष के दौरान पुरर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. कुल बकोया शेष	शून्य	शून्य

1.5.4 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ in Crore)

Particulars	2018-19		2017 -18	
	Performing	Non-performing	Performing	Non-performing
(i) No. of accounts	Nil	10	1	76
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	Nil	197.94	32.07	671.09
(iii) Aggregate consideration	Nil	216.51	25.78	990.87
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	4.93	Nil	3.73
(v) Aggregate gain/loss over net book value	Nil	23.50	-6.29	323.51

1.5.5 Provision on standard Restructured Assets as on 31.03.2019

(₹ in Crore)

SL No.	Category	Special Provision Applicable	Amount Outstanding	FITL Amount	Amount OS Excluding FITL & Credit Balances	Amount of Provision
1	Standard accounts of less than two years (including Accounts with Morotorium) restructured up to 31.03.2019	5.00% (5.00%)	454.63 (1590.50)	0.00 (14.93)	454.63 (1575.57)	22.73 (78.78)

1.5.6 Sacrifice Provision as on 31.03.2019

(₹ in Crore)

Sl.No.	Category	Asset status	No.of A/cs	Amount Outstanding	Sacrifice Amount
1	A/c with Liability of ₹ 1.00 Crore and above	Standard	9 (20)	454.63 (1589.79)	0.00 (0.15)
2	A/cs with liability below ₹ 1.00 Crore	Standard	0 (1)	0.00 (0.71)	0.00 (0.03)
3	A/cs with liability of ₹ 1.00 Cr and above	NPA	7 (6)	276.68 (120.69)	10.14 (0.00)
4	A/cs with liability below ₹ 1.00 Crore	NPA	0 (0)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	Sub Total		16 (27)	731.31 (1711.19)	10.14 (0.18)
5	Add: Sacrifice on Standard Accounts which have completed Two years and morotorium up to 31.03.2019 (Accounts Exited from Disclosure Norms)	Standard	1302 (1798)	931.45 (157.28)	8.52 (13.43)
	Total		**1318 (1825)**	**1662.76 (1868.47)**	**18.66 (13.61)**

1.5.7 Details of non performing financial assets sold / purchased – Banks:

(i) Details of non performing financial assets purchased:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2018 -19	2017 -18
1	a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a) Of these, No. of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

ii) विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (रु करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	विक्रय किये गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	सकल विचारणीय प्राप्तियां	शून्य	शून्य

iii) प्रतिभूति रसीद के निवेश के बही मूल्य का विवरण (रु करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय आधारित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय आधारित			
	31 मार्च 19	31 मार्च 18	31 मार्च 19	31 मार्च 18	31 मार्च 19	31 मार्च 18
का बही मूल्य	665.34	629.74	0.00	0.00	665.34	629.74

(रु करोड़ में)

	विवरण	गत 5 वर्षों में जारी की गई एसआर	5 वर्ष से अधिक तथा 8 वर्ष के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से अधिक के पूर्व जारी एसआर
(i)	बैंक द्वारा समर्थित अनर्जक आस्ति (एनपीए) के विक्रय पर आधारित एसआर का बही मूल्य	1649.13 (1213.45)	17.50 (0.00)	0.00 (0.00)
	के विरूद्ध किये गये प्रावधान (i)	988.81 (583.71)	12.48 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा विक्रित अनर्जक आस्तियों(एनपीए) की बिक्री द्वारा एसआर आधारित का बुक मूल्य ।	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	के विरूद्ध किये गये प्रावधान (ii)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
कुल (i) + (ii)		1649.13 (1213.45)	17.50 (0.00)	0.00

विवरण	31 मार्च-2019	31 मार्च -2018
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान *	750.11	783.06

* पुनर्संरचित मानक आस्तियों के सम्बन्ध में रु 18.66 करोड़ (रु 13.61 करोड़) राशि की हानि के प्रावधान भी शामिल हैं ।

1.5.9 अस्थिर तथा अतिरिक्त प्रावधान :

क) बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित के ऊपर तथा सकल गैर निष्पादन अग्रिमों हेतु दिनांक 31.03.2019 को रु 13.00 करोड़ (गत वर्ष दिनांक 31.03.2018 को रु 13.00 करोड़) का अस्थायी प्रावधान ।

ख) उपरोक्त अस्थायी प्रावधान अग्रिमों से बंद किये गये हैं ।

i) **दिनांक 31 मार्च, 2019 को, दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की सतत संरचना योजना के लिये प्रकटीकरण** (रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है	खातों की संख्या	कुल राशि बकाया	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	2	165.17 #	59.60	59.60	60.28
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	3	313.28 #	59.20	52.53	94.56

गैर-निधि आधारित सीमा सम्मिलित है जो भाग ए अथवा भाग बी ऋण के भाग निर्मित नहीं करते हैं ।

ii) Details of non performing financial assets sold. (₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	2018 - 19	2017-18
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

iii) Details of Book value of investments of Security receipts: (₹ in Crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non - banking financial companies as underlying		Total	
	31 Mar 19	31 Mar 18	31 Mar 19	31 Mar 18	31 Mar 19	31 -Mar-18
Book value of investments in security receipts	665.34	629.74	0.00	0.00	665.34	629.74

(₹ in Crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying.	1649.13 (1213.45)	17.50 (0.00)	0.00 (0.00)
	Provision held against (i)	988.81 (583.71)	12.48 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non - banking financial companies as underlying.	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	Provision held against (ii)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Total (i) + (ii)		1649.13 (1213.45)	17.50 (0.00)	0.00 (0.00)

1.5.8 Provisions on Standard Assets : (₹ in Crore)

Particulars	31st March - 2019	31st March- 2018
Provisions towards Standard Assets*	750.11	783.06

* Including provision for sacrifice in respect of restructured standard assets amounting to ₹ 18.66 crores (₹13.61 crores).

1.5.9 Floating and additional provisions:

a) Floating Provision of ₹13.00 Crore is held as at 31.03.2019 ₹13.00 crore as on 31.03.2018) in respect of gross non performing advances over and above the minimum prescribed as per guidelines issued by Reserve Bank of India with a view to strengthening the financial position of the Bank.

b) The above floating provision is netted off from advances

I Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31st March, 2019 (₹ in Crore)

No. of accounts where S4A has been applied	No of A/Cs	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
Classified as Standard	2	165.17 #	59.60	80.73	60.28
Classified as NPA	3	313.28 #	59.20	52.53	94.56

ii) वर्तमान ऋण हेतु लचीली संरचना पर प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना के लिये लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीली संरचना के लिये लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना के लिये लिए गए ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने से पहले	लचीली संरचना लागू करने के बाद
गत वित्तीय वर्ष	1	62.34	शून्य	7.19	16.00
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

iii) कार्यनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना का प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं।) (रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जिनमें एसडीआर लागू की गई है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		ऋण के इक्विटी में रूपान्तरण के लिये लम्बित खातों के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		ऋण के इक्विटी में रूपान्तरित खातों के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

iv) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं ।) (रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जिन पर बैंकों ने प्रभाव डालने का निर्णय किया है	रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		कर्ज के इक्विटी/ इक्विटी शेयरों के गिरवी को प्रभावी करने के रूपान्तरण के लम्बित होने से सम्बन्धित खाते में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		कर्ज के इक्विटी/ इक्विटी शेयरों के गिरवी को प्रभावी करने के रूपान्तरण किये जा चुके सम्बन्धित खाते में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि		नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन से सम्बन्धित खातों में रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

v) कार्यान्वयन अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में यथा अवधि के अधीन हैं ।) (रु. करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय बैंकों द्वारा लिया गया है	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		
	मानक वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचना में वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

1.5.10

क) दिवालियापन के प्रावधानों तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) 2016 के अंतर्गत कवर किए गए 19 पहचाने गए एनपीए खाते (22 खाते) के संबंध में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून 2017 तथा भारिबैंक पत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.1842/21.04.048/2017-18 दिनांक 28 अगस्त 2017 के माध्यम से जारी दिवालियापन प्रक्रिया - प्रावधान नियम प्रारंभ करने हेतु अनुदेशों के अनुसार बैंक ने वर्तमान वर्ष 2018-19 के दौरान रू.229.88 करोड़ (रू.427.06 करोड़) अतिरिक्त प्रावधान किए हैं ।

includes non - fund based limits which are not forming part of Part A or Part B debt.

ii) Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year	1	62.34	Nil	7.19	16.00
Current Financial Year (From April 2018 to March 2019)	Nil	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

iii) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand still Period)

(₹ in Crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

(iv) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the Stand - still period)

(₹ in Crore)

No. of accounts where banks have decided to effect	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

(v) Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):

(₹ in Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

1.5.10

(a) In terms of Directions for initiating Insolvency Process-Provisioning Norms issued by Reserve Bank of India vide letter No. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 dated 23rd June 2017 and RBI letter No. DBR.NO.BP.1842/21.04.048/2017-18 dated 28th August 2017 on " Resolution of Stressed Assets" in respect of certain 19 identified NPA accounts (22 accounts) covered under the

ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने पत्र सं. डीबीआर.सं.8756/21.04.048/2017–18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के अनुसार बैंक को शेष के प्रतिभूत भाग का 50% और गैर–प्रतिभूत भाग का 100% अथवा आईआरएसी नियम के अनुसार रखा जाने वाला अपेक्षित प्रावधानों, जो भी अधिक हो, उसका अनुरक्षण करना है। बैंक ने इसका अनुपालन किया है। इन खातों में बनाए गए प्रावधान आईआरएसी मानदंडों के अनुसार रू.4720.21 करोड़ के विरूद्ध भारिबैंक मानदंडों के अनुसार रू.4950.09 करोड़ हैं।

1.5.11. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बही के अनुसार प्रतिभूत आस्तियों की शेष राशि के अनुसार तथा न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षताएं (एमआरआर) की अनुपालना में तुलन पत्र की तिथि को बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि शून्य है।

1.6 व्यवसाय अनुपात

	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
(i)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज † आय	7.44	7.71
(ii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज † आय	0.80	1.02
(iii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनिक † लाभ	1.97	2.30
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल (‡%)	(1.09)	(1.46)
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशि तथा अग्रिम) (रु. करोड़ में)	19.58	18.70
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ # में)	(0.14)	(0.17)

† बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को फार्म द में रिपोर्ट किए अनुसार कार्यशील निधियों को कुल आस्तियों के औसत (संचित हानि, यदि हो, को छोड़ते हुए) के रूप में माना गया है।

‡ बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को फार्म द में रिपोर्ट किए अनुसार आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों के (संचित हानि, यदि हो, को छोडकर कुल आस्तियां) संदर्भ में है।

प्रति कर्मचारी व्यवसाय के आकलन के प्रयोजन के लिए (जमा और सकल अग्रिम), अंतर बैंक जमा शामिल नहीं है।

वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पर आधारित

provisions of Insolvency and Bankruptcy code (IBC) 2016 the bank has made additional provisions as at ₹ 229.88 Crores (₹ 427.06 Crore) during the current year 2018-19.

(b) As per Reserve Bank of India guidelines vide letter No.DBR.No.8756/21.04.048/2017-18 dated 2nd April 2018, Bank has to maintain 50.00% of secured portion of outstanding plus 100.00% on unsecured portion or provisions required to be maintained as per IRAC norms, whichever is higher. The Bank has complied with the same. The provisions kept in these accounts are ₹ 4950.09 Crore as per RBI norms as against ₹ 4720.21 Crore as per IRAC norms.

1.5.11 Disclosure relating to Securitization:

As per outstanding amount of securitized assets as per books of the SPV sponsored by the bank and total amount of exposures retained by the bank as on the date of balance sheet to comply with the Minimum Retention Requirements (MRR) is NIL

1.6 Business Ratios :

	Particulars	**31-03-2019**	**31-03-2018**
(i)	Interest income as percentage to working funds†	7.44	7.71
(ii)	Non-interest income as percentage to working funds†	0.80	1.02
(iii)	Operating profit as percentage to working funds†	1.97	2.30
(iv)	Return on assets (%)‡	(1.09)	(1.46)
(v)	Business* (deposits plus advances) per employee (₹ in crores)	19.58	18.70
(vi)	Profit per employee (₹ in crores) #	(0.14)	(0.17)

† Working funds reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949 during the 12 months of the financial year.

‡ Return on assets is with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any), as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949 during the 12 months of the financial year.

* For the purpose of computation of business (deposits plus gross advances) per employee, inter-bank deposits are excluded.

\# Based on the number of employees as at year end.

दिनांक 31.03.2019 को आस्ति एवं देयताओं की निश्चित मदों का परिपक्वता ढाँचा

आस्ति तथा देयता	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15 - 30 दिन	31 दिन से 2 महीने	2 महीने से अधिक एवं 3 महीने तक	3 महीने से अधिक एवं 6 माह तक	6माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	967.62	4762.57	3505.88	6541.97	12065.10	12705.98	32439.93	65752.28	19580.01	2284.43	59215.23	219821.00
	(711.41)	(3908.01)	(2834.78)	(6273.21)	(7642.74)	(15834.24)	(34233.73)	(54878.31)	(20864.03)	(3285.49)	(57604.52)	(208070.48)
ऋण/ अग्रिम	357.36	1053.41	1577.67	2158.77	5357.69	5693.61	8705.58	12554.27	71479.69	13180.39	36704.25	158822.69
	(432.78)	(976.08)	(2285.65)	(3983.82)	(2514.72)	(8787.67)	(8110.25)	(11175.43)	(62695.42)	(14780.01)	(33322.29)	(149064.13)
निवेश	0.00	1085.97	4.90	358.34	1011.91	250.15	830.11	1285.29	2380.85	5145.71	50599.86	62953.09
	(5.19)	(278.65)	(114.49)	(585.25)	(817.59)	(359.74)	(209.20)	(3922.68)	(4503.08)	(5356.28)	(48618.15)	(64770.30)
उधार	0.00	2132.24	0.00	0.00	69.16	527.03	535.53	1141.92	4334.75	1533.97	3.51	10278.11
	(0.00)	(6477.10)	(299.00)	(1000.00)	(854.00)	(295.03)	(1166.82)	(465.67)	(3759.53)	(3951.28)	(0.62)	(18269.05)
विदेशी मुद्रा आस्ति	200.98	68.05	70.71	234.56	260.23	352.36	623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1810.46
	(217.49)	(39.55)	(63.46)	(160.92)	(309.37)	(327.85)	(1911.50)	(36.19)	(0.14)	(0.00)	(0.00)	(3066.47)
विदेशी मुद्रा देयता	60.96	44.00	6.27	16.94	90.09	24.56	594.02	320.95	171.76	37.62	0.00	1367.17
	(162.63)	(4.67)	(2.39)	(6.40)	(9.10)	(310.65)	(622.68)	(227.80)	(390.75)	(87.63)	(0.00)	(1824.71)

प्रबंधन द्वारा संग्रहित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुसार

कोष्ठक के आंकड़े दि. 31.03.2018 के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं

1.8 एक्सहपोजर

1.8.1. भू-सम्पदा क्षेत्र में एक्ससपोजर

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
i) आवासीय बंधक – आवासीय संपत्ति पर बंधन से ऋण प्रतिभूत रहता है सम्पत्ति में ऋणकर्ता रहता है या रहेगा या किराए पर दी गई है:	20094.6	17678.77
इसमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं।	10333.28	9741.93
ii) वाणिज्यिक भू-सम्पदा – वाणिज्यिक भू-सम्पदा पर बंधन से ऋण प्रतिभूत रहता है (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं निधि आधारित : रु. 3147.12 करोड़ (गत वर्ष रु.3499.78 करोड़) + गैर निधि आधारित रु. 199.03 करोड़ (गत वर्ष ꠰ 260.00 करोड़) + निवेश रु.50.19 (गत वर्ष रु.55.83 करोड़)	3396.34	3759.78
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति एक्सपोजर		
क. आवासीय	0.00	0.00
ख. वाणिज्यिक भू-सम्पदा	---	---

1.7 Asset Liability Management:

(₹ in Crore)

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2019

Assets and Liabilities	Day 1	2 To 7 Days	8 to 14 Days	15 to 30 Days	31 Days to 2 Months	Over 2 Months &Upto 3 Months	Over 3 Months &Upto 6 Months	Over 6 Months &Upto 1 Year	Over 1 year &Upto 3 Years	Over 3 year &Upto 5 Years	Over 5 Years	Total
Deposits	967.62 (711.41)	4762.57 (3908.01)	3505.88 (2834.78)	6541.97 (6273.21)	12065.10 (7642.74)	12705.98 (15834.24)	32439.93 (34233.73)	65752.28 (54878.31)	19580.01 (20864.03)	2284.43 (3285.49)	59215.23 (57604.52)	219821.00 (208070.48)
Loans/Advances	357.36 (432.78)	1053.41 (976.08)	1577.67 (2285.65)	2158.77 (3983.82)	5357.69 (2514.72)	5693.61 (8787.67)	8705.58 (8110.25)	12554.27 (11175.43)	71479.69 (62695.42)	13180.39 (14780.01)	36704.25 (33322.29)	158822.69 (149064.13)
Investments	0.00 (5.19)	1085.97 (278.65)	4.90 (114.49)	358.34 (585.25)	1011.91 (817.59)	250.15 (359.74)	830.11 (209.20)	1285.29 (3922.68)	2380.85 (4503.08)	5145.71 (5356.28)	50599.86 (48618.15)	62953.09 (64770.30)
Borrowings	0.00 (0.00)	2132.24 (6477.10)	0.00 (299.00)	0.00 (1000.00)	69.16 (854.00)	527.03 (295.03)	535.53 (1166.82)	1141.92 (465.67)	4334.75 (3759.53)	1533.97 (3951.28)	3.51 (0.62)	10278.11 (18269.05)
Foreign Currency Assets	200.98 (217.49)	68.05 (39.55)	70.71 (63.46)	234.56 (160.92)	260.23 (309.37)	352.36 (327.85)	623.58 (1911.50)	0.00 (36.19)	0.00 (0.14)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1810.46 (3066.47)
Foreign Currency Liabilities	60.96 (162.63)	44.00 (4.67)	6.27 (2.39)	16.94 (6.40)	90.09 (9.10)	24.56 (310.65)	594.02 (622.68)	320.95 (227.80)	171.76 (390.75)	37.62 (87.63)	0.00 (0.00)	1367.17 (1824.71)

As compiled by the management and relied upon by the Auditors.
Figures in bracket represent values as on 31.03.2018

1.8 Exposures

1.8.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

Category	As on 31st March 2019	As on 31st March 2018
a) Direct exposure		
i) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	20094.60	17678.77
Of which individual housing loans eligible in inclusion in priority sector	10333.28	9741.93
ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.).Exposure would also include non- fund based (NFB) limits.	3396.34	3759.78
Fund based ₹ 3147.12 Crores (Previous year ₹ 3499.78 crores.)+ Non fund based ₹199.03 crores (Previous Year ₹ 260.00 crores)+ Investments ₹ 50.19 (Previous Year ₹ 55.83 Cr)		
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a. Residential	0.00	0.00
b. Commercial Real Estate	—---	----

श्रेणी	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
ख) अप्रत्यक्ष एक्स–पोज़र राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा हाउसिंग फाईनेन्स कम्पनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर निधि आधारित रू 5726.60 करोड़ (गत वर्ष रु.2112.87 करोड़) + गैर–निधि आधारित रू 0.25 करोड़ (गत वर्ष रू.0.25 करोड़) + निवेश रू 362.11 करोड़ (गत वर्ष रू.571.76 करोड़)	6088.96	2684.88
भू–सम्पदा क्षेत्र में कुल एक्सरपोज़र	**29579.90**	**24123.43**

1.8.2 पूंजी बाजार में एक्सपोज़र (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
i) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी आधारित म्यूचुअल फण्ड बॉण्ड तथा यूनिट, में प्रत्यिक्ष निवेश जिसकी संचित निधि कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है ।	421.02	616.20
ii) शेयर/बॉण्ड/डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियों या व्यक्तियों के लिये बेजमानती आधार पर शेयर में निवेश के लिये अग्रिम (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड इकाइयो को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है ।	0.00	0.00
iii) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है ।	0.05	0.25
iv) शेयर की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड इकाई द्वारा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये अग्रिम यथा जहां प्रारंभिक प्रतिभूति शेयर/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेन्चर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्ड द्वारा पूर्ण रूप से कवर नही किये जाने वाले अग्रिम ।	0.00	0.00
v) स्टाक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं गैर–प्रतिभूत अग्रिम एवं स्टाक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर के पक्ष की ओर से जारी की गई गारंटियां ।	0.00	150.00
vi) कॉरपोरेट को स्वीकृत ऋण शेयर/बॉण्ड/डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियों या नई कम्पनियों में संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में हुई बैठक में प्रायोजकों के अंशदान पर आधारित बेजमानती आधार की प्रतिभूति पर ।	0.00	0.00
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण ।	0.00	0.00
viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर यां इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड के सन्दर्भ में बैंकों द्वारा ली गई लिखित प्रतिबद्धता ।	0.00	0.00
ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्त पोषण ।	0.00	
		206.05
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**617.45**	**972.50**

() पूंजी बाजार में प्रत्यसक्ष एक्स पोज़र दिनांक 31.03.2018 को बैंक के निवल मूल्य के 20.00% की सीमा के भीतर है ।

उक्त संदर्भित पूंजी बाजार के कुल एक्सपोज़र में रू.1530.51 करोड़ (रू.514.43 करोड़) की वरीयता शेयर तथा इक्विटी में निवेश सम्मिलित नहीं है, जिसे भारिबैंक दिशा–निर्देशों के अनुसार पूंजी बाजार एक्स पोज़र के रूप में रिपोर्टिंग से छूट प्राप्त है ।

1.8.3 जोखिम श्रेणी वार राष्ट्रीय एक्सपोज़र* (रु. करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	एक्सपोज़र (निवल)	रखा गया प्रावधान	एक्सपोज़र (निवल)	एक्सपोज़र (निवल)
गैर–महत्वपूर्ण	947.06	शून्य	1237.28	शून्य
कम	484.81	शून्य	668.97	शून्य
मध्यम	11.26	शून्य	15.33	शून्य
उच्च	18.19	शून्य	5.92	शून्य
अति उच्च	शून्य	शून्य	4.09	शून्य
प्रतिबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऑफ–क्रेडिट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**1,461.32**	**शून्य**	**1,931.59**	**शून्य**

* भारतीय निर्यात एवं ऋण गारंटी निगम लि. के अनुक्रमण में श्रेणीवार आधारित

Category	As on 31st March 2019	As on 31st March 2018
b) Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures to National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) Fund based ₹ 5726.60 Cr (Previous Year ₹ 2112.87 Cr) + Non Fund Based ₹ 0.25 Cr (Previous Year ₹ 0.25 Cr) + Investments ₹ 362.11 Cr (Previous Year ₹ 571.76 Cr)	6088.96	2684.88
Total Exposure to Real Estate Sector	**29579.90**	**24123.43**

1.8.2 Exposure to Capital Market (₹ in Crore)

	Category	As on 31st March 2019	As on 31st March 2018
(I)	Direct investments in equity shares, convertible debentures / bonds and units of equity–oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt*	421.02	616.20
(ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPS), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.05	0.25
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures or units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	0.00	150.00
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters' contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues;	0.00	0.00
(viii)	Underwriting commitments taken up by the bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	0.00	0.00
(ix)	Financing to stock brokers for margin trading.	0.00	0.00
(x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	196.38	206.05
	Total Exposure to Capital Market	**617.45**	**972.50**

(*) The Direct exposure to capital market is within the limit of 20.00% of the Bank's Net worth as at 31.03.2018

The total exposure of the capital market referred above, is excluding the investments in preference shares and equities to the tune of ₹ 1530.51 Crore (₹ 514.43 Crore) which are exempted from reporting as capital market exposure as per RBI guidelines.

1.8.3 Risk Category wise Country Exposure* (₹ in Crore)

Risk Category	As on March 31, 2019		As on March 31, 2018	
	Exposure(net)	Provision held	Exposure (net)	Provision held
Insignificant	947.06	NIL	1237.28	NIL
Low	484.81	NIL	668.97	NIL
Moderate	11.26	NIL	15.33	NIL
High	18.19	NIL	5.92	NIL
Very High	NIL	NIL	4.09	NIL
Restricted	NIL	NIL	NIL	NIL
Off-credit	NIL	NIL	NIL	NIL
Total	**1,461.32**	**NIL**	**1,931.59**	**NIL**

* Based on categorization followed by Export and Credit Guarantee Corporation of India Limited.

प्रत्येक देश से विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित निवल एक्सपोज़र निधि बैंक की कुल आस्ति के 1% के भीतर है । अतएव, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं है ।

1.8.4. बैंक द्वारा एकल उधार सीमा (एसबीएल), समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण का विवरण : (रु. करोड़ में)

उधारकर्ता/समूह का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृति सीमा	अवधि जिसके दौरान सीमा का अतिक्रमण हुआ	अवधि के दौरान अधिकतम बकाया राशि
शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

बैंक ने किसी भी समूह खाते में किसी एकल ऋणी अथवा समूह ऋणी की एक्सवपोज़र सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है ।

1.8.5. गैर-जमानती अग्रिम : (रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
अमूर्त प्रतिभूतियां यथा अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स, प्रधिकरण इत्यादि हेतु प्रभार के विरूद्ध बकाया अग्रिम की कुल राशि	5607.92	4181.82
ऐसे अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अनुमानित मूल्य	5607.92	4181.82

1.8.6. 6 वर्ष के लिए आय-कर के प्रावधान हेतु राशि : (रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
आयकर के लिए प्रावधान	5607.92	4181.82
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	5607.92	4181.82

2. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभारित दण्ड :**

निधि के अंतिम उपयोग की निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचना का विनिमय, धोखाधड़ी का वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग तथा खातों के पुनर्संरचना पर भारिबैंक द्वारा जारी कुछ निदेशों के गैर-अनुपालन हेतु बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक दंड के रूप में रू 1.00 करोड़ (गत वर्ष रू शून्य) का दण्डव प्रभारित किया है ।

2.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों (एएस) जहां भारिबैंक ने प्रकटीकरण मदों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, के अनुसार प्रकटीकरण ।

2.2. एएस-3 के अनुपालना में, नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुत नकदी तथा नकदी समान घटकों के तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई सम्बन्धित समान मदों से समंजन के लिये निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है:

(रु. करोड़ में)

एएस-3 के अनुसार नकदी प्रवाह प्रकटीकरण	2018-19	2017-18
वर्ष के आरम्भ में नकदी तथा नकदी सम घटक	**15944.31**	**17735.14**
भारिबैंक के पास नकदी तथा शेष	9911.05	9322.59
बैंकों के साथ शेष तथा माँग पर मुद्रा तथा लघु नोटिस	6033.26	8412.55
वर्ष के अन्त में नकदी तथा नकदी सम घटक	**15033.84**	**15944.31**
भारिबैंक के पास नकदी तथा शेष	10126.77	9911.05
बैंकों के साथ शेष तथा माँग पर मुद्रा तथा लघु नोटिस	4907.07	6033.26
नकदी तथा नकदी सम घटकों में निवल बढ़ोत्तरी/घटाव	**(910.47)**	**(1790.83)**

2.3 लेखा मानक 9 राजस्व मान्यता

अनुसूची 17 की लेखाकरण नीति (2) के अनुसार कुछ मदें नकद के आधार पर सांविधिक/विनियामक आवश्यकता एवं महत्ता के अनुसार ली जाती हैं ।

The net funded exposure of the bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required to be made as per RBI guidelines.

1.8.4 Details of Single Borrower Limit (SBL) Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank : (₹ in Crore)

Name of the borrower /Group	Exposure ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Maximum Amount outstanding during the period
NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

The bank has not exceeded the ceiling for Single Borrower or Group Borrower wise exposures in any of the Group accounts.

1.8.5 Unsecured advances: (₹ in Crore)

Particulars	2018 -19	2017 -18
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authority etc.,	5607.92	4181.82
Estimated value of such intangible collateral securities.	5607.92	4181.82

1.8.6 Amount of Provisions for Income - tax for the year : (₹ in Crore)

Particulars	2018 -19	2017 -18
Provision for Income Tax	132.00	198.84
Provision for Deferred Tax	243.00	(2247.12)

2. Penalties imposed by Reserve Bank of India :

Monetary Penalty to the tune of ₹ 1.00 Crore (P.Y. ₹ NIL) has been imposed by Reserve Bank of India under Section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance with certain directions issued by RBI on monitoring of end use of funds, exchange of information with other banks, classification and reporting of frauds and on restructuring of accounts.

2.1 Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items.

2.2 In compliance to AS-3, the reconciliation of the components of Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow statement with the equivalent items reported in the balance sheet is furnished below.

(₹ in Crore)

Cash Flow Disclosure as per AS - 3	2018 -19	2017 -18
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	**15944.31**	**17735.14**
Cash & Balances with RBI	9911.05	9322.59
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice	6033.26	8412.55
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	**15033.84**	**15944.31**
Cash & Balances with RBI	10126.77	9911.05
Balance with Banks & Money at Call & Short Notice	4907.07	6033.26
Net Increase / Decrease in Cash and Cash Equivalents	**(910.47)**	**(1790.83)**

2.3 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

As mentioned in Accounting Policy (2) of Schedule 17 certain items are accounted on cash basis on account of statutory/regulatory requirements and materiality.

2.4 लेखा मानक (परिशोधित)-10 संपत्ति, प्लांट तथा उपस्कर

परिशोधित लेखा मानक 10, संपत्ति, प्लांट तथा उपस्कर के अनुसार, रु. 14.23 करोड़ (रू.14.23 करोड़) की अचल आस्ति की पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से फ्री आरक्षिति में अंतरित किया गया है ।

2.5 लेखा मानक 15 कर्मचारी लाभ

बैंक ने 01.04.2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखांकन मानक–15 (संशोधित) अपनाया है ।

2.5.1 ग्रेच्युटि

बैंक उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटि प्रदान करता है जो नियमानुसार बैंक से सेवानिवृत्त/पदत्याग करते हैं । बैंक प्रतिवर्ष देय, ग्रेच्युटि के निधियन हेतु, न्यास में योगदान करता है । ग्रेच्युटि निधि के नियमों के अनुसार, प्रतिवर्ष ग्रेच्युटि का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है । ऋण बीमांकन पद्धति ईकाई के अनुमान के अनुसार ग्रेच्युटि देयता के बीमांक मूल्यांकन की आकलन छूट दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर तथा स्टाफ ह्रास दर से संबंधित कुछ धारणाओं के आधार पर किया जाता है ।

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटि का आकलन दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है, यथा ग्रेच्युटि भुगतान अधिनियम, 1972 तथा सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी अत्यधिक लाभदायक राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

2.5.2 पेंशन

बैंक द्वारा एक निश्चित योजना के अनुसार उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है तथा उन्हें भी जो 29.09.1995 को अथवा उसके बाद किंतु 01.04.2010 से पहले बैंक की सेवा में आए । आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार योजना के तहत बैंक से उनकी सेवाओं की समाप्ति पर इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन दी जाती है । पेंशन निधि का प्रबंध आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन न्यास द्वारा किया जाता है ।

दि. 01.04.2010 को अथवा उसके बाद कार्यरत होने वाले कर्मचारी निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के पात्र होंगे, जिसके अंतर्गत कर्मचारी आय एवं पात्र भत्ते का 10% देगा तथा इतनी ही राशि बैंक द्वारा दी जाएगी और इसका प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार समय–समय पर किया जाएगा ।

2.5.3 भविष्य निधि

बैंक सांविधानिक आवश्यकता के अनुसार अपने कर्मचारियों, जिन्होंने दि. 31.03.2010 को उसके पहले बैंक सेवा कार्यभार ग्रहण किया है, हेतु सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत भविष्य निधि का प्रावधान रखता है । निधि का संचालन बैंक द्वारा प्रबंध किए गए एक न्यास द्वारा किया जाता है । प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा पात्र भत्ते का 10% योगदान करता है तथा बैंक इतनी ही राशि गैर–पेंशन विकल्प वाले कर्मचारियों हेतु फंड में योगदान देता है । फंड में निवेश भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश प्रक्रिया के अनुसार होता है ।

2.5.4 अवकाश नकदीकरण

प्रत्येक कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निधन पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश अधिकतम 240 दिनों तक के नकदीकरण के लिए पात्र हैं तथा त्याग–पत्र पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश में से उक्त का 50% याने 120 दिनों के साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होंगें ।

प्रति वर्ष अवकाश नकदीकरण का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार बैंक न्यास फंड में योगदान देता है ।

2.5.5 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते में नियोजनोत्तर लाभ एवं दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ की स्थिति का विवरण निम्नाानुसार है :–

(क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन: (रु. करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्ता)	ग्रेच्युटि (निधियुक्ता)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्ता)
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4980.97 (4655.41)	839.06 (617.48)	536.93 (485.24)
जोडें–ब्याज लागत	388.52 (358.00)	64.86 (45.69)	42.00 (35.91)
जोडें–चालू सेवा लागत	240.63 (214.66)	91.48 (309.62)	33.24 (51.69)
घटाएं–प्रदत्त लाभ	390.87 (319.00)	126.19 (76.27)	83.44 (80.11)
जोडें–बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	207.49 (71.90)	(42.03) (57.46)	41.44 (44.20)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)

2.4 Accounting Standard (Revised) 10 - Property, Plant and Equipment

In accordance with Revised Accounting Standard 10, Property, Plant and Equipment, depreciation on revalued amount of fixed assets amounting to ₹ 14.23 Crores (₹ 14.23 Crore) has been transferred to free reserves from Revaluation reserve.

2.5 Accounting standard -15 Employee benefits

The Bank has adopted Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India with effect from 01.04.2007

2.5.1 Gratuity

Bank pays gratuity to employees who retire/resign from Bank's service as per rules. The Bank makes contributions to the Trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity funds rules, actuarial valuation of gratuity is done every year. Actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding discount rate, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The gratuity payable to the employees is worked out by way of two methodologies i.e., as per the Payment of Gratuity Act, 1972 and other as per service rules and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

2.5.2 Pension

Bank pays pension under a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.09.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from the bank's service as provided for in Andhra Bank Employees' Pension Regulations, 1995. Pension Fund is managed by Andhra Bank Employees Pension Fund Trust.

Employees who joined on or after 01.04.2010 are entitled to Defined Contributory Pension scheme where under the scheme, employee will contribute 10% of pay and eligible allowance with equivalent contribution being made by the Bank and the same will be maintained as per the guidelines issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority from time to time.

2.5.3 Provident Fund

Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to the employees who joined the bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and Bank contributes an equal amount to the fund in respect of non-pension optees. The investment of the fund is made according to the investment pattern prescribed by the Government of India.

2.5.4 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation / Voluntary Retirement/death. However on resignation encashment of privilege leave will be restricted to the tune of 50% of privilege leave standing to the credit of the employee subject to a maximum of 120 days. Actuarial valuation of leave encashment liability is done every year and accordingly, Bank is contributing to the fund.

2.5.5 The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

(a) Changes in the present value of obligations : (₹ in Crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Present value of obligation as at the beginning of the year	4980.97 (4655.41)	839.06 (617.48)	536.93 (485.24)
Add -Interest Cost	388.52 (358.00)	64.86 (45.69)	42.00 (35.91)
Add-Current Service Cost	240.63 (214.66)	91.48 (309.62)	33.24 (51.69)
Less -Benefits Paid	390.87 (319.00)	126.19 (76.27)	83.44 (80.11)
Add-Actuarial loss/ (gain) on obligations	207.49 (71.90)	-42.03 (57.46)	41.44 (44.20)
Present value of obligation at year end	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन: (रु. करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य *	4971.92 (4613.42)	652.30 (614.34)	503.15 (438.21)
विगत वर्ष समायोजन	9.05 (42.00)	186.76 (3.14)	33.78 (47.03)
अभिग्रहण समायोजन	– (–)	– –(–)	– (–)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	407.00 (370.00)	57.42 (48.84)	43.20 (38.02)
नियोक्ता का योगदान	429.76 (265.50)	57.00 (62.25)	74.00 (60.00)
प्रदत्त लाभ	390.87 (319.00)	126.19 (76.27)	83.44 (80.11)
बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	– (–)	– (–)	– (–)
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	5426.86 (4971.92)	827.29 (652.30)	570.69 (503.15)

*प्रतिभूतियों के बही मूल्यू उचित मूल्य माने गए हैं ।

(ग) तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशि : (रू करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्ता)	ग्रेच्युटि (निधियुक्ता)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्ता)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5426.86 (4971.92)	827.29 (652.30)	570.69 (503.15)
तुलनपत्र में निवल देयता	0.12 (9.05)	–0.11 (186.76)	–0.52 (33.78)

(घ) लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय : (रू करोड़ों में)

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्ता)	ग्रेच्युटि (निधियुक्ता)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्ता)
वर्तमान सेवा लागत	240.63 (214.66)	91.48 (309.62)	33.24 (51.69)
ब्याज लागत	388.52 (358.00)	64.86 (45.69)	42.00 (35.91)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	407.00 (370.00)	57.42 (48.84)	43.20 (38.02)
वर्ष में मान्यता दी गई निवल बीमांक (लाभ)/हानि	207.49 (71.90)	(42.03) (57.46)	41.44 (44.20)
पिछली सेवा लागत – मान्यता प्राप	(9.05) (42.00)	(186.76) (3.14)	(33.78) (47.03)
निधियों को योगदान/लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	420.59 (232.56)	129.87 (245.87)	39.70 (46.75)

नोट : भारिबैंक ने पत्र सं. डीबीआर.बीपी.9730/21.04.018/2017–18 दि. 27.04.2018 द्वारा बैंकों को दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के साथ प्रारंभ चार तिमाहियों के साथ उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दि.29.03.2018 से रू 10 लाख से रू 20 लाख तक उपदान सीमाओं में वृद्धि के विवरण पर अतिरिक्त देयता विस्तायर हेतु विकल्पि दिया है । बैंक ने उक्तल विकल्पग का उपयोग किया और इस वित्ते वर्ष की प्रथम तीन तिमाही के दौरान रू 186.76 करोड़ प्रभार लगाया ।

(b) Change in the Fair Value of Plan Assets :

(₹ in Crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year *	4971.92 (4613.42)	652.30 (614.34)	503.15 (438.21)
Previous Year's Adjustments	9.05 (42.00)	186.76 (3.14)	33.78 (47.03)
Acquisition Adjustments	- (-)	- (-)	- (-)
Expected Return on Plan Assets	407.00 (370.00)	57.42 (48.84)	43.20 (38.02)
Employer's contribution	429.76 (265.50)	57.00 (62.25)	74.00 (60.00)
Benefits Paid	390.87 (319.00)	126.19 (76.27)	83.44 (80.11)
Actuarial Loss/ (gain) on Obligations	- (-)	- (-)	- (-)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	5426.86 (4971.92)	827.29 (652.30)	570.69 (503.15)

*Book value of securities considered as fair value.

(c) Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ in Crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Estimated Present Value of Obligations as at the end of the year	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	5426.86 (4971.92)	827.29 (652.30)	570.69 (503.15)
Net Liability recognized in Balance Sheet	0.12 (9.05)	-0.11 (186.76)	-0.52 (33.78)

(d) Expenses recognized in Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Current Service Cost	240.63 (214.66)	91.48 (309.62)	33.24 (51.69)
Interest Cost	388.52 (358.00)	64.86 (45.69)	42.00 (35.91)
Expected return on Plan Asset	407.00 (370.00)	57.42 (48.84)	43.20 (38.02)
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	207.49 (71.90)	-42.03 (57.46)	41.44 (44.20)
Past service cost - recognized	(9.05) (42.00)	(186.76) (3.14)	(33.78) (47.03)
Total Expenses recognized in Profit & Loss Account/contributed to funds	420.59 (232.56)	129.87 (245.87)	39.70 (46.75)

Note: RBI vide Lr.No.DBR.BP.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018 has given option to the Banks to spread additional liability on account of enhancement in Gratuity limits from ₹ 10 lakhs to ₹ 20 lakhs from 29.03.2018 under Payment of Gratuity Act, 1972, over four quarters beginning from the quarter ended March 31, 2018. Bank has exercised the above option and charged ₹ 186.76 Cr during the first 3 quarters of this FY 2018-19.

(ड.) पेंशन निधि न्यास के निवेश का विवरण : (रु करोड़ों में)

निवेश का प्रकार	राशि	निवेश का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	359.42 (359.42)	6.60 (7.22)
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	132.69 (120.71)	2.43 (2.43)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश*	139.37 (221.38)	2.57 (4.45)
अन्य निवेश	4703.99 (4268.89)	84.40 (85.71)
बैंक शेष	3.91 (9.05)	4.00 (0.19)
कुल	5339.38 (4981.02)	100.00 (100.00)

*आन्ध्रा बैंक में रु 30.00 करोड़ की निधि सहित ।

(च) तुलनपत्र की तिथि को मूल बीमांकिक अनुमान (अधिभारित औसत के रूप में उल्लिखित):

बीमांक अनुमान	पेंशन (निधियुक्त) %	ग्रेच्युटि (निधियुक्त) %	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त) %
बट्टा दर	7.65 (7.80)	7.65 (7.73)	7.65 (7.73)
योजना आस्ति पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00 (8.00)	8.00 (NA)	8.00 (NA)
वेतनवृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
प्रयोग की गई पद्धति	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई

मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त स्व तंत्र बीमा आकलनकर्ता द्वारा किया गया है ।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, भविष्य में वेतनवृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों जैसे कर्मचारी बाजार में होने वाली आपूर्ति एवं मांग पर किया जाता है ।

(छ) परिकलन के लिए निम्न प्रकार वित्तीय अनुमान पर विचार किया जाता है :

बट्टा दर – बट्टा दर रिपोर्टिंग की तिथि को सरकारी बॉण्डों पर बाजार आय को देखकर चुनी गई है ।

प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर : पेंशन के मामले में, प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर सरकारी बॉण्डों पर आय के आधार पर ली गई है । ग्रेच्युटि और छुट्टी नकदीकरण के मामले में, वास्तविक प्रतिफल लिया गया है ।

वेतन वृद्धि : विगत डाटा के आधार पर ।

(ज) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर-निधि) : (रु करोड़ों में)

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नकदीकरण	रजत जयंती पुरस्कार	बीमारी अवकाश	अनुग्रह राशि	पुनर्स्थापन व्यय
दि.01.04.2019 को देयता दि.01.04.2018 को देयता	24.64 20.96	0.67 0.58	74.11 62.75	0.43 0.47	3.26 3.28
परिवर्ती देयता	– –	– –	– –	– –	– –
लाभ एवं हानि को नामे की गई राशि	3.68 (-11.82)	0.09 (0.07)	11.36 (-3.97)	-0.04 (-0.24)	-0.02 (-0.85)

(झ) कर्मचारी के अल्पावधि लाभ :

अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति : रु 1.04 करोड़ (रु 1.04 करोड़)

(ञ) भविष्य निधि को अंशदान : रु 0.36 करोड़ (रु 0.29 करोड़)

(e) Investment details of Pension Fund Trust: (₹ in Crore)

Description of investments	Amount	% of investments
Central Government Securities	359.42 (359.42)	6.60 (7.22)
State Government Securities	132.69 (120.71)	2.43 (2.43)
Investments in PSUs*	139.37 (221.38)	2.57 (4.45)
Other Investments	4703.99 (4268.89)	84.40 (85.71)
Bank Balance	3.91 (9.05)	4.00 (0.19)
Total	5339.38 (4981.02)	100.00 (100.00)

* Includes funded with Andhra Bank ₹ 30.00 Crore

(f) Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

Acturial Assumptions	PENSION (Funded) %	GRATITY (Funded) %	LEAVE ENCASHMENT (Funded)%
Discount Rate	7.65 (7.80)	7.65 (7.73)	7.65 (7.73)
Expected Rate of Return on Plan Assets	8.00 (8.00)	8.00 (NA)	8.00 (NA)
Expected Rate of Salary Increase	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
Method Used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

Valuation has been carried out by an independent Actuary appointed by the Bank.

The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of reporting. Expected Rate of Return: In case of pension, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds / investments. In case of gratuity and leave encashment the actual return has been taken.

Salary increase: On the basis of past data.

(h) Other long term employee's benefits (Un-Funded): (₹ in Crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment	Silver Jubilee Award	Sick Leaves	Ex-Gratia	Relocation Expenses
Liability as on 01.04.2019 Liability as on 01.04.2018	24.64 20.96	0.67 0.58	74.11 62.75	0.43 0.47	3.26 3.28
Transitional Liability	- -	- -	- -	- -	- -
Amount debited to Profit & Loss Account	3.6 8 (-11.82)	0.09 (0.07)	11.36 (-3.97)	-0.04 (-0.24)	-0.02 (-0.85)

(i) Short term Employees' benefits :

Short term Compensated Absences: ₹ 1.04 crore (₹1.04 Crore)

(j) Contribution from Provident Fund: ₹ 0.36 crore (₹ 0.29 Crore)

2.6 लेखा मानक 17 खण्ड रिपोर्टिंग

खंड परिणामों पर टिप्पणी

i) लेखा मानक एएस–17 के अनुपालन हेतु भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने राजकोष परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन प्राथमिक व्यापार खंड के रुप में एवं देशी खंड को गौण/भौगोलिक खंड के रुप में चुना है।

ii) खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।

iii) संबंधित क्षेत्र के राजस्व के अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों के परिणामों का आकलन किया जाता है।

भौगोलिक खंड :–

बैंक की भारत के बाहर कोई शाखा नहीं है, रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड केवल देशी परिचालन है, इसलिए अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया।

व्यवसाय खण्ड (रू करोड़ों में)

क्र. सं.	व्यवसाय खंड	2018–19	2017–18
1	**खंड राजस्व**		
	(क) राजकोष	4,763.49	5,207.61
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	5,450.19	5,716.30
	(ग) खुदरा बैंकिंग	8,208.15	7,116.82
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	2,555.43	2,305.87
	कुल	20,977.26	20,346.60
	कमः अंतर–खंड राजस्व	–	–
	परिचालन से आय	**20,977.26**	**20,346.60**
2	**खंड परिणाम**		
	(क) राजकोष	1,965.49	1,875.18
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	611.91	607.56
	(ग) खुदरा बैंकिंग	5,023.12	5,361.03
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	7,434.25	10,821.84
	कुल	(2,411.13)	(5,460.81)
	कमः अन्य–अनाबंटित व्यय	375.00	(2,048.28)
	कर पूर्व कुल लाभ	**(2,786.13)**	**(3,412.53)**
	आयकर एवं अन्य प्रदत्त कर	(2,048.28)	185.00
	निवल लाभ	**(3,412.53)**	**174.33**
3	**खंड आस्तियां**		
	(क) राजकोष	72,446.52	76,057.32
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	72,982.86	75,815.40
	(ग) खुदरा बैंकिंग	77,491.11	69,956.10
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	20,863.52	16,023.27
	(ड) अनाबंटित आस्तियां	5,527.41	4,319.28
	कुल आस्तियां	**2,49,311.42**	**2,42,171.37**
4	**खंड देयताएँ**		
	(क) राजकोष	71,227.45	75,019.91
	(ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	71,271.65	74,348.76
	(ग) खुदरा बैंकिंग	73,878.48	67,085.70
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	19,634.64	14,809.30
	(ड) अनाबंटित आस्तियां	134.07	89.42
	कुल	**2,36,146.29**	**2,31,353.09**
	पूंजी एवं प्रारक्षितियां	13,165.13	10,818.28
	कुल देयताएँ	**2,49,311.42**	**2,42,171.37**

2.6 Accounting Standard 17 - Segment reporting

Note on Segment Results

(i) As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, Bank has adopted "Treasury Operations", "Corporate/Wholesale Banking", "Retail Banking" and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" Segment as secondary / geographic segment.

(ii) Segment revenue represents revenue from external customers.

(iii) Results of various segments are arrived at in the proportion of revenue of respective segments.

Geographic segments:-

The Bank does not have any branches outside India, the only reportable Geographical segment is of domestic operations, and hence no separate disclosure is made.

Business segments (₹ in Crore)

S.No .	Business Segments	2018 -19	2017 -18
1	**Segment Revenue**		
	(a) Treasury	4,763.49	5,207.61
	(b) Corporate/Wholesale Banking	5,450.19	5,716.30
	(c) Retail Banking	8,208.15	7,116.82
	(d) Other Banking Operations	2,555.43	2,305.87
	Total	20,977.26	20,346.60
	Less: Inter Segment Revenue	-	-
	Income from Operations	**20,977.26**	**20,346.60**
2	**Segment Results**		
	(a) Treasury	1,140.64	1,372.13
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1,305.08	1,506.16
	(c) Retail Banking	1,965.49	1,875.18
	(d) Other Banking Operations	611.91	607.56
	Total	5,023.12	5,361.03
	Less : Other Un - allocable Expenditure	7,434.25	10,821.84
	Total Profit Before Tax	**(2,411.13)**	**(5,460.81)**
	Income Tax and other taxes paid	375.00	(2,048.28)
	Net Profit	**(2,786.13)**	**(3,412.53)**
3	**Segment Assets**		
	(a) Treasury	72,446.52	76,057.32
	(b) Corporate/Wholesale Banking	72,982.86	75,815.40
	(c) Retail Banking	77,491.11	69,956.10
	(d) Other Banking Operations	20,863.52	16,023.27
	(e) Un-allocable Assets	5,527.41	4,319.28
	Total Assets	**2,49,311.42**	**2,42,171.37**
4	**Segment Liabilities**		
	(a) Treasury	71,227.45	75,019.91
	(b) Corporate/Wholesale Banking	71,271.65	74,348.76
	(c) Retail Banking	73,878.48	67,085.70
	(d) Other Banking Operations	19,634.64	14,809.30
	(e) Un-allocable Liabilities	134.07	89.42
	Total	**2,36,146.29**	**2,31,353.09**
	Capital & Reserves	13,165.13	10,818.28
	Total Liabilities	**2,49,311.42**	**2,42,171.37**

2.7 लेखा मानक 18 से संबंधित पार्टी प्रकटन

संबंधित पार्टी के नाम एवं बैंक से उनका संबंध

(क) बैंक ने लेखा मानकों के अनुसार निम्न व्यक्तियों को मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रुप में मान्यता दी है:

i) श्री जे. पक्किरिसामी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, दि.21-09-2018 से

ii) श्री ए. के. रथ, कार्यपालक निदेशक

iii) श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक

(ख) अनुषंगी

आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड

(ग) सहयोगी

चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

i) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

ii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी

iii) असरेक इंडिया (प्रा.) लिमिटेड

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन : (रुपयों में)

क्र. सं.	नाम	संबंध	लेन-देन की प्रकृति	2018-19	2017-18
1	श्री जे. पक्किरिसामी	बंध निदेशक एवं सीईओ (दि.21-09-2018 से)	पारिश्रमिक	14,35,061	--
2	श्री ए. के. रथ	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	25,63,932	23,87,028
3	श्री कुल भूषण जैन	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	23,80,926	10,65,932

एएस-18 के अनुच्छेद 9 के दृष्टिगत जहां राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य पार्टियों से अपने लेनदेन के प्रकटीकरण से छूट है जो राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं है, बैंक की अनुषंगी एवं सहयोगी बैंकों के साथ लेनदेन प्रकट नहीं किया गया है ।

iv ( ) संयुक्त उद्यम में निवेश की गई पूँजी -

(क) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी - रू 143.28 करोड़ (रू 143.28 करोड़)

(ख) असरेक (इं) लिमिटेड रू 28.40 करोड़ (रू 28.40 करोड़)

(ग) इंडिया फर्स्ट जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड रू 187.50 करोड़ (रू187.50 करोड़)

2.8 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर उपार्जन

विवरण	2018-19	2017-18
मूल ई.पी.एस / डाइल्यूटेड रू	(19.01)	(38.94)
मूल ई.पी.एस. का परिकलन		
निवल लाभ (रू करोड़ में) (असाधारण मदों व कुल करों को छोडकर)	(2786.13)	(3,412.53)
शेयरों की औसत अधिभारिता सं. (यूनिट करोड़ में)	146.58	87.64
प्रति शेयर मूल / डाइल्यूडटेड उपार्जन रू	(19.01)	(38.94)
शेयर का नाममात्र मूल्य रू में	10.00	10.00

2.9 लेखा मानक 22 - आय पर कर हेतु लेखा

दि.31.03.2019 को प्रमुख घटक निम्न अनुसार है :- (रू करोड़ों)

समय अंतर	मार्च 31, 2019		मार्च 31, 2018	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
(1) बहियों के अनुसार एनपीए हेतु प्रावधान तथा धारा 36 (1) (viiए) के अंतर्गत दावा कटौती	2797.06	-	3501.36	-
(2) अनुमोदित उपदान निधि को अंशदान- आस्थागन	-	-		64.63
(3) अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व के कारण	-	508.29	-	503.55
(4) आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार दावा अधिक/कम मूल्यरहास	7.94	-	5.19	-
(5) निवेश पर मूल्यहास	-	-	-	398.66
कुल	**2805**	**508.29**	**3506.55**	**966.84**

2.7 Accounting Standard 18 - Related party disclosures

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank

(a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per the Accounting Standard :

i) Sri. J.Packirisamy MD & CEO from 21.09.2018

ii) Sri. A.K. Rath, Executive Director

iii)Sri. Kul Bhushan Jain, Executive Director

(b) Subsidiary :

Andhra Bank Financial Services Ltd.

(c) Associate :

Chaitanya Godavari Grameena Bank

(d) Joint Ventures :

i) India First Life Insurance Company Ltd.,

ii) India International Bank (Malaysia) Bhd.

iii)ASREC India (P) Ltd.,

Transactions with Related parties : (in Rupees)

Sl. No	Name	Relationship	Nature of transaction	2018-19	2017-18
1	Sri J.Packirisamy	Managing Director & CEO (from 21.09.2018)	Remuneration	14, 35 ,061	--
2	Sri A.K. Rath	Executive Director	Remuneration	25, 63,932	23,87,028
3	Sri Kul Bhushan Jain	Executive Director	Remuneration	23, 80,926	10,65,932

The transactions with the Subsidiary and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the AS-18 on Related Party Disclosures, which exempts State Controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

iv) Capital invested in Joint Ventures–

a) India International Bank (Malaysia) Bhd ₹143.28 crore (₹143.28 crore)

b) ASREC India (P) Ltd. ₹ 28.40 crore (₹28.40 crore)

c) India First Life Insurance Company Limited ₹ 187.50 crore (₹187.50 crore)

2.8 Accounting standard 20 - Earnings per share

Particulars	2018 -19	2017 -18
Basic EPS /Diluted ₹	(19.01)	(38.94)
Calculation of Basic E P S		
Net Profit (₹ in crore) (excluding extra ordinary items, net of taxes)	(2786.13)	(3,412.53)
Weighted Average No. of Shares (units in crore)	146.58	87.64
Basic /Diluted Earnings per Share ₹	(19.01)	(38.94)
Nominal value of Share in ₹	10.00	10.00

2.9 Accounting Standard 22 - Accounting for taxes on income

The major components as on 31.03.2019 are as follows : (₹ in Crore)

Timing Difference	31st March -2019		31st March -2018	
	DTA	DTL	DTA	DTL
(1) Provision for NPA as per books and deduction claimed under section 36(1)(viia)	2797.06	-	3501.36	-
(2) Contribution to approved gratuity fund - deferment	-	-		64.63
(3) On account of Special Reserve created under section 36 (1)(viii) of the Act	-	508.29	-	503.55
(4) Excess / Lower Depreciation claimed as per Income Tax Act, 1961	7.94	-	5.19	-
(5) Depreciation on Investments	-	-	-	398.66
Total	**2805.00**	**508.29**	**3506.55**	**966.84**

2.10 लेखा मानक 24 – परिचालन बंद करना

वित वर्ष 2018–19 के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बन्द नहीं किया है जिससे देयता अथवा आस्तियों की वसूली पर प्रभाव पड़े तथा उक्त प्रभाव पड़ने वाले किसी परिचालन को बंद करने हेतु निर्णय नहीं लिया गया है ।

2.11 लेखा मानक 28 – आस्तियों का अनर्जक होना

लेखा मानक 28 के पैरा 8 से 10 में दर्शाए गए सूचक – अनर्जक आस्तियों (आइसीएआइ द्वारा जारी) की जाँच पर यह पाया गया कि बैंक के मामले में कोई सूचक नहीं हैं। वसूली–योग्य राशि का अनुमान नहीं लगाया गया है तथा किसी संभावित अनर्जक हानि का कोई संकेत नहीं है ।

2.12 लेखा मानक 29 – प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

अनुसूची 12 में वर्णित आकस्मिक देयताएँ न्यायालय के निर्णय/विवाचन/न्यायालय के बाहर समझौते, अपील के निपटान, माँगी गई राशि, संविदात्मक दायित्व की शर्तें, संबंधित पार्टियों द्वारा न्या1गमन तथा माँग, जैसा मामला हो, पर निर्भर हैं ।

देयताओं के लिए प्रावधान का संचालन (अन्य हेतु प्रावधान छोडकर) (रू करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/ आकस्मिकताएं	
	2018–19	**2017–18**
आरंभिक शेष	5.86	1.95
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.03	4.39
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–0.02	0.48
अंतिम शेष	5.87	5.86
बहिर्गमन / आकस्मिकताओं का समय	निपटान / क्रिस्टलीकरण के कारण बहिर्गमन	नपटान / क्रिस्टलीकरण के कारण बहिर्गमन

3. अतिरिक्त प्रकटन

3.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (रू करोड़ों में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय के अंतर्गत दर्शाई प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ का ब्रेक–अप	2018–19	2017–18
(i) निवेश के मूल्य में ह्रास	488.28	1044.04
(ii) अनर्जक आस्तियाँ	6674.26	10102.87
(iii) मानक आस्तियाँ	–38.00	(502.00)
(iv) आय–कर	132.00	198.84
(v) आस्थगित कर	243.00	(2247.12)
(vi) अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :		
क) पुनर्गठित अग्रिम	5.05	(56.86)
ख) अन्य प्रावधान	304.66	233.79
कुल	**7809.25**	**8773.56**

3.2 अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रीय प्रोविजनिंग भंडार) (रू करोड़ों में)

ववरण	2018–19	2017–18
प्रारंभिक शेष	13.00	13.00
वर्ष के दौरान जमा	--	--
वर्ष के दौरान कटौती (ड्रॉडाउन का उद्देश्य एवं राशि)	--	--
अंतिम शेष	13.00	13.00

3.3 प्रारक्षिती में गिरावट :

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. भारिबैंक/2015–16/376, डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/ 21.04.048/2015–16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के दृष्टिगत बैंक ने धोखाधड़ी प्रकट किए गए खाते के प्रावधान का गैर–परिशोधित भाग के प्रति राजस्वं रिज़र्व से रू शून्य करोड़ (रू शून्य करोड़) नामे किया है ।

'मास्टर परिपत्र – बेसल III पूँजी विनियम – स्पष्टीकरण' पर भारिबैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 71/21.06.201/2015–16 दि. 14 जनवरी, 2016 के साथ पठित 'बेसल III पूँजी विनियम – अतिरिक्त– टियर 1 पूँजी' पर भारिबैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.50/21.06.201/2016–17 दि. 2 फरवरी, 2017 के अनुसार, बैंक ने अतिरिक्तन टियर – I स्था.ई बासेल III शिकायत बॉण्डस के ब्यार हेतु राजस्व रिज़र्व से दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान रू 280.53 करोड़ (रु 147.34 करोड़) की राशि आहरित की है ।

2.10 Accounting standard 24 - Discontinuing operations:

During the financial year 2018-19, the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalized.

2.11 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

The indications listed in paragraphs 8 to 10 of Accounting Standard 28– Impairment of Assets (issued by the ICAI) have been examined and on such examination, it has been found that none of the indications are present in the case of the bank. A formal estimate of the recoverable amount has not been made, as there is no indication of a potential impairment loss.

2.12 Accounting Standard 29 - Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Contingent liabilities mentioned in Schedule 12 are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties as the case may be.

Movement of provisions for liabilities (excluding provision for others) (₹ in Crore)

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2018 -19	**2017 -18**
Opening balance	5.86	1.95
Provided during the Year	0.03	4.39
Amounts used during the year	(0.02)	0.48
Closing balance	5.87	5.86
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on Settlement/crystallization	Outflow on Settlement/crystallization

3. Additional disclosures

3.1 Provisions and contingencies (₹ in Crore)

Breakup of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2018 -19	2017 -18
(i) Depreciation in value of Investments	488.28	1044.04
(ii) Non Performing Assets	6674.26	10102.87
(iii) Standard Assets	(38.00)	(502.00)
(iv) Income Tax	132.00	198.84
(v) Deferred Tax	243.00	(2247.12)
(vi) Other provisions and contingencies:		
a) Restructured advances	5.05	(56.86)
b) Other provisions	304.66	233.79
TOTAL	**7809.25**	**8773.56**

3.2 Floating Provisions (Counter cyclical provisioning buffer) (₹ in Crore)

Particulars	2018 -19	2017-18
Opening balance	13.00	13.00
Additions during the year	--	--
Reduction during the year (Purpose and amount of drawdown made)	--	--
Closing balance	13.00	13.00

3.3 Draw Down from Reserves :

Pursuant to Reserve Bank of India Circular No. RBI/2015-16/376, DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016, Bank has debited ₹ NIL crore (₹NIL crore) from Revenue Reserve towards unamortized portion of provision on accounts reported as fraud.

Pursuant to Reserve Bank of India circular no. DBR.BP.BC.No.50/21.06.201/2016-17 dated 2nd February, 2017 on Basel III Capital Regulations- Additional Tier 1 Capital' read with Reserve Bank of India circular no. DBR. No.BP.BC.71/21.06.201/2015-16 dated 14th January, 2016 on `Master Circular-Basel III Capital Regulations -Clarification', Bank has drawn an amount of ₹ 280.53 Crore (₹ 147.34 Crores) during the year ended 31st March, 2019 from Statutory Reserve (Previous year from Revenue Reserve) towards payment of interest of Additional Tier-I Perpetual Basel III Compliant bonds.

3.4 शिकायतों का प्रकटन तथा बैंकिंग लोकपाल के अधिनिर्णय जो कार्यान्वित नहीं किए गये

बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के तेजी से निपटान के लिए ग्राहक शिकायत निवारण मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। ग्राहकों की शिकायतों निवारण करने के लिए प्रधान कार्यालय में अलग से एक विभाग है।

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम लेनदेन से संबंधित शिकायतें सहित)

		2018–19	2017–18
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की सं.	1571	760
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. (#)	101883	214138
(ग)	वर्ष के दौरान निपटान किये गए शिकायतों की सं.	103380	213327
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की सं.( )	74	1571

ख. एटीएम शिकायतें

		2018–19	2017–18
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की सं.	NIL	NIL
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. (#)	90788	198214
(ग)	वर्ष के दौरान निपटान किये गए शिकायतों की सं.	90788	198214
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की सं.( )	NIL	NIL

ग. लोकपाल के द्वारा पारित अधिनिर्णय

		2018–19	2017–18
(क)	वर्ष के प्रारंभ में गैर–कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	NIL	NIL
(ख)	वर्ष के दौरान लोकपाल के द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	1	NIL
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	1	NIL
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर गैर–कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	NIL	NIL

अगले कार्य दिवस के भीतर निवारण किए गये शिकायतें शामिल नहीं है।

नोट: *सभी लंबित शिकायतों का निपटान कर लिया गया है।

3.5 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण (एलओसी)/ बैंक द्वारा जारी वचन–पत्र:

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) / वचन–पत्र (एलओयू) जारी नहीं किए गए थे। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में वचन–पत्र (पूंजीगत वस्तुओं के लिए) की बकाया राशि रु. 7.54 करोड़ थी।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा कूल 1014 वचन–पत्र जारी किए गए, जिनकी राशि 2,603.17 करोड रुपये है तथा 31.03.2018 तक बकाया राशि 1,016.06 करोड रुपये थी।

3.6 संयुक्त उद्यम की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने इंडिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के नाम से दि.13.08.2010 को बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी में मलेशिया में संयुक्त उद्यम बैंक का गठन किया है ।

संयुक्त उद्यम में आन्ध्रा बैंक का अंश 25% और बैंक ऑफ बड़ौदा का अंश 40% और इंडियन ओवरसीज बैंक का अंश 35% है । भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम बैंक की स्थापना हेतु मलेशियन रिंगेट 82.50 मिलियन (जो मलेशियन रिंगेट 330 मिलियन के कुल प्रदत्त पूंजी का 25% है) के समतुल्य पूंजीगत निधि लगाने हेतु बैंक को अनुमोदन प्रदान किया है।

अपने संयुक्त उद्यम इंडियन इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयोजन के लिए बैंक ने बैंक नेगरा मलेशिया को दि. 05.08.2010 को वचन पत्र और चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है । इस प्रकार के वचन पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव पूंजी अंशदान में आन्ध्रा बैंक के अंश तक सीमित है। दि.31.03.2017 को इंडियन इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी की ईक्विटी पूंजी में आन्ध्रा बैंक का अंशदान मलेशियन रिंगेट 82.50 मिलियन है जो मलेशियन रिंगेट 10 प्रति शेयर के 82,50,000 पूर्णतः प्रदत्त ईक्विटी शेयरों का समतुल्य है । इस प्रकार के पूंजीगत अंशदान का रुपया समतुल्य बैंक द्वारा अनुषंगी और संयुक्त उद्यम के शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है ।

इस प्रकार बैंक ने मलेशियन रिंगेट 330.00 मियो के प्रदत्त पूंजी में अपने अंश के प्रति जारी चुकौती आश्वासन पत्र के अंतर्गत मलेशियन रिंगेट 82.50 मियो का पूर्ण विप्रेषण कर दिया है ।

3.4 Disclosure of complaints and unimplemented awards of Banking Ombudsman

The Bank has taken several measures to strengthen the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints. In Head office there is a separate department to attend the complaints of customers.

A. Customer Complaints (including complaints relating to ATM transactions)

Sl.No.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. o f complaints pending at the beginning of the year	1571	760
(b)	No. of complaints received during the year (#)	101883	214138
(c)	No. of complaints redressed during the year	103380	213327
(d)	No. of complaints pending at the end of the year (*)	74	1571

B. ATM Complaints

Sl.No.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of complaints received during the year (#)	90788	198214
(c)	No. of complaints redressed during the year	90788	198214
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	NIL	NIL

C. Awards passed by the Banking Ombudsman

Sl.No.	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	1	NIL
(c)	No. of Awards implemented during the year	1	NIL
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	NIL	NIL

Does not include complaints redressed within the next working day.

* All the pending complaints are since redressed.

3.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoC)/ Letter of Undertaking issued by bank:

During the year ended 31st March 2019, no Letter of Comfort (LOC)/ Letter of Undertaking (LOU) were issued by the bank. However, the outstanding amount of Letter of undertaking (for capital goods) as at the year ended 31st March 2019 was ₹ 7.54 Crore.

During the year ended 31st March 2018, a total of 1014 LOUs were issued by the bank, amounting to ₹2,603.17 Crore and the outstanding amount as on 31.03.2018 was ₹1,016.06 Crore.

3.6 Letter of Comfort on behalf of Joint Venture

The Bank had formed a joint venture Bank in Malaysia with joint venture partnership of Bank of Baroda and Indian Overseas Bank on 13.08.2010 in the name of INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD.

Andhra Bank's share of joint venture is 25% whereas 40% is held by Bank of Baroda and 35% by Indian Overseas Bank. Reserve Bank of India and Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services have accorded approvals for the Bank for infusing capital funds equivalent to Malaysian Ringgit 82.50 million (being 25% of total paid up capital of Malaysian Ringgit 330 Mio).

For the purpose of fulfilment of capital requirements of its joint venture India International Bank (Malaysia) BHD,, Andhra Bank has issued a Letter of Undertaking and a Letter of Comfort on 05.08.2010 favouring Bank Negara Malaysia. The financial impact on such LOC/LOU is limited to the extent of Andhra Bank's share of capital contribution. As on 31.03.2019, Andhra Bank's contribution to equity capital of India International Bank (Malaysia) BHD is Malaysian Ringgit 82.50 Mio representing 82,50,000 fully paid equity shares of Malaysian Ringgit 10 per share. The rupee equivalent of such capital contribution is included under the head "Investments in Subsidiaries and Joint Ventures" by the Bank.

Thus, the Bank has fully remitted Malaysian Ringgit 82.50 Mio under the Letter of Comfort issued, towards its share in the paid up capital of Malaysian Ringgit 330.00 Mio.

3.7 प्रावधान कवरेज अनुपात

(रू करोड़ों में)

क	ख	ग	घ	ङ
क्र. सं.	विवरण	दि. 31.03.2019 को सकल एनपीए जमा तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	रखे गए विशिष्ट प्रावधान @	(घ) से (ग) अनुपात
1.	अवमानक अग्रिम	4015.89	685.59	17.07%
2.	संदिग्ध अग्रिम (क+ख+ग)	22339.28	16530.83	74.00%
क	<1 वर्ष	4757.28	2385.13	50.14%
ख	1-3 वर्ष	11203.15	7766.85	69.33%
ग	>3 वर्ष	6378.85	6378.85	100.00%
3.	हानि आस्तियों के रुप में वर्गीकृत अग्रिम (2618.8) + तकनीकी रुप से बट्टे खाते (5776.7)	8395.50	8395.50	100.00%
4.	कुल	34750.67	25611.92	73.70%
5	अस्थिर प्रावधान	XX	13.00	XX
6	प्राप्त डीआईसीजीसी/ ईसीजीसी दावे तथा समायोजन तक बकाया रखे गए।	XX	34.35	XX
7	प्राप्त आंशिक भुगतान तथा उचंत खाते अथवा किसी अन्य वैसे ही खाते में रखा गया।	XX	XX	XX
8	कुल	34750.67	25659.27	73.84%
9	प्रावधान कवरेज अनुपात	73.84%		

* तकनीकी अथवा विवेकपूर्ण बट्टे-खाते अनर्जक ऋणों की राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है किंतु प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे-खाते डाले गए (पूर्ण रुप से अथवा आंशिक) ।

@ विशिष्ट प्रावधानों में तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते जमा एनपीए वर्गीकृत पुनर्गठित खातों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान सम्मिलित है ।

एनपीए पर कुल प्रावधान + अस्थिर प्रावधान + एनपीए परिकलन के लिए विचार की गयी डीआईसीजीसी/ईसीजीसी दावा राशि + तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गयी / सकल एनपीए राशि + तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गयी राशि ।

3.8 बैंक-बीमा व्यवसाय

बैंक ने बैंक-बीमा से शुल्क के रुप में रू 65.08 करोड़ (रू 55.82 करोड़) प्राप्त किए हैं । इसमें बैंक-बीमा जीवन से शुल्क के रुप में रू 34.70 करोड़ (रू31.93 करोड़) तथा गैर-जीवन से शुल्क के रुप में रू 30.38 करोड़ (रू 23.89 करोड़) सम्मिलित हैं ।

3.9 जमा, अग्रिम, एक्सपोजर तथा एनपीए का संकेंद्रण :

3.9.1 जमा का संकेंद्रण: *

(रू करोडों में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
बीस बडे जमाकर्ताओं की कुल जमा	30,217.02	36,301
बैंक के कुल जमा के प्रति बीस बडे जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत (लेखा-परीक्षा पूर्व रु 178694.84)	13.75	17.45

* ग्राहक व्यक्तिगत आईडी के आधार पर प्रबंधन द्वारा संग्रहित तथा लेखा परीक्षकों के विश्वास के अनुसार

3.9.2 अग्रिमों का संकेंद्रण*

(रू करोडों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
बीस बडे उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	29903.43	27485.78
बैंक के कुल अग्रिम का बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रतिशत (लेखा-पूर्व178694.84)	16.73%	16.67%

3.9.3 जोखिमों का संकेंद्रण **

(रू करोडों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
बीस बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	29973.34	28548.25
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सकपोजर के प्रति बीस बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत (एफबी+एनएफबी+निवेश) = 217813.92+28971.24 +15056.72 = 261841.88 करोड़	11.45%	11.21%

** एक्सपोजर मानदण्डों पर भारिबैंक मास्टर परिपत्र में निर्धारित ऋण एवं निवेश एक्सपोजर के आधार पर एक्सपोजर की गणना की गयी है ।

3.9.4 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(रू करोडों में)

दिनांक 31.03.2019 को सर्वोच्च चार एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर	3743.26 (3722.16)

3.7 Provisioning Coverage Ratio

(₹ in Crore)

A	B	C	D	E
Sl. No.	**Particulars**	**Gross NPA plus Technical / Prudential Write-off * as on 31.03.2019**	**Specific Provisions held @**	**Ratio of (D) to (C)**
1	Sub -Standard Advances	4015.89	685.59	17.07%
2	Doubtful Advances (a+b+c)	22339.28	16530.83	74.00%
a	< 1 year	4757.28	2385.13	50.14%
b	1 -3 years	11203.15	7766.85	69.33%
c	>3 years	6378.85	6378.85	100.00%
3	Advances classified as Loss Assets (2618.8) + Technically Written - off (5776.7)	8395.50	8395.50	100.00%
4	**TOTAL**	**34750.67**	**25611.92**	**73.70%**
5	Floating Provisions	XX	13.00	XX
6	DICGC/ECGC claims received and held pending adjustment	XX	34.35	XX
7	Part payments received and kept in Suspense Account	XX	XX	XX
8	**TOTAL**	**34750.67**	**25659.27**	**73.84%**
9	**Provision Coverage Ratio #**	**73.84%**		

* Technical / Prudential write-off is the amount of non-performing loans which are written-off at branch level and loans which are outstanding in the books of the branches but have been written-off (fully or partially) at Head Office level.

@ Specific Provisions held including provisions for diminution in fair vale of the restructured accounts classified as NPAs plus technical/prudential write-off.

Total provisions held on NPAs +Floating provision +DICGC/ECGC claim amount considered for Calculating NPA+ amount of technically written off / Gross NPA+ amount of technically written off

3.8 Bancassurance business

The Bank has received total of ₹65.08 crore (₹55.82 crore) as fee from Bancassurance. It includes fees from Bancassurance Life ₹34.70 crore (₹31.93 crore) and Non-Life ₹30.38 crore (₹23.89 crore).

3.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

3.9.1 Concentration of Deposits* :

(₹ in Crore)

Particulars	31 -March -2019	31 -March -2018
Total Deposits of twenty largest depositors	30,217.02	36,301
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (%)	13.75	17.45

*Compiled by the management based on individual customer IDs and relied upon by the auditors

3.9.2 Concentration of Advances*

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Advances to twenty largest borrowers	29903.43	27485.78
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank (₹178694.84)	16.73%	16.67%

* Advances have been computed as per the definition of credit exposure including derivatives furnished in RBI Master circular on exposure norms.

3.9.3 Concentration of Exposures **

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total exposure to twenty largest borrowers/customers	29973.34	28548.25
Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the bank on borrowers/customers (FB+NFB+Invt)= ₹217813.92 +₹28971.24+₹15056.72 = ₹261841.88 Cr	11.45 %	11.21 %

** Exposure has been computed based on credit and investment exposure as prescribed in the RBI Master circular on exposure norms.

3.9.4 Concentration of NPAs :

(₹ in Crore)

Total Exposure to top four NPA accounts as on 31.03.2019	3743.26 (3722.16)

3.10 क्षेत्र-वार अग्रिम/ अनर्जक आस्तियों : (रू करोडों में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष 2018-19			गत वर्ष 2017-18		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों का सकल एनपीए प्रतिशत
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	33725	1719	5.10%	29443	1269	4.31%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों हेतु अग्रिम	17542	3696	21.07%	18521	3291	17.77%
3	सेवाएं	15334	1196	7.80%	10906	675	6.19%
4	वैयक्तिक ऋण	12292	265	2.16%	10562	234	2.22%
	उप-जोड़ (क)	78894	6876	8.72%	69432	5470	7.88%
ख	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	3326	0	0.00%	1207	0	0.00
2	उद्योग	42475	20803	48.98%	61521	21551	35.03%
	उर्जा @	15093	5385	35.68%	12966	5889	45.42%
3	सेवाएं	10088	656	6.50%	4043	645	15.96%
4	वैयक्तिक ऋण	28814	639	2.22%	28332	458	1.62%
	उप-जोड़ (ख)	99796	22098	22.14%	95103	22655	23.82%
	कुल (क+ख)	178690	28974	16.21%	164535	28124	17.09%

संबद्ध@क्षेत्र का 10% अतिक्रमण करते हुए ।

3.11 एन.पी.ए. का संचालन (रू करोडों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के प्रारंभ में सकल एनपीए	28124.36	17669.98
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	5274.94	13864.23
उप-योग (क)	**33399.30**	**31534.21**
घटाएं :-		
(i) कोटि उन्नयन	440.33	146.23
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	1704.82	1598.02
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	1775.58	896.46
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते	504.60	769.14
उप-योग (ख)	**4425.33**	**3409.85**
वर्ष के अंत में सकल एनपीए (क-ख)	**28973.97**	**28124.36**

तकनीकी बट्टे-खाता के स्टॉक तथा की गयी वसूलियाँ : (रू करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष	4195.45	3476.35
योग : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	1775.58	896.46
उप-योग (क)	**5971.03**	**4372.81**
घटाएं : वर्ष के दौरान विगत तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में की गयी वसूली (ख)*	194.33	177.36
अंतिम शेष (क-ख)	5776.70	4195.45

* तकनीकी बट्टे खाते में समझौते निपटानों के अंतर्गत सम्मिलित आनुमानिक बट्टे खाते सहित ।

3.12 ओवरसीज़ आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व (31.03.2019 तक) (रू करोड़ों में)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
कुल आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल एनपीए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

3.10 Sector - wise Advances / NPA :

(₹ in Crore)

		Current Year - 2018-19			Previous Year - 2017-18		
Sl. No.	Sector*	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	33725	1719	5.10%	29443	1269	4.31%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	17542	3696	21.07%	18521	3291	17.77%
3	Services	15334	1196	7.80%	10906	675	6.19%
4	Personal Loans	12292	265	2.16%	10562	234	2.22%
	Sub -total (A)	**78894**	**6876**	**8.72%**	**69432**	**5470**	**7.88%**
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	3326	0	0.00%	1207	0	0.00
2	Industry	42475	20803	48.98%	61521	21551	35.03%
	Power @	15093	5385	35.68%	12966	5889	45.42%
3	Services	10088	656	6.50%	4043	645	15.96%
4	Personal Loans	28814	639	2.22%	28332	458	1.62%
	Sub -total (B)	**99796**	**22098**	**22.14%**	**95103**	**22655**	**23.82%**
	Total (A+B)	**178690**	**28974**	**16.21%**	**164535**	**28124**	**17.09%**

@ Sub Sectors exceeding 10% of the respective sector.

3.11 Movement of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Gross NPAs at the beginning of the year	28124.36	17669.98
Additions (Fresh NPAs) during the year	5274.94	13864.23
Sub -total (A)	**33399.30**	**31534.21**
Less :		
(i) Upgradations	440.33	146.23
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1704.82	1598.02
(iii) Technical / Prudential Write - Offs	1775.58	896.46
(iv) Write -Offs other than those under (iii) above	504.60	769.14
Sub -total (B)	**4425.33**	**3409.85**
Gross NPAs at the end of the year (A-B)	**28973.97**	**28124.36**

Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon :

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of Technical / Prudential written -off accounts	4195.45	3476.35
Add : Technical / Prudential write - offs during the year	1775.58	896.46
Sub -total (A)	**5971.03**	**4372.81**
Less: Recoveries made from previously technical / prudential written -off accounts during the year (B)*	194.33	177.36
Closing balance (A-B)	**5776.70**	**4195.45**

*Including notional write off involved under compromise settlements in Technically Written Off accounts.

3.12 Overseas Assets, NPAs and Revenue (as on 31.03.2019)

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

3.13 प्रायोजित ऑफ–तुलन पत्र एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है) : (रू करोडों में)

वर्ष	प्रायोजित एसपीवी का नाम	
	देशी	विदेशी
2018–19	शून्य	शून्य
2017–18	शून्य	शून्य

3.14. दिनांक 31 मार्च, 2019 तक के अंतर बैंक लेन–देन का समायोजन किया जा चुका है ।

नोस्ट्रो खातों, उंचत खाते, ड्राफ्ट देय, समाशोधन अंतर, एटीएम लेनदेन आदि के साथ सहायक खाता–बही खातों का संतुलन, शेष राशि की पुष्टि/सामंजस्य निरंतर आधार पर जारी है। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, तो उपरोक्त के अंतिम मंजूरी/समायोजन के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

3.15. आय कर हेतु प्रावधान लागू नियमों एवं उपलब्धव विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं के आधार पर किया गया है । समान मामलों में न्यायिक उद्घोषणाओं के दृष्टिगत, मूल्यांकन वर्ष 2016–17 हेतु, जिसका मूल्यां कन समाप्त/अपील की गई है, रु 2750.29 करोड (रु 1903.28 करोड़) की विवादित कर माँग के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है । उक्त विवादित कर माँग के प्रति बैंक द्वारा भुगतान की गई/विभाग द्वारा समंजित राशि को प्रदत्त अग्रिम/स्रोत पर कर कटौती में सम्मिलित किया गया है । (अनुसूची 11 की मद III – अन्य आस्तियां)

3.16. ऋण चूक स्वैप : बैंक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण चूक स्वैप नहीं किया है (गत वर्ष शून्य) ।

3.17 इंट्रा–समूह एक्सिपोजर :

3.17.1 इंट्रा–समूह संस्थाएं

संस्था का नाम	संबंध का प्रकार
आंध्रा का बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड,	अनुषंगी
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	सहयोगी
इंडिया फस्टर लाइफ इंश्यूकरेंस कम्पंनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
इंडिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	संयुक्त उद्यम
असरेक इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

3.17.2 इंट्रा समूह एक्सलपोजर की कुल राशि

विवरण	वर्ष 2018–19 हेतु	वर्ष 2017–18 हेतु
इंट्रा समूह एक्सपोजर की कुल राशि	250.25	250.25
श्रेष्ठ 20 इंट्रा समूह एक्सपोजर की कुल राशि	250.25	250.25
उधारकर्ता/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर का इंट्रा समूह एक्सपोजर प्रतिशत (रु 261841.88 करोड़)	0.10%	0.10%
इंट्रा समूह एक्सपोजर तथा उस पर नियंत्रण कार्रवाई, यदि हो, तो सीमाओं के भंग का विवरण	शून्य	शून्य

3.18 जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण :

अदावी देयताओं का विवरण, जहाँ देय राशि डीईएएफ में 'आकस्मिक देयता – अन्य मद जिसके लिए बैंक आककस्मिक जिम्मेवदार है' के रूप में तुलन पत्र की अनुसूची 12 के अंतर्गत अंतरण की जा चुकी है : (रु करोडों में)

विवरण	31–मार्च–2019	31–मार्च–2018
डीईएएफ को अंतरण की गयी राशि का प्रारंभिक शेष	274.00	224.86
योग : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरण की गयी राशि	131.50	51.22
घटाएं : दावे हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी राशि	6.21	2.08
डीईएएफ को अंतरण की गयी राशि का अंतिम शेष	399.29	274.00

3.19 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

बैंक के पास बोर्ड द्वारा 'अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सईपोजर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार की गयी अनुमोदित नीति है । नीति उधारकर्ताओं की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सनपोजर की निगरानी, रिपोर्टिंग, समीक्षा एवं मूल्य पद्धति कवर करती है ।

उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा ऋण/उधार के समस्त विदेशी एक्स पोजर की गणना हेतु, विदेशी मुद्रा में कार्यशील पूंजी मांग ऋण/मीयादी ऋण, बाहरी वाणिज्यिक उधार, उपक्रमों को विदेशी वचन पत्र (एलओयू)/क्रेता ऋण सहित चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी), आयात ऋण पत्र, विदेशी गारंटी पत्र/विदेशी स्टैंड बाई ऋण पत्र/विदेशी मुद्रा में जारी आस्थगित भुगतान गारंटी पर विचार किया जाता है ।

3.13 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms) :

Year	Name of the SPV sponsored	
	Domestic	Overseas
2018 -19	Nil	Nil
2017 -18	Nil	Nil

3.14 Reconciliation of Inter Bank transactions have been done up to 31st March 2019.
Balancing of Subsidiary ledger accounts, confirmation/ reconciliation of balances with Nostro accounts, Suspense accounts, Drafts Payable, Clearing Differences, ATM transactions etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/ adjustment of the above, is not likely to be significant.

3.15 Provision for Income Tax has been made on the basis of the applicable laws and various judicial pronouncements available. In view of judicial pronouncements in similar cases, no additional provision is considered necessary towards disputed tax demands of ₹2750.29 crore (₹1903.28 crore) up to assessment year 2016-17 for which assessments are completed/appealed. Amounts paid by the bank/adjusted by the department on account of the said disputed tax demands have been included in tax paid in advance/tax deducted at source (item III of Schedule 11 – Other Assets).

3.16 Credit Default Swaps : Bank has not entered into Credit Default Swaps during the current Financial Year (Previous year NIL).

3.17 Intra-Group Exposures:

3.17.1 Intra-group entities :

Name of the entity	Nature of Relationship
Andhra Bank Financial Services Ltd.,	Subsidiary
Chaitanya Godavari Grameena Bank	Associate
India First Life Insurance Company Ltd.,	Joint Venture
India International Bank (Malaysia) Bhd	Joint Venture
ASREC India (P) Ltd.,	Joint Venture

3.17.2 Total amount of intra-group exposures :

Particulars	For the year 2018 -19	For the year 2017 -18
Total amount of intra-group exposures (₹ in Crore)	250.25	250.25
Total amount of top-20 intra-group exposures (₹ in Crore)	250.25	250.25
Percentage of intra -group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers (₹ 261841.88 Crore)	0.10%	0.10%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL

3.18 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) :
Details of unclaimed liabilities where the amount due has been transferred to DEAF reflected as "Contingent Liability - Other items for which the bank is contingently liable" under Schedule 12 of the Balance Sheet:

(₹ in Crore)

Particulars	31 -March -2019	31 -March -2018
Opening balance of amounts transferred to DEAF	274.00	224.86
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	131.50	51.22
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	6.21	2.08
Closing balance of amounts transferred to DEAF	399.29	274.00

3.19 Unhedged Foreign Currency Exposure :

Bank has in place a Board approved policy on “Hedging of Forex Currency Exposures of the Borrowers” prepared in line with RBI guidelines. The policy covers monitoring, reporting, reviewing and pricing mechanism of Un hedged Forex Exposures of Borrowers.

For computing aggregate forex exposures of the borrowers foreign currency loans/borrowings, Working capital demand loan / term loan in foreign currency, External Commercial Borrowings, Foreign Letter of Undertaking (LOU) / Letter of Comfort (LOC) including buyers credit, import letter of credit, Foreign Letter of Guarantees / Foreign Stand by Letter of Credit / Deferred Payment Guarantees issued in Foreign currency are considered.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं की संभाव्य हानि एवं ईबीआईडी पर विचार करते हुए वृद्धिशील प्रावधानों/पूँजीगत अपेक्षा की गणना की जाती है ।

आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2019 तक के बैंक द्वारा प्रदान किए गए वृद्धिशील प्रावधान/पूंजीगत अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं : (रु करोडों में)

विवरण	2018-2019	2017-2018
वृद्धिशील प्रावधान (मानक आस्ति प्रावधान से अधिक)	1.92	3.54
उधारकर्ताओं के आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर हेतु वृद्धिशील पूंजीगत अपेक्षा	5.07	7.27

3.20 चल निधि कवरेज अनुपात :

3.20.1 प्रकटीकरण फार्मेट (रु: करोडों में)

		31-मार्च-2019#		31-मार्च-2018#	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियां (एचक्यूतएलए)	–	41310.70	–	41033.90
नकद बहिर्गमन					
2	खुदरा जमाएं तथा लघु व्यलवसाय ग्राहकों की जमाएं, जिनमें :	104753.21	10055.53	94749.24	9101.75
(i)	स्थिर जमाएं	8395.94	419.80	7463.44	373.17
(ii)	कम स्थिर जमाएं	96357.27	9635.73	87285.80	8728.58
3	असुरक्षित थोक निधिकरण, जिसमें	79952.87	28600.57	72084.19	24856.34
(i)	परिचालनात्मोक जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनात्मजक जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	79820.11	28467.81	72084.19	24856.34
(iii)	आरक्षित ऋण	132.76	132.76	0.00	0.00
4	सुरक्षित थोक निधीकरण	–	0.00	–	0.00
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिनमें	17445.74	1666.06	35624.30	9210.33
(i)	डेरिवेटिव एक्सापोजर एवं अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्गमन	10.69	10.69	6217.06	6217.06
(ii)	ऋण उत्पाद पर निधीकरण हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं चल सुविधाएं	17435.05	1655.37	29407.24	2993.27
6	अन्य निधिकरण करार दायित्व	1240.69	1240.69	1284.06	1284.06
7	अन्य आकस्मिक निधीकरण दायित्व	21336.46	640.10	19831.04	594.93
8	कुल नकदी बहिर्गमन	–	42202.95	–	45047.41
नकद अंतर्वाह					
9	रक्षित उधार (उदा : रिवर्स रेपो)	0.00	0.00	0.00	0.00
10	पूर्ण रूप से कार्य-निष्पातदित एक्सपोज़रों से अंतर्वाह	3243.30	1621.65	2210.57	1105.28
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	1054.70	1054.70	6834.38	6834.38
12	कुल नकदी अंतर्वाह	4298.00	2676.35	9044.95	7939.66
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एचक्यूंएलए		41310.70		41033.90
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		39526.60		37107.76
23	चल कवरेज अनुपात (%)		104.51%		110.58%

गत वर्ष के दैनिक अवलोकन पर आधारित ।

The incremental provisions/Capital requirement is arrived by considering likely loss & EBID of the borrowers as per RBI guidelines.

In respect of the Un-hedged Foreign Currency Exposures, Incremental provisions and capital requirements that are provided by the bank as on 31st March 2019 are given below

(₹ in Crore)

Particulars	2018 -19	2017 -18
Incremental provisioning (over and above extant standard asset provisioning)	1.92	3.54
Incremental Capital held towards requirement for un hedged foreign currency exposures of borrowers	5.07	7.27

3.20 Liquidity Coverage Ratio

3.20.1 Disclosure format :

(₹ in Crore)

		31 -March -2019 #		**31 -March -2018 #**	
		Total Unweighted Value (average)	**Total Weighted Value (average)**	**Total Unweighted Value (average)**	**Total Weighted Value (average)**
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		41310.70		41033.90
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	104753.21	10055.53	94749.24	9101.75
(i)	Stable deposits	8395.94	419.80	7463.44	373.17
(ii)	Less stable deposits	96357.27	9635.73	87285.80	8728.58
3	Unsecured wholesale funding, of which:	79952.87	28600.57	72084.19	24856.34
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	79820.11	28467.81	72084.19	24856.34
(iii)	Unsecured debt	132.76	132.76	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	17445.74	1666.06	35624.30	9210.33
(i)	*Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	10.69	10.69	6217.06	6217.06
(ii)	*Outflows related to loss of funding on debt products*	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	*Credit and liquidity facilities*	17435.05	1655.37	29407.24	2993.27
6	Other contractual funding obligations	1240.69	1240.69	1284.06	1284.06
7	Other contingent funding obligations	21336.46	640.10	19831.04	594.93
8	**Total Cash Outflows**		**42202.95**		**45047.41**
Cash Inflows					
9	Secured lending	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	3243.30	1621.65	2210.57	1105.28
11	Other cash inflows	1054.70	1054.70	6834.38	6834.38
12	**Total Cash Inflows**	**4298.00**	**2676.35**	**9044.95**	**7939.66**
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	**TOTAL HQLA**		**41310.70**		**41033.90**
14	**Total Net Cash Outflows**		**39526.60**		**37107.76**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**104.51%**		**110.58%**

based on the daily observations over the previous year

3.21 एलसीआर के प्रति गुणवत्ता प्रकटीकरण :

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ने भार–रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा जिसे काफी गम्भीर चल दवाब परिदृश्य के अन्तर्गम 30 कैलेंडर दिवस हेतु चल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नकद में परिवर्तित किया जा सकता है ।

क. एलसीआर के मुख्य चालक

एलसीआर के दो घटक हैं :

i) दवाबग्रस्तै स्थिति में उच्च –गुणवत्ता की चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्यए ।

ii) कुल निवल नकद बहिर्गमन : कुल निवल नकद बहिर्गमन शब्दए को 30 कैलेंडर दिवस (दवाबग्रस्तर अवधि) हेतु विनिर्दिष्टक दवाब परिदृश्य में कुल अपेक्षित नकद बहिर्गमन घटाएं कुल अपेक्षित नकद अंतर्वाह के रूप में परिभाषित किया गया है ।

एलसीआर = अगले 30 कैलेंडर दिवस के दौरान उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियों के स्टॉक/कुल निवल नकद बहिर्गमन =100%

भारिबैंक ने दिनांक 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60% से आरम्भ करते हुए तथा 1 जनवरी, 2019 से न्यूकनतम 100% बनाए रखने हेतु चरणबद्ध रूप में एलसीआर को आरम्भ किया ।

ख. एलसीआर का इंट्रा–डे संचालन

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु मासिक एलसीआर का संचालन निम्नानुसार है :

अनुपात (समाप्त माह)	संकेत न्यूनतम बेंचमार्क	दिनांक 30.04.18	दिनांक 31.05.18	दिनांक 30.06.18	दिनांक 31.07.18	दिनांक 31.08.18	दिनांक 30.09.18
चलनिधि कवरेज अनुपात	100% (दिनांक 01.01.19 से प्रभावी)	100.13%	92.30%	102.42%	105.99%	94.15%	92.09%
			दिनांक 31.10.18	दिनांक 30.11.18	दिनांक 31.12.18	दिनांक 31.01.19	दिनांक 28.02.19
			105.97%	102.78%	106.87%	109.85%	104.83%

मार्च, 2019 तक एलसीआर (दैनिक औसत), पिछली तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन के आधार पर 104.51% रही । एलसीआर, न्यूएनतम अपेक्षा 100% के प्रति जनवरी–19, फरवरी–19 तथा मार्च–19 माह के अंत तक क्रमश: 109.85%, 104.83%, 118.46% रही।

ग. एचक्यूहएलए की संरचना

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु दैनिक औसत के आधार पर एचक्यूवएलए की संरचना निम्न प्रस्तुत है:

उच्च गुणवत्ता की चल आस्तियाँ	एचक्यूएलए के अंशदान का औसत प्रतिशत
हाथ में नकदी	2.76%
अधिक सीआरआर शेष	0.23%
न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	20.74%
एमएसएफ तथा एफएएलएलसीआर के अंतर्गत भारिबै द्वारा अनुमत अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियां	71.90%
सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थांओं, कार्पोरेट बांड, वाणिज्यिक पत्र, ईक्विटी शेयरों पर दावे अथवा इनके द्वारा गारंटीकृत विपणन योग्या प्रतिभूतियां (भारिबैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार हेयरकट/समायोजन किए गए स्तलर 2ए तथा 2बी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत आस्तियां)	4.37%

घ. निधिकरण स्रोत का संकेंद्रण

कुल जमाकर्ताओं के प्रति श्रेष्ठ 20 जमाकर्ताओं के अनुपात के आधार पर बैंक द्वारा 20% की आन्तरिक सीमा निर्धारित की गई थी । बैंक के श्रेष्ठा 20 जमाकर्ताएं मुख्य रूप से सरकारी खाते, अर्ध सरकारी एजेंसियाँ, नगरपालिकाएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं ।

ङ. बैंक का अपने चलनिधी स्थिति पर नगण्य। प्रभाव वाले डेरिवेटिव में कम एक्सपोजर है ।

च. बैंक का विदेशी मुद्रा में कोई महत्वपूर्ण एक्सपोजर नहीं है ।

बैंक विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार नियमित आधार पर न्यूएनतम एलसीआर अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु उच्चय गुणवत्ता की चल आस्तियों की पर्याप्त मात्रा का अनुरक्षण करता है।

3.21 LCR Qualitative Disclosure :

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

a. Main drivers of LCR

LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions

(ii) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

RBI introduced LCR in a phased manner starting with a minimum of 60% w.e.f January 1, 2015 and to be maintained at minimum 100% from January 1, 2019.

b. Intraday movements of LCR

The movement of monthly LCR for FY 2018-19 is as follows:

Ratio (Month end)	**Indicative Minimum Benchmark**	**30.04.18**	**31.05.18**	**30.06.18**	**31.07.18**	**31.08.18**	**30.09.18**
Liquidity Coverage Ratio	100% (w.e.f. 01.01.19)	100.13%	92.30%	102.42%	105.99%	94.15%	92.09%
			31.10.18	**30.11.18**	**31.12.18**	**31.01.19**	**28.02.19**
			105.97%	102.78%	106.87%	109.85%	104.83%

LCR (Daily Average) as on March 2019, based on the daily observations over the previous year stood at 104.51%. LCR as at the end of January-2019, February -2019 and March-2019 stood at 109.85%, 104.83%, 118.46% respectively as against the minimum requirement of 100%.

c. Composition of HQLA

Based on the Daily average for the FY 2018-19 the composition of HQLA is given below :

High Quality Liquid Assets (HQLA)	**Average percentage contribution of HQLA**
Cash on hand	2.76%
Excess CRR balance	0.23%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	20.74%
Government securities within the mandatory SLR requirement to the extent allowed by RBI under MSF & FALLCR	71.90%
Marketable securities representing claims on or guaranteed by Public Sector Entities, Corporate Bonds, Commercial Papers, Equity shares (Assets classified as Level 2A and 2B Assets are subject to hair-cuts / adjustments as per RBI guidelines)	4.37%

d. Concentration of funding sources

An internal limit of 20% was fixed by the bank based on the ratio of top 20 depositors to the total deposits. Top 20 depositors of the bank are mainly Government accounts, quasi government agencies, municipalities and Public Sector Entities.

e. The bank has low exposure in derivatives having negligible impact on its liquidity position.

f. Bank has no significant exposure in foreign currency.

Bank is maintaining sufficient quantity of High Quality Liquid Assets to meet the minimum LCR requirements on an ongoing basis as per regulatory requirements.

3.22 धोखाधड़ी खातों के प्रावधान संबंधी प्रकटीकरण:

विवरण	31-मार्च-2019	31-मार्च-2018
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	83	54
इन धोखाधड़ी में सम्मिलित राशि (रू करोड़ में)	1039.19	1345.19
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा (रू करोड़ में	1039.19	1345.19
अन्य निधि से नामे प्रावधानों की गैर-परिशोधित मात्रा (रू करोड़ में)	शून्य	शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. भारिबैंक/2015-16/376, डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार, बैंक ने धोखाधडी प्रकट किए गए खातों के प्रावधान के गैर-परिशोधित भाग के प्रति राजस्व रिज़र्व से रु. शून्य करोड़ (रु. शून्य) नामे किया है ।

3.23 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र : (रू करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसएलसी का प्रकार	31-मार्च-2019		31-मार्च-2018	
		विक्रय	क्रय	विक्रय	क्रय
1.	पीएसएलसी - कृषि (पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ के अलावा)	500	--	--	--
2.	पीएसएलसी - एसएफ/एमएफ	7375	--	1850	--
3.	पीएसएलसी - सूक्ष्म उद्यम	--	1900	--	--
4.	पीएसएलसी - साधारण (कृषि एवं सूक्ष्मत उद्यम के अलावा)	9600	--	8986	--

3.24 अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्य :

वर्ष के दौरान बैंक के स्वामित्व वाली संपत्तियों को बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकणकर्ताओं की रिपोर्टों के आधार पर वर्तमान बाजार मूल्य पर विचार करने के लिए तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन किया गया था । रु138.50 करोड़ रुपये की निवल मूल्य वृद्धि (परिसंपत्तियों की मूल लागत में रु 222.51 करोड़ की वृद्धि और रु 84.01 करोड़ का संचित मूल्यह्रास) को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया गया है ।

3.25 पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां वर्तमान वर्ष के आंकड़ों को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यरक हो, पुन: श्रेणीकृत/पुन: वर्गीकृत/पुन: व्यवस्थित किए गए हैं । कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं ।

कुल भूषण जैन
कार्यपालक निदेशक

अजित कुमार रथ
कार्यपालक निदेशक

जे पक्किरिसामी
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ

जी शिवकुमार
निदेशक

ए कृष्ण कुमार
निदेशक

बालगोपाल महापात्र
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

अंजना दुबे
निदेशक

बी सत्यनारायण राव
सहायक महाप्रबन्धक

एम. बी. राजेंद्र प्रसाद
महाप्रबन्धक

कृते अग्रवाल व सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं. 002405सी)

(सीए अनिल के सक्सेना)
साझेदार
एम न 071600

कृते रॉय एंव कं
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं313124ई)

(सीए सुब्रत रॉय)
साझेदार
एम न 051205

कृते संतोष गुप्ता एंव कं
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं009713एन)

(सीए मनोज कुमार)
साझेदार
एम न 108603

कृते जी एस माधवा राव एंव कं
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं001907एस)

(सीए माणिक्य प्रसाद जी)
साझेदार
एम न 020105

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 13.05.2019

3.22 Disclosures related to Provisions pertaining to fraud accounts:

Particulars	31 -March -2019	31 -March -2018
Number of frauds reported during the year	83	54
Amount involved in such frauds (₹ in Crore)	1039.19	1345.19
Quantum of Provision made during the year (₹ in Crore)	1039.19	1345.19
Quantum of Un -amortised Provision debited to "Other Reserves" (₹ in Crore)	NIL	NIL

Pursuant to Reserve Bank of India Circular No. RBI/2015-16/376, DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016, Bank has debited ₹ NIL crore (₹ NIL) from Revenue Reserve towards unamortized portion of provision on accounts reported as fraud.

3.23 Priority Sector Lending Certificates: (₹ in Crore)

S.No.	Type of PSLCs	31-March-2019		31-March-2018	
		Sold	Purchased	Sold	Purchased
1.	PSLC – Agriculture (Other than PSLC-SF/MF)	500	--	--	--
2.	PSLC - SF/MF	7375	--	1850	--
3.	PSLC – Micro Enterprises	--	1900	--	--
4.	PSLC – General (Other than agriculture & micro enterprises)	9600	--	8986	--

3.24 Revaluation of Fixed assets:

During the year properties owned by the bank was revalued to reflect the present market value based on the reports of External Independent Valuers and approved by the Board of Directors. The net appreciation of ₹138.50 Crore (with increase in original cost of assets by ₹222.51 Crore and accumulated depreciation by ₹84.01 Crore) has been credited to revaluation reserve.

3.25 Previous year figures have been regrouped / reclassified /rearranged wherever necessary to confirm to current year's figures. Figures in the brackets indicate figures of previous year.

KUL BHUSHAN JAIN
Executive Director

AJIT KUMAR RATH
Executive Director

J PACKIRISAMY
Managing Director & CEO

G SIVAKUMAR
Director

A KRISHNAKUMAR
Director

BALGOPAL MAHAPATRA
Director

P J THOMAS
Director

ANJANA DUBE
Director

B.SATYANARAYANA RAO
Assistant General Manager

M.B.RAJENDRA PRASAD
General Manager

FOR AGARWAL & SAXENA
Chartered Accountants
FRN:002405C

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

FOR RAY & CO
Chartered Accountants
FRN:313124E

(CA SUBRATA ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

FOR SANTOSH GUPTA & CO
Chartered Accountants
FRN:009713N

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

FOR G S MADHAVA RAO & CO
Chartered Accountants
FRN:001907S

(CA MANIKYA PRASAD G)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Hyderabad
Date: 13.05.2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ in 000)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
नकदी और नकदी तुल्य का आरंभिक शेष	15944,30,77	17735,14,32
नकदी और नकदी तुल्य का अंतिम शेष	15033,83,89	15944,30,77
अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)	**(910,46,88)**	**(1790,83,55)**
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह		
कर से पूर्व निवल लाभ / (हानि)	(2411,12,72)	(5460,80,76)
के लिए समायोजन:		
निवेश पर ऋण परिशोधन/मूल्यह्रास	602,03,71	1157,76,59
समनुषंगी-संस्था/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश पर प्राप्त लाभांश	(1,27,50)	(1,27,50)
एनपीए हेतु प्रावधान	6674,25,46	10102,87,09
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	(38,00,00)	(502,00,00)
अन्य आस्तियों (निवल) हेतु प्रावधान	309,71,04	176,93,24
गौण ऋण एवं अन्य उधार पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान	747,96,71	855,04,93
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	131,37,64	195,26,48
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(46,03)	(53,55)
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन :		
जमा में वृद्धि / (कमी)	11750,52,14	12629,23,35
निवेश में वृद्धि / (कमी)	700,65,31	(6670,79,34)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	(14155,05,80)	(20302,53,92)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	592,73,50	(547,98,45)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(998,14,62)	(2549,42,84)
परिचालन जनित नकदी	3905,18,84	(10918,24,68)
प्रदत्त कर	(995,28,60)	(1038,02,95)
परिचलनगत कार्यों से नकदी प्रवाह (क)	**2909,90,24**	**(11956,27,63)**
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :		
अचल आस्तियों की (खरीदी) / बिक्री	(77,20,86)	(137,32,13)
समनुषंगी-संस्था/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश में (वृद्धि) / कमी	-	-
समनुषंगी-संस्था/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश पर प्राप्त लाभांश	1,27,50	1,27,50
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह (ख)	**(75,93,36)**	**(136,04,63)**
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	5275,00,00	1890,00,00
लंबित आबंटन,भारत सरकार से प्राप्त आवेदन राशि	-	-
उधार में वृद्धि / (कमी)	(7990,93,96)	9413,87,19
गौण ऋण और अन्य उधार पर प्रदत्त/देय ब्याज	(1028,49,80)	(1002,38,48)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-	-
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह (ग)	**(3744,43,76)**	**10301,48,71**
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि (+)/ कमी(-) (क)+(ख)+ (ग)	**(910,46,88)**	**(1790,83,55)**

कुल भूषण जैन
कार्यपालक निदेशक

अजित कुमार रथ
कार्यपालक निदेशक

जे पक्किरिसामी
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ

जी शिवकुमार
निदेशक

ए कृष्ण कुमार
निदेशक

बालगोपाल महापात्र
निदेशक

पी जे थॉमस
निदेशक

अंजना दुबे
निदेशक

बी सत्यनारायण राव
सहायक महाप्रबन्धक

एम. बी. राजेंद्र प्रसाद
महाप्रबन्धक

कृते अग्रवाल व सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं. 002405सी)
(सीए अनिल के सक्सेना)
साझेदार एम न 071600

कृते रॉय एंव कं
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं313124ई)
(सीए सुब्रत रॉय)
साझेदार एम न 051205

कृते संतोष गुप्ता एंव कं
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं009713एन)
(सीए मनोज कुमार)
साझेदार एम न 108603

कृते जी एस माधवा राव एंव कं
सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं001907एस)
(सीए माणिक्य प्रसाद जी)
साझेदार एम न 020105

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 13.05.2019

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in 000)

Particulars	For the year ended 31.03.2019	For the year ended 31.03.2018
Opening balance of Cash and Cash equivalents	15944,30,77	17735,14,32
Closing balance of Cash and Cash equivalents	15033,83,89	15944,30,77
Net Increase(+) / Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period	**(910,46,88)**	**(1790,83,55)**
Cash Flow from Operating Activities :		
Net Profit / (Loss) before tax	(2411,12,72)	(5460,80,76)
Adjustment for:		
Amortisaton/Depreciation on Investments	602,03,71	1157,76,59
Dividend received on Investments in Subsidiary/Associate/Joint Ventures	(1,27,50)	(1,27,50)
Provision for NPA	6674,25,46	10102,87,09
Provision for Standard Assets	(38,00,00)	(502,00,00)
Provision for Other Assets (Net)	309,71,04	176,93,24
Payment / provision for Interest on Subordinated Debt & Other Borrowings	747,96,71	855,04,93
Depreciation on Fixed Assets	131,37,64	195,26,48
(Profit) / Loss on Sale of Assets	(46,03)	(53,55)
Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities:		
Increase / (Decrease) in Deposits	11750,52,14	12629,23,35
(Increase) / Decrease in Investments	700,65,31	(6670,79,34)
(Increase) / Decrease in Advances	(14155,05,80)	(20302,53,92)
(Increase) / Decrease in Other Assets	592,73,50	(547,98,45)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(998,14,62)	(2549,42,84)
Cash Generated from Operations	3905,18,84	(10918,24,68)
Taxes Paid	(995,28,60)	(1038,02,95)
Cash Flow from Operating Activities (A)	**2909,90,24**	**(11956,27,63)**
Cash Flow from Investing Activities:		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	(77,20,86)	(137,32,13)
(Increase) / Decrease of Investments in Subsidiary/Associate/Joint Ventures	-	-
Dividend received on Investments in Subsidiary/Associate/Joint Ventures	1,27,50	1,27,50
Cash Flow from Investing Activities (B)	**(75,93,36)**	**(136,04,63)**
Cash Flow from Financing Activities :		
Equity Capital including Premium	5275,00,00	1890,00,00
Application money received from Government of India, pending allotment	-	-
Increase / (Decrease) in Borrowings	(7990,93,96)	9413,87,19
Interest paid / payable on Subordinated Debt & Other Borrowings	(1028,49,80)	(1002,38,48)
Dividend paid (including tax on dividend)	-	-
Cash Flow from Financing Activities (C)	**(3744,43,76)**	**10301,48,71**
Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)	**(910,46,88)**	**(1790,83,55)**

KUL BHUSHAN JAIN
Executive Director

AJIT KUMAR RATH
Executive Director

J PACKIRISAMY
Managing Director & CEO

G SIVAKUMAR
Director

A KRISHNAKUMAR
Director

BALGOPAL MAHAPATRA
Director

P J THOMAS
Director

ANJANA DUBE
Director

B.SATYANARAYANA RAO
Assistant General Manager

M.B.RAJENDRA PRASAD
General Manager

FOR AGARWAL & SAXENA
Chartered Accountants
FRN:002405C

FOR RAY & CO
Chartered Accountants
FRN:313124E

FOR SANTOSH GUPTA & CO
Chartered Accountants
FRN:009713N

FOR G S MADHAVA RAO & CO
Chartered Accountants
FRN:001907S

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

(CA SUBRATA ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

(CA MANIKYA PRASAD G)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Hyderabad
Date: 13.05.2019

स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

आन्ध्रा बैंक के सदस्यों के लिए

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट :

राय

1. हमने आन्ध्रा बैंक ('बैंक') के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरणी और इसके पश्चात समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों के सारांश के साथ वित्तीय विवरणियों पर टिपपणी सम्मिलित है, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु 20 शाखाओं, हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग और संवैधानिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 1696 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित है । हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा—निर्देशों के अनुपालन में बैंक द्वारा किया गया है । तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरणी और नकदी प्रवाह विवरणी में 1169 शाखाओं की विवरणी भी सम्मिलित है, जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं हैं । ये गैर-लेखा-परीक्षित शाखाएं 6.96 प्रतिशत अग्रिम, 15.82 प्रतिशत जमा, 5.66 प्रतिशत ब्याज आय तथा 14.14 ब्याज व्यय हेतु उत्तरदायी है ।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना बैंक हेतु अपेक्षित रूप में प्रदान करती है तथा साधारणतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप है और निम्न प्रदान करती है :

   क. दिनांक 31 मार्च 2019 को बैंक के राज्य मामलों के तुलन-पत्र के मामले में वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण

   ख. उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते के मामले में वास्तविक शेष और

   ग. उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की विवरणी के मामले में वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण ।

राय का आधार

3. हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा-परीक्षा किया है । उन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणी अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है । हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता साथ ही नैतिक अपेक्षाओं जो भारत में वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं, उनके अनुपालन में बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा आचार संहिता के अनुपालन में अपने अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है । हमारा मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

मुख्य लेखा-परीक्षा विषय

4. मुख्य लेखा-परीक्षा विषय हमारे व्यवसायिक निर्णय में वे विषय हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे । इन विषयों को समग्र वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा और हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन विषयों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं ।

क्र.सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
1.	**अग्रिमों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान** इस विशेष वित्तीय विवरण मद क्रम के परिमाण के कारण हमने मुख्य रूप से अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित किया। आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम के संबंध में प्रावधानीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर बैंक संचालित होते हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, बैंकों को समय-सीमा से संबंधित निर्धारित नियमों के आधार पर अग्रिमों को "अनर्जक आस्तियां" (अवमानक, संदिग्ध तथा हानी) के रूप में वर्गीकृत करने और ऐसे अग्रिमों को उस अवधि तक अनर्जक आस्तियां बने रहने तक निर्दिष्ट प्रतिशत (15%, 25%, 40% और 100%) पर अपनी अपचारिता का प्रावधान करने की आवश्यकता है। परिचालन में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), समाधान सॉफ्टवेयर अर्थात् फिनेकल द्वारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से बैंक में ऐसे अनर्जक अग्रिमों की पहचान की जाती है। विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, सॉफ्टवेयर में विभिन्न नियंत्रण और अंतर्निहित होते हैं। यद्यपि, एनपीए की पहचान नियम आधारित तथा प्रणाली चालित है, तथापि प्राथमिक प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य का आकलन करते	हमने निम्नलिखित निर्णयों और अनुमानों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो भौतिक गलत बयानी का कारण हो सकते हैं या प्रबंधन पूर्वाग्रह के पात्र हो सकते हैं: क) प्रतिभूति मूल्य में निःशेषण निर्धारण की पूर्णता और समय और ख) प्रत्येक निर्धारित प्रावधान का पैमाना, जो प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियां, माल-सूची का वास्तविक मूल्य, व्यापार, प्राप्य राशि, परिसमापन पर प्राप्य मूल्य, विधि स्थिति, एनसीएलटी संदर्भित मामले के दिवालियेपन प्रक्रिया आदि पर निर्भर है। पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में हम: क) ऋण निष्पादन निगरानी, कार्यशील पूंजी सीमाओं के संबंध में आहरण शक्ति, उपलब्ध प्रतिभूति, आदि को मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गयी; ख) प्रतिभूतियों और आस्ति वर्गीकरण के मूल्य में निःशेषण के आकलन में प्रबंधन द्वारा अंगीकृत की गई प्रमुख अवधारणाएं तथा निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया;

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Andhra Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Andhra Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches, Investment and International Banking Division audited by us and 1696 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 1169 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 6.96 percent of advances, 15.82 per cent of deposits, 5.66 per cent of interest income and 14.14 per cent of interest expenses.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for a bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:
   a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;
   b. true balance of loss in case of Profit and loss account for the year ended on that date; and
   c. true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA`s) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Sl. No	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
1.	**Asset Classification and Provisioning in respect of Advances** We focused on Advances primarily because of the magnitude of this particular financial statement line item. Banks are governed by the prudential norms issued by the Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances. In terms of the said guidelines, Banks are required to classify Advances as "Non Performing Assets" (Sub Standard, Doubtful and Loss) based on prescribed rules involving time lines and to provide for their delinquency at specified percentages (15%, 25%, 40% and 100%) based on the period since when such advances remained in the non performing category. Identification of such non-performing advances is carried out in the bank based on system identification by the Core Banking Solution (CBS) solution software in operation i.e.	We have focused on the following judgements and estimates which could give rise to material misstatement or are potentially subject to management bias: a) The completeness and timing of recognition of depletion in the value of security; and b) The measurement of individually assessed provisions, which is dependent on the valuation of primary and collateral securities, realisable value of inventories, trade receivables, valuation of collateral securities, liquidation value, legal status, stage of insolvency proceedings in NCLT referred cases etc. In obtaining sufficient audit evidence we: a) Reviewed the operating effectiveness of key controls around the process of loan performance monitoring, assessment of drawing power in respect of Working Capital limits, evaluation of available security etc; b) Evaluated and tested the key assumptions and judgements adopted by management in assessment of depletion in the value of securities and asset classification;

क्र.सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा विषय	हमारी लेखा-परीक्षा ने किस प्रकार मुख्य लेखा-परीक्षा विषयों को संबोधित किया है
	समय प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय लेता है फलस्वरूप एनपीए की अपचारिकता के संबंध में प्रत्येक के लिए और सामूहिक प्रावधान भी है। अग्रिम बैंक आस्ति का एक बड़ा हिस्सा होता है और चूंकि प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, अतः हम इसे प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में मानते हैं।	ग) प्रतिभूति तथा अन्य मापदंडों के वास्तविक मूल्य के आधार पर किए गए प्रावधान की पुनर्गणना के माध्यम से सामूहिक ह्रास की गणना प्रक्रिया की सटीकता पर चुकौति आश्वासन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया है; घ) महत्वपूर्ण गैर-निष्पादित अग्रीमों हेतु, हमने पहचाने गये प्रत्येक प्रावधान हानी की पर्याप्तता का निर्धारण किया है; हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं का भी निष्पादन किया है: क) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा सुझाए गए सभी परिवर्तनों में सुधार किया है। ख) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और लंबी फॉर्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) की समीक्षा की गई एवं उसपर पर भरोसा किया गया। ग) शाखाओं में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान सत्यता की समीक्षा और सत्यापन किया गया। घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुपालन की जांच की गई। ङ) चयनित नमूनों में गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान की पहचान करने के उद्देश्य से सॉफ़्टवेयर में तार्किक नियंत्रण, दर्ज की गई आंकड़े की सत्यता की जांच की गई। किसी भी नियंत्रण कमी की पहचान करने के लिए आईटी लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की भी समीक्षा की गई। च) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान के संबंध में हमारी परीक्षण प्रक्रिया के दौरान हमारे दृष्टि में पायी गई सभी तात्विक गलत विवरणियों में सुधार सुनिश्चित किया गया। छ) तात्विक नियंत्रण खामियों की पहचान के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट (सीफा), स्टॉक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, न्यायिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट आदि की समीक्षा की गई।
2.	**बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) का आकलन ।** आस्थगित कर, एक अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर का कर प्रभाव है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और यह एक या एकाधिक आगामी अवधि में वापसी हेतु सक्षम होते हैं । इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर कर हेतु लेखांकन" पर लेखांकन मानक (एएस) 22 द्वारा शासिम किया जाता है । उक्त के अनुसार एएस 22 के पैरा 17 के संदर्भ में, जहां एक उद्यम का अनवशोषित मूल्यह्रास है अथवा कर नियमों के अन्तर्गत हानि को अग्रेषित किया गया है, वहां केवल आस्थगित कर आस्तियों को ही मान्यता दी जानी चाहिए, इस सीमा तक कि साक्ष्य निश्चियात्मकता द्वारा यह वर्चुअल निश्चितता समर्थित है कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगा जिसे ऐसे डीटीए उत्पन्न कर सकते हैं । अनुसूची 11 (v) में दर्शाए गए अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 को निवल आस्थगित कर आस्ति का मूल्य रु 2295.71 करोड़ है । हमने डीटीए द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य प्रतिसंतुलन हेतु उपलब्ध होने वाली पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय की आभासी निश्चितता निर्धारित करने में प्रबंधन के अनुमान और निर्णय के महत्व के कारण मुख्य लेखा-परीक्षा विषय के रूप में अग्रेषित कर हानि पर ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली और शेयर पर राशि की तात्विकता पर विचार किया है । प्रबंधन का अनुमान भी स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह पर आधारित है और कानून की व्याख्या में इन मुद्दों और निर्णय के परिणाम में अनिश्चितता है ।	पर्याप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु हमने निम्नलिखित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई : क) हमने तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त आस्थगित करों के स्तर की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु हमारे कर विशेषज्ञ की सहायता ली । ख) हमने उस अवधि जिसमें आस्थगित कर भविष्य कर योग्य आय द्वारा प्रतिसंतुलित होगी, उस अवधि हेतु पूर्वानुमानों के आधार पर अनुमानों और निर्णयों का परीक्षण किया । ग) हमने वित्तीय विवरणी के नोट 2.90 के अन्तर्गत कर प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया । घ) हमने संबंधित आकलनकर्ता और अपीलीय कर प्राधिकारी के पास लंबित विषयों, आय कर आदेश के अनुसार अग्रेषण योग्य हानि की राशि आदि इनके प्रभाव के साथ गत आय कर आकलन आदेश, जारी अनिर्णित कर की समीक्षा की । ङ) हमने विवाद और संभाव्य कर परिणाम के अन्तर्गत इश्यु के अनुमानित परिणाम मुकदमे पर हमारी समझ के आधार पर वाद के अन्तर्गत इश्यु की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की ।

Sl. No	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
	finacle. In order to comply with the prudential guidelines, the software has various controls and logics embedded therein. Although, identification of NPAs is rule based and system driven, the management exercises significant judgement when estimating the realizable value of primary security and consequently the individual and collective provision for delinquency in respect of NPAs. Advances comprise a substantial portion of the Bank's assets and since the management exercises significant judgement in the asset classification and provisioning, this has been considered by us as a key audit matter.	c) Performed procedures to obtain comfort on the accuracy of the collective impairment calculation process through recalculation of the provision made based on realisable value of security and other parameters; d) For material non-performing advances, we assessed the adequacy of the recognised individual provision losses; We also performed the following procedures : a) Corrected all changes suggested by the Statutory Branch auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning. b) Reviewed and placed reliance upon the Independent Auditors Report and Long Form Audit Reports (LFAR) of the Statutory Branch Auditors. c) Reviewed and verified the correctness of the asset classification and provisioning in respect of all material advances in the branches audited by us. d) Tested compliance with the Significant accounting policies of the bank and the extant guidelines of the Reserve Bank of India. e) Checked the correctness of data input, logical controls in the software for the purpose of identification of non-performing assets and provisioning thereon across selected samples. Also reviewed the IT Audit reports for identifying any control weakness. f) Ensured correction of all material misstatements observed by us during the course of our testing process with respect to income recognition, asset classification and provisioning. g) Reviewed the Concurrent Audit Reports, Internal Inspection Reports (SIFA), Stock Audit Reports, Forensic Audit Reports, Valuation Reports etc. for identifying material control weakness.
2.	**Assessment of Deferred tax asset (DTA) recognised by the bank.** Deferred tax is the tax effect of the timing differences between accounting income and taxable income for a period that originates in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. The same is governed by Accounting Standard (AS) 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. In terms of para 17 of AS 22 as above, where an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward of losses under tax laws, deferred tax assets should be recognised only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such DTAs can be realised. As indicated in Schedule 11 (V), the net deferred tax assets amount to ₹ 2296.71 crore as at 31st March 2019. We have considered the recoverability of such deferred tax assets on tax losses carried forward as a key audit matter due to the importance of management's estimation and judgment in determining virtual certainty of sufficient future taxable income being available for future set off of the DTA recognised and the materiality of amounts at stake. The managements estimation is also based on advice from independent tax advisors and there is an uncertainty in the outcome of these issue and judgment in the interpretation of law.	In obtaining sufficient audit evidence we performed the following audit procedures: a) We used our tax specialists to assist us in assessing the appropriateness of the level of deferred taxes recognised in the balance sheet. b) We tested the assumptions and judgments underlying the forecasts for the period over which the deferred tax would be set off by future taxable income. c) We assessed the adequacy of the tax disclosure under Note 2.9 to the financial statements. d) We reviewed the details of past income tax assessment orders, unresolved tax issues together with their impact on account of matters pending with appropriate assessing and appellate tax authorities, amount of allowable carried forward losses as per the Income Tax orders etc. e) We reviewed the current status of the issues under litigation based on our understanding of the likely outcome of the issues under dispute and the possible tax outflow.

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचना ।

5. बैंक के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी हैं । अन्य सूचनाओं में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो हमने इस लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त किया है, और अनुबंध सहित निदेशक की रिपोर्ट, यदि कोई है, तो इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ।

   वित्तीय विवरणी पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इसके बारे में आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करेगें ।

   वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचना वस्तुतः असंगत है, या भौतिक रूप से गलत बयान प्रतीत होता है ।

   यदि, इस लेखा-परीक्षक रिपोर्ट की तिथि से पूर्व हमें प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा कार्य-निष्पादन के आधार पर, हम यह पाते हैं कि इस अन्य सूचना में तात्विक गलत-विवरण है, तो इस तथ्य को रिपोर्ट करना हमारे लिए अपेक्षित है । इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन और अधिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

6. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो "आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैंक) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों, आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत किया जाता है, की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और बैंक के नकदी प्रवाह के प्रति सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं । इस उत्तरदायित्व में बैंक के आस्ति की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं लागू, निर्णय लेना और यह अनुमान लगाना कि वे प्रासंगिक और विवेकपूर्ण हैं, डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन-रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित थे, वित्तीय विवरणी की तैयारी एवं प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक है जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तात्विकगलत विवरण से सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं, सम्मिलित है ।

   वित्तीय विवरण तैयार करने में, जब तक प्रबंधन बैंक के परिसमापन अथवा परिचालन बन्द करने हेतु या किसी वास्तविक विकल्प के न होने पर भी ऐसा करने की इच्छा न रखता हो, तब तक लेखांकन के आधार पर जारी रखने के विचार तथा जारी रखने के विचार के उपयोग से संबंधित विषय लागू अनुसार प्रकटीकरण करते हुए जारी रखनेके विचार के रूप में बैंक की जारी रखने की क्षमता के निर्धारण हेतु प्रबंधन उत्तरदायी है ।

वित्तीय विवरणी की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

7. समग्र वित्तीय विवरणी तत्विक गलत वर्णन से मुक्त है या नहीं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, इसके संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो, जारी करना हमारा उद्देश्य है । उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है किन्तु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा, जब भी किया जाए हमेशा तात्विक गलत वर्णन का पता लगाए । गलत वर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उन्हें तात्विक माना जाएगा यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने हेतु इन्हें उचित रूप से स्वीकार किया जाए ।

   एसए के अनुपालन में लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और लेखा-परीक्षा के दौरान व्यवसायिक संदेहवाद का अनुरक्षण करते हैं । हम निम्न भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणियों के तात्विक गलत वर्णन चाहे धोखधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उनके जोखिम की पहचान एवं मूल्यांकन करना, उन जोखिमों हेतु उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया डिजाइन और पूर्ण करना, और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना कि यह हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है । धोखाधड़ी से होने वाले तात्विक गलत वर्णन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाली जोखिम से उच्चतम है क्योंकि धोखाधड़ी में अभिसंधि, जालसाजी, इरादतन चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना सम्मिलित हो सकती है ।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और अनुमानित लेखांकन की प्रासंगिकता तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन
- लेखांकन के वर्तमान विचार के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटना या स्थितियों से संबंधित तात्विक अनिश्चितता है जो बैंक के वर्तमान विचार के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तात्विक अनिश्चितता है, अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो हमें वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण से संबंधित अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होगा । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां बैंक को वर्तमान विचार के रूप में जारी रखने का कारण बन सकती है ।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन तथा घटनाओं को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं ।

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our Auditor's Report thereon), which we obtained prior to the date of this Auditor's Report, and the Directors Report including Annexures, thereon, if any, which is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements of our knowledge obtained during the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

   We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
   - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
   - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

     Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements maybe influenced. We consider quantitative

तात्विकता वित्तीय विवरणियों में गलत वर्णन का परिणाम है, जिससे यह संभावना बनती है कि यह व्यक्तिगत या समग्र रूप से वित्तीय विवरणियों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकती है । हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के क्षेत्र में तथा हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन की योजना बनाने (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान किए गए गलत वर्णन के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तात्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य विषयों के अलावा, लेखा-परीक्षा की योजनाबद्ध क्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं, जिसकी पहचान लेखा-परीक्षा के दौरान की गई है, इसके संबंध में जिन पर शासन का दायित्व है, उन्हें सूचित करते हैं ।

हम उन्हें जिन पर शासन का दायित्व है, को भी एक बयान के साथ कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन्हें सभी संबंधित और अन्य विषयों के साथ सूचित करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता का वहन करने हेतु उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं ।

जिन पर शासन का दायित्व है, उनके साथ सूचित विषयों से, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा विषय हैं । हम अपने लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि अथवा विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिकप्रकटीकरण नहीं करता है अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय की सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे करने से इसके प्रतिकूल परिणाम संचार के सार्वजनिक हित लाभ को प्रभावित करने की सम्भावना होगी ।

अन्य विषय :

8. हमने बैंक की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित 1169 शाखाओं के वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2019 को रु 12,428.97 करोड़ की कुल अग्रिम और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु रु 1071.15 करोड़ की कुल ब्याज दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में विचार किया गयरा है । वित्तीय विवरणियों/इन शाखाओं की सूचना, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में चुंकि यह शाखाओं के संबंध में सम्मिलित राशि तथा प्रकटीकरण से संबंधित है, यह केवल ऐसी शाखा के लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है ।

इस विषय के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हुई है ।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता का आहरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुपालन में की गई है ।

10. उक्त पैरा 5 से 8 में दर्शाई गई लेखा-परीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा इनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास में, हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया गया ।

ख) बैंक के लेन-देन, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकार के अन्दर हैं, और

ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा-परीक्षा उद्देश्य हेतु पर्याप्त है ।

11. इसके अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार खाते की उचित बहियों को बैंक द्वारा रखा गया है क्योंकि ये बहियां हमारी जांच से सामने आई हैं और हमारे लेखा-परीक्षा उद्देश्य पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया किया ।

ख) इस रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नकदी प्रवाह की विवरणियां खाते की बहियों तथा उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया किया, के साथ करार में हैं ।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अन्तर्गत बैंक के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को बनाने में हमारे द्वारा उचि रूप से अनुसरण किया गया है, और

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नकदी प्रवाह की विवरणियां के साथ लागू लेखांकन मानक का, उस सीमा तक, जो भारिबैंक द्वारा उल्लिखित लेखांकन नीतियों का उल्लंघन नहीं करती है, अनुपालन करती है ।

कृते अग्रवाल व सक्सेना	**कृते रॉय एंव कं**	**कृते संतोष गुप्ता एंव कं**	**कृते जी एस माधवा राव एंव कं**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(फ़र्म पंजीकरण सं. 002405सी)	(फ़र्म पंजीकरण सं313124ई)	(फ़र्म पंजीकरण सं009713एन)	(फ़र्म पंजीकरण सं001907एस)
(सीए अनिल के सक्सेना)	**(सीए सुब्रत रॉय)**	**(सीए मनोज कुमार)**	**(सीए माणिक्य प्रसाद जी)**
साझेदार एम न 071600	साझेदार एम न 051205	साझेदार एम न 108603	साझेदार एम न 020105

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 13.05.2019

materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

8. We did not audit the financial statements/ information of 1169 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total advances of ₹ 12,428.97 crores as at 31st March 2019 and total interest of ₹ 1071.15 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

    c) the reports on the accounts of the branches audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

FOR AGARWAL & SAXENA Chartered Accountants FRN:002405C	**FOR RAY & CO** Chartered Accountants FRN:313124E	**FOR SANTOSH GUPTA & CO** Chartered Accountants FRN:009713N	**FOR G S MADHAVA RAO & CO** Chartered Accountants FRN:001907S
(CA ANIL K. SAXENA) PARTNER (M.NO. 071600)	**(CA SUBRATA ROY)** PARTNER (M.NO. 051205)	**(CA MANOJ KUMAR)** PARTNER (M.NO. 108603)	**(CA MANIKYA PRASAD G)** PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Hyderabad
Date: 13.05.2019

हमारी प्रगति की एक झलक

(₹ करोड़ में)

वर्ष / मापदण्ड	1969 *	1980 **	मार्च- 2014	मार्च-2015	मार्च-2016	मार्च-2017	मार्च-2018	मार्च-2019
शाखाओं की संख्या	155	627	2114	2507	2803	2908	2911	2885
व्यापार वितरण चैनलों की संख्या	155	754	4009	4782	6477	6875	6958	6687
कुल कर्मचारी	2163	7585	18725	18525	18656	19383	19921	20346
निवल लाभ	0.06	1	436	638	540	174	-3412	-2786
कुल जमाराशियां	52	666	141845	155012	174302	195441	208070	219821
निवल अग्रिम	35	356	107644	125955	130788	136846	164534	158823
निवेश	16	170	45639	46719	54152	60130	66162	62953
पूंजी	0.5	1	590	603	681	681	1199	2884
आरक्षित एवं अधिशेष	0.4	4.9	8148	9461	10686	9619	10281	9619
कार्यकारी निधियां	58	708	167341	185170	199962	222126	242171	249311
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	-	128	41293	45508	54545	61690	70121	78318

प्रावधान का निवल

$ मूल्यह्रास-पूर्व

* बैंकों का राष्ट्रीयकरण का वर्ष

** आन्ध्रा बैंक के राष्ट्रीयकरण का वर्ष

OUR PROGRESS AT A GLANCE

(₹Crore)

Year / Parameters	1969*	1980 **	Mar-14	Mar-15	Mar-16	Mar-17	Mar-18	Mar-19
No of Branches	155	627	2114	2507	2803	2908	2911	2885
No of Business Delivery Channels	155	754	4009	4782	6477	6875	6958	6687
Staff Strength	2163	7585	18725	18525	18656	19383	19921	20346
Net Profit	0.06	1	436	638	540	174	-3412	-2786
Total Deposits	52	666	141845	155012	174302	195441	208070	219821
Net Advances #	35	356	107644	125955	130788	136846	164534	158823
Investments $	16	170	45639	46719	54152	60130	66162	62953
Capital	0.5	1	590	603	681	681	1199	2884
Reserves & Surplus	0.4	4.9	8148	9461	10313	10686	9619	10281
Working Funds	58	708	167341	185170	199962	222126	242171	249311
Priority Sector Advances	-	128	41293	45508	54545	61690	70121	78318

Net of Provisions
$ Pre – Depreciation
* Year of Nationalisation of Banks
** Year of Nationalisation of Andhra Bank

प्रमुख कार्यनिष्पादन अनुपात

माच् 2018		मार्च 2019 (%)	मार्च 2018 (%)	मार्च 2017 (%)
	पूंजी पर्याप्तता			
1.	(सीआरएआर) – बेसल III	13.68	11.00	12.38
2.	कवरेज अनुपात	0.33	2.35-	0.06
3.	निवल मलियात की तुलना में निवल एनपीए	91.93	175.95	98.81
	आस्ति गुणवत्ता			
1.	कुल निवेश की तुलना में सरकारी प्रतिभूति	91.31	91.20	93.59
2.	निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	5.73	8.48	7.57
3.	कुल आस्ति की तुलना में तुलनपत्रेतर मदें	81.7	61.44	49.98
4.	कुल अग्रिमों की तुलना में मानक अग्रिम	83.79	82.90	87.75
5.	कुल आस्ति की तुलना में निवल एनपीए	3.65	5.21	4.66
	प्रबंधन गुणवत्ता			
1.	समग्र जमाराशिया की तुलना में सकल बैंक ऋण	81.29	79.10	73.80
2.	कुल आस्ति में वृद्धि	2.95	14.08	11.08
3.	औसत उत्पादकता (रु लाख)	1893	1739.66	1661.44
4.	प्रति कर्मचारी लाभ (रु लाख)	-13.24	17.13-	0.09
	अर्जन	अर्जन		
1.	कुल आय की तुलना में ब्याजेतर आय	9.75	11.66	11.35
2.	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-1.09	1.46-	0.08
3.	निवल ब्याज मार्जिन	3.31	3.33	3.07
4.	आय की तुलना में लागत का अनुपात	42.61	38.43	44.03
5.	कर्मचारी लागत / (निवल ब्याज आय + अन्य आय)	25.61	21.33	26.74
6.	अग्रिम पर औसत प्रतिफल	8.54	8.84	9.77
7.	कूपन आधारित निवेश पर औसत प्रतिफल	7.47	7.50	7.77
8.	औसत कार्यकारी निधियां पर परिचालन लाभ	1.97	2.30	2.04
	तरलता			
1.	कुल आस्तियों पर सरकारी प्रतिभूति	23.06	24.39	25.15
2.	कुल आस्तियों पर नकदी	0.39	0.47	0.43
3.	कुल आस्तियों पर कुल निवेश	25.25	26.74	27.07

KEY PERFORMANCE RATIOS

		March 2019 (%)	March 2018 (%)	March 2017 (%)
	Capital Adequacy			
1.	(CRAR) – Basel III	13.68	11	12.38
2.	Coverage Ratio	0.33	-2.35	0.06
3.	Net NPAs to Net Worth	91.93	174.95	98.81
	Asset Quality			
1.	Govt. Securities to Total Investments	91.31	91.2	93.59
2.	Net NPAs to Net Advances	5.73	8.48	7.57
3.	Off Balance Sheet Items to Total Assets	81.70	61.44	49.98
4.	Standard Advances to Total Advances	83.79	82.9	87.75
5.	Net NPAs to Total Assets	3.65	5.21	4.66
	Management Quality			
1.	Gross Bank Credit to Aggregate Deposit	81.29	79.1	73.8
2.	Growth in Total Assets	2.95	9.02	11.08
3.	Average Productivity (₹Lakhs)	1893	1740	1661
4.	Profit per Employee (₹Lakhs)	-13.24	-17.13	0.09
	Earnings			
1.	Non Interest Income to Total Income	9.75	11.66	11.35
2.	Return on Assets	-1.09	-1.46	0.08
3.	Net Interest Margin	3.31	3.33	3.07
4.	Ratio of Cost to Income	42.61	38.43	44.03
5.	Staff Cost / (Net Interest Income + Other Income)	25.61	21.33	26.74
6.	Average Yield on Advances	8.54	8.84	9.77
7.	Average Yield on Coupon Based Investments	7.47	7.5	7.77
8.	Operating Profit to Average Working Funds	1.97	2.3	2.04
	Liquidity			
1.	Govt. Securities to Total Assets	23.06	24.39	25.15
2.	Cash to Total Assets	0.39	0.47	0.43
3.	Total Investments to Total Assets	25.25	26.74	27.07

विदेशी मुद्रा में आंध्रा बैंक का संक्षिप्त वित्तीय विवरण

तुलन–पत्र 31.03.2019 तक

(फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के द्वारा भारतीय रुपये में राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया गया) दो मुद्राओं के लिये संदर्भ दर तुलन–पत्र की तारीख को लागू दर है अर्थात् 1 अमेरिकी डॉलर = रु. 69.1713)

	भारतीय रु करोड़ में	अमेरिकी डॉलर मिलियन में
पूंजी और देयता		
पूंजी	2,884.49	41.70
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	10,280.64	148.63
जमाराशियाँ	219,821.00	3,177.92
उधार राशि	10,278.11	148.59
अन्य देयताएँ और प्रावधान	6,047.18	87.42
कुल	**249,311.42**	**3,604.26**
आस्तियाँ		
भारिबैंक में नकदी और शेष	10,126.77	146.40
बैंकों में और मॉग पर तथा अल्प सूचना पर शेष	4,907.07	70.94
निवेश	62,953.09	910.10
अग्रिम	158,822.69	2,296.08
अचल आस्तियाँ	1,558.09	22.53
अन्य आस्तियाँ	10,943.71	158.21
कुल	**249,311.42**	**3,604.26**
आकस्मिक देयताएं	203,677.32	2,944.54
वसूली हेतु बिल	9,801.11	141.69
31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि खाता		
आय		
अर्जित ब्याज	18,932.22	273.70
अन्य आय	2,045.04	29.56
कुल	**20,977.26**	**303.26**
व्यय		
ब्याज व्यय	12,223.99	176.72
परिचालन खर्च	3,730.15	53.93
प्रावधान और आकस्मिकताएं	7,809.25	112.89
कुल	**23,763.39**	**343.54**
वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि)	**-2,786.13**	**-40.28**
आगे लाया गया लाभ/(हानि)	**-3,463.08**	**-50.07**
विनियोजन		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण	0.98	0.01
संपत्ति आरक्षित निधियों में अंतरण	2.94	0.04
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	-	-
विशेष आरक्षित निधियों में अंतरण	-	-
प्रस्तावित लाभांश	-	-
लाभांश पर कर	-	-
शेष तुलन पत्र में लाया गया	-6,253.13	-90.40

ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS OF ANDHRA BANK IN FOREIGN CURRENCY

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2019

(Amount in Indian Rupee converted into US$ at Financial Benchmarks India Pvt Ltd (FBIL) Reference Rate for two currencies applicable as on the date of Balance Sheet i.e. 1 US$ = Rs. 69.1713)

	(Indian ₹ in Crore)	(US$ in Million)
CAPITAL AND LIABILITIES :		
Capital	2,884.49	41.70
Reserves and Surplus	10,280.64	148.63
Deposits	219,821.00	3,177.92
Borrowings	10,278.11	148.59
Other Liabilities & Provisions	6,047.18	87.42
Total	**249,311.42**	**3,604.26**
ASSETS :		
Cash and Balances with RBI	10,126.77	146.40
Balances with banks and Money at Call and Short Notice	4,907.07	70.94
Investments	62,953.09	910.10
Advances	158,822.69	2,296.08
Fixed Assets	1,558.09	22.53
Other Assets	10,943.71	158.21
Total	**249,311.42**	**3,604.26**
Contingent Liabilites	203,677.32	2,944.54
Bills for Collection	9,801.11	141.69
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019		
INCOME :		
Interest Earned	18,932.22	273.70
Other Income	2,045.04	29.56
Total	**20,977.26**	**303.26**
EXPENDITURE :		
Interest Expended	12,223.99	176.72
Operating Expenses	3,730.15	53.93
Provisions & Contingencies	7,809.25	112.89
Total	**23,763.39**	**343.54**
Net Prot/(Loss) for the Year	**-2,786.13**	**-40.28**
Prot/(Loss) Brought Forward	-3,463.08	-50.07
APPROPRIATIONS :		
Transfer to Statutory Reserve	0.98	0.01
Transfer to Capital Reserve	2.94	0.04
Transfer to Revenue & Other Reserves	-	-
Transfer to Special Reserve	-	-
Proposed Dividend	-	-
Tax on Dividend	-	-
Balance carried over to Balance Sheet	-6,253.13	-90.40

शाखाओं का वर्गीकरण – जनसख्यां समूहवार CLASSIFICATION OF BRANCHES - POPULATION GROUP WISE

क्षेत्र/राय/यू टी Region/ State/ U.T.	मार्च, 2018 की समाप्त पर शाखाएं Branches as at the end of March 2018	2018-19 के दौरान खोली गई शाखाएं Branches opened during 2018-19	ग्रामीण Rural	अर्ध-शहरी Semi-Urban	शहरी Urban	मेट्रो Metro	मार्च, 2019 की समाप्त पर शाखाएं Branches as at the end of March 2019
उत्तरी क्षेत्र Northern Region	**317**	**0**	**47**	**76**	**96**	**93**	**312**
हरियाणा Haryana	88	0	13	25	45	5	88
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	5	0	0	4	1	0	5
पंजाब Punjab	77	0	20	27	17	9	73
राजस्थान Rajasthan	68	0	13	19	23	13	68
चंडीगढ़ (के.शा.) Chandigargh (UT)	9	0	1	0	8	0	9
नई दिल्ली New Delhi	66	0	0	0	0	66	66
क्कक्क ह्लंक्क ह्र्ईक्क्षैJammu & Kashmir	4	0	0	1	2	0	3
उत्तरी पूर्वोत्तर क्षेत्र North Eastern Region	**11**	**0**	**1**	**1**	**9**	**0**	**11**
असम Assam	9	0	1	1	7	0	9
मेघालय Meghalaya	1	0	0	0	1	0	1
त्रिपुरा Tripura	1	0	0	0	1	0	1
पूर्वी क्षेत्र Eastern Region	**314**	**3**	**101**	**83**	**93**	**39**	**316**
बिहार Bihar	46	0	9	6	18	14	47
झारखंड Jharkhand	25	1	5	7	8	6	26
ओड़ीशा Odisha	181	0	77	62	42	0	181
सिक्किम Sikkim	1	0	0	0	1	0	1
पश्चिम बंगाल West Bengal	61	2	10	8	24	19	61
केंद्रीय क्षेत्र Central Region	**205**	**0**	**20**	**33**	**77**	**75**	**205**
छत्तीसगढ़ Chattisgarh	30	0	2	11	11	6	30
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	45	0	2	6	15	22	45
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	115	0	15	12	41	47	115
उत्तराखंड Uttarakhand	15	0	1	4	10	0	15
पश्चिमी क्षेत्र Western Region	**200(1)**	**0**	**9**	**32**	**44**	**114(1)**	**199**
गोवा Goa	4	0	0	4	0	0	4
गुजरात Gujarat	67	0	5	7	21	34	67
महाराष्ट्र Maharashtra	128(1)	0	4	20	23	80(1)	127
दादरा नगर हवेली (के.शा.) Dadra Nagar Haveli (UT)	1	0	0	1	0	0	1
दक्षिणी क्षेत्र Southern Region	**1864(3)**	**6**	**573**	**539(1)**	**334**	**396**	**1842**
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	934(2)	0	360	283	192(2)	86	921
तेलंगाना Telangana	583(1)	6	177	157(1)	59	184	577
कर्नाटक Karnataka	122	0	12	14	29	66	121
केरल Kerala	39	0	0	19	20	0	39
तमिलनाडु Tamilnadu	182	0	24	63	33	60	180
पुदुचेरी (के.शा.) Puducherry (UT)	4	0	0	3	1	0	4
कुल Total	**2911(4)**	**9**	**751**	**764(1)**	**653(2)**	**717(1)**	**2885(4)**

* कोष्ठक में दिये गए आँकड़े विस्तार काउंटर को इंगित करते हैं

Note : Figures in Bracket Indicates Extension Counters

अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण
FINANCIAL STATEMENTS OF SUBSIDIARY

आंध्रा बैंक फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड
Andhra Bank Financial Services Ltd.

आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड

31.03.2019 के अनुसार तुलन पत्र

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
			रु.	रु.	रु.	रु.
I	**इक्विटी और देयताएं:**					
1	शेयरधारकों की निधि					
	(क) शेयरपूंजी	3	50,000,000		50,000,000	
	(ख) रिजर्व एवं अधिशेष	4	-48,056,452	1,943,548	-57,236,331	-7,236,331
	(ग) शेय रवारंट के विरुद्ध प्राप्त धन			0		0
2	**लंबित आवंटन शेयर आवेदन मुद्रा**			0		0
3	**गैर चालू देयताएं**			0		0
	(क) दीर्घावधि उधार			0		0
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			0		0
	(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं			0		0
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	5		360,736,930		360,736,930
4	**चालू देयताएं**					
	(क) अल्पावधि उधार		0		0	
	(ख) कारोबार देनदारी	6				
	क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		0		0	
	ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया देय		880,412		880,412	
	(ग) अन्य चालू देयताएं		0		0	
	(घ) अल्पावधि प्रावधान		49,115	929,527	47,595	928,007
	कुल			363,610,005		354,428,606
II	**आस्तियां :**					
1	**गैर चालू आस्तियां**					
	(क) अचल आस्तियां	7				
	(i) मूर्त आस्तियां					
	सकल खंड		3,223,853		3,223,853	
	घटाव : मूल्यह्रास		3,223,360	493	3,223,360	
	निवल खंड					493
	(ii) अमूर्त आस्तियां		0		0	
	(iii) चालू-कार्य पूंजी		0		0	
	(iv) संवर्धन के अंतर्गत		0		0	
	अमूर्त आस्तियां		0		0	
	(ख) गैर-चालू निवेश		0		0	
	(ग) आस्थगि तकर आस्तियां (निवल)					
	(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रीम	11		103,929,290		103,862,137
2	(ङ) अन्य गैर चालू आस्तियां		0		0	
	चालू आस्तियां					
	(क) चालू निवेश	8	537,179		709,813	
	(ख) माल-सूची		0		0	
	(ग) कारोबार प्राप्य राशि	9	0		30,375	
	(घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	10	259,143,043	259,680,222	249,825,788	
	(ङ) नकद एवं नकद समतुल्य					
	(च) अन्य चालू आस्तियां				0	250,565,976
	कुल			**363,610,005**		**354,428,606**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2
ऊपरोक्त नोट तुलन पत्र 1 से 21 का अभिन्न भाग हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते घंटासाला एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000921S

(हूमाँयू शेख)
साझेदार
सदस्यता सं 217227

अजित कुमार रथ
अध्यक्ष

एम बी राजेन्द्र प्रसाद
निदेशक

एस.वी.एस सुन्दर प्रसाद
निदेशक

एम सत्यनारायण रेड्डी
निदेशक

के टी वेणुमाधव
निदेशक

श्यामल घोष राय
निदेशक

बी मुरली सत्यनारायण
प्रबंध निदेशक

एम. रघुराम
कम्पनी सचिव

स्थान: हैदराबाद
दिनांक:24-04-2019

Andhra Bank Financial Services Ltd

Balance Sheet as at 31.03.2019						
	Particulars	Note No	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
			₹	₹	₹	₹
I	**EQUITY AND LIABILITIES :**					
1	**Shareholders' Funds**					
	(a) Share Capital	3	50,000,000		50,000,000	
	(b) Reserves and Surplus	4	-48,056,452	1,943,548	-57,236,331	-7,236,331
	(c) Money Received against Share Warrants			0		0
2	**Share Application Money Pending allotment**			0		0
3	**Non Current Liabilities**			0		0
	(a) Long Term Borrowings			0		0
	(b) Deferred Tax Liabilities (Net)			0		0
	(c) Other Long Term Liabilities			0		0
	(d) Long Term Provisions	5		360,736,930		360,736,930
4	**Current Liabilities**					
	(a) Short Term Borrowings		0		0	
	(b) Trade Payables	6				
	A. Total Outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		0		0	
	B. Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		880,412		880,412	
	(c) Other Current Liabilities		0		0	
	(d) Short Term Provisions		49,115	929,527	47,595	928,007
	TOTAL			**363,610,005**		**354,428,606**
II	**ASSETS:**					
1	**Non-current assets**					
	(a) Fixed assets	7				
	(i) Tangible assets					
	Gross Block		3,223,853		3,223,853	
	Less: Depreciation		3,223,360		3,223,360	
	Net Block			493		493
	(ii) Intangible assets		0		0	
	(iii) Capital work-in-progress		0		0	
	(iv) Intangible assets under development		0		0	
	(b) Non -current investments		0		0	
	(c) Deferred tax assets (Net)		0		0	
	(d) Long term loans and advances	11		103,929,290		103,862,137
	(e) Other non current assets		0		0	
2	**Current assets**					
	(a) Current investments					
	(b) Inventories	8	537,179		709,813	
	(c) Trade receivables		0		0	
	(d) Short term loans and advances	9	0		30,375	
	(e) Cash and Cash Equivalents	10	259,143,043	259,680,222	249, 825,788	
	(f) Other current assets				0	250,565,976
	TOTAL			**363,610,005**		**354,428,606**

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet 1 to 21

As per our report attached
For Ghantasala & Co
Chartered Accountants
FRN: 000921S
(Humayun Shaik)
Partner
Membership No 217227
Place: Hyderabad
Date: 24-04-2019

Ajit Kumar Rath **Chairman**	**M.B. Rajendra Prasad** **Director**	**S.V.S. Sudara Prasad** **Director**	**M. Satyanarayana Reddy** **Director**
K T Venu Madhav **Director**	**Syamal Ghosh Ray** **Director**	**B. Murali Satyanarayana** **Managing Director**	**M.Raghuram** **Company Secretary**

आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि विवरणी

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 के अनुसार		31 मार्च, 2018 के अनुसार	
			रु.	रु.	रु.	रु.
I	परिचालन से राजस्व:					
	ब्याज आय:	14		16,212,449		18,441,341
II	अन्य आय : (लाभ/हानि)	14		-136,634		150,161
III	**कुल राजस्व (I +II)**			**16,075,815**		**18,591,502**
IV	**व्यय:**					
	उपभोग की गई वस्तु की लागत			0		0
	विक्रय माल की खरीद			0		0
	तैयार माल प्रगति पर कार्य तथा विक्रय माल की माल सूची में परिवर्तन			0		0
	कर्मचारी लाभ व्यय	15		1,425,197		1,357,916
	प्रशासनिक तथा अन्य व्यय	16		148,025		99,695
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	7		0		0
	अन्य व्यय	17		1,798,622		145,561
	कुल व्यय			**3,371,844**		**1,603,172**
V	अपवादात्मक तथा असाधारण मद तथा कर पूर्व लाभ			12,703,971		16,988,330
VI	अपवादात्मक मद			0		0
VII	असाधारण मद तथा कर पूर्व लाभ (V - VI)			12,703,971		16,988,330
VIII	असाधारण मद			0		0
IX	कर पूर्व लाभ (VII + VIII)			**12,703,971**		**16,988,330**
X	**कर व्यय**	18				
	(1) चालू कर-		3,524,092		4,677,111	
	(2) आस्थगित कर		0		0	
	(3) पिछले निर्धारण वर्ष के लिए आय कर		0	3,524,092	4	4,677,115
XI	**नियमित परिचालन से अवधि के दौरान लाभ (हानि)**			**9,179,879**		**12,311,215**
XII	अनियमित परिचालन से लाभ (हानि)			0		0
XIII	अनियमित परिचालन का कर व्यय			0		0
XIV	अनियमित परिचालन से लाभ (हानि) (कर पश्चात) (XII - XIII)			0		0
XV	**अवधि हेतु लाभ (हानि) (XI + XIV)**			**9,179,879**		**12,311,215**
XVI	प्रति इक्विट शेयर आय:	19				
	(1) मूल			1.84		2.46
	(2) विघटित			1.84		2.46

विशिष्ट लेखांकन नीतियां 2

उपरोक्त सन्दर्भित नोट लाभ तथा हानि विवरणी 1 से 21 का एकीकृत भाग है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते घंटासाला एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000921S

(हूमाँयू शेख)
साझेदार
सदस्यता सं 217227

अजित कुमार रथ
अध्यक्ष

एम बी राजेन्द्र प्रसाद
निदेशक

एस.वी.एस सुन्दर प्रसाद
निदेशक

एम सत्यनारायण रेड्डी
निदेशक

के टी वेणुमाधव
निदेशक

श्यामल घोष राय
निदेशक

बी मुरली सत्यनारायण
प्रबंध निदेशक

एम. रघुराम
कम्पनी सचिव

स्थान: हैदराबाद
दिनांक:24-04-2019

Andhra Bank Financial Services Ltd

Statement of Profit and Loss for the year ended 31.03.2019

	Particulars	Note No	2018-2019		2017-2018	
			₹	₹	₹	₹
I	**Revenue from operations**					
	Interest income :	14		16,212,449		18,441,341
II	Other income : (profit/Loss)	14		-136,634		150,161
III	**Total Revenue (I + II)**			**16,075,815**		**18,591,502**
IV	**Expenses :**					
	Cost of material consumed			0		0
	Purchase of stock - in - trade			0		0
	Changes in inventories of finished goods work-in-progress and stock-in- Trade			0		0
	Employee Benefits expenses	15		1,425,197		1,357,916
	Administrative and other Expenses	16		148,025		99,695
	Depreciation and amortization expenses	7		0		0
	Other Expenses	17		1,798,622		145,561
	Total expenses			**3,371,844**		**1,603,172**
V	Profit before exceptional and extraordinary items and tax			**12,703,971**		**16,988,330**
VI	Exceptional Items			0		0
VII	Profit before extraordinary items and tax (V - VI)			12,703,971		16,988,330
VIII	Extraordinary Items			**0**		**0**
IX	Profit before Tax (VII + VIII)			**12,703,971**		**16,988,330**
X	**Tax Expense**	18				
	(1) Current tax -		3,524,092		4,677,111	
	(2) Deferred tax		0	0	0	
	(3) Income Tax for earlier Asst Years		0	3,524,092	0	4,677,115
XI	**Profit (Loss) for the period from continuing operations**			**9,179,879**		**12,311,215**
XII	Profit/ (Loss) from discontinuing Operations					
XIII	Tax expense of discontinuing operations					
XIV	Profit/ (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XII - XIII)					
XV	**Profit (Loss) for the period (XI + XIV)**			**9,179,879**		**12,311,215**
XVI	Earnings per equity share:	19				
	(1) Basic			1.84		2.46
	(2) Diluted			1.84		2.46

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2
The Notes referred to above form an integral part of the Profit & Loss Statement 1 to 21

As per our report attached
For Ghantasala & Co
Chartered Accountants
FRN: 000921S
(Humayun Shaik)
Partner
Membership No 217227
Place: Hyderabad
Date: 24-04-2019

Ajit Kumar Rath
Chairman

M.B. Rajendra Prasad
Director

S.V.S. Sudara Prasad
Director

M. Satyanarayana Reddy
Director

K T Venu Madhav
Director

Syamal Ghosh Ray
Director

B. Murali Satyanarayana
Managing Director

M.Raghuram
Company Secretary

आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी				
विवरण	31.03.2019		31.03.2018	
	₹	₹	₹	₹
परिचालनिक गतिविधियों से निवल नकदी आगम				
कर पूर्व लाभ	12,703,971		16,988,330	
समायोजन:				
मूल्यह्रास	0		0	
निवेश व्यवसाय से नकदी प्रवाह –स्टॉक की कीमत में परिवर्तन (वृद्धि/कमी)	172,634		-138,161	
प्राप्त ब्याज (संचित ब्याज)	0		-30,375	
भुगतान किया गया लाभांश	30,375		0	
निवेश पर प्राप्तियां तथा वित्त की सेवाओं से निवल नकदी अंतर्प्रवाह / (बहिर्गमन)	0		0	
देनदार में कमी	0		0	
लेनदार में वृद्धि (कमी)	1,520		1,130	
परिचालन से सृजित नकदी	**12,908,500**	**12,908,500**		**16,820,924**
पुनर्भुगतान के निवल पर प्रत्यक्ष कर भुगतान, यदि कोई हो	3,591,245	3,591,245		4,615,695
परिचालनिक गतिविधि से निवल नकदी		**9,317,255**		**12,205,229**
निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह:				
अमूर्त अचल आस्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान		0	0	
मूर्त अचल आस्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान		0	0	
मूर्त अचल आस्तियों के विक्रय से प्राप्तियां		0	0	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतप्रवाह / (बहिर्गमन)				0
वित्तीय पूर्व निवल नकदी अंत: प्रवाह		**9,317,255**		**12,205,229**
वित्तीय		0	0	
साधारण पूंजी जारी करना		0	0	
डिबेन्चर ऋण की पुनः खरीद		0	0	
शेयर जारी करने के सम्बन्ध में भुगतान किया गया व्यय		0	0	
वित्तीय से निवल नकदी अंत: प्रवाह / (बहिर्गमन)		0		0
नकदी तथा नकदी समतुल्य में वृद्धि / (कमी)		**9,317,255**		**12,205,229**
वर्ष के आरम्भ में नकदी तथा नकदी समतुल्य		**249,825,788**		**237,620,559**
वर्ष के अन्त में नकदी तथा नकदी समतुल्य		**259,143,043**		**249,825,788**

नोट :

1. कम्पनियों (लेखांकन मानकों) के नियम 2006 के लेखांकन मानक सं 3 नकदीप्रवाह विवरणी में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के अन्तर्गत नकदी प्रवाह विवरणीको तैयार किया गया है।
2. नकदी तथा नकदी समतुल्यनकदी तथा बैंक शेष को प्रस्तुत करता है ।
3. गत वर्ष के आंकड़ें जहां भी लागू हैं पुन:समुहकृत/पुन:वर्गीकृतकिए गए हैं ।

उपरोक्त सन्दर्भित नोट तुलन पत्र 1 से 21 का एकीकृत भाग है ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते घंटासाला एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000921S

अजित कुमार रथ
अध्यक्ष

एम बी राजेन्द्र प्रसाद
निदेशक

एस.वी.एस सुन्दर प्रसाद
निदेशक

एम सत्यनारायण रेड्डी
निदेशक

(हूमाँयू शेख)
साझेदार
सदस्यता सं 217227

के टी वेणुमाधव
निदेशक

श्यामल घोष राय
निदेशक

बी मुरली सत्यनारायण
प्रबंध निदेशक

एम. रघुराम
कम्पनी सचिव

स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 24-04-2019

Andhra Bank Financial Services Ltd

Cash Flow Statement for the Year ended 31 March, 2019				
Particulars	**31.03.2019**		**31.03.2018**	
	₹	₹	₹	₹
Net cash inflow from operating activities				
Profit Before Tax	12,703,971		16,988,330	
Adjustments :				
Depreciation	0		0	
Cash flow from investment business - change in the value of stocks (increase)	172,634		-138,161	
Interest received(acc.int)	0		-30,375	
Dividend paid	30,375		0	
Net cash inflow/ (outflow) from returns on investments and servicing of finance	0		0	
decrease in Debtors	0		0	
Increase(Decrese) in Creditors	1,520		1,130	
Cash Generated from operations	**12,908,500**	**12,908,500**		**16,820,924**
Direct Taxes paid net of refunds, if any	3,591,245	3,591,245		4,615,695
Net Cash from Operating Activities		**9,317,255**		**12,205,229**
Cash flow from Investing activities:				
Payments to acquire intangible fixed assets		0	0	
Payments to acquire tangible fixed assets		0	0	
Receipts from sales of tangible fixed assets		0	0	
Net cash inflow/ (outflow) from investing activities				0
Net cash inflow before financing		**9,317,255**		**12,205,229**
Financing		0	0	
Issue of ordinary capital		0	0	
Repurchase of debenture loan		0	0	
Expenses paid in connection with share issues		0	0	
Net cash inflow/ (outflow) from financing		0		0
Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents		**9,317,255**		**12,205,229**
Cash and Cash Equivalents as at beginning of the year		**249,825,788**		**237,620,559**
Cash and Cash Equivalent as at the end of the year		**259,143,043**		**249,825,788**

NOTES:
1. Cash Flow statement has been prepared under the Indirect Method as set out in the Accounting Standard No 3 "Cash Flow Statement" as per Companies (Accounting Standard) Rules, 2006.
2. Cash and Cash equivalent represent cash and Bank Balances.
3. Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet 1 to 21

As per our report attached
For Ghantasala & Co
Chartered Accountants
FRN: 000921S
(Humayun Shaik)
Partner
Membership No 217227
Place: Hyderabad
Date: 24-04-2019

Ajit Kumar Rath **Chairman**	**M.B. Rajendra Prasad** **Director**	**S.V.S. Sudara Prasad** **Director**	**M. Satyanarayana Reddy** **Director**
K T Venu Madhav **Director**	**Syamal Ghosh Ray** **Director**	**B. Murali Satyanarayana** **Managing Director**	**M.Raghuram** **Company Secretary**

नोट सं : 1 : तैयार करने का आधार

कंपनी सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांन्तों ("जीएएपी") के अनुरूप ऐतिहासिक आधार पर मूल्य परंपरा का अनुसरण करते हुए और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी नियमों (लेखांकन मानक) में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार उपचय आधार पर खातों का रखरखाव करती है ।

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए यह अपेक्षित है कि कंपनी के प्रबंधन को अनुमान और प्रतिमान लगाना होगा कि रिपोर्ट की गयी अवधि की आय और व्यय की राशियां वित्तीय विवरणियों की तिथि को रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों व देयता शेषों तथा आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करता है ।

नोट सं : 2: विंशिष्ठ लेखांकन नीतियां

क. पट्टा वित्त : शून्य

ख. किराया खरीद :शून्य

ग. निवेश व्यापार :शून्य

घ. ब्याज:

निवेशों पर ब्याज

मीयादी जमाओं पर ब्याज उपचय आधार पर माने गए हैं ।

दावे और प्रति दावे होने पर प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं शेयरों पर लाभांश को मान्यता नहीं दी जायेगी, जब तक कि ऐसी विलंबित प्रतिभूतियों का निपटान नहीं हो जाता । शेयरों पर लाभांश आय को तब मान्यता दी जायेगी जब भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वामित्व अधिकार की पुष्टि होगी ।

ङ. व्यापार में स्टॉक:

शेयरों के स्टॉक के मामले में नियंत्रण और उत्तरदायित्व की दृष्टि से गैर-उद्धृत भाव वाले शेयरों का मूल्य 1/- रुपया रखा गया है और दि.31.03.2019 तक उद्धृत भाव वाले शेयरों का मूल्य बाज़ार मूल्य के साथ रखा गया है तथा वर्ष के प्रारंभ में शेष और 31 मार्च, 2019 तक शेष के बीच के अंतर को हानि के रूप में माना गया है ।

च. अचल परिसंपत्तियाँ:

रु. 1 के मूल्य वाली पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के अलावा सभी अचल परिसंपत्तियों को मूल्य पर आंका गया है ।

छ. मूल्य ह्रास:

1. स्व उपयोगार्थ परिसंपत्तियाँ

   मूल्य ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि आस्तियों का मूल्य दि. 31.03.2019 तक आस्तियों का अवशिष्ट मूल्य है ।

2. पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियाँ

   मेसर्स इंकैब इंडस्ट्री लिमिटेड को पट्टे के अंतर्गत मशीनरी का अवशिष्ट मूल्य रु 1/- आंका गया है, पट्टे से बाहर की गई परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास नहीं दिया गया ।

   ज. बट्टे खाते में न डाले जाने की सीमा तक विविध व्यय: शून्य

झ. विदेशी मुद्रा लेन-देन

कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी मुद्रा का लेन-देन नहीं किया है ।

ञ. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

कंपनी के पूर्व आयोजनों के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यताओं के होने पर प्रावधानों को मान्यता दी गई है और यह संभावित है कि वर्तमान बाध्यताओं के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी जिसके लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा । प्रावधानों के वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी गई और तुलन-पत्र तिथि पर बाध्यता के निपटाने के लिए उपयुक्त लक्ष्य पर आधारित हैं । प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की गई है तथा वर्तमान उपयुक्त लक्ष्य दिखाने के लिए समायोजित किए गए हैं । सभी वस्तुनिर्दिष्ट देयताओं हेतु प्रावधान किया गया है और जो वस्तु देयताएं हैं तथा जिनके भविष्य का परिणाम निश्चित रूप से ठीक प्रकार पता नहीं लगाया जा सका है उन्हें आकस्मिकता के रूप माना जाता है और खातों की टिप्पणियों द्वारा प्रकटीकरण किया जाता है ।

त. आय पर कर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष हेतु विचाराधीन सुविधाओं/अस्वीकार भत्तों के पश्चात कर-योग्य आय पर देय कर की राशि है । कर नियमों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर, जो भविष्य आयकर देयता को समायोजन के रूप में भविष्य की आर्थिक सुविधाएं देता है, उसे मानने योग्य साक्ष्य होने पर कि कंपनी साधारण आयकर का भुगतान करेगी, परिसंपत्ति के रूप में माना गया है । तदनुसार कंपनी ने साधारण प्रावधानों के अनुसार कर प्रदान किया है ।

NOTE No: 1: - BASIS OF PREPARATION

The Company maintains its accounts on accrual basis following the historical cost convention in accordance with generally accepted accounting principles ("GAAP") and in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 and the Accounting Standards as specified in the Companies (Accounting Standard) Rules prescribed by the Central Government.

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires that the management of the Company makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses of the period, the reported balances of assets and liabilities and the disclosures relating to contingent liabilities as of the date of the financial statements.

NOTE No: 2: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. LEASE FINANCE: NIL

B. HIRE PURCHASE: NIL

C. INVESTMENT BUSINESS: NIL

D. INTEREST:

Interest on Investments

Interests on fixed deposits have been recognized on accrual basis.

Interest on securities and dividend on share are not recognised until the claims and counter claims if any, pending on such securities are cleared.

Dividend Income on Shares is recognised when the owner's right to receive payment is established.

E. STOCK IN TRADE:

In case of Stock of shares of unquoted shares are valuaed at Re.1/- with a view to have control and accountability and in case of quoted shares are valued with market price as at 31.03.2019 and the deference between the balance as at 31st March 2019 and balance as at the beginning of the year recognized as loss.

F. FIXED ASSETS:

All fixed assets are valued at cost except leased assets which were valued at Rs.1..

G. DEPRECIATION:

1. Assets for own use.
   Depreciation has not been provided as value of the assets are residual value of the assets as at 31.03.2019.
2. Assets leased out.
   The residual value of machinery under lease to M/s Incab Industries Ltd is valued at Rs.1/- no depreciation has been provided on the Assets Leased out.

H. Miscellaneous Expenses to the extent not written off: NIL

I. Foreign Currency Transactions

The company has not carried out any foreign currency transactions during the year 2015-16.

J. Provisions and Contingent liabilities

Provisions are recognized when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. All material known liabilities are provided for and liabilities which are material and whose future outcome cannot be ascertained with reasonable certainty are treated as contingent and disclosed by way of notes to accounts.

K. Taxes on income

Current tax is the amount of tax payable on the taxable income for the year after taking into consideration the benefits / disallowances admissible under the provisions of the Income Tax Act 1961.Minimum Alternate Tax paid in accordance with the tax laws which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the company will pay normal income tax. Accordingly the Company has provided tax as per normal provisions

थ. आस्थगित कर

आस्थगित कर की गणना समय अंतरों के कर प्रभाव की संगणना के लिए की जाती है बशर्ते कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में सावधानी के लिए उत्तरदायी हो, जो वर्ष के दौरान आते हैं और परवर्ती अवधि में विपरीत हो जाते हैं । आस्थगित कर तुलन पत्र तिथि द्वारा पर्याप्त चालू कर दरों पर मूल्यांकित किए जाते हैं । समय अंतरों के न होने पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष में आस्थगित कर नहीं दिया गया।

द. संबंधित पार्टी लेन-देन

लेन-देन की प्रकृति:	धारक कंपनी के साथ मीयादी जमाओं पर अर्जित ब्याज की आय
धारक कंपनी:	आन्ध्रा बैंक कंपनी की 100% इक्विटी धारण किए हुए है
लेन-देन के मूल्य:	दि. 31.03.2019 तक ब्याज आय रु. 1,62,12,449 एवं जमा रु. 25,51,00,000 है ।

ध. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक:

	रु. वर्तमान वर्ष	रु. पिछला वर्ष
सांविधिक लेखा परीक्षा	25000	25000
कर लेखा परीक्षा	15000	15000
जीएसटी	7200	7200
कुल	**47200**	**47200**

न. परिचालन चक्र

कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति एवं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और उनके नकद तथा नकद समतुल्य की वसूली के बीच की साधारण अवधि के आधार पर, कंपनी ने उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर-वर्तमान और वर्तमान रूप में विभाजित करने के उद्देश्य से 12 महीनों के परिचालन चक्र का निर्धारण किया है ।

L. Deferred Tax

Deferred Tax is accounted for by computing the tax effect of timing differences, subject to the consideration of prudence in respect of deferred tax assets, which arise during the year and reverse in subsequent periods. Deferred tax is measured at substantively enacted tax rates by the Balance Sheet date. As there are no timing differences, the Company has not been provided Deferred Tax during the financial year.

M. Related Party Transactions

Nature of Transactions	:	Interest income earned on fixed deposits with the Holding Company.
Holding Company	:	Andhra Bank holding 100% of the equity of the company
Value of Transactions	:	Rs.1,62,12,449 interest income and the Deposits as at 31.03.2019 are Rs.25,51,00,000

N. Auditor's Remuneration:

	Current Year ₹	Previous Year ₹
Statutory Audit	25000	25000
Tax Audit	15000	15000
GST	7200	7200
TOTAL	**47200**	**47200**

O. Operating Cycle

Based on the nature of activities of the Company and normal time between acquisition of assets and their realization of cash and cash equivalent, the company has determined operating cycle as 12 months for the purpose of classifications of its assets and liabilities as non- current and current.

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी पर नोट

नोट सं: 3 : शेयरपूंजी

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत (गत वर्ष: 100,00,000 इक्विटी शेयर 10 रू प्रति शेयर)		100,000,000		100,000,000
जारी किए गए, सबस्क्राइबड तथा प्रदत्त 10 रू प्रति शेयर केपूर्ण प्रदत्त 50,00,000 इक्विटी शेयर (सभी शेयर आन्ध्रा बैंक तथा इसके नामितियों द्वारा रखे गए हैं (गत वर्ष:10 रूप्रति शेयर के 50,00,000 इक्विटी शेयर)		50,000,000		50,000,000
		50,000,000		**50,000,000**

क. रिपोर्टिंग अवधिके आरम्भ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों का समंजन

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयरो की संख्या	₹	शेयरो की संख्या	₹
इक्विटी शेयर:				
अवधि के आरम्भ में	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000
वर्ष के दौरान पूर्ण प्रदत्त रूप में जारी	–	–	–	–
अवधि की समाप्ति पर बकाया	**5,000,000**	**50,000,000**	**5,000,000**	**50,000,000**

ख. इक्विटी शेयरोंके साथ संलग्न शर्ते/अधिकार

कम्पनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैजिनकी कीमत 10/– रू प्रति शेयर है । इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक एक वोट प्रतिशेयर का पात्र है । 31 मार्च 201 9को समाप्त वर्ष के दौरान, कम्पनी के द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है । (गत वर्ष –शून्य)

ग. होल्डिंग/अल्टीमेट होल्डिंग कम्पनी तथा/या उनकी अनुषंगी/सहायक द्वारा धारित शेयर:

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
आन्ध्रा बैंक, मूल/ धारक बैंक 10 रू प्रति शेयर के पूर्ण प्रदत्त 50,00,000 इक्विटी शेयर		50,000,000		50,000,000
(गत वर्ष:10 रूप्रति शेयर के 50,00,000 इक्विटी शेयर)		50,000,000		50,000,000

घ. कम्पनी में 5% से अधिक की शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयरो की संख्या	₹	शेयरो की संख्या	₹
10/– रू प्रति के इक्विटी शेयर के पूर्ण प्रदत्त				
आन्ध्रा बैंक, धारक कम्पनी	5,000,000	100.00%	5,000,000	100.00%
ड. विकल्प के अधीन जारी करने के लिए आरक्षित शेयर		शून्य		शून्य
च. समेकित संख्या के जारी बोनस शेयर, रिपोर्टिंग दिनांक से पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान वापस लाए गए नकद और शेयर के अलावा शेयर जारी करने हेतु विचार		शून्य		शून्य
छ. इक्विटी में परिवर्तनीय प्रतिभूतियां/ परिवर्तन हेतु सबसे पहलीदिनांक के साथ जारी अधिमानी शेयर:		शून्य		शून्य
ज. अदत्त माँग:		शून्य		शून्य
झ. जब्त शेयर		शून्य		शून्य

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019
NOTE No. : 3 : SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
Authorized				
(Previous year: 100,00,000 Equity Shares of Rs10 each)		10,00,00,000		10,00,00,000
Issued, Subscribed & Paid-up				
50,00,000 Equity Shares of Rs 10 each fully paid up.		50,000,000		50,000,000
(All the shares are held by the Andhra Bank and its nominees)				
(Previous year: 50,00,000 Equity Shares of Rs 10 each)				
		50,000,000		**50,000,000**

a. Reconciliation of the Shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:

Particulars	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
	No of Shares	₹	No of Shares	₹
Equity Shares:				
At the beginning of the period	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000
Issued during the year as fully paid	-	-	-	-
Outstanding at the end of the period	**5,000,000**	**50,000,000**	**5,000,000**	**50,000,000**

b. Terms / Rights attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs.10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. During the year ended 31st March 2019, no dividend is declared by the Company. (Previous year - Nil)

c. Shares held by Holding/Ultimate holding company and/or their subsidiaries/associates:

Particulars	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
Andhra Bank, Parent / holding Bank				
5000,000/- equity shares of Rs.10 each fully paid up		5,00,00,000		5,00,00,000
(**Previous year:** 5000,000 Equity Shares of Rs 10 each)		**50,000,000**		**50,000,000**

d. Details of Shareholders holding more than 5% shares in the company:

Particulars	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
	No of Shares	%	No of Shares	%
Equity Shares of ₹10/- each fully paid				
Andhra Bank, holding Company	5,000,000	100.00%	5,000,000	100.00%
e. Shares reserved for issue under options		NIL		NIL
f. Aggregate number of bonus shares issued, shares issued for consideration other than cash and shares brought back during the period of five years immediately preceding the reporting date:		NIL		NIL
g. Securities convertible into equity / preference shares issued along with the earliest date of conversion:		NIL		NIL
h. Calls unpaid:		NIL		NIL
i. Forfeited Shares		NIL		NIL

नांट नं.4- प्रारक्षिती एवं अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
लाभ और हानि की विवरणी में अधिशेष/ (कमी)				
अंतिम वित्तीय विवरणी के अनुसार शेष	57,236,331		69,547,546	
जोड : अवधि के दौरान लाभ	(-9179879)		(-12311215)	
अंतिम शेष		48,056,452		57,236,331
कुल प्रारक्षिती और अधिशेष		**48,056,452**		**57,236,331**

नोट सं 5 : गैर चालू देयताएं : दीर्घावधि प्रावधान:

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
	₹	₹
दावे हेतु प्रावधान	36,07,36,930	36,07,36,930
	36,07,36,930	**36,07,36,930**

कंपनी ने उच्चतम न्यायालय, और अन्य अदालतों / न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष कंपनी के विरुद्ध अन्य दावों का विरोध किया है । तथापि, निदेशकों ने 31.03.19 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु विवेकपूर्ण आधार पर ऋण के रूप में गैर-मान्यता प्राप्त दावे तथा आकस्मिक देयताओं पर किए गए रु. 36.07 करोड़ के वर्तमान प्रावधान को जारी रखने का निर्णय लिया है ।

नोट सं 6 : चालू देयताएं : व्यापार देयताएं :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की देयताएं				
अन्य को देयताएं :				
i) मेसर्स तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट्स एण्ड पेपर्स लिमिटेड.	880,412		880,412	
ii) अन्य	49,115	929,527	47,595	928,007
		929,527		**928,007**

i) टीएनपीएल ने 31.07.1995 को मद्रास उच्च न्यायालय में कथित दावित प्रतिफल तथा वास्तविक प्रतिफल के अंतर रु. 5.50 करोड की राशि हेतु तथा साथ ही वाद के दाखिले की तिथि से नकदीकरण तक तथा व्यय हेतु रु. 1.88 करोड़ की राशि पर 24% के प्रति वर्ष ब्याज दर से एक दावा दाखिल किया है।

माननीय उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2001 को अपना निर्णय दिया और मुकद्दमें में वाद के दाखिले की तिथि से नकदीकरण तक रु 1.88 करोड की राशि पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से ब्याज तथा सहित रु 366.02 लाख की डिक्री दी गई।

टीएनपीएलने मद्रास उच्च न्यायालय न्याय पीठ के समक्ष व्यथित होकर ब्याज वाले भाग को नकारते हुए अन्य पक्ष अपील (309/01) दायर की है ।

एबीएफएसएल दावे की डिक्री से व्यथित होकर दुसरे पक्ष अपील (328/01) जो मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कंपनी (एबीएफएसएल) द्वारा 1.42 करोड रुपये डिक्रीत की गई राशि के तिहाई भाग रु 80,351 करोड़ जमा किए गए ।

21 जनवरी 2010 को माननीय न्यायाधीश ने सहर्ष टीएनपीएल द्वारा दायर ओएसए 309/01 को खारिज किया और हमारी कंपनी (एबीएफएसएल) द्वारा दायर आंशिक ओएसए 328/01 को स्वीकृति दी । निर्णय के अनुसार, रुपये 8,80,412/- पर कंपनी(एबीएफएसएल) वसूली की तिथि तक टीएनपीएल को 02.04.2001 से 12 % प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित देय है ।

उक्त आदेश से व्यथित होकर टीएनपीएल ने भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2010 का एसएलपी(सी) सं. 11659-11660 दावा दाखिल किया और 01.03.2011 को अनुमति दिया गया। मुकदमा नियमित सुनवाई हेतु नहीं आया है ।

इस दौरान, 05.04.2010 को, एबीएफएसएल ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका 2718/2010 दायर की जिसमें उच्च न्यायालय के अनुसार आदेश के एबीएफएसएल तथा टीएनपीएल द्वारा देय राशि के समायोजन के पश्चात मद्रास उच्च न्यायालय में पहले जमा की गई राशि (रु 1.42 करोड) को लागू ब्याज सहित लौटाने का निवेदन किया गया।

29.02.2010 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एबीएफएसएल की याचिका पर विचार किया तथा उच्च न्यायालय के 21 जनवरी 2010 के निर्णय के अनुसार टीएनपीएल को 08.10.2010 से पहले एबीएफएसएल को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

29.09.2010 के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर टीएनपीएल मामले को उच्तम न्यायालय ले गए जहाँ कोर्ट की सुनवाई पर अंतरिम स्थगन आदेश 07.10.2010 जारी किया बशर्ते कि एबीएफएसएल को देय राशि को मद्रास उच्च न्यायालय में जमा की जाय ।

माननीय भारतीय उच्तम न्यायालय के निर्देश के अनुसार टी एन पी एलद्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में रु 2.51 करोड की राशि जमा किए जाने पर एबीएफएसएल की मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका 2718/2010 दिनांक 27.10.2010 को खारिज कर दी गई। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स लिमिटेड ने हमारी कंपनी को एक पत्र भेजा था जिसमें हमारे बोर्ड से अदाल से बाहर निपटारे के लिए सहमति मांगी गई थी। हमारे अधिवक्ता मैसर्स असविन पंड्या एसोसिएट्स से विधि सलाह लेते हुए हमारे बोर्ड ने टीएनपीएल के प्रस्ताव को अदालत के बाहर निपटारे के लिए मध्यस्थता के माध्यम से पूर्व के मामले सी.ए.सं.3690/2006 के अनुसार समान पक्षों के बीच स्वीकार कर लिया था।

NOTE NO 4 - RESERVES & SURPLUS

Particulars	31 March, 2019		31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
Surplus/(deficit) in the Statement of Profit and Loss				
Balance as per the last financial statement	57,236,331		69,547,546	
Add: Profit for the year	(-9179879)		(-12311215)	
Closing Balance		48,056,452		57,236,331
Total of Reserves and Surplus		**48,056,452**		**57,236,331**

Note No 5 : NON CURRENT LIABILITIES : LONG TERM PROVISIONS:

Particulars	31 March, 2019	31st March, 2018
	₹	₹
Provision for Claims	360,736,930	360,736,930
	360,736,930	**360,736,930**

The Company disputed the other claims made against the company in the Supreme Court, and other Courts/Judicial Authorities. However the directors have decided to continue the existing provision of Rs 36.07 Crore made on contingent liabilities and claims not acknowledged as debts on prudent basis for the financial year ending 31.03.2019.

Note No 6 : CURRENT LIABILITIES : TRADE PAYABLE:

Particulars	31 March, 2019		31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
Due to Micro and Small Enterprises		0		0
Due to others:				
i) A/c M/s Tamilnadu Newsprints & Papers Ltd	880,412		880,412	
ii) Others	49,115	929,527	47,595	928,007
		929,527		**928,007**

i) TNPL filed a suit in the High Court of Madras on 31.07.1995, for a sum of Rs.5.50 Crore being the difference of interest between the alleged return claimed and the actual return and further interest at 24% per annum on amount of Rs.1.88 Crore from date of plaint till realization and for costs.

The Hon'ble High Court passed the judgment on 2nd April 2001 and the suit was decreed for a sum of Rs.366.02 lakhs together with interest at 12% p.a. on the sum of Rs.1.88 Crore from the date of judgment till realization and for costs.

TNPL, aggrieved by the disallowed portion of the interest, had preferred other side appeal (309/01) before Division Bench of Madras High Court.

ABFSL, aggrieved by the decreeing of the Suit, preferred other side appeal (328/01), which was admitted by the Division Bench of Madras High Court on depositing of Rs.1.42 Crore and Rs.80,351 being one third of the decretal amount by the Company (ABFSL).

On 21st January 2010, the Learned Judges were pleased to dismiss the OSA 309/01 preferred by TNPL and were pleased to partly allow OSA 328/01 preferred by our Company (ABFSL). As per the Judgment, the Company (ABFSL) is liable to pay Rs.8,80,412/- along with interest at 12% p.a. from 02.04.2001 to TNPL till the date of realization.

Aggrieved by the said order, TNPL filed SLP(C) No 11659-11660 of 2010 before Hon'ble Supreme Court of India and Leave was granted on 01.03.2011.The suit has not come up for regular hearing.

In the meantime, on 05.04.2010, ABFSL filed a petition No 2718 of 2010 in Madras High Court, with a request to refund the money deposited earlier in the Madras High Court (Rs.1.42 Crore) along with applicable interest, after adjusting the money to be paid by the ABFSL to TNPL as per High Court order.

The petition of ABFSL was considered by Madras High Court on 29.09.2010 and ordered the TNPL to pay the amount to ABFSL before 08.10.2010 as per the High Court Judgment dt. 21st January 2010.

Aggrieved by the said order of Madras High Court dt. 29.09.2010, TNPL moved the matter in the Hon'ble Supreme Court of India and after hearings the Court granted interim stay to TNPL on 07.10.2010 subject to depositing the amount payable to ABFSL in Madras High Court.

The petition of ABFSL 2718 of 2010 at Madras High Court was closed on 27.10.2010, on depositing a sum of Rs.2.51 Crore by TNPL in Madras High Court as per the direction of Hon'ble Supreme Court of India. Tamil Nadu News Prints& Papers Ltd had sent a letter to our Company asking our Board consent for out of court settlement . Taking the legal advice from our Advocate M/S Aswin pandya Associates our Board had accepted the proposal of TNPL for out of court settlement through mediation same in the lines of earlier case C.A.No.3690/2006 between the same parties.

नोट सं 7: गैर चालू आस्तियाँ : मूर्त आस्तियाँ

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
(क) स्वाधिकृत आस्तियाँ				
कार्यालय उपस्कार	7,270		7,270	
फर्नीचर एवं उपकरण	35,791		35,791	
कंप्यूटर	54,400		54,400	
(ख) पट्टे पर दी गई आस्तियाँ :				
प्लांट व मशीनरी	3,126,392		3,126,392	
सकल ब्लॉक		3,223,853		3,223,853
घटाऐं: मूल्यहास		3,223,360		3,223,360
निवल ब्लॉक		**493**		**493**

कंपनी अधिनियम 2013 (एसएलएम) के अधिनियम VI के अनुसार मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु मूल्यह्रास विवरण

नोट : 7 : गैर चालू आस्तियाँ : अचल आस्तियाँ : मूर्त आस्तियाँ

आस्तियों का प्रकार	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक	
	01.04.2018 को बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	अपमार्जन	31.03.2019 को कुल	01.04.2018 तक का कुल	वर्ष हेतु	31.03.2019 तक का कुल	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
क: स्वाधिकृत आस्तियाँ									
1) कार्यालय उपस्कर	**7,270**	0	0	7,270	7,177	0	7,177	93	93
2) फर्नीचर एवं उपकरण	**35,791**	0	0	35,791	35,790	0	35,790	1	1
3) कंप्यूटर	12,500	0	0	12,500	12,499	0	12,499	1	1
कंप्यूटर एचसीएल	34,650	0	0	34,650	34,360	0	34,360	290	290
एच पी प्रिंटर	7,250	0	0	7,250	7,143	0	7,143	107	107
3 का कुल (कंप्यूटर)	**54,400**	0	0	54,400	54,002	0	54,002	398	398
(क) का कुल	**97,461**	0	0	97,461	96,969	0	96,969	492	492
ख.पट्टे पर दी गयी आस्तियां									
प्लांट व मशीनरी	31,26,392	0	0	31,26,392	31,26,391	0	31,26,391	1	1
क + ख का कुल	**32,23,853**	**0**	**0**	**32,23,853**	**32,23,360**	**0**	**32,23,360**	**493**	**493**
गत वर्ष	**32,23,853**		**0**	**32,23,853**	**32,15,820**	**7,540**	**32,23,360**	**493**	**493**

(i) दिल्ली उच्च न्यायालय में मेसर्स इंकैब इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड केविरुद्ध अक्तूबर 1992 से पट्टेदारी किराए रु 45.29 लाख के नकदीकरण हेतु दाखिलदावा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के अभाव में लंबित है। इस दौरान मेसर्स इंकैबइंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने बोर्ड के समक्ष औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना (बीआइएफआर) का एक प्रस्ताव रखा। कंपनी (एबीऍफएसएल) ने बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्षएक याचिका दायर की जिसने कंपनी(एबीएफएसएल) को इन्कैब लैब की पट्टेकृत मशीनरी काकब्जा करने की अनुमति दी। परंतु कर्मचारी संघ मशीनरी ले जाने का इस निवेदन केसाथ विरोध कर रही है कि कुछ पार्टियां इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहणहेतु बातचीत कर रही हैं। मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पुनर्वासअंतिमयोजना (डीआरएस) पर बीआईएफआर विचारकर रहा है। वर्ष के दौरानबार्ड नेइन्कैब इंडस्ट्रीज लि. से पट्टेकिरायाबकायास्थिति की समीक्षा कीऔर यह पाया कि वसूली संभावनाएं कम हैं तथा यहनिर्णय लिया गया कि अशोध्यऋण के रूपमें बट्टे खाते में डाला जाए।

बीआईएफआर ने विगत अवधि अर्थात रुग्णता की तारीख से अब तक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ सभी लेखा परीक्षित खातों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतकरने हेतु इनकैब इंडस्ट्री को निदेश दिया ताकि रुग्णता और पुनर्वास अधिनियम तहतकिये जाने वाले उपाय का निर्धारण किया जा सके । उपर्युक्त के दृष्टिगत पुनर्वासप्रक्रिया बीआईएफआर के समक्ष प्रक्रियाधीन है ।

(ii) चूंकि 31.03.2019 तक मशीनरी की वहन लागत रु 1/- है तथानिधारित लागत से कहीं कम है, मशीनरी पर कोई अनर्जक हानि नहीं है ।

NOTE No : 7 : NON CURRENT ASSETS : TANGIBLE

Particulars	31 March, 2019		31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
(A) OWNED ASSETS :				
Office Equipment	7,270		7,270	
Furniture & Fittings	35,791		35,791	
Computers	54,400		54,400	
(B) ASSETS GIVEN ON LEASE :				
Plant & Machinery	3,126,392		3,126,392	
GROSS BLOCK		3,223,853		3,223,853
Less : Decreciation accumulated		3,223,360		3,223,360
Net Block		**493**		**493**

DEPRECIATION STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019
As per Schedule VI of the Companies Act 2013 (SLM)

NOTE : 7 : NON CURRENT ASSETS: FIXED ASSETS : TANGIBLE

Nature of Assets	Gross Block				Depreciation			Net Block	
	Balance as on 01.04.2018	Additions during the year	Deletions	Total as on 31.03.2019	Total up to 01.04.2018	For the year	Total up to 31.03.2019	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019
A: Owned Assets									
1) Office Equipment	**7,270**	0	0	7,270	7,177	0	7,177	93	93
2) Furniture & Fittings	**35,791**	0	0	35,791	35,790	0	35,790	1	1
3) Computers	12,500	0	0	12,500	12,499	0	12,499	1	1
ComputerHCL	34,650	0	0	34,650	34,360	0	34,360	290	290
HpPrinter	7,250	0	0	7,250	7,143	0	7,143	107	107
Total of 3 (Computers)	**54,400**	0	0	54,400	54,002	0	54,002	398	398
Total of (A)	**97,461**	0	0	97,461	96,969	0	96,969	492	492
B: Assets given on Lease									
Plant & Machinery	3,126,392	0	0	3,126,392	3,126,391	0	3,126,391	1	1
Total of A + B	**3,223,853**	**0**	**0**	**3,223,853**	**3,223,360**	**0**	**3,223,360**	**493**	**493**
Previous Year	**3,223,853**		**0**	**3,223,853**	**3,215,820**	**7,540**	**3,223,360**	**493**	**493**

(i) The suit filed against M/s. Incab Industries Ltd in Delhi High Court, for realization of lease rentals since October 1992 amounting to Rs.45.29 lacs, is pending for appointment of the third arbitrator. In the mean time M/s Incab Industries Ltd.,submitted a proposal before the Board for Industrial and Financial Reconstruction [BIFR]. The Company (ABFSL) filed a petition before the Board [BIFR] who has permitted the Company (ABFSL) to take possession of the leased machinery with Incab Industries Ltd. But the workers union is protesting to take the machinery with a plea that some interested parties are negotiating for takeover of Incab Industries Ltd. The final Rehabilitation Scheme (DRS) submitted by M/s Tata Steel Ltd under consideration by the BIFR. The Board during the year reviewed the position of recovery of lease rentals dues from the Incab Industries Ltd and found that the recovery chances are remote and decided to write off as bad debt.

BIFR directed the Incab Industries Ltd to submit all the Audited Accounts along with Auditors's Reports thereon for the past period i.e from the date of sickness to till date to Board for determination of the sickness and the measures to be taken under the Act for the company's rehabilitation. In view of the above the Rehabilitation process is still under process before BIFR.

(ii) As the carrying cost of the machinery is Rs.1/- on 31.03.2019 and is much below the valued cost, there is no impairment loss on the machinery.

नोट सं: 8 : विक्रय माल: शेयरों एवं प्रतिभूतियों का स्टॉक

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	₹	₹	₹	₹
निर्दिष्ट भाव वाले शेयर की कुल राशि – कीमत पर मूल्यांकित अथवाबाज़ार मूल्य जो भी कम हो, उस पर	341,717		514,351	
सूची से इतर प्रतिभूतियों की कुल राशि – एक रुपए पर मूल्यांकित	195,462	537,179	195,462	709,813

उद्धत भाव वाले शेयर तथा सूची से इतर शेयरों के बीच अंतर 31.03.2019 को व्यापार के लेनदेन हेतु बीएसई/एनएसई बुलेटिन पर आधारित है । साथही यदि दि. 31.03.2019 से पहले तीन माह की अवधि के दौरान शेयर का ट्रेड नहींहोता है तो, शेयर गैर–उद्धत के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं ।

मात्रा वार	प्रारंभिक स्टॉक	प्रारंभिक स्टॉक	खरीद/ परिवर्धन	खरीद/प्रतिफल/ अपमार्जन	विक्रय	अंतिम स्टॉक	अंतिम स्टॉक
	01.04.18	01.04.18				31.03.19	31.03.19
	मात्रा	₹				मात्रा	₹
पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर	216790	709,813	-	-	-	216,790	537,179
गत वर्ष के आँकडे	216790	571,652	-	-	-	216,790	709,813

31.03.2019 के अनुसार बकाया शेयरों की सूची

क: मूर्त रुप में शेयर:

स्क्रिप/इक्विटी शेयर का नाम	मात्रा 31.03.2019	लागत रु	लागत मूल्य रु	बाज़ार दर 31.03.2019 रु	बाज़ार मूल्य 31.03.2019 रु	लागत या बाजार मूल्य जो कम हो 31.03.2019 रु
लिमिटेड	3,000	50.00	1,50,000	1.00	3,000	3,000
अखिल सिरामेक्स लिमिटेड	5,000	28.75	1,43,750	1.00	5,000	5,000
आरलैब्स लिमिटड	5,000	150.00	7,50,000	1.00	5,000	5,000
आर्यन फाइनफैब लिमिटेड	11,400	56.25	6,41,250	1.00	11,400	11,400
भीष्म रियाल्टी लिमिटेड	3	1.00	3	1.00	3	3
कैपरीकॉन रियाल्टी लिमिटेड	3	1.00	3	1.00	3	3
सीफैम औरगैनिक्स	6,600	40.00	2,64,000	1.00	6,600	6,600
धार सीमेंट लिमिटेड	20,300	100.00	20,30,000	1.00	20,300	20,300
ईलैक्ट्रा (इंडिया) लिमिटेड)	3,300	37.50	1,23,750	1.00	3,300	3,300
गुजरात टेलिफोन केबलस् लिमिटेड (डीमैट हेतु एसएचसीआइएल)	46,850	28.75	13,52,688	1.00	46,850	46,850
एच एम जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4,600	87.50	4,02,500	1.00	4,600	4,600
इंडो गल्फ लिमिटेड	4,850	130.00	6,30,500	1.00	4,850	4,850
कुनाल इंजीनियरिंग	450	170.00	76,500	1.00	450	450
निरंजन पिरामल	8,333	1.00	8,333	1.00	8,333	8,333
नोवा इलेक्ट्रो	55,400	51.25	28,39,250	1.00	55,400	55,400
प्रेस्टीज़ फूड्स लिमिटेड	2,700	145.00	3,91,500	1.00	2,700	2,700
प्रेस्टीज़ एचएम – पौली	5,000	42.50	2,12,500	1.00	5,000	5,000
प्यारेलाल टेक्सटाइल लिमिटेड	8,333	1.00	8,333	1.00	8,333	8,333
रामपुर फर्टिलाइज़र्स	240	80.00	19,200	1.00	240	240
श्री इशर अलौय स्टील्स	2,000	67.50	1,35,000	1.00	2,000	2,000
सिपानी ऑटो मोबाइल्स	2,100	50.00	1,05,000	1.00	2,100	2,100
क का कुल	1,95,462		10,284,060		195,462	195,462

ख: शेयर, जो 31.03.2019के अनुसार अमूर्तिकृत स्वरूप में हैं

एशनूर टेक्सटाइल मिल्स	21,280	89.29	19,00,000	15.75	335,160	335,160
बलरामपुर चीनीमिल्स	48	0.00	0	136.60	6,557	6,557
ख का कुल	21,328		1,900,000		341,717	341,717
क एवं ख का कुल	2,16,790		12184,060		537,179	537,179

Note No : 8 : STOCK IN TRADE : STOCK OF SHARES & SECURITIES

Particulars	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
Aggregate amount of quoted share - Valued at Cost or Market value whichever is less	341,717		514,351	
Aggregate amount of unquoted shares - Valued at Rupee one	195,462	537,179	195,462	**709,813**

Seggregation between quoted and unquoted share is made on BSE / NSE Bulletin for the Business transacted on 31.03.2019. Further the shares are classified as unquoted, if such shares are not traded during three months period before 31.03.2019.

Quantity wise	Opening Stock	Opening Stock	Purchases/ Additions	Purchase/ Returns/ Deletions	Sales	Closing Stock	Closing Stock
	01.04.2018	01.04.2018				31.03.2019	31.03.2019
	Qty.	₹				Qty.	₹
Equity Shares fully paid up	216790	709,813	-	-	-	216,790	537,179
Previous Year's figures	**216790**	**571,652**	-	-	-	**216,790**	**709,813**

List of outstanding shares as on 31.03.2019.
A: Shares, which are in physical form:

Name of the Scrip / Equity Shares	Quantity 31.03.2019	Cost ₹	Cost Value ₹	Mkt. Rate 31.03.2019 ₹	Mkt. Value 31.03.2019 ₹	Cost or Mkt. Value which-ever is less 31.03.2019 Rs
Adhunik Synthetics Ltd	3,000	50.00	1,50,000	1.00	3,000	3,000
Akhil Ceramics Ltd.	5,000	28.75	1,43,750	1.00	5,000	5,000
Arlabs Ltd.	5,000	150.00	750,000	1.00	5,000	5,000
Aryan Finefab Ltd.	11,400	56.25	641,250	1.00	11,400	11,400
Bhishma Realty Ltd.	3	1.00	3	1.00	3	3
Capricon Realty Ltd.	3	1.00	3	1.00	3	3
Cepham Organics Ltd.	6,600	40.00	264,000	1.00	6,600	6,600
Dhar Cement Ltd.	20,300	100.00	2,030,000	1.00	20,300	20,300
Electra (India) Ltd.	3,300	37.50	123,750	1.00	3,300	3,300
Gujarat Telephone Cables Ltd. (sent to SHCIL for Demat)	46,850	28.75	1,352,688	1.00	46,850	46,850
HMG Industries Ltd.	4,600	87.50	402,500	1.00	4,600	4,600
Indu Gulf Industries Ltd	4,850	130.00	630,500	1.00	4,850	4,850
Kunal Engineering Co. Ltd.	450	170.00	76,500	1.00	450	450
Niranjan Piramal Textile Mills Ltd	8,333	1.00	8,333	1.00	8,333	8,333
Nova Electro Magnetics Ltd.	55,400	51.25	2,839,250	1.00	55,400	55,400
Prestige Foods Ltd.	2,700	145.00	391,500	1.00	2,700	2,700
Prestige HM-Poly containers Ltd.	5,000	42.50	212,500	1.00	5,000	5,000
Pyarelal Textile Ltd.	8,333	1.00	8,333	1.00	8,333	8,333
Rampur Fertilizers Ltd.	240	80.00	19,200	1.00	240	240
Shri Ishar Alloy Steels Ltd.	2,000	67.50	135,000	1.00	2,000	2,000
Sipani Auto Mobiles Ltd.	2,100	50.00	105,000	1.00	2,100	2,100
Total of A	**1,95,462**		**10,284,060**		**195,462**	**195,462**

B: Shares, which are in dematerialized form as on 31.03.2018

Ashnoor Textile Mills Ltd.	21,280	89.29	19,00,000	15.75	335,160	335,160
Balrampur Chini Mills Ltd	48	0.00	0	136.60	6,557	6,557
Total of B	**21,328**		**1,900,000**		**341,717**	**341,717**
Total of A and B	**2,16,790**		**12,184,060**		**537,179**	**537,179**

नोट सं 9 : अल्पोवधि ऋणतथा अग्रिम :

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
जमा पर संचित ब्याज लेकिन अप्राप्त व्यापार प्राप्य – अरक्षित, संदिग्ध माने गए	0	0	30375	30375
इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड खाते (संदर्भ नोट सं 7)	0		0	0
घटाऐं : अशोध्य एवं अपल्वित कर्ज	0	0		
				30375

नोट सं 10 : नकद एवं नकद समतुल्य :

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
(i) बैंक के पास शेष ;				
चालू खाते में	4,043,043	4,043,043	6,725,788	6,725,788
(ii) बैंक जमाऐं				
(क) 12 माह की परिपक्कता तक :	57,000,000		89,000,000	
(ख) 12 माह से अधिक की परिपक्कता	198,100,000	255,100,000	154,100,000	243,100,000
कुल		259,143,043		249,825,788

नोट सं 11 : दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम :

विवरण	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
	₹	₹	₹	₹
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण तथा अग्रिम		0		0
(ख) अन्य – अरक्षित, अच्छा माना गया:				
i) वित्त वर्ष 2007-08, 2011-12, तथा 2017-18 एवं 2018-19 हेतु आय कर प्रावधान	25,818,716		22,294,624	
घटाऐं : अग्रिम कर एवं टीडीएस	26,294,742	476,026	22,703,497	408,873
ii) वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1999-2000 2008-09, 2009-10,2012-13 एवं 2013-14 अग्रिम-कर तथा टीडीएस		103,322,264		103,322,264
iii) वकीलों को अग्रिम	100,000		100,000	
iv) टेलीफोन विभाग के पास जमा	31,000	131,000	31,000	131,000
(ग) संदिग्ध अग्रिम	0	103,929,290		0
कुल				**103,862,137**

अग्रिम आय कर भुगतान का विवरण – वर्षवार :	वित्तीय वष	संबंधित निर्धारण वर्ष	31.03.2019	31.03.2018
			₹	₹
	1994-95	1995-96	28,311,822	28,311,822
	1995-96	1996-97	43,581,300	43,581,300
	1996-97	1997-98	30,257,801	30,257,801
	2007-08	2008-09	3,900,000	3,900,000
	2007-08	2008-09	6,800	6,800
	2009-10	2010-11	1,075	1,075
	2010-11	2011-12	0	0
	2011-12	2012-13	10,900,000	10,900,000
	2011-12	2012-13	382,200	382,200
	2012-13	2013-14	108,178	108,178
	2013-14	2014-15	120,514	120,514
	2014-15	2015-16	0	0
	2015-16	2016-17	0	0
	2016-17	2017-18	0	0
	2017-18	2018-19	2,860,000	2,860,000
	2018-19	2019-20	**1,970,000**	
	कुल		**122,399,690**	**120,429,690**

NOTE No : 9 : SHORT TERM LOANS & ADVANCES:

Particulars	As at 31st March 2019		As at 31st March,2018	
	₹		₹	
Interest accrued on deposit but not received	0	0	30375	30375
Trade Receivable - unsecured, considered bad - a/c Incab Industries Ltd (Ref Note No 7)	0		0	0
Less : Bad debts written off	0	0		
				30375

Note No 10 : CASH AND CASH EQUIVALENTS:

Particulars	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
(i) Balances with Banks ;				
In Current Account	4,043,043	4,043,043	6,725,788	6,725,788
(ii) Bank Deposits				
(a) Up to 12 Months Maturity :	57,000,000		89,000,000	
(b) More than 12 Months maturity	198,100,000	255,100,000	154,100,000	243,100,000
Total		**259,143,043**		**249,825,788**

Note No 11 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES:

Particulars	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
(a) Loans and advances to related parties		0		0
(b) Others - Unsecured, considered good:				
i) Provision for Income Tax - Financial Year 2007-08, 2011-12,and 2017-18 & 2018-19	25,818,716		22,294,624	
Less : Advance Tax and TDS	26,294,742	476,026	22,703,497	408,873
ii) Advance Tax and TDS for the Financial Year 1994-95, 1995-96,1996-97,1999-00, 2008-09,2009-10,2012-13 and 2013-14		103,322,264		103,322,264
iii) Advance to Advocates	100,000		1,00,000	
iv) Deposit with Telephones Department	31,000	131,000	31,000	131,000
c) Doubtful Advances	0	103,929,290		0
Total				**103,862,137**

Details of advance Income Tax Payment - Year wise:	Financial Year	Relevant Asst Year	31.03.2019	31.03.2018
			₹	₹
	1994-95	1995-96	28,311,822	28,311,822
	1995-96	1996-97	43,581,300	43,581,300
	1996-97	1997-98	30,257,801	30,257,801
	2007-08	2008-09	3,900,000	3,900,000
	2007-08	2008-09	6,800	6,800
	2009-10	2010-11	1,075	1,075
	2010-11	2011-12	0	0
	2011-12	2012-13	10,900,000	10,900,000
	2011-12	2012-13	382,200	382,200
	2012-13	2013-14	108,178	108,178
	2013-14	2014-15	120,514	120,514
	2014-15	2015-16	0	0
	2015-16	2016-17	0	0
	2016-17	2017-18	0	0
	2017-18	2018-19	2,860,000	2,860,000
	2018-19	2019-20	1,970,000	
		Total	**122,399,690**	**120,429,690**

टीडीएसका विवरण – वर्ष वार	वित्तीय वष	संबंधित निर्धारण वर्ष	31.03.2019	31.03.2018
			₹	₹
	1996-97	1997-98	819,506	819,506
	1999-00	2000-01	15,232	15,232
	2007-08	2008-09	1,342,714	1,342,714
	2008-09	2009-10	106,836	106,836
	2011-12	2012-13	1,467,648	1,467,648
	2012-13	2013-14	0	0
	2013-14	2014-15	0	0
	2014-15	2015-16	0	0
	2015-16	2016-17	0	0
	2016-17	2017-18	0	0
	2017-18	2018-19	1,844,135	1,844,135
	2018-19	2019-20	1,621,245	0
	कुल		**7,217,316**	**5,596,071**

नोट नं. 11 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम :

उपयोग किये गये एमएटी क्रेडिटके विवरण	वित्तीय वष	संबंधित निर्धारण वर्ष	31.03.2019	31.03.2018
			₹	₹
	2011-12	2012-13	5,677,308	5,677,308
	2012-13	2013-14	1,435,896	1,435,896
	2013-14	2014-15	1,599,186	1,599,186
	2014-15	2015-16	533,314	533,314
	2015-16	2016-17	0	0
	2016-17	2017-18	0	0
	2017-18	2018-19	0	0
	2018-19	2019-20	0	0
	कुल		**9,245,704**	**9,245,704**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आयकर प्रावधान रु 35,24,092/–रखा गया है, मैटक्रेडिट हकदारी शून्य है–

टिप्पणी सं. :12 : आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबध्द्ताएँ:

विवरण	31.03.2019 तक		31.03.2018 तक	
	₹	₹	₹	₹
(ळ) आकस्मिक देयताए				
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप मेंनहीं माना गया :				
क) तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एण्ड़ पेपर्स लि.		24,600,000		24,600,000
ख) अपील में निर्धारण वर्ष से संबंधित आय कर		102,150,923		102,150,923
ग) आय कर विभाग द्वारा ट्रीबयूनल आँडर के विरुद्ध की गई आय कर मांग –		7,624,756		7,624,756
कुल		**134,375,679**		**134,375,679**

क) टीएनपीएल द्वारा फाइल सिविल मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलमें है और इसका नंबर वर्ष 2011 का सिविल अपील नंबर 2291–2292 (संदर्भ : नोट सं 6) है।

Details of the TDS - Year wise	Financial Year	Relevant Asst Year	31.03.2019	31.03.2018
			₹	₹
	1996-97	1997-98	819,506	819,506
	1999-00	2000-01	15,232	15,232
	2007-08	2008-09	1,342,714	1,342,714
	2008-09	2009-10	106,836	106,836
	2011-12	2012-13	1,467,648	1,467,648
	2012-13	2013-14	0	0
	2013-14	2014-15	0	0
	2014-15	2015-16	0	0
	2015-16	2016-17	0	0
	2016-17	2017-18	0	0
	2017-18	2018-19	1,844,135	1,844,135
	2018-19	2019-20	1,621,245	0
	Total		**7,217,316**	**5,596,071**

Note No 11: LONG TERM LOANS AND ADVANCES:

Details of MAT Credit Utilised	Financial Year	Relevant Asst Year	31.03.2019	31.03.2018
			₹	₹
	2011-12	2012-13	5,677,308	5,677,308
	2012-13	2013-14	1,435,896	1,435,896
	2013-14	2014-15	1,599,186	1,599,186
	2014-15	2015-16	533,314	533,314
	2015-16	2016-17	0	0
	2016-17	2017-18	0	0
	2017-18	2018-19	0	
	2018-19	2019-20	0	**0**
	Total		**9,245,704**	**9,245,704**

Provision for Income Tax for the financial year 2018-19 is made Rs 35,24,092/- MAT credit entitlement is nil-

Note No :12 :CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS:

Particulars	As at 31st March, 2019		As at 31st March, 2018	
	₹	₹	₹	₹
(i) Contingent Liabilities :				
Claims against the company not acknowledged as debts :				
b) Tamilnadu Newsprint & Papers Ltd		24,600,000		24,600,000
c) Income Tax relating to the asst years in appeal		102,150,923		102,150,923
d) Interest Tax Appels filed by the I T Dept against the Tribunal Orders.		7,624,756		7,624,756
Total		**134,375,679**		**134,375,679**

b) The Civil Suit filed by the TNPL is now on its appeal before the Hon,ble Supreme Court and numbered as Civil Appeal No 2291-2292 of 2011 (Ref. Note No 6)

नोट सं.: 12: आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएँ

आयकर:

ख) आयकर: कंपनी (एबीएफएसएल) ने निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1997-98 तथा 1999-2000 के लिए आय-कर अपील प्रस्तुत की है जो माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश के समक्ष अनिर्णीत हैं। इन अपीलों के निपटान बकाया रहने तक अग्रिम करत था स्व -निर्धारण करके भुगतान को विभाग द्वारा धन वापसी में से समायोजित किया गया।

ग) ब्याज कर : निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष1993-94 से 1997-98 हेतु किराया खरीद आय तथा पट्टा किराया को जोड़कर, आयकर अधिनियम, 1974 के अंतर्गत निर्धारण पूरा किया। निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध, कंपनी ने आय-कर आयुक्त1 (अपील) के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी (ए) ने कंपनी की अपीलों की अनुमति दी। सीआईटी (ए) के आदेशों से व्योथित होकर, आय-कर विभाग ने आय-कर एपीलेट ट्रिब्युनल ने विभाग की अपीलों को खारिज किया।

ट्रिब्युनल के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, विभाग ने निर्धारण वर्ष 1993-94 हेतु आईटीएसं 4/एच/2003 दिनांक 18.01.2007 में ट्रिब्युनल के आदेशों के विरुद्ध आईटीटीएसं.: 149/2012 तथा मूल्यांकन वर्ष 1995-96 हेतु आईटीएसं.: 6/एच/2003 में ट्रिब्युनल आदेश के विरुद्ध आईटीटीएसं 86/2012 में उच्च न्यायालय, ए.पी. के समक्ष दो अपील दायर की। विभाग का मानना है कि ट्रिब्युनल ने यह मानने में चूक की कि किराया-खरीद प्रभार आय-कर अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कर हेतु पात्र नहीं है। इन दो मूल्यांकन वर्ष 1993-94 तथा 1995-96 हेतु किराया-खरीद प्रभा रक्रमश: रु 2,426,473/- तथा रु 8,07,806/- है।

अन्य आयकर मामले

क) निर्धारण वर्ष 2008-09: कंपनी (एबीएफएसएल) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के अंतर्गत रु5,28,790/- की मांग करते हुए 12.03.2010 को सूचना प्राप्त हुई जिसमें आयकर विभाग ने बैंकरों द्वारा किए गए सभी टीडीएस भुगतान / की गई वसूलियों तथा कंपनी (एबीएफएसएल) द्वारा किए आयकर भुगतानों पर विचार नहीं किया। कंपनी (एबीएफएसएल) ने मूल टीडीएस प्रमाणपत्रों तथा आयकर विभाग को एफबीटी के विप्रेषण संबंधी अधपन्नो की प्रतिलिपियों को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा154 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करें, कंपनी के लिए भुगतान करने की कोई देयता नहीं है। कंपनी (एबीएफएसएल) संशोधित आदेश के लिए अनुवर्तन कर रही है।

ख) निर्धारण वर्ष 2010-11: कंपनी को सीपीसी, बेंगलूरु से धारा143 (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि मूल्यांकन वर्ष 2008-09 हेतु बकाया मांग के प्रति 1075/- रुकी राशि के समायोजन के पश्चात कंपनी को 92,065रु की राशि लौटाई जानी थी, जो कि पहले ही उनकी सूचना दिनांक 25/02/2011 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2009-10 हेतु रिफंड में से समायोजित है। रु92065/- की रिफंड- राशि दिनांक 18/04/2013 को प्राप्त हुई है।

ग) निर्धारण वर्ष 2012-13: कंपनी द्वारा फाइल की गई विवरणी प्रोसेस की गई तथा आय-कर अधिनियम की धारा 143 (1) के अंतर्गत सूचना 3,82,200/- रु की मांग सहित प्राप्त हुई। विभागने आय-कर अधिनियम, 1961 के मैट प्रावधानों तथा एससी एवं ईसी सहित सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय-कर के अंतर्गत के रूप में (सरचार्ज तथा शिक्षा उप-करके अलावा) मैट ऋण दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कर मांगा गया है। कंपनी ने भुगतान किया तथा 29.10.2014 को सीआईटी (ए) में अपील दायर की और यह अपील अनुमत की गई। अनुवर्ती आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

घ) निर्धारण वर्ष 2013-14: कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत अपनी आय की घोषणा करते हुए रु1,15,44,934/- का रिटर्न दाखिल किया गया तथा उस रिटर्न के विरुद्ध 2,57,160/- रुपये दावा की वापसी की गई। धारा143 (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के बाद कंपनी आयकर रिटर्न में घोषित आय को स्वीकार किया है, परंतु प्राप्त 1,48,960/- रुपये की सूचना की जाँच से यह अवलोक नहोता है कि कर यू/एस115 जे हेतु ऋण प्रदान करते समय खाते में अधिभार और शिक्षा उपकर नहीं लेने के कारण यह मांग उठी है। कंपनी ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की, जिसे सुनवाई होनी शेष है। अपील दि. 27-10-2016 को स्वीकार की गई जिसकी आदेश सं.0701/सीआईटी(ए)-1/हैदराबाद/2014-15/2016-17 दिनांक 27-10-2016 है। परिणामी आदेश अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं।

ङ) निर्धारण वर्ष 2014-15: कंपनी आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत अपनी आय 4,63,758/- रुकी वापसी का दावा करते हुए 1,51,94,322/- रु रिटर्न दाखिल किया था, जो कि यद्यपित्रु टिपूर्णयू/एस234सी ब्याज रु63,908/- को ध्यान में रखते हुए रु. 3,99,850/- रूप में गणना की गई उक्त रिटर्न के विरुद्ध कंपनी को धारा 143(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के बाद कंपनी आयकर रिटर्न में घोषित आय को स्वीकार किया है, परंतु प्राप्त 3,43,240/- रुपये की सूचना की जाँच से यह अवलोकन होता है कि कर यू/एस115 जे हेतु ऋण प्रदान करते समय खाते में अधिभार और शिक्षा उपकर नहीं लेने के कारण यह मांग उठी है। कंपनी ने सीआईटी (ए) तथा के समक्ष अपील दायर की, अपील आदेश सं. 0701/सीआईटी(ए)-1/हैदराबाद/2014-15/2016-17 दिनांक 27-10-2016 के माध्यम से स्वीकार की गई है।

अन्य मामले :

1) मेसर्स कुदरेमुख आयरन ओर कं. लि. के अंतर कोर्पोरेट जमा खाता पर ब्याज। कंपनी (एबीएफएसएल) तथा मेसर्स कुदरेमुख आयरन ओर कं. लि. (केआईओसीएल) के बीच विवाद वर्ष 2003-2004 में निपटा दिया गया, फिर भी, केआईओसीएल नेअंतर कोर्पोरेट जमाओं की परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज के लिए सभी देयताओं को पूरा करने के बाद प्राप्यक अधिशेष, यदि हो, तो अन्य पीएसयू के साथ समानुपातिक आधार पर दावा प्रस्तुत करने संबंधी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा है।

NOTE No:12: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS:
INCOME TAX :

c) Income Tax : The Company (ABFSL) had gone on Income Tax appeals for the Asst.Years 1993-94 to 1997-98 & 1999-00 which are pending before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh. Pending disposal of these appeals, the advance tax and self assessment taxes paid and taxes adjusted out of refunds by the department are outstanding.

d) Interest Tax : The Assessing officer completed the assessments under Interest Tax Act, 1974 making additions of lease rentals and hire purchase income for the Asst Years1993-94 to1997-98. As against the orders of the Assessing officer, the company filed appeals before the commissioner of Income Tax (Appeals). The CIT(A) allowed the company's Appeals. Aggrieved by the orders of the CIT(A), the Income Tax department filed appeals before Income Tax Appellate Tribunal, Hyderabad. The Tribunal Dismissed the department's appeals.

Aggrieved by the above orders of the Tribunal, the department filed two appeals before the High Court, A.P in ITTA No 86/2012 against the Tribunal Order in ITA No 6/H/2003 for the Asst .Year 1995-96 and ITTA No : 149/2012 against the Tribunal Order in ITA No 4/H/2003 dated 18.01.2007 for the Asst. Year 1993-94. The contention of the department is that the tribunal erred in holding that Hire Purchase charges are not exigible to tax under Interest Tax Act, 1974. The Hire Purchase charges for these two assessment years 1993-94 and 1995-96 are Rs 2,426,473/- and Rs 807,806/- respectively.

other Income Tax Issues

a) Assessment Year 2008-09: The Company (ABFSL) received on 12.03.2010 an intimation U/s 143(1) of Income Tax Act,1961 with a demand of Rs 528,790/-, wherein IT Department has not taken into consideration all TDS remittances / recovered by Bankers and the FBT & Income Tax remittances made by Company (ABFSL). The Company (ABFSL) submitted detailed proofs of original TDS certificates and copies of the counterfoils remitting the FBT to Income Tax Department with a request to issue modified orders U/s 154 of IT Act, 1961, there is no tax liability for the company to pay further. The Company (ABFSL) is pursuing for the modified orders.

b) Assessment Year 2010-11: The Company received the intimation u/s 143(1) from the CPC, Bangalore indicating that an amount of Rs 92,065 was refundable to the company after adjusting an amount of Rs 1075 towards arrears demad outstanding for the Asst Year 2008-09 which itself already adjusted out of the refund for Asst Year 2009-10 vide their intimation dated 25.02.2011. The refund amount of Rs 92065/- has been received on18.04.2013.

c) Assessment Year 2012-13: The return filed by the company was processed and an intimation under section 143(1) of the Income Tax Act was received with a demand of Rs 3,82,200/-. The department has given the MAT credit as difference of Income Tax (excluding surcharge & education cess)under normal provisions and MAT provisions instead of difference between the total tax paid under normal provisions including SC & EC and MAT Provisions of Income Tax Act, 1961, which had resulted in the demanding the Tax. The company had paid the same and filed an appeal before the CIT(A)and on 29.10.2014 the the appeal is allowed. Consequential orders not yet received.

d) Assessement year 2013-14: The return filed by the company declaring its income under normal provisions of income tax act at Rs.1,15,44,934/- and claimed refund of Rs.2,57,160/-.Against the said return the company received intimation under section 143(1) accepting the income declared in the return of income but received refund Rs.1,48,960/- On Verification of the said intimation it is observed that the demand arose due to not taking into account surcharge and education cess while giving credit for tax u/s115J. The company filed appeal before CIT A(A) which is yet to come for hearing. Appeal allowed on 27-10-2016 vide order no. 0701/CIT(A)-1/Hyd/2014-15/2016-17 dated 27-10-2016. Consequential order not yet received.

e) Assessement Year 2014-15: The return filed by company delcaring its income under normal provisions of income tax act at 1,51,94,322/- by claiming a refund of Rs.4,63,758, which however calculated as Rs.3,99,850/-after considering interest erroneously u/s234c of Rs.63,908/-.Against the said return the company received intimation under secion 143(1) accepting the income delcared in the return of income but received refund of Rs.3,43,240/-. On verfification of the said intimation it is observed that the demand arose due to not taking into account surcharge and education cess while giving credit fpor tax u/s 115j. The company file appeal before CIT (A) and appeal is allowed vide order no. 0711/CIT/(A)-1/HYd/2014-15/2016-17 dated 27-10-2016.

Other matters:

1) Interest on Inter Corporate Deposits A/c M/s. Kudremukh Iron Ore Co Ltd. The dispute between the Company (ABFSL) and M/s. Kudremukh Iron Ore Co Ltd [KIOCL] was settled during the year 2003-04. However, KIOCL has reserved right to claim on pro-rata basis along with other PSU's in case of surplus arising after meeting all liabilities, for the interest from the date of maturity of Inter Corporate Deposits up to the date of payment.

2) कंपनी (एबीएफएसएल) ने मेसर्स मिश्र धातु निगम लि (मिधानी) द्वारा 1992 में प्रस्तुत रु 4.00 करोड़ की अंत रजमाओं की संविदात्माक तिथि तक ब्याज सहित पुनर्भुगतान 1997 में कर दिया है। मिधानी ने 1997 में पूर्ण एवं अंतिम निपटान स्व्रूप प्राप्ति की पावती दी है। फिर भी, मिधानी ने संविदात्मक तिथि के बाद ब्याज के लिए बाद में अपना दावा प्रस्तुत किया है। कंपनी (एबीएफएसएल) द्वारा ब्याज का भुगतान करने अथवा पावती देने हेतु इंकार करने पर मिधानी ने विवाद समिति (सीओडी) से संपर्क किया जिसने मिधानी को निदेश दिया कि स्थाायी विवाचक तंत्र (पीएमए) से संपर्क करें जिनके पास मामला अनिर्णीत है। कंपनी (एबीएफएसएल) का विधिकमत है कि मिधानी का दावा स्वीकार्य नहीं है, अत: कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3) वर्ष 1994 के दौरान, कंपनी (एबीएफएसएल) ने दिल्ली वित्तीय निगम को आईसीडी 153 तथा 155 प्रत्येक की मूल राशि रु100 लाख का भुगतान दिनांक 28/09/1994 के इस करार के साथ किया कि सभी अन्य पीएसयू की मूल राशि एवं ब्याज राशि का पुनर्भुगतान करने के बाद देय तिथि तक संविदात्मक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। संविदात्माक अवधि के लिए रु7,08,000/– ब्याज का दावा था तथा कंपनी (एबीएफएसएल) ने 9/08/2004 को राशि का भुगतान कर दिया। फिर भी, दिल्ली वित्तीय निगम ने अंतर कोर्पोरेट जमाओं की परिपक्वता तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज के लिए सभी देयताओं को पूरा करने के बाद प्राप्यप अधिशेष, यदि हो, तो अन्य पीएसयूके साथ समानुपातिक आधार पर दावा प्रस्तुत करने संबंधी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा है।

4) औद्योगिक ट्रिब्युनल, हैदराबाद में विवाद : आईडी अधिनियम, 1947 के अंतर्गत एक आवेदन फाइल किया गया था तथा वह एलसीआईडी 17/2011 के रूप में दर्ज हुआ। आन्ध्रा बैंक के प्रबंधन तथा कर्मकार के बीच एक औद्योगिक विवाद आईडी अधिनियम, 1947 की धारा (1) (घ) के अंतर्गत न्याय निर्णय हेतु औद्योगिक ट्रिब्युनल–सह–श्रम न्यायालय, हैदराबाद को संदर्भित किया गया है और उसे ट्रिब्युनल की फाइल पर लिया गया तथा आईडी सं. 14/2012 के रूप में पंजीकृत किया गया। इससे स्पष्ट होता है किदो आईडी कंपनी छोड़ने के बाद रोजगार दावे हेतु एक ही विषय पर पंजीकृत की गई जिन्होंने अस्थाई रूप से कंपनी में कार्य किया है। सीजीआईटी–सह–श्रम न्यायालय, हैदराबाद ने याचिका दाता को आईडी सं. 14/2012 को दिनांक 01.04.2015 को अभियोग चलाने हेतु स्वेच्छा देते हुए वर्तमान एलसी सं.17/2011 को वापस लेने की अनुमति दी है। एलसीसं. 17/2011 खारिज किया गया है।

टिप्पणीसं. : 13

क) इक्विटी शेयर धारकों को वर्ष के लिए कोई लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव नहीं किया। (गतवर्ष : शून्य)

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रतिभूति जारी नहीं की है। (गतवर्ष : शून्य)

नोट सं. 14: परिचालन द्वारा राजस्व

विवरण	दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि हेतु		दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि हेतु	
	₹	₹	₹	₹
क) ब्याज आय				
(i) बैंक जमा राशियों पर	16,212,449	16,212,449	18,441,341	
(iii) आई.टी.वापसी पर ब्यूज			0	18,441,341
ख) अन्य आय :				
i) लाभांश आय	36,000		12,000	
घरेलु कम्पनियों द्वारा				
ii) निवेश व्यवसाय :				
प्रारम्भिक स्टॉक : रू. 709813				
योग : खरीद				
स्टॉक (लागत) की बिक्री				
अंतिम स्टॉक : रू. 537179			138,161	150,161
योग : खरीद	-172,634	-136,634		4,101
		16,075,815		18,591,502

नोट सं. 15:– कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि हेतु		दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि हेतु	
	₹	₹	₹	₹
वेतन एवं भत्तें	1,247,750		1,189,483	
पेंशन निधि में अंशदान	67,308		67,016	
ग्रेच्युंटि व्यय	54,766		56,446	
स्टाफ कल्याणकारी व्यय	55,373	1,425,197	44,971	1,357,916
		1,425,197		

2) The Company (ABFSL) repaid in 1997 the total Inter Corporate Deposits of Rs.4.00 Crore placed in l992 by M/s Mishra Dhatu Nigam Ltd (MIDHANI) with interest up to the contracted date. MIDHANI acknowledged the receipt as full and final settlement in 1997. However, MIDHANI, subsequently, has made a claim for interest after the contracted date. On refusal by the Company (ABFSL) to acknowledge or pay the interest, MIDHANI has approached the Committee on Disputes (COD) who directed the MIDHANI to Permanent Machinery of Arbitration (PMA) with whom the matter is pending. The Company (ABFSL) has legal opinion saying that the claim of MIDHANI is not sustainable and hence no provision has been made.

3) During the year 1994, the Company (ABFSL) has paid the amounts of ICD 153 & 155 to Delhi Financial Corporation to the extent of principal sum of Rs.100 lacs each, with an agreement dt.28/9/1994 that the contracted interest up to due date shall be paid after paying the Principal and Interest amount of ICD to all other PSU`s. There was a claim for interest of Rs.7,08,000/- for the contracted period and the Company (ABFSL) has paid the same on 9/08/2004. However Delhi Financial Corporation has reserved the right to claim on prorata basis along with other PSUs in case of surplus arising after meeting all liabilities, for the interest from the date of maturity of ICD's to date of payment.

4) Dispute in the Industrial Tribunal, Hyderabad : An application under the I D Act 1947 was filed and the same was registered as LCID 17/2011. Further an industrial dispute between the workman and the management of Andhra Bank have been referred to the Industrial Tribunal Cum Labour Court, Hyderabad for adjudication u/s (1)(d) of the I D Act, 1947 and the same was taken on file of the Tribunal and registered as I D No 14/2012. This indicates that two I Ds were registered on the same matter of claiming the employment after leaving the company who worked on temporary basis in the company. CGIT cum Labour Court, Hyderabad. granted permission to the petitioner to withdraw the present LCNo.17/2011 with liberty to prosecute ID No. 14/2012 on01-04-2015.LCNo17/2011 is dismissed.

Note No.13

a) No dividend has been proposed to be distributed to the equity shareholders for the year (previous year Nil)

b) The Company has not issued any securitieis during the year for any specific purpose (previous year Nil)

NOTE No :14: REVENUE FROM OPERATIONS

Particulars	**For the period April 1, 2018 to March,31, 2019**		**For the period April 1, 2017 to March 31, 2018**	
	₹	₹	₹	₹
a) Interest Income				
(i) On Bank Deposits	16,212,449	16,212,449	18,441,341	
(iii) Interest on I.T Refunds			0	18,441,341
b) Other Income :				
i) Dividend Income	36,000			
from domestic companies			12,000	
ii) Investment Business :				
OpeningSTock Rs. 709813				
Add : Purchases 0				
Sales of stock (Cost) 0				
Closing Stock: Rs. 537179	-172,634	-136,634	138,161	
Earnings / Net of Investments (profit)				150,161
		16,075,815		**18,591,502**

NOTE NO.15 :- EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

Particulars	**For the period April 1, 2018 to March31, 2019**		**For the period April 1, 2017 to March 31, 2018**	
	₹	₹	₹	₹
Salaries & Allowances	1,247,750		1,189,483	
Contribution to Pension Fund	67,308		67,016	
Gratuity Expense	54,766		56,446	
Staff welfare expenses	55,373	1,425,197	44,971	1,357,916
		1,425,197		

नोट सं.: 16 : प्रशासनिक तथा अन्य व्यय

विवरण	दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि हेतु		दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि हेतु	
	₹	₹	₹	₹
यात्रा एवं वाहन		0		0
कार्यालय परिसर हेतु किराया	132,000		84,000	
मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	5,983		5,736	
डाक एवं टेलीफोन	10,042	148,025	9,959	99,695
		148,025		99,695

नोट सं. 17: अन्य– व्यय

विवरण	दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि हेतु		दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि हेतु	
	₹	₹	₹	₹
लेखापरीक्षक को भुगतान				
–लेखापरीक्षकों के रूप में	29,500		29,500	
–कर लेखा परीक्षा हेतु	17,700	47,200	17,700	47,200
विधिक एवं व्यवसायिक शूल्क	1,730,757		79,429	
फाईलिंग शुल्क	14,000		16,100	
एएमसी	3,683		1,639	
विविध व्यय	2,982	1,751,422	1,193	98,361
	1,798,622	1,798,622		145,561

कम्पनी में कार्यरत स्टाफ आन्ध्रा बैंक की ओर से प्रति नियुक्ति पर हैं तथा वे समय–समय पर आन्ध्रा बैंक के सेवा विनियमन (एबीओएसआर) के अनुसार कर्मचारी लाभ हेतु पात्र हैं एवं इसका भुगतान/प्रतिपूर्ति आन्ध्रा बैंक को की जाएगी । भविष्य/पेंशन निधि में अंशदान तथा ग्रेच्युटि के प्रति अनुपातिक राशि भी आन्ध्रा बैंक को वर्तमान में लागू अनुसार भुगतान किया जाएगा । कम्पनी द्वारा किसी अलग निधि का अनुरक्षण नहीं किया जाएगा ।

विवरण	दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि हेतु		दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि हेतु	
	₹	₹	₹	₹
आई.टी. अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत कर व्यय	3,524,092		4,677,111	
घटाएं: वर्ष के दौरान मैट ऋण पात्रता	0		0	
वर्ष हेतु कर व्यय हेतु बनाए गए प्रावधान (आई.टी. अधिनियम के मैट प्रावधानों के अन्तर्गत कर व्यय के बराबर)	3,524,092	3,524,092	4,677,111	4,677,111
		3,524,092		4,677,111

कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान ब्याज आय पर रू1621245–टीडीएस के अलावा रू 1970000के अग्रिम आय कर का भुगतान किया । कंपनी वर्तमान वर्ष के दौरान आय कर के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आती है तथा कोई मैट ऋण बकाया नहीं है । गत वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने ब्याज आय पर रू 18,44,135 टीडीएस के अलावा रू 2860000 के अग्रिम आय कर का भुगतान किया तथा कंपनी आय कर अधिनियम 1961 के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आती है ।

पूर्व निर्धारण वर्षों हेतु कर वापसी/व्यय : शून्य

NOTE No : 16 : ADMINISTRATIVE AND OTHER EXPENSES

Particulars	For the period April 1, 2018 to March 31, 2019		For the period April 1, 2017 to March 31, 2018	
	₹	₹	₹	₹
Travelling & Conveyance		0		0
Rent for office Premises	132,000		84,000	
Printing & Stationery	5,983		5,736	
Postage & Telephones	10,042	148,025	9,959	99,695
		148,025		**99,695**

NOTE No:17: OTHER EXPENSES

Particulars	For the period April 1, 2018 to March 31, 2019		For the period April 1, 2017 to March 31, 2018	
	₹	₹	₹	₹
Payment to Auditors				
-As Auditor	29,500		29,500	
-For Tax Audit	17,700	47,200	17,700	47,200
Legal & Professional fees	1,730,757		79,429	
Filing Fees	14,000		16,100	
amc	3,683		1,639	
Miscellaneous expenses	2,982	1,751,422	1,193	98,361
	1,798,622	**1,798,622**		**145,561**

The staff working in the company are on deputation from Andhra Bank and they are eligible for Employee Benefits as per the Service Regulations (ABOSR) of Andhra Bank from time to time and the same is being paid / reimbursed to Andhra Bank. Contribution to Provident / pension Fund and proportionate amount towards Gratuity is also paid to the Andhra Bank to the extent applicable. No separate fund is being maintained by the company.

NOTE No : 18 : TAX EXPENSE :

Particulars	For the period April 1, 2018 to March 31, 2019		For the period April 1, 2017 to March 31, 2018	
	₹	₹	₹	₹
Tax Expense under normal provisions of I.T Act	3,524,092		4,677,111	
Less: MAT Credit Entitlement during the year	0		0	
Provision made for Tax expense for the year (Equal to the Tax Expense under MAT Provisions of I.T Act)	3,524,092	**3,524,092**	4,677,111	**4,677,111**
		3,524,092		**4,677,111**

The Company has paid the advance Income Tax of Rs 1970000- in addition to the TDS of Rs 1621245- on interest income during the year 2017-18. The Company comes under the regular provisions of the Income Tax during the current year and no outstanding MAT credit available.. During the previous year 2017-18 the company has paid an advance Income tax of Rs 2860000- in addition to the TDS of Rs18,44135/- on interest income and the company comes under normal provisions of the Income Tax Act 1961.

Tax refunds / Expense for earlier Asst Years : **Nil**

नोट सं. : 19 : प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन :

विवरण	दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि हेतु		दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि हेतु	
	₹	₹	₹	₹
(खमूल एवं विघटित: प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन		1.84		2.46
ईपीएस का आकलन :				
क : निवल लाभ	9,179,879		12,311,215	
ख : इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	5,000,000		5,000,000	
प्रति इक्विटी शेयर (क/ख) पर मूल एवं विघटित उपार्जन	**1.84**	**1.84**	**2.46**	**2.46**

नोट सं. : 20 : एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण की स्थिति :

क) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण हेतु दिनांक 9 जनवरी, 1997 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशानुसार, भारिबैंक द्वारा उनके पत्र सं. डीएनबीएस (एच) सीएमएस सं.2238/एचक्यूतवाई 0472/2004–05 दिनांक 28 जनवरी, 2005 को कंपनी (एबीएफएसएल) के पंजीकरण हेतु आवेदन को अस्वीकार किया तथा कंपनी (एबीएफएसएल) से अपेक्षा की गई कि गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय नहीं करने के लिए निर्दिष्ट (बोर्ड संकल्प पारित कराया जाए । भारिबैंक ने कंपनी (एबीएफएसएल) को आगे सूचित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त पत्रजारी करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के अन्दर कंपनी (एबीएफएसएल) की वित्तीय आस्तियाँ बेची जाएं तथा कम्पनी (एबीएफएसएल) गैर–बैंकिंग गैर वित्तीय संस्थान के रूप में परिवर्तित करायी जाए या परिसमापन कराया जाए । तदनुसार कंपनी (एबीएफएसएल) ने प्रबंध निदेशक द्वारा की शीघ्र की जानेवाली उचित कार्रवाई की संभावनाओं परविचार करने हेतु दिनांक 03.02.2005 को बोर्ड संकल्प पारित किया । कंपनी (एबीएफएसएल) ने शेयरों को छोड़कर, वित्तीय आस्तियों का निपटान कर दिया है ।

ख) कंपनी (एबीएफएसएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 09.01.2008 को वित्तीय आस्तियों के निस्तासरण की सूचना प्रेषित करते हुए कंपनी (एबीएफएसएल)को गैर–बैंकिंग गैर–वित्तीय संस्थान के रूप में मानने का अनुरोध किया था । भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 05.12.2008 को प्रेषित अपने पत्र में उत्तरर दियाहै कि उसने वर्णित घटकों का अभिलेखन कर लिया है।

नोट सं. : 21 : अन्य सूचना :

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अन्य शर्तों में निहित मामलों केसम्बोन्धत में जहां तक जानकारी कुछ नहीं है या कम्पहनी पर लागू नहीं है, उनके सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

ख) वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति से मिलान हेतु जहां कहीं भी गत वर्ष के आंकडों कापुन: समूहन/पुन: वर्गीकरण/पुन: व्यवस्थित की गई है ।

NOTE No : 19 : EARNINGS PER EQUITY SHARE :

Particulars	For the period April 1, 2018 to March 31, 2019		For the period April 1, 2017 to March 31, 2018	
	₹	₹	₹	₹
(i) BASIC & DILUTED : Earnings per Equity Share		**1.84**		**2.46**
Calculation of EPS :				
A : Net Profit	9,179,879		12,311,215	
B : Weighted Average Number of Equity Shares	5,000,000		5,000,000	
BASIC & DILUTED Earnings per Equity Share (A/B)	**1.84**	**1.84**	**2.46**	**2.46**

NOTE No : 20 : Status of Registration as NBFC :

a)As per the directions issued by Reserve Bank of India for registration of Non Banking Financial Companies on 9th January 1997, the Company's (ABFSL) application for registration was rejected by RBI vide their letter No.DNBS (H) CMS No.2238/HYQ 0472/2004-05 dated 28thJanuary 2005 requiring the Company (ABFSL) to pass a specific Board Resolution not to carry on the business of an Non–Banking Financial Institution. RBI further informed the Company (ABFSL) to ensure that within a period of 3 years from the date of issue of their said letter, the financial assets of the Company (ABFSL) are disposed of and the Company (ABFSL) is converted into a Non-Banking Non-Financial Institution or is wound up. Accordingly the Company (ABFSL) passed Board Resolution on 03.02.2005 to explore the course of suitable action by the Managing Director at the earliest.The Company (ABFSL) has disposed of the financial assets except the shares.

b) The Company (ABFSL) has informed Reserve Bank on 09.01.2008 about disposal of the Financial Assets and requested to treat the Company (ABFSL) as Non-Banking Non-Financial Institution. Reserve Bank of India replied on 05.12.2008 that it has taken the contents mentioned therein on record.

NOTE No : 21 : Other Information :

a) Information with regard to the matters in the other clauses of Schedule III to the Companies Act, 2013 to the extent they are either NIL or not applicable to the Company has not been given.

b) The figures of the previous year have been regrouped/reclassified/rearranged wherever necessary to confirm the Current Year's presentation.

घंटासाला एवं कं.
सनदी लेखाकार

3-6-700 एवं 701, 103 सिनेट अपार्टमेंट
एसटी. न. 11, हिमायतनगर,
हैदराबाद - 500029

स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, मैसर्स आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट :

राय

हमने मैसर्स आन्ध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ('कम्पनी') के साथ-साथ स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण (ऑडिट) किया है, जिसमें 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ तथा हानि विवरणी और वार्षिक नकदी प्रवाह विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश है ।

हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अवश्यकता पड़ने पर अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना पूर्वोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों देते हैं तथा 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में साधारणतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और वर्ष समाप्ति तिथि पर लाभ/हानि, एवं इसके नकदी प्रवाह सटीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण आधारित जानकारी देती है ।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत लेखा परीक्षा (एसएएस) पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग- लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी

कम्पनी के निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में जिम्मेदार हैं जो कि स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के सम्बन्धी मामलों में ज़िम्मेदार है जो कि भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक सहित, वित्तीय प्रदर्शन और कम्पनी के नकद प्रवाह का एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लेखांकन रिकॉर्ड का पर्याप्त रख-रखाव, कम्पनियों की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचान करना भी शामिल है; निर्णय लेना तथा उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाना; तथा डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का रख-रखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, जो कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं तथा चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली भौतिक गलती से मुक्त होते हैं ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लेखांकन आधार पर कार्यशील संस्था, प्रकटीकरण, यथा लागु, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले तथा कार्यशील संस्था के उपयोग को कंपनी द्वारा जारी जारी रखे जाने की उत्तरदायित्व प्रबंधन का है, अन्यथा प्रबंधन या तो कंपनी की परिसमापन पर विचार करता है या परिचालन समाप्त करता या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

अन्य विधि और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) आपेक्षित है, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के सन्दर्भ में, हम आदेश के पैरा 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट विषय पर विवरणी अनुबन्ध 'ए' में प्रस्तुत कर रहे हैं ।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) के लिए रिपोर्ट किए जाने वाले अन्य विषय:

कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी(एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र के आवेदन को अस्वीकृत कर देने की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक से 28.01.2005 को प्राप्त हुई ।

साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के 28.01.2005 के पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार, कम्पनी ने भौतिक रूप में उपलब्ध कुछ शेयरों को छोड़कर अपनी सभी वित्तीय सम्पत्तियों का निपटान कर दिया है । तथापि, कम्पनी ने अपने 09.01.2008 के दिनांकित पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि कम्पनी को गैर बैंक गैर वित्तीय संस्थान के रूप में समझा जाए । इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक ने 05.12.2008 को जवाब दिया गया कि उसने इसके घटकों(उल्लिखित सामग्री) को रिकॉर्ड पर ले लिया है ।

GHANTASALA & CO.,
Chartered Accountants

3-6-700 & 701, 103 Senate Apts
St.No.11, Himayathnagar
Hyderabad - 500029

Independent Auditor's Report
To The Members of Andhra Bank Financial Services Limited

Report on the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone financial statements of M/s. ANDHRA BANK FINANSIAL SERVICES LIMITED ("the Company") which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Statement of Profit and Loss, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019, and profit/loss, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows

of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

Other matters required to be reported for NBFC

The Company was applied for registration as per the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and received a communication from Reserve Bank of India on 28.01.2005 rejecting the application for certificate of registration as an NBFC.
Further as per the directions of Reserve Bank of India vide letter dated 28.01.2005, the company has disposed off all its financial assets except certain shares which are in the physical form. However, the Company has approached Reserve Bank Of India, vide their letter dated 09.01.2008 with a request to

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने किसी भी सार्वजनिक जमा को नही स्वीकारने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है । तदनुसार कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है ।

चूंकि कम्पनी कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधि नहीं कर रही है, आय मान्यता सम्बन्धित विवेकपूर्ण मानदण्ड, लेखांकन मानकों, आस्ति वर्गीकरण तथा अवमानक और संदिग्ध ऋण इस पर लागू नहीं हैं ।

2 जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

हमने लेखा–परीक्षा के प्रयोजन से सभी आवश्यक तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त कर लिए हैं ।

(क) हमारी राय में हमारे द्वारा किए गए पुस्तिकाओं के परीक्षण से यह प्रदर्शित होता है कि कम्पनी द्वारा अभी तक विधि अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तिकाओं को उचित रूप से रखा गया है ।

(ख) तुलन–पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी को इस रिपोर्ट के साथ परीक्षित किया गया है तथा लेखा पुस्तिका अनुसार सहमति में है ।

(ग) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणी में अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 को पढ़ते हुए अनुपालना की जा रही है ।

(घ) बोर्ड के निदेशकों से प्राप्त 31 मार्च 2019 के लिखित प्रस्ताव की प्राप्ति पर जिसे बोर्ड के निदेशकों द्वारा अभिलेखित (रिकॉर्ड) किया गया है, के अनुसार 31 मार्च 2019 तक कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।

(ङ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता के सम्बन्ध में और ऐसे नियन्त्रणों की परिचालनिक प्रभावशीलता के लिए, अनुबन्ध बी पर संलग्न हमारी पृथक रिपोर्ट का सन्दर्भ लें; तथा

(च) लेखा परीक्षा रिपोर्ट मे शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के सम्बन्ध में कम्पनियों (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के नियम 2014 के नियम 11 की सहमति में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) कम्पनी ने लम्बित मुकद्दमों का वित्तीय स्थिति पर असर वित्तीय विवरणी में प्रकट किया है । –वित्तीय विवरणी के अनुबन्ध सी का सन्दर्भ लें ।

ii) कंपनी ने कोई प्रत्याशित हानि हेतु लागू नियम अथवा खाता मानकों के अनुसार प्रावधान किया है ।

iii) कंपनी निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि के लिए किसी राशि अंतरण के लिए अपेक्षित नहीं है ।

हम निम्न अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अनुदेश रिपोर्ट करते हैं :

1. कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रसंस्करण करने के लिए प्रणाली है।

2. लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा का धारण नहीं की है। अतः कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए वर्तमान ऋणों की पुनर्रचना या छूट के मामले में/ ऋणों की बट्टा खाता में डालना/ ऋण/ ब्याज आदि नहीं है।

3. वर्ष के दौरान कंपनी केंद्र/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए निधि धन या प्राप्य राशियां नहीं प्राप्त किया है।

घंटासला एवं कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000921S

(सीए हुँमायु शेख)
साझेदार
सदस्यता सं:. 217227

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 24.04.2019

treat the company as Non Bank Non Financial Institution. In response to this Reserve Bank of India replied on 05.12.2008 stating that it has taken the contents mentioned on record.
The Board of Directors of the Company has passed a resolution for non acceptance of any public deposits. Accordingly the Company has not accepted any public deposits during the financial year.
As the Company is not carrying out any non banking financial activities, the prudential norms relating to the income recognition, accounting standards, asset classification and provision of bad and doubtful debts are not applicable to it.

As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(a) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

(b) the balance sheet, the statement of profit and loss and the cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

© in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

(d) on the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2018 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2018 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

(e) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B"; and

(f) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of Companies (Audit and Auditors) Rules,2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) the Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. – Refer Annexure C to the financial statements.

(ii) the Company has made provisions wherever applicable as per law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any.

(iii) The Company is not required to transfer any amount to the Investor Education and Protection Fund.

We report on Directions u/sec 143(5) of the Companies Act,2013 as under

1. The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system.

2. The Company has not carried out any Non Banking Financial Services during the year under audit. Hence, there is no restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts/ loans / interest etc made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan.

3. The Company has not received any funds or receivable for specific schemes from Central / State agencies during the year.

for GHANTASALA & Co.
Chartered Accountants
Firm's registration number: 000921S

HUMAYUN SHAIK
Partner
Membership number: 217227
Hyderabad
Date:24.04.2019

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध – ए

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणी पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु संदर्भित अनुबंध, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) (क) कंपनी पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड रख रही है, जिसमें मात्रात्मक विवरण तथा अचल आस्तियों की स्थिति सम्मिलित है ।

(ख) कंपनी अपने अचल आस्तियों की भौतिक जाँच के लिए नियमित कार्यक्रम कर रही है जिसके द्वारा भौतिक आस्तियों की चरणबद्ध तरीके से जाँच की जाती है । इन कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान अचल आस्तियों की जाँच की गई थी तथा ऐसी जाँचों में कोई विसंगति नहीं पाई गई थी । हमारी राय में, भौतिक जाँच की यह आवधिकता कंपनी का आकार तथा इनके आस्तियों की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त है ।

(ii) कंपनी के पास मूर्त रूप में शेयर का स्टॉक है । प्रबंधन द्वारा, उचित अंतराल पर स्टॉक की भौतिक रूप से जाँच की गई है तथा कोई विसंगतियां नहीं पाई गई थी ।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 189 के अंतर्गत रखा गया रजिस्टर में कवर किए गए व्यक्तियों के लिए कोई ऋण स्वीकृत नहीं की है । अतः आदेश का पाराग्राफ 3(iii) कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

(iv) कंपनी के पास कोई ऋण तथा निवेश नहीं है । अतः आदेश का यह खंड 3(iv) लागू नहीं है ।

(v) कंपनी ने आम नागरिक से कोई जमाएं स्वीकृत नहीं की है ।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवाएं हेतु अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड की रखरखाव निर्धारित नहीं की है ।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड के हमारी परीक्षण के आधार पर, वस्तु एवं सेवा कर तथा आय कर सहित निर्विवाद सांविधिक देय के संबंध आहरित/खाता की बही में जमा की गई राशि उपयुक्त प्राधिकारियों सहित कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा की गई है ।

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, आय–कर, वस्तु एवं सेवा–कर के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए दि. 31 मार्च, 2019 को बकाया में नहीं थे ।

(viii) कंपनी के पास वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार, अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण अथवा उधार नहीं है । तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(viii) लागू नहीं है ।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (कर्ज इंस्ट्रुमेंट) तथा मीयादी ऋण द्वारा कोई राशि उगाही नहीं की है । तदनुसार, आदेश का पाराग्राफ 3(ix) लागू नहीं है ।

(x) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अथवा इनके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखा–धडी हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान सूचित अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है ।

(xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची त सहित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अनुमोदित मैनडेटेड के अनुरूप प्रबंधन लाभ हेतु भुगतान/प्रावधान किया है ।

(xii) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है । तदनुसार, आदेश का पाराग्राफ 3(xii) लागू नहीं है ।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, जहाँ भी लागू है कंपनी के रिकार्ड, पार्टियों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुसार है तथा ऐसे लेन–देन को लागू खाता मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है ।

(xiv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण अथवा आंशिक संपरिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी आबंटन अथवा निजी स्थानन नहीं किया है ।

(xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने अपने से संबंधित निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेन–देन नहीं किया है । तदनुसार, आदेश का पाराग्राफ 3(xv) लागू नहीं है ।

(xvi) पंजीकरण हेतु कंपनी का आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र सं. डीएनबीएस (एच) सीएमएस नं. 2238/एचवाईक्यू 0472/2004–5, दि. 28.01.2005 द्वारा निरस्त कर दिया था तथा कंपनी के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में व्यवसाय करने हेतु एक विशिष्ट बोर्ड संकल्प पारित करना अपेक्षित है ।

कृते घंटासला एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000921एस

(सीए हुँमायु शेख)
साझेदार
सदस्यता सं:. 217227

स्थान: हैदराबाद
दिनांक

Annexure - A to the Auditors' Report

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended 31 March 2018, we report that:

(i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets

(b) The Company has a regular programme of physical verification of its fixed assets by which fixed assets are verified in a phased manner. In accordance with this programme, fixed assets were verified during the year and no discrepancies were noticed on such verification. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets.

(ii) The Company has stock of Shares in Physical form. The physical verification of stock has been conducted at reasonable intervals by the Management and no discrepancies were noticed.

(iii) The Company has not granted any loans to persons covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013 ('the Act'). Hence paragraph 3(iii) of the Order is not applicable to the Company.

(iv) The Company does not have any loans and investments. Hence this clause 3 (iv) of the Order is not applicable.

(v) The Company has not accepted any deposits from the public.

(vi) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Act, for any of the services rendered by the Company.

(vii) (a)According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/ accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including service tax, and income tax have been regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities.

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of income tax, service tax, were in arrears as at 31st March 2018 for a period of more than six months from the date they became payable.

(viii) The Company does not have any loans or borrowings from any financial institution, banks, government or debenture holders during the year. Accordingly, paragraph 3(viii) of the Order is not applicable.

(ix) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, paragraph 3 (ix) of the Order is not applicable.

(x) According to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.

(xi) According to the information and explanations give to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has paid / provided for managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of Sec 197 read with Schedule V to the Companies Act, 2013.

(xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

(xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) According to the information and explanations give to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.

(xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

(xvi) The Company's application for registration was rejected by Reserve Bank of India vide their letter No. DNBS (H) CMS No.2238/ HYQ 0472/2004-05, dated 28.01.2005 and required the company to pass a specific Board Resolution for not to carry on the business as Non Banking Financial Institution.

for GHANTASALA & Co.
Chartered Accountants
Firm's registration number: 000921S

(CA HUMAYUN SHAIK)
Partner
Membership number: 217227
Hyderabad
Date:24.04.2019

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध – 'बी'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 का उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दि.31 मार्च 2019 को आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा सम्मिलित है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सानदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर निर्देशात्मक नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव तथा स्थापित करने हेतु जिम्मेदार है । इन जिम्मेदारियों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाईन, कार्यान्वयन, तथा रखरखाव सम्मिलित है, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित, कंपनी की नीतियों के पालन को सम्मिलित करते हुए, अपने व्यवसाय का उचित तथा कुशलता पूर्वक करना, अपनी आस्तियों का संरक्षण, रोकथाम तथा धोखाधडी तथा त्रुटी की पहचान, खाता रिकार्ड की पूर्णता तथा सटीकता, तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की यथासमय तैयारी को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालन किए जा रहे थे ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है । हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग (निर्देशात्मक टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर निर्देशात्मक टिप्पणी के अनुसार की है तथा यह भारतीय सानदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है । उन मानकों तथा निर्देशात्मक नोट में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षताओं तथा योजना का पालन करें तथा समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा ऐसे नियंत्रण सभी संबंधित विषय में प्रभावी रूप से था ।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग तथा उसके प्रभावी परिचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन पद्धति सम्मिलित है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा–परीक्षा में वस्तु दुर्बलता की वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम के मूल्यांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक व्याख्या प्राप्त करना सम्मिलित है तथा जाँच की गई जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी परिचालन तथा डिजाईन की जाँच तथा मूल्यांकन है । चयनित पद्धति वित्तीय विवरणों का विषय संबंधित गलत–सूचना के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है कि यह धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण है ।

हमें विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत हेतु हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उपयुक्त तथा समुचित आधार प्रदान करती है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समान्यतः स्वीकृत खाता सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निर्मित एक प्रणाली है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां भी सम्मिलित हैं जो

(1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हो, कि युक्तिसंगत विवरण में, लेन–देन तथा कंपनी की आस्तियों का निपटान सटीकता पूर्वक तथा उचित रूप से प्रदर्शित करता हो; (2) युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करता है कि लेन–देन साधारणतया स्वीकृत खाता सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के अनुमोदन के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया हो, तथा कंपनी की प्राप्तियाँ तथा व्यय कंपनी के निदेशकों तथा प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया गया हो; तथा (3) कंपनी की आस्तियों के निपटान अथवा प्रयोग, अप्राधिकृत अधिग्रहण की यथासमय पहचान अथवा रोकथाम से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करता हो ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण, मिलिभगत की संभावनाओं अथवा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अवहेलना सहित, त्रुटि अथवा धोखाधडी के कारण गलत सूचना हो सकती है तथा उसकी पहचान नहीं हो पाई है । भविष्य अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कोई मूल्यांकन का प्रदर्शन भी जोखिम भरा है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, अथवा कि नीतियों अथवा पद्धतियों की अनुपालन की स्थिति बिगड सकती है ।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी विषयों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर निर्देशात्मक टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मापदंड पर आधारित दि.31 मार्च 2019 को प्रभावी रूप से परिचालित हो रहे थे ।

घंटासला एवं कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000921S

(सीए हुँमायु शेख)
साझेदार
सदस्यता सं:. 217227

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 24.04.2019

Annexure - B to the Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Andhra Bank Financial Services Limited ("the Company") as of 31 March 2019 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is suufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

for GHANTASALA & Co.
Chartered Accountants
Firm's registration number: 000921S

HUMAYUN SHAIK
Partner
Membership number: 217227
Hyderabad
Date:24.04.2019

विधि मामलों पर आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध सी

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की उपलब्ध रिकार्ड की हमारी परीक्षण के आधार पर, कंपनी के पास वर्ष के दौरान निम्नलिखित लम्बित विधिक/विवाचन मामले हैं।

I. सिविल वाद

क्र.सं	विवरण	स्थिति
1.	तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एवं पेपर्स लिमिटेड (टीएनपीएल) विरूद्ध आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड – सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की सिविल अपील सं. 2291–2292	i. टीएनपीएल ने 1992 के प्रतिभूति लेन–देन में 24% ब्याज का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में एक सिविल वाद दाखिल किया। मद्रास उच्च न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने 24% की जगह पर 12% प्रति–वर्ष ब्याज हेतु आदेश दिया । ii. ब्याज के नामंजूर भाग से व्यथित टीएनपीएल ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष अन्य अपील (309/01) दाखिल करना उचित समझा । iii. वाद की डीक्री से व्यथित, कंपनी ने अन्य अपील (328/01) दाखिल की जिसे मद्रास उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा स्वीकृत किया गया । iv. टीएनपीएल द्वारा की गई ओएसए सं. 309/01 दि. 21.01.2010 को निरस्त कर दिया गया तथा कंपनी द्वारा दाखिल ओएसए 328/01 को आंशिक अनुमति दी गई । निर्णय के अनुसार कंपनी दि. 02.04.2001 से टीएनपीएल को प्राप्ति तिथि तक 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ रु. 880412 भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है । v. कथित आदेश से व्यथित टीएनपीएल ने माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2010 की एसएलपी (सी) सं. 11659–11660 दाखिल की तथा दि. 01.03.2001 को अवकाश मंजूर किया गया । वाद नियमित सुनवाई हेतु नहीं आया था । vi. दि. 05.04.2010 को कंपनी ने उच्च न्यायालय आदेश के अनुसार टीएनपीएल को देय राशि के समायोजन के पश्चात लागू ब्याज सहित मद्रास उच्च न्यायालय (रु.1.42 करोड) में जमा की गई राशि की धन–वापसी हेतु मद्रास उच्च न्यायालय में वर्ष 2010 की अपील सं. 2718 दाखिल की । तदनुसार दि. 29.09.2010 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर विचार किया गया तथा टीएनपीएल को दि. 08.10.2010 से पूर्व कंपनी को राशि का भुगतान करने हेतु आदेश दिया गया । vii. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दि. 29.09.2010 के उक्त आदेश से व्यथित, टीएनपीएल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया तथा न्यायालय ने कंपनी को देय राशि की जमा की शर्त पर दि. 07.10.2010 को टीएनपीएल के लिए अंतरिम रोक स्वीकृत की । viii. कंपनी द्वारा दाखिल 2010 की अपील सं.2718 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय में टीएनपीएल द्वारा कुल राशि रु.2.51 करोड जमा करने पर दि. 27.10.2010 को बंद कर दिया गया था । तथापि, टीएनपीएल ने अपने पत्र दिनांक 31.01.2018 द्वारा न्योयालय निपटान से बाहर आने हेतु अपनी इच्छार प्रकट की है । बोर्ड इस सम्ब न्धर में उचित कदम उठाने हेतु प्रक्रीयाधीन है ।

ANNEXURE C referred to in our Report of even date to the members of Andhra Bank financial Services Limited on the legal matters.

According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the available documents, the Company has the following legal / arbitration cases pending during the year.

I. CIVIL SUITS

SL.NO.	PARTICULARS	STATUS
1.	Tamilnadu News Print & Papers Ltd (TNPL) Vs Andhra Bank Financial Services Ltd – Civil Appeal No.2291-2292 of 2011 before Supreme Court	1. Tamilnadu News Print & Papers Ltd (TNPL) Vs Andhra Bank Financial Services Ltd – Civil Appeal No.2291-2292 of 2011 before Supreme CourtI, TNPL filed a civil suit in the High Court, Madras claiming interest at 24% in the security transactions of 1992. Division Bench of Madras High Court gave an order for interest at 12% p.a instead of 24% ii. Aggrieved by the disallowance portion of interest TNPL had preferred other side appeal (309/01) before Division Bench of Madras High Court. iii. Aggrieved by the decree of the Suit, the Company preferred other side appeal (328/01) which was admitted by Division Bench of Madras High Court iv. On 21.01.2010 the OSA No. 309/01 preferred by TNPL was dismissed and partly allow OSA 328/01 preferred by the Company. As per the judgment the Company is liable to pay Rs.880412 along with interest @12% p.a. from 02.04.2001 to till the date of realization to TNPL. v. Aggrueved by the said Order TNPL filed SLP © No,11659-11660 of 2010 before Hon'ble Supreme Court of India and Leave was granted on 01.03.2001. The suit was not come up for regular hearing. vi. On 05.4.2010 the Company has filed a petition No.2718 o f 2010 in Madras High Court for refund of money deposited earlier in the Madras High Court (Rs.1.42 Crore) along with applicable interest after adjusting the money payable to TNPL as per High Court Order. Accordingly the petition was considered by Madras High Court on 29.09.2010 and ordered the TNPL to pay the amount to the Company before 08.10.2010 . vii. Aggrieved by the said order on 29.09.2010 by Madras High court, TNPL moved to the Hon'ble Supreme Court and the Court granted interim stay to TNPL on 07.10.2010 subject to deposit of amount payable to the Company. viii. The petition No.2718 of 2010 filed by the Company was closed on 27.10.2010 on deposit of a sum of Rs.2.51 Crore by TNPL in Madras High Court as per the directions of the Hon'ble supreme Court. However, the TNPL has informed its willingness for out of court settlement vide their letter dated 31.01.2018. The Board has in the process of taking appropriates steps in this regard.

II. **श्रम वाद**

क्र.सं	विवरण	स्थिति
1.	केंद्र सरकार औद्योगिक ट्रिबुनल (सीजीआईटी), हैदराबाद के समक्ष अपील	दि. 23.03.2011 को एक व्यक्ति जिन्होंने कंपनी में अंशकालिक आधार पर कार्य किया था, आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं को एक प्रति देते हुए आन्ध्रा बैंक में नियोजन हेतु एक शिकायत दाखिल की । उनके नियोजन हेतु आवेदन को आन्ध्रा बैंक में अस्वी कृत किया गया था चूँकि इसका आन्ध्रा बैंक के साथ करार का कोई संबंध नहीं है । अब उन्होंने सीजीआईटी

II. **आय कर अपील**

निर्धारण वर्ष	उच्च न्यायालय अपील सं.	दिनांक	टिप्पणी
1993-94	आईटीटीए 320/2006	25.07.2006	आईटीएटी, हैदराबाद के आदेशों के विरूद्ध कंपनी द्वारा कुल सात अपील में से एक अपील पहले ही दि.29.12.2005 को स्वीकृत की गई थी तथा निर्धारण वर्ष 1994-95, 1995-96, तथा 1996-97 से संबंधित अन्य तीन अपील दि. 24.07.2013 को स्वीकृत तथा सुनवाई की गई थी तथा निर्धारण वर्ष 1993-94, 1997-98 तथा 1999-00 से संबंधित शेष तीन को स्वीकृत किया जाना है । इन मामलों को नियमित सुनवाई हेतु लिया जाना है ।
1994-95	आईटीटीए 425/2005	22.10.2005	
1995-96	आईटीटीए 114/2012	11.09.2006	
1995-96	आईटीटीए 445/2005	22.10.2005	
1996-97	आईटीटीए 424/2005	22.10.2005	
1997-98	आईटीटीए 229/2007	02.07.2007	
1999-00	आईटीटीए 228/2007	02.07.2007	

क्रमांक	विवरण	स्थिति
1.	कर विभाग द्वारा दाखिल ब्याज कर अपील	दि. 04.10.2002 को आय-कर विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत ब्याज कर से संबंधित आईटीएटी, हैदराबाद न्यायपीठ के आदेशों के विरूद्ध निर्धारण वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 हेतु दो अपील दाखिल कीं । आय कर विभाग किराया खरीद एवं पट्टे लेन-देन को ऋण के रूप में मान रहा है तथा किराया खरीद एवं पट्टे लेन-देन से प्राप्त किराया तथा ब्याज आय कर अभिप्राय के अंतर्गत रखा गया था । आईटीएटी तक निर्णय कंपनी के पक्ष में था । तथापि, विभाग अपील के लिए उच्च न्यायालय में गया । अब विभाग द्वारा दाखिल अपील न्यायालय में स्वीकृत की गई थीं तथा सुनवाई हेतु अभी तक नहीं आई है ।

घंटासला एवं कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000921S

(सीए हुँमायु शेख)
साझेदार
सदस्यता सं:. 217227

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 24.04.2019

II. LABOUR SUITS

SL.NO.	PARTICULARS	STATUS
1.	Appeal before the Central Govt Industrial Tribunal (CGIT), Hyderabad	On 23.03.2011 one person who worked on a temporary basis in the Company has filed a complaint seeking employment in the Andhra Bank with a copy to Andhra Bank Financial Services Ltd. His application for employment was rejected in the Andhra Bank since there is no privity of contract with Andhra Bank. Now he has filed an appeal before CGIT

III. INCOME TAX APPEALS

Asst Year	High Court Appeal No.	Date	Remarks
1993-94	ITTA320/2006	25.07.2006	Out of the total seven appeals filed by the Company against the orders of the ITAT, Hyderabad one appeal was already admitted on 29.12.2005 and other three appeals relating to the Asst Years 1994-95,1995-96 and 1996-97 were heard and admitted on 24.07.2013 and the remaining three have to be admitted relating to the Asst Years 1993-94,1997-98 and 1999-00. These cases have yet to come up for regular hearing.
1994-95	ITTA 425/2005	22.10.2005	
1995-96	ITTA 114/2012	11.09.2006	
1995-96	ITTA 445/2005	22.10.2005	
1996-97	ITTA 424/2005	22.10.2005	
1997-98	ITTA 229/2007	02.07.2007	
1999-00	ITTA 228/2007	02.07.2007	

SL.NO.	PARTICULARS	STATUS
1.	Interest Tax appeals filed by the Tax Department	On 04.10.2002 Income Tax department filed two appeals for Asst Year 1996-97 & 1997-98 against the Orders of the ITAT, Hyderabad Bench relating to the interest Tax which was admitted by the High Court. The Income Tax department treating the Hire Purchase & Leasing transactions is as loans and the interest & rentals received from the Hire Purchase and leasing transactions were considered under Interest Tax purview. The judgment up to the ITAT was in favour of the Company. However, the department went on appeal to High court. Now the appeals filed by the department were admitted in the Court and not yet come up for hearing.

for GHANTASALA & Co.
Chartered Accountants
Firm's registration number: 000921S

HUMAYUN SHAIK
Partner
Membership number: 217227
Hyderabad
Date:24.04.2019

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में सदस्य गण,

निदेशकों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा–परीक्षित खातों के विवरण सहित कंपनी की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तु त करते हुए प्रसन्नतता है ।

1. दिनांक 31.03.2019 को समाप्तै वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विशिष्टिताओं का सार निम्ने प्रस्तुत किया जाता है :

(रु.लाखों में)

विवरण	2018-19	2017-18
सकल आय	160.75	185.91
ब्याज एवं मूल्य ह्रास के पूर्व लाभ	127.04	169.88
वित्त प्रभार	शून्य	शून्य
सकल लाभ	127.04	169.88
मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	0.00	0.00
कर के पूर्व निवल लाभ	127.04	169.88
कर हेतु प्रावधान	35.24	46.77
आगे लाये गये लाभ का शेष	91.80	123.11
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष	91.80	123.11
इक्विटी शेयरों पर प्रस्ता वित लाभांश	शून्य	शून्य
प्रस्तावित लाभांश पर कर	शून्य	शून्य
साधारण आरक्षण को अंतरण	शून्य	शून्य
तुलन पत्र को लिए गये अधिशेष	91.80	123.11

आय मुख्य त: बैंक जमाओं पर ब्या ज है । कंपनी ने मूल्यिह्रास एवं आय कर हेतु प्रदान करने के पश्चा त वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 91.80 लाख लाभ अर्जित किया । कंपनी के पास अभी भी दि.31.03.2019 को रु. 480.56 लाख संचित हानि है (2017-18 में रु. 572.36 लाख)

2. **वित्ती.य विवरणों की तिथि के पश्चौत की घटनाएँ :** दिनांक 31 मार्च एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्ती्य स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वचपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं ।

3. **व्व्यसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो : व्यावसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है ।**

4. **लाभांश : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है ।**

5. **बोर्ड की बैठक : निदेशक मंडल ने इस वित्ती8य वर्ष के दौरान निम्नब तिथियों में 6 बैठकें की हैं :**

   1) 18.05.2018 2) 12.06.2018 3) 02.08.2018

   4) 14.09.2018 5) 08.01.2019 6) 27.03.2019

   लेखा परीक्षा समिति बैठक : इस वित्तीडय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक दिनांक 18-05-2018 को हुई ।

6. **निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :**
   वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्तियाँ, पदनामों में परिवर्तन तथा निदेशकों एवं केएमपी के पदत्यीग के विवरण निम्नीलिखित हैं ।

   नियुक्तियाँ :
   कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री श्यामल घोष राय (डीआईएन 008325657) एवं श्री एस वी एस सुन्दर प्रसाद (डीआईएन 008304477) को दिनांक 27.03.2019 से कंपनी के अतिरिक्त 3 निदेशक के रूप में नियुक्तो किया गया है

   पदनाम में परिवर्तन श्री अजित कुमार रथ जिन्हें दिनांक 26.09.2017 को अतिरिक्त निदेशक तथा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, दिनांक 31.08.2018 को हुई वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में नियमित कर दिया गया था । श्री कृष्णान मूर्ति वी वारणासी (डीआईएन 0007990428) तथा श्री के टी वेणु माधव (डीआईएन सं. 08045470) तथा श्री एम सत्य नारायण रेड्डी (डीआईएन सं. 0007929481) को दि. 20.01.2018 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नियुक्ती किया गया था, दिनांक 31.08.2018 को हुई वार्षिक सामान्य बैठक में नियमित कर दिया गया था ।

BOARD'S REPORT

To the Members,

The Directors have pleasure in presenting before you the 28 th Annual Report of the Company together with the Audited Statements of Accounts for the year ended 31st March, 2019.

1. **The Financial Highlights of the Company for the year ended 31.03.2019 is summarized as below:**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19	2017-18
Gross Income	160.75	185.91
Profit before interest and Depreciation	127.04	169.88
Finance Charges	Nil	Nil
Gross profit	127.04	169.88
Provision for Depreciation	0.00	0.00
Net Profit before Tax	127.04	169.88
Provision for Tax	35.24	46.77
Balance of Profit Brought forward	91.80	123.11
Balance available for appropriation	91.80	123.11
Proposed Dividend on Equity Shares	Nil	Nil
Tax on Proposed Dividend	Nil	Nil
Transfer to General Reserve	Nil	Nil
Surplus Carried to Balance Sheet	91.80	123.11

The Income mainly consists of interest on Bank Deposits. The Company earned a profit of ₹91.80 lakhs during the year 2018-19 after providing for depreciation and income tax. The Company has still an accumulated loss of ₹ 480.56 lakhs as on 31.03.2019 (₹ 572.36 lakhs in 2017-18)

2. **EVENTS SUBSEQUENT TO THE DATE OF FINANCIAL STATEMENTS:** There are no material changes and commitments affecting Financial position of the Company between 31st March and the date of Board's report.

3. **CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY:** There is no Change in the Nature of the Business.

4. **DIVIDEND:** No dividend is recommended during the Financial Year 2018-19.

5. **BOARD MEETINGS:** The Board of Directors met 6 times during this financial year on the following dates:
1) 18-05-2018 2) 12-06-2018 3) 02-08-2018
4) 14-09-2018 5) 08-01-2019 6) 27-03-2019
Audit Committee Meetings: The Audit committee met one time during this financial year on 18-05-2018

6. **DIRECTORS AND KEY MANANGERIAL PERSONNEL;**
Following are the particulars of appointments, changes in designations and resignations of the Directors and KMP during the financial year.

Appointments:

Pursuant to the provisions of Section 160 of the Companies Act 2013, Shri.Syamal Ghosh Ray(Din 008325657), & Shri S.V.S.Sundara Prasad(Din 008304477) were appointed as Additional Directors of the Company w.e.f. 27.03.2019.

Change in Designation:

Shri.Ajit Kumar Rath (Din No.06710946) who was appointed as additional director and chairman on 26.09.2017 was regularized as Director and Chairman at Annual General meeting held on 31.08.2018. Shri Krishnamurthy V Varanasi (Din No.0007990428) and Shri K T Venu Madhav(Din No.08045470) and Shri M Satyanarayana Reddy (Din No. 0007929481) who were appointed as additional Directors on 20.01.2018 were regularized as Directors at Annual General Meeting held on 31.08.2018

Resignations:

Shri VB Bhagavathi (Din No06806566) Dirctor who has been on the Board since 22.01.2014 resigned from the Board on account of his superannuation from Andhra Bank's Service as General Manager, and the same was accepted w.e.f 01.04.2018 .

पदत्याग :

श्री वी बी भागवती (डीआईएन सं 06806566) निदेशक जो दि. 22.01.2014 से बोर्ड में थे, महा प्रबंधक के रूप में आन्ध्राब बैंक की सेवा से अपनी अधिवर्षता के कारण पदत्याणग किया एवं इसे दि. 01.04.2018 को स्वीकृत किया गया ।

श्री के रायर (डीआईएन सं. 08045470) निदेशक जो दि. 20.01.2018 से बोर्ड में थे, महा प्रबन्धबक के रूप में आन्ध्राध बैंक की सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेनिवृत्ति के कारण पदत्यासग किया एवं इसे दि. 13.04.2018 को स्वीकृत किया गया ।

श्री कृष्णमूर्ति वी वाराणासी (डीआईएन सं. 007990428) निदेशक जो दि. 20.01.2018 से बोर्ड में थे, महा प्रबन्ध क के रूप में आन्ध्रा बैंक की सेवा से अपनी अधिवर्षता के कारण पदत्यादग किया एवं इसे दि. 01.11.2018 को स्वीकृत किया गया ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत स्वरतंत्र निदेशकों से घोषणापत्र पर विवरण कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

विशेष संकल्पम द्वारा द्वितीय अवधि हेतु स्व तंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर धारा 149(10) के अंतर्गत प्रकटीकरण कंपनी पर लागू नहीं है ।

7. निदेशकों के दायित्व विवरण :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में निदेशक एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि :

(क) वार्षिक खाते तैयार करने में, महत्वेपूर्ण अनुष्ठानों के संबंध में सही स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियाँ चुनी हैं एवं उनको निरंतर लागू की हैं एवं इनका युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण होने का निर्णय एवं अनुमान किया है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि का सही एवं निष्पीक्ष सर्वेक्षण किया जा सके;

(ग) इस अधिनियम के अनुसार, निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की रक्षा करने के लिए एवं धोखाधडी एवं अन्यग अनियमितताएँ रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्तत लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए पर्याप्तं सावधानी बरती है;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक खाते विचाराधीन आधार पर तैयार किया है; एवं कंपनी पर खंड (ङ) लागू नहीं है ।

(च) निदेशकों ने लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सही पद्धतियों को तैयार किया है एवं ऐसी पद्धतियाँ पर्याप्तक एवं सक्षमता से परिचालित हैं।

8. वार्षिक विवरणियों का सार :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) अपेक्षित अनुसरण के अनुसार फार्म संख्यांो एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणियों का सार अनुबंध । के रूप में संलग्ना है ।

9. लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने मेसर्स घंटासला एवं कं., सनदी लेखाकार, हैदराबाद को वित्तीअय वर्ष 2018-19 हेतु कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है । कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधान कंपनी पर लागू हैं ।

10. सचिवालय मानकों का अनुपालन

निदेशकों ने सभी लागू सचिवालय मानकों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उचित सिस्ट म तैयार किया है तथा ऐसे सिस्ट म पर्याप्तो तथा प्रभावपूर्ण रूप से परिचालन में हैं ।

11. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी की खपत एवं विदेशी विनिमय व्यपय का संरक्षण :

कंपनी (लेखा) नियम 2014 की धारा 134 (3) (एम) नियम 8 के अंतर्गत प्रकटीकरण की अपेक्षा के अनुसार ऊर्जा, प्रौद्योगिकी की खपत एवं विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यकय के संरक्षण के संबंध में ब्यौकरा या तो शून्य, है या लागू नहीं है ।

12. जमाओं से सम्बमन्धित विवरण :

चूँकि कंपनी कोई जमाएँ स्वीकार नहीं करती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73, 74 एवं 76 एवं कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 (5) (त) की अपेक्षाएँ लागू नहीं हैं ।

13. विनियामकों द्वारा पारित सार्थक एवं महत्वपूर्ण आदेश :

निरंतरता की स्थिति एवं भविष्यै में कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों, न्या यालयों एवं न्यायाधिकरण द्वारा कोई सार्थक महत्वंपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है ।

Shri. K Rayar (Din No.0.8045470) Director who has been on the board from 20.01.2018 resigned from the Board on account of his Voluntarily retirment from Andhra Bank's Service as General Manager and the same was accepted w.e.f 13.04.2018.
Shri Krishnamurthy V Varanasi (Din No.007990428) Director who has been on the board from 20.01.2018 resigned from the Board on account of his superannuation from Andhra Bank's Service as General Manager and the same was accepted w.e.f 01.11.2018.

Statement on declaration from Independent Directors under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company
Disclosure u/s 149(10) on appointment of independent directors for the second term by way of special resolution is not applicable to the Company

7. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In pursuance of section 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors hereby confirm that:

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

Clause (e) is not applicable to the company

(f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

8. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:

As required pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of annual return in Form No. MGT 9 is enclosed as ANNEXURE I

9. AUDITORS; The Comptroller & Auditor General of India has appointed M/s Ghantasala & Co, Chartered Accountants, Hyderabad as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2018-19. The provisions of Sections 139 and 143 of the Companies Act, 2013 are applicable to the Company.

10. COMPLIANCE TO SECRETARIAL STANDARDS

The Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable Secretarial Standards and that such systems are adequate and operating effectively.

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तहता का विवरण :

कंपनी के पास, अपनी आस्तियों की रक्षा करने, धोखाधड़ी एवं अन्यी त्रुटियाँ रोकने एवं पता लगाने, लेखा रिकार्डो की सटीकता एवं संपूर्णता एवं विश्वंसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने के लिए, अपने परिचालनों के सुव्यरवस्थित एवं सक्षम आयोजन, कंपनी की नीतियों का पालन सूनिश्चित करने के लिए सक्षम आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है ।

15. ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीनय वर्ष के दौरान किसी व्क्ति या निकाय कॉर्पोरेट को कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है और न ही किसी निकाय कॉर्पोरेट में निवेश किया है ।

16. जोखिम प्रबंधन नीति :

कंपनी तिमाही आधार पर जोखिम प्रोफाइल टेंपलेट प्रस्तुनत करते हुए अपने मूल संगठन के साथ सही रिपोर्टिंग सिस्टम बनाए रखता है ।

17. संबंधित पार्टी लेनदेन :

धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पार्टी के साथ किए गए करार अथवा व्यवस्था के विवरण शून्य अथवा लागू नहीं है ।

18. प्रत्येक निदेशक को पारिश्रमिक अनुपात :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।

19. कंपनी को नियंत्रित संबद्ध कानून द्वारा अपेक्षित उद्योग आाधारित प्रकटीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), जो जनता के जमाओं की स्वीकृति/धारित करती हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि को प्रथम अनुसूची द्वारा विवरणी फाइल करनी है.। एनबीएफसी, जो जनता के जमाओं की स्वीकृति नहीं करते हैं, को निदेशक बोर्ड की बैठक में संकल्प लेना है तथा बाद में अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 30 दिन के अंदर संकल्प लेना होगा । हमारी कंपनी ने कंपनी ने जनता के सभी जमाओं का भुगतान किया तथा शेष राशि 'शून्य' है एवं कंपनी वर्ष के दौरान जनता के जमाओं की स्वीकृति नहीं कर रही है तथा जनता के जमाओं की स्वीकृति नहीं करेगी । कंपनी वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जनता के जमाओं की स्वीकृति नहीं करेगी ।

20. कर्मचारियों के विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5 के अनुसरण में, कोई कर्मचारी जहाँ वह वर्ष में आंशिक रूप से कार्यरत है, रु. 60,00,000/– प्रति वर्ष अथवा अधिक या रु. 5,00,000/– प्रति माह अथवा अधिक का पारिश्रमिक नहीं ले रहा है ।

आभार :

निदेशक कंपनी को सहयोग, सहायता एवं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक तथा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक को धन्यवाद देते हैं । निदेशक मूल बैंक याने आन्ध्रा बैंक के सहयोग एवं दिशा–निर्देश हेतु आभार प्रकट करते हैं । बोर्ड निदेशकों के कार्यकाल के दौरान बोर्ड में उनकी सेवाओं तथा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की भी प्रशंसा करता है ।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 24.04.2019

(अजित कुमार रथ)
अध्यश्र

11. **CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE OUTGO:**
The particulars relating to Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and outgo, as required to be disclosed under Section 134 (3) (m) Rule8 of Companies (Accounts) Rules, 2014 are either NIL or are not applicable.

12. **DETAILS RELATING TO DEPOSITS:**As the Company is not accepting any deposits, the requirements of Sections 73, 74 ,& 76 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(5) (v) of Companies (Accounts) Rules 2014 are not applicable.

13. **SIGNIFICANT & MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS:**There are no significant material orders passed by the regulators and Courts or Tribunals impacting the going concern status and the company's operations in future.

14. **DETAILS OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS:** The Company has effective internal financial controls that ensure orderly and efficient conduct of its operations, adherence to the company's policies , safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation of reliable financial information.

15. **PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS:** The Company has not given any loan or guarantee to any person or body corporate nor invested in any body corporate during the financial year pursuant to Section 186 of Companies act 2013.

16. **RISK MANAGEMENT POLICY:**The Company is maintaining proper reporting system with its Parent organization by submitting risk profile template on quarterly basis.

17. **RELATED PARTY TRANSACTIONS:** The particulars relating to contracts or arrangements with related parties referred to in section 188(1) are either nil or not applicable

18. **RATIO OF REMUNERATION TO EACH DIRECTOR:** Provisions relating to Section 197(12) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

19. **INDUSTRY BASED DISCLOSURES AS MANDATED BY THE RESPECTIVE LAWS GOVERNING THE COMPANY:**
As per the directions of Reserve Bank of India, Non Banking Financial Companies (NBFCs) accepting / holding Public Deposits have to file Return in First Schedule as on the date of closure of every financial year.

    NBFCs not accepting public deposits should pass a resolution in the Board of Directors` meeting and thereafter within 30 days of the commencement of the next financial year to the effect

    Our company has repaid all the public deposits and the outstanding is 'Nil' and the company is not accepting public deposits nor would accept public deposits during the year. The Company will not accept the deposits from the public during Financial Year 2018-19.

20. **Particulars of Employees:**
Pursuant to Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration Managerial Personnel) Rule 2014 of the Companies Act,2013, there are no employees who are in receipt of remuneration of ₹60,00,000/- or more per annum or ₹5,00,000/- or more per month where employed for a part of the year.

ACKNOWLEDGEMENTS:
The Directors thank Reserve Bank of India and Comptroller & Auditor General of India for their valuable guidance, support and cooperation to the Company. The Directors gratefully acknowledge the support and direction provided by the parent bank i.e, Andhra Bank. The Board further places on record its appreciation for the services rendered and valuable guidance provided by the directors during their tenure on the Board.

For and on behalf of Board of Directors

Place: Hyderabad
Date: 24.04.2019

(Ajit Kumar Rath)
Chairman
Andhra Bank Financial Services Ltd.,

अनुबंध – I

फार्म सं. एमजीटी–9

दि. 31.03.2019 को समाप्त वित्ती य वर्ष के वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण एवं अन्य1 विवरण:

i) सीआई एन :–यु 65910टीजी1991पीएलसी012376

ii) पंजीकरण तिथि : 25.02.1991

iii) कंपनी का नाम : आन्ध्रा0 बैंक वित्ती य सेवाएं लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी : सार्वजनिक लिमिटेड

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण :

vi) 4–5–1 से 23, आन्ध्रां बैंक भवन, सुल्ता न बाजार, कोठी, हैदराबाद – 500095

vii) क्या– सूचीबद्ध कंपनी है : नहीं

viii) रजिस्ट्रा र एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो : लागू नहीं

II. कंपनी की मूल व्यंवसाय गतिविधियाँ

कंपनी के कुल टर्नओवर का10% या अधिक प्रदान करने वाली व्यिवसाय गतिविधियाँ सूचित की जाएंगी : कंपनी में किसी भी प्रकार की मूल व्यववसाय गतिविधि नहीं है

III. धारिता, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियों का विवरण –

क्र.सं	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारिता/अनुषंगी/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	आन्ध्रा बैंक 5-9-11, डॉ. पट्टाभि भवन, सैफाबाद, हैदराबाद – 500004	लागू नहीं	धारित	100	कंपनी अिधिनयम, 2013 की 2(46)

IV. शेयर धारिता का स्वरूप (कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूंजी के आंकड़े)

i)श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रवर्तक (1) भारतीय क) व्यक्ति/ एचयुएफ		43	43			43	43		शून्य
ख)केंद्र सरकार Central ग) राज्य सरकार घ)निकाय निगम ड.) बैंक / वि सं अ न्य	शून्य	49,99,957	49,99,957	100	शून्य	49,99,957	49,99,957	100	शून्य
उप-जोड (ए) (1):-	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य

ANNEXURE - I

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31-03-2019
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the
Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN:-U65910TG1991PLCO12376

ii) Registration Date: 25.02.1991

iii) Name of the Company: ANDHRA BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

iv) Category / Sub-Category of the Company: PUBLIC LIMITED

v) Address of the Registered office and contact details:

vi) 4-5-1 TO 23,Andhra Bank Bldgs,Sultan Bazar ,Koti Hyderabad-500095

vii) Whether listed company: No

viii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any : NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:- There are no principal business activities in the Company.

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY / ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1	Andhra Bank 5-9-11, Dr. Pattabhi Bhavan, Saifabad, Hyderabad – 500004	NA	HOLDING	100	2(46) of Companies Act, 2013

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A.Promoters									
(1) Indian									
a)Individual/ HUF		43	43			43	43		NIL
b)Central Govt									
c)State Govt(s)									
d)Bodies Corp.									
e)Banks / FI	NIL	49,99,957	49,99,957	100	NIL	49,99,957	49,99,957	100	NIL
F Any Other....									
Sub-total (A) (1):-	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	अमूर्त	मूर्त	कुल	कुल शेयरों का %	
(2) विदेशी क) एनआरआई –व्यक्ति ख) अन्य व्यक्ति ग) निकाय निगम घ) बैंक / वि सं ड) अन्य उप-जोड (ए) (2):-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (ए) = (ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता 1.संस्थाएं क) म्यूच्युअल फंड ख) बैंक / वि सं ग) केंद्र सरकार घ) राज्य सरकार ड.) उपक्रम पूंजी निधि च) बीमा कंपनियाँ छ) एफआईआई ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधि झ) अन्य (स्पष्ट करें)									
उप-जोड (बी)(1):-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर-संस्थागत क)निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्ति i) 1 लाख रु तक के अधिकृत शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रु से अधिक के अधिकृत शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ग) अन्य (स्पष्ट करें) उप-जोड									
(बी)(2):-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर व एडीआर के अभिरक्षकों द्वारा रखे गए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जोड (क+ख+ग)	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य	50,00,000	50,00,000	100	शून्य

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
(2) Foreign									
a) NRIs -Individuals b) Other -Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other.... Sub-total (A) (2):-	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL
B. Public Shareholding 1. Institutions a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h)Foreign Venture Capital Funds I Others (specify)									
Sub-total (B)(1):-	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2. Non-Institutions a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh c) Others (specify) Sub-total									
(B)(2):-	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Grand Total (A+B+C)	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL	50,00,000	50,00,000	100	NIL

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भर में धारित शेयरों की संख्यार			वर्ष के अन्त में धारित शेयरों की संख्या			
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए/ ऋणग्रस्ती शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए/ ऋणग्रस्त/ शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
1	आन्ध्रा बैंक	49,99,957	100		49,99,957	100		शून्य
2	यूवीवीएल प्रसाद	3	---		3	----	----	शून्य
3	वी बी भागवती	3			3			शून्य
4	कृष्णमूर्ति वी वारणासी सुब्रमनियन	17	---		17	----		100%
5	के रायर	6	---		6	----		100%
6	के टी वेणुमाधव	5	---		5	----		100%
7	एम सत्यनारायण रेड्डी	7	---		7	----		100%
	कुल	50,00,000	100		50,00,000	100		----

(iii) **प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो, कृपया विनिर्दिष्ट करें): वित्ती-य वर्ष 2018-19 के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं है ।**

(iv) **उच्चतम दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वारूप (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर व एडीआर धारकों के अलावा):** लागू नहीं

(v) **निदेशकों एवं मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:**

सं.		वर्ष के प्रारम्भे में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येकि निदेशकों एवं केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारम्भ% में	40		12	
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ कमी, वृद्धि/ कमी का कारण विनिर्दिष्ट करते हुए (उदा. आबंटन / अन्तरण/बोनस/ स्वेउट ईक्विटी इत्यादि):	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
	वर्ष के अन्त में	40	लागू नहीं	12	लागू नहीं

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			% change in share holdingduring the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	ANDHRA BANK	49,99,957	100		49,99,957	100		NIL
3	UVVLPrasad	3			3			Nil
4	V.B. Bhagavathi	5			5			Nil
7	Krishnamurthy V Varanasi Subramanian	17			17			100%
8	K Rayar	6			6			100%
9	K T Venu Madhav	5			5			100%
11	M Satyanaryana Reddy	7			7			100%
	Total	50,00000	100		50,00,000	100		

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change): There is no change in Promoters' Shareholding during the Financial Year 2018-19

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): NA

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Directors and KMP	**No. of shares**	**% of total shares of the company**	**No. of shares**	**% of total shares of the company**
	At the beginning of the year	40		12	
	Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g.allotment / transfer / bonus/sweat equity etc):	NIL	NA	NIL	NA
	At the End of the year	40	NA	12	NA

V. ऋणग्रस्त ता

बकाया/ उपचित ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तयता जो भुगतान के लिए देय नहीं है ।

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमाराशि	कुल ऋणग्रस्त ता
वित्तीगय वर्ष के प्रारम्भय में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) भुगतान नहीं किया गया देय ब्याणज iii) देय नहीं लेकिन उपचित ब्यादज	 शून्य शून्य शून्य	 शून्य शून्य शून्य	 शून्य शून्य शून्य	 शून्य शून्य शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तिता मे परिवर्तन ह्व जोड़ ह्व घटाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीरय वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्तबता i) मूल राशि ii) भुगतान नहीं किया गया देय ब्यायज iii) देय नहीं उपचित ब्यागज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों एवं मुख्यच प्रबन्धकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबन्धं निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं/ या प्रबन्धहक का पारिश्रमिक

क्र सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक का नाम: श्री लंका प्रसन्ना				कुल राशि
		----	---	---	----	
1.	सकल वेतन क) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन ख) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) में निहित परिलब्धियों के अनुसार मूल्ये ग) अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	₹ 12.47 लाख प्रतिवर्ष शून्य शून्य				₹ 12.47 लाख प्रतिवर्ष शून्य शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य				शून्य
3	स्वेट ईक्विटी	शून्य				शून्य
4	कमीशन लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य				शून्य
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट कर	शून्य				शून्य
	कुल (ए)					₹12.47 लाख प्रतिवर्ष
	अधिनियम के अनुसार उच्च तम सीमा	₹ 30 लाख प्रतिवर्ष				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Nil Nil Nil	Nil Nil Nil	Nil Nil Nil	Nil Nil Nil
Total (i+ii+iii)	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	Nil	Nil	NIL	Nil
Net Change	Nil	Nil	Nil	Nil
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD: Mr. Lanka Prasanna				Total Amount
		----	---	---	----	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	₹ 12.47 Lacs p.a. NIL NIL				₹ 12.47 Lacs p.a. NIL NIL
2	Stock Option	Nil				NIL
3	Sweat Equity	Nil				NIL
4	Commission - as % of profit	Nil				NIL
5	Others, please specify	Nil				NIL
	Total (A)					₹ 12.47 Lacs p.a.
	Ceiling as per the Act	₹ 30 Lacs p.a.				

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : शून्य

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
	3.स्वयतंत्र निदेशक बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क ♦ कमीशन ♦ अन्यन, कृपया स्प ष्टश करें					शून्य
	कुल (1)					
	4. अन्यय गैर–कार्यपालक निदेशक ♦ बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क ♦ कमीशन ♦ अन्यन, कृपया स्पाष्ट करें					शून्य
	कुल (2)					शून्य
	कुल (ख)=(1+2)					शून्य
	कुल प्रबन्धकीय पारिश्रमिक					11.89 लाख रु. प्रति वर्ष
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा					30 लाख रु. प्रति वर्ष

ग. प्रबन्धत निदेशक/प्रबन्धक/डब्लकयुटीडी के अलावा महत्वहपूर्ण प्रबन्ध कीय अधिकारियों को पारिश्रमिक – शून्य

ग. प्रबन्धत निदेशक/	पारिश्रमिक का विवरण	महत्व्पूर्ण प्रबन्धिकीय अधिकारी			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन क) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन ख) अधिनियम,1961 की धारा 17(2) में निहित परिलब्धियों के अनुसार मूल्यक ग) अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	स्वेट ईक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन – अन्यश – स्पअष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	अन्य – स्पअष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	-------	-----	-----	------

VII. **अपराध हेतु दंड / सजा / समझौता - शून्य**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त– विवरण विवरण	दंड/सजा/ समझौता राशि का विवरण	प्राधिकारी आरडी/एनसीएलटी/ कोर्ट	की गई अपील, यदि हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड					
सजा					
समझौता					
ख. निदेशक : शून्य					
दंड					
सजा					
समझौता					
ग . अन्य चूककर्ता अधिकारी : शून्य					
दंड					
सजा					
समझौता सजा					

B. Remuneration to other directors: Nil

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
	3. Independent Directors • Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify					Nil
	Total (1)					
	4. Other Non-Executive Directors • Fee for attending board committee meetings • Commission • Others, please specify					Nil
	Total (2)					Nil
	Total (B)=(1+2)					Nil
	Total Managerial Remuneration					₹ 11.89 Lacs p.a.
	Overall Ceiling as per the Act					₹ 30 Lacs p.a.

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD: NIL

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	NA	NA	NA	NA
2.	Stock Option	NA	NA	NA	NA
3.	Sweat Equity	NA	NA	NA	NA
4.	Commission as % of profit - others, specify...	NA	NA	NA	NA
5.	Others, please specify	NA	NA	NA	NA
	Total	-------	-----	-----	------

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES: NIL

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT / COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY - NIL					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS - NIL					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT - NIL					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

आन्ध्रा बैंक तथा उसकी अनुषंगी /एसोसिएट/ संयुक्त उद्यमों का समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATE/JOINT VENTURES

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
पूंजी तथा देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी CAPITAL	1	2884,48,78	1198,83,18
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष RESERVES & SURPLUS	2	10447,23,69	9737,49,54
जमा DEPOSITS	3	219852,93,27	208092,91,86
उधार BORROWINGS	4	10314,58,94	18312,10,30
अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	10544,73,43	8769,92,48
कुल TOTAL		**254043,98,11**	**246111,27,36**
आस्तियाँ ASSETS			
भारिबैं में नकदी एवं शेष CASH AND BALANCES WITH RBI	6	10127,13,69	9911,34,81
बैंकों में शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	5420,83,42	6546,51,47
निवेश INVESTMENTS	8	66914,82,57	67939,80,65
अग्रिम ADVANCES	9	158847,91,03	149085,87,89
अचल आस्तियां FIXED ASSETS	10	1572,28,67	1485,43,77
अन्य आस्तियां OTHER ASSETS	11	11160,98,73	11142,28,77
कुल TOTAL		**254043,98,11**	**246111,27,36**
आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES	12	203733,03,22	145723,10,28
वसूली हेतु बिल BILLS FOR COLLECTION		9801,11,35	8773,41,18
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा पर टिप्पणियां NOTES ON ACCOUNTS	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं The Schedules referred toaboveformanintegralpartofBalanceSheet.

कुल भूषण जैन KUL BHUSHAN JAIN
कार्यपालक निदेशक Executive Director

अजित कुमार रथ AJIT KUMAR RATH
कार्यपालक निदेशक Executive Director

जे पक्किरिसामी J PACKIRISAMY
प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

बी सत्यनारायण राव B. SATYANARAYANA RAO
सहायक महा प्रबन्धक एम Assistant General Manager

एम बी राजेन्द्र प्रसाद M.B.RAJENDRA PRASAD
महा प्रबन्धक General Manager

बालगोपाल महापात्र BALGOPAL MAHAPATRA
निदेशक Director

As per our report of even date

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
FOR AGARWAL & SAXENA
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 002405सी FRN:002405C
(सीए अनिल के सक्सेना)
(CA ANIL K. SAXENA)
साझेदार (एम सं 071600)
PARTNER (M.NO. 071600)

कृते रॉय एण्ड कम्पनी
FOR RAY & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी सं 313124ई FRN:313124E
(सीए सुब्रत रॉय)
(CA SUBRATA ROY)
साझेदार (एम सं 051205)
PARTNER (M.NO. 051205)

कृते सन्तोष गुप्ता एण्ड क.
FOR SANTOSH GUPTA & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 009713एन FRN:009713N
(सीए मनोज कुमार)
(CA MANOJ KUMAR)
साझेदार (एम सं 108603)
PARTNER (M.NO. 108603)

कृते जी एस महादेव राव एण्ड क.
FOR G S MADHAVA RAO & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 001907एस FRN:001907S
(सीए मानिक्य प्रसाद जी)
(CA MANIKYA PRASAD G)
साझेदार (एम सं 020105)
PARTNER (M.NO. 020105)

स्थान Place: हैदराबाद Hyderabad
दिनांक Date: 13.05.2019

आन्ध्रा बैंक तथा उसकी अनुषंगी /एसोसिएट / संयुक्त उद्यमों का समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT OF ANDHRA BANK AND ITS SUBSIDIARY/ASSOCIATE/JOINT VENTURES

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची सं Schedule No.	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
आय INCOME			
अर्जित ब्याज INTEREST EARNED	13	19202,87,80	18208,51,69
अन्य आय OTHER INCOME	14	3088,09,54	3096,94,08
कुल आय TOTAL INCOME		**22290,97,34**	**21305,45,77**
व्यय EXPENDITURE			
विस्तरित ब्याज INTEREST EXPENDED	15	12224,28,26	11639,83,84
परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES	16	5005,77,90	4285,18,51
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ PROVISIONS AND CONTINGENCIES		7828,00,83	8774,82,02
कुल व्यय TOTAL EXPENDITURE		**25058,06,99**	**24699,84,37**
वर्ष हेतु निवल लाभ /(हानि) आगे लाया गया समेकित निवल लाभ /(हानि) PROFIT / (LOSS) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS AND SHARE OF PROFIT IN ASSOCIATE		(2767,09,65)	(3394,38,60)
EXTRAORDINARY ITEMS		-	-
SHARE OF PROFIT IN THE ASSOCIATE		25,09,84	28,66,62
CONSOLIDATED NET PROFIT / (LOSS) FOR THE YEAR		**(2741,99,81)**	**(3365,71,98)**
CONSOLIDATED NET PROFIT / (LOSS) BROUGHT FORWARD		(3508,25,76)	(60,27,90)
कुल TOTAL		**(6250,25,57)**	**(3425,99,88)**
विनियोजन APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO STATUTORY RESERVE		97,91	18,75,65
आरक्षित पूंजी को अंतरण TRANSFER TO CAPITAL RESERVE		4,43,75	40,56,92
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती को अंतरण TRANSFER TO REVENUE & OTHER RESERVES		-	22,93,31
आई.टी आधिनियम के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि को अंतरण TRANSFER TO SPECIAL RESERVE UNDER IT ACT		-	-
प्रस्तावित लाभांश PROPOSED DIVIDEND		-	-
लाभांश पर कर DIVIDEND TAX		-	-
तुलनपत्र को ले जाया गया शेष BALANCE CARRIED OVER TO BALANCE SHEET		(6255,67,23)	(3508,25,76)
कुल TOTAL		**(6250,25,57)**	**(3425,99,88)**
कुल SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	17		
कुल NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर आय (मूल एवं अवमिश्रित) ₹ EARNING PER SHARE (BASIC AND DILUTED) ₹		(18.71)	(38.41)

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न भाग है. **The Schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account**

कुल भूषण जैन KUL BHUSHAN JAIN
कार्यपालक निदेशक Executive Director

अजित कुमार रथ AJIT KUMAR RATH
कार्यपालक निदेशक Executive Director

जे पक्किरिसामी J PACKIRISAMY
प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

बी सत्यनारायण राव B. SATYANARAYANA RAO
सहायक महा प्रबन्धक एम Assistant General Manager

एम बी राजेन्द्र प्रसाद M.B.RAJENDRA PRASAD
महा प्रबन्धक General Manager

बालगोपाल महापात्र BALGOPAL MAHAPATRA
निदेशक Director

As per our report of even date

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
FOR AGARWAL & SAXENA
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 002405सी FRN:002405C
(सीए अनिल के सक्सेना)
(CA ANIL K. SAXENA)
साझेदार (एम सं 071600)
PARTNER (M.NO. 071600)

कृते रॉय एण्ड कम्पनी
FOR RAY & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी सं 313124ई FRN:313124E
(सीए सुब्रत रॉय)
(CA SUBRATA ROY)
साझेदार (एम सं 051205)
PARTNER (M.NO. 051205)

कृते सन्तोष गुप्ता एण्ड क.
FOR SANTOSH GUPTA & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 009713एन FRN:009713N
(सीए मनोज कुमार)
(CA MANOJ KUMAR)
साझेदार (एम सं 108603)
PARTNER (M.NO. 108603)

कृते जी एस महादेव राव एण्ड क.
FOR G S MADHAVA RAO & CO
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजी. सं 001907एस FRN:001907S
(सीए मानिक्य प्रसाद जी)
(CA MANIKYA PRASAD G)
साझेदार (एम सं 020105)
PARTNER (M.NO. 020105)

स्थान Place: हैदराबाद Hyderabad
दिनांक Date: 13.05.2019

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in "000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE-1:: पूंजी CAPITAL		
I. अधिकृत पूंजी AUTHORISED CAPITAL		
10/- रु प्रत्येक के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर 600,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each **गत वर्ष 10/- रु प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर** **Previous Year 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each**	6000,00,00	3000,00,00
II. जारी, अभिदत्त, मांगे गए तथा प्रदत्त **ISSUED,SUBSCRIBED, CALLED UP AND PAID UP**		
₹ 10/- रु प्रत्येक के 2884,48,78 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 119,88,31,827 इक्विटी शेयर) **(केन्द्रीय सरकार द्वारा रखे 262,06,34,630 इक्विटी शेयर सहित)** **(गत वर्ष 93,49,78,617 ईक्विटी शेयर)** 288,44,87,840 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 119,88,31,827 Equity Shares) [Including 262,06,34,630 Equity Shares (Previous year 93,49,78,617 Equity Shares) held by Central Government]	2884,48,78	1198,83,18
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- I	**2884,48,78**	**1198,83,18**
अनुसूची SCHEDULE- 2 : प्रारक्षिती एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षिती STATUTORY RESERVE		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2833,75,67	2815,00,02
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	97,91	18,75,65
घटाएं: कटौतियां Less : Deductions	280,53,08	-
कुल Total- I	**2554,20,50**	**2833,75,67**
II. पूंजी प्रारक्षिती CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षिती A. REVALUATION RESERVE		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	835,49,61	849,72,30
वर्ष के दौरान जमा Addition during the Year	138,49,65	-
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन भाग पर संचित मूल्यह्रास) **Deduction during the year (Being depreciation on revalued portion of property)**	14,22,69	14,22,69
कुल-II क Total-II A	**959,76,57**	**835,49,61**
ख. प्रारक्षिती शेष B. OTHER RESERVES		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	650,98,63	610,41,71
वर्ष के दौरान जमा Addition during the Year	4,43,75	40,56,92
कुल-II ख Total-II B	**655,42,38**	**650,98,63**
कुल-II क+ख Total-II A+B	**1615,18,95**	**1486,48,24**
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	5002,64,38	2530,31,22
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	3589,34,40	2472,33,16
कुल-III Total-III	**8591,98,78**	**5002,64,38**
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षिती REVENUE AND OTHER RESERVES		
क. राजस्व प्रारक्षिती A. Revenue Reserve		
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2476,24,91	2565,45,46
वर्ष के दौरान जमा Addition during the year	14,22,69	58,65,02
घटाएं: कटौतियां Less : Deductions/Adjustments	2,82,99	147,85,57
कुल-IV क Total-IV A	**2487,64,61**	**2476,24,91**

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
ख. विदेशी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि **B. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE**		
प्रारम्भिक शेष **Opening Balance**	(8,37,90)	(17,62,86)
वर्ष के दौरान जमा **Addition during the year**	8,92,35	18,35,51
घटाएं: कटौतियां **Less : Deductions**	1,66,37	9,10,55
कुल-II ख Total-IV B	**(1,11,92)**	**(8,37,90)**
ग) आई.टी. अधिनियम की धारा 36(1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षिती **C. SPECIAL RESERVE U/s 36 (1) (viii) of IT Act**		
प्रारम्भिक शेष **Opening Balance**	1455,00,00	1455,00,00
वर्ष के दौरान जमा **Addition during the year**	-	-
घटाएं: कटौतियां **Less : Deductions**	-	-
कुल IV ग Total-IV C	**1455,00,00**	**1455,00,00**
कुल IV (क+ख+ग)Total-IV (A+B+C)	**3941,52,69**	**3922,87,01**
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	**(6255,67,23)**	**(3508,25,76)**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- 2	**10447,23,69**	**9737,49,54**
अनुसूची SCHEDULE-3 :: जमा DEPOSITS		
I-क. मांग जमा 1-A. DEMAND DEPOSITS		
i) बैंको से **From Banks**	47,48,44	62,82,79
ii) अन्य से **From Others**	10190,02,60	10305,75,93
कुल Total I-A	**10237,51,04**	**10368,58,72**
I--ख. बचत बैंक जमा B. SAVING BANK DEPOSITS		
i) बैंको से **From Banks**	-	-
ii) अन्य से **From Others**	58768,01,18	54236,39,17
कुल Total I-B	**58768,01,18**	**54236,39,17**
I-ग. मीयादी जमा C. TERM DEPOSITS		
i) बैंको से **From Banks**	5,36,92	5,06,36
ii) अन्य से **From Others**	150842,04,13	143482,87,61
कुल Total I-C	**150847,41,05**	**143487,93,97**
कुल-I TOTAL-I.	**219852,93,27**	**208092,91,86**
II-क. भारत की शाखाओं मे जमा II-A. DEPOSITS OF BRANCHES IN INDIA	219794,91,41	208045,32,44
II-ख. भारत के बाहर की शाखाओं में जमा II-B. DEPOSITS OF BRANCHES OUTSIDE INDIA	58,01,86	47,59,42
कुल-II TOTAL-II.	**219852,93,27**	**208092,91,86**
कुल अनुसूची - 3 TOTAL SCHEDULE-3	**219852,93,27**	**208092,91,86**

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 4 :: उधार BORROWINGS		
I. भारत में उधार BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से From Reserve Bank of India	500,00,00	7001,49,00
ii) अन्य बैंकों से From Other Banks	6,48,04	786,05,74
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां (गौण/आपीडीआई/अप्पर-टायर-II ऋण/बांड Other Institutions & Agencies (including Subordinated / IPDI/Upper Tier-II debt/bonds)	9289,44,65	9675,67,75
II. भारत से बाहर उधार Borrowings outside India	518,66,25	848,87,81
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE- 4	**10314,58,94**	**18312,10,30**
अनुसूची SCHEDULE - 5 :: अन्य देयताएं एवं प्रावधान OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल Bills Payable	772,64,15	839,94,52
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustment (Net)	927,52,39	-
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	368,66,16	362,93,07
IV. मानक आस्तियों के विरूद्ध आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions Against Standard Assets	731,44,63	769,44,63
V आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability (Net)	-	-
VI. अन्य (प्रावधान सहित) Others (Including Provisions)	7744,46,10	6797,60,26
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-5	**10544,73,43**	**8769,92,48**
अनुसूची SCHEDULE - 6 :: भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी तथा शेष CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.हस्तगतनकदी(विदेशीमुद्रानोटोंसहित)CashInHand(IncludingForeignCurrencyNotes)	**984,97,41**	**1130,00,16**
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Balance with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	**9142,16,28**	**8781,34,65**
ii) अन्य खातों में In Other Accounts	-	-
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-6	**10127,13,69**	**9911,34,81**

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE-7 :: बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में IN INDIA		
i). बैंकों में शेष Balances with Banks		
क) चालू खातों में a) In Current Accounts	90,67,72	99,74,70
ख) अन्य खातों में b) In Other Accounts	339,56,02	353,38,00
कुल Total	**430,23,74**	**453,12,70**
ii). मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों में a).With Banks	4800,00,00	5900,00,00
ख) अन्य संस्थाओं में b).With Other Institutions	-	-
कुल Total	**4800,00,00**	**5900,00,00**
कुल Total-I	**5230,23,74**	**6353,12,70**
II. भारत से बाहर OUTSIDE INDIA		
क) चालू खातों में a) In Current Accounts	81,96,59	100,76,77
ख) अन्य खातों में b) In Other Deposit Accounts	1,13,55	91,26
ग) मांग एवं अल्प सूचना पर धनराशि c) Money at Call and Short Notice	107,49,54	91,70,74
कुल Total-II	**190,59,68**	**193,38,77**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-7	**5420,83,42**	**6546,51,47**
अनुसूची SCHEDULE - 8 :: निवेश INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश INVESTMENTS IN INDIA		
i). सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	58521,45,31	59893,25,95
ii). अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	758,31,71	416,29,31
iii). शेयर Shares	1268,20,35	1362,73,66
iv). डिबेंचर तथा बांड Debentures and Bonds	2740,91,52	2853,34,25
v). अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	150,96,52	128,69,66
vi). अन्य (वाणिज्यिक पत्र,वीसीएफ एवं प्रतिभूति रसीद आदि) Others (Commercial papers, VCF & Security Receipts, etc)	3436,42,10	3255,56,48
कुल Total	**66876,27,51**	**67909,89,31**
II. भारत से बाहर निवेश INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i). सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities (Including local authorities)	12,75,66	11,98,41
ii). अनुषंगी तथा/अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
iii). अन्य निवेश Other Investments	25,79,40	17,92,93
कुल Total	**38,55,06**	**29,91,34**
कुल योग Grand Total (I and II)	**66914,82,57**	**67939,80,65**
भारत में सकल निवेश Gross Investments in Inida	69545,65,19	69887,06,90
घटायें Less : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provision for Depreciation	2669,37,67	1977,17,59
भारत में निवल निवेश Net Investments in India	**66876,27,52**	**67909,89,31**
भारत से बाहर कुल निवेश Gross Investments outside India	38,55,05	29,91,34
घटायें Less : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान Provision for Depreciation	-	-
भारत में निवल निवेश Net Investments outside India	**38,55,05**	**29,91,34**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-8	**66914,82,57**	**67939,80,65**

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 9 :: अग्रिम ADVANCES		
I-क खरीदे एवं भुनाए गए बिल I-A.Bills Purchased and Discounted	1390,68,55	1919,63,18
I-ख.नकदऋण,ओवरड्राफ्ट एवं ऋणमांगपर चुकौतीयोग्यऋण I-B.Cash Credits,Overdrafts and Loans (repayable on demand)	90083,73,29	81807,12,28
I-ग.मीयादीऋण I-C.Term Loans	67373,49,19	65359,12,43
कुल - I Total - I	**158847,91,03**	**149085,87,89**
II-अग्रिमकेब्यौरे : II Particulars of Advances :		
II-क. मूर्तआस्तियोंद्वारारक्षित(बही-ऋणोंकेविरुद्धअग्रिमोंसहित) II-A.Secured By Tangible Assets (Includes Advances against Book Debts)	144259,68,83	133691,37,80
II-ख. बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर किया गया II-B.Covered by Bank/Government Guarantees	9779,33,10	5087,23,44
II-ग. अरक्षित अग्रिम II-C.Unsecured Advances	4808,89,10	10307,26,65
कुल - II Total - II	**158847,91,03**	**149085,87,89**
III Sectoral Classification of Advances		
III-क. भारत में अग्रिम III-A. Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	75160,34,54	66910,94,18
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	12002,36,50	10991,90,09
iii) बैंक Banks	-	-
iv) अन्य Others	71662,02,02	71162,61,96
कुल Total	**158824,73,06**	**149065,46,23**
III-ख. भारत के बाहर अग्रिम III-B Advances outside India	23,17,97	20,41,66
कुल - III Total - III	**158847,91,03**	**149085,87,89**
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-9	**158847,91,03**	**149085,87,89**
अनुसूची SCHEDULE - 10 :: अचल आस्तियां FIXED ASSETS		
A. मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS		
I. परिसर PREMISES		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर At Cost as on 31st March of the preceding year	1820,37,35	1778,10,94
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	9,52,88	42,66,04
मूल लागत का पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation in original cost	222,50,75	-
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती Deletions / Deductions during the year	16,79	39,63
तिथि को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन के खाते पर संचित मूल्यह्रास सहित) Depreciation to date (including accumulated depreciation on account of revaluation)	944,34,54	843,92,73
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयू डी वी WDV at the end of the Year	**1107,89,65**	**976,44,62**
II. अन्य अचल आस्तियां OTHER FIXED ASSETS (Including furniture & fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर At Cost as on 31st March of the preceding year	1598,34,00	1502,25,54
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	75,14,09	125,77,32
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती Deletions / Deductions during the year	49,70,11	29,68,86
तिथि को मूल्यह्रास Depreciation to date	1192,14,47	1137,71,51
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयई डी वी WDV at the end of the Year	**431,63,51**	**460,62,49**
III. पूंजीगत चालू कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर At Cost as on 31st March of the preceding year	9,75,93	47,17,20
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	21,55,68	16,31,62
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती Deletions/Deductions during the year	23,94,14	53,72,89
वर्ष की समाप्ति पर मूल्य Value at the end of the Year	**7,37,47**	**9,75,93**
B. अमूर्त आस्तियां INTANGIBLE ASSETS		
I. कम्प्यूटर सॉफटवेयर COMPUTER SOFTWARE		
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च के मूल्य पर At Cost as on 31st March of the preceding year	224,99,42	210,53,62
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	4,15,10	14,46,04
वर्ष के दौरान अपमार्जन/ कटौती Deletions / Deductions during the year	2,98,70	24
तिथि को मूल्यह्रास/परिशोधन Depreciation/Amortization to date	203,67,82	189,28,73
वर्ष की समाप्ति पर डब्लयू डी वी WDV at the end of the Year	**22,48,00**	**35,70,69**
कुल अनुसूची GOODWILL	2,90,04	2,90,04
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-10	**1572,28,67**	**1485,43,77**

समेकित तुलन-पत्र के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 11 :: अन्य आस्तियां OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	- - -	345,89,94
II. उपचित ब्याज Interest Accrued	1762,75,66	1702,60,62
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल) Tax Paid in Advance/Tax Deducted at Source (Net of Provision)	3980,14,14	2856,59,81
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प Stationery & Stamps	13,84,35	14,87,06
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax Asset (Net)	2298,31,19	2541,10,56
VI. अन्य Others	3105,93,39	3681,20,78
कुल अनुसूची -11 TOTAL SCHEDULE-11	**11160,98,73**	**11142,28,77**
अनुसूची SCHEDULE - 12 :: आकस्मिक देयताएं CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंकों के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना जाता Claims against Bank not acknowledged as debts	1918,54,91	1738,68,17
II. पूंजी प्रतिबद्धता Capital Commitments	30,20,24	24,49,61
III विकल्प एवं व्युतपन्न Options & Derivatives	-	-
IV. बकाया वायदा विनिमय करार Outstanding Forward Exhange Contracts	172561,83,46	107133,87,22
V घटकों (बीजी) की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of Constituents(BGs)		
क). भारत में a).In India	16040,29,13	15639,10,90
ख). भारत से बाहर b).Outside India	5,26,60	4,96,95
VI. स्वीकृति, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	4872,19,51	5836,14,12
VII. लैटर ऑफ कम्फर्ट Letter of Comfort	7,53,64	1016,06,53
VIII ब्याज-दर स्वैप Interest Rate Swaps	-	-
IX. विवादग्रस्त कर Disputed Tax Liability (Net)	2771,43,30	1922,95,98
X. अन्य मदें जिन हेतु बैंक आकस्मिक रूप से बाध्य है Other Items for which Bank is Contingently Liable	5525,72,43	12406,80,80
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-12	**203733,03,22**	**145723,10,28**

समेकित लाभ एवं हानि खाता के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 13 :: अर्जित ब्याज INTEREST EARNED		
I. अग्रिम/बिलों पर ब्याज/छूट Interest/Discount on Advances/ Bills	14173,83,95	13070,78,68
II. निवेश पर आय Income on Investments	4822,74,62	4716,54,38
III. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष पर ब्याज तथा अन्य अंतर-बैंक निधियां Interest on balances with Reserve Bank of India and Other Inter Bank Funds	92,86,84	137,75,35
IV. अन्य Others	113,42,39	283,43,28
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-13	**19202,87,80**	**18208,51,69**
अनुसूची SCHEDULE - 14 :: अन्य आय OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज Commission, Exchange and Brokerage	569,13,38	548,76,79
II. निवेश (निवल) की बिक्री पर लाभ /(हानि) Profit/(Loss) on Sale of Investments (Net)	186,19,86	548,32,27
III. निवेश (निवल) के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) Profit/(Loss) on Revaluation of Investments (Net)	-	-
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) Profit/(Loss) on Sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)	46,03	53,56
V. विनिमय लेनदेन निवल) पर लाभ (हानि) Profit/(Loss) on Exchange Transactions (Net)	50,33,37	130,48,20
VI. संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि से आय Income by way of Dividend	6,05,89	4,73,24
VII. संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि से आय Insurance Premium	947,32,70	677,31,64
VIII. विविध आय Miscellaneous Income	1328,58,31	1186,78,38
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-14	**3088,09,54**	**3096,94,08**

समेकित लाभ एवं हानि खाता के अन्तर्गत अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT

(₹ हजारों में) (₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2019 के अनुसार As on 31.03.2019	31.03.2018 के अनुसार As on 31.03.2018
अनुसूची SCHEDULE - 15 :: विस्तारित ब्याज INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज Interest on Deposits	11475,85,96	10784,38,72
II. भारतीय रिजर्व बैंक में/अंतर बैंक उधार पर ब्याज InterestonReserveBankofIndia/InterBank Borrowings	270,43,75	199,57,99
III. अन्य Others	477,98,55	655,87,13
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-15	**12224,28,26**	**11639,83,84**
अनुसूची SCHEDULE - 16 :: परिचालन व्यय OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों हेतु प्रावधान तथा भुगतान Payment to and Provisions for Employees	2301,45,88	1906,43,58
II. किराया, कर तथा बिजली Rent, Taxes and Lighting	312,42,83	316,97,60
III. मुद्रण तथा लेखन सामग्री Printing and Stationery	30,11,30	30,66,37
IV. विज्ञापन तथा प्रचार Advertisement and Publicity	23,67,40	17,42,46
V. बैंक सम्पत्ति पर मूल्यह्रास Depreciation on Bank's Property	135,84,62	199,42,97
VI. निदेशक केशुल्क, भत्ते एवं व्यय Director's Fees, Allowances and Expenses	56,11	40,15
VII. लेखापरीक्षक के शुल्क एवं व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क तया व्यय सहित) Auditors' Fees and Expenses (Including Branch Auditors fees and expenses)	32,26,27	27,56,62
VIII. विधि प्रभार Law Charges	5,25,21	29,84,83
IX. डाक, तार एवं दूरभाष आदि Postages, Telephones etc.	55,88,08	46,04,66
X. मरम्मत तथा रख-रखाव Repairs and Maintenance	129,15,14	129,17,84
XI. बीमा Insurance	218,11,94	199,59,91
XII. बीमा गतिविधि से संबंधित प्रदत्त लाभ Benefits Paid relating to insurance activity	1125,72,91	825,37,16
XIII. अन्य व्यय Other Expenditure	635,30,21	556,24,36
कुल अनुसूची TOTAL SCHEDULE-16	**5005,77,90**	**4285,18,51**

अनुसूची -17 : वर्ष 2018-19 हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य:

1.1 तैयारी का आधार:

बैंक (मूल), अनुषंगी तथा संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत अभिसमय तथा अन्यथा उल्लिखित न होने पर, लेखांकन के विद्यमान दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक लागत एवं संचित आधार पर एवं भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी शर्तों/दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों, मार्गदर्शी नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं ।

1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) के संबंध में रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट किए गए आय और व्यय के संबंध में प्राक्कलन और अनुमान का उपयोग किया जाता है । प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त प्राक्कलन उचित और युक्ति संगत हैं । भविष्य के परिणाम इन प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं । लेखांकन प्राक्कलन में किसी प्रकार के परिशोधन का चालू और भविष्य की अवधि में भविष्यगामी मान्यता दी जाती है ।

2. समेकन का आधार

2.1 समूह (एक अनुषंगी, एक सहयोगी और तीन संयुक्त उद्यमों) के वित्तीय विवरण को निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है –

i. आन्ध्रा बैंक (मूल) के लेखा परीक्षित खाते ।

ii. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अनुषंगी की आस्ति/ देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद की मूल संस्था के संबंधित मदों के एकलीकरण और अंत: समूह सभी भौतिक शेष, लेन-देन, बकाया लाभ/हानि के समापन के द्वारा ।

iii. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 23 "सहयोगी में निवेश की लेखा में समेकित वित्तीय विवरणी" के अनुसार "इक्विटी पद्धति" के अंतर्गत सहयोगी में निवेश का लेखा ।

iv. संयुक्त उद्यमों का समेकन- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार 'समानुपाती समेकन'

v. इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाड के वित्तीय विवरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("आईएफआरएस") का अनुपालन करता है तथा समेकन के उद्देश्य हेतु मलेशिया के कंपनी अधिनियम 1965 की अपेक्षता भारतीय जीएएपी के समतुल्य है ।

vi. लेखा नितियों में भिन्नता के मामले में, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों को मूल के वित्तीय विवरणियों की पुष्टि हेतु जहाँ भी आवश्यक तथा व्यवहार्य हो, समायोजित किया जाता है ।

2.2 संयुक्त उद्यमों में समूह के निवेश और संयुक्त उद्यमों में समूह की इक्वीटी हिस्सेदारी के अंतर की पहचान वित्तीय अलग-अलग मामलों में वित्तीय विवरणियों में गुडविल अथवा पूंजी निधि के अनुसार की गई है ।

3. राजस्व की पहचान

3.1 निम्नलिखित को छोडकर, आय और व्यय की पहचान सामान्यत: संचयी आधार पर की जाती है ।

i. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज का निर्धारण वसूली के आधार पर किया जाता है ।

ii. कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क, अतिदेय बिलों पर ब्याज, एवं लॉकरों पर किराया उगाही पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

iii. लाभांश उसकी प्राप्ति का अधिकार सुनिश्चित होने पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

iv. वाद दाखिल खातों के मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय प्रभारित किया गया है । तथा वसूली पर उन्हें आय के रूप में परिकलित किया जाता है ।

3.2 अनर्जक अग्रिमों में आंशिक वसूली को निम्नानुसार प्राथमिकता आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।

i. वसूली हेतु व्यय/कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय ।

ii. ब्याज अनियमितताएं/संचित ब्याज ।

iii. मूल राशि अनियमितताएं याने खाते में बकाया मूल राशि ।

3.3 अनर्जक अग्रिमों में समझौता निपटान वाले मामलों में वसूलियाँ पहले मूल राशि के लिए समायोजित की जाती हैं ।

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2018-19

1. GENERAL

1.1 Basis of preparation :

The Consolidated financial statements of the Bank (Parent), Subsidiaries and Joint Ventures are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles in India which comprise of applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), as per section 29 of Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India

1.2 Use of estimates :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. BASIS OF CONSOLIDATION

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 1 subsidiary, 1 associate and 3 joint ventures) have been prepared on the basis of:

i Audited accounts of Andhra Bank (parent).

ii. Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the subsidiary with the respective item of the parent, and after eliminating all material intra group balances / transactions, unrealized profit / loss, as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

iii. Accounting for investment in 'Associate' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

iv. Consolidation of Joint ventures – 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

v. The financial statements of India International Bank Malaysia Berhad comply with the International Financial Reporting Standards ("IFRS") and the requirements of the Companies Act, 1965 in Malaysia have been aligned with Indian GAAP for the purpose of consolidation

vi. In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.2. The difference between cost to the group of its investment in the joint venture and the group's portion of the equity of the joint venture is recognized in the financial statements as goodwill or capital reserve as the case may be.

3. REVENUE RECOGNITION :

3.1 Income and Expenditure are generally recognised on accrual basis, except the following :

i. Interest on non-performing advances and non performing investments is recognized based on realisation as per prudential norms laid down by Reserve Bank of India.

ii. Income by way of commission, exchange, brokerage, fee, interest on overdue bills and rent on lockers are accounted for on realisation.

iii. Dividend is accounted on accrual basis when the right to receive the same is established.

iv. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and on recovery the same are accounted as income.

3.2 Partial recoveries in non performing advances are appropriated in the following order of priority :

i. Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery.

ii. Interest irregularities/accrued interest.

iii. Principal irregularities i.e., Principal outstanding in the account

3.3 In case of non performing advances involving compromise settlements in which case the recoveries are first adjusted towards principal.

3.4 जीवन बीमा

क. प्रीमियम आय :

पॉलिसीधारक से प्रीमियम बकाया होने पर इसे आय की मान्यता दी गई है । यूनिट लिंक्ड व्यापार के मामलों में प्रीमीयम आय को मान्यता संबंधित यूनिट के बनाये जाने पर दी गई है । गैर-लिंक्ड परिवर्ती बीमा व्यापार हेतु, प्राप्ति तिथि पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी जाती है । कालातीत पॉलिसी के संबंध में प्रीमीयम को आय की मान्यता तब दी गई है जब तक ऐसी पॉलिसी पुन: चालू नहीं कर दी जाती है । प्रीमियम की गणना प्रभारों पर लागू जीएसटी के साथ की जाती है । यूनिट लिंकड व्यापार के मामले में, पॉलिसी धारकों द्वारा भुगतान किया गया टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना जाता है ।

ख. पुनर्बीमा प्रीमियम :

दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखा-जोखा के समय पुनर्बीमा कंपनी के साथ किये समझौते के अनुरूप दिये गये नियमों और शर्तों के अंतर्गत प्रीमीयम से आय के रूप में मान्यता दी गई है । प्रीमीयम पर आगामी संशोधन या रद्दीकरण के प्रभाव को इसे संबंधित वर्ष मान्यता दी गई है जिस वर्ष में प्रभावी होते हैं ।

ग. लिंक्ड पॉलिसी से आय :

लिंक्ड पॉलिसी से आय, जिसमें आस्ति प्रबंधन शुल्क तथा अन्य प्रभार, यदि कोई हो तो, सम्मिलित हैं, पॉलिसियों के नियम एवं शर्तों के अनुरूप लिंक्ड निधियों से वसूली जाती है तथा देयता के समय मान्यता दी जाती है ।

घ. भुगतान किया गया लाभ (दावे सहित) :

परिपक्वता लाभ की गणना भुगतान हेतु देयता के समय की जाती है । मृत्यु तथा अन्य दावे की गणना सूचना की प्राप्ति पर की जाती है । गैर-लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण/आहरण की गणना अनुरोध की प्राप्ति पर की जाती है । लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण/आहरण की गणना संबंधित योजना में संबंधित यूनिट की निरस्तिकरण पर की जाती है ।

उत्तरजीविता लाभ दावे तथा परिपक्वता दावे की गणना देयता के समय की जाती है ।

देय दावे में निपटान की सीधी लागत सम्मिलित है । उसपर वसूली योग्य पुनर्बीमा की गणना संबंधित दावे के अनुसार समान अवधि हेतु की जाती है । न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित नामंजूर दावे तथ्यों पर ध्यान देते हुए प्रबंधन विवेक तथा ऐसे दावे से संबधित उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है ।

ड़. अधिग्रहण लागत :

अधिग्रहण लागत जिस अवधि में व्यय किये जाते हैं उसी अवधि में वहन किये जाते हैं। अधिग्रहण लागत में प्रमुख रूप से बीमा मध्यस्थतों को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी मुद्रण व्यय, स्टॉम्प शुल्क और पॉलिसी जुटाने से लेकर जारी करने तक के अन्य सभी खर्च शामिल हैं।

3.5 **आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी :**

क. वित्तीय आस्तियों (एफए) में निवेश से आय :

एफए के समाधान/वसूली पर संग्रहित राशि एफए के मूल्य के शून्य होने तक संबंधित एफए में जमा होगी । एफए मूल्य शून्य के बाद एफए के समाधान से प्राप्त राशि लाभ एवं हानि विवरण में जमा किया जाता है । उसी प्रकार एफए के समाधान से प्राप्त की गई कुल राशि इनकी लागत से कम हो तो कमी को हानि के रूप में लिया जाता है तथा लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है । "पुनर्संरचना हेतु परक्रामित वित्तीय आस्तियों" के अधिग्रहण हेतु नीति के अंतर्गत समाधान किया गया/अधिग्रहित वित्तीय आस्ति के मामले में निधिक राशि पर ब्याज वास्तविक वसूली के रूप में माना जाता है ।

ख. न्यास की प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश से आय :

एसआर में निवेश से आय की गणना न्यास द्वारा सभी एसआर के प्रतिदेय के बाद की जाती है । सभी एसआर के प्रतिदेय के बाद गैर-समाधान आस्ति की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त आय की गणना, संबंधित न्यास द्वारा संवितरण पर की जाती है ।

ग. अन्य आय :

सभी अन्य आय की गणना उपचय के आधार पर की जाती है । राजस्व की गणना अर्जन पर की जाती है तथा इसकी वसूली अथवा संग्रहण पर कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं रहती है । प्रबंधन शुल्क की गणना के मामले में, प्रबंधन शुल्क की वास्तविक प्राप्ति पर ही माना जाएगा ।

घ. वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण हेतु किए गए व्यय :

वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण हेतु समुचित सावधानी, मूल्यांकन तथा नीलामी शुल्क आदि के रूप में पूर्व-अधिग्रहण स्तर पर अधिग्रहण व्यय को वर्तमान वर्ष व्यय के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है ।

3.4 Life Insurance :

a. Premium Income :

Premium is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premium is inclusive of GST applicable on charges. In case of unit linked business, top up premium paid by policy holders are considered as single premium.

b. Reinsurance Premium :

Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the re-insurer. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.

c. Income from linked policies :

Income from linked policies, which include asset management fees and other charges, if any, are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of the policies and recognised when due.

d. Benefits paid (including claims) :

Maturity benefits are accounted for when due for payment. Deaths and other claims are accounted for on receipt of intimation. Surrender/withdrawals under non-linked policies are accounted on the receipt of request. Surrenders/withdrawals under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due

Claims payable include the direct costs of settlement. Reinsurance recoverable thereon is accounted for in the same period as the related claim. Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.

e. Acquisition cost :

Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy.

3.5 Asset Reconstruction Company :

a. Income from Investments in Financial Assets (FAs) :

Amount realised on resolution / realisation of FAs is credited to respective FAs till the value of FAs become nil. Amount realised from resolution of FAs subsequent to FA value becoming nil is credited to Profit and Loss Statement. Similarly, if the total amount realised from resolution of FAs is less than its cost, the short fall is treated as loss and debited to Profit and Loss Statement. In case of Financial Assets acquired / resolved under policy for Acquisition of "Negotiated Financial Assets for Restructuring", interest on amount funded is recognised on actual realisation.

b. Income from Investments in Security Receipts (SR) of Trusts :

Income from Investment in SRs is recognised when all SRs are redeemed by the Trusts. Surplus arising from sale of unresolved assets subsequent to redemption of all SRs is recognised, as and when distributed by respective trusts.

c. Other Income :

All other incomes are recognised on accrual basis. Revenue is recognised when it is earned and no significant uncertainty exists as to its realisation or collection. In case of recognition of Management fee, significant certainty shall be construed when the Management fee is actually received.

d. Expenses incurred for acquiring Financial Assets :

Acquisition expenses at pre-acquisition stage towards due diligence, valuation and bidding fee etc. for acquiring financial assets are shown as current year's expenses and the same are charged to Profit and Loss Statement

4. **विदेशी मुद्रा लेनदेन:**

4.1 आय एवं व्यय की मदें लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज की जाती हैं ।

4.2 मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय-दर पर पुनः मूल्य-निर्धारण किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि की निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) लाभ/हानि खाते में दर्ज किया जाता है ।

4.3 डेरिवेटिव उत्पाद (वायदा संविदा (व्यापार एवं अंतर-बैंक दोनों)/ मुद्रा फ्यूचर्स/ विदेशी मुद्रा स्वैप आदि) को प्रारम्भ में संविदा की बुकिंग के समय प्रचलित विनिमय-दर पर रिकार्ड किया जाता है । इनका फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्त-तिमाही के अंत में दरों पर पुनः मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में सम्मिलित किया जाता है । परिणामतः बाजार भाव पर दर्शाए गए (एमटूएम) लाभ/हानि को वर्तमान मूल्य एमटूएम की गणना के लिए एफआईएमएमडीए – जेडसीवाईसी दरें (6माह) का उपयोग करते हुए बट्टागत किया जाता है तथा परिणामतः लाभ/हानि को लाभ तथा हानि खाता में दर्ज किया जाता है ।

4.4 -विदेशी साख पत्रों, लैटर ऑफ कम्फर्ट तथा गारंटी पत्रों को, ऐसी प्रतिबद्धता की तारीख पर प्रचलित दरों के अनुसार रिकार्ड किया जाता है । वित्त वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित-दर पर बकाया मदों का पुनः वर्णन किया जाता है ।

4.5 बैक-टू-बैक आधार पर लिये गये अन्य डेरिवेटिव उत्पाद जैसे ब्याज दर स्वैप/ वायदा दर करार/ आप्शंस आदि अथवा बैंक को अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की हैजिंग हेतु संविदा की तिथि को प्रचलित दरों पर दर्ज किये जाते हैं एवं तुलनपत्र की तारीख को, अंतिम तिथि को रिपोर्ट किये जाते हैं । इन लेनदेन के संबंध में राजस्व का निर्धारण संविदा की समाप्ति तक समानुपातिक अवधि हेतु किया जाता है । बैक-टू-बैक आधार पर संविदा के संबंध में संविदा की अवधि पूर्व समाप्ति पर आय, समाप्ति समय पर निर्धारित की जाती है ।

5. **निवेश:**

5.1 **तुलनपत्र में प्रकट करने के लिए निवेश निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत किये गये हैं।**

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर एवं बाँड

v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम/ एसोशिएटस तथा

vi) अन्य

5.2 **निवेश निम्न प्रकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं ।**

i) परिपक्वता तक रखे गये (एचटीएम)

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

iii) व्यापारार्थ रखे गये (एचएफटी)

5.3 **वर्गीकरण का आधार**

i. “परिपक्वता तक रखे गये” श्रेणी के अंतर्गत परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त की गयी प्रतिभूतियाँ आती है ।

ii. “व्यापार के लिए रखे गये” श्रेणी के अंतर्गत व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त प्रतिभूतियाँ आती हैं ।

iii. “बिक्री के लिए उपलब्ध” प्रतिभूतियाँ वे हैं जो उपर्युक्त दोनों वर्गों में वर्गीकृत नहीं हैं ।

iv. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्था में निवेश परिपक्वता तक रखे गए निवेश के रूप में वर्गीकृत है ।

v. निवेश के खरीद के समय इसे एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तत्पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन श्रेणियों में अंतरण किया जाता है ।

5.4 **मूल्यांकन :**

निवेश की प्राप्ति लागत निर्धारित करने हेतु

i. अंशदान पर प्राप्त ब्रोकरेज/कमीशन निवेश की लागत से घटा दिए जाते हैं । प्रतिभूति की बिक्री के बाद प्राप्त प्रोत्साहन लाभ एवं हानि खाते में जमा किए जाते हैं ।

ii. निवेश की प्राप्ति हेतु खर्च किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर और स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है ।

iii. ऋण लिखतों पर प्रदत्त/ प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना जाता है और लागत/ बिक्री प्रतिफल से घटाया जाता है ।

iv. निवेश की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत आधार पर निर्धारित की जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश का मूल्यन निम्न आधार पर किया जाता है:-

i) परिपक्वता तक रखे गए:

क. इस वर्ग के अंतर्गत श्रेणीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत, निवल परिशोधन, यदि कोई हो तो, पर दर्शाया जाता है । यदि अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत अधिक हो तो शेष, तो शेष परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है । इस प्रकार प्रीमियम के परिशोधन को ‘निवेश पर ब्याज’ शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समाशोधित किया जाता है ।

ख. अनुषंगी, एसोसिएट और संयुक्त उद्यम (भारत और विदेश दोनों में) का मूल्यांकन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका मूल्यन रखाव लागत (अर्थात बही मूल्य) पर किया जाता है, में निवेश को छोड़कर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है ।

4. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS :

4.1 Income and Expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

4.2 Monetary Assets and Liabilities are revalued at the Exchange Rates notified by FEDAI at the close of the year and the Net Present value (NPV) of the resultant gain/loss is recognized in the Profit and Loss Account.

4.3 Derivative products (forward contracts (both merchant & interbank) /currency futures /foreign currency swaps etc.) are initially recorded at exchange rate prevailing at the time of booking of the contract. These are revalued at the Quarter-end rates notified by FEDAI and the resultant gain/loss is taken to profit & loss account. The resultant Marked to market (MTM) gain/loss is discounted by using FIMMDA- ZCYC rates (6 month) to arrive at present value MTM and the resultant gain/loss is recognized in profit and loss A/c.

4.4 Foreign Letters of Credit/Letters of Comfort and Letters of Guarantee are recorded at the rates prevailing on the date of entering into such commitment. Outstanding items are restated at the rates notified by FEDAI as at the close of the financial year.

4.5 Other derivative products like interest rate swaps / forward rate agreement/options etc. which are undertaken on back-to back basis or for hedging bank's own foreign currency exposure are recorded at the rate prevailing on the date of contract and are reported at the closing rates at the balance sheet date. The revenue in respect of these transactions is recognized for the proportionate period till expiry of the contract. In respect of contracts done on back- to back basis, the revenue on early termination of the contract is recognized on termination.

5. INVESTMENTS:

5.1 Investments are classified and shown in Balance Sheet under the following six heads:

i. Government Securities
ii. Other Approved Securities
iii. Shares
iv. Debentures and Bonds
v. Subsidiaries / Associates / Joint Ventures and
vi. Others.

5.2 Investments are further classified into the following three categories :

i. Held to Maturity (HTM)
ii. Available for Sale (AFS)
iii. Held for Trading (HFT)

5.3 Basis of classification :

i. "Held to Maturity" category comprises of securities acquired with the intention to hold them up to maturity.
ii. "Held for Trading" category comprises of securities acquired with the intention of trading.
iii. "Available for Sale" securities are those which are not classified under either of the above two categories.
iv. Investments in Subsidiaries/Associates/Joint ventures are classified as 'Held to Maturity'.
v. An investment is classified as HTM, AFS or HFT at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the guidelines issued by Reserve Bank of India.

5.4 Valuation:

In determining the acquisition cost of an investment

i Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost of Investments. The incentives received after the sale of securities is credited to Profit and Loss Account.
ii. Brokerage, commission, securities transaction tax and stamp duty paid in connection with acquisition of investments are treated as revenue expenditure.
iii. Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
iv. Cost is determined on the weighted average cost method for all the categories of investments.

The Investments are valued in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India on the following basis:-

i. Held to Maturity:

a. Investments classified under this category are stated at acquisition cost, net of amortization, if any. The excess of acquisition cost over the face value, if any, is amortised over the remaining period of maturity. Such amortization of premium is adjusted against income under the head "Interest on Investments".
b. Investments in subsidiaries, associates and joint ventures (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investment in Regional Rural Bank, which are valued at carrying cost (i.e. book value).

ग. अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा, निवेश मूल्यों में किसी ह्रास का निर्धारण किया जाता है और ऐसे प्रत्येक निवेश के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है ।

ii) बिक्री के लिए उपलब्ध:

इस वर्ग के अंतर्गत रखे गये निवेश का निम्न अनुसार मूल्यन किया जाता है :

श्रेणी	मूल्यांकन की विधि
सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां	वाईटीएम (परिपक्कता प्रतिफल) आधार पर
इक्वीटी शेयर	नवीनतम तुलन पत्र (12 माह पहले के बाद का न हो) के अनुसार बाजार भाव पर उद्धृत भाव वाले शेयर तथा अलग-अलग मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां, यदि कोई हो तो, पर विचार किए बिना) पर गैर-उद्धृत भाव वाले शेयर, अन्यथा रु. 1 प्रति कंपनी
अधिमानी शेयर	वाईटीएम आधार पर
डिबेंचर/बॉण्ड	वाईटीएम आधार पर
म्युचुअल फंड का यूनिट	प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनः क्रय कीमत/ एनएवी
जोखिम पूंजी निधियां	लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, जो 18 माह पहले से अधिक का न हो, के अनुसार घोषित एनएवी अथवा विश्लेषित एनएवी । यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति 18 माह के बाद का उपलब्ध न हो, तो प्रति वीसीएफ रु. 1/- पर ।
प्रतिभूति रसीद	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी पर
टी-बिल एवं वाणिज्यिक पत्र	रखाव लागत पर

पां च समूहों में से (अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस् में निवेश को छोडकर) प्रत्येक के अंतर्गत निवल मूल्यह्रास का पूर्णतया प्रावधान किया जाता है जबकि उपर्युक्त किसी भी समूह के अन्तर्गत शुद्ध मूल्य वृद्धि की उपेक्षा की जाती है । अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य बाजार भाव पर दर्शाने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ।

प्रतिभूति रसीद में निवेश :

प्रतिभूति रसीद (एसआर) जारी करने के विरुद्ध प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में, एसआर में निवेश (i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) (याने बही मूल्य के लिए कम प्रावधान); और (ii) एसआर के मोचन मूल्य के न्यूनतर में मान्य है । एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के क्रम में मूल्यांकित हैं । इस क्रम में, एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर के मामलों में, संबंधित योजना के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों को दिए गए उपकरणों की वास्तविक वसूली में सीमित हैं, एससी/एआरसी से प्राप्त, निवल आस्ति मूल्य, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है।

iii) व्यापारार्थ रखे गये:

क. इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक महीने के अंत में फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) (पहले फिक्सड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए)) द्वारा घोषित कीमत/प्रतिफल, बाजार भावों के आधार पर बाजार दर पर किया जाता है ।

ख. प्रत्येक 5 शीर्ष (अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी में निवेश को छोडकर) में निवल मूल्यह्रास का पूर्ण प्रावधान है जबकि निवल वृद्धि, यदि हो, की उपेक्षा की जाती है । अलग अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य में मार्किंग टू मार्केट करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है।

5.5 विवेकपूर्ण मानदंड :

i. निवेश का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अर्जक तथा अनर्जक के अनुसार किया गया है ।

ii. अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के संबंध में, आय को मान्यता नहीं दी जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों हेतु मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान गए हैं

iii. रेपो/प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन हेतु लेखांकन

रेपो/प्रतिवर्ती रेपो (भारिबैंक के चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटि (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो/प्रतिवर्ती रेपो लेन-देन सहित) के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का लेखांकन संपार्श्विकयुक्त ऋण और उधार लेनदेन के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य सीधे बिक्री/खरीद लेनदेन के रूप में ही किया जाता है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचलन का रिपो/प्रतिवर्ती रिपो खातों और प्रति-प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए किया जाता है । उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया जाता है । लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है । रिपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) और प्रतिवर्ती रिपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों के पास शेष और कॉल और अल्प सूचना राशि) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है ।

5.6. निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि:

i. निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है। डिबेंचर/बाँडों के मोचन पर प्रीमियम की पहचान, मोचन की तारीख पर की गयी है

c. Any diminution, other than temporary in nature, in the value of investments is determined and provided for on each such investment individually.

ii. Available for Sale: Investments classified under this category are valued as under:

Category	Method of Valuation
Government / Approved securities	On YTM (Yield to Maturity) basis.
Equity Shares	Quoted Shares at market price and unquoted shares at break-up value (without considering 'Revaluation Reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise at ₹1 per Company.
Preference Shares	On YTM basis.
Debentures/ Bonds	On YTM basis.
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
Venture Capital Funds	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months then at ₹1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by the Asset Reconstruction Company.
T-Bill & Commercial Paper	At Carrying Cost.

The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Associates / Joint Ventures) is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

Investments in Security Receipts:

In case of sale of NPA (financial asset) to Securitization Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognized at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

iii. Held for Trading :

a. Investments classified under this category are valued at market price based on market quotations, prices/yields declared by Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) (earlier Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA)) at the end of every month.

b. The net depreciation under each of the five heads (other than investment in Subsidiaries / Associates / Joint Ventures) is fully provided for, whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

5.5 Prudential Norms :

i. Investments are classified as performing and non performing based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

ii. In respect of non-performing investments (NPI), income is not recognised and provision is made for depreciation in value for such securities as per RBI guidelines.

iii. Accounting for Repo/Reverse Repo transactions :

The securities sold and purchased under Repo / Reverse repo (including repo / reverse repo transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and the Marginal Standing Facility (MSF) with RBI) are accounted as collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale / purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo / Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure / income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balances with Banks & Money at Call & Short Notice) as per RBI Master Directions issued.

5.6 Profit / Loss on Sale of Investments:

i. Profit or loss on sale of investments is recognized on the value dates on the basis of weighted average cost. Premium on

ii. "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापारार्थ रखे गये" श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है ।

iii. "परिपक्वता तक रखे गये" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर लाभ, पहले लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और लाभ की समान राशि पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित की गयी है । (कर तथा राशि का निवल सांविधिक आरक्षित को अंतरण अपेक्षित है)

iv. इन तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हुई हानि, लाभ एवं हानि लेखा में निर्धारित किया गया है।

5.7 सामान्यः

i. बैंक सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद एवं बिक्री के रिकार्ड निपटान तिथि को कर रहा है ।

ii. (क) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरणः

अंतरण बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है । अंतरण के समय जहाँ बाजार-मूल्य बही मूल्य से अधिक है, वृद्धि की उपेक्षा की जाती है तथा प्रतिभूति बही-मूल्य पर अंतरित की जाती है । ऐसे मामलों में जहां बाजार मूल्य बही-मूल्य से कम है, उस प्रतिभूति के विरूद्ध पहले ही रखे गए मूल्यह्रास के विरूद्ध प्रावधान और बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम करने के लिए समायोजित किया जाता है तथा अंतरण की तिथि को किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान, यदि हो, को मान्यता दी जाती है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है ।

(ख) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में :

यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई थी-

- क्या बट्टे पर, क्या उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में बही मूल/अभिग्रहण-मूल्य पर किया जाता है ।
- क्या प्रीमियम पर, उसका अंतरण एएफएस/एचएफटी श्रेणी में परिशोधन-मूल्य पर किया जाता है ।

उक्त दोनों मामलों में अंतरण के मामलों में, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः मूल्य-ह्रास, यदि हो, का प्रावधान किया जाता है ।

(ग) प्रतिभूतियों के एएफएस से एचएफटी श्रेणी अथवा इसके विपरीत अंतरण के मामले में प्रतिभूतियों का पुनः मूल्यांकन अंतरण की तिथि को नहीं किया जाता तथा उपचित मूल्य-हास, यदि हो, हेतु प्रावधान एचएफटी प्रतिभूतियों के विरुद्ध मूल्य-ह्रास तथा इसके विपरीत हेतु प्रावधानों को अंतरित किया जाता है।

6. ब्याज दर स्वैप

6.1. ब्याज दर का स्वैप : (हेजिंग)

i. सतत स्वैप लेनदेनों पर आय उस स्वैप को छोडकर, जो आस्ति या देयता से संबंधित है तथा वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य या कम लागत पर की गई है, का निर्धारण संचयी आधार पर किया गया है। उस मामले में स्वैप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिणामरूपी लाभ या हानि, बाजार मूल्य या संबंधित आस्ति या देयता के समायोजन के रूप में दर्ज किए गये हैं ।

ii. जब समायोजित लाभ/ हानि संबंधित आस्ति या देयता में निर्धारित किये जाते हैं, तब समाप्त किये गये स्वैप लेनदेनों पर लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है । इस प्रकार, समाप्त किये गये स्वैप पर लाभ या हानि, स्वैप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/देयता का शेष समय, जो भी कम हो, तक आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं ।

6.2. ब्याज दर स्वैप (व्यापार)

i. व्यापार स्वैप के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है तथा परिवर्तनों को लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया गया है ।

ii. ऐसे स्वैपों से संबंधित आय एवं व्यय को निपटान तारीख में निर्धारित किया गया है ।

iii. शुल्क का निर्धारण आय या व्यय के रूप में किया गया है ।

iv. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि, ऐसी समाप्ति के तुरन्त बाद आय या व्यय के रूप में दर्ज की गई हैं ।

7. अग्रिम

7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋण और अग्रिमों का उल्लेख अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है ।

7.2 अग्रिमों का वर्गीकरण मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं उधारकर्ता-वार हानि आस्तियां के रूप में किया गया है ।

7.3 भा रि बैं द्वारा निर्दिष्ट वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए गए तथा मूल्यांकन अनुसार अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं ।

7.4 तुलनपत्र में उल्लिखित अग्रिम विशिष्ट ऋण हानि का निवल है ।

7.5 पुन:संरचित/पुनर्निधारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिनके अनुसार पुनर्निर्धारण से पूर्व और इसके बाद ऋण के उचित मूल्य में अंतर हेतु प्रावधान किया गा है । उचित मूल्य में कमी (डीएफवी) हेतु प्रावधान अग्रिम से कम किया जाता है ।

redemption of Debentures / Bonds is recognized on the date of redemption.

ii. Profit on sale of investments held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in the Profit and Loss Account.

iii. Profit on sale of investments in "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and an equivalent amount of profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

iv. Loss on sale of investments in all the three categories is recognized in Profit and Loss Account.

5.7 General

i. Purchase and sale transactions in Government and other than Government Securities are recorded on the date of settlement.

ii. a) Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category :

Transfer is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation already held against that security and the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer is recognized and adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

b) In case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category :

If the security originally placed under HTM category;

- is at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price / book value.

-is at a premium, it is transferred to AFS/HFT category at the amortised cost.

After transfer in both the above cases, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

c) In case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and depreciation already held if any, is transferred to the provision for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

6. INTEREST RATE SWAPS :

6.1 Interest Rate Swaps: (Hedging)

i. Income on continuing swap transactions is recognized on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. In that case, the swap is marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value or designated asset or liability.

ii. Gains / losses on terminated swap transactions are recognized when the offsetting gain or loss is recognized on the designated asset or liability. Thus, the gain or loss on the terminated swap is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated asset / liability.

6.2 Interest Rate Swaps: (Trading)

i. Trading swaps are marked to market with changes recorded in the Profit and Loss Account;

ii. Income and Expenses relating to these swaps are recognized on the settlement date;

iii. Fee is recognized as income or expense as the case may be;

iv. Gains or losses on the termination of the swaps are recorded immediately as income or expenses on such termination.

7. ADVANCES

7.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

7.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets borrower-wise.

7.3 Provisions are made for Non Performing Assets as per the extant guidelines prescribed by Reserve Bank of India and additional provision as assessed.

7.4 Advances stated in the Balance Sheet are net of specific loan loss provisions.

7.5 For restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for. The Provision for Diminution in Fair Value (DFV) is reduced from advances.

7.6 अनर्जक के रूप में वर्गी्रकृत ऋण खातों के मामले में, खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

7.7 पिछले वर्ष अपलिखित ऋणों में वसूली गई राशि को वसूली के वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में माना जाता है ।

7.8 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किया जाता है । इन प्रावधानों को तुलन पत्र के अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिन्हें निवल अनर्जक आस्तियों के आकलन के समय ध्यान में नहीं लिया जाता है।

8 अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास तथा परिशोधन:

8.1 मूल:

8.1.1 भूमि तथा परिसर के अतिरिक्त अचल आस्ति को लागत के रूप में लिया जाता है, क्षति यदि हो तो, मूल्यह्रास के रूप में समायोजित किया जाता है । लागत में क्रय मूल्य तथा सभी व्यय जैसे तैयारी, प्रतिष्ठापन लागत तथा उपयोग के पहले आअस्ति पर किया गया अन्य प्रभार सम्मिलित हैं । बाद में उपयोग हेतु आस्ति पर उपगत अन्य प्रभार केवल आस्ति से भविष्य लाभ में वृद्धि से पूंजीगत किया जाता है ।

8.1.2 भूमि/परिसर, जिनका पुन: मूल्यांकन किया गया है, को पुनर्मूल्यांकन राशि के रूप में लिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन तिथि पर संचित मूल्यह्रास सकल वहन राशि में परिवर्तन के अनुपातिक रूप से पुनर्कथन द्वारा गणना की जाती है ताकि पुनर्मूल्यांकन पश्चात वहन राशि, लेखा मानक एएएस-10 (परिशोधित) सम्पत्ति, प्लांट तथा संयंत्र के अनुसार अपनी पुनर्मूल्यांकित राशि के समतुल्य हो । पुन: मूल्यांकन पर मूल्य-वर्धन को पुन: मूल्यांकन रिज़र्व को जमा किया जाता है और वृद्धिशील मूल्यह्रास, यदि पुन: मूल्यांकित राशि से संबंधित हो, को इससे घटाया जाता है ।

8.1.3 परिसर लागत में भूमि, पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टा स्वामित्व सम्मिलित हैं ।

8.1.4 मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास स्ट्रेट लाईन आधार पर चल आस्ति की अनुमानित उपयोगी आयु पर लगाया जाता है । प्रबंधन का मानना है कि बैंक द्वारा मूल्यांकित आस्ति की उपयोगी आयु वातावरण, तकनीकी में परिवर्तन तथा उपयोग में आस्ति की उपयोगिता, संबंधित आस्ति की उपयोगी आयु का प्रतिनिधित्व करता है । चल आस्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु निम्न अनुसार है :

विवरण	अवशिष्ट मूल्य	बैंक द्वारा निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन
परिसर - पूर्ण स्वामित्व (फ्रिहोल्ड)	मूल लागत का 5%	60 वर्ष
अन्य अचल सम्पत्ति :		
सुरक्षित जमा लॉकर, सुरक्षित कक्ष दरवाजे, तिजोरी	रु.1/-	30 वर्ष
फर्नीचर,फिक्स्चर,विद्युत फिटिंग, वातानुकूल संयंत्र और उपकरण	रु.1/-	10 वर्ष
स्वचलित टेल्लर मशीन/नकद जमा मशीन/कॉइन डिस्पेनसर/कॉइन वेंडिंग मशीन	रु.1/-	7 वर्ष
कार्यालय उपकरण	रु.1/-	5 वर्ष
मोटर कार,वैन एवं मोटर साईकल	मूल लागत का 5%	5 वर्ष
कम्प्यूटर और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अभिन्न अंग	रु.1/-	3 वर्ष

ii. रु. 10,000/- के समतुल्य तथा कम मूल लागत वाली आस्तियों का 100% मूल्यह्रास किया जाता है जिसका अवशिष्ट मूल्य रु. 1/- माना जाता है ।

8.1.5 परिशोधन

i) पट्टागत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त प्रीमियम एवं उस पर निर्मित भवनों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि अथवा 60 वर्ष, जो भी पहले हो, में किया गया है।

ii) साफ्टवेयर के परिशोधित मूल्य को अमूर्त आस्ति माना गया है ।

क. कोर बैंकिंग सोलूशन (सीबीएस) के अंतर्गत प्राप्त सॉफ्टवेयर को पाँच वर्ष के उपयोगी अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है ।

ख. अन्य सॉफ्टवेयर को अधिप्राप्ति के वर्ष में प्रभारित किया जाता है ।

iii) पुनर्मूल्यांकित आंकडे पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में समायोजित की जाती है ।

iv) पट्टा स्वामित्व परिसर में सुधार को पट्टा की शेष प्राथमिक अवधि पर प्रभारित किया जाता है ।

v) वर्ष के दौरान खरीदे एवं बेचे गए आस्तियों हेतु, मूल्यह्रास बैंक द्वारा यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है ।

vi) जहाँ भी आस्ति की अनुमानित उपयोगी आयु में संशोधन हो तो, गैर-परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि कथित परिशोधित शेष उपयोगी आयु के उपर प्रभारित किया जाता है ।

7.6 In the case of loan accounts classified as NPAs, account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the Reserve Bank of India.

7.7 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

7.8 General provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities and Provisions" and are not considered for arriving at Net NPAs.

8 FIXED ASSETS, DEPRECIATION AND AMORTISATION

8.1 PARENT :

8.1.1 Fixed Assets other than land and premises are stated at cost, less accumulated depreciation as adjusted for impairment loss, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation cost and other charges incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit from the asset.

8.1.2 Land/premises, which have been revalued are stated at revaluation amount. At the date of revaluation, accumulated depreciation is calculated by restating proportionately with the change in gross carrying amount so that the carrying amount after revaluation equals its revalued amount, as per the Accounting Standard AS-10 (Revised) Property, Plant and Equipment. The appreciation on revaluation is credited to revaluation reserve and incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted therefrom.

8.1.3 Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

8.1.4 Depreciation:

(i) Depreciation is charged over the estimated useful life of the fixed asset on a straight line basis. The management believes that the useful life of assets assessed by the Bank, taking into account changes in environment, changes in technology and the utility of the asset in use, represents the useful lives of the respective assets. The estimated useful lives of fixed assets are given below.

Particulars	Residual Value	Estimated useful life as determined by the Bank
Premises – Freehold	5% of original cost	60 Years
Other Fixed Assets:		
Safe Deposit Lockers, Strong Room Doors, Safe	₹ 1/-	30 Years
Furniture, Fixtures, Electrical fittings, Air-conditioning plants and Equipment	₹ 1/-	10 Years
Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine/Coin Dispenser / Coin Vending Machine	₹1/-	7 Years
Office Equipment's	₹ 1/-	5 Years
Motor cars, Vans & Motor cycles	5% of original cost	5 Years
Computers and Computer Software forming integral part of hardware	₹ 1/-	3 Years

(ii) Assets having original cost of less than or equal to ₹ 10,000/- are being depreciated 100% leaving a residual value of ₹1/- only.

8.1.5 Amortisation :

i. Premium wherever is paid for acquisition of leasehold land, such premium along with cost of the buildings constructed thereon is amortised over the period of lease or 60 years whichever is earlier.

ii. Acquisition cost of software is treated as intangible assets.

a. Software acquired under Core Banking Solution (CBS) is amortised over its estimated useful life of five years.

b. Other software acquired is charged off in the year of acquisition.

iii. Depreciation on revalued figures have been adjusted against the revaluation reserve.

iv. Improvements to leasehold premises are charged off over the remaining primary period of lease.

v. For assets purchased and sold during the year, depreciation is provided on pro-rata basis by the Bank.

vi. Whenever there is a revision of the estimated useful life of the asset, the unamortised depreciable amount is charged over the revised remaining useful life of the said asset.

vii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ, निवल कर तथा सांविधिक आरक्षिति के अंतरण को पूंजी आरक्षिति खाता में अंतरित किया जाता है ।

8.2 अनुषंगी

8.2.1 अचल परिसंपत्तियाँ –

पट्टे पर दिये गये परिसंपत्तियों को जिन्हें रूपये 1/- पर मूल्यांकित किया गया है इनके अलावा सभी स्थायी परिसंपत्तियों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

8.2.2 मूल्यह्रास

8.2.2.1 स्वयं के प्रयोग की परिसंपत्तियाँ –

मूल्यह्रास प्रावधान नहीं किया गया चूँकि आस्तियों के मूल्य दि. 31.03.2019 को आस्तियों के शेष हैं ।

8.2.2.2 पट्टे पर लिये गये परिसंपत्तियाँ –

मेसर्स इनकैब इंडस्ट्रीज लि. को पट्टेपर दिये गये मशीनरी के शेष मूल्य को रूपये 1/- निर्धारित किया गया है । पट्टे पर दिये गये परिसंपत्तियों के लिये कोई प्रावधानीकरण नहीं किया गया है ।

9. कर्मचारी लाभ

9.1. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा सेवा के दौरान 12 माह के अंदर देय अल्पावधि कर्मचारी लाभ की राशि को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा कर्मचारी द्वारा दी गयी संबंधित सेवाएं की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है ।

9.2 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i. परिभाषित योगदान योजनाएं :

मान्यताप्राप्त भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) हेतु देय अंशदान परिभाषित योगदान योजना है तथा इसे लाभ एवं हानि खाता में प्रभारित किया जाता है ।

बैंक में 1 अप्रैल 2010 के बाद बैंक में जुआइन हुए सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेशन योजना (एनपीएस) परिचालन में है, जो परिभाषित योजना है । ऐसे नए जुआइनी वर्तमान पेंशन योजना के भागी बनने हेतु पात्र नहीं है । योजना के अनुसार कवर प्राप्त कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और बैंक से तदनुरूपी राशि का अंशदान देते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया की पूर्ति तक संबंधित कर्मचारियों के अंशदान बैंक में रख लिए जाते हैं । बैंक ऐसे वार्षि अंशदान को संबंधित वर्ष में गणना में लेता है । स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर (प्रान) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस न्यास को अंतरित किया जाता है ।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएं :

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएं हैं ।

क) ग्रेच्युटी

कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग योजना के जरिए जीवन बीमा निगम/बैंक द्वारा प्रबंधित है । ग्रेच्युटी के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य, शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है ।

ख) पेंशन

कर्मचारी पेंशन निधि को बैंक द्वारा निधि दी गयी है एवं एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित है । पेंशन के अंतर्गत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना गया है एवं योजना आस्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व पहचानने के लिए सकल दायित्वों से काटा गया है ।

ग) छुट्टी नकदी करण -

साधिकार अवकाश को दीर्घावधी सुविधा माना गया है और प्रत्येक तुलन पत्न तिथि को "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट प्रणाली" पर बीमांकिक के आधार पर मान्यता दी गई है ।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी सुविधाएं :

क) बैंक के सभी पात्न कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति, रजत जयंती पुरस्कार, छुट्टी यात्ना रियायत, सेवानिवृत्ति पुरस्कार और रीसेटलमेंट भत्ते के लिए पात्न हैं । कर्मचारी की ऐसी दीर्घावधि सुविधाओं का बैंक द्वारा आंतरिक निधीकरण किया जाता है ।

ख) अन्य दीर्घावधि सुविधाएं प्रदान करने की लागत का पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन पत्न तिथि को बीमांकक मूल्यांकन करते हुए निर्धारित किया जाता है । पिछली सेवा लागत की गणना लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल गणना में लिया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता ।

10. प्रति शेयर अर्जन :

क) प्रति शेयर मूल तथा डाइलूटेड अर्जन एएस-20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार रिपोर्ट की जाती है । प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन उस अवधि के दौरान शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर पश्चात निवल लाभ के विभाजन द्वारा गणना की जाती है ।

vii. Profit on sale of immovable property, net of taxes and transfer to statutory reserve, are transferred to capital reserve account.

8.2 SUBSIDIARY :

8.2.1 Fixed Assets :

All Fixed Assets are valued at cost except leased assets which were valued at ₹1/-.

8.2.2 Depreciation :

8.2.2.1 Assets for Own Use :

Depreciation has not been provided as value of the assets are residual value of the assets as at 31.03.2019.

8.2.2.2 Assets leased out :

The residual value of machinery under lease to M/s. Incab Industries Ltd is valued at ₹1/- no depreciation has been provided on the Assets Leased out.

9. EMPLOYEE BENEFITS

9.1 Short Term Employee Benefits :

The undiscounted amounts of short-term employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service by employees are classified as short term, and are recognized during the period in which the employee renders the related service.

9.2 Long Term Employee Benefits :

i. Defined Contribution Plans :

Contributions payable to the recognized provident fund / National Pension Scheme (NPS), are defined contribution plan and charged to the profit & loss account.

The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 1st April, 2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution for the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained with the Bank. The Bank recognizes such annual contributions in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

ii. Defined Benefit Plans

Employees' gratuity, pension and leave encashment are defined benefit plans.

a. Gratuity :

The Employees' Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds through approved schemes of Life Insurance Companies. The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

b. Pension :

The Employees' Pension Fund is funded by the Bank and is managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

c. Leave Encashment :

The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'Projected Unit Credit method' at each balance sheet date.

iii. Other Long Term Employee Benefits :

a. All eligible employees of the Bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

10. EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS-20 "Earnings Per Share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period

ख) प्रति ईक्विटी शेयर डाईलुटेड अर्जन ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा उस अवधि के अंत में शेष डाईलुटेड संभावित ईक्विटी शेयरों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है

11. आय पर कर

11.1. आयकर व्यय निम्नलिखित की कुल राशि है ।

i. चालू कर प्रावधान और

ii. आस्थगित कर प्रभार

11.2. चालू कर प्रावधान कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में निर्धारित अवधि हेतु कर राशि है ।

11.3. आस्थगित कर प्रभार का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 'आय पर कर हेतु लेखांकन' के अनुसरण में किया गया है और यह वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्ति या देयता का निवल अंतर है । आस्थगित आय कर में वर्तमान वर्ष के दौरान करादेय आय और लेखांकन आय के बीच के समय अंतर और पिछले वर्ष के समय अंतर के प्रतिवर्तन का प्रभाव प्रतीत होता है ।

11.4. आस्थगित कर आकलन तुलन-पत्र की तिथि को कर दरें और पारित या पर्याप्त रूप से पारित कर विधि के आधार पर किया जाता है।

11.5. आस्थगित कर आस्तियों को गणना में तब तक नहीं लिया जाता है जब तक की युक्तिपूर्ण निश्चितता न हो कि भविष्य में ऐसे आस्थगित कर आस्तियों के प्रति पर्याप्त करादेय आय की वसूली होगी ।

11.6 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली के युक्तिपूर्ण/आभासी निश्चितता के संबंध में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर गणना में लिया जाता और पुन: मूल्यांकन किया जाता है।

11.7. विशेष रिज़र्व

राजस्व और अन्य रिज़र्व में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व शामिल है । बोर्ड के निदेशक मंडल ने रिज़र्व के सृजन को अनुमोदित करते हुए और विशेष रिज़र्व से आहरण करने का उद्देश्य न होने के संबंध में पुष्टि करते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने संकल्प पारित किया है ।

12. आस्तियों का ह्रास :

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को यह निर्धारण किया जाता है कि क्या किसी प्रकार की आस्ति की हानि हुई है, यदि इस प्रकार की कोई हानि हुई है तो उनकी अनुमानित वसूली योग्य राशि का आस्ति के आधिक्य तक लाभ एवं हानि विवरणी में प्रावधान किया गया है ।

13. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक आस्तियां

13.1. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29 "प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और प्रासंगिक आस्तियां" के अनुपालन में, बैंक प्रावधानों को निम्नलिखित स्थिति में ही गणना में लेता है:

ii. पूर्व घटना के कारण वर्तमान बाध्यता है ।

iii. बाध्यता के निपटान हेतु आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना है और

iv. बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सके ।

13.2 निम्नलिखित हेतु प्रावधान को गणना में नहीं लिया जाता है:

i. पूर्व घटना के कारण बाध्यता के उत्पन्न होने की संभावना जो भविष्य में एकाधिक घटनाओं, जो पूर्णत: बैंक के नियंत्रण में न हो, के घटित होने या न होने पर आधारित हो; अथवा

ii. पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी वर्तमान बाध्यता पर जो मान्य नहीं है क्योंकि

क) बाध्यता का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना नहीं है ।

ख) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है । ऐसी बाध्यताओं को प्रासंगिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है । नियमित अंतराल पर इनका आकलन किया जाता है और आर्थिक सुविधाओं के रूप में निधि के बहिर्गमन की संभावना वाले अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों को छोडकर, जहाँ कोई विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है ।

13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है ।

14. निवल लाभ

लाभ एवं हानि खाता में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात प्रकट किया जाता है:

i. निवेशों पर मूल्यह्रास का प्रावधान

ii. कराधान हेतु प्रावधान

iii. ऋण हानियों के लिए प्रावधान

iv. मानक आस्तियों पर प्रावधान

v. अनर्जक निवेशों पर प्रावधान

vi. अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान।

b) Diluted earnings per equity share are computed using weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

11. TAXES ON INCOME :

11.1 Income tax expense is the aggregate amount of :

i. Current tax provision and

ii. Deferred tax charge.

11.2 Current tax provision is the amount of tax for the period which is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and the rules made there under.

11.3 Deferred tax charge is determined in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 'Accounting for Taxes on Income' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and is the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income and reversal of timing differences of earlier years.

11.4 Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

11.5 Deferred tax assets are not recognized unless there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

11.6 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon the management's judgment as to whether realisation is considered as reasonably / virtually certain.

11.7 Special Reserve :

Revenue and other Reserves include Special Reserve created under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that there is no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Statement of Profit and Loss to the extent the carrying amount of assets exceeds their estimated recoverable amount.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

13.1 In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when :

i. It has a present obligation as a result of a past event.

ii. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

iii. When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

13.2 No provision is recognized for :

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognized because

a. It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

b. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

13.3 Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

14. NET PROFIT

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after:

i. Provision for depreciation on investments.

ii. Provision for taxation.

iii. Provision on loan losses

iv. Provision on standard assets.

v. Provision for non-performing investments

vi. Other usual and necessary provisions.

अनुसूची- 18

समेकित वित्तीय विवरणियों के लेखों पर टिप्पणियां : 2018-19

क. **अनुषंगी/एसोसियेट/संयुक्त उद्यमों की सूची, जिन्हें समेकित वित्ती य विवरणियों की तैयारी हेतु ध्यान में रखा गया है : :**

क्र.सं	संस्था	निगमित देश	समूह का हिस्सा (%)	
			31.03.2019	31.03.2018
क) अनुषंगी :				
1	आन्ध्रा बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
ख) सहयोगी :				
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
ग) संयुक्त उद्यम :				
1	इंडिया फस्ट लाईफ इन्शुरेन्स कंपनी लिमिटेड	भारत	30.00	30.00
2	एएसआरईसी (भारत) लिमिटेड	भारत	26.02	26.02
3	भारतीय अन्तभरराष्ट्रीमय बैंक (मलेशिया) बरहाद	मलेशिया	25.00	25.00

ख. **समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का आधार**

मूल बैंक तथा इसकी अनुषंगी, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय विवरणियों (सीएफएस) की तैयारी, जब तक अन्यथा निर्देशित न किया जाए, लागू सांविधिक/विनियामक प्रावधानों, लेखा मानकों, भारत साधारणतया स्वीएकृत लेखा सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं, के सभी तात्विक पहलुओं के अनुपालन में की गई है । भारतीय अन्तएरराष्ट्रीय बैंक मलेशिया बरहाद कम्प नी की वित्तीय विवरणियां मलेशियाई वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एमएफआरएस), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) तथा मलेशिया में कम्प,नी अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

ग. **समेकन प्रक्रिया :**

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी लेखा मानक (एएस-21), 'समेकित वित्तीय विवरण (एएस-23)', 'समेकित वित्तीय विवरणियों (एएस-27) में एसोसिएटों में निवेश हेतु लेख तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' तथा समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है । बैंक तथा इसके अनुषंगी की वित्तीय विवरणियों को, इंट्रा-ग्रुप शेष/लेन-देन तथा परिणामी अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के पश्चात्, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी कुल राशियों को जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित किया गया है

घ. अनुषंगी की वित्तीय विवरणियों को, जहाँ आवश्यक हो, बैंक की लेखा नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है ।

ङ. अनुषंगी, सहयोगी तथा 3 संयुक्त उद्यम प्रचलित विधि तथा प्रक्रियाओं के अनुसार लेखा नीतियों का निरंतर पालन कर रहे हैं, जो संबंधित व्यवसाय आवश्यकताओं के दृष्टिगत कुछ मामलों में मूल बैंक से भिन्न हैं । प्रबंधन की राय में इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी समेकित वित्तीय विवरणियों में समायोजन की आवश्यकता पड़े ।

च. आन्ध्राो बैंक वित्तिय सेवाएं लिमिटेड (एबीएफएसएल) में आन्ध्रो बैंक के निवेश को बही मूल्यं को निवेशों पर मूल्यह्रास के कारण ''शून्ये'' (पिछले वर्ष ''शून्यन'') कर दिया गया है । अत: आन्ध्राक बैंक द्वारा धारित एबीएफएसएल की शेयर पूँजी रु. 5 करोड को समेकित वित्तीषय विवरणों में पूँजी आरक्षण के रूप में दर्शाया गया है ।

छ. **आर.आर.बी. में निवेश हेतु लेखा :**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानक 23 के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) नामत: चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में शेयर पूंजी में 35% तक के निवेश का पिछले वर्ष अपनाई गई पद्धति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'ईक्विटी पद्धति' के अनुसार मूल्यांकन किया गया है । एसोसियेटों की निवल आस्तियों में रु. 148.36 करोड़ (रु 126.09 करोड़) की वृद्धि के कारण सहयोगियों के निवेश के मूल्यों में समायोजित किया गया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) की अपरीक्षित लेखा परीक्षा के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणियों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु तैयार करने के लिए विचार किया गया है ।

ज. **संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु लेखा :**

(ळ) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी कंपनियों के संबंध में संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा मानक 27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति के अंतर्गत लेखबद्ध किया गया है । निवेश राशि और कंपनी को इक्विटी में निवेश के नाम-मात्र मूल्य में अंतर को गुडविल/आरक्षित पूंजी के रूप में पहचाना गया है ।

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS : 2018-19

A. **List of Subsidiary, Associate and Joint Ventures considered for preparation of Consolidated Financial Statements:**
The 1 Subsidiary, 1 Associate and 3 Joint Ventures (which along with Andhra Bank, the parent, constitute the group) considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

S.No.	Entity	Country of Incorporation	Group's Stake (%)	
			31.03.2019	31.03.2018
a) Subsidiary:				
1.	Andhra Bank Financial Services Limited	India	100.00	100.00
b) Associate:				
1.	Chaitanya Godavari Grameena Bank	India	35.00	35.00
c) Joint Ventures:				
1.	India First Life Insurance Company Limited	India	30.00	30.00
2.	ASREC (India) Limited	India	26.02	26.02
3.	India International Bank(Malaysia) Berhad	Malaysia	25.00	25.00

B. **Basis of preparation of Consolidated Financial statements.**
The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Parent Bank and its Subsidiary, Associate and Joint Ventures are prepared to comply in all material respects with applicable statutory / regulatory provisions, accounting standards, Generally Accepted Accounting Principles and practices prevailing in India, unless otherwise stated. The financial statements of India International Bank (Malaysia) Berhad comply with the Malaysian Financial reporting Standards ('MFRS"), International Financial reporting Standards ("IFRS") and the requirements of the Companies Act, 2016 in Malaysia.

C. **Consolidation Procedure:**
The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the Accounting Standards (AS-21) "Consolidated Financial Statements", (AS-23) "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and (AS-27) "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements. The financial statements of the Bank and its subsidiary are combined on a line by line basis by adding together like sum of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating material intra group balances / transactions and resulting unrealized profit / loss.

D. The financial statements of subsidiary, are adjusted, wherever necessary, to conform to the accounting policies of the Bank.

E. The Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures are following accounting policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent Bank in a few cases because of respective business requirements. In the opinion of the management the impact of the same is not material which requires adjustment in Consolidated Financial Statements.

F. The Book value of the investment of Andhra Bank in Andhra Bank Financial Services Ltd (ABFSL) has been reduced to ₹Nil (Previous year ₹Nil) due to depreciation on investments. Therefore, the share capital of ABFSL held by Andhra Bank, amounting to ₹5 crore (Previous year ₹5 crore), has been reflected as Capital Reserve in the Consolidated Financial Statements.

G. **Accounting for investment in RRB:**
In conformity with the guidelines issued by the Reserve Bank of India the investment in Regional Rural Bank (RRB) namely Chaitanya Godavari Grameena Bank to the extent of 35% of the share capital is valued as per "equity method" as prescribed under the Accounting Standard 23 issued by the Institute of Chartered Accountants of India in line with methods followed in previous year. The value of investment in associate has been adjusted due to increase in net assets of the associate by ₹148.36 crore (₹126.09 crore). The RRB unaudited financials has been considered for preparation of consolidated financial statements of the Bank for the year ended 31st March 2019.

H. **Accounting for investment in Joint Ventures:**

(i) The investments in joint ventures have been accounted as per Accounting Standard 27 with regard to the Companies, India First Life Insurance Co. Ltd, ASREC (India) Limited and India International Bank (Malaysia) Berhad under 'Proportionate Consolidation Method'. The difference between the amount invested and the nominal value of the investment in the equity of the company has been recognized as goodwill/capital reserve.

(ii) इन्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा एएसआरईसी (इन्डिया) लिमिटेड को छोड़कर, संयुक्त उद्यमों की विधिवत लेखा परीक्षा उनके सम्बन्धित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, यहाँ पर समेकन हेतु गैर–लेखा परीक्षा वित्त का ध्यान रखा गया है

(iii) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद की 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियां निगमन हेतु विचार की गई हैं तथा इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है ।

(iv) विदेशी संयुक्त उद्यमों में निवेश के बही मूल्य में अंतरण से उत्पन्न अंतर, आगे लाई गई हानि तथा अचल आस्तियों का खुला शेष को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित करने को 'विदेशी मुद्रा अंतर प्रारक्षिती' के रूप में माना गया है ।

(v) 31.03.2019 को इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद, की निम्न मदे समेकित वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित की गई है, जो भिन्न लेखांकन नीति अर्थात मलेशियाई वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आधारित है ।

िववरण	अनुसूची	ुपये करोडोमें	
		31.03.2019	31.03.2018
जमा	3	58.02	47.59
उधार	4	---	1.60
अन्य देयता	5	0.38	0.47
नकद	6	0.19	0.29
बैंक में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय	7	131.5 1	124.50
राशि	9	23.18	20.42
अग्रिम	10	0.19	0.15
अचल आस्तियां	11	1.08	0.50
अन्य आस्तियां	12	22.15	25.68
आकस्मिक देयता	13	7.38	6.39
अर्जित ब्याज	14	0.71	0.63
अन्य आय	15	1.51	1.53
खर्चा गया ब्याज	16	5.42	5.41
परिचालनिक व्यय			
लाभ /(हानि)		1.41	0.24

झ. संयुक्त उद्यमों के अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली गुडविल का ब्रेक–अप निम्नानुसार है:

(करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2019	31.03.2018
एएसआरईसी (इन्डिया) लिमिटेड	2.90	2.90
एएसआरईसी (इन्डिया) लिमिटेड	2.90	2.90

ञ. समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है

(₹ करोड़ मं)

	बेसल –खखख के अधीन पूंजी से जोखिम पर्याप्तता अनुपात	2018-19	2017-18
(i)	सामान्य इक्विटी टियर –ख पूंजी अनुपात (%)	8.55	5.71
(ii)	अतिरिक्त टियर –ख पूंजी अनुपात (%)	1.97	1.83
(iii)	टियर –ख पूंजी अनुपात (%)	10.52	7.54
(iv)	टियर –खख पूंजी अनुपात (%)	3.30	3.56
(v)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	13.82	11.10
(vi)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	90.85	77.99
(vii)	जारी इक्विटी पूंजी की राशि (रु करोड़ों में)	2019 3256$ 5275	1100 1890$ 2990

(ii) Joint Ventures have been duly audited by their respective auditors, except for India First Life Insurance Co. Ltd., and ASREC (India) Limited where in unaudited financials are considered for consolidation.

(iii) Financial statements of India International Bank (Malaysia) Berhad which are considered for incorporation pertains to the year ended 31st December, 2018 is approved by the Board of Directors of India International Bank (Malaysia) Berhad.

(iv) The differences arising on account of translation of book value of investment, brought forward loss and opening balance of fixed assets in overseas joint venture at the applicable exchange rate have been treated as 'Foreign Currency Translation Reserve'.

(v) The following Items in Consolidated Financial Statements as on 31st March, 2019 pertain to Indian International Bank (Malaysia) Berhad which are based on a different accounting policy i.e., Malaysian Financial Reporting Standards and International Financial Reporting Standards.

Particulars	Schedule	Amount in ₹ Crore	
		31.03.2019	31.03.2018
Deposits	3	58.02	47.59
Borrowings	4	---	1.60
Other Liabilities	5	0.38	0.47
Cash	6	0.19	0.29
Balances With Banks & Money at Call & Short Notice	7	131.51	124.50
Advances	9	23.18	20.42
Fixed Assets	10	0.19	0.15
Other Assets	11	1.08	0.50
Contingent Liability	12	22.15	25.68
Interest Earned	13	7.38	6.39
Other Income	14	0.71	0.63
Interest Expended	15	1.51	1.53
Operating Expenses	16	5.42	5.41
Profit/(Loss)		1.41	0.24

I. The breakup of Goodwill arising on the acquisition of Joint Venture is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Joint Venture	31.03.2019	31.03.2018
ASREC (India) Limited	2.90	2.90
Net Goodwill	2.90	2.90

J. Additional disclosures for consolidated financial statements are as under:

A. Capital to Risk Adequacy Ratio under BASEL-III	2018-19	2017-18
(i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	8.55	5.71
(ii) Additional Tier I capital ratio (%)	1.97	1.83
(iii) Tier I Capital Ratio (%)	10.52	7.54
(iv) Tier II Capital ratio (%)	3.30	3.56
(v) Total Capital ratio (CRAR) (%)	13.82	11.10
(vi) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	90.85	77.99
(vii) Amount of equity capital raised (in ₹ Crore)	2019* 3256$ 5275	1100* 1890$ 2990
(viii) Amount of Additional Tier 1 capital raised (in ₹ Crore) of which: Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) Perpetual Debt Instruments (PDI)	Nil Nil Nil	500 Nil 500

(viii) अतिरिक्त टीयर 1 की पूँजी राशि (रू करोड़ में) : जिनमें से : स्थोई असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) स्थोई ऋण लिखत (पीडीआई)	शू शू शू	500 शू 500
(ix) टीयर 2 की पूँजी राशि (रु करोड़ में) जिनमें से : ऋण पूँजी लिखत : अधिमानी शेयर पूँजी लिखत : स्थााई संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)	शू शू शू शू शू शू	1000# 1000 शू शू शू शू
ख. अर्जन प्रति शेयर (प्रति रू 10/- का अंकित मूल्य)		
अर्जन प्रति शेयर (मूल एवं विघटित)	(18.71)	(38.41)
मूल तथा विघटित ईपीएस का परिकलन		
निवल लाभ (रु करोड़ों में)	(2745.00)	(3365.72)
भारित औसत शेयर की संख्या (रु करोड़ों में)	146.58	87.64
प्रति शेयर मूल तथा विघटित अर्जन (रु)	(18.71)	(38.41)

(*) बैंक ने 10/- रु प्रति शेयर मूल्य के 53,99,83,952 इक्विटी शेयरों का आवंटन रु. 37.39/- प्रति शेयर पर नकदी में (इसमें प्रति शेयर 27.39/- रु. का प्रीमियम शामिल) है को अधिमानी आधार पर भारत सरकार को दिनांक 11.10.2018 को आवंटित किया है जिसकी सकल कीमत रु. 2018,99,99,965.20/- है । (गत वर्ष 05.08.2017 को 1099,99,99,962.00 रु. के 19,16,37,630 इक्विटी शेयर, 57.40/- रु. प्रति शेयर जिसमें 47.70/- रु. प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल है ।)

()बैंक ने 10/- रु प्रति शेयर मूल्य के 114,56,72,061 इक्विटी शेयरों का आवंटन रु. 28.42/- प्रति शेयर पर नकदी में (इसमें प्रति शेयर 18.42/- रु का प्रीमियम शामिल) है को अधिमानी आधार पर भारत सरकार को दिनांक 28.03.2019 को आवंटित किया है जिसकी सकल कीमत रु. 3255.99.99.973.60/- है । (गत वर्ष 28.03.2018 को 1889,99,99,968.85 रु. के 32,60,30,705 इक्विटी शेयर, 57.97/- रु प्रति शेयर जिसमें 47.97/- रु प्रति शेयर का प्रीमियम शामिल है ।)

वर्ष के दौरान, बैंक ने पूंजी जुटाने के लिए 10 करोड़ इक्विटी शेयर तक का नया इश्यु जिसमें 25% से अधिक की छूट नहीं हो कि ईएसपीएस (कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) का अनुमोदन किया है । योजना सबस्क्रिप्शन के लिए दिनांक 11.03.2019 से 20.03.2019 तक छूट की गई कीमत रू 19.26/- प्रति शेयर समग्र कीमत रू 192.60/- करोड़ के लिए खोली गई । उक्त कथित शेयरों का आवंटन वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 24.04.2019 को किया गया ।

ट. कर्मचारी लाभ (लेखा मानक 15) (मूल)

बैंक ने 01.04.2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-15 (संशोधित) अपनाया है ।

ळ) ग्रेच्युटी

बैंक उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है जो नियमानुसार बैंक से सेवानिवृत्त/पदत्याग करते हैं । बैंक प्रतिवर्ष देय, ग्रेच्युटी के निधियन हेतु, न्यास में योगदान करता है । ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुसार, प्रतिवर्ष ग्रेच्युटी का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है । ऋण बीमांकन पद्धति इकाई के अनुमान के अनुसार ग्रेच्युटी देयता के बीमांक मूल्यांकन की आकलन छूट दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर तथा स्टाफ ह्रास दर से संबंधित कुछ धारणाओं के आधार पर किया जाता है ।

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी का आकलन दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है, यानि, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 तथा सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी अत्यधिक लाभदायक राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

ii) पेंशन

बैंक द्वारा एक निश्चित योजना के अनुसार उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है तथा उन्हें भी जो 29.09.1995 को अथवा उसके बाद किंतु 01.04.2010 से पहले बैंक की सेवा में आए । आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 के अनुसार योजना के तहत बैंक से उनकी सेवाओं की समाप्ति पर इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन दी जाती है । पेंशन निधि का प्रबंध आन्ध्रा बैंक कर्मचारी पेंशन न्यास द्वारा किया जाता है ।

दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद कार्यरत होने वाले कर्मचारी निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के पात्र होंगे, जिसके अंतर्गत कर्मचारी आय एवं पात्र भत्ते का 10% देगा तथा इतनी ही राशि बैंक द्वारा दी जाएगी और इसका प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समय समय पर किया जाएगा ।

iii) भविष्य निधि

बैंक सांविधानिक आवश्यकता के अनुसार अपने कर्मचारियों जिन्होंने दिनांक 31.03.2010 को या उसके पहले बैंक सेवा कार्यभार ग्रहण किया है, हेतु सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत भविष्य निधि का प्रावधान रखता है । निधि का संचालन एक न्यास द्वारा किया जाता है । प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा पात्र भत्ते का 10% योगदान करता है तथा बैंक इतनी ही राशि गैर-पेंशन विकल्प वाले कर्मचारियों हेतु फंड में योगदान देता है । फंड में निवेश भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश प्रक्रिया के अनुसार होता है ।

(ix) Amount of Tier 2 capital raised (in ₹ Crore) of which: Debt capital instrument Preference Share Capital Instruments Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) Redeemable Non- Cumulative Preference Shares (RNCPS) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	Nil Nil Nil Nil Nil Nil	1000 1000 Nil Nil Nil Nil
B. Earnings per share (face value of ₹10/- each)		
Earnings per Share Basic & Diluted (₹)	(18.71)	(38.41)
Calculation of Basic & Diluted EPS:		
Net Profit (in ₹crore)	(2742.00)	(3365.72)
Weighted Average No of Shares (in ₹ crore)	146.58	87.64
Basic & Diluted Earnings per Share (₹)	(18.71)	(38.41)

(*****) The Bank has allotted 53,99,83,952 equity shares of ₹10/- each for cash at ₹37.39p per share (including premium of ₹27.39p per share) on preferential basis to Government of India on 11.10.2018, amounting ₹2018,99,99,965.20p (PY 19,16,37,630 equity shares at ₹57.40p per share including premium of ₹47.70p per share on 05.08.2017 amounting to ₹1099,99,99,962.00).

($) The Bank has allotted 114,56,72,061 equity shares of ₹10/- each for cash at ₹28.42p per share (including premium of ₹18.42p. per share) on preferential basis to Government of India on 28.03.2019, amounting ₹3255,99,99,973.60 (32,60,30,705 equity shares at ₹57.97p per share including a premium of ₹47.97p per share on 28.03.2018 amounting to ₹1889,99,99,968.85).

During the year, Bank has approved a scheme for raising of capital through ESPS (Employee Stock purchase Scheme) up to 10 crore fresh issue of equity shares at a discount not exceeding 25%. The scheme was opened for subscription from 11.03.2019 to 20.03.2019 at a discounted price of ₹19.26p per equity share aggregating to ₹192.60 crore. The said shares have been allotted during the current financial year on 24.04.2019.

K. Employee Benefits (AS 15) (Parent):

The Bank has adopted Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India with effect from 01.04.2007

i. Gratuity

Bank pays gratuity to employees who retire/resign from Bank's service as per rules. The Bank makes contributions to the Trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity funds rules, actuarial valuation of gratuity is done every year. Actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding discount rate, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The gratuity payable to the employees is worked out by way of two methodologies i.e., as per the Payment of Gratuity Act, 1972 and other as per service rules and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

ii. Pension

Bank pays pension under a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.09.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from the bank's service as provided for in Andhra Bank Employees' Pension Regulations, 1995. Pension Fund is managed by Andhra Bank Employees Pension Fund Trust.

Employees who joined on or after 01.04.2010 are entitled to Defined Contributory Pension scheme where under the scheme, employee will contribute 10% of pay and eligible allowance with equivalent contribution being made by the Bank and the same will be maintained as per the guidelines issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority from time to time.

iii. Provident Fund

Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to the employees who joined the bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the bank. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and Bank contributes an equal amount to the fund in respect of non-pension optees. The investment of the fund is made according to the investment pattern prescribed by the Government of India.

iv) **अवकाश नकदीकरण:**

प्रत्येक कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निधन पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश अधिकतम 240 दिनों तक के नकदीकरण के लिए पात्र हैं तथा त्याग–पत्र पर उनके पास बकाया साधिकार अवकाश में से उक्त का 50% याने 120 दिन के साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होंगे ।

प्रति वर्ष अवकाश नकदीकरण का बीमांक मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार बैंक न्यास फंड में योगदान देता है ।

v) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते में नियोजनोत्तर लाभ एवं दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

(क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन **(₹ करोड़ों में)**

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटी (निधि युक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4980.97 (4655.41)	839.06 (617.48)	539.93 (485.24)
जोडें-ब्याज लागत	388.52 (358.00)	64.86 (45.86)	42.00 (35.91)
जोडें-चालू सेवा लागत	240.63 (214.66)	91.48 (309.62)	33.24 (51.69)
घटाएं-प्रदत्त लाभ	390.87 (319.00)	126.19 (76.27)	83.44 (80.11)
जोडें-बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	207.49 (71.90)	(42.03) (57.46)	41.44 (44.20)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन : **(₹ करोड़ों में)**

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त)	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य *	4971.92 (4613.42)	652.30 (614.34)	503.15 (438.21)
विगत वर्ष समायोजन	9.05 (42.00)	186.76 (3.14)	33.78 (47.03)
अभिग्रहण समायोजन	- (-)	- (-)	- (-)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	407.00 (370.00)	57.42 (48.84)	43.20 (38.02)
नियोक्ता का योगदान	429.76 (265.50)	57.00 (62.25)	74.00 (60.00)
प्रदत्त लाभ	390.87 (319.00)	126.19 (76.27)	83.44 (80.11)
बाध्यताओं पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	5426.86 (4971.92)	827.29 (652.30)	570.69 (503.15)

*प्रतिभूतियों के बही मूल्य उचित मूल्य माने गए हैं ।

iv. Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation / Voluntary Retirement/death however on resignation encashment of privilege leave will be restricted to the tune of 50% of privilege leave standing to the credit of the employee subject to a maximum of 120 days.

Actuarial valuation of leave encashment liability is done every year and accordingly, Bank is contributing to the fund.

v. The summarized position of post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

(a) Changes in the present value of the obligations:

(₹ in Crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Present value of obligation as at the beginning of the year	4980.97 (4655.41)	839.06 (617.48)	536.93 (485.24)
Add -Interest Cost	388.52 (358.00)	64.86 (45.69)	42.00 (35.91)
Add-Current Service Cost	240.63 (214.66)	91.48 (309.62)	33.24 (51.69)
Less-Benefits Paid	390.87 (319.00)	126.19 (76.27)	83.44 (80.11)
Add-Actuarial loss/ (gain) on obligations	207.49 (71.90)	- 42.03 (57.46)	41.44 (44.20)
Present value of obligation at year end	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)

(b) Change in the Fair Value of Plan Assets: (₹ in Crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year *	4971.92 (4613.42)	652.30 (614.34)	503.15 (438.21)
Previous Year's Adjustments	9.05 (42.00)	186.76 (3.14)	33.78 (47.03)
Acquisition Adjustments	- (-)	- (-)	- (-)
Expected/Actual Return on Plan Assets	407.00 (370.00)	57.42 (48.84)	43.20 (38.02)
Employer's contribution	429.76 (265.50)	57.00 (62.25)	74.00 (60.00)
Benefits Paid	390.87 (319.00)	126.19 (76.27)	83.44 (80.11)
Actuarial Loss/ (gain) on Obligations	- (-)	- (-)	- (-)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	5426.86 (4971.92)	827.29 (652.30)	570.69 (503.15)

*Book value of securities considered as fair value.

(ग) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि:

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त).	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5426.86 (4971.92)	827.29 (652.30)	570.69 (503.15)
तुलनपत्र में निवल देयता	0.12 (9.05)	-0.11 (186.76)	-0.52 (33.78)

(घ) लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय:

कर्मचारी परिलाभ	पेंशन (निधियुक्त).	ग्रेच्युटि (निधियुक्त)	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त)
वर्तमान सेवा लागत	240.63 (214.66)	91.48 (309.62)	33.24 (51.69)
ब्याज लागत	388.52 (358.00)	64.86 (45.69)	42.00 (35.91)
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	407.00 (370.00)	57.42 (48.84)	43.20 (38.02)
वर्ष में मान्यता दी गई निवल बीमांक (लाभ)/हानि	207.49 (71.90)	-42.03 (57.46)	41.11 (44.20)
पिछली सेवा लागत – मान्यता प्राप्त	-9.05 (-42.00)	-186.76 (3.14)	-33.78 (47.03)
निधियों को योगदान/लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	420.59 (232.56)	129.87 (245.87)	39.70 (46.75)

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं डीबीआर.बीपी.9730/21.04.018/2017-18 दिनांकित 27.04.2018 ने बैंकों को विकल्प दिया है कि ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम -1972 के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2018 से ग्रेच्युटी सीमा रु.10 लाख से रु.20 लाख किए जाने पर बढने वाले दायित्व को दिनांक 31 मार्च से समाप्त तिमाही से आरम्भ की चार तिमाहियों तक प्रसारित कर सकते हैं । बैंक ने इस विकल्प का प्रयोग किया है तथा वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान रु. 186.76 करोड़ प्रभारित किया है ।

(ड) पेंशन निधि न्यास के निवेश का विवरण:

निवेश का प्रकार	राशि	निवेश का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	359.42 (359.42)	6.60 (7.22)
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	132.69 (120.71)	2.43 (2.43)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश*	139.37 (221.38)	2.57 (4.45)
अन्य निवेश	4703.09	84.40
प्रतिभूतियों और बैंक शेष पर उपचित ब्याज	(4268.89)	(85.71)
कुल	5339.38 (4981.02)	100.00 (100.00)

***आन्ध्रा बैंक में ₹ 82 करोड़ की निधि से युक्त है।**

(c) Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ in Crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Estimated Present Value of Obligations as at the end of the year	5426.74 (4980.97)	827.18 (839.06)	570.17 (536.93)
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	5426.86 (4971.92)	827.29 (652.30)	570.69 (503.15)
Net Liability recognized in Balance Sheet	0.12 (9.05)	-0.11 (186.76)	-0.52 (33.78)

(d) Expenses recognized in Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

EMPLOYEE BENEFITS	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Funded)
Current Service Cost	240.63 (214.66)	91.48 (309.62)	33.24 (51.69)
Interest Cost	388.52 (358.00)	64.86 (45.69)	42.00 (35.91)
Expected/Actual return on Plan Asset	407.00 (370.00)	57.42 (48.84)	43.20 (38.02)
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	207.49 (71.90)	-42.03 (57.46)	41.44 (44.20)
Past service cost – recognized	-9.05 (42.00)	-186.76 (3.14)	-33.78 (47.03)
Total Expenses recognized in Profit & Loss Account/contributed to funds	420.59 (232.56)	129.87 (245.87)	39.70 (46.75)

Note: Reserve Bank of India vide Lr. No. DBR.BP.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018 has given the option to banks to spread additional liability on account of the enhancement of Gratuity limits from ₹10 lac to ₹20 lac from 29.03.2018 under Payment of Gratuity Act, 1972, over four quarters beginning with the quarter ended March 31, 2018. The bank has exercised the option and has charged ₹186.76 crore during the first 3 quarters of this FY 2018-19.

(e) Investment details of Pension Fund Trust:

Description of investments	Amount (in ₹ Crore)	% of investments
Central Government Securities	359.42 (359.42)	6.60 (7.22)
State Government Securities	132.69 (120.71)	2.43 (2.43)
Investments in PSUs	139.37 (221.38)	2.57 (4.45)
Other Investments	4703.99 (4268.89)	84.40 (85.71)
Bank Balance	3.91 (9.05)	4.00 (0.19)
Total	5339.38 (4981.02)	100.00 (100.00)

(च) तुलन पत्र की तारीख को मूल बीमांकिक अनुमान (अधिभारित औसत के रूप में उल्लिखित):

बीमांक अनुमान	पेंशन (निधियुक्त) %	ग्रेच्युटि (निधियुक्त) %	छुट्टी नकदीकरण (निधियुक्त) %
बट्टा दर	7.65 (7.80)	7.65 (7.73)	7.65 (7.73)
योजना आस्ति पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	8.00 (8.00)	8.00 (NA)	8.00 (NA)
वेतनवृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
प्रयोग की गई पद्धति	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई	अनुमानित ऋण ईकाई

मूल्यांकन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांक द्वारा किया गया है ।

भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान, बीमांकिक मूल्यांकन जिसमें, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों जैसे कर्मचारी बाजार में होने वाली आपूर्ति एवं मांग पर विचार किया जाता है ।

(छ) परिकलन के लिए निम्न प्रकार वित्तीय अनुमान पर विचार किया जाता है:–

बट्टा दर:– बट्टा दर रिपोर्टिंग की तारीख को सरकारी बॉण्ड पर बाजार आय को देखकर चुनी गई है ।

प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर: पेंशन के मामले में, प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर सरकारी बॉण्डों पर आय / निवेश के आधार पर ली गई है । ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के मामले में, वास्तविक प्रतिफल लिया गया है ।

वेतन वृद्धि : विगत डाटा के आधार पर ।

(ज) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर-निधि): **(₹ करोड़ों में)**

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नकदीकरण	रजत जयंती अवॉर्ड्	बीमारी छुट्टी	अनुग्रह राशि	पुनर्स्थापन व्यय
1.04.2019 को देयता 1.04.2018 को देयता	24.64 20.96	0.67 0.58	74.11 62.75	0.43 0.47	3.26 3.28
परिवर्ती देयता	- -	- -	- -	- -	- -
लाभ एवं हानि को नामे की गई राशि	3.68 (-11.82)	0.09 (0.07)	11.36 (-0.24)	-0.24 (-0.18)	-0.02 (-0.85)

(झ) कर्मचारी को अल्पकालिक लाभ:

अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति रु. 1.04 करोड़ (रु. 1.04 करोड़)

(क) भविष्य निधि को अंशदान: रु. 0.36 करोड़ (रु.0.29 करोड़)

ख. समेकित सेगमेंट रिपोर्ट (लेखा मानक 17) **(₹ करोड़ों में)**

भाग क		समाप्त वर्ष	
क्र.सं.	**व्यवसाय वर्ग**	**31.03.2019**	**31.03.2018**
1	**वर्ग राजस्व**		
	(क) राजकोष	5135.22	5499.01
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	5450.19	5716.30
	(ग) खुदरा बैंकिंग	8208.15	7116.82
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	3497.42	2973.33
	कुल	**22290.98**	**21305.46**
	घटाएं: अंतर-वर्ग राजस्व	-	-
	परिचालन से आय	**1171.67**	**1396.11**

(f) Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average):

ACTURIAL ASSUMPTIONS	PENSION (Funded) %	GRATUITY (Funded) %	LEAVE ENCASHMENT (Funded) %
Discount Rate	7.65 (7.80)	7.65 (7.73)	7.65 (7.73)
Expected Rate of Return on Plan Assets	8.00 (8.00)	8.00 (NA)	8.00 (NA)
Expected Rate of Salary Increase	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)
Method Used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

Valuation has been carried out by an independent Actuary appointed by the Bank.

The estimate of future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of reporting.

Expected Rate of Return: In case of pension, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds / investments. In case of gratuity and leave encashment the actual return has been taken.

Salary increase: On the basis of past data.

(h) Other long term employees' benefits (Un-Funded):

(₹ in Crore)

PARTICULARS	LTC/LFC ENCASHMENT	SILVER JUBILEE AWARD	SICK LEAVES	EX-GRATIA	RELOCATION EXPENSES
Liability as on 01.04.2019 Liability as on 01.04.2018	24.64 20.96	0.67 0.58	74.11 62.75	0.43 0.47	3.26 3.28
Transitional Liability	- -	- -	- -	- -	- -
Amount debited to Profit & Loss Account	3.68 (-11.82)	0.09 (0.07)	11.36 (-3.97)	-0.04 (-0.24)	-0.02 (-0.85)

(i) Short term Employees' benefits:

Short term Compensated Absences: ₹1.04 Crore (₹1.04 Crore)

(j) Contribution to Provident Fund: ₹0.36 Crore (₹0.29 Crore)

L. Consolidated Segments Report (AS 17):

(₹ in Crore)

	Part A	**Year ended**	
S No.	**Business Segments**	**31.03.2019**	**31.03.2018**
1	**Segment Revenue**		
	(a) Treasury	5135.22	5499.01
	(b) Corporate/Wholesale Banking	5450.19	5716.30
	(c) Retail Banking	8208.15	7116.82
	(d) Other Banking Operations	3497.42	2973.33
	Total	**22290.98**	**21305.46**
	Less: Inter Segment Revenue	-	-
	Income from Operations	**22290.98**	**21305.46**

2	**वग् पिरणाम**		
	(क) राजकोष	1171.67	1396.11
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	1243.54	1451.27
	(ग) खुदरा बैंकिंग	1872.81	1806.84
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	797.99	754.88
	कुल	**5086.01**	**5409.10**
	घटाएं :(i) अन्य गैर-अबंटनीय व्यय	7452.20	10821.74
	कर से पूर्व कुल लाभ	(2366.19)	(5412.64)
	आय कर तथा अन्य प्रदत्त कर	375.81	(2046.92)
	निवल लाभ	**(2742.00)**	**(3365.72)**
3	**वर्ग आस्तियां**		
	(क) राजकोष	77085.79	79898.87
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	72776.25	75640.35
	(ग) खुदरा बैंकिंग	77179.97	69738.18
	(घ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय	21449.54	16491.84
	(ङ) अनावंटन योग्य आस्तियां	5552.43	4342.03
	कुल आस्तियां	**254043.98**	**246111.27**
4	**वर्ग देयताएं**		
	(क) राजकोष	75828.73	78869.75
	(ख) कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	71174.17	74268.45
	(ग) खुदरा बैंकिंग	73805.99	67034.73
	(घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	19672.90	14847.29
	(ङ) अनावंटन योग्य आस्तियां	230.47	154.72
	कुल	**240712.26**	**235174.94**
	पूंजी एवं प्रारक्षितियां	13331.72	10936.33
	कुल देयताएं	**254043.98**	**246111.27**

भाग ख: भौगोलिक खंड: यहां केवल एक खण्ड है – देशी खण्ड तथापि समेकित विवरणी में मलेशिया में निगमित संयुक्त उद्यम यथा इन्डिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद के 25% तक आंकड़ें शामिल किए गए हैं ।

संबंधित पार्टी प्रकटन (लेखा मानक 18)

बैंक ने लेखा मानकों के अनुसार निम्न व्यक्तियों को मुख्य प्रबन्धन कार्मिकों के रूप में मान्यता दी है:

(क) मूल

(i) श्री जे पक्किरिसामी, प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ (दिनांक 21.09.2018 से)

(ii) श्री अजित कुमार रथ, कार्यपालक निदेशक

(iii) श्री कुल भूषण जैन, कार्यपालक निदेशक

(ख) अनुषंगी: आन्ध्रा बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड

(i) श्री अजित कुमार रथ, अध्यक्ष

(ii) श्री एम बी राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक

(iii) श्री एस वी एस सुन्दर प्रसाद, निदेशक

(iv) श्री एम सत्यनारायण रेड्डी, निदेशक

(v) श्री के टी वेणुमाधव, निदेशक

(vi) श्री श्यामल घोष राय, प्रबन्ध निदेशक

(vii) श्री बी मुरली सत्यनारायणा, प्रबन्ध निदेशक

(ग) एसोसिएट: चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

(i) **श्री वी ब्रह्मानन्द रेड्डी, अध्यक्ष**

2	**Segment Results**		
	(a) Treasury	1171.67	1396.11
	(b) Corporate/Wholesale Banking	1243.54	1451.27
	(c) Retail Banking	1872.81	1806.84
	(d) Other Banking Operations	797.99	754.88
	Total	**5086.01**	**5409.10**
	Less :(i) Other Un-allocable Expenditure	7452.20	10821.74
	Total Profit Before Tax	(2366.19)	(5412.64)
	Income tax and other taxes paid	375.81	(2046.92)
	Net Profit	**(2742.00)**	**(3365.72)**
3	**Segment Assets**		
	(a) Treasury	77085.79	79898.87
	(b) Corporate/Wholesale Banking	72776.25	75640.35
	(c) Retail Banking	77179.97	69738.18
	(d) Other Banking Operations	21449.54	16491.84
	(e) Unallocable Assets	5552.43	4342.03
	Total Assets	**254043.98**	**246111.27**
4	**Segment liabilities**		
	(a) Treasury	75828.73	78869.75
	(b) Corporate/Wholesale Banking	71174.17	74268.45
	(c) Retail Banking	73805.99	67034.73
	(d) Other Banking Operations	19672.90	14847.29
	(e) Unallocable Liabilities	230.47	154.72
	Total	**240712.26**	**235174.94**
	Capital & Reserves	13331.72	10936.33
	Total Liabilities	**254043.98**	**246111.27**

Part B: Geographic Segments: There is only one segment - Domestic Segment. However, the consolidated statement includes the figures of Joint Venture incorporated in Malaysia viz. India International Bank (Malaysia) Berhad to the extent of 25%.

M. Related Party Disclosures (AS 18):

The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per the Accounting Standard:

(a) Parent:

i) Sri J Packirisamy, Managing Director & CEO (From 21.09.2018)

ii) Sri A.K. Rath, Executive Director

iii) Sri Kul Bhushan Jain, Executive Director

(b) Subsidiary: Andhra Bank Financial Services Ltd.

i) Sri A.K. Rath, Chairman

ii) Sri M. B. Rajendra Prasad, Director

iii) Sri S.V.S. Sundara Prasad, Director

iv) Sri M. Satyanarayana Reddy, Director

v) Sri K.T. Venu Madhav, Director

vi) Sri Syamal Ghosh Ray, Managing Director

vii) Sri B. Murali Satyanarayana, Managing Director

(c) Associate: Chaitanya Godavari Grameena Bank

i) Sri V Brahmananda Reddy, Chairman

(घ) **संयुक्त उद्यम**

1. इन्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
   ळ) श्री अजित कुमार रथ, निदेशक
2. इन्डिया इन्टरनेशनल बैंक (मलेशिया), बरहाद (केवल शेयरधारिता)
3. एएसआरईसी (इन्डिया) लिमिटेड (केवल शेयरधारिता)

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन : (रुपये में)

क्र.सं	नाम	सम्बन्ध	लेन-देन की प्रकृति	2018-19	2017-18
1	**श्री जे पक्किरिसामी**	**प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ (दि. 21.09.2018 से)**	पारिश्रमिक	14,35,061	-
2	श्री ए. के. रथ	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	25,63,932	23,87,028
3	श्री कुल भूषण जैन	कार्यपालक निदेशक	पारिश्रमिक	23,80,926	10,65,932
4	श्री एल प्रसन्ना	प्रबन्ध निदेशक	पारिश्रमिक	13,03,123	12,34,454
5	श्री वी ब्रह्मानन्द रेड्डी, अध्यक्ष	अध्यक्ष	पारिश्रमिक	17,76,566	18,01,960

संयुक्त उद्यम में निवेश की गई पूंजी-

(क) इन्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद - रु. 143.28 करोड़ (रु.143.28 करोड़)

(ख) एएसआरईसी (इन्डिया) लिमिटेड रु. 28.40 करोड़ (रु. 28.40 करोड़)

(ग) इंडिया फर्स्ट जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड रु. 187.50 करोड़ (रु.187.50 करोड़)

ङ. **आय पर कर का लेखांकन (लेखा मानक 22) - प्रमुख घटक निम्न अनुसार है:**

समयांतर विवरण	दि. 31 मार्च 2019		दि.31 मार्च 2018	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
(1) बहियों के अनुसार एनपीए हेतु प्रावधान तथा आय कर अधिनियम की धारा 36(1) (viiक) के अंतर्गत कटौती का दावा	2797.14	-	3501.36	-
(2) आय कर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षिती के कारण	-	508.29	-	503.55
(3) स्थिर आस्तियों में कटौती	7.52	-	4.82	-
(4) आय कर अधिनियम तथा बहियों के अनुसार निवेशों में कटौती	-	-	-	398.66
(5) पेंशन एवं अंशदान ग्रेच्युटी निधि के कारण	-	-	-	64.63
(6) निवेशों के ह्रास हेतु प्रावधान	1.93	-	1.76	-
(7) प्रीपेड व्यय हेतु प्रावधान	0.01	-	0.01	-
कुल	2806.60	508.29	3507.95	966.84

ढ. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियाँ -(लेखा मानक 29)**

अनुसूची 12 में वर्णित आकस्मिक देयताएं, न्यायालय के निर्णय/विवाचन/न्यायालय के बाहर समझौते, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदात्मक दायित्व, संबंधित पार्टियों द्वारा मांग, जैसा मामला हो, पर निर्भर हैं ।

देयताओं के लिए प्रावधान का संचालन (अन्य हेतु प्रावधान छोड़कर

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं	
	2018-19	2017-18
आरंभिक शेष	42.92	38.32
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.66	5.08
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.02	0.48
अंतिम शेष	43.56	42.92
बहिर्गमन/आकस्मिकताओं का समय	निपटान/क्रिस्टलीकरण के कारण बहिर्गमन	निपटान/क्रिस्टलीकरण के कारण बहिर्गमन

(d) Joint Ventures:

1. India First Life Insurance Company Ltd.,
   i) Sri A.K. Rath, Director
2. India International Bank (Malaysia) Berhad. (only Shareholding)
3. ASREC (India) Ltd., (only Shareholding)

Transactions with Related parties:

(in Rupees)

Sl. No	Name	Relationship	Nature of transaction	2018-19	2017-18
1	Sri J Packirisamy	Managing Director & CEO (w.e.f.21.09.2018)	Remuneration	14,35,061	-----
2	Sri A.K. Rath	Executive Director	Remuneration	25,63,932	23,87,028
3	Sri Kul Bhushan Jain	Executive Director	Remuneration	23,80,926	10,65,932
4	Sri L. Prasanna	Managing Director, ABFSL (till 31.03.2019)	Remuneration	13,03,123	12,34,454
5	Sri V. Brahmananda Reddy	Chairman, Chaitanya Godavari Grameena Bank	Remuneration	17,76,566	18,01,960

Capital invested in Joint Ventures:

a) India International Bank (Malaysia) Berhad ₹143.28 crore (₹143.28 crore)

b) ASREC India Ltd. ₹28.40 crore (₹28.40 crore)

c) India First Life Insurance Company Ltd. ₹187.50 crore (₹187.50 crore)

N. Accounting for Taxes on Income (AS 22): The major components are as follows:

(₹ in Crore)

S.No.	Timing Difference particulars	31st March 2019		31st March 2018	
		DTA	DTL	DTA	DTL
1	Provision for NPA as per books and deduction claimed under section 36(1)(viia) of the Income Tax Act	2797.14	-	3501.36	-
2	On account of Special Reserve created under section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act	-	508.29	-	503.55
3	Depreciation on Fixed Assets	7.52	-	4.82	-
4	Depreciation on Investments as per Income Tax Act and Books	-	-	-	398.66
5	On account of pension and gratuity fund contributed	-	-	-	64.63
6	Provision for Impairment	1.93	-	1.76	-
7	Other expenses / items	0.01	-	0.01	-
	Total	**2806.60**	**508.29**	**3507.95**	**966.84**

O. Provisions, contingent liabilities and contingent assets (AS 29):

Contingent liabilities mentioned in Schedule 12 are dependent upon the outcome of Court/arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties as the case may be.

Movement of provisions for liabilities (excluding provision for others):

(₹ in Crore)

Particulars	Legal Cases / Contingencies	
	2018-19	2017-18
Opening balance	42.92	38.32
Provided during the year	0.66	5.08
Amounts used during the year	0.02	0.48
Closing balance	43.56	42.92
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on Settlement/crystallization	Outflow on Settlement/crystallization

ण. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ों में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय के अन्तर्गत दर्शायी "प्रावधान एवं आकस्मिकताएं" का ब्रेक-अप	2018-19	2017-18
(i) निवेश के मूल्य में ह्रास	506.45	1044.04
(ii) अनर्जक आस्तियां	6674.25	10102.87
(iii) मानक आस्तियां	(38.00)	(502.00)
(iv) आय-कर	133.02	200.55
(v) आस्थगित कर	242.79	(2247.47)
(vi) अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
(क) पुनर्गठित अग्रिम	5.05	(56.86)
(ख) अन्य प्रावधान	304.45	233.69
कुल	**7828.01**	**8774.82**

त. समूह की आरक्षित समेकन मूल, अनुषंगी, सहयोगी तथा 3 संयुक्त उद्यमों के हिस्से की संचित रु.10,447 करोड़ है जिसमें से रु. 10,281 करोड़ मूल तथा शेष रु. 166 करोड़ अनुषंगी, सहयोगी तथा 03 संयुक्त उद्यमों की लाभ/हानि की गणना करने पर है (पिछले वर्ष में रु. 9,737 करोड़ जिसमें से रु. 9,619 करोड़ मूल से संबंधित हैं तथा शेष 118 करोड़ रु. अनुषंगी, सहयोगी तथा 3 संयुक्त उद्यमों से संबंधित हैं) ।

थ. मूल तथा अनुषंगी की व्यक्तिश: वित्तीय विवरणियों में अतिरिक्त सांविधिक सूंचना प्रकटीकरण का समेकित वित्तीय विवरणियों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के दृष्टिगत समेकित वित्तीय विवरणियों में उन सभी मदों से सम्बन्धित सूचना जो कि भौतिक नहीं है का प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणियों में नहीं किया गया है ।

द. आन्ध्रा बैंक फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (एबीएफएसएल) कम्पनी, आन्ध्रा बैंक (मूल) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी का निगमन 09.01.1997 को किया गया था । इसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 56 IA के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन किया था । भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 28.01.2005 को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण के प्रमाण-पत्र के लिए कृत आवेदन अस्वीकृत कर दिया ।

इसके बाद, कम्पनी ने दि. 09.01.2008 को इसे एक गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय संस्थान के रूप में मान्यता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क किया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक दि. 05.12.2008 को नोट किया गया ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार:

1. कम्पनी ने अपनी सभी वित्तीय आस्तियां निस्तारित कर दी हैं ।
2. कम्पनी के निदेशक मण्डल ने एक संकल्प पारित किया है कि वे सामान्य जन से कोई जमा स्वीकार नहीं करते हैं ।

ध. गत वर्ष के आंकड़े जहां भी गत वर्ष के आंकड़ों से पुष्टि के लिए आवश्यक हो, पुनसमूहीकृत/ पुनवर्गीकृत/ पुनव्यवस्थापित किए गए हैं ।

कुल भूषण जैन
कार्यपालक निदेशक

अजित कुमार रथ
कार्यपालक निदेशक

जे पक्किरिसामी
प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ

बी सत्यनारायण राव
सहायक महा प्रबन्धक एम

एम बी राजेन्द्र प्रसाद
महा प्रबन्धक

बालगोपाल महापात्र
निदेशक

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं 002405सी)
(सीए अनिल के सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)

कृते रॉय एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी सं 313124ई)
(सीए सुब्रत रॉय)
साझेदार (एम सं 051205)

कृते सन्तोष गुप्ता एण्ड क.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं 009713एन)
(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)

कृते जी एस महादेव राव एण्ड क.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं 001907एस)
(सीए मानिक्य प्रसाद जी)
साझेदार (एम सं 020105)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 13.05.2019

P. Provisions and Contingencies:

(₹ in Crore)

Breakup of "Provisions and Contingencies" shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2018-19	2017-18
(i) Depreciation in value of Investments	506.45	1044.04
(ii) Non Performing Assets	6674.25	10102.87
(iii) Standard Assets	(38.00)	(502.00)
(iv) Income Tax	133.02	200.55
(v) Deferred Tax	242.79	(2247.47)
(vi) Other provisions and contingencies:		
a) Restructured advances	5.05	(56.86)
b) Other provisions	304.45	233.69
Total	**7828.01**	**8774.82**

Q. The consolidated Reserves of the group after reckoning parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures amount to ₹ 10,447 crore of which ₹ 10,281 crore relate to parent and the balance ₹ 166 crore relates to Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures (Previous year ₹ 9,737 crore of which ₹ 9,619 crore relate to the parent and the balance ₹ 118 crore relates to Subsidiary, Associate and 3 Joint Ventures).

R. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the parent and subsidiary having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

S. The company Andhra Bank Financial Services Limited (ABFSL), wholly owned subsidiary of Andhra Bank (Parent), was incorporated on 09.01.1997. It applied for obtaining registration under Section 56 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. The RBI rejected the application for certificate of registration as a Non-Banking Financial Company (NBFC) on 28.01.2005.

Thereafter, the company approached the RBI on 09.01.2008 to treat it as a Non-Banking Non-Financial Institution, which was only noted by RBI on 05.12.2008.

As per the directives of RBI:

1. The company has disposed of all its financial assets.
2. The Board of Directors of the company has passed a resolution for non-acceptance of any public deposit.

T. Previous year's figures have been regrouped/reclassified/rearranged wherever necessary to confirm to current year's figures.

KUL BHUSHAN JAIN
Executive Director

AJIT KUMAR RATH
Executive Director

J PACKIRISAMY
Managing Director & CEO

B.SATYANARAYANA RAO
Assistant General Manager

M.B.RAJENDRA PRASAD
General Manager

BALGOPAL MAHAPATRA
Director

FOR AGARWAL & SAXENA
Chartered Accountants
FRN:002405C

FOR RAY & CO
Chartered Accountants
FRN:313124E

FOR SANTOSH GUPTA & CO
Chartered Accountants
FRN:009713N

FOR G S MADHAVA RAO & CO
Chartered Accountants
FRN:001907S

(CA ANIL K. SAXENA)
PARTNER (M.NO. 071600)

(CA SUBRATA ROY)
PARTNER (M.NO. 051205)

(CA MANOJ KUMAR)
PARTNER (M.NO. 108603)

(CA MANIKYA PRASAD G)
PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Hyderabad
Date: 13.05.2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
नकदी और नकदी तुल्य का आरंभिक शेष	16457,86,28	18179,36,62
नकदी और नकदी तुल्य का अंतिम शेष	15547,97,11	16457,86,28
अवधि के दौरान नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)	**(909,89,17)**	**(1721,50,34)**
परिचालनगत कार्यों से नकदी प्रवाह		
कर से पूर्व निवल लाभ / (हानि)	(2366,18,62)	(5412,63,95)
के लिए समायोजन:		
निवेश पर ऋण परिशोधन/मूल्यह्रास	620,19,81	1157,76,59
एनपीए हेतु प्रावधान	6674,25,46	10102,87,09
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	(38,00,00)	(502,00,00)
अन्य आस्तियों (निवल) हेतु प्रावधान	309,49,82	176,83,30
गौण ऋण एवं अन्य उधार पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान	748,42,30	855,45,12
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	135,84,62	199,42,97
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(46,03)	(53,56)
परिचालन आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन :		
जमा में वृद्धि / (कमी)	11760,01,41	12616,97,68
निवेश में वृद्धि / (कमी)	(93,67,30)	(7146,40,22)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	(14158,52,72)	(20298,76,73)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	597,10,03	(1596,69,87)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(272,80,91)	(2008,94,72)
परिचालन जनित नकदी	**3915,67,87**	**(11856,66,30)**
प्रदत्त कर	(997,62,43)	(64,89,67)
परिचलनगत कार्यों से नकदी प्रवाह (क)	**2918,05,44**	**(11921,55,97)**
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह:		
अचल आस्तियों की (खरीदी) / बिक्री	(83,73,84)	(141,60,53)
निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह (ख)	**(83,73,84)**	**(141,60,53)**
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:		
प्रीमियम सहित ईक्विटी पूंजी	5275,00,00	1890,00,00
भारत सरकार से प्राप्त लंबित आबंटन आवेदन राशि	-	-
उधार में वृद्धि / (कमी)	(7997,51,36)	9445,19,86
उधार पर प्रदत्त/देय ब्याज	(1028,95,39)	(1002,78,66)
प्रदत्त लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-	-
वित्त-पोषण कार्यों से नकदी प्रवाह (ग)	**(3751,46,75)**	**10332,41,20**
अनुवाद रिजर्व (घ) पर विनिमय में उतार-चढ़ाव का प्रभाव	**7,25,98**	**9,24,96**
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि (+)/ कमी(-) (क)+(ख)+ (ग) + (घ)	**(909,89,17)**	**(1721,50,34)**

कुल भूषण जैन
कार्यपालक निदेशक

अजित कुमार रथ
कार्यपालक निदेशक

जे पक्किरिसामी
प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ

बी सत्यनारायण राव
सहायक महा प्रबन्धक एम

एम बी राजेन्द्र प्रसाद
महा प्रबन्धक

बालगोपाल महापात्र
निदेशक

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं 002405सी)
(सीए अनिल के सक्सेना)
साझेदार (एम सं 071600)

कृते रॉय एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी सं 313124ई)
(सीए सुब्रत रॉय)
साझेदार (एम सं 051205)

कृते सन्तोष गुप्ता एण्ड क.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं 009713एन)
(सीए मनोज कुमार)
साझेदार (एम सं 108603)

कृते जी एस महादेव राव एण्ड क.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं 001907एस)
(सीए मानिक्य प्रसाद जी)
साझेदार (एम सं 020105)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 13.05.2019

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in '000)

Particulars	For the year ended 31.03.2019	For the year ended 31.03.2018
Opening balance of Cash and Cash equivalents	16457,86,28	18179,36,62
Closing balance of Cash and Cash equivalents	15547,97,11	16457,86,28
Net Increase(+) / Decrease (-) of Cash and Cash equivalents during the period	**(909,89,17)**	**(1721,50,34)**
Cash Flow from Operating Activities:		
Net Profit / (Loss) before tax	(2366,18,62)	(5412,63,95)
Adjustment for:		
Amortisaton/Depreciation on Investments	620,19,81	1157,76,59
Provision for NPA	6674,25,46	10102,87,09
Provision for Standard Assets	(38,00,00)	(502,00,00)
Provision for Other Assets (Net)	309,49,82	176,83,30
Payment / provision for Interest on Borrowings	748,42,30	855,45,12
Depreciation on Fixed Assets	135,84,62	199,42,97
(Profit) / Loss on Sale of Assets	(46,03)	(53,56)
Adjustment for Changes in Operating Assets and Liabilities:		
Increase / (Decrease) in Deposits	11760,01,41	12616,97,68
(Increase) / Decrease in Investments	(93,67,30)	(7146,40,22)
(Increase) / Decrease in Advances	(14158,52,72)	(20298,76,73)
(Increase) / Decrease in Other Assets	597,10,03	(1596,69,87)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(272,80,91)	(2008,94,72)
Cash Generated from Operations	**3915,67,87**	**(11856,66,30)**
Taxes Paid	(997,62,43)	(64,89,67)
Cash Flow from Operating Activities (A)	**2918,05,44**	**(11921,55,97)**
Cash Flow from Investing Activities:		
(Purchase) / Sale of Fixed assets	(83,73,84)	(141,60,53)
Cash Flow from Investing Activities (B)	**(83,73,84)**	**(141,60,53)**
Cash Flow from Financing Activities:		
Equity Capital including Premium	5275,00,00	1890,00,00
Application money received from Government of India, pending allotment	-	-
Increase / (Decrease) in Borrowings	(7997,51,36)	9445,19,86
Interest paid / payable on Borrowings	(1028,95,39)	(1002,78,66)
Dividend paid (including tax on dividend)	-	-
Cash Flow from Financing Activities (C)	**(3751,46,75)**	**10332,41,20**
Effect of exchange fluctuation on Translation Reserve (D)	**7,25,98**	**9,24,96**
Net Increase (+) / Decrease (-) in Cash flow during the period (A)+(B)+(C)+(D)	**(909,89,17)**	**(1721,50,34)**

KUL BHUSHAN JAIN Executive Director	**AJIT KUMAR RATH** Executive Director	**J PACKIRISAMY** Managing Director & CEO
B.SATYANARAYANA RAO Assistant General Manager	**M.B.RAJENDRA PRASAD** General Manager	**BALGOPAL MAHAPATRA** Director

FOR AGARWAL & SAXENA Chartered Accountants FRN:002405C	**FOR RAY & CO** Chartered Accountants FRN:313124E	**FOR SANTOSH GUPTA & CO** Chartered Accountants FRN:009713N	**FOR G S MADHAVA RAO & CO** Chartered Accountants FRN:001907S
(CA ANIL K. SAXENA) PARTNER (M.NO. 071600)	**(CA SUBRATA ROY)** PARTNER (M.NO. 051205)	**(CA MANOJ KUMAR)** PARTNER (M.NO. 108603)	**(CA MANIKYA PRASAD G)** PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Hyderabad
Date: 13.05.2019

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

आन्ध्रा बैंक निदेशक मंडल,

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

1. हमने आन्ध्रा बैंक ("बैंक") एवं इसके अनुषंगी, एसोसियेट एवं संयुक्त उद्यमों एक साथ "समूह" के रूप में जाने गए की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च 2019 के समेकित तुलन पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण संलग्न हैं तथा जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त सार तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना (एतदपश्चात "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) तसम्मिलित हैं:

क) हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13 मई 2019 के अनुपालन में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित, आन्ध्रा बैंक ("बैंक") के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ।

ख) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित एक अनुषंगी, एक संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ।

ग) दो संयुक्त उद्यम और एक एसोसिएट के गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्म जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अनुषंगी, और एक संयुक्त उद्यम पर पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और एक संयुक्त उद्यम तथा एक सहयोगी एवं दो संयुक्त उद्यम की गैर लेखा-परीक्षा वित्तीय विवरणों पर हमारी:

क) समेकित बैलेंस शीट जो लेखा नीतियों और उसके नोटों के साथ पढ़ा जाता है, सभी आवश्यक विवरण सहित एक पूर्ण और निष्पक्ष समेकित बैलेंस शीट है तथा 31 मार्च 2019 तक समूह एवं इसके सहयोगियों और संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं स्थिति के मामलों के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित हेतु इसे समुचित रुप से तैयार किया गया है तथा यह भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है;

ख) समेकित लाभ और हानि खाता जो उसके नोटों के साथ पढ़ा गया है, खाता द्वारा कवर होने वाले वर्ष हेतु भारत में साधारतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समूह एवं उसके सहयोगी तथा संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं की वास्तविक शेष दर्शाया गया है। और

ग) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण समूह और सहयोगी तथा संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राय का आधार

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानक (एसए) के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अनुसार हमारा उत्तदायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरण खण्ड में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व के रुप में वर्णित किया गया है। भारत के समेकित वित्तीय विवरणों के अपने लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचरण संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं, तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

4. प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वेसे विषय हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा-परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। ये विषय बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और इनपर हमारी राय तैयार करने के लिए संबोधित किया गया था, तथा इन विषयों में हमारी अलग राय नहीं हैं। अनुसंगी तथा संयुक्त उद्यम

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To
The Board of Directors
Andhra Bank

Report onAudit of the Consolidated Financial Statements
Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Andhra Bank (the "Bank") and its subsidiary, together referred to as "the Group", its associates and joint ventures comprising of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2019, Consolidated Profit and Loss, and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements") in which are incorporated :

   a) Audited Financial statements of Andhra Bank (the "Bank") audited by us vide our audit report dated13th May 2019 ;

   b) Audited Financial statements of one Subsidiary and one Joint Venture audited by other auditors; and

   c) Unaudited Financial Statements of one associate and two Joint Ventures.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of the subsidiary and one joint venture and the unaudited financial statements of an associate and two Joint Ventures.

   a) The Consolidated Balance Sheet, read with the accounting policies and notes thereon is a full and fair Consolidated Balance Sheet containing all the necessary particulars and, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Group and of its associates and jointly controlled entities as at 31st March 2019 in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

   b) The Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss of the Group and of its associates and jointly controlled entities, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   c) The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group and of its associates and jointly controlled entities for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA`s) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the bank's financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the bank's financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. The auditors of the subsidiary and one joint venture did not report upon any Key audit matter in their audit report.

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Key Audit Matter</th><th>How our audit addressed the Key Audit Matters</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>इस विशेष वित्तीय विवरण मद क्रम के परिमाण के कारण हमने मुख्य रूप से अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित किया।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम के संबंध में प्रावधानीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर बैंक संचालित होते हैं।

उक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, बैंकों को समय-सीमा से संबंधित निर्धारित नियमों के आधार पर अग्रिमों को "अनर्जक आस्तियां" (अवमानक, संदिग्ध तथा हानी) के रूप में वर्गीकृत करने और ऐसे अग्रिमों को उस अवधि तक अनर्जक आस्तियां बने रहने तक निर्दिष्ट प्रतिशत (15%, 25%, 40% और 100%) पर अपनी अपचारिता का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

परिचालन में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), समाधान सॉफ्टवेयर अर्थात् फिनेकल द्वारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से बैंक में ऐसे अनर्जक अग्रिमों की पहचान की जाती है। विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, सॉफ्टवेयर में विभिन्न नियंत्रण और अंतर्निहित होते हैं। यद्यपि, एनपीए की पहचान नियम आधारित तथा प्रणाली चालित है, तथापि प्राथमिक प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य का आकलन करते समय प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय लेता है फलस्वरूप एनपीए की अपचारिकता के संबंध में प्रत्येक के लिए और सामूहिक प्रावधान भी है।

अग्रिम बैंक आस्ति का एक बड़ा हिस्सा होता है और चूंकि प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, अतः हम इसे प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रूप में मानते हैं।</td><td>हमने निम्नलिखित निर्णयों और अनुमानों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो भौतिक गलत बयानी का कारण हो सकते हैं या प्रबंधन पूर्वाग्रह के पात्र हो सकते हैं:

क) प्रतिभूति मूल्य में निःशेषण निर्धारण की पूर्णता और समय और
ख) प्रत्येक निर्धारित प्रावधान का पैमाना, जो प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियां, माल-सूची का वास्तविक मूल्य, व्यापार, प्राप्य राशि, परिसमापन पर प्राप्य मूल्य, विधि स्थिति, एनसीएलटी संदर्भित मामले के दिवालियेपन प्रक्रिया आदि पर निर्भर है।

पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में हम:
क) ऋण निष्पादन निगरानी, कार्यशील पूंजी सीमाओं के संबंध में आहरण शक्ति, उपलब्ध प्रतिभूति, आदि को मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गयी;
ख) प्रतिभूतियों और आस्ति वर्गीकरण के मूल्य में निःशेषण के आकलन में प्रबंधन द्वारा अंगीकृत की गई प्रमुख अवधारणाएं तथा निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया;
c) प्रतिभूति तथा अन्य मापदंडों के वास्तविक मूल्य के आधार पर किए गए प्रावधान की पुनर्गणना के माध्यम से सामूहिक ह्रास की गणना प्रक्रिया की सटीकता पर चुकौति आश्वासन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया है;
d) महत्वपूर्ण गैर-निष्पादित अग्रीमों हेतु, हमने पहचाने गये प्रत्येक प्रावधान हानी की पर्याप्तता का निर्धारण किया है;

हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं का भी निष्पादन किया है:
क) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा सुझाए गए सभी परिवर्तनों में सुधार किया है।
ख) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और लंबी फॉर्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) की समीक्षा की गई एवं उसपर पर भरोसा किया गया।
ग) शाखाओं में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान सत्यता की समीक्षा और सत्यापन किया गया।
घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुपालन की जांच की गई।
ङ) चयनित नमूनों में गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान की पहचान करने के उद्देश्य से सॉफ़्टवेयर में तार्किक नियंत्रण, दर्ज की गई आंकड़े की सत्यता की जांच की गई। किसी भी नियंत्रण कमी की पहचान करने के लिए आईटी लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की भी समीक्षा की गई।</td></tr>
</table>

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matters
1.	**Asset Classification and Provisioning in respect of Advances** We focused on Advances primarily because of the magnitude of this particular financial statement line item. Banks are governed by the prudential norms issued by the Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances. In terms of the said guidelines, Banks are required to classify Advances as "Non Performing Assets" (Sub Standard, Doubtful and Loss) based on prescribed rules involving time lines and to provide for their delinquency at specified percentages (15%, 25%, 40% and 100%) based on the period since when such advances remained in the non performing category. Identification of such non-performing advances is carried out in the bank based on system identification by the Core Banking Solution (CBS) solution software in operation i.e. finacle. In order to comply with the prudential guidelines, the software has various controls and logics embedded therein. Although, identification of NPAs is rule based and system driven, the management exercises significant judgement when estimating the realizable value of primary security and consequently the individual and collective provision for delinquency in respect of NPAs. Advances comprise a substantial portion of the Bank's assets and since the management exercises significant judgement in the asset classification and provisioning, this has been considered by us as a key audit matter.	We have focused on the following judgements and estimates which could give rise to material misstatement or are potentially subject to management bias: a) The completeness and timing of recognition of depletion in the value of security; and b) The measurement of individually assessed provisions, which is dependent on the valuation of primary and collateral securities, realisable value of inventories, trade receivables, valuation of collateral securities, liquidation value, legal status, stage of insolvency proceedings in NCLT referred cases etc. In obtaining sufficient audit evidence we: a) Reviewed the operating effectiveness of key controls around the process of loan performance monitoring, assessment of drawing power in respect of Working Capital limits, evaluation of available security etc; b) Evaluated and tested the key assumptions and judgements adopted by management in assessment of depletion in the value of securities and asset classification; c) Performed procedures to obtain comfort on the accuracy of the collective impairment calculation process through recalculation of the provision made based on realisable value of security and other parameters; d) For material non-performing advances, we assessed the adequacy of the recognised individual provision losses; We also performed the following procedures: a) Corrected all changes suggested by the Statutory Branch auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning. b) Reviewed and placed reliance upon the Independent Auditors Report and Long Form Audit Reports (LFAR) of the Statutory Branch Auditors. c) Reviewed and verified the correctness of the asset classification and provisioning in respect of all material advances in the branches audited by us. d) Tested compliance with the Significant accounting policies of the bank and the extant guidelines of the Reserve Bank of India. e) Checked the correctness of data input, logical controls in the software for the purpose of identification of non-

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter Other Matters
		च) आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान के संबंध में हमारी परीक्षण प्रक्रिया के दौरान हमारे दृष्टि में पायी गई सभी तात्विक गलत विवरणियों में सुधार सुनिश्चित किया गया। तात्विक नियंत्रण खामियों की पहचान के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट (सीफा), स्टॉक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, न्यायिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट आदि की समीक्षा की गई।
2.	**बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) का आकलन ।** आस्थगित कर, एक अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर का कर प्रभाव है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और यह एक या एकाधिक आगामी अवधि में वापसी हेतु सक्षम होते हैं । इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर कर हेतु लेखांकन" पर लेखांकन मानक (एएस) 22 द्वारा शासिम किया जाता है । उक्त के अनुसार एएस 22 के पैरा १७ के संदर्भ में, जहां एक उद्यम का अनवशोषित मूल्यह्रास है अथवा कर नियमों के अन्तर्गत हानि को अग्रेषित किया गया है, वहां केवल आस्थगित कर आस्तियों को ही मान्यता दी जानी चाहिए, इस सीमा तक कि साक्ष्य निश्चियात्मकता द्वारा यह वर्चुअल निश्चितता समर्थित है कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगा जिसे ऐसे डीटीए उत्पन्न कर सकते हैं । अनुसूची ११ (v) में दर्शाए गए अनुसार, दिनांक ३१ मार्च, २०१९ को निवल आस्थगित कर आस्ति का मूल्य रु 2298.31 करोड़ है । हमने डीटीए द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य प्रतिसंतुलन हेतु उपलब्ध होने वाली पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय की आभासी निश्चितता निर्धारित करने में प्रबंधन के अनुमान और निर्णय के महत्व के कारण मुख्य लेखा-परीक्षा विषय के रूप में अग्रेषित कर हानि पर ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली और शेयर पर राशि की तात्विकता पर विचार किया है । प्रबंधन का अनुमान भी स्वतंत्र कर सलाहकारों की सलाह पर आधारित है और कानून की व्याख्या में इन मुद्दों और निर्णय के परिणाम में अनिश्चितता है ।	**पर्याप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु हमने निम्नलिखित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई :** क) हमने तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त आस्थगित करों के स्तर की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु हमारे कर विशेषज्ञ की सहायता ली । ख) हमने उस अवधि जिसमें आस्थगित कर भविष्य कर योग्य आय द्वारा प्रतिसंतुलित होगी, उस अवधि हेतु पूर्वानुमानों के आधार पर अनुमानों और निर्णयों का परीक्षण किया । ग) हमने वित्तीय विवरणी के नोट २.९० के अन्तर्गत कर प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया । घ) हमने संबंधित आकलनकर्ता और अपीलीय कर प्राधिकारी के पास लंबित विषयों, आय कर आदेश के अनुसार अग्रेषण योग्य हानि की राशि आदि इनके प्रभाव के साथ गत आय कर आकलन आदेश, जारी अनिर्णित कर की समीक्षा की । ङ) हमने विवाद और संभाव्य कर परिणाम के अन्तर्गत इश्यु के अनुमानित परिणाम मुकदमे पर हमारी समझ के आधार पर वाद के अन्तर्गत इश्यु की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की ।

Sl. No.	Key Audit Matter	How our audit addressed the Key Audit Matter
		performing assets and provisioning thereon across selected samples. Also reviewed the IT Audit reports for identifying any control weakness. f) Ensured correction of all material misstatements observed by us during the course of our testing process with respect to income recognition, asset classification and provisioning. g) Reviewed the Concurrent Audit Reports, Internal Inspection Reports (SIFA), Stock Audit Reports, Forensic Audit Reports, Valuation Reports etc. for identifying material control weakness.
2.	**Assessment of Deferred tax asset (DTA) recognised by the bank.** Deferred tax is the tax effect of the timing differences between accounting income and taxable income for a period that originates in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. The same is governed by Accounting Standard (AS) 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. In terms of para 17 of AS 22 as above, where an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward of losses under tax laws, deferred tax assets should be recognised only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available against which such DTAs can be realised. As indicated in Schedule 11 (V), the net deferred tax assets amount to ₹2298.31 crore as at 31st March 2019. We have considered the recoverability of such deferred tax assets on tax losses carried forward as a key audit matter due to the importance of management's estimation and judgment in determining virtual certainty of sufficient future taxable income being available for future set off of the DTA recognised and the materiality of amounts at stake. The managements estimation is also based on advice from independent tax advisors and there is an uncertainty in the outcome of these issues and judgment in the interpretation of law.	In obtaining sufficient audit evidence we performed the following audit procedures: a) We used our tax specialists to assist us in assessing the appropriateness of the level of deferred taxes recognised in the balance sheet. b) We tested the assumptions and judgments underlying the forecasts for the period over which the deferred tax would be set off by future taxable income. c) We assessed the adequacy of the tax disclosure under Note 'N' to the financial statements. d) We reviewed the details of past income tax assessment orders, unresolved tax issues together with their impact on account of matters pending with appropriate assessing and appellate tax authorities, amount of allowable carried forward losses as per the Income Tax orders etc. e) We reviewed the current status of the issues under litigation based on our understanding of the likely outcome of the issues under dispute and the possible tax outflow.

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचना।

5. बैंक के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में अनुबंध (परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) सहित निदेशक की रिपोर्ट शामिल है। अनुबंध सहित निदेशक की रिपोर्ट, यदि कोई है, तो इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इसके बारे में आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करेगें।

समेकित वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी की समेकित वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचना वस्तुतः असंगत है, या भौतिक रूप से गलत बयान प्रतीत होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की और अधिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

6. प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुतिकरण के लिए उत्तरदायी है जो "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक २१", "समेकित वित्तीय विवरणियां", लेखांकन मानक २३", "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगी में निवेश के लिए लेखांकन", लेखांकन मानक २७" संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग", बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा २९ के प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू दिशानिर्देश और अन्य लेखांकन सिद्धांत, जो आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है, की आवश्यकताओं के अनुरूप समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और इनके सहयोगी और संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाओं सहित समूह के समेकित नकदी प्रवाह के प्रति सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं। समूह की आस्ति सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने की अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा डिज़ाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत जो सटीक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों और भौतिक असमानता से मुक्त हों, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जिसका उपयोग बैंक के प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं; जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन समूह, कार्यशील-संस्था, प्रकटीकरण, कार्यशील-संस्था से संबंधित मामले, यथा लागु, लेखांकन की कार्यशील-संस्था आधारित मामला तथा जबतक कि प्रबंधन या तो समूह का परिसमापन या संचालन को बंद करने की इच्छित न हों लेखांकन की कार्यशील-संस्था आधारित उपयोग के रूप में जारी रखने के लिए समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख हेतु समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

7. समग्र वित्तीय विवरणी तत्विक गलत वर्णन से मुक्त है या नहीं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, इसके संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो, जारी करना हमारा उद्देश्य है । उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है किन्तु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा, जब भी किया जाए हमेशा तात्विक गलत वर्णन का पता लगाए । गलत वर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उन्हें तात्विक माना जाएगा यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने हेतु इन्हें उचित रूप से स्वीकार किया जाए ।

एसए के अनुपालन में लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और लेखा-परीक्षा के दौरान व्यवसायिक संदेहवाद का अनुरक्षण करते हैं । हम निम्न भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणियों के तात्विक गलत वर्णन चाहे धोखधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उनके जोखिम की पहचान एवं मूल्यांकन करना, उन जोखिमों हेतु उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया डिजाइन और पूर्ण करना, और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना कि यह हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है । धोखाधड़ी से होने वाले तात्विक गलत वर्णन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाली जोखिम से उच्चतम है क्योंकि धोखाधड़ी में अभिसंधि, जालसाजी, इरादतन चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना सम्मिलित हो सकती है ।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और अनुमानित लेखांकन की प्रासंगिकता तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन
- लेखांकन के वर्तमान विचार के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटना या स्थितियों से संबंधित तात्विक अनिश्चितता है जो बैंक के वर्तमान विचार के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तात्विक

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

5. The Board of Directors of bank is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report including Annexures (but does not include the financial statements and our Auditor's Report thereon). The Director's Report including Annexures, thereon, if any, is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements of our knowledge obtained during the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. Management of the Bank is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate and jointly controlled entities in accordance with the requirements of the Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, applicable guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time and other accounting principles generally accepted in India. The management of the Group and of its associate and jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and free from material misstatements, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the management of the Bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the management of the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing ,as applicable, matter relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management of the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates and jointly controlled entities.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern. If we conclude that a

अनिश्चितता है, अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो हमें वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण से संबंधित अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होगा । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां बैंक को वर्तमान विचार के रूप में जारी रखने का कारण बन सकती है ।

· प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन तथा घटनाओं को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं ।

तात्विकता वित्तीय विवरणियों में गलत वर्णन का परिणाम है, जिससे यह संभावना बनती है कि यह व्यक्तिगत या समग्र रूप से वित्तीय विवरणियों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकती है । हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के क्षेत्र में तथा हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन की योजना बनाने (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान किए गए गलत वर्णन के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक तात्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य विषयों के अलावा, लेखा-परीक्षा की योजनाबद्ध क्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं, जिसकी पहचान लेखा-परीक्षा के दौरान की गई है, इसके संबंध में जिन पर शासन का दायित्व है, उन्हें सूचित करते हैं ।

हम उन्हें जिन पर शासन का दायित्व है, को भी एक बयान के साथ कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन्हें सभी संबंधित और अन्य विषयों के साथ सूचित करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता का वहन करने हेतु उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं ।

जिन पर शासन का दायित्व है, उनके साथ सूचित विषयों से, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा विषय हैं । हम अपने लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि अथवा विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय की सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे करने से इसके प्रतिकूल परिणाम संचार के सार्वजनिक हित लाभ को प्रभावित करने की सम्भावना होगी ।

अन्य विषय

8. हमने इसकी एक अनुषंगी, एक एसोसिएट तथा तीन संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण दिनांक ३१ मार्च २०१९ तक ४५८४.२१ करोड़ रु की कुल आस्तियों एवं समेकित वित्तीय विवरण में समाप्त वर्ष हेतु अबतक १३१३.७१ करोड़ रु का कुल राजस्व तथा रु 0.93 करोड़ का निवल नगदी प्रवाह राशि को प्रतिबिंबित करते हैं । एसे सहयोगी के संबंध में जिनके वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षा हमने नहीं किया है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में समझा जाता है, समेकित वित्तीय विवरण में ३१ मार्च २०१९ समाप्त वर्ष हेतु समूह की हिस्सेदारी का रुपये २५.०९ का निवल लाभ भी शामिल है । एक समनुषंगी की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण/ सूचना, दो संयुक्त उद्यम और एक समनुषंगी की वित्तीय विवरण/ सूचना एक समनुषंगी एक संयुक्त उद्यम तथा गैर- लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना प्रबंधन द्वारा हमारे लिए प्रस्तुत किया गया है । समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय है कि, यद्पि अब तक यह उपर्युक्त समनुषंगी, संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, अतः लेखा-परीक्षित संस्थाओं के संबंध में पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर तथा गैर- लेखा-परीक्षित संस्थाओं के संबंध में प्रबंधन के अनुसार आधारित है ।

9. किये गये कार्य पर हमारे निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों / प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है ।

अन्य कानूनी और नियंत्रक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. समेकित तुलन पत्र तथा समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा २९ में प्रावधान के अनुरूप तैयार किए गए हैं;

11. उक्त पैरा ५ से ९ में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा की परिसीमा तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रम के अंतरण एवं अधिग्रहण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटीकरण की परिसीमा की शर्तो के अनुरूप, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

क) हमने लेखा परीक्षा के उद्देश्य से सभी आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी उत्तम जानकारी के अनुसार सटीक तथा संतोषजनक पाए गए;

ख) हमारे नोटिस में आए बैंक का लेन-देन, बैंक की शक्तियों के भीतर हुआ है; तथाग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारे लेखा परीक्षा उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है ।

material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and jointly controlled entities to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements maybe influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements /information of one subsidiary and three joint ventures whose financial statements / information reflect total assets of ₹4584.21 crores as at 31st March, 2019, total revenues of ₹1313.71 crores and net cash flows amounting to ₹0.93 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹25.09 crores for the year ended 31st March, 2019, as considered in the consolidated financial statements, in respect of one associate, whose financial statements/information have not been audited by us. The audited financial statements /information of one subsidiary, one joint venture and unaudited financial statements /information of two joint ventures and one associate have been furnished to us by the Management. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to aforesaid subsidiary, jointly controlled entities and associates, is based solely on the reports of the other auditors in respect of audited entities and as per the management in respect of unaudited entities.

9. Our opinion is not modified in respect of the above mentioned matters based on our reliance on the work done and the reports of the other auditors/ management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते है:

क) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने को विधि संबंधित द्वारा आवश्यक लेखा की यथोचित बहियाँ अब तक रखी गई हैं क्योंकि इन बहियाँ हमारी परीक्षा प्रकट करते हैं तथा अन्य लेखा परीक्षक/ प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं।

ख) इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित विवरण का खाता-बहियाँ तथा अन्य लेखा परीक्षक/प्रबंधन की रिपोर्ट के साथ करार है।

ग) अन्य लेखा परीक्षक/ प्रबंधन की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है; तथा

घ) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह निर्धारित लागू लेखा मानकों की अनुपालन करता है तथा भारिबैंक द्वारा निर्धारित लेखा निति के अनुरूप है।

कृते अग्रवाल एण्ड सक्सेना	**कृते रॉय एण्ड कम्पनी**	**कृते सन्तोष गुप्ता एण्ड क.**	**कृते जी एस महादेव राव एण्ड क.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं 002405सी)	(फर्म पंजी सं 313124ई)	(फर्म पंजी. सं 009713एन)	(फर्म पंजी. सं 001907एस)
(सीए अनिल के सक्सेना)	(सीए सुब्रत रॉय)	(सीए मनोज कुमार)	(सीए मानिक्य प्रसाद जी)
साझेदार (एम सं 071600)	साझेदार (एम सं 051205)	साझेदार (एम सं 108603)	साझेदार (एम सं 020105)

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 13.05.2019

12. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statement have been kept so far as it appears from our examination of those books and the report of other auditor/ management.

b) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the report of other auditor/ management.

c) the reports of other auditor/ management have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

FOR AGARWAL & SAXENA Chartered Accountants FRN:002405C	**FOR RAY & CO** Chartered Accountants FRN:313124E	**FOR SANTOSH GUPTA & CO** Chartered Accountants FRN:009713N	**FOR G S MADHAVARAO & CO** Chartered Accountants FRN:001907S
(CA ANIL K. SAXENA) PARTNER (M.NO. 071600)	**(CA SUBRATA ROY)** PARTNER (M.NO. 051205)	**(CA MANOJ KUMAR)** PARTNER (M.NO. 108603)	**(CA MANIKYA PRASAD G)** PARTNER (M.NO. 020105)

Place: Hyderabad
Date: 13.05.2019

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
देशवासियों का बैंक Where India Banks

प्रधान कार्यालयः : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

उन्नसवीं वार्षिक साधारण बैठक, 29 जुलाई, 2019

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि अमूर्त नहीं)		डीपी आईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्त)	
धारित शेयरों की संख्या			

मैं / हम .... निवासी .... जिला .... राज्य .... आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती .... निवासी .... जिला .... राज्य .... अथवा उसके स्थगन पर श्री/श्रीमती .... निवासी .... जिला .... राज्य .... को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की शुक्रवार, 29 जुलाई, 2019 को प्रात: 11.00 बजे श्री वसावी कल्याण मंडप, 6-1-91, पोट्टी श्रीमालु मार्ग, सेंसेसन थियेटर के सामने, खैरताबाद, हैदराबाद - 500 004 में होने वाली उन्नसवीं वार्षिक साधारण बैठक में या इसके किसी स्थगित तिथि पर मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से पोल पर वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ /करते हैं।

कृपया 1/- रुपये का राजस्व स्टाम्प लगायें

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम:...

(बड़े अक्षरों में)

प्राक्सी के हस्ताक्षर ______________________ **पता** ______________________

प्राँक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश

i) प्राँक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक,
   क) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके अथवा लिखित रूप में प्राधिकृत उनकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
   ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उनकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
   ग) निगम निकाय के मामले में उसे अधिकारी अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

ii) परंतु यह कि किसी प्राँक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के यथेष्ट रूप में हस्ताक्षर होंगे, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो, यदि उस पर उसका निशान लगा है और वह निशान किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, हस्तांतरण पत्र निबंधक या उप-निबंधक अथवा अथवा अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।

iii) प्राँक्सी के साथ
   क) मुख्तारनामा अथवा अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित हो अथवा,
   ख) नोटरी पब्लिक अथवा दण्डोधिकारी द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की प्रति, आन्ध्रा बैंक, व्यापारी बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदरबाद 500 004 में वार्षिक साधारण बैठक प्रारंभ होने के चार दिन के पहले यानि कि 24 जुलाई, 2019 को कार्य समय की समाप्ति के पहले अर्थात् सायं 5.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व जमा करें।

iv) कोई भी प्राँक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो।

v) बैंक में जमा करायी गयी प्राँक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।

vi) वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राँक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे।

vii) प्राँक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को 19वीं वार्षिक साधारण बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो।

viii) जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्राँक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

ix) नियुक्ताॅ प्रौक्सी को बैठकोलने का अधिकार नहीं होगा।

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
देशवासियों का बैंक Where India Banks

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING - 29th JULY, 2019

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)		DP Id No. Client Id No. (If Dematerialised)	
No. of Shares held			

I/We____ resident(s) of ______________in the District of___________in the State of ___________ being a shareholder/ shareholders of Andhra Bank, Hyderabad hereby appoint Shri /Smt. ________________________ resident of _____________in the district of ___________ in the State of ____________OR failing him/her, Shri/Smt. _______________________resident of ____________ in the district of _________________ in the state of_____________________ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf in the Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Andhra Bank to be held on Monday, 29th July, 2019 at 11.00 A.M at Vasavi Kalyana Mantapam, #6-1-91, Potti Sreeramulu Marg, Opp. Sensation Theatre, Khairatabad, Hyderabad 500 004 and at any adjournment thereof.

Please Affix Re.1/- Revenue Stamp

Signature of First named/Sole Shareholder

Name: ___________________________
(in Block letters)

Signature of Proxy _______________________ **Address** ____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

i. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

ii. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

iii. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Merchant Banking Division, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 5.00 P.M., the **24th July, 2019.**

iv. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.

v. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

vi. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

vii. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the 19th Annual General Meeting to which such instrument relates.

viii. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

ix. The proxy appointed will not have any right to speak at the meeting.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
देशवासियों का बैंक Where India Banks

प्रधान कार्यालय: डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500004
Head Oce : Dr.Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004.

उपस्थिति पर्ची ATTENDANCE SLIP

(स्थान पर प्रवेश के समय सौंपी जाए to be surrendered at the time of Entry to the Venue**)**

दिनांक	:	29 जुलाई, 2019	Date	:	29th July, 2019
समय	:	प्रात: 11.00 बजे	Time	:	11.00 A.M

स्थान : श्री वसावी कल्याण मंडप, 6-1-91, पोट्टी श्रीमालु मार्ग, सेंसेसन थियेटर के सामने, खैरताबाद, हैदराबाद - 500 004
Place : VasaviKalyanaMantapam, #6-1-91, PottiSreeramulu Marg, Opp. Sensation Theatre, Khairatabad, Hyderabad – 500 004

शेयरधारक का हस्ताक्षर / Signature of the Shareholder	
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Proxy/ Representative Present	
पंजीकृत फोलियो Regd. Folio (यदि अमूर्त नहीं) (If not dematerialised)	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी DP ID & Client ID (यदि अमूर्त)(If dematerialised)
शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder/ Proxy/ Representative	
धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
देशवासियों का बैंक Where India Banks

प्रधान कार्यालय: डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500004
Head Oce: Dr.Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004.

प्रवेश पास ENTRY PASS

(बैठक के दौरान रखा जाना है To be retained throughout the meeting)

नाम बड़े अक्षरों में Name in Block Letters (शेयरधारक/ प्रॉक्सी /प्रतिनिधि Shareholder/Proxy/ Representative)	
धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held	
पंजीकृत फोलियो Regd. Folio (यदि अमूर्त नहीं If not dematerialised)	डीपी आई डी और ग्राहक आईडी DP ID & Client ID (यदि अमूर्त If dematerialised)
उपस्थित शेयरधारक/प्रौक्सी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

शेयरधारक / प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रवेश पास के साथ स्थल में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करें। फिर भी प्रवेश सत्यापिन / जांच, जो आवश्यक समझा जाए, के अधीन होगा। प्रवेश पास - शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि को वापिस सौंपा जाएगा जो उन्हें बैठक के अंत तक अपने पास रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में द्वितीयक प्रवेश पास जारी नहीं किये जायेंगे।

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Admission will, however, be subject to verication/checks, as may be deemed necessary. Under any circumstances, no duplicate attendance slip will be issued.

बैठक में किसी भी प्रकार के उपहार/ उपहार कूपन बांटे नहीं जायेंगे।

No gifts /coupons will be distributed at the meeting.

NOTES

महाप्रबंधक GENERAL MANAGERS

सी गोपाल कृष्णा
C Gopala Krishna

एम नागराजु
M Naga Raju

श्यामल घोष राय
Syamal Ghosh Ray

एम सत्यनारायण रेड्डी
M Satyanarayana Reddy

के टी वेणुमाधव
K T Venumadhav

के एस डी एस वरा प्रसाद
K S D S Vara Prasad

एम शंकरय्या
M Sankaraiah

एस वी एस सुंदर प्रसाद
S V S Sundara Prasad

वी वेंकटेश्वर राव
V Venkateswara Rao

डी के त्यागी
D K Tyagi

एम बी राजेन्द्र प्रसाद
M B Rajendra Prasad

बी विजयलक्ष्मी
B Vijayalakshmi

टी श्रीनिवास राव
T Srinivasa Rao

भास्कर राव कारे
Bhaskara Rao Kare

के राम मोहन
K Rama Mohan

ఆంధ్రా బ్యాంక్
आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

awards

IBA Banking Technology Awards-2019

our Bank has won 4 awards at IBA Banking Technology Awards-2019 viz.,

- "The Best Technology Bank of Year" - Winner - Medium Bank Category
- "The Best Financial Inclusion Initiatives" - Runner Up
- "The Best Payments Initiatives" - Runner Up and
- "The Most Customer Centric Bank using Technology" - Runner Up

Infosys Finacle Client Innovation Awards-2019

our Bank has won 3 awards at Infosys Finacle Client Innovation Awards-2019 viz.,

- "Process Innovation" - Winner
- "Accelerated Transformation" - Runner Up and
- "Emerging Technologies Led Innovation" - Runner Up

Awards under APY

Bank has been awarded as the "Second Best Performing Public Sector Bank" from PFRDA for the FY 2018-19 and has also received many awards in the campaigns conducted by PFRDA.

Special Recognition Award

for Excellent Performance in "AePS by NPCI" in "B" Category banks.

AB TEJ App

BHIM ONe UPI App

AB Credit Card App

ఆంధ్రా బ్యాంక్
आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

Head Office, Dr Pattabhi Bhavan, Saifabad, Hyderabad 500 004
www.andhrabank.in